राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का तैंतीसवां दिवस [संख्या : 18

सोमवार,

24 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या–498

श्री अध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अमराराम।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, नागवा (सीकर) के पूर्व व्यवस्थापक के विरूद्ध जांच

499. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, नागवा (सीकर) के पूर्व व्यवस्थापक के विरुद्ध गबन का आरोप है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या गबन पाया गया तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई? जांच एवं की गई कार्यवाही के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गबन की राशि की वसूली हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है? वसूली में विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री परसादी लाल) : (1) जी, हां। पूर्व व्यवस्थापक, नागवा, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, श्री प्रेमसिंह के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 की जांच में निम्नप्रकार का गबन पाया गया : —

(श्री परसादी लाल)

		राशि
(1)	जमा से अधिक अमानत वापसी का रोकड़-बही में इन्द्राज कर राशि का गबन	1,02,333.00
(2)	रसीदें जारी कर रोकड़-बही में इन्द्राज नहीं कर गबन	0,63,745.00
(3)	रोकड़ पोता राशि का गबन	1,42,405.11
(4)	स्टॉक का गबन	1,22,537.05
(5)	कच्ची रसीदें जारी कर गबन	0,07,950.00
(6)	नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी कर गबन (ऋण वसूली की राशि समिति रोकड़ में जमा नहीं कर गबन किया तथा नो-ड्यूज जारी कर दिया)	0,09,990.00
(7)	बिना रसीद जारी किये ऋण वसूली राशि प्राप्त कर गबन	0,36,432.00
(8)	अन्य गबन (रसीद जारी कर राशि रोकड़ में जमा नहीं कर तथा रोकड़ पोता राशि कम जोड़कर गबन)	0,02,314.00
	कुल योग	4,87,706.16

नागवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व व्यवस्थापक, श्री प्रेमसिंह के विरुद्ध गबन का मामला बैंक के सुपरवाइजर द्वारा दिनांक 22.12.1994 को प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या प्रकाश में आने पर दिनांक 13.4.96 को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 में जांच कराये जाने के आदेश जारी किये गये। जांच रिपोर्ट दिनांक 15.7.1996 को प्राप्त होने पर दोषी व्यवस्थापक, श्री प्रेमसिंह के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गई: —

1. श्री प्रेमसिंह, पूर्व व्यवस्थापक के विरुद्ध दीवानी उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के तहत दिनांक 26.8.1996 को मुकदमा दर्ज किया गया। मामला पचास हजार रुपये से अधिक का होने से न्यायालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर को दिनांक 31.8.1996 को भिजवाया गया। संयुक्त रजिस्ट्रार, जयपुर द्वारा दिनांक 15.10.1996 को धारा 74 (1) में आचरण की जांच हेतु विशेष लेखा परीक्षक, सीकर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। वर्तमान में प्रकरण धारा 74 (1) में जांच हेतु अन्तिम स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(श्री परसादी लाल)

2. श्री प्रेमसिंह की अचल सम्पत्ति भूमि खसरा नम्बर 755 रकबा 3 बीघा 65 बिस्वा, खसरा नम्बर 910 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 911 रकबा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 912 रकबा पांच बीघा 92 बिस्वा, कुल रकबा 9.66 हैक्टेयर में से प्रेमसिंह के हिस्से की 1/6 भाग भूमि को खुर्दबुर्द करने से रोकने के लिए धारा 120 के तहत सहायक रजिस्ट्रार, सीकर द्वारा दिनांक 20.9.1996 को वारंट जारी किया गया। उक्त वारंट का निष्पादन दिनांक 4.3.2000 को कर भूमि कुर्क की गई।

3. श्री प्रेमसिंह के विरुद्ध प्रमाणित गबन के आरोपों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 21.3.1995 को आरोप-पत्र जारी किया गया तथा समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् श्री प्रेमसिंह को आदेश दिनांक 22.2.1996 के द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया।

4. श्री प्रेमसिंह के विरुद्ध आपराधिक दायित्व के निर्धारण हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 408, 420, 467, 468, 471 के तहत दिनांक 5.1.99 को पुलिस थाना सदर, सीकर में प्राथमिकी मुकदमा नम्बर 5/99 दर्ज कराई गई है जो जेरे तफतीश है। जांच एवं की गई कार्यवाहियों की प्रतियां परिशिष्ट-"एक" पर संलग्न हैं।

(2) श्री प्रेमसिंह की अचल सम्पत्ति कृषि भूमि 1.61 हैक्टेयर जिसकी अनुमानित कीमत 3.00 लाख रुपये है, को दिनांक 4.3.2000 को कुर्क किया जा चुका है जिसकी नीलामी धारा 74 में निर्णय पश्चात् की जाकर वसूली की जाएगी।

(जांच प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकरण में लेखा परीक्षक, सीकर द्वारा 1996 में इसमें जांच अधिकारी बनाने के बाद आज की तारीख 2000 तक भी यह जांच पूरी नहीं की गयी, क्या ऐसा करके इस जांच अधिकारी ने उस दोषी व्यक्ति को बचाने का काम किया है? तो क्या उसके खिलाफ सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि प्रश्न लगने के बाद इस भूमि को कुर्क किया गया है जबकि 20.9.1996 को इस भूमि के वारंट जारी हो चुके थे? 1996 से 4.3.2000 तक यह प्रश्न लगने के बाद इस भूमि को कुर्क किया गया है तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? तीसरा, कितने समय में आप वापस वसूल कर लेंगे तीन लाख रुपये के अलावा, क्योंकि कुल रकम जो इसमें गबन की गयी है वह 4,87,706.16 रुपये है और यह भूमि मात्र तीन लाख की है? बाकी वसूली किस जरिए से की जाएगी?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि विशेष लेखा परीक्षक ने 96 के बाद अब तक इसमें निर्णय करने में डिले किया है। दूसरी बात यह है कि इस भूमि का कुर्की

(श्री परसादी लाल)

का वारंट 1996 में जारी हुआ था। यह सही बात है कि आपके सवाल के बाद भूमि की कुर्की की गयी और दोनों मामलों में विभाग के अधिकारियों ने डिले किया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसकी जांच कराकर जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच कहां बाकी रह गयी? 1996 में उसने 4,87,000 रुपये का सीधा-सीधा गबन कर लिया और कोई जांच का विषय नहीं है। 1996 से लेकर 2000 तक जो अधिकारी केवल गबनकर्ता को बचाने की मंशा से डिले कर रहा है और उस अधिकारी के खिलाफ आप कह रहे हैं जांच, अब जांच इसमें कहां बच गयी? आप सीधा-सीधा यह कहिये, क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारी जो गबनकर्ता को बचाता है, सरकार भी उन दोषी अधिकारियों को बचाने का इरादा रखती है, उनको बचा रही है? पारदर्शी सरकार का यह नमूना है। अगर आप पारदर्शिता रखना चाहते हैं तो ऐसे गबन करने वाले लोगों को बचाने का, सरकार के जिस अधिकारी ने उसको बचाने का काम किया है उस अधिकारी को आप यहां बर्खास्त करें और जिसने अटेचमेंट नहीं किया, 1996 से 2000 तक अटेचमेंट नहीं किया, उन दोनों अधिकारियों को आप यहां सदन में निलम्बित कीजिए जिससे आगे यह मैसेज जाए कि जो भी कोई अधिकारी गबनकर्ता को बचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। नहीं करेगी तो उससे आपका एक ही मकसद होगा कि सरकार उन अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में आपको आश्वस्त किया, 1996 के बाद जो डिले हुई जमीन की कुर्की के लिए, उसमें कौन दोषी अधिकारी है इसकी जांच तो करानी पड़ेगी। अधिकारी बार-बार बदले हैं। कितनी बार बदले हैं, किस अधिकारी के स्तर पर डिले हुआ, यह जांच का विषय है।

श्री अमराराम (धोद) : यह तो वही है।

श्री परसादी लाल : यह जांच का विषय है। दूसरा, लेखा परीक्षक की कार्यवाही में भी डिले हुआ है। दो ही तो मुद्दे हैं। दोनों में कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, उसकी पूरी जानकारी करेंगे, निश्चित रूप से सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को बचाने का इरादा नहीं रखती। आपको कार्यवाही करके बताएंगे, जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अब जांच कहां रह गयी? किसी का अगर ट्रांसफर भी हुआ है तो उस अधिकारी की ड्यूटी थी जिसने सीधा गबन किया है। उसमें जांच कहां बच गयी? अगर ट्रांसफर भी हुआ है, दूसरा आया है तो जो जितने लम्बे समय तक इसमें रहा और आज जो है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो

(श्री अमराराम)

अधिकारी है उस लेखा परीक्षक, सीकर में, जिसके खिलाफ़ यह जांच है आज भी उसको उसने पूर्ण नहीं किया है। क्या उस अधिकारी को आप निलम्बित करना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो इसका एक ही मकसद है कि जो गबनकर्ताओं को बचा रहे हैं, उनको सरकार भी बचा रही है। निश्चित रूप से जांच का विषय कहां रह गया इसमें? पांच लाख के करीब जिसने गबन किया है, उसको जो अधिकारी बचा रहे हैं, उनको फिर सरकार बचाने में लगी हुई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि एक व्यवस्थापक की यह + + + कि उसने 4,87,786 रुपये और 16 पैसे का गबन कर लिया। उसके बाद भी कार्यवाही बहुत डिले हुई है, इसमें कोई शक नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : हुई ही नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हुई है, लेकिन डिले हुई है। इसमें लम्बा समय लगा है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। अब किस-किस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जैसा कि हमारे राज्य मंत्री महोदय ने कहा है इसके लिए हमको डिटेल में जाना पड़ेगा कि किसकी खास तौर से गफलत रही है। दो साल तक इसमें कोई कार्यवाही पहले नहीं हुई, फिर शुरू होने के बाद में फिर रुक गयी और आज भी आपका क्वेश्चन आने के बाद वह जमीन नीलाम नहीं हुई और जमीन कितनी है? जमीन बहुत थोड़ी है। तीन लाख की कीमत, मुझे तो उस जमीन से आने में मुश्किल लगता है। इस सारी सिचुएशन, इन सारे हालात को देखकर यह आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, प्रश्न विधान सभा में लग गया, कौन-कौन जांच अधिकारी थे, जब इस प्रश्न का उत्तर तैयार कर रहे थे तब सारी बातें आपके सामने आ गयीं और आज की तारीख में आप कह रहे हो कि कौन-कौन अधिकारी दोषी थे, उनकी जांच हम करेंगे, देखेंगे। आप प्रश्न का रिप्लाई देने आए हैं तो आपका सभी प्रकार रिकार्ड तैयार है, इस प्रकार आप बीच-बचाव कैसे कर रहे हैं? आज आप कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। प्रश्न के उत्तर के साथ सारी बातें आ गयीं। उसमें जांच में कौन दोषी अधिकारी थे जिन्होंने इसको बचाने की कोशिश की, माननीय सहकारिता मंत्रीजी, इस बात को स्पष्ट कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की नीयत साफ है तो इस तरह के मामले आने पर मेरा आपसे अध्यक्ष जी के जरिये निवेदन है कि गबन के मामले में आप बिलकुल नरमी मत बरतिए। अगर दो-चार

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मामलों में आपने तुरन्त फैसला लिया तो एकदम अधिकारियों और कर्मचारियों में, जो भ्रष्ट लोग हैं उनमें मैसेज जाएगा कि बचने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको रियायत नहीं करनी चाहिए। इतना समय हो गया, अब तो आपको तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। अब यह तो बता दें कि आप कब तक कर देंगे?

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : कब तक कर देंगे, यह सदन में क्यों नहीं करते? आपने गबन मान लिया, आपने गबन को स्वीकार कर लिया और सिद्ध हो गया फिर आपकी यह पारदर्शी सरकार क्या कहती है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यही तो कर रही है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप बार-बार यह कहते हैं कि यह पारदर्शी सरकार है, गबन सिद्ध हो गया, यह कैसी पारदर्शी सरकार है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न पूछ लिया। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : गबन सिद्ध होने के बाद भी हाउस में सस्पैण्ड करने में कोई + + + आती है क्या?

श्री हीरासिंह चौहान : प्रश्न के खण्ड नम्बर-दो में माननीय सदस्य ने स्पष्ट...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने एक अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रश्न के खण्ड नम्बर-दो में यह साफ पूछा गया है कि सरकार द्वारा गबन की राशि की वसूली हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी? नैक्स्ट पूछा है, वसूली में विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? बहुत साफ पूछा है, कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : जिसके खिलाफ गबन सिद्ध हो गया उसके खिलाफ तो कार्यवाही करें। सदन में + + + आती है। अभी करो आज।

मोहम्मद माहिर आजाद : You should take action.

श्री अमराराम (धोद) : आज छह साल से बचा रहा है, उसको नहीं करोगे। जो गबनकर्ता को बचाने का काम कर रहा है, उसको नहीं करोगे। उसको बचाने का काम आप भी करेंगे। जिस अधिकारी ने गबनकर्ता को बचाया है उसको सरकार और सरकार के मंत्री भी बचाएंगे। मैं नहीं समझता कि आपको उन अधिकारियों का पता नहीं है। आज की तारीख में वह इस जांच को पूरा नहीं कर रहा है और फिर भी आप कह रहे हैं हम देखेंगे, जाचेंगे। अब मतलब यही है कि उसको भी आप बचाएंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जिसमें खुला गबन है। इस बात को मैं एग्री करता हूं और आप सबसे भी यह कहता हूं कि इस डिपार्टमैंट में और कहीं कोई आपको मालूम पड़े तो आप हमको जरूर सूचित कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : इन दोनों का कर दो आप तो।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : प्रश्न का आखिरी हिस्सा जैसा माननीय सदस्य ने कहा, बहुत साफ है कि सरकार द्वारा गबन की राशि की वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी? वसूली में विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है? बहुत साफ है। इसलिए जो अधिकारी विलम्ब के लिए जिम्मेवार है इस प्रश्न के जवाब में आपको देना है और जो जिम्मेवार हो गया उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना है। इसमें झगड़ा कहां रह गया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इसमें पहले तो सुपरवाइजर है उसने गलती की है, उसने देरी की। उसके बाद फिर जोइंट रजिस्ट्रार है उसने भी देरी की है। उसके बाद वहां रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसायटी के दफ्तर में भी थोड़ी देरी हुई है। आप यह फरमाओ तो मैं सबको ही...(व्यवधान) ऐसा हुआ है कभी?

मोहम्मद माहिर आज़ाद : पूरे का पूरा थाना ही सस्पैण्ड होता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और देखिये, खास बात यह है कि उसको बर्खास्त तो हमने कर दिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप उसको नहीं, उसको बचाने वाले को बचा रहे हो। आपने सवाल में जो उत्तर दिया है उसका पूछ रहा हूं। जो गबन करने वाले को बचाने वाले अधिकारी हैं और जिन्होंने वसूली नहीं की, उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? आप रजिस्ट्रार को ला रहे हो, सुपरवाइजर जिसने जांच करके पहले रिपोर्ट दी, उसको आप दोषी बता रहे हो। मतलब आप डाइवर्ट करना चाहते हो। जिसने दोष किया है, उस गबनकर्ता को बचाने का काम, उससे वसूली नहीं करने का काम जिन दो अधिकारियों ने किया है उनके खिलाफ आप इस सदन में उनको सस्पैण्ड करके, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या उस अधिकारी की तरह मंत्री भी उनको बचाने का काम कर रहे हैं? स्पष्ट कह दो आप कि हम बचा रहे हैं। कह दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बचाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है और न कोई मंशा रखता हूं। लेकिन यह है कि इसमें जांच तो करनी पड़ेगी न। एकदम से...... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कछुआ चाल से कार्यवाही होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं सस्पैण्ड कर दूं? इस प्रकार से सस्पैण्ड होने शुरू हो

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जाएं तो फिर डिपार्टमेंट चल दिया। नहीं, यूं नहीं होते। जांच करूंगा। जांच में यह साबित हो जाएगा कि इन दोनों की वजह से ही, दीदो-दानिस्ता इन लोगों ने जानबूझकर डिले की और उस डिले की वजह से आज तक कार्यवाही नहीं हुई, अगर यह साबित होता है तो मैं एक्शन लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या यह सही है, मंत्रीजी, कि कांग्रेस के जितने मूवमैंट हैं सहकारिता...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इधर नहीं...... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सहकारिता पर कांग्रेस का जितना कब्जा है, मैं मानता हूं कि अगर आपने सस्पैण्ड करने की लीक डाल ली तो इन + + + को, जो यहां इधर बैठे हैं को-आपरेटिव का ज्ञान नहीं है ए, बी, सी, डी, का ...(व्यवधान) जितना माल खाया है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ये कोई + + + हैं क्या? बहुत अन्याय कर दिया।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक इसी संबंध में मुझे भी जानकारी करनी है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरी सप्लीमैंट्री है इसी मामले में। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : तो मैं मंत्रीजी से कह रहा हूं, अगर आपने यह लीक डाल दी तो सारे कांग्रेसी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जगमाल सिंहजी, आपने पूछ लिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो अकेले बैठे हैं वे होते हैं + + + (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : इनको तो ज्ञान नहीं है को-आपरेटिव का इसलिए इन्होंने खाया नहीं। जितना ज्ञान है, जितना को-आपरेटिव मूवमैंट पर कब्जा है सब कांग्रेसियों का है और अगर एक को छेड़ा तो सारे भ्रष्ट निकलेंगे, सब जेल में जाएंगे। इन्होंने तो खाया नहीं क्योंकि इनका कब्जा नहीं, इनको ज्ञान नहीं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं भी इसी संदर्भ में निवेदन कर रहा था मंत्री महोदय से कि हमारे यहां होल सेल भंडार गंगानगर के अन्दर छंटनी के अभाव में...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसी से है, अध्यक्ष महोदय, अलग से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है यह।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक साल से को-आपरेटिव मंत्री गुलाब सिंहजी बैठे हैं, उन्होंने आर्डर कर दिया।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री निर्भय लाल।

श्री राधेश्याम गंगानगर : खेत सिंहजी ने आर्डर कर दिया, आज तक उसकी कम्प्लायेंस नहीं हुई, अधिकारी ने उसकी कम्प्लायेंस नहीं की आज तक। बीसों बार टेलीफोन हो गया, बीसों बार आर्डर हो गये। दो मंत्री मौजूद हैं, जो केबिनेट मंत्री हैं, एक छोटा सा अधिकारी है, उसको गलत कर दिया और मंत्री के आदेश हो गये फाइल पर छह महीने पहले, फिर दूसरे मंत्री के हो गये।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। यह आप क्या पूछ रहे हैं यहां पर?

श्री राधेश्याम गंगानगर : तो फिर यहां बैठने का कोई फायदा ही नहीं है अगर एक साल में दो मंत्री आर्डर करें और मंत्री की कम्प्लायेंस नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : यह सहकारी समिति का प्रश्न है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं सहकारी की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अलग प्रश्न कर रहे हैं आप। श्री निर्भय लाल।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं होलसेल भंडार, सहकारिता पर बोल रहा हूं। मैं इस बात को समझता हूं कि इसी विषय पर मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, तो आप बैठिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : बहुत जरूरी मामला है, अध्यक्ष महोदय, + + +

श्री अध्यक्ष : नहीं, जरूरी क्या है? यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक गरीब आदमी की एक साल पहले आपने बिना मतलब छंटनी कर दी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : पूछ लिये आपने।

श्री राधेश्याम गंगानगर : वापस इंक्वायरी हो गयी, वो बहाल हो गया। इंक्वायरी में बहाल होने के बाद, मंत्रीजी, यह बताएं कि क्या कारण है जो उसको क्यों नहीं किया जा रहा?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप बैठिये, श्री निर्भय लाल। श्री भरोसी लाल।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में कह रहा हूं, मेरी बात का उत्तर तो दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका उत्तर नहीं आ सकता क्योंकि आपका अलग से प्रश्न है। यह ग्राम सेवा सहकारी समिति, नागवा, सीकर का प्रश्न है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अलग कैसे है, इसी से रिलेटेड है। अधिकारी अपनी बात को चलाते हैं और मंत्रियों की बात को नहीं मानते हैं। इसी से रिलेटेड है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के दो नम्बर का भाग है।

श्री अध्यक्ष : श्री भरोसी लाल, श्री निर्भय लाल।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप मंत्रीजी से पूछिये, मंत्रीजी बताएंगे, मैंने उनसे निवेदन किया कि नहीं किया। उन्होंने जोइंट रजिस्ट्रार को फोन कर दिये दो बार।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिये कि मैंने जो दो नम्बर का प्रश्न पूछा है, इसके भाग दो में पूछा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय गुलाब सिंहजी को-आपरेटिव मंत्री थे, आपने आदेश कर दिया, बीसों बार फोन कर दिया। कमाल की बात है, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न से कोई सम्बन्धित नहीं है, आप अलग से होलसेल भंडार की बात कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री राधेश्याम गंगानगर : अलग से प्रश्न नहीं है, अध्यक्ष महोदय, + + + इसी से रिलेटेड है। को-आपरेटिव से सम्बन्धित है, आप कहते हैं अलग से हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग दो में यह पूछा है कि कौन अधिकारी दोषी हैं। आप इसका तो जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आ गया जवाब। जवाब दे दिया उन्होंने।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आप भाग संख्या दो देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आ गया।

श्री अमराराम (धोद) : भाग संख्या-दो में है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, भाग संख्या-दो देख लीजिये, इसमें लिखा है कि देरी के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? मेरे प्रश्न का जो भाग दो है इसमें लिखा है कि कौन अधिकारी हैं जिन्होंने डिले किया है?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने बता दिया आपको कौन-कौन हैं।

प्रश्न संख्या-500

श्री निर्भय लाल/भरोसी लाल (अनुपस्थित)।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामप्रताप।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 अप्रैल, 2000)

राज्य में हिरण व मोरों के शिकार के दर्ज मुकदमे

286. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामप्रताप)

जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक हिरणों और मोरों के शिकार के कितने मुकदमे दर्ज हुए? उक्त में से कितनों का चालान हुआ और कितने मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट दी गयी? माहवार एवं जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री भगराज चौधरी) : 1 जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक हिरणों और मोरों के शिकार के राज्य में 165 मुकदमे दर्ज हुए हैं।

इनमें से 99 मुकदमों का न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है और शेष 28 मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट दी गयी। शेष 38 मुकदमों में से 37 मुकदमों में वन विभाग द्वारा जांच अभी तक की जा रही है तथा एक मुकदमे में पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है।

जिलेवार इन मुकदमों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(पुलिस विभाग द्वारा दर्ज प्रकरण परिशिष्ट "क" व "ख" पर दर्ज कर, अंकित कर उनकी सूची सदन की मेज पर रखी दी गयी है) (वन विभाग द्वारा दर्ज प्रकरण परिशिष्ट "ग")

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, 99 मुकदमों में चालान पेश हो गया, इसमें कितनों को सजा हुई? इसके साथ-साथ 28 मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट दी गयी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन 28 मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट लिखने के पीछे कितने अधिकारियों की लापरवाही रही और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? अगर मुकदमा करने वाला गलत था तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

अध्यक्ष महोदय, सलमान खान प्रकरण में कितनी दफा कौन-कौन एडी.पी. बदले गये और बदले जाने के पीछे क्या कारण थे? क्या इसकी वजह से इस केस के अन्दर प्रगति में किसी किस्म की बाधा नहीं पहुंची?

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (ग्रामीण) के यहां पर कौन-कौन से वन्य जीव मिले और कौनसी वन्य जीव धारा के संविधान के तहत इस प्रकरण का मुकदमा दर्ज हुआ? क्या पुलिस अधीक्षक ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से इसकी इजाजत ले रखी थी?

अध्यक्ष महोदय, यह तमाम् प्रकरण जब अखबारों में आ गया तो इसमें कोई अनुसंधान की आवश्यकता है क्या?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह है कि एक जनवरी, 1999 से लगाकर फरवरी, 2000 तक कितने मोरों और हिरणों के शिकार हुए? इसमें विस्तृत जानकारी मैंने दे दी है कि कितने चालान किये, कितने में अंतिम रिपोर्ट कर दी गयी, कितने मुकदमे अभी ऐसे हैं जिनमें जांच चल रही है।

(श्री भगराज चौधरी)

जहां तक पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (ग्रामीण) के निवास पर...

श्री रामप्रताप : नहीं, इसमें सजा कितने में हुई, यह तो बताओ।

श्री भगराज चौधरी : मैं आ रहा हूं। न तो।. वह मामला तो बाद का है, वह तो अप्रेल के महीने का मामला है इसलिए आपके प्रश्न में यह विषय ही नहीं है।

श्री रामप्रताप : कौनसा ?

श्री भगराज चौधरी : यह जोधपुर के एस.पी. का।

श्री रामप्रताप : चलो, जोधपुर वाला तो छोड़ दो। इसमें चालान के दौरान कितने मुकदमों में सजा हुई, यह बता दो आप।

श्री भगराज चौधरी : आपने जो प्रश्न पूछा है उसका मैंने जवाब दे दिया। आपने अपने प्रश्न में यह बात नहीं पूछी कि कितने में सजा हुई, कितने मुजरिम थे, कितने क्या थे। यह तो अलग बात है।

श्री रामप्रताप : फिर आपने देखा क्या है, मंत्री महोदय ? अध्यक्ष महोदय, यह कोई अलग से प्रश्न पूछने की बात हुई ?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न पूछने का दायरा स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक दायरे के अन्दर ही हमें जवाब देना पड़ता है। अब आपने सारी + + + इस प्रश्न के दौरान पूछी तो नहीं है और यहां मेरे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे संभव है यह बात ? केवल मात्र सीमित दायरे में, Question Hour is intended only to elicit information.

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा स्पेसिफिक और क्या पूछा जाएगा ?

श्री भगराज चौधरी : इन्होंने जो जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न पूछा है उतनी जानकारी मैंने दे दी है।

श्री रामप्रताप : मंत्री महोदय, जब आपने यह बता दिया कि इतने में चालान पेश हुआ तो क्या आप का दायित्व नहीं है कि चालान पेश हो गये.....(व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : नहीं, कोई दायित्व नहीं है मेरा बाकी। केवल मात्र आपने जो बात पूछी है उसी का मैं जवाब दूंगा। (व्यवधान) मेहरबानी करके थोड़ा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का अध्ययन करिये जिसमें केवल मात्र यह लिखा हुआ है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं का जवाब दिया जाएगा, उससे बढ़कर किसी प्रकार की और इंफोर्मेशन प्राप्त करने के आप हकदार नहीं हैं।

श्री रामप्रताप : आपका विभाग है, चालान पेश किये हैं, इसमें कितने में सजा हुई ?

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, सजा वाला पाइंट छोड़ दीजिये लेकिन यह बताइये, जो फाइनल रिपोर्ट दी है 28 में, उसके पीछे क्या कारण हैं ? यह तो जानकारी होगी आपको ?

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भगराज चौधरी : हां, यह ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मंत्रीजी, एक चीज मैं और पूछ लूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगा कि यह जो वन विभाग में 37 में जांच पेंडिंग बतायी गयी, मंत्री महोदय, एक साल से ज्यादा कितनी जांच पेंडिंग हैं? सालभर पहले शिकार हुआ और 37 जांच तो आपने खुद अपने उत्तर में माना है कि वन विभाग के पास लम्बित हैं, एक साल से ज्यादा कितनी संख्या में जांच लम्बित है, यह बता दो।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वन विभाग द्वारा हिरणों व मोरों के कुल 50 मुकदमे दर्ज किये गये हैं जिसमें से 10 का न्यायालय में चालान पेश किया गया, 3 में अंतिम रिपोर्ट दी गयी और 37 में जांच अभी तक पेंडिंग है। यह तो है वन विभाग द्वारा जो मुकदमे दर्ज किये गये। इसके अलावा 115 ऐसे मुकदमे हैं जो हिरणों और मोरों के शिकार से सम्बन्धित हैं, वे पुलिस के द्वारा दर्ज किये गये हैं। उनमें 50 का चालान पेश कर दिया गया है, 8 में अंतिम रिपोर्ट अदमपता मुजरिम दी गयी है, 10 अदमवकवा यानी उसमें वाकया हुआ ही नहीं या वाकये के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। मुजरिम का पता होना अलग बात है और वाकये के बारे में सबूत मिलना दूसरी प्रकार की बात है। दो प्रकार की अपने एफ. आर. लगती है, अदमवकवा और अदमसबूत। एक में अन्वेषण चल रहा है। तो कुल-मिलाकर 69 मुकदमे ऐसे हैं जो पुलिस में हिरणों के बारे में दर्ज हुए, जिनका इस प्रकार रहा। इसके अलावा 46 मुकदमे मोरों के शिकार के बारे में पुलिस में दर्ज किये गये। इसमें से 39 मुकदमों में चालान पेश किये गये, चार में अंतिम रिपोर्ट दी गयी अदमपता, मुजरिम का पता नहीं रहा, एक अदमवकवा रहा यानी मुकदमे के सम्बन्ध में पूरे सबूत नहीं मिले। कुल-मिलाकर 46 मुकदमें पुलिस में दर्ज किये गये हैं। इस प्रकार से यह सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, आपसे पुलिस द्वारा कौन पूछ रहा है? आपके विभाग में जांच अधीन पड़े हैं, यह लम्बी लिस्ट है। माननीय सदस्य ने यह पूछा है, आप पुलिस वालों का बता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब से लम्बित हैं आपके?

श्री रामप्रताप : आपके विभाग में दर्ज हैं, उससे सम्बन्धित पूछ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वे कब से लम्बित हैं?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से दर्ज किये गये हैं और चालान पेश हुए....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं एक साल से जो जांच लम्बित है, वे 25 हैं। 25 जगह शिकार हुआ, वन विभाग ने एक साल से अपने पास इंक्वायरी पेंडिंग रख रखी है, जांच ही नहीं की। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुकदमों की जो स्थिति है चालान पेश करने के बारे में और इंवेस्टीगेशन पैंडेंसी के बारे में भी मैंने निवेदन कर दिया है। मेरे खयाल से मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 167 शिकार के मुकदमे डेढ़ साल में हुए हैं, मंत्रीजी खुद मानते हैं। 90 में चालान पेश हुए हैं बाकी सब यूं ही पड़े हैं और मंत्रीजी कहते हैं कि उनमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

श्री रामप्रताप : मंत्रीजी, आपसे बड़ी उम्मीद थी, आप बहुत स्पष्टवादी हैं। एक साल से लम्बित पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं कहना है। अफसोस की बात है। आपसे बेहद उम्मीद थी। आपने डिमाण्ड के टाइम पर जब जवाब दिया था उस दिन हमारा हौसला बढ़ा था और आज सारे पक्ष को आप छिपा रहे हैं। एक साल से लम्बित पड़े हैं। आप इतने बोल्ड मंत्री हैं।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिन मुकदमों में अभी तक अन्वेषण चल रहा है उनमें शीघ्र अन्वेषण की कार्यवाही पूरी करवाकर न्यायालय में चालान पेश करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री नन्दलाल मीणा।

सहकारी उपभोक्ता संघ में कापियों की खरीद में अनियमितताओं की जांच

501. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या वर्ष 1999 में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में कापियों की खरीद में अनियमितताओं के किसी प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की गयी है? क्या जांच अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जांच में किन-किन अधिकारियों को दोषी माना गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जी, हां। प्राथमिक जांच की जा रही है।

(2) जांच विचाराधीन है। जांच के पश्चात् ही उपलब्ध मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्यों की कानूनी/नियमों के अनुरूप परीक्षणोपरान्त ही दोषी अधिकारियों का निर्धारण किया जाना संभव होगा।

(3) जांच के पश्चात् ही जांच रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही चालान पेश किया जाना संभव होगा।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच विचाराधीन है उसके लिए जांच अधिकारी कब नियुक्त किया गया और इसकी परिधि क्या रखी गयी? कितने समय में यह जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और अब तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या करना चाहती है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने केवल सूचना के आधार पर, सोर्स इंफारमेशन के आधार पर सर्वश्री राम अवतार जैन, प्रबन्ध निदेशक, रामजीलाल सोनी, जनरल मैनेजर, भारत भूषण, मैनेजर (मार्केटिंग) एवं राजेन्द्र शर्मा, सहायक मैनेजर, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के विरुद्ध वर्ष 1999 में जी.एफ. एण्ड ए.आर. नियमों की अवहेलना करते हुए तीस लाख रुपये की अभ्यास पुस्तिकाएं निविदा की आवश्यक प्रक्रिया अपनाये बिना एक ही फर्म मैसर्स माणक चन्द, राजकुमार, भागीरथ, नन्दलाल, जयपुर से क्रय की, तथा उक्त अधिकारियों ने उक्त फर्म को दो फर्म बताकर अपने पद का उपयोग करते हुए राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को करीब दस लाख रुपये की आर्थिक हानि पहुंचाने और स्वयं को अनुचित लाभ अर्जित करने के आरोपों पर प्राथमिक जांच संख्या 195/99 अक्टूबर, 1999 में पंजीयन की है। अभ्यास पुस्तिकाओं के कागज का स्तर जांचने हेतु अभ्यास पुस्तिकाओं के नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण के लिए भेज दिए गए, रिपोर्ट आना संभव है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने पर जांच के दौरान लिये गये मौखिक दस्तावेजी साक्ष्यों का कानून/नियमों के अनुरूप परीक्षण कर उपभोक्ता संघ के धन का दुरुपयोग करने बाबत निर्णय के निष्कर्ष पर पहुंचना संभव होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में जो आपने जवाब दिया है, आपने यह स्वीकार किया है कि बिना निविदाओं के एक ही फर्म को दो फर्म बताकर उन्होंने सारी प्रक्रिया को पूरा किया। आपकी प्रारम्भिक जांच से प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ कि उन्होंने जो निविदाओं की प्रक्रिया करनी चाहिए वह की या नहीं की? यह भी प्रारम्भिक जांच से स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ कि उन्होंने एक फर्म को दो फर्म बताने की खानापूर्ति की और ये दो बिन्दु आपके ध्यान में आ गये कि यह निश्चित हुआ है? इसका मतलब यह है कि यह बेइमानीपूर्वक कृत्य हुआ है? क्या आप यह मानते हैं कि ये दो खामियां होने से निश्चित रूप से ये अनियमितताएं हुई हैं? यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपके विभाग का भी कोई दायित्व बनता है कि नहीं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने स्पष्ट निवेदन किया कि जो प्राथमिकी दर्ज की है उसमें हमने यह माना है कि जनरल फाइनेंशल रूल्स की अवहेलना हुई है और कापियों का जो कागज है उसके बारे में भी सोर्स रिपोर्ट के आधार पर यह आया है कि सब स्टैण्डर्ड है। उसको हमने एफ.एस.एल. में जांच के लिए भेज दिया, वह जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक किसी भी गतिविधि पर पहुंचना संभव नहीं लगता। आज ही विभाग को मैंने आदेश दिये हैं कि एफ.एस.एल. से बात करके जल्दी ही इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर सारे प्रकरण को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि कागज की गुणवत्ता के बारे में क्या फैसला आएगा, वह बाद की बात है। सवाल यह है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा उन्हें खरीदना चाहिए वह प्रक्रिया उन्होंने नहीं अपनायी और उसके बारे में आपके पास पुख्ता सबूत हैं कि उन्होंने प्रक्रिया वह पूरी नहीं की तो क्या विभाग प्रक्रिया पूरी नहीं करने का दोषी मानते हुए विभाग के स्तर पर कार्यवाही करना चाहता है या नहीं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने स्पष्ट निवेदन किया है कि सोर्स रिपोर्ट के आधार पर ऐसा बताया गया है कि उन्होंने जनरल फाइनेंस रूल्स की अवहेलना की है। यह जांच के दायरे में है और जांच जल्दी से जल्दी पूरी करके, अगर सिद्ध होता है कि रूल्स की अवहेलना की गयी है तो निश्चित रूप से विभाग को लिखा जाएगा कि हमें उनकी परमीशन दें कि हम उनका चालान करें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती यासमीन अबरार।

वित्तीय संस्थाओं से विकास हेतु प्राप्त राशि

502. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या एशियन डवलपमैंट बैंक अथवा वर्ल्ड बैंक या अन्य किसी बैंक से राज्य को विकास/सौन्दर्यकरण/सड़क निर्माण अथवा अन्य किसी कार्य के लिए कोई राशि स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो कितनी?

(2) अब तक उक्त राशि में से कितनी राशि आवंटित की गयी है?

(3) अब उक्त राशि में से किन-किन कार्य के लिए किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि आवंटित करने की योजना है?

राज्य मंत्री, आयोजना (श्री दीपेन्द्र सिंह) : (1) राज्य के 6 प्रमुख नगरों—जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर एवं अजमेर के नगरीय ढांचागत विकास हेतु वर्ष 1999-2000 में एशियन डवलपमैंट बैंक ने 1055.00 करोड़ रुपये

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

की ऋण राशि स्वीकृत की है। परियोजना की कुल लागत 1529.00 करोड़ रुपये है।

(2) परियोजना के अन्तर्गत अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं अतः अभी तक ऋण राशि प्राप्त नहीं की गयी है। विभिन्न शहरों में सम्पादित होने वाले कार्यों की विस्तृत कार्य रूपरेखा एवं कार्य क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित करने की कार्य योजना तैयार की जा रही हैं। स्वीकृत कार्यों का भौतिक क्रियान्वयन वर्ष 2001-2002 के प्रारम्भ में चालू किया जाना संभावित है।

(3) इस परियोजना के अन्तर्गत निम्न कार्य करवाए जाएंगे :—

1. जलप्रदाय योजनाओं का पुनर्वासन एवं क्षमताओं में अभिवृद्धि,

2. शहरी परिवहन एवं यातायात व्यवस्था में सुधार जिसमें सड़कों में सुधार करना, नये पुल बनाना, पार्किंग स्थल का निर्माण कराना आदि शामिल है।

3. शहर की पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार हेतु निस्तारित जल का प्रबन्धन, ड्रेनेज एवं कचरा प्रबन्धन,

4. अग्निशमन सेवाएं,

5. ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण एवं,

6. कच्ची बस्ती विकास।

प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न शहरों में निम्नानुसार व्यय किया जाएगा :—

शहर	राशि (करोड़ रुपये में)
जयपुर	546.9
जोधपुर	249.25
कोटा	231.86
उदयपुर	160.47
अजमेर	164.95
बीकानेर	175.20

श्रीमती यासमीन अबरार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि मूल प्रश्न में पूछे गये ऋणों को देने के लिए इन बैंकों ने क्या शर्तें लगायी हैं? उन शर्तों में से हमने कौन-कौनसी शर्तें पूरी की हैं? यदि कोई शर्त पूरी नहीं हुई तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इन ऋणों पर हमें कितने प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ेगा? कितना भार प्रति वर्ष हमारे प्रदेश पर पड़ेगा? क्या पूर्व में भी इस प्रकार के ऋण प्रदेश ने लिए हैं? यदि हां, तो कितनी राशि, किस-किस बैंक से तथा उस पर हमें कितना ब्याज देना पड़ रहा है तथा क्या इन ऋणों का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है? यह आप बताएं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने पूछा है, निश्चित रूप से कोई भी एजेंसी जब हमको ऋण देती है उसकी शर्तें लगाती है और उन शर्तों के आधार पर अनुबन्ध होता है। इसमें भी निश्चित रूप से शर्तें हैं। अगर आप फरमाएं तो मैं पूरी शर्तें पढ़ दूं, 20 के करीब शर्तें हैं, थोड़ा समय लगेगा। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं माननीय सदस्या को लिखित में भिजवा दूंगा। जैसा आपका आदेश हो।

श्री अध्यक्ष : हां, आप इनको भिजवा दीजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह : दूसरा निवेदन यह करूंगा कि माननीय सदस्या ने ब्याज के बारे में पूछा है। अध्यक्ष महोदय, जो ब्याज है उसमें गवर्नमैंट आफ इण्डिया से हमको यह पैसा मिलता है। गवर्नमैंट आफ इण्डिया के माध्यम से जो पैसा मिलता है, बाहर के जो बैंक हैं उनसे पैसा गवर्नमैंट आफ इण्डिया लेती है वह सात प्रतिशत ब्याज पर लेती है किन्तु हमको यह पैसा 12.5 प्रतिशत पर मिलता है। इसका कारण यह है कि गवर्नमैंट आफ इण्डिया फोरेन करैंसी में लेती है, डालर में लेती है और डालर का फल्कचुएशन होता है। हम उसको रुपये में देते हैं तो यह बीच का जो फर्क है वह इसलिए है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट आफ इण्डिया जो पैसा हमको दे रही है उसमें सत्तर प्रतिशत लोन है, तीस प्रतिशत ग्रांट है, अनुदान है। इस प्रकार से राशि हमको मिली है। अध्यक्ष महोदय, यह जो राशि है यह बीस वर्षों में हमको चुकानी पड़ेगी।

जहां तक राजस्थान सरकार या राजस्थान की जनता पर भार का प्रश्न है, पांच वर्षों बाद राज्य पर कुल भार क्योंकि यह पांच वर्ष बाद शुरू होगी, पांच वर्ष बाद जो राज्य पर भार पड़ेगा, अनुमान उसका यह है कि 25 से 30 करोड़ रुपया प्रति वर्ष पड़ने वाला है। इस भार में भी मैं आपसे जो हिस्सा अलग से दिया है उसको स्पष्ट करना चाहूंगा। परियोजना की कुल लागत 1529 करोड़ रुपये है जिसमें एडीपी. से प्राप्त होने वाला ऋण 1055 करोड़ रुपये है और हमारी जो भागीदारी है वह 474 करोड़ रुपये है। 474 करोड़ में से भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 380 करोड़ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है और शहरी स्थानीय निकाय का हिस्सा इसमें 94 करोड़ रुपये है तो यह 474 करोड़ रुपया, पांच वर्षों में खर्च होगा। उसको निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उसका हमको भार इतना पड़ता है। यह सारी स्थिति है।

श्रीमती यासमीन अबरार : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी कि यह जो ऋणों से राशि प्राप्त होगी या जो हो रही है इसको विभिन्न जिलों में वितरित करने का आपका क्या आधार है? इनके वितरण के लिए पिछड़े, उपेक्षित क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता का सरकार का कोई मापदण्ड है, सोच है? शहर में तो आपने बता दिये लेकिन इसमें आपने कोई मापदण्ड रखे हैं क्या?

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न में स्पष्ट है, हमने केवल स्पेसिफिक छह शहरों के लिए इसको लिया है और वे भी राजस्थान के बहुत बड़े शहर जो डिवीजन हैडक्वार्टर्स हैं उनको लिया है। इसमें विकास के लिए जो आधार हमने तय किये थे, तीन चार वर्ष पूर्व एक स्टडी हुई थी, उसमें जनसंख्या को भी आधार माना है, वर्तमान विकास के ढांचे को भी आधार माना है, भविष्य की आवश्यकताओं को भी आधार माना है और उसकी

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

समस्याओं को भी आधार माना है। तीन-चार वर्ष की स्टडी के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं और उसके बाद यह सारी परियोजना स्वीकृत करवाई गई है।

श्रीमती यासमीन अबरार : पिछड़ों के लिए और उपेक्षित क्षेत्रों के लिए आप बताएं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : जहां तक पिछड़े, उपेक्षित क्षेत्रों के विकास का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी आपके माध्यम से निवेदन किया, कच्ची बस्तियों के अन्दर विकास की बात हमने खास तौर से कही है। जहां कच्ची बस्तियों के विकास की बात है, ड्रेनेज की, पीने के पानी की बात है, सफाई की बात है, पर्यावरण की बात है यह सारे पिछड़े हुए इलाकों को ध्यान में रखते हुए ही ली गयी है। पॉश कालोनीज में तो इसकी ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इसलिए निश्चित रूप से राज्य सरकार ने पिछड़े हुओं को लाभ देने के उद्देश्य से यह सारी योजना बनायी है, हाथ में ली है। यह जल्दी ही 2001 से 2002 के बीच में शुरू होने वाली है। मैं माननीय सदस्या से निवेदन करना चाहूंगा, इस योजना के विषय में अगर आपको डिटेल स्टडी चाहिए तो वह भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने यह जो काउंटर गारंटी दे रखी है उसके.....

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक-एक पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, एक साथ तो नहीं दे पाऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो ऋण आप ले रहे हैं इस ऋण की अदायगी के लिए आप कौन-कौन से टैक्स जहां जिन नगरों में पैसा खर्च होगा, उनकी जनता पर लादेंगे ?

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा सवाल है कि क्या भारत सरकार ने जो काउंटर गारंटी दी है उसके बदले में यह राजस्थान सरकार से चार्जेज करेगी या नहीं? और करेगी तो क्या करेगी ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया, भारत सरकार जो ऋण हमको देती है वह 12.5 प्रतिशत से देती है और लेती है दूसरी संस्थाओं से सात प्रतिशत पर जो गैप है, वह ऋण लेने पर हमको गैप ज्यादा देना पड़ेगा सीधा लेने के बजाय। वह एक तो फोरेन करैंसी को रीपेमेंट रुपये में करने के लिए जो फर्क पड़ता है उसका है, दूसरा जो भारत सरकार ने अपना खर्चा जोड़ा होगा वह भी इसी में सम्मिलित है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं देना पड़ता।

जहां तक अदायगी के लिए चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि करीब 94 करोड़ रुपया तो शहरी स्थानीय निकायों से अदा किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टैक्स कितना लगा रहे हैं ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : वही आपसे अर्ज कर रहा हूं। मेरा सम्बन्ध या राजस्थान के योजना मंत्रालय का सम्बन्ध केवल इस बात से ही है कि जो पैसा ऋण के रूप में मिला है वह उस विभाग तक पहुंचकर उसका उपयोग जनता के बीच हो। टैक्स लगाने का काम मेरा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टैक्स लगा रहे हैं या.....

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि टैक्स लगाने का काम मेरा नहीं है। वापस चुकाने का, अदायगी का जो पैसा है वह वित्त मंत्रालय के जिम्मे है कि वित्त मंत्रालय कहां से साधन उपलब्ध कराएगा, किस प्रकार से अदायगी होगी। उसमें तो समय भी लगेगा। यह बीस वर्षों में चुकाना है, एक दिन में नहीं चुकाना है इसलिए कोई बहुत बड़ा भार एक दिन में राजस्थान की सरकार पर आने वाला हो, ऐसा नहीं है। इसमें समय लगेगा और राजस्थान अपने आर्थिक संसाधनों के आधार पर इस ऋण को चुकाने की व्यवस्था करेगा।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाह रही हूं कि करौली और सवाईमाधोपुर के लिए भी मंत्री महोदय कुछ इसमें दे पाएंगे या नहीं?

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पेसिफिक छह शहरों के लिए था, उन्हीं के लिए ऋण मंजूर हुआ है, उन्हीं के लिए योजना मंजूर की है और उन्हीं में यह काम होने वाला है। इन छह शहरों के अलावा इस योजना के माध्यम से तो कोई काम होने की संभावना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस योजना के लिए जो एग्रीमैंट हुआ है उस एग्रीमैंट में कंसलटैंट अपाइंट करने की व्यवस्था है? क्या कंसलटैंट अपाइंट हो गये? और यह सारी कंसल्टेंसी पर कितना खर्चा होगा, यह बता दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : डिपार्टमैंट मेरा है, मुझे जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह के कंसल्टैंट अपाइंट होंगे। एक तो होगा प्रोजैक्ट मैनेजमैंट कंसल्टैंट, वह तो होगा कुल-मिलाकर इन छहों सिटीज का एक। तीन ब्लाक बनाये गये हैं एक जयपुर का अलग ब्लाक बनाया है, जोधपुर, बीकानेर का अलग बना है और उदयपुर कोटा और अजमेर का अलग बना है। तीन के लिए डिजाइन, सुपरविजन, कंसल्टैंट अलग नियुक्त होंगे। अभी जो प्रोसेस चल रहा है वह पी.एम.सी. के इवेल्युएशन का चल रहा है। वह इवेल्युएशन खतम होगा जब इसके टैक्निकल बिड्स आ चुके हैं, उसके फाइनेंशल बिड्स आ चुके हैं, उन पर एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। वह इवेल्युएशन खतम होने के बाद फिर तीनों ब्लाक्स के लिए अलग-अलग बी.एस.सी. के अपाइंटमैंट का वह चलेगा। उसको वह एप्रूवल करेगी ए.डी.बी., हम यहां से अपनी रिपोर्ट भेजेंगे।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अब दूसरा सवाल आपने पूछा कि इस पर कुल कितना खर्चा होगा। इस पर कुल मिलाकर साढ़े नौ प्रतिशत खर्च होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मैं मंशा समझ गया आपकी कि आप किस मंशा से पूछ रहे हैं। आज अगर हाउसिंग बोर्ड से या आर.बी.सी.सी. से या किसी भी कंस्ट्रक्शन एजेन्सी से आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो वह अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज दस या ग्यारह प्रतिशत लेगी जबकि यहां पर कुल-मिलाकर खर्चा हम कंसल्टेंट पर कर रहे हैं सिर्फ साढ़े नौ प्रतिशत। यह साढ़े नो प्रतिशत में ये कंसल्टेंट सारा काम करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, उसका सुपरविजन करेंगे, एक-एक चीज को देखेंगे, मतलब पूरा ए से लेकर जैड तक का सारा काम करेंगे सिर्फ साढ़े नौ प्रतिशत में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साढ़े नौ प्रतिशत हो गया। यह प्रोजैक्ट मैनेजमेंट की आप जो व्यवस्था कर रहे हैं उस पर कितना खर्च होगा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कुल मिलाकर 144 करोड़ रुपया खर्च होगा। वह 144 करोड़ में कंसल्टेंट की फीस भी आ गयी, डी.सी.एस. की फीस भी आ गयी। जो हम सैटअप जमा रहे हैं तीनों ब्लाक्स में, उसमें एक एडिशनल चीफ इंजीनियर के लेवल का या तो डिपार्टमैंट से लेंगे या किसी को कांट्रेक्ट पर रखेंगे।

एक मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि हम इसमें एक भी नई भर्ती नहीं करेंगे। हम जो कुछ भी लेंगे या तो कांट्रेक्ट पर लेंगे या किसी डिपार्टमैंट से डैपुटेशन पर लेंगे। तो उनकी तनख्वाहों का जो खर्च है वह 144 करोड़ से नीचे नहीं जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह हुआ कि 144 करोड़ रुपया लगेगा। आपने बताया साढ़े नौ प्रतिशत, तो जितना आप लोन ले रहे हो उस पर यदि 144 करोड़ रुपया खर्च होगा तो साढ़े नौ प्रतिशत से ज्यादा खर्च होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साढ़े नौ प्रतिशत तो मैंने सिर्फ कंसल्टेंट का बताया है, बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, इसीलिए तो मैंने पूछा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह जो हमारे अफसर काम करेंगे, हमारे इंजीनियर काम करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो प्रोजैक्ट मैनेजमैंट आपकी इंस्टीट्यूट खड़ी होगी, एजेन्सी खड़ी होगी, तीनों ब्लाक्स में अलग-अलग है। यहां पर प्रोजैक्ट मैनेजमैंट का दफ्तर खुलेगा उसका खर्चा बता रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे प्रोजैक्ट मैनेजमैंट के कंसल्टेंट हों, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज हों, कुल-मिलाकर 22 परसेंट का खर्चा हुआ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो कितने का होगा?

(श्री छोगाराम बाकोलिया)
रिपोर्ट दी, उनके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप यह बता दो कि मार्च में कौन-कौनसी बस सालपुरा से चली और छीपाबड़ौद तक गई है? आप बताइये ट्रेन रूट क्या है? ट्रेन रूट पर कोई बस चलती नहीं है। आप जवाब दे रहे हो अधिकारियों के कहने से।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य को यही पता नहीं है कि 00.45 किस समय होता है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सत्य जवाब है, सत्य जवाब क्या होता है। रात-दिन तो हमको सफर करना होता है, मंत्रीजी, आपको तो पता ही नहीं है कि वह इलाका राजस्थान में भी है कि नहीं है। कभी देखा है उस इलाके को जाकर जो आप कह रहे हो सत्य जवाब है? यह बिलकुल + + + जवाब है, ट्रेन के टाइम पर वहां कभी भी बस उपलब्ध नहीं रहती है। आप तो यह बताइये कि शटल बस पिछले चार साल से चल रही थी उसको बंद करने के क्या कारण हैं? सालपुरा और छीपाबड़ौद के बीच में?

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप तो अपने मंत्रीजी से स्वयं पूछ लें कि पिछले चार सालों में बंद क्यों रही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समय में......

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मंत्रीजी का और हमारा इलाका एक है। आपने शटल बस बंद क्यों की, इसका बता दीजिए। जो छीपाबड़ौद और सालपुरा के बीच में शटल बस चलती थी उसको बंद क्यों किया, क्या कारण है? शटल बस चलती थी वह ट्रेन से सैट थी, वह चालू करवा दीजिए। इसलिए मैंने सवाल पूछा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये उनके उत्तराधिकारी से पूछ रहे हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य ने अपनी व्यथा केवल मात्र बताई कि ढाई बजे चलती है ट्रेन, उसके लिए बस अवेलेबल नहीं है। मैं उस बस के लिए अवेलेबिलिटी करवा दूंगा लेकिन आप सुनिश्चित करें कि वहां पर यात्री भार पूरा रहे। वे कहीं दूसरी बसों के अन्दर ट्रैवल करें, यह माननीय सदस्य सुनिश्चित करें। बाकी आपको बस मिल जायेगी बस की वायेबिलिटी पूरी रहनी चाहिए। अगर वायेबिलिटी नहीं है, पर किलोमीटर 9 रुपये का नुकसान होता है उसको सहन करना अभी निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण से सही महसूस नहीं करेंगे। इसलिए, माननीय सदस्य, आपसे निवेदन करूंगा कि यात्रीभार पूरा उपलब्ध करवाएं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वश्चन। श्री हरजीराम बुरड़क।

उपभोक्ता अदालतों में विचाराधीन प्रकरण

504. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) राज्य में उपभोक्ता अदालतें कहां-कहां पर कार्यरत हैं तथा उनमें कौन-कौन अध्यक्ष / सदस्य कब-कब से कार्यरत हैं? अदालतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ अदालतों में सदस्यों/अध्यक्षों के स्थान रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितने-कितने कब-कब से और उनको कब तक भर दिया जाएगा?

(3) किस-किस अदालत में कितने-कितने मामले अभी विचाराधीन हैं? विचाराधीन मामलों का संख्या विवरण अदालतवार व वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार महसूस कर रही है कि कार्य-भार को देखते हुए और व्यक्तियों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाएं? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कितने न्यायालय खोले जाएंगे?

(5) न्यायालयों में सदस्यों/अध्यक्षों की नियुक्ति में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा इनकी योग्यताएं क्या-क्या हैं और क्या इस संबंध में सरकार ने कोई आदेश जारी कर रखे हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? उक्त आदेशों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) राज्य में स्थित उपभोक्ता अदालतों का विवरण उनके अध्यक्ष/सदस्यों के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। जिन अदालतों में जिस-जिस सदस्य/अध्यक्ष के पद जब-जब से रिक्त हैं, का विवरण संलग्न है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) वर्तमान कार्यभार को देखते हुए उपभोक्ता न्यायालयों की संख्या बढ़ाये जाने का कोई विचार नहीं है।

(5) न्यायालयों में सदस्यों/अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया व योग्यता सम्बन्धित प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 10 एवं 16 व उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के नियम 3 एवं 6 के अनुसार हैं। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अलग से कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर के साथ में सूचना प्रेषित की है उसके हिसाब से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ता अदालतों का गठन किया गया था वह पूरा नहीं हो रहा है। कहा यह गया था कि न्यायालयों में लम्बा समय लगता है और उपभोक्ता अदालतों में जल्दी फैसला होगा। लेकिन जो सूचना मेरे को उपलब्ध करवाई गयी है उसमें 1991 के मामले भी पेंडिंग हैं। अब 10 साल तक अगर उपभोक्ता

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अदालत में किसी मामले का फैसला नहीं हो तो फिर उस अधिनियम के उद्देश्यों की कहां पूर्ति हो रही है? मंत्री महोदय एक तो इसके बारे में बता दें।

दूसरा इसमें जो अध्यक्ष और सदस्यों के खाली स्थानों का विवरण दिया है, उसमें बहुत से स्थान खाली हैं और आपने कहा है कि अलग से और न्यायालय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय, जयपुर में दो उपभोक्ता अदालतें हैं, एक में 3500 मामले पेंडिंग हैं, और दूसरी में 1600 हैं। आप यह बताएं कि कितने मामले होने पर आप अलग से अदालत खोलेंगे? कितने समय में मामलों का फैसला हो जाना चाहिए और कितने समय में रिक्त स्थान है वह आप भर देंगे।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों में विभिन्न वर्षों में जो प्रकरण विचाराधीन बताये गये हैं उनके लम्बित रहने का प्रश्न न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित है, जिन पर टिप्पणी की जाना अपेक्षित नहीं है। फिर भी राज्य सरकार का यही प्रयास है कि उपभोक्ता न्यायालयों में प्रकरण का निस्तारण शीघ्र हो।

श्री हरजीराम बुरड़क : न्यायालय के स्थान कब तक भर देंगे? एक न्यायालय में, जैसे मान लो जयपुर प्रथम में आपके साढ़े तीन हजार मामले पेंडिंग हैं और कई न्यायालय ऐसे हैं जिनमें 100 मुकदमे भी नहीं है। तो कितने मुकदमे एक न्यायालय में होने चाहिए और इससे ज्यादा हों तो आप दूसरा न्यायालय खोलेंगे?

(12.00 बजे)

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 से 50 प्रकरण जिस न्यायालय में हैं वहां पर हमने अलग से न्यायालय नहीं खोले हैं क्योंकि वहां पर डी.जी. साहब को, सैशन जज साहब को इस कार्य के लिए यह अधिकार दिया हुआ है जो प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर इन प्रकरणों का निर्णय करते हैं। जहां तक सवाल यह है कि जयपुर सैकण्ड के अन्दर प्रकरण अधिक हैं तो मैं माननीय न्यायमूर्ति राज. आयोग से निवेदन करूंगा कि इन प्रकरणों को प्रथम न्यायालय के अन्दर बांटने की कोशिश करें ताकि जल्दी से जल्दी इनका निर्णय हो सके।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि उपभोक्ता अदालतों में जो रिक्त अध्यक्ष के और सदस्यों के पद हैं, क्या आप इनमें सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को मनोनीत करने का मन रखते हैं जिससे राज्य पर आर्थिक भार भी ज्यादा पड़ता है या जो सेवाकालीन अधिकारी हैं उनको मनोनीत करने की मंशा रखते हैं? कृपया बताएं।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय उच्च न्यायालय से जो हमें आदेश प्राप्त होते हैं उनके अनुसार जो रैगुलर न्यायाधीश हैं उनको भी और जो

(श्री रामकिशन वर्मा)

सेवानिवृत्त हैं उनको भी हम अपने न्यायालयों में लेते हैं।

श्री बाबूलाल नागर : क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने पर राज्य पर आर्थिक भार ज्यादा पड़ता है, कृपया मंत्री महोदय बताएं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : ...(व्यवधान) डेली सैकड़ों पशु मर रहे हैं। मैं खुद वहां होकर आया हूं। कोई पानी की, कोई चारे की व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : आ जाएगी ... (व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे रहा हूं। आप बैठिये, यह अलग दो विषय हैं। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : मैं बाड़ी की कह रहा हूं, बड़ी भारी समस्या है। कोई डिपो नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं खुद होकर आया हूं...(व्यवधान) राजगढ़ के अन्दर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। आप यूं ही कैसे खड़े हो गये ? ...(व्यवधान) बैठिये...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मुख्य मंत्रीजी, सभी मंत्री...(व्यवधान) दौरा करके आये हैं। क्या व्यवस्था करके आये हैं? (व्यवधान) राजस्थान के अंदर पशु मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, पशु धन ही एक मात्र....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रात-दिन एक कर रखा है इसके लिये और अब भी वे दौरे पर ही पधारे हैं, मंत्रिमंडल के सारे माननीय सदस्य भी उस काम में लगे हुए हैं। (व्यवधान) कहां पर कुछ नहीं हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है? सरकार हमारी रात-दिन एक कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री जुटे हुए हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कोई व्यवस्था नहीं है...(व्यवधान) वहां बड़ी गंभीर हालत है। राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी खुद दौरे पर आये थे। राजस्थान के हालात पर बताया जाए, क्या व्यवस्था कर रहे हैं....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अकाल का कायदा है मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये। अकाल के ऊपर बहस होगी उस वक्त आप पूछ लेना। अकाल और कई चीजों पर बहस होगी....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आसन व्यवस्था दे उस समय यह मामला नहीं उठाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा चिन्ता की क्या बात हो सकती है..(व्यवधान) काफी गंभीर मामला है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर मिलेगा...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य मंत्री, मंत्री, सारे दौरा करके आये हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दौरा ही नहीं किया, कार्यवाही कर रहे हैं और करके आये हैं। कामों को तेजी से चलवा रहे हैं...(व्यवधान) अखबार में रोजाना रिपोर्ट आ रही हैं कि अकाल के बारे में सरकार विशेष चिंतित है, सरकार ने अपनी जान लगा रखी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अकाल के लिए कितना समय दिया है, आज तक किसी भी मंत्री ने नहीं दिया। आपके मंत्री तो कभी उन क्षेत्रों में जाते नहीं थे...(व्यवधान) आज माननीय मुख्य मंत्रीजी गांव-गांव में गये हैं, खेतों पर गये हैं। पूरी निगरानी की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सबने...(व्यवधान) और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चूरू जिले में भी...(व्यवधान) आप बैठिये। आप बैठिये...(व्यवधान) बैठिये-बैठिये आप। चौहान साहब, बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल से निपटने के लिए हमारी सरकार ने पूरे प्रबन्ध कर लिये हैं। पानी की व्यवस्था की जा रही है, चारे के डिपो खोल दिये गये हैं, चारे की व्यवस्था कर दी गयी है और हर गांव में हमारे मंत्रीजी चक्कर लगा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी इसके लिये बहुत चिंतित हैं। इनकी केन्द्रीय सरकार पैसा नहीं दे रही है। इनकी + + + सरकार जो...(व्यवधान) केन्द्र में बैठी हुई है पैसा नाम मात्र...(व्यवधान) इन्होंने पैसा भी नहीं दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर, बैठिये। (व्यवधान) चौहान साहब, आप बैठिये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : अभी मंत्री महोदय...(व्यवधान) क्षेत्र में होकर आये हैं...(व्यवधान) किस साइड में है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। जसवंत सिंहजी, बैठिये। (व्यवधान) जसवंत सिंहजी, बैठिये। आप बैठिये...(व्यवधान) आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : कहां है? और मेरे को साथ नहीं लिया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। बैठिये... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारी संवेदनशील सरकार इसके लिए बहुत चिंतित है, रात-दिन मेहनत कर रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इसके लिये अपनी जान लगा रहे हैं। खुद क्षेत्र के दौरे में गये हुए हैं। गांव-गांव में गये हैं, ढाणी-ढाणी में गये हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी। आप लोगों ने क्या किया, आपके टाइम में भी अकाल पड़े थे? आप खाली बवंडर मचाना चाहते हो...(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : मैं एक-एक ग्राम का, एक-एक ढाणी का नाम बता सकता हूं...(व्यवधान) लगातार तीन दिन से मर रही है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जसवन्त सिंहजी, बैठिये। बैठिये...(व्यवधान) बैठिये...(व्यवधान)।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक प्रार्थना यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, सभी मंत्री दौरा करके आये हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं और जो कुछ भी अखबारों के माध्यम से आ रहा है, राजस्थान की बड़ी भयावह स्थिति है। वे बताएं तो सही वास्तव में है क्या, आखिर दौरा करके आये है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 26 तारीख को अकाल और पेयजल पर चर्चा होगी उसी दौरान आपको...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, वह तो 26 तारीख को होगी। एक-एक दिन निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिस प्रकार से यह पशुधन मर रहा है बेरहमी से। मतलब आपसे देखा नहीं जा सकता है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : स्वयं मुख्य मंत्री दौरा करके आये हैं, कुछ बताएं तो सही कि आखिर आपने क्या व्यवस्था कर ली है और क्या उसमें से निकला है... (व्यवधान) जो भी आप देखकर आये हैं या व्यवस्था के लिये...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपका भी तो उत्तरदायित्व बनता है वहां जाने का आपके नेता गये क्या? (व्यवधान) एक भी नेता नहीं गये आपके। आपके नेता की रेसपांसिबिलिटी नहीं है क्या? आपने अकाल के क्षेत्रों को जाकर देखा नहीं। आप साथ ही थे, क्या कर रहे थे वहां पर, हमारे मुख्य मंत्री जब वहां घूम रहे थे? मुख्य मंत्रीजी एक-एक गांव में गये हैं, एक-एक ढाणी में गये हैं...(व्यवधान) पूरी जानकारी ली है उसकी और आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। आपका वहां कोई भी विधायक मौजूद नहीं था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जसवंत सिंहजी, आप बैठिये। श्री दिलावर...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब ये + + + स्वयं बहा रहे हैं...(व्यवधान)।

श्री संयम लोढ़ा : + + + बहाने के अलावा कोई काम नहीं है। सदन का समय जाया करते हैं ये लोग...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी गये हैं...(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा सिंहजी, बैठिये। बैठिये।

श्री रामस्वरूप : जी जान लगा रखी है। रात-दिन, वहां लोगों से मिल कर घूम करके आये हैं। एससी., एसटी. के लोग....(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी दौरे पर गये हैं....(व्यवधान) यहां आज तक....(व्यवधान) इनका कोई आदमी नहीं गया, न कोई विधायक गया है वहां और मुख्य मंत्रीजी पधारे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर, आप बैठिये। (व्यवधान) जसवंत सिंहजी, आप बैठिये। मुझे माननीय सदस्यों को.... (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : और इसके लिए केन्द्र सरकार से मांग कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कांग्रेस के सरपंचों ने....(व्यवधान) यह हालत है राजस्थान के अन्दर....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान सरकार के सभी मंत्री कल ही अकालग्रस्त क्षेत्रों में गये हैं, उन्होंने जानकारी ली है और प्रभावी कदम उठाये हैं....(व्यवधान) इससे ज्यादा और इफैक्टिव मानिटरिंग क्या होगी कि राजस्थान सरकार के मंत्री कल गये, उन्होंने सबकी कार्यवाही की है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आरोप लगाता हूं....(व्यवधान) अकाल राहत खुले नहीं, अकाल राहत कार्य खोलने में बिलकुल पक्षपात किया जा रहा है। (व्यवधान) बिलकुल पक्षपात किया जा रहा है। (व्यवधान) बिलकुल पक्षपात किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, आप बैठिये। आप बैठिये, श्री दिलावर। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप अकाल पर आज निश्चय ही रोटी सेंकना चाहते हैं....(व्यवधान) आपके यहां अकाल की चिन्ता नहीं है, आपके यहां पोलिटिकल.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, कृपया बैठिये। श्री मीणा साहब, बैठिये। (व्यवधान) बैठिये, चौहान साहब। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह बात बनाते हैं। दुकानों पर बैठे रहते हैं और किसानों की बात करते हैं। इनको कहिये कि देश के प्रधान मंत्रीजी को बुलाकर राजस्थान की हालत दिखाएं अगर इन्हें....(व्यवधान) उसकी चिन्ता है। राजीव गंधी ने चप्पे-चप्पे का दौरा किया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप बुलाइये अटल बिहारी वाजपेयीजी को....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी इतनी चिंतित हैं कि राजस्थान के प्रत्येक गांव में चंदा कर अकाल का सोल्यूशन करेंगी जबकि केन्द्र में आपकी सरकार है। वह कोई संवेदनशील नहीं है, ना ही कोई भी प्रभावी कदम उठे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे राजस्थान की सरकार और हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी बहुत चिंतित हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दिलावरजी, बैठिये। आप बैठिये। वह सदन की सदस्या नहीं है...(व्यवधान) नहीं-नहीं, आप बैठिये। मुझे माननीय सदस्यों को...

श्री रामस्वरूप : गांवों के अन्दर वे भी पधारेंगी। गांव में हमारे मुख्य मंत्रीजी दौरा करके आये हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। श्री रामस्वरूप मीणा, बैठिये। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न व उनका उत्तर

नगर परिषद् अजमेर के पंजीकृत ठेकेदार

498. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) अजमेर नगर परिषद् में कुल कितने ठेकेदारों ने अपना पंजीकरण करवा रखा है? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर परिषद् अजमेर में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों/निर्वाचित पार्षदों/भूतपूर्व पार्षदों के सगे सम्बन्धी/ रिश्तेदार ठेकादारों की कितनी संख्या है? नामजद सूचीमय रिश्ते के सदन की मेज पर रखें।

(3) पंजीकृत/अपंजीकृत ठेकेदारों को कितनी राशि के ठेके/वर्क ऑर्डर, वर्तमान में दिए हुए हैं? विवरण मयसूची के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपरिषद्, अजमेर में कुल 44 ठेकेदारों ने अपना पंजीकरण करवा रखा है, जिनकी नामजद सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगर परिषद्, अजमेर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों/निर्वाचित पार्षदों के सगे सम्बन्धी/रिश्तेदार ठेकेदारों की वर्तमान में कुल संख्या-8 है, जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है जिसमें नाम, पद, मय रिश्ते का विवरण भी अंकित है। भूतपूर्व पार्षदों एवं अधिकारियों का कोई रिश्तेदार ठेकेदारी के लिए नगरपरिषद् में पंजीकृत नहीं है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) I. नगर परिषद्, अजमेर में वर्तमान में पंजीकृत ठेकेदारों को कुल 237 वर्ग आर्डर राशि रु. 2,05,24,978 के दिये हुए हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

II. अपंजीकृत ठेकेदारों को कुल 19 वर्क आर्डर राशि 91,19,710 रुपये के दिये हुए हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

खनिज अभियन्ता जयपुर द्वारा रायल्टी निर्धारण में अनियमितताएं

500. श्री निर्भय लाल (रूपवास) एवं **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या खनिज अभियन्ता, जयपुर के अधीन मार्बल की खानें हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? वर्ष 1990 से मार्च, 2000 तक की स्थिति क्या है? वन क्षेत्र के अधीन कितनी खानें कब से बन्द हुई और कितने खनन पट्टों में न्यायालय में केस चल रहे हैं? उक्त प्रकरणों की वजह से कितनी राशि रुकी हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रायल्टी का निर्धारण हर वर्ष होता है? यदि हां, तो अब तक कितनी रायल्टी निर्धारण होना शेष है? क्या बकाया पट्टों का निस्तारण करने में कोई व्यवधान या परेशानी आ रही है? यदि हां, तो कब और क्यों?

(3) उक्त कार्यालय में वर्ष 1990 से मार्च, 2000 तक निर्धारण लिपिक कौन रहा है? क्या इस लिपिक द्वारा निर्धारण करने हेतु 15 एवं 45 दिवस के नोटिस दिये गये हैं? उक्त में 45 दिन के नोटिस कितने पट्टेधारियों को कब दिये गये? क्या बन्द हुई खानों के निर्धारण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो उक्त लिपिक द्वारा उक्त पत्रावलियों में क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि इस लिपिक के पास हमेशा दो-दो सीटों का चार्ज रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि बन्द खानों से पूर्व ही निर्धारण की कार्यवाही की जाती है व वसूली भी समय पर हो जाती है और चालू खानों के भी समय पर निर्धारण हो जाते तो राज्य सरकार को आय प्राप्त होती?

उत्तर

(1) जी, हां। खनिज अभियन्ता, जयपुर के क्षेत्राधिकार में मार्बल के खनन पट्टे हैं, उनका विवरण एवं वर्ष 1990 से मार्च, 2000 तक संलग्न एनेक्सचर-1 में अंकित है। खनिज मार्बल की वन क्षेत्र के अधीन 30 खाने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 12.12.96 से बन्द हुई, जिनका विवरण एनेक्सचर-2 पर अंकित

(राज्य मंत्री, खनिज)

है। खनिज मार्बल के 21 खनन पट्टों के न्यायालय में केस चल रहे हैं, इन प्रकरणों की वजह से रुपये 87,85,910.00 की राशि रुकी हुई है। जिसका विवरण एनेक्सचर–3 में अंकित है।

(2) जी, हां। खनन पट्टों के पंजीयन तिथि से हर एक वर्ष बाद रायल्टी निर्धारण देय होता है। वर्तमान में खनिज मार्बल के 93 खनन पट्टों में 334 अधिशुल्क निर्धारण के मामले बकाया है.। बकाया अधिशुल्क निर्धारण पट्टेधारियों द्वारा वांछित रेकार्ड प्रस्तुत न करने एवं न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारणों से लम्बित हैं, जिसका खनन पट्टेवार विवरण एनेक्सचर–4 में अंकित है। वर्ष 1990 से मार्च, 2000 तक निर्धारण लिपिकों का विवरण संलग्न एनेक्सचर–5 में अंकित है। खनिज अभियन्ता, जयपुर द्वारा निर्धारण हेतु 15 दिवसीय पत्र व 45 दिवसीय नोटिस पट्टेधारियों को दिये गये हैं। 45 दिन के नोटिस 16 पट्टेधारियों को दिये गये हैं। नोटिस देने की तारीख एनेक्सचर–4 में अंकित है। बन्द हुई जिन खानों के मामलों में अधिशुल्क निर्धारण नहीं हुए हैं।

(3) उनका विवरण एनेक्सचर–2 में अंकित है। वर्ष 1995 के बाद मार्बल अधिशुल्क निर्धारण लिपिक के पास दिनांक 12.5.98 से 24.10.98 तक ई.आर.सी.सी. / आर.सी.सी. ठेकों का कार्य एवं दिनांक 12.5.99 से लगातार प्रधान खनन पट्टों के रियायत शाखा का कार्य है।

(4) खनन पट्टों के अधिशुल्क निर्धारण वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद किया जाता है, बन्द हुई खानों का खनन पट्टा खण्डित होकर कब्जा लेने के बाद निर्धारण किया जाता है। चालू खानों में एडवांस रायल्टी जमा कर रवन्ना जारी किये जाते हैं। रवन्ना में अंकित वजन से अधिक वजन पर अन्तर रायल्टी वसूली हेतु तुलायंत्र स्थापित है। शेष राशि की वसूली अधिशुल्क निर्धारण करने के पश्चात् की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 मार्च, 2000)

पुलिस थाना मथानिया में दर्ज प्रकरण संख्या-163/98

36. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत श्री सलमान खान व अन्य के विरुद्ध दर्ज प्रकरण 93/26 का दर्ज किया गया था? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्री सलमान खान के सहायक दिनेश गावरे के माध्यम से अपने हथियार बम्बई भेजना बताया था? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई है?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

माना है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त निर्णय की पालना करने का आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों व अब कब तक जारी कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) नगर निगम/परिषद/पालिका द्वारा गृहकर निर्धारण किया जाकर डिमाण्ड निर्धारित की जाती है तथा बिल भिजवाने के पश्चात् गृहकर दाता द्वारा राशि जमा नहीं कराये जाने पर बकाया राशि निरन्तर डिमाण्ड रजिस्टर में बढ़ती जाती है एवं बकाया बनी रहती है। तथा तीन वर्ष पश्चात गृहकर का पुनःनिर्धारण करने का नियम है। इसके तहत पुनःनिर्धारण कर नये गृहकर की राशि निर्धारित की जाती है एवं पूर्व बकाया राशि के साथ पुनःनिर्धारित गृहकर राशि जोड़ कर वसूली की जाती है।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) भाग 2 के उत्तर के पश्चात भाग 3 के उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती है।

जयपुर शहर में सुअरों के आतंक से बचाव हेतु किये गये उपाय

636. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के वार्ड संख्या 59 में इन दिनों सुअरों का आतंक मचा हुआ है, जिससे आये दिन लोगों को शारीरिक एवं मानसिक नुकसान पहुंच रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या नगर निगम/सरकार द्वारा सुअरों से मुक्ति दिलाये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या?

(3) जयपुर शहर में कितने ऐसे वार्ड है जहां सुअरों का आतंक है तथा कितने वार्डों में इनके आतंक को समाप्त करने हेतु नगर निगम/सरकार द्वारा कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। बहुत समय से यह समस्या है।

(2) जयपुर नगर निगम द्वारा पूरे शहर में विशेष अभियान चलाकर सुअरों को पकड़कर बाड़े में बन्द करने की एक कार्य योजना बनाकर सुअरों से मुक्ति दिलाने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(3) भाग सं. 2 में इसका उत्तर निहित है।

नगरपालिका बगरू में चुंगी चोरी रोकने के लिए किराये पर लिये गये वाहन

637. **श्री सहदेव शर्मा** (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री सहदेव शर्मा)

(1) क्या नगरपालिका बगरू ने चुंगी चोरी रोकने के लिए मई, 1997 में कोई जीप किराये पर लेने का निर्णय लिया था? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पालिका कार्यालय ने जीप किराये पर लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई तथा निर्णय का आधार क्या था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जो जीप किराये पर ली गई वह टैक्सी थी? यदि प्राइवेट जीप ली गई तो इसका क्या कारण था?

(4) जीप किराये लेने के बाद कुल कितने दिन उसका उपयोग किया गया तथा किस-किस तिथि को कितने-कितने मामले पकड़े गये और प्रत्येक में कितनी-कितनी राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जीप किराये पर लेने के बाद पालिका की मासिक सामान्य चुंगी आय में तुलनात्मक रूप में किस-किस महीने में कितनी-कितनी वृद्धि हुई?

(6) उक्त जीप का चुंगी चोरी रोकने के अलावा अन्य किस-किस कार्य में किस-किस तिथि को, किस-किस के द्वारा कितना-कितना उपयोग किया गया? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त जीप पर पालिका कोष से कितनी राशि व्यय हुई तथा बजट में कितना प्रावधान था?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) पालिका द्वारा विज्ञापन जारी कर न्यूनतम दरदाता की जीप चुंगी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए किराये पर ली गई।

(3) जी, हां।

(4) वाहन किराये पर लेने के बाद कुल 258 दिन उसका उपयोग किया गया। किस-किस तिथि को कितने-कितने मामले पकड़े गये तथा प्रत्येक में कितनी-कितनी राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई, उसका विवरण संलग्न है।

(5) वाहन किराये पर लेने के बाद पालिका की मासिक सामान्य चुंगी आय में तुलनात्मक रूप से किस-किस महीने में कितनी-कितनी वृद्धि हुई, उसका विवरण संलग्न है।

(6) उक्त जीप का चुंगी चोरी रोकने के अलावा अन्य किस-किस कार्य में किस-किस तिथि को किस-किस के द्वारा कितना-कितना उपयोग किया गया, उसका कारण सहित विवरण संलग्न है।

(7) उक्त वाहन पर पालिका कोष से कुल 90,785 रुपये की राशि व्यय हुई है, जिसका बजट में प्रावधान नहीं था। इस मामले में अनियमितता हुई है, जिसकी विस्तृत रूप से जांच शीघ्र करवाई जाएगी।

(प्रति व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

नगरपालिका कुचामन सिटी द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

638. श्री हरीशचन्द्र (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत चार माह में नगरपालिका कुचामन सिटी के किस-किस वार्ड में कितनी-कितनी राशि का क्या-क्या निर्माण कार्य कराया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्माण कार्यों में मरम्मत कार्य, नाली, खुर्रा, सीमेंट सड़क आदि का कहां-कहां कितना कार्य हुआ है ? उक्त निर्माण कार्यों में नया मटीरियल क्या-क्या कितना-कितना खर्च हुआ तथा पुराना मट्टीरियल कितना-कितना प्राप्त हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में डामर सड़क मरम्मत में किस-किस तखमीने में कितनी-कितनी डामर सड़क प्रस्तावित थी तथा वास्तविक रूप में डामर का कितना व्यय हुआ है ?

(4) बाजार में मौजूदा वक्त में सीमेंट का कट्टा किस भाव में उपलब्ध है तथा नगरपालिका को निविदा में किस दर पर सीमेन्ट प्राप्त हो रही है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका क्षेत्र में नई मरकरी लाइटें लगाई गई है ? यदि हां, तो वहां पर पहले से लगे ट्यूब लाइट सैट कितने प्राप्त हुए वे किस-किस वार्ड में कहां-कहां लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) वर्तमान में नगरपालिका के किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि जमा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका कुचामन सिटी में गत चार माह में किस-किस वार्ड में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से नवीन निर्माण कार्य करवाये गये हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) गत चार माह में पालिका द्वारा नाली, खुर्रा, सीमेंट सड़क आदि की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया गया है। इसलिए नये अथवा पुराने मटीरियल का विवरण शून्य है।

(3) उक्त क्षेत्र में डामर सड़क मरम्मत जिस-जिस तखमीने में जितनी-जितनी डामर सड़क प्रस्तावित थी तथा वास्तविक रूप से जितनी डामर व्यय हुई, उसका विवरण संलग्न है।

(4) बाजार में मौजूदा वक्त में सीमेंट रुपये 121/- प्रति थैला के भाव से उपलब्ध है। नगरपालिका को निविदा में रुपये 124/- प्रति थैला सीमेंट सप्लायर द्वारा अपने संसाधनों से निर्माण कार्य स्थल पर उपलब्ध करवाई जा रही है।

(5) जी, हां। वहां पर पहले से लगे 38 ट्यूब लाइट सैट पुराने प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 32 पुराने सैट जिन-जिन वार्डों में जहां-जहां लगवाये गये, उनका विवरण संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(6) वर्तमान में नगरपालिका के जिस-जिस मद में जितनी-जितनी राशि जमा है, उसका विवरण संलग्न है।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सिन्धु नगर जयपुर में रोड लाइट/सड़क/नाली निर्माण

639. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प. 4(क) (67) वि.स./एल.एस.जी./98/590/दिनांक 12.8.1999 के द्वारा सिन्धु नगर, स्कीम नम्बर 16 सीकर रोड, जयपुर में रोड लाईट, सड़क/नाली निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करवाये जाने हेतु लिखा था?

(2) यदि हां, तो सिन्धु नगर स्कीम नम्बर 16 मुरलीपुरा सीकर रोड जयपुर में सिन्धु नगर पब्लिक स्कूल के सामने वाली 40 फीट सड़क व प्लाट नम्बर 221, 222, 179, 139, 155, 223 की 30 फीट सड़क का निर्माण कार्य, रोड लाईट, नाली निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक : प4 (क) 67/विस/एलएसजी/98/5901 दिनांक 12.8.99 के द्वारा स्कीम नं. 16 जयपुर में शीघ्र ही विकास के कार्य करवाये जाने हेतु लिखा गया था।

(2) स्कीम नं. 16 सिन्धु नगर (मुरलीपुरा) सहकारी समिति की योजना है, जिसमें निवासियों द्वारा जमा विकास शुल्क की सीमा तक ही विकास कार्य करवाये जाते हैं। विकास शुल्क के पेटे समुचित राशि जमा होने पर ही विकास के कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

ग्राम माचड़ा (जयपुर) में लोहा मण्डी निर्माण

640. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने तहसील, आमेर के ग्राम, माचड़ा (जयपुर) की कृषि भूमि पर लोहा मण्डी बनाने की योजना को स्वीकृति प्रदान की है? यदि हां, तो उक्त ग्राम की कौन-कौन से खसरा नम्बर की भूमि पर लोहा मण्डी बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है और सीकर रोड से इसे किस स्थान से जोड़ा जावेगा? इस हेतु सड़क किस-किस स्थान से निकाली जावेगी?

(श्री सहदेव शर्मा)

(2) उक्त खसरा नम्बर की समस्त भूमि क्या सरकारी भूमि है अथवा बीहड़ जोहड़ अथवा पड़त भूमि है?

(3) उक्त योजना में किस-किस काश्तकार की कौन-कौन से खसरा नम्बर की भूमि अवाप्त की जावेगी? खसरा नम्बर व काश्तकार के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण करने के लिए गजट नोटीफिकेशन जारी कर दिया है? यदि नहीं, तो कब जारी किया जावेगा?

(5) उक्त लोहा मण्डी की स्वीकृति कब तक जारी कर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जावेगा और मण्डी कितने समय में बनकर तैयार हो जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, तहसील आमेर की ग्राम-माचड़ा की कृषि भूमि पर लोहा मण्डी योजना बनाने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से सहमत है। उक्त योजना ग्राम-माचड़ा की खसरा नं. 2, 3, 4, 92 से 93 की कुल 103 बीघा 7 बिस्वा भूमि से प्रस्तावित है। इस स्थल का पहुंच मार्ग मास्टर विकास योजना 2011 में वर्तमान में स्थित 200 फिट बाईपास से लिंक रोड जाने का प्रस्ताव है। किन्तु योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही तय होगा कि यह पहुंच सड़क किस-किस स्थान से निकलेगी। इस स्थल को सीधे सीकर रोड से जोडा जाना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(2) खसरा नं. 2, 3, 4, 92 से 93 की समस्त भूमि चरागाह भूमि है।

(3) प्रस्तावित लोहा मण्डी के पहुंच मार्ग को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही यह निर्धारित किया जाना संभव होगा कि प्रस्तावित पहुंच मार्ग के लिए कौन-कौन से खसरा नं. की भूमि की आवश्यकता होगी।

(4) भूमि चरागाह है काश्तकारों की खातेदारी की नहीं है।

(5) निर्माण कार्यों की रुपरेखा एवं समय सारणी स्वीकृति पश्चात एवं योजना मानचित्र तैयार होने के पश्चात तय किया जाना संभव होगा।

नगरपालिका क्षेत्र में मास्टर प्लान का प्रस्ताव की क्रियान्विति प्रस्ताव

641. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या नगरीय विकाय एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सरकार प्रदेश के कितने नगरपालिका क्षेत्रों में मास्टर प्लान का प्रस्ताव लागू करना चाहती है तथा ऐसे कितने प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है?

(श्री जसवंत सिंह गुर्जर)

(2) क्या धौलपुर एवं नगरपालिका क्षेत्र बाड़ी में मास्टर प्लान का प्रस्ताव लागू किया जाना विचाराधीन है? यदि हां, उसे कब से लागू किया जायेगा?

(3) क्या नगरपालिका क्षेत्र धौलपुर एवं बाड़ी में पानी की निकासी के लिए कोई ड्रेनेज योजना सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या तथा इसे कब तक चालू किया जायेगा?

उत्तर

(1) राज्य सरकार प्रदेश के समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में मास्टर प्लान के प्रस्ताव लागू करना चाहती है। ऐसे दो प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं।

(2) जी, हां। धौलपुर एवं नगर पालिका क्षेत्र बाड़ी के मास्टर प्लान लागू किए जाने का प्रस्ताव है। धौलपुर का मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रगति पर है बाड़ी के मास्टर प्लान का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इन मास्टर प्लानों को वर्ष 2000-2001 में लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

(3) नगरपालिका क्षेत्र धौलपुर में ड्रेनेज योजना तैयार करने बाबत दिनांक 1.6.91 को राशि 74,000 जरिए चैक अधिशासी अभियन्ता नगर खण्ड (निर्माण) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मिस्त्रीखाना जयपुर को जमा कराई गई थी। वर्तमान में यह राशि अधिशासी अभियन्ता सर्वे एवं डिजायन बीसलपुर परियोजना के पास है। ड्रेनेज योजना अभी तक नहीं बनाई गई है। नगरपालिका बाड़ी के लिए कोई ड्रेनेज योजना नहीं बनी है, न विचाराधीन है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र-पत्रिकाओं को दिये गये विज्ञापन

642. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक कब-कब कौन-कौन से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं व स्मारिकाओं में कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये?

(2) उक्त प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन देने के संबंध में क्या नीति अपनाई जा रही है? उक्त संबंध में कोई नियम, उपनियम बनाये हो तो उनकी प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कौन से समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाये इसका निर्धारण किस स्तर पर किस प्रकार से किया जाता है।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1.1.99 से फरवरी, 2000 तक दिए गए स्मारिकाओं को सजावटी विज्ञापन की सूची मय राशि निम्नानुसार है: —

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(1)	साप्ताहिक राष्ट्रदूत	82,110/-
(2)	साप्ताहिक राष्ट्रदूत	1,06,950/-
	कुल	**1,89,060/–**
(3)	एम. बी. एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर	5,000/-
(4)	फोर्थ विन्टेज कार रैली	10,000/-
(5)	जवाहर कला केन्द्र	8,000/-
(6)	नई गुदगुदी तरुण समाज महामूर्ख सम्मेलन	4,000/-
(7)	लोकजीवन वीकली	5,000/-
(8)	पिंकसिटी प्रेस क्लब (पात्ती)	15,000/-
(9)	टेन्थ नोरथ जोन्स क्रिकेट चैम्पियनशिप आफ दी डीफ	3,500/-
(10)	प्रज्ञान भारती	16,000/-
(11)	डांयरेक्ट्री डेन्टिस, इण्डिया (डा. विवेक गुप्ता)	2,500/-
(12)	लोक जीवन (दीपावली विशेषांक)	10,000/-
(13)	माया पत्रिका	44,000/-
(14)	जयपुर डीफ फ्रेन्डशिप क्लब	5,000/-
(15)	ट्यूरिस्ट ईयर बुक आफ राजस्थान 99 (साहित्य सदन प्रकाशन)	4,000/-
(16)	जयपुर डिस्टिक चैस एसोसिएशन	10,000/-
	कुल योग	**3,31,060/-**

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

दिनांक 1.1.99 से फरवरी, 2000 तक समाचार पत्रों को दिये गये विज्ञापन मय राशि सूची निम्नानुसार है:—

(1)	दैनिक राजस्थान पत्रिका	35,56,502/-
(2)	दैनिक भास्कर	39,11,847/-
(3)	दैनिक राष्ट्रदूत	24,75,636/-
(4)	दैनिक नवज्योति	24,43,368/-
(5)	दैनिक समाचार जगत	12,18,166/-
(6)	दैनिक प्रातःकाल	4,27,248/-
(7)	दैनिक जलते दीप	1,93,450
(8)	दैनिक सीमासंदेश	79,550/-
(9)	दैनिक सायंकालीन समाचार जगत	64,170/-
(10)	दैनिक सांध्यकालीन अम्बर	35,300/-
(11)	दैनिक सांध्यकालीन महानगर टाइम्स	1,34,300/-
(12)	दैनिक सांध्यकालीन निराला राजस्थान	1,93,700/-
(13)	दैनिक सांध्यकालीन सांध्य ज्योति दर्पण	1,58,209/-
(14)	दैनिक यंगलीडर	26,250/-
(15)	दैनिक करंट ज्वाला	585/-
(16)	दैनिक अधिकार	11,050/-
(17)	पाक्षिक विकलांग मंच	2,100/-
(18)	दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स (देहली)	1,05,400/-
(19)	दैनिक राष्ट्रीय सहारा (देहली)	24,750/-
(20)	दैनिक जागरण (देहली)	33,350/-
(21)	दैनिक टाइम्स आफ इंडिया (देहली)	2,71,065/-
(22)	दैनिक इण्डियन एक्सप्रेस (देहली)	3,51,400/-
(23)	राजस्थान प्लस (टी.ओ.आई.+ई.टी)	12,750
	कुल योग	1,57,30,146/-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

इस प्रकार स्मारिका एवं दैनिक समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों पर कुल व्यय 3,31,060 + 1,57,30,146 = 1,60,61,206/- रुपये व्यय हुए।

(2) प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन नीति संबंधी स्थाई आदेश संख्या 2/98 दिनांक 5.3.98 के अनुसार जारी किए जाते हैं। स्थाई आदेश संख्या 2/98 दिनांक 5.3.98 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

(3) कौनसे समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जावे इसका निर्धारण भी प्रचार प्रसार की दृष्टि से स्थाई आदेश क्रमांक-2/98 दिनांक 5.3.98 के अनुरूप ही किया जाता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्यामनगर जयपुर की नवीन सड़क पर अतिक्रमण

643. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि श्यामनगर (जनपथ) से पार्वती नगर, रेल नगर, सन्तोष नगर को जोड़ने हेतु नवीन सड़क का निर्माण हो रहा है? यदि हां, तो उक्त सड़क की चौड़ाई क्या होगी तथा कब तक पूर्ण हो जायेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पार्वती नगर विस्तार कॉलोनी से अत्याधिक ऊंचाई पर बनने के बावजूद भी सड़क के दोनों और पत्थरों से पीचिंग का कार्य नहीं करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के आसपास कुछ अतिक्रमण हो रहे हैं? क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त सड़क की चौड़ाई 160 फीट प्रस्तावित है जिसमें वर्तमान में डामर कार्य की चौड़ाई 7.50 मीटर चौड़ा कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को दिनांक 8.9.2000 तक समय दिया गया है।

(2) जी, हां। यह कार्य सड़क को भविष्य में और अधिक चौड़ा किये जाने के कारण वर्तमान में नहीं कराया जा रहा है।

(3) उक्त सड़क के आसपास 15 अतिक्रमण हैं जिनको हटाने हेतु विधिक प्रक्रिया प्रस्तावित है।

विद्याधर नगर से दादी का फाटक जयपुर की सड़क की चौड़ाई की क्रियान्विति

644. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

जयपुर जोन-3 "बी" विद्याधर नगर दादी का फाटक से सीकर रोड वाया प्रतापनगर चौराहा, बन्धु नगर विस्तार रोड पूर्व निर्धारित सर्वे के अनुसार कितने फीट चौड़ी है? क्या वर्तमान में इसमें कोई

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

परिवर्तन किया गया है? प्रस्तावित योजना का बल्यूमेप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विद्याधर नगर से दादी का फाटक वाया सीकर रोड वाया प्रताप नगर चौराहा वाया बन्धु नगर विस्तार रोड स्वीकृत सैक्टर प्लान के अनुसार 100-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। यह सड़क विद्याधर नगर वाया सीकर रोड वाया प्रताप नगर चौराहा से सैक्टर प्लान में प्रस्तावित 100-0" चौड़ी सड़क (उत्तर-दक्षिण) में जाकर मिलती हैं। उत्तर-दक्षिण प्रस्तावित 100-0" चौड़ी सड़क से दादी के फाटक तक इसकी चौड़ाई 60-0" प्रस्तावित हैं एवं इसकी लम्बाई 1800-0" फीट हैं। इसमें कोई परिवर्तन वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। नक्शा मौका संलग्न हैं।

(नक्शा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सुशीलपुरा (सोडाला) जयपुर में नाली निर्माण

645. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सुशीलपुरा सोडाला-जयपुर में डब्ल्यू. बी. एम. सड़क के कार्य एवं नाली निर्माण के लिए निविदाएं आमन्त्रित की गई थी? यदि हां, तो वर्क आर्डर कब जारी किया गया? क्या उक्त कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण करा दियें जायेंगे?

(2) क्या उक्त कार्य कृष्णा कालोनी सुशीलपुरा सोडाला-जयपुर में भी करवाये जाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सुशीलपुरा सोडाला में सार्वजनिक लाइटें भी प्रायः बंद रहती है? यदि हां, तो इनको कब तक ठीक करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) यह सही है कि सुशीलपुरा सोडाला में डब्ल्यू. बी. एम. सड़क के कार्य एवं नाली निर्माण के लिए वर्ष 98-99 में निविदाएं आमंत्रित की गई थी, परन्तु निविदाओं में किसी भी संवेदक द्वारा भाग नहीं लिये जाने के कारण ऐसे समस्त कार्यों की स्वीकृतियों को रद्द किये जाने की जानकारी आयुक्त, नगर निगम द्वारा दी गई है।

(2) वर्तमान में कृष्णा कॉलोनी, सुशीलपुरा सोडाला में सड़क व नाली निर्माण के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। जानकारी मिलने पर खराब लाइटों को चालू करवाया जाता है।

विद्याधर नगर स्थित अमानीशाह के नाले के पास अतिक्रमण

646. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(1) क्या विद्याधर नगर, जयपुर स्थित अमानीशाह के नाले पर बस स्टेण्ड के पास, स्वर्ण जयन्ती पार्क के विकास एवं सैक्टर 8 के पास पापड़वाले हनुमान मन्दिर जाने वाली पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? यदि हां, तो प्रस्तावित व्यय राशि एवं नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रश्न के भाग 1 में उल्लेखित कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रस्तावित पार्क के आसपास स्थित अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। स्वर्ण जयन्ती पार्क के विकास हेतु रु. 152.80 लाख एवं पापड़वाले हनुमान मन्दिर को जाने वाली पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने हेतु प्रस्तावित व्यय राशि रु. 15.00 लाख की स्वीकृति दी गई है। मानचित्र संलग्न है।

(2) स्वर्ण जयन्ती पार्क के विकास का कार्य इस वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है तथा पापड़ हनुमान मन्दिर को जाने वाली पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 2.7.2000 है।

(3) जी, हां। पूर्व में किये गये अतिक्रमण हटाये जा चुके हैं कुछ हिस्से में पूर्व की कच्ची बस्ती (बांगला देशी) स्थित है। बस्ती को वहां से हटाये जाने बाबत राज्य आयोग में वाद विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.6.2000 नियत है।

(मानचित्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

हवामहल बाजार जयपुर में बरामदा निर्माण कार्य

647. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर शहर को हैरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न बाजारों में अतिक्रमण एवं बरामदे खाली करवाये जाने का अभियान चलाया जा रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि कुछ बाजार में दुकानों के आगे स्थित निजी तौर पर बनाये गये बरामदें यथा चौड़ा रास्ता इत्यादि को इस अभियान से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रश्न के भाग 2 में जो छूट चौड़ा रास्ता के व्यापारियों को दी गई है वैसा ही मानदण्ड अपनाते हुए सरकार हवामहल बाजार/ सिरड्यौडी बाजार के व्यापारियों को भी छूट देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री मोहन लाल चौहान)

(4) क्या सरकार हवामहल बाजार जहां दुकानों के आगे बरामदें नहीं है, एकरूपता की दृष्टि से बरामदें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर शहर को हैरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न बाजारों में अतिक्रमण हटाने का अभियान दिनांक 29.2.2000 से चलाया गया है।

(2) यह सही है कि कुछ बाजारों में दुकानों के आगे निजी तौर पर बनाये गये बरामदें यथा चौड़ा रास्ता इत्यादि के निर्माण के संबंध में रिकार्ड की जांच करवाई जा रही है। जांच पूर्ण होने के उपरांत ही अतिक्रमण हटाने के संबंध में समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(3) भाग सं. 2 के उत्तर के पश्चात् इस भाग सं. 3 का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

(4) अतिक्रमण अभियान पूर्ण होने के पश्चात् ही इस संबंध में समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्रामों को जवाई बांध से जलापूर्ति

648. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खारची के गांवों में पेयजल जवाई बांध से देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार खारे पानी वाले ग्राम भीमालिया, पाचेटिया, बान्ता नया गांव कराडीं सुगालिया, बाडसा, गोदावास, चवाडिया, विठोडा खुर्द, सूर्यनगर, राजगियावास कला एवम् खुर्द, जोगडावास, लोलावास, सिनला, खारडी जाडण में जवाई बांध से योजना बनाकर जलापूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। खारची विधान सभा क्षेत्र के 16 समस्याग्रस्त गांवों हेतु जवाई बांध से पानी देने की योजना विचाराधीन है।

(2) ग्राम बान्ता, कराडी, सुगालिया, जोगडावास सिनला जहां वर्तमान पेयजल व्यवस्था गुणवत्ता मात्रा के अनुसार सामान्य है, को छोड़कर शेष ग्रामों को जवाई बांध से देने हेतु योजना विचाराधीन है।

जिला बाड़मेर में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद

649. श्री *अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में कनिष्ठ अभियन्ताओं के 16 पदों की कमी है?

(श्री अमीन खान)

(2) क्या यह भी सही है कि इतनी कमी के कारण ग्रामीण पेयजल योजनाएं सही नहीं चल रही है? यदि हां, तो अब उक्त रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में कनिष्ठ अभियन्ता के 15 पद रिक्त हैं।

(2) जी, नहीं। बाड़मेर जिले में कुल 58 पद स्वीकृत हैं। अतः अन्य कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा रिक्त पदों का कार्य भी किया जा रहा है। फिर भी रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम मगरी (अजमेर) में निर्मित टंकी से पेयजल आपूर्ति

650. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या ग्राम मगरी में टी. एस. एस. योजना स्वीकृत है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक कुएं के पास 50 हजार लीटर की क्षमता वाली टंकी का निर्माण करवा दिया है?

(3) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक कुएं पर विद्युत मोटर पेयजल हेतु कार्यरत है? यदि हां, तो इस निर्मित की हुई टंकी को क्यों नहीं भरवाया जा रहा है? क्या सरकार अब उक्त टंकी को भरवा कर ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध करवायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। सार्वजनिक कुएं पर विद्युत मोटर पंचायत द्वारा संधारित की जाकर चलाई जा रही है। टंकी माह 4/2000 में जोड़कर पानी से भरना प्रारम्भ कर दिया है।

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा के ग्रामों की पेयजल योजनाएं

651. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में ऐसे कितने ग्राम है जो पेयजल योजनाओं से नहीं जुड़े हैं? क्या सरकार ने उक्त ग्रामों के लिए कोई योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा के सभी 138 ग्राम विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं।

रामपुरा (कोटा) में निर्मित टंकी से जलापूर्ति

652. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(1) क्या यह सही है कि रामपुरा (कोटा) में पेयजल की सुविधा के लिए 33 लाख लीटर की क्षमता का टैंक बनाया है?

(2) क्या उसको मेन लाइन से जोड़ दिया है? यदि हां, तो किस दिनांक को और नहीं, तो कब तक जोड़ दिया जायेगा?

(3) पुराने शहर कोटा के बाकी हिस्सों में पेयजल की आपूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। रामपुरा कोटा में कोई टैंक नहीं बनाया गया है। अलबत्ता रामपुरा में पेयजल व्यवस्था के सुधार हेतु कैथूनी पोल में 33.90 लाख लीटर क्षमता का उच्च जलाशय बनाया गया है।

(2) जी, हां। दिनांक 24.11.1999 को उक्त जलाशय को मेन लाइन से जोड़ा जा चुका है।

(3) पुराने शहर कोटा के लिए (परकोटे के अंदर का क्षेत्र) उपरोक्त उच्च जलाशय के अलावा 5.5 कि. मी. की विभिन्न माप की वितरण पाइप लाइनें बिछाई गई हैं।

शहर भीनमाल को जैतपुरा बांध से जलापूर्ति

653. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु जैतपुरा बांध से जलापूर्ति की एक योजना सरकार ने बनाई है? यदि हां, तो योजना की प्रति मय मानचित्र के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना का कार्य सरकार द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो योजना का कार्य अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। योजना 1031.34 लाख रुपये की बनाई जाकर उसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 10/99 में प्रदान कर दी गई है। स्वीकृत योजना की प्रति (स्वीकृत तखमीना) व मानचित्र प्रपत्र "क" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। भीनमाल शहर हेतु पूर्व में वर्ष 97-98 में स्वीकृत रु. 1075.00 लाख की योजना के अंतर्गत माह दिसम्बर/98 से कार्य चालू है। संशोधित योजना जो 10/99 में स्वीकृत हुई, के कार्य तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् धन उपलब्धि अनुसार चालू किये जा सकेंगे।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

(मानचित्र पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम हन्सास (झुंझुनूं) की बंद पड़ी टंकी से पेयजल आपूर्ति

654. श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(4) जी, नहीं। वांछित पाइप लाईन विभाग की प्रचलित सहभागिता योजना के अन्तर्गत डालना संभव हो सकेगी।

(5) जी, नहीं। वर्णित स्थल पर कोई नल सार्वजनिक विभाग द्वारा स्थापित नहीं किया था। सन्दर्भित नल किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से राइजिंग पेन पर लगा रखा था जिसे विभाग द्वारा बन्द कर दिया था। उक्त अवैध जल संबंध का पुनर्स्थापन संभव नहीं है।

ग्राम हाथनौदा तहसील चौमूं (जयपुर) में नियम विरुद्ध खनन

656. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या एम. एल. नं. 149/95 निकट ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं जिला जयपुर एक अनुसूचित जाति, महिला के नाम से विभाग द्वारा आवंटित है? यदि हां, तो महिला किस जाति की है? उक्त खान महिला के नाम कब व क्यों आवंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खान को अनुसूचित जाति की महिला चला रही है? यदि नहीं, तो कौन चला रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध खनन करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) एम. एल. सं. 149/95 आवंटन नहीं होने से खान चलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी, नहीं। खनन पट्टा 149/95 आवंटन नहीं होने से क्षेत्र का क़ब्जा दिलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्षेत्र में अवैध खनन नहीं किया जा रहा है।

खनन पट्टे हेतु प्रक्रिया

657. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) खनन पट्टे के लिए आवेदनकर्ता को क्या-क्या कार्यवाही करनी पड़ती है?

(2) उक्त आवेदनकर्ता को किन-किन विभाग द्वारा किन-किन कर्मचारी/अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है जिससे कि आवेदनकर्ता के खनन का पट्टा जारी किया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खनन पट्टा अनुदान के लिए आवेदनकर्ता को प्रधान खनिज के मामले में ख़निज रियायत नियम, 1960 एवं अप्रधान खनिज के मामले में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रेषित करना होता है। इन खनिजों के आवेदन-पत्र प्रेषित करने में जो-जो कार्यवाही करनी पड़ती है उनका

(राज्य मंत्री, खनिज)

विवरण क्रमशः संलग्न परिशिष्ट प्रथम एवं द्वितीय में अंकित है।

(2) खनन पट्टा जारी करने के लिए आवेदनकर्ता को विभाग के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन-पत्र में उपरोक्त दस्तावेजों में से यदि किसी की पूर्ति नहीं होती है या कमी होती है तो उनका विवरण देते हुए दस्तावेज प्रेषित करने या कमियों की पूर्ति करने हेतु नियमानुसार लिखा जाता है। प्रधान खनिज के मामले में 60 दिवस एवं अप्रधान खनिज के मामले में 30 दिवस की अवधि में उपरोक्तानुसार पूर्ति करने हेतु समय दिया जाता है। उपरोक्त पूर्तियां होने एवं आवेदन-पत्र पूर्ण होने पर क्षेत्र की उपलब्धता व अन्य प्रतिबन्धों को ध्यान में रख कर खनन पट्टा स्वीकृत हेतु विचार किया जाता है। यदि आवेदनकर्ता कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के खान विभाग के सहायक खनिज अभियन्ता/खनिज अभियन्ता से कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी बात अथवा कठिनाई बता सकता है और आवश्यकतानुसार जानकारी प्राप्त कर सकता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

कृषि महाविद्यालय, जोबनेर का छात्र हत्या प्रकरण

658. श्री प्रभुलाल करसोल्या (नैनवां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि महाविद्यालय जोबनेर में अक्टूबर, 1999 में हुई छात्र की हत्या के आरोपी पकड़ लिये गये हैं? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त हत्या के षड़यंत्र में कौन-कौन शामिल थे? उनके नाम व पते का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जब छात्र हत्या करके पैदल भागा तब भी वह तुरंत ही नहीं पकड़ा गया? यदि हां, तो क्यों? क्या पुलिस के पास जीप, वायरलैस या पुलिसकर्मी नहीं थे? अब उक्त प्रकरण में मुल्जिम पकड़ने में देरी क्यों हो रही हैं?

(4) क्या सरकार ने महाविद्यालय जैसे स्थानों पर इस प्रकार की घटनाओं को गम्भीरता से लिया है? यदि हां, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। 5 अक्टूबर, 1999 को कृषि महाविद्यालय जोबनेर में छात्र धीरज की हत्या के आरोपी चन्द्रमोहन पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा उम्र 19 साल निवासी खातोली जिला कोटा को 7.10.99 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

(2) यह घटना कक्षा में सीट की बात को लेकर अभियुक्त से कहासुनी हुई थी।

(गृह मंत्री)

इसी रंजिश के कारण अभियुक्त चन्द्रमोहन ने मृतक धीरज की हत्या की थी। हत्या के संबंध में षडयंत्र का कोई तथ्य सामने नहीं आया तथा अनुसंधान से अन्य कोई छात्र/व्यक्ति अभियुक्त नहीं पाया गया।

(3) यह घटना कॉलेज में क्लास रूम में करीब 9.30 ए.एम. पर हुई थी। घटना की सूचना 10.30 ए.एम. पर पुलिस को मिली। अभियुक्त अपराध कर घटना स्थल से तुरन्त भाग गया था। घटना के समय पुलिस घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी। घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची व घटना के संबंध में कार्यवाही की गई। अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयत्न आरम्भ कर दिये। नाकाबन्दी की गई व पुलिस पार्टी भेजी गई। अभियुक्त को घटना के दो दिन बाद दिनांक 7.10.99 को गिरफ्तार कर लिया गया।

(4) पुलिस द्वारा इस घटना को गम्भीरता से लिया गया है। इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए विशेष निगरानी की जा रही है।

(5) जी, नहीं। मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष से आर्थिक सहायता मात्र प्राकृतिक आपदा से हुई जन हानि पर ही देय है। हत्या अथवा आत्महत्या के मामलों में सहायता देय नहीं है।

राज्य में बढ़ते मूर्ति चोरी के प्रकरण

659. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 के मध्य राज्य के विभिन्न थानों में मूर्ति की चोरियों के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? विवरण थानेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मूर्ति चोरों का गिरोह लम्बे समय से राज्य में सक्रिय है, जिससे घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है? क्या सरकार ने किसी प्रकार का अभियान चलाकर किसी गिरोह की छानबीन करने का कोई प्रयास किया है? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1999 से 29 फरवरी, 2000 के मध्य राज्य के विभिन्न थानों में मूर्तियों की चोरी के कुल 111 अभियोग पंजीबद्ध किये गये हैं। थानावार एवं जिला वार विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न हैं।

(2) राज्य में मूर्ति चोरों का एक गिरोह थाना कोतवाली झालावाड़ में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जिनसे पुरातत्व एवं कलात्मक महत्व की 13 मूर्तियां बरामद की गई हैं। राज्य में मूर्ति चोरी के अभियोग वर्ष 1997, 1998 व 1999 में क्रमशः 64, 73 तथा 79 दर्ज हुए हैं। जो आंशिक वृद्धि दर्शाते हैं परन्तु यह वृद्धि किसी गैंग के सक्रिय होने से होना प्रकाश में नहीं आया है। राज्य स्तर पर कोई

(गृह मंत्री)

विशेष अभियान नहीं चलाया गया है, परन्तु जिला स्तर पर गश्त व नाकाबंदी के दौरान मूर्ति चोरों की गिरफ्तारी एवं इस अपराध की रोकथाम के प्रयास जारी हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

थाना बौंली, सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-181/97

660. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 181/97 थाना बौंली जिला सवाईमाधोपुर में दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो उस संगीन घटना में तफतीश के बाद अपराध सिद्ध होने के बावजूद भी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चालान क्यों नहीं किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली सी.आई.डी. में लम्बित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि अभियोग सं. 181/97 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी. भा.दं.सं. दिनांक 24.9.97 को थाना बौंली जिला सवाईमाधोपुर पर पंजीबद्ध हुआ है। इस अभियोग में अभी आवश्यक दस्तावेज व रेवेन्यू रिकार्ड प्राप्त करना बाकी है। इसके लिए स्थानीय पुलिस द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं। अनुसंधान पूर्ण होने के उपरान्त अभियोग में गुण अवगुण के आधार पर नतीजा दिया जायेगा।

(2) जी, हां।

ग्राम रीन्दली (दौसा) में हत्या प्रकरण की जांच में अनियमितता

661. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फ़रवरी, 2000 को दौसा जिले के ग्राम रीन्दली में दिन दहाड़े भवानी सिंह उर्फ भोनूं को बदमाशान ने उठाकर गढ़ हिम्मतसिंह थाना मंडावर के इलाके में डाल दिया? यदि हां, तो उसकी पोस्टमार्टम एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिन दहाड़े हत्या के प्रकरण को थानाधिकारी मंडावर अपराधियों से मिलकर रफा-दफा कर रहा है? यदि हां, तो क्या इसकी किसी उच्च अधिकारी से जांच करवाकर हत्या के अपराधियों को गिरफ्तार करवाया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि फरवरी, 2000 को मृतक के पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक दौसा को व्यक्तिगत रूप से लिखित में फरियाद प्रस्तुत की थी? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस अधीक्षक ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए थाना मंडावर को

(डा. किरोड़ी लाल)

निर्देश दिया था? यदि हां, तो थानेदार द्वारा अब तक हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वास्तविकता यह है कि दिनांक 4.2.2000 को मृतक भवानी सिंह के भाई श्री धर्म सिंह ने स्वयं थाना मण्डावर पर सूचना दी "कि दिनांक 3.2.2000 की सायं 6 बजे कोई जहरीली पदार्थ खाने से उसके भाई भवानी सिंह की मृत्यु हो गई है"। आदि पर, मर्ग सं. एफ. आई. आर. नं. 1/2000 अन्तर्गत धारा 174 सी.आर.पी.सी. पुलिस थाना मण्डावर पंजीबद्ध कर जांच शुरू की जा चुकी है। मर्ग एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिशिष्ट "ब" एवं अस्पताल का प्रवेश टिकट परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। मर्ग प्रकरण की जांच वृत्ताधिकारी महुवा द्वारा की जा रही है।

(3) जी, नहीं। दिनांक 21.2.2000 को मृतक के पिता श्रीलाल द्वारा पुलिस अधीक्षक दौसा को परिवाद प्रस्तुत करने का कोई अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। दिनांक 17.2.2000 को मृतक के भाई धर्म सिंह मीणा द्वारा अपने भाई की मृत्यु के संबंध में पुलिस अधीक्षक दौसा को एक परिवाद पेश किया गया था, जिसकी जांच उप अधीक्षक पुलिस वृत्त महुवा द्वारा की जा रही है।

(4) यह सही नहीं है कि जिला पुलिस अधीक्षक दौसा ने हत्या का अभियोग पंजीबद्ध करने की कार्यवाही करने के निर्देश थाना मण्डावर को दिया था।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला हनुमानगढ़ में दर्ज आपराधिक प्रकरण

662. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) मार्च, 1999 से मार्च, 2000 तक जिला हनुमानगढ़ में हत्या, महिला उत्पीड़न, दहेज, बलात्कार, चोरी, डकैती के कितने मामले दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में कितनों में चालान किया गया तथा कितनों में चोरी के माल की बरामदगी की गई कितने प्रकरणों में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई व कितने मामले कब-कब से शेष हैं?

उत्तर

(1) मार्च, 1999 से मार्च, 2000 तक जिला हनुमानगढ़ में हत्या के 60, महिला उत्पीड़न के 158, दहेज संबंधी 296, बलात्कार के 40, चोरी के 374, डकैती के 4 अभियोग दर्ज हुए हैं। थानेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त दर्ज अभियोगों में से हत्या के 33 अभियोगों में, महिला उत्पीड़न संबंधी 90 अभियोगों में, दहेज संबंधी 146 अभियोगों में, बलात्कार के 22, चोरी के

(गृह मंत्री)

129, डकैती के 2 अभियोगों में चालान पेश किया गया है। चोरी के 129 अभियोगों में माल की बरामदगी हुई तथा चोरी के 218 अभियोगों में अन्तिम प्रतिवेदन पेश किया गया। विस्तृत थानेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

मार्च, 1999 से मार्च, 2000 तक कुल 58 अभियोग अनुसंधानाधीन है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

थाना विश्वकर्मा (जयपुर) का दर्ज प्रकरण संख्या-63/95

663. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या श्री मालीराम सैन, वरिष्ठ निजी सहायक, उद्योग निदेशालय, जयपुर ने सर्वश्री अशोक कुमार, राधा मोहन भाला व रूड़मल सैनी के विरुद्ध प्लाट नं. 41 ग्राम कूकरखेड़ा उर्फ महापुरा, स्कीम चौमू रोड जयपुर को धोखाधड़ी, जालसाजी, षड़यंत्रपूर्ण तरीकों से अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिये जाने की शिकायत दिनांक 5.9.1994 पर जिला कलेक्टर जयपुर के निर्देशानुसार भू-माफिया में थाना विश्वकर्मा जयपुर में धारा 420 व अन्य आई.पी.सी. के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 63/95 दर्ज हुआ था ?

(2) उक्त मुकदमें में जांच अधिकारी कौन थे तथा उन्होंने जांच में अन्तिम रिपोर्ट कब दी और अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्तिम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या तत्कालीन इन्चार्ज थाना विश्वकर्मा श्री गणपत सिंह के विरुद्ध अभियुक्तों से सांठगांठ कर मुकदमे में दबाव में आकर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही कर रिपोर्ट लगाने की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही हुई और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उप-महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज (प्रथम) द्वारा श्री मालीराम सैन की शिकायत पर उक्त मुकदमे में पुनः जांच के आदेश उप अधीक्षक पुलिस झोटवाड़ा, जयपुर को दिए गए ? यदि हां, तो सी. ओ. झोटवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट कब व क्या दी व अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट का प्रति सदन का मेज पर रखें।

(5) क्या जांच अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता सी.ओ. झोटवाड़ा, जयपुर के विरुद्ध सही व निष्पक्ष जांच नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या पुलिस जांच में यह सही पाया गया है कि अभियुक्त अशोक कुमार ने श्रीमती नारंगी देवी पत्नी सुरजमल शर्मा को इसी प्लाट को पुनः विक्रय कर दिया और राशि प्राप्त कर ली ? यदि हां, तो विक्रय पत्र की प्रति सदन का मेज पर रखें ? क्या उक्त विक्रय पत्र दिनांक 25.2.1978 से पहले का था ? यदि बाद का था तो किस दिनांक का था ?

(श्री अमराराम)

(7) क्या पुलिस जांच द्वारा सही पाया गया कि जब प्लाट नं. 41 को अभियुक्त ने रूड़मल सोनी को विक्रय कर सब रजिस्ट्रार के यहां दिनांक 8.3.1976 को पंजीकृत करा दिया था व दिनांक 25.2.1978 को रूड़मल सोनी ने मालीराम सेन को विक्रय कर चुके थे लेकिन इसी प्लाट नं. 41 की पुनः धोखाधड़ी से अन्य महिला नारंगी देवी को बेचान कर दिया?

(8) क्या उक्त मुकदमे में सरकार निष्पक्ष जांच करा कर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 12.2.95 को श्री मालीराम सैन ने अशोक कुमार व अन्य के विरुद्ध प्लाट संख्या-41 ग्राम कुकरवाड़ा, चौमू रोड को किसी अन्य व्यक्ति को चुपचाप विक्रय कर देने के संबंध में जिला कलेक्टर जयपुर को सम्बोधित करते हुए एक रिपोर्ट थाना विश्वकर्मा जयपुर पर प्रस्तुत की जिस पर अभियोग संख्या 63/95 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध किया गया।

(2) उक्त मुकदमे में अनुसंधान अधिकारी श्री गणपतसिंह चौहान, पुलिस निरीक्षक तत्कालीन प्रभारी थाना विश्वकर्मा थे। अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान के पश्चात् अभियोग में दिनांक 31.7.95 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तावित की। प्रथम सूचना एवं अंतिम रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" संलग्न है।

(3) जी, हां। तत्कालीन इंचार्ज थाना विश्वकर्मा श्री गणपत सिंह चौहान के विरुद्ध उक्त मुकदमे में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने का परिवाद प्राप्त होने पर इस संबंध में जांच की गई। जांच से आरोप प्रमाणित पाये गये।

(4) जी, हां। वृत्ताधिकारी झोटवाड़ा ने परिवाद की जांच रिपोर्ट दिनांक 14.7.99 को प्रेषित की। चूंकि परिवादी श्री मालीराम सैन ने जांच के दौरान शिकायत से संबंधित मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये। अतः कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "स" संलग्न है।

(5) जी, हां। मुस्तगीस श्री मालीराम सैन द्वारा श्री अशोक गुप्ता वृत्ताधिकारी वृत्त झोटवाड़ा के विरुद्ध एक परिवाद वृत्ताधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं करने के संबंध में दिनांक 26.10.99 को उप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज प्रथम के कार्यालय में प्रस्तुत की गई। उक्त परिवाद की जांच अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा करवाई गई। अति. पुलिस अधीक्षक ने जांच से आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया।

दिनांक 9.12.99 को अति. संभागीय आयुक्त जयपुर ने मुस्तगीस श्री मालीराम द्वारा प्रस्तुत परिवाद उप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज प्रथम को जांच हेतु प्रेषित किया। परन्तु इस प्रकरण में पूर्व में जांच हो जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(गृह मंत्री)

(6) यह सही है कि प्रासंगिक भूखण्ड सं. 41 को अशोक भाला द्वारा श्रीमती नारंगी देवी सूरजमल को इकरारनामा दिनांक 31.7.81 के अनुसार रुपये 8850/- में बेचान कर राशि प्राप्त की। विक्रय इकरारनामा दिनांक 31.7.81 की छाया प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(7) इस प्रकरण के अनुसंधान के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर भूखण्ड सं. 41 को अशोक कुमार द्वारा दिनांक 8.3.76 को श्री रूड़मल सोनी को विक्रय किया जाना तथा इसी भूखण्ड को रूड़मल सोनी द्वारा दिनांक 25.2.78 को श्री मालीराम सेन को विक्रय करना तत्पश्चात् इसी भूखण्ड को दिनांक 31.7.81 को अशोक भाला द्वारा श्रीमति नारंगी देवी को विक्रय करना पाया गया। अनुसंधान के दौरान मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट हुए कि उक्त भूखण्ड सं. 41 को रूड़मल से मालीराम सेन द्वारा विक्रय करनने के कुछ समय पश्चात् ही मालीराम ने पुनः रूड़मल से प्लाट का सौदा निरस्त कर रुपये वापिस प्राप्त कर लिये तथा रूड़मल ने रुपयों की आवश्यकता होने के कारण उक्त भूखण्ड को पुनः अशोक भाला को विक्रय कर दिया। इस पर अशोक भाला ने दिनांक 31.7.81 को श्रीमती नारंगी देवी को विक्रय कर रुपये प्राप्त किये। अनुसंधान से यह भी सामने आया कि उक्त भूखण्ड पर वर्ष 1978 से मालीराम का कभी कब्जा नहीं रहा। वर्ष 1981 से उक्त भूखण्ड पर नारंगीदेवी का विधिवत भौतिक कब्जा रहा है। प्रकरण में मुस्तगीस पक्ष द्वारा विवादित भूखण्ड के मूल दस्तावेज (अभिलेख) प्रस्तुत न करने के अभाव में अपराध प्रमाणित नहीं किया जा सका।

(8) इस अभियोग में अभियोग पंजीबद्ध किया जाकर पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद नतीजा अंतिम प्रतिवेदन दिया जा चुका है, एवं मुस्तगीस द्वारा प्रस्तुत परिवादों पर जांच कराई जा चुकी है, जिससे आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। अतः पुनः जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-664

(स्थगित)

पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या-123/98

665. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 123/98 के संबंध में तत्कालीन गृह मंत्री महोदय ने दिनांक 8.9.98 को चालान पेश नहीं करने एवं सही जांच करने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो फिर जांच अधिकारी द्वारा न्यायालय में चालान पेश किस आधार पर किया? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त थाना क्षेत्र में दिनांक 8.7.98 को पथराव करने एवं झगड़ा फसाद करने की रिपोर्ट

(श्री संजीव बेनीवाल)

भी दर्ज हुई थी? यदि हां, तो दर्ज रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? दर्ज रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण सं. 123/98 में मुस्तगीस पार्टी द्वारा ही उक्त पथराव एवं झगड़ा फसाद किया एवं जांच अधिकारी से मिलकर प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट लगवा दी गई? यदि नहीं, तो उक्त पथराव की घटना की जांच किस अधिकारी द्वारा करवाई गई? क्या दोनों प्रकरण एक ही जांच अधिकारी के पास थे? यदि हां, तो फिर एक में चालान एवं दूसरे में एफ. आर. किस आधार पर दी गई?

उत्तर

(1) जी, नहीं। दिनांक 8.9.98 को तत्कालीन सरकार के गृह मंत्री महोदय ने अभियोग संख्या 123/98 थाना भट्टा बस्ती जयपुर शहर के संबंध में श्री शोभाचन्द बागड़ी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर निर्देश दिये कि कृपया सुनकर समुचित कार्यवाही करें। अभियोग के अनुसंधान में अभियुक्तों के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर चालान न्यायालय में पेश किया गया।

(2) दिनांक 8.7.98 को थाना भट्टा बस्ती पर शोभाचन्द बागड़ी द्वारा श्री सुनील प्राहुजा वगैरह के विरुद्ध शांतिभंग इत्यादि की रिपोर्ट दी गई थी, जो रोजनामचा आम में रपट नं. 416 दिनांक 8.7.90 पर दर्ज हुई है उक्त रिपोर्ट पर जांच के उपरान्त गैरसायलान सुनिल कुमार श्रीमती सीता पाहुजा के विरुद्ध इस्तगासा धारा 107, 116 (3) जा. फो. के अन्तर्गत एस.डी.एम. कोर्ट-प्रथम जयपुर में पेश किया गया है, दर्ज रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर है।

(3) यह सही है, कि अभियोग संख्या 123/98 थाना भट्टा बस्ती जयपुर शहर की मुस्तगीसा श्रीमती सीता पाहुजा के विरुद्ध दिनांक 8.7.98 को शोभाचन्द ने शांतिभंग की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यह सही नहीं है, कि जांच अधिकारी से मिलकर प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट लगवादी गई। उक्त शांतिभंग की रिपोर्ट की जांच श्री किशन लाल सहायक उप निरीक्षक द्वारा कराई गई है।

अभियोग संख्या 123/98 थाना भट्टाबस्ती, जयपुर शहर की मुस्तगीसा श्रीमती सीता पाहुजा के विरुद्ध श्री शोभाचन्द बागड़ी द्वारा अभियोग संख्या 124/98 पंजीबद्ध कराया गया है।

उपरोक्त दोनों अभियोगों में चालान व दिनांक 8.7.98 की शांतिभंग की रिपोर्ट पर इस्तगासा अन्तर्गत धारा 116 (3) जा. फो. का न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पुलिस थाना सदर सीकर में दर्ज अपहरण रिपोर्ट

666. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना सदर सीकर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 24/99 एक व्यक्ति की फरारी किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25.1.99 को दर्ज

(श्री बाबूलाल नागर)

कराई गई थी? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अपहरण सर्व श्री गणेशराम, जवाहरराम, मेवाराम, रामनाथ, रिछपाल, डूंगाराम, मंशाराम, श्योपाल, बल्लाराम, शिवभगवान, ओमाराम, भगवानाराम, सूरजभान निवासी चन्दपुरा जिला सीकर ने किया था? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है अपहरण करने के समय तो श्री नागरमल नीमड़ी के बालाजी के स्थान पर पूजा अर्चना करने गया हुआ था?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अपहरण की सूचना देने के बाद भी थाना प्रभारी सदर सीकर उक्त अपराधियों से मिलीभगत करके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर उसने गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति के अपहरणकर्ता नामजद होने के बाद भी पुलिस की मिलीभगत के कारण खुले घूम रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज करने वाले व्यक्ति श्री पन्नाराम को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और कई बार मारपीट भी कर चुके हैं? क्या सरकार इसकी रोकथाम कराने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि उक्त अपराधी अब श्री पन्नाराम को अपने पुख्ता मकान में घुसने भी नहीं दे रहे हैं और इनके मकान की लोहे की चद्दर व अन्य सामान चोरकर ले गये हैं? क्या सरकार अब भी श्री पन्नाराम को उसके मकान में निवास किये जाने में बाधा नहीं पहुंचाने हेतु उक्त अपराधियों को पाबन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने का विचार रखती है? यदि हा, तो कब तक?

(8) क्या सरकार श्री पन्नाराम को अपने मकान में रहने की व्यवस्था कराने हेतु उक्त अपराधियों को पाबन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 25.1.99 को श्री नागरमल पुत्र श्री पन्नाराम ब्राह्मण उम्र 25 वर्ष निवासी चन्दपुरा जिला सीकर के अपहरण के संबंध में थाना सदर सीकर पर अभियोग संख्या 24/99 धारा 365, 385 भादसं. पंजीबद्ध हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट **"क" संलग्न है।**

(2) जी, नहीं। अनुसंधान से श्री नागरमल का अपहरण किया जाना प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण इस अभियोग में किसी को गिरफ्तार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(गृह मंत्री)

(3) जी, नहीं। अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि नागरमल दिनांक 19.1.99 के पूर्व से ही घर से गायब था।

(4) जी, नहीं। श्री पन्नाराम शर्मा ने दिनांक 20.1.99 को अपने पुत्र नागरमल की गुमशुदगी रिपोर्ट ही थाना सदर सीकर पर पेश की थी, अपहरण बाबत कोई रिपोर्ट नहीं पेश की। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तुरन्त जांच प्रारम्भ कर दी थी।

(5) जी, नहीं। अनुसंधान से नागरमल का अपहरण होना नहीं पाया जाने पर अभियोग में अंतिम रिपोर्ट दी जा चुकी है। परिवादी श्री पन्नाराम द्वारा दिनांक 14.12.98 को जानमाल का खतरा होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उसकी जांच कर विपक्षीगणों को पाबन्द करवाया जा चुका है। परिवादी ने अपने साथ मारपीट करने के संबंध में थाने पर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(6) जी, नहीं। परिवादी श्री पन्नाराम द्वारा इस प्रकार की घटना की कोई रिपोर्ट या सूचना थाने पर नहीं दी गई है। विपक्षियों को शांति बनाये रखने हेतु पूर्व में ही पाबन्द करवाया जा चुका है।

(7) प्रकरण का पूर्व में ही निष्पक्ष अनुसंधान किया जा चुका है।

(8) परिवादी पन्नाराम ने कोई नवीन परिवाद प्रस्तुत नहीं किया है। पूर्व में प्राप्त परिवाद विपक्षीगण को शांति बनाये रखने हेतु पाबन्द करवाया जा चुका है। श्री पन्नाराम से पुनः सूचना प्राप्त होने पर तदनुसार कानूनी कार्यवाही भविष्य में भी की जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

नवीं आर. ए. सी. बटालियन टोंक में भर्ती

667. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि 9वीं. आर.ए.सी. टोंक की वर्ष 1994-95 व 1995-96 में की गई भर्ती में पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण नहीं किया? यदि हां, तो क्यों और उक्त कोटे की कब तक पूर्ति कर दी जावेगी?

(2) वर्ष 1994-95 व 1995-96 में चयनित (भर्ती) किये गये पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति के आशार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। 9वीं बटालियन आर.ए.सी. टोंक में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में की गई भर्ती में पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण किया गया है।

(2) 9वीं. बटालियन आर. ए. सी. टोंक में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में चयनित (भर्ती) किये गये पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों

(गृह मंत्री)

की सूची क्रमशः परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के सीटी वार्ड में छापा

668. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है ब्यूरो ने सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के सीटी वार्ड के इन्चार्ज डाक्टर के यहां छापा मारा था? यदि हां, तो छापे के दौरान क्या-क्या सामान प्राप्त हुआ तथा क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त डाक्टर द्वारा किये गये घोटाले में और भी कोई अधिकारी/कर्मचारी भी लिप्त पाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन?

(3) उक्त संबंध में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई और अब क्या-क्या कार्यवाही की जानी है जो कब तक की जायेगी?

(4) ब्यूरों द्वारा दर्ज किये गये मामलों का चालान किस-किस का कब तक किया जा सकेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। परिवादी श्री प्रभूलाल पुत्र श्री ओंकार, निवासी मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर के परिवाद पर सवाई-मानसिंह अस्पताल, जयपुर के सी.टी. वार्ड में भर्ती शुदा चोटग्रस्त व्यक्ति को अनायास नियमित भर्ती नहीं रखकर उसे छुट्टी देने की एवज में डा. रमाकान्त सक्सैना, प्रोफेसर एवं आचार्य, यूनिट प्रथम, कार्डियो थोरिसिस विभाग को रिश्वत की मांग पर 4000/- रुपये की रिश्वत प्राप्त करते हुए एस. एम. एस. अस्पताल परिसर में उनके निवास स्थान पर उन्हें दिनांक 20.1.2000 को गिरफ्तार किया गया था। जिस पर ब्यूरो में अपराध संख्या 9/2000 दिनांक 21.1.2000 पंजीबद्ध किया गया है। अपराध अन्वेषणाधीन है।

ट्रैप कार्यवाही की निरन्तरता में ही ब्यूरो द्वारा आरोपित डा. रमाकान्त सक्सैना, प्रोफेसर एवं आचार्य, यूनिट-प्रथम, कार्डियो थोरिसिस विभाग, जयपुर के निवास की नियमानुसार तलाशी ली गई, जिस पर ब्यूरो में अपराध संख्या 24/2000 अपने आय के ज्ञात वैद्य साधनों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप पर पंजीबद्ध किया गया है। अपराध अन्वेषणाधीन है। तलाशी के दौरान खाना तलाशी में डा. सक्सैना के निवास स्थान से इन्द्रा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, डा. सक्सैना के नाम भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा राशि के दस्तावेजात, श्रीमती सक्सैना के नाम विभिन्न मदों में जमा राशि का विवरण के दस्तावेजात, डा. सक्सैना एवं श्रीमती सक्सैना के नाम एच.आई.जी. ग्रुप के भवन एवं भूखण्ड, बगरू स्थित कृषि भूमि के कागजात, एच.बी.एफ.सी. जयपुर में

(राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री)

एफ.डी.आर. विभिन्न प्रतिष्ठानों में बॉण्ड निवेश, पुत्री गिरजा सक्सैना के नाम विभिन्न मदों में पूंजी निवेश के दस्तावेज, नकद राशि 4 लाख 54,000/- रु. शेयर्स विभिन्न कम्पनियों के, डिवेन्चर्स, पी.पी.एफ. खातों में पूंजी निवेश आरोपित अधिकारी के नाम मारुति एस्टीम कार 1996 मॉडल, ग्रीन बेज प्रोजेक्ट में विनियोजन, कीमती दवाइयां, हृदय वाल्व, सर्जिकल उपकरण, करीब सवा लाख रुपये के सोने व चांदी के आभूषण एवं करीब चार लाख रुपये विभिन्न बैंकों में जमा होने की पास बुकें आदि दस्तावेजात एवं सामान तलाशी के दौरान ज्ञात/प्राप्त हुए हैं।

प्रकरण के सम्पूर्ण अन्वेषण के पश्चात् आरोपित अधिकारी द्वारा क्या-क्या अनियमितताएं की गई हैं, बाबत निष्कर्ष पर पहुंचना संभव होगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर डा. की 21 वर्ष की सेवाएं आय लगभग 16 लाख होती है, परन्तु प्राप्त/ज्ञात दस्तावेज से आरोपित के पास मिली परिसम्पत्तियों से 94.71 लाख रुपये अवैध साधनों से अर्जित करना आकलित किया गया है।

(2) अपराध अनुसंधानाधीन है। अनुसंधान से मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित होने पर अन्य व्यक्तियों पर आपराधिक उत्तरदायित्व का निर्धारण कानूनी दृष्टिकोण से विवेचनोपरान्त निर्धारित किया जाना संभव होगा।

(3) आरोपित अधिकारी की संदिग्ध अर्जित सम्पत्ति व आय के ज्ञात साधनों का गहन परीक्षण/अन्वेषण किया जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अभियोग की अनुसंधान प्रक्रिया दृढ़ साक्ष्य के आधार पर संधारित होती है। अतः साक्ष्य एकत्रित होने पर शीघ्र अन्वेषण पूर्ण किया जाना संभव होगा।

(4) प्रकरणों का अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् प्राप्त अन्वेषण प्रतिवेदनों का कानूनी दृष्टिकोण से परीक्षणोपरान्त तथ्य सिद्ध पाये जाने पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही न्यायालय में चालान पेश किया जाना संभव होगा।

राज्य में दर्ज रिश्वत के प्रकरण

669. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) एवं **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1999 में राज्य में कितने कर्मचारी एवं अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गये ?

(2) क्या उक्त कर्मचारी एवं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वर्ष 1999 में राज्य में 119 मामलों में रिश्वत लेते हुए 130 कर्मचारी एवं अधिकारी पकड़े गये हैं।

(2) उक्त मामलों में से 74 मामलों में अन्वेषण पूर्ण करने पर प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध

(भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री)

संबंधित न्यायालय में नियमानुसार चालान प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। एक मामले में आरोपित अधिकारी की मृत्यु हो जाने के कारण अंतिम प्रतिवेदन दिया गया है। शेष मामले अन्वेषणाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना

670. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सभी सब-डिवीजन हैडक्वार्टर्स पर ए.डी.जे. कोर्ट नहीं है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जहां पर ए.डी.जे. कोर्ट स्थापित नहीं है उन सब-डिवीजंस पर कैम्प कोर्टस की व्यवस्था सरकार द्वारा की हुई है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ सब-डिवीजन पर संचालित कैम्प कोर्ट के स्थान पर स्थाई ए.डी.जे. कोर्ट कायम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि राज्य के सभी सब-डिवीजन मुख्यालयों पर ए.डी.जे. कोर्ट नहीं है। जिन सब डिवीजन मुख्यालयों पर ए.डी.जे. कोर्ट नहीं है, उनकी सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है। जिन सब-डिवीजन मुख्यालयों पर ए.डी.जे. कोर्ट नहीं है, उन सभी पर ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट की व्यवस्था नहीं है।

जिन सब-डिवीजन मुख्यालयों पर ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट की व्यवस्था की गई है, उनका उल्लेख परिशिष्ट "ख" में किया गया है। शेष सब-डिवीजन मुख्यालयों पर ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट की व्यवस्था नहीं है।

(3) मा. उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा ए.डी.जे. संख्या–3, अलवर का मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ उपखण्ड के मुख्यालय पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसकी आगामी प्रक्रिया जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र देसूरी की उचित मूल्य की दूकानें

671. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में वर्तमान में केरोसिन तेल व शक्कर हेतु ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं में क्या व्यवस्था है? प्रतिमाह उक्त क्षेत्र में कितना केरोसिन तेल व शक्कर आवंटित किया जा रहा है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने डीलरों द्वारा उक्त सामग्री आवंटित की

(श्री आत्माराम मेघवाल)

जाती है? ग्राम पंचायत व नगरपालिकाओं में कितनी दुकानें हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में वर्तमान में ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका क्षेत्रों में केरोसिन तेल उचित मूल्य की दुकानों एवं अनुज्ञाधारियों व चीनी उचित मूल्य के डीलरों से वितरण कराने की व्यवस्था है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रतिमाह केरोसिन तेल 224 किलोलीटर एवं चीनी 857 क्विंटल आवंटित की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में केरोसिन तेल के तीन थोक विक्रेता व चीनी के दो थोक विक्रेताओं को उक्त वस्तुओं का आवंटन किया जाता है। उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 70 व नगरपालिका क्षेत्र में 14 उचित मूल्य की दुकानें हैं।

ग्राम रामपुरा (जयपुर) में उचित मूल्य की दुकान

672. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रामपुरा, ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द, तहसील सांभर जिला जयपुर में पूर्व में उचित मूल्य की दुकान स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो कब किस तिथि को?

(2) उक्त ग्राम में अब तक उचित मूल्य की दुकान चालू नहीं कराने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुकान में राशन सामग्री वितरित करने हेतु अब तक किस-किस व्यक्ति ने आवेदन किया? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त आवेदक को राशन सामग्री नहीं देने के क्या-क्या कारण रहे हैं?

(4) उक्त ग्राम में अब कब तक राशन सामग्री दुकान चालू कराकर सामग्री वितरण करवाने की व्यवस्था कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत उचित मूल्य की एक दुकान ग्राम रामपुरा, पंचायत डूंगरी खुर्द 1/2 के नाम से दिनांक 19.3.96 को स्वीकृत हुई थी।

(2) उक्त ग्राम में सृजित उचित मूल्य दुकान को सरपंच डूंगरी खुर्द एवं आम जनता ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर डूंगरी खुर्द पंचायत मुख्यालय के निवासियों को अन्य ग्राम में राशन हेतु जाने की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया गया।

(3) ग्राम रामपुरा, पंचायत डूंगरी खुर्द 1/2, तहसील-सांभर की उचित मूल्य दुकान के लिए श्री हनुमान सिंह पुत्र दुर्गासिंह, नि. रामपुरा, ग्रा. पं. डूंगरी खुर्द तहसील सांभर ने आवेदन किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रा.पं. मुख्यालय पर ही उचित मूल्य की दुकान सृजित की जाती है

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

जबकि आवेदक श्री हनुमान सिंह जो कि ग्राम रामपुरा का रहने वाला है ग्राम रामपुरा से राशन सामग्री वितरण करना चाहता था। बिन्दु संख्या-2 के उत्तर में वर्णित आधार पर उसके पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 26.9.96 को निरस्त कर दिया गया।

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा, नि. डूंगरी खुर्द को उक्त उचित मूल्य दुकान 11.12.96 को आवंटित की गई। उक्त डीलर द्वारा राशन सामग्री का वितरण ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द पर किया जा रहा है।

(4) उक्त ग्राम रामपुरा के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय डूंगरी खुर्द तहसील सांभर से ही राशन सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। ग्राम रामपुरा में राशन कार्डस की निर्धारित सीमा से कम यूनिट्स है इसलिए वर्तमान में कोई अतिरिक्त दुकान खोलने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सहकारी सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

673. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सहकारी सेवा के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कई प्रकार की कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो उप रजिस्ट्रार व उनके ऊपर के पदों पर कार्यरत किस-किस अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब से किस स्तर पर चल रही है? उन को दिये गये आरोप पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इतने लम्बे समय से कार्यवाही के विचाराधीन रहने के क्या कारण है तथा अब इनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। सहकारी सेवा के उप रजिस्ट्रार एवं इसके ऊपर के पदों पर कार्यरत कुछ अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. रूल्स के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कार्मिक विभाग स्तर पर विचाराधीन चल रही है। जिन अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं, उनका विवरण एवं आरोप पत्र की प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे जाते हैं। कार्मिक विभाग एक निश्चित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रकरणों का निस्तारण करता है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में समय सीमा का निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर का भू-खण्ड प्रकरण

674. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर का रजिस्ट्रेशन किया गया है? यदि हां, तो कब? रजिस्ट्रेशन की प्रति मय संविधान की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति द्वारा आगरा रोड स्थित पालड़ी मीणा में "वरुण विहार-ए" कालोनी में आवासीय भू-खण्डों का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो भू-खण्ड संख्या-41 से 70 तक के पट्टों की प्रति मय साइड प्लान (मानचित्र) तथा आवंटियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सहकारी समिति द्वारा उक्त कालोनी का साइड प्लान जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो साइड प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में प्लाट नं. 41, 48, 69, 70 के आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि., का रजिस्ट्रेशन दिनांक 31.7.1972 को रजिस्ट्रेशन क्रमांक 2544/एल पर किया गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं संविधान की प्रति परिशिष्ट "एक" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। भू-खण्ड संख्या-41 से 70 तक के आवंटियों की सूचि परिशिष्ट "दो" पर संलग्न है।

प्रशासक, शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर के पास उपलब्ध अभिलेखों की सूचनाओं के अनुसार पट्टों की प्रतियां एवं साइड प्लान की सूचियां उपलब्ध नहीं हैं।

(3) जी, नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस प्रकार के कोई साइड प्लान आदि जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित किया जाना नहीं बताया गया है।

(4) प्रशासक, शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर के पास उपलब्ध अभिलेखों की सूचनाओं के अनुसार प्लाट नं. 41, 48, 69, 70 के भू-खण्डधारियों द्वारा पूर्व पदाधिकारियों से भू-खण्डों का कब्जा लिया अथवा नहीं इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हैं। प्रशासक, शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि. के कार्यग्रहण करने के उपरान्त भू-खण्डधारियों ने इस बाबत कभी सूचना अथवा शिकायत प्रेषित नहीं की।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पेंशनरों को दवाई अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र

675. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) एवं **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग द्वारा, संचालित औषधि भण्डार से, पेंशनरों को चिकित्सकों द्वारा लिखी गई सभी दवाइयां समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिसके फलस्वरूप पेंशनरों को अपनी जेब से दवाइयां खरीदनी पड़ती है? क्या उक्त के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस संबंध में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की?

(2) क्या यह भी सही है कि वित्त विभाग के आदेश क्र.प. 1 (5) वित्त (नियम)/98 दिनांक 12.5.98 के अन्तर्गत योजना के पैरा 2-ए के तहत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दुकानों पर अधिकृत चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा डायरी में लिखी गई दवा उपलब्ध नहीं करवाने पर पेंशनरों को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रावधान किया था? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों की पालना कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कर दी जाएगी?

(3) क्या उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित मेडीकल की दवा भण्डारों में कई गबन के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। संघ की दुकानों पर एलोपैथिक औषधि उपलब्ध नहीं होने पर माह जुलाई, 1999 से, पेंशनरों को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाकर राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा अधिकृत 2 निजी दवाई विक्रेताओं से औषधि प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गई थी।

(2) इन दो निजी दवा विक्रेताओं से प्रारम्भ में 2 माह का अनुबन्ध किया गया था। उक्त अनुबन्ध की अवधि माह सितम्बर, 1999 में समाप्त हो जाने के उपरान्त इन निजी दवा विक्रेताओं द्वारा उक्त अनुबन्ध अवधि बढ़ाये जाने से सहमति व्यक्त नहीं करने के कारण राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा इस व्यवस्था को बन्द करनी पड़ी हैं।

(3) इस आशय का प्रस्ताव राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के विचाराधीन है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक जालौर में अनियमितता

676. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचोर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जनवरी 1, 1998 से जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कौन-कौन प्रबन्ध निदेशक रहे हैं?

(श्री हीरालाल विश्नोई)

(2) क्या उनके विरुद्ध विभाग को वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ?

(3) क्या प्राप्त शिकायतों पर जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्टों में दोषी ठहराये गये प्रबन्ध निदेशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि प्राप्त शिकायतों पर जांच नहीं करवायी गई है ?

(5) क्या सरकार अब जांच करवाकर दोषी प्रबन्ध निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1998 से जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. जालौर में निम्न अधिकारी प्रबन्ध निदेशक के पद पर पदस्थापित रहे हैं: —

क्र.सं.	नाम प्रबंध निदेशक	पदस्थापित अवधि
1.	श्री मदन लाल राठी	1.12.97 से 10.7.99 तक
2.	श्री जवाहर लाल परिहार	10.7.99 से लगातार

(2) जी, हां। श्री मदन लाल राठी के विरुद्ध अनेकों शिकायतें इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई हैं।

(3) जी, हां। श्री राठी के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर पंजीयक, सहकारी समितियां द्वारा जांच कराई जा रही है व जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक अनु-शासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां। दोषी पाये जाने पर जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, श्री मदन लाल राठी के विरुद्ध जांच रिपोर्ट में सिद्ध होने वाले आरोपों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

चूरू सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. का ऋण वसूली प्रकरण

677. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) दी चूरू सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. के अधिशासी अधिकारी ने विधान सभा क्षेत्र चूरू में कितने व्यवस्थापकों को ऋण वसूली में कमी रहने के कब-कब नोटिस जारी किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अभावग्रस्त घोषित गांवों से ऋण वसूली स्थगित कराने की सरकार ने घोषणा की थी ? यदि हां, तो चूरू में विशेषकर ऋण वसूल किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दी चूरू सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., चूरू के अधिशासी अधिकारी द्वारा ऋण वसूली में कमी रहने के कारण विधान सभा क्षेत्र चूरू के 18 व्यवस्थापकों को दिनांक 10.3.2000 को नोटिस जारी किये गये। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। चूरू बैंक द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार बिक्री या कुर्की करके किसी भी मामले में वसूली नहीं की गयी है। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

स्पिन फैड में पदोन्नति हेतु रिक्त पद

678. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार स्पिन फैड में बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या तथा इन पर व्यय होने वाली राशि पर अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि स्पिन फैड द्वारा सितम्बर, 1995 में सेवामुक्त किए गए अस्थाई कनिष्ठ लिपिक/टाइपिस्टों को सेवा में पुनः बहाल किये जाने के आदेश माननीय श्रम न्यायालय, जयपुर द्वारा दिए गये हैं? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(3) गंगापुर, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ की कताई मिलों के स्पिन फैड में समामेलन से पूर्व एवं पश्चात् में अब तक कुल कितने कनिष्ठ लिपिकों को किस दिनांक से तथा कितने समग्र/फिक्स वेतन राशि पर भर्ती किए तथा उक्त कर्मचारियों को किस दिनांक से कनिष्ठ लिपिक की निर्धारितं वेतन श्रृंखला दी गई?

(4) क्या यह सही है कि स्पिन फैड विभाग समग्र/फिक्स वेतन पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों को कनिषठ लिपिक की निर्धारित वेतन श्रृंखला दिये जाने का प्रयास कर रहा है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि स्पिन फैड (राज. राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि.) में लेखा, शीघ्रलिपिक, कनिष्ठ लिपिक, संवर्ग से पदोन्नति वाले काफी पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो इनको कब तक पदोन्नति द्वारा भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। स्पिन फैड में मुकदमों की संख्या कम करने व इसमें व्यय भार कम करने की दृष्टि से एक परिपत्र दिनांक 30.7.94 को जारी किया जाकर यह निर्देशित किया गया है कि जो मामले आपसी समझौते से समाप्त हो सकते हैं, उनकी समीक्षा कर विवाद सुलझा लिये जावें। विचाराधीन मुकदमों की समय-समय

(सहकारिता मंत्री)

पर समीक्षा की जाती है तथा आपसी समझौतों के द्वारा वाद सुलझाने के प्रयास किये जाते हैं।

(2) जी, हां। श्रम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट दायर की हुई है। प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

(3) कताई मिलों यथा गंगापुर, गुलाबपुरा एवं हनुमानगढ़ के स्पिन फैड में समामेलन के दिनांक 1.4.93 से पूर्व क्रमशः 29, 17 एवं 30 एवं समामेलन के पश्चात् क्रमशः 3, 1 तथा 500 कनिष्ठ लिपिक पदों पर (वर्तमान में कार्यरत) नियुक्ति दी गई है। इनकी नियुक्ति दिनांक तथा इन्हें कनिष्ठ लिपिक पद की निर्धारित वेतन श्रृंखला दिये जाने संबंधित सूचना का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(4) जी, नहीं। क्योंकि वर्तमान में स्पिन फैड में समग्र/फिक्स वेतन पर कोई कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत नहीं है।

(5) जी, हां। लेखा, शीघ्रलिपिक, कनिष्ठ लिपिक संवर्ग से पदोन्नति से भरे जाने वाले पद क्रमशः 5, 2 तथा 2 रिक्त है। भविष्य में आवश्यकता होने एवं वित्तीय स्थिति ठीक होने पर इन पदों को भरने पर विचार किया जायेगा।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति की श्रीराम वाटिका में शेष रहे व्यक्तियों को अन्यत्र प्लाट आवंटन

679. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महावीर हाउसिंग को-ओपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर रजिस्ट्रेशन नम्बर 2494/21 द्वारा श्रीराम वाटिका में प्लाट बेचने हेतु रजिस्ट्रेशन किया गया था? यदि हां, तो उक्त स्कीम में कुल कितने प्लाट थे और किस-किस को बेचे गये? ब्ल्यू मेप की प्रति व प्लाटवार खरीददारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बड़ी लाइन निकलने के कारण उक्त स्कीम में कुछ प्लाट कम कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने व जिनके प्लाट उक्त स्कीम में कम किये गये हैं उन्हें अब अन्य जगह प्लाट देने का समिति का कोई विचार हैं? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त स्कीम हेतु भूमि किस भाव से खरीदी गई व किस भाव से प्लाट बेचे जा रहे हैं? खसरा नम्बर व सूची नामवार एवं अब तक जमा कराई गई रकम प्लाटवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। महावीर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर का

(सहकारिता मंत्री)

पंजीयन समिति के सदस्यों की आवास सुविधा एवं आवास से संबंधित अन्य व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था। समिति से प्राप्त सूचना एवं समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1987-98 के अनुसार महावीर हाउसिंग सोसायटी लि., जयपुर द्वारा "श्री राम वाटिका" नाम की कोई स्कीम सृजित नहीं की है।

(2) जी, नहीं। महावीर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि. जयपुर से प्राप्त सूचना एवं समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1987-98 के अनुसार समिति द्वारा श्री राम वाटिका नाम की कोई स्कीम सृजित नहीं की है। न ही समिति द्वारा कोई प्लाट आवंटन किये गये हैं।

(3) महावीर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर से प्राप्त सूचना एवं समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1987-98 के अनुसार इस समिति द्वारा "श्री राम वाटिका" नाम को कोई स्कीम सृजित नहीं की गई है। अतः इस स्कीम हेतु भूमि खरीदने, प्लाट बेचने, खसरा नं. की सूची रखने एवं प्लाटवार रकम जमा कराने से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

जिला बाड़मेर/जैसलमेर के राहत कार्यों में अनियमितताएं

680. श्री अमीन खान (शिव) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष जिला बाड़मेर व जैसलमेर में राहत कार्यों में बनाई गई चारदीवारियां गिर गई है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या सरकार घटिया किस्म का काम करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला बाड़मेर, जैसलमेर में राहत कार्यों में बनाई गई कोई चारदिवारी नहीं गिरी है।

(2) कोई चारदिवारी नहीं गिरी है। अतः काम करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राहत कार्यों में मजदूरों की निर्धारित सीमा

681. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 15 मार्च, 2000 तक राज्य के किन-किन जिलों में कितने-कितने मजदूर अकाल राहत कार्यों पर लगाये जा चुके हैं?

(2) किस-किस जिले में उक्त अवधि तक कितने-कितने अकाल राहत कार्य शुरू किया जा चुके हैं?

(3) राज्य के किस-किस जिले में मजदूरों को लगाने की क्या-क्या अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं?

उत्तर

(1) 15 मार्च, 2000 तक राहत कार्यों पर लगाये गये मजदूरों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"क")

(सहायता मंत्री)

(2) उक्त अवधि में शुरू किये गये राहत कार्यों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–"क")

(3) मजदूरों को लगाने की निर्धारित श्रमिक सीमा का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"क")

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

ग्राम खेड़ा हनुमानजी-बीची (जयपुर) में राहत कार्यों के तहत सड़क निर्माण

682. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में जिला कलेक्टर, जयपुर के आदेश क्रमांक सहायता/अ.रा./प.1 (2) 99 / 3190 दिनांक 28.5.99 के द्वारा जिले में राहत कार्यों की स्वीकृति के आदेश प्रदान किये थे? यदि हां, तो उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेशों के तहत विधान सभा क्षेत्र फागी (जयपुर) की ग्राम पंचायत माधोराजपुरा के ग्राम खेड़ा हनुमानजी से ढाणी बेरवान राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला तक 02 किलोमीटर ग्रेवल सड़क की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है?

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय विधायक द्वारा उक्त सड़क को ग्राम खेड़ा हनुमानजी से ग्राम बीची तक 04 किलोमीटर तक बनाने के प्रस्ताव भेजे थे, जबकि इसके लिए मात्र 02 कि.मी. तक की ही स्वीकृति प्रदान की गई थी?

(4) क्या सरकार अब चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जा रहे अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत उक्त सड़क को ग्राम खेड़ा हनुमानजी से ग्राम बीची तक बढ़वाने की स्वीकृति प्रदान कर क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। स्वीकृत की गई 02 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) सड़क का प्रस्ताव प्राप्त होने पर केवल 2 कि.मी. तक ही सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी की गई, शेष 2 कि.मी. सड़क कार्य का निर्माण कार्य का तखमीना प्राप्त होने पर कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा अब राहत कार्यों पर 25% सामग्री मद में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस स्वीकृति के क्रम में उक्त कार्य का तखमीना प्राप्त किया जा रहा है संबंधित विभाग से तखमीना प्राप्त होते ही कार्य की स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

अलवर–किशनगढ़वास सड़क पर प्रदूषण से राहत

683. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर-किशनगढ़वास सड़क पर सरसों की फसल का भूसा का उपयोग कोई फैक्ट्री करती है? यदि हां, तो क्या इससे गर्दा, रेता उड़ता है और सड़क पर अन्धेरा छा जाता है तथा प्रदूषण फैलता है?

(2) क्या उक्त उद्योग को लगाने से पहले पर्यावरण की एन.ओ.सी. ले ली गई थी? क्या उक्त उद्योग ने ट्रीटमैन्ट प्लांट लगा लिया है? यदि नहीं, तो उक्त उद्योग को चलाने की इजाजत किसने दी?

(3) उक्त उद्योग में प्रदूषण निवारण मण्डल ने अब तक कितनी बार जांच की है तथा उसका क्या नतीजा रहा?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि अलवर–किशनगढ़वास सड़क पर स्थित औद्योगिक इकाई मैसर्स अलवर फ्यूम्स प्रा. लि. सरसों की फसल के भूसे का उपयोग करती है। इकाई द्वारा भूसे के प्रोसेसिंग के दौरान उसके कण उड़ते हैं। परन्तु उससे सड़क पर अंधेरा छा जाने के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इकाई से प्रदूषण फैलने की संभावना हो सकती हैं।

(2) उक्त इकाई द्वारा उद्योग लगाने से पूर्व मण्डल से स्थापना एवं संचालन हेतु सम्मति नहीं ली गई है। इकाई ने प्रोसेसिंग के दौरान उड़ने वाले भूसे के कणों की रोकथाम हेतु समुचित नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं की है।

(3) प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उक्त इकाई के दिनांक 5.8.98, 24.10.98, 3.2.99 एवं 28.3.2000 को किये गये निरीक्षणों के दौरान इकाई द्वारा प्रोसेसिंग के दौरान भूसे के कणों के उड़ने की रोकथाम हेतु समुचित नियंत्रण व्यवस्था किया जाना नहीं पाया गया। राज्य मण्डल ने इस इकाई को दिनांक 21.12.99 को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (अ) के अन्तर्गत मण्डल से सम्मति लेने, एवं भूसे के कणों को हवा में मिलने की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करने के बारे में नोटिस जारी किया है।

ग्राम दोराई (अजमेर) का प्रस्तावित बस स्टेण्ड

684. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर-ब्यावर मार्ग पर ग्राम दोराई के पास कोई लोकल बसों का रुकने के लिए बस स्टाप नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम दोराई से अजमेर बस स्टाप 8 किलोमीटर दूर है?

(3) क्या उक्त क्षेत्र के आस-पास पंचायत सोमलपुर, दोराई, खानपुरा एवं एच. एम. टी. कालोनी आबाद है? क्या

(श्री रमजान खान)

सरकार ग्राम दोराई के पास नया बस स्टाप बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। अजमेर-ब्यावर मार्ग पर स्थित ग्राम दोराई साधारण बसों के लिए निर्धारित बस स्टाप घोषित है।

(2) जी, हां। ग्राम दोराई से अजमेर बस स्टाप 8 कि.मी. दूर है।

(3) जी, हां। ग्राम पंचायत सोमलपुर एवं खानपुरा मुख्य मार्ग से हटकर स्थित हैं। वर्तमान में दोराई के पास नया बस स्टाप बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

आमेर से सांगानेर (जयपुर) हेतु निगम बस सेवा

685. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) मानसरोवर से पथ परिवहन निगम की बसें किस-किस रूट पर कितने-कितने समय के अन्तराल से चलती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि आमेर से सांगानेर वाया मानसरोवर होकर निगम की बसें नहीं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि स्वर्ण पथ (मानसरोवर) से बड़ी चौपड़ तक की यात्रा के मासिक पास बंद कर रखें हैं? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक चालू कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) मानसरोवर से परिवहन निगम द्वारा केवल दो मार्गों पर बसें संचालित की जा रही हैं जिनका मार्ग एवं अन्तराल समय दर्शाते हुए विवरण निम्नप्रकार है : —

क्र.सं.	मार्ग का नाम	अन्तराल समय
1.	अग्रवाल फार्म (मानसरोवर) से छोटी चौपड़ वाया विजय पथ-डालडा फैक्ट्री-दुर्गापुरा-सवाई मानसिंह अस्पताल।	20 मिनट
2.	मानसरोवर से विद्याधर नगर वाया स्वर्ण पथ–शिप्रा पथ-गूजर की थड़ी–गोपालपुरा मोड़-सवाई मानसिंह अस्पताल अजमेरी गेट-पीतल फैक्ट्री-शास्त्री नगर।	20 मिनट

इसके अतिरिक्त मानसरोवर होकर निम्न दो मार्गों पर बसें और संचालित हैं जिनका भी मार्ग एवं अन्तराल समय दर्शाते हुए विवरण निम्नप्रकार है : —

1.	राजापार्क से सांगानेर वाया मानसरोवर	1 घण्टा
2.	चांदपोल से सांगानेर वाया सोडाला–मानसरोवर	40 मिनट

उक्त मार्गों पर संचालित बसें प्रायः अपने नियमित समय के अन्तराल पर संचालित है परन्तु यदा-कदा अपरिहार्य कारणों से संचालन विघ्नित हो जाता है।

(यातायात मंत्री)

ये सेवाएं प्रातः 6.00 बजे से सायं 8.30 एवं 9.30 बजे तक संचालित होती है।

(2) जी, हां। आमेर से सांगानेर वाया मानसरोवर होकर पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध न होने, से निगम बस सेवा का संचालन वर्तमान में किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) जी, नहीं। मासिक पास की सुविधा कभी बन्द नहीं की गई, मासिक पास प्रत्येक माह की 27 तारीख से 5 तारीख तक पूर्व की भांति यथावत बनाये जा रहे हैं।

बारां से गरड़ा हेतु निगम बस सेवा

686. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां से रामगढ़ एवं बारां से गरड़ा सड़क का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त सड़कों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों को बारां से रामगढ़ एवं बारां से गरड़ा तक चलाने के लिए परमिट जारी करने में क्या कठिनाई आ रही है?

(3) उक्त मार्ग पर निगम की बसें कब तक चलाने का विचार है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। बारां से रामगढ़ एवं गरड़ा तक सड़क का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। वर्तमान में उक्त मार्ग के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) निजी वाहनों से प्रतिस्पर्धा होने के कारण पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने के कारण परिवहन निगम ने परमिट की मांग नहीं की है।

(3) वर्तमान में उक्त मार्ग पर निगम की बसें संचालित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आंधी-चांदराणा (जयपुर) हेतु निगम बस सेवा में सुधार

687. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें आंधी-चांदराणा (जयपुर) के लिए मांजी की छतरी से चलाई जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे अन्य चलाई जा रही बसों की तरह बड़ी चौपड़ से चलाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बस सवारियों की संख्या एवं ग्रामवासियों की आवश्यकता को देखते हुए उक्त बस सेवा प्रातः 6.30 बजे से चलाये जाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें आंधी से चांदराणा एवं फुटोलाव तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के लिए

(श्री रामगोपाल बैरवा)

किस-किस समय जयपुर से जाती/आती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यातायात व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के पश्चात् ही आंधी-चांदराणा जाने/आने वाली बसों का संचालन बड़ी चौपड़ से किया जाना सम्भव है।

(2) जी, नहीं। प्रातः 6.30 बजे बस सेवा को पर्याप्त मात्रा में यात्रीभार उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(3) आंधी से चांदराणा एवं फुटोलाव के लिए जयपुर से आने/जाने वाली बसों की समय सारिणी का विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

ग्राम खेजरोली (जयपुर) में संचालित अवैध वाहनों की रोकथाम

688. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के ग्राम खेजरोली के लिए जयपुर व चौमूं से प्रत्येक घण्टे से निगम की बस प्रस्थान करती है? यदि हां, तो अब क्यों बन्द कर दी गई?

(2) क्या ग्राम खेजरोली के लिए निगम की बसों का संचालन अवैध संचालन के कारण बन्द किया गया है? यदि हां, तो अवैध बसों के संचालन पर कब तक रोक लगा दी जायेगी? अब निगम की बसों का संचालन ग्राम खेजरोली के लिए पहले की तरह कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। पूर्व में जयपुर से खेजरोली होकर 12 एकल परिचक्र दैनिक एवं चौमूं से खेजरोली होकर दैनिक 4 एकल परिचक्र निम्नानुसार संचालित किये जा रहे थे: —

1. जयपुर-करीरी वाया चौमूं-खेजरोली — 6 परिचक्र
2. जयपुर-नांगल वाया चौमूं-खेजरोली — 2 परिचक्र
3. जयपुर-मुडरू वाया चौमूं-खेजरोली — 2 परिचक्र
4. जयपुर-विलान्दरपुर वाया चौमूं-खेजरोली — 2 परिचक्र
5. चौमूं-विलान्दरपुर वाया-खेजरोली — 4 परिचक्र

ये सेवाएं यात्रीभार की कमी के कारण बन्द कर दी गई थी। अब इन सेवाओं का संचालन दिनांक 18.4.2000 से पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

अचरोल-कूकस (जयपुर) हेतु संचालित निगम बस सेवा के बस स्टाप

689. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री सहदेव शर्मा)

(1) कस्बा अचरोल एवं कूकस (जयपुर) तक यात्रियों के आवागमन हेतु पथ परिवहन निगम की सिटी बसों की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थानों पर संचालित निगम की सिटी बसें अपने निर्धारित बस स्टाप पर रुकती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार यात्रीभार को देखते हुए उक्त कस्बों पर जयपुर-शाहपुरा से चलने वाली अन्य बसों हेतु बस स्टाप बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कस्बा अचरोल एवं कूकस नगर सीमा के बाहर होने के कारण सीटी बसें इस मार्ग पर संचालित नहीं हैं। अपितु उप नगरीय सेवाएं संचालित हैं। जिसके तहत दैनिक अचरोल के लिए 57 अप एवं 57 डाउन तथा कूकस के लिए 73 अप एवं 73 डाउन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन उप नगरीय सेवाओं के लिए कूकस एवं अचरोल निर्धारित स्टाप है।

(2) जी, हां। उक्त स्थानों पर संचालित वाहनें उनके निर्धारित बस स्टेण्डों पर रुकती है।

(3) जयपुर-शाहपुरा मार्ग पर संचालित सभी साधारण बसों के लिए कूकस एवं अचरोल निर्धारित बस स्टेण्ड है।

इनके अतिरिक्त प्रतापगढ़, अलवर, थानागाजी, मेड, घटवाडी, दन्ताला, मांजीपुरा मार्गों पर संचालित साधारण सेवाओं के लिए भी कूकस एवं अचरोल निर्धारित स्टेण्ड है।

पंचायत समिति-सांगोद/सुलतानपुर (कोटा) की प्रस्तावित सड़कें

690. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद (कोटा) की पंचायत समिति-सांगोद व सुलतानपुर के कौन-कौन से मार्गों पर ग्रेवल/डामर सड़क निर्माण कराया जाने का विचार है? चालू वर्ष में उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से मार्गों पर उक्त कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999-2000 में सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र में कितनी राशि किस-किस मद में कहां-कहां व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद (कोटा) की पंचायत समिति-सुल्तानपुर एवं सांगोद में निर्माण की जाने वाली सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इस वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कराये जाने का विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या-6 में अंकित है।

(2) पंचायत समिति क्षेत्र सांगोद में वर्ष 1999-2000 में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

गौण मण्डी छीपाबड़ौद (छबड़ा) पर योजनानुसार व्यय

691. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कृषि मण्डी छबड़ा की गौण मण्डी छीपाबड़ौद का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ ?

(2) उक्त मण्डी के निर्माण की योजना कितनी राशि की थी ?

(3) क्या प्रस्तावित योजनानुसार राशि व्यय कर दी गई है ? यदि हां, तो व्यय की गई राशि में क्या-क्या कार्य करवाये गये। यदि नहीं, तो वर्तमान में करवाये गये कार्यों की क्या लागत आयी है और क्या-क्या कार्य करवाये जाने शेष है ? शेष बचे कार्यों के लिए मण्डी द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही किस-किस दिनांक को की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी छबड़ा की गौण मण्डी छीपाबड़ौद का निर्माण कार्य दिनांक 12.9.96 को प्रारम्भ हुआ।

(2) इस परियोजना की लागत 63.71 लाख रुपये की थी। जो 1998-99 में संशोधन उपरांत 71.83 लाख रुपये की हो गई।

(3) जी, नहीं। गौण मण्डी यार्ड छीपाबड़ौद में यार्ड के पीछे की चारदीवारी को छोड़कर शेष कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। चारदीवारी कार्य प्रगति पर है, जो इस वर्ष पूर्ण होना संभावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

प्रश्न संख्या-380

(स्थगित)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : —

(1) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से बर (पाली) के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा सहायता विभाग के आदेशों की अवहेलना करने के संबंध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से टोंक शहर में दिनांक 19.2.2000 को हत्या के एक मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के संबंध में।

(3) श्री अमराराम (धोद) एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से घग्घर नदी पर किसानों द्वारा बांधे गये बंधे सिंचाई विभाग द्वारा तोड़े जाने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बोलने की व्यवस्था दीजिये। मैं आज इस पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं, आप जानते हैं...(व्यवधान)। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : मंत्री जी से जवाब तो दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलें। अंकित नहीं हो।

(1) श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां की सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में।

(2) श्री हीरासिंह चौहान एवं श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर की महत्वपूर्ण ग्रेवल्ड सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य की ओर से विश्वविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) प्रो. सांवरलाल, सदस्य की ओर से जिला अजमेर के कतिपय गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में।

बुधवार, 26 अप्रेल, 2000 को राज्य में पेयजल की स्थिति पर सदन में विचार होगा, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर उत्तर आया है...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह भयावह स्थिति हो रही है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह महत्वपूर्ण चर्चा है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार का बुलडोजर वहां तोड़ रहा है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी दें...(व्यवधान)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान एक तरफ अकाल से तबाह हो गया तथा बाकी बचा हुआ किसान, बिजली नहीं देने से उसकी फसलें तबाह हो गयी हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन के अंदर 80 पशु मारे जा चुके हैं।

श्री अमराराम (धोद) : घग्घर नहर टूटने के पश्चात् अब राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो किसान बचा था...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : 80 पशु मारे जा चुके हैं....(व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : मंत्री महोदय, आप इसकी तरफ....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए घग्घर नदी के 40 साल से जो बंधे....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, 80 पशु मारे जा चुके हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

श्री अमराराम (धोद) : घग्घर नदी के ऊपर, राजस्थान में जहां चावल पैदा होता है उनको राजस्थान की सरकार के सिंचाई विभाग के बुलडोजर तोड़ रहे हैं। सिंचाई मंत्री जी हैं नहीं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : चारे और पानी की वजह से 80 पशु मर गये हैं और मर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : केवल दो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला राजस्थान को सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करने के केन्द्र हैं....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : + + + (व्यवधान) मंत्री जी सर्किट हाउस में सोकर वापस आ गये हैं और सदन में यहां कोई आश्वासन नहीं देना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उनको तबाह करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आखिर सरकार की मंशा क्या है....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उनको तोड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए किसान तबाह होंगे, गांव तबाह होंगे, शहर तबाह होंगे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री आत्माराम मेघवाल। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मामला बड़ा गंभीर है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आत्माराम मेघवाल, सदस्य, की ओर से जिला पाली के विद्यावाड़ी खिमेल महाविद्यालय, रानी को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी व्यवस्था दी जा चुकी है, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से कोई जवाब तो दिलवाइये। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : + + + परसों बात हो रही है ना। (व्यवधान) परसों हो रही है ना....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : इसकी आज सूचना तक नहीं दी....(व्यवधान) सर्किट हाउस में सोकर चले आये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : परसों इस पर बहस है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आपके माध्यम से उत्तर मिला।

श्री उपाध्यक्ष : परसों इस पर बहस है ना....(व्यवधान) परसों बात कर लेना ना आप....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मरम्मत के लिए, स्वीकृति के लिए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : परसों बोलना ना आप....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : और इन्होंने उत्तर दिया है कि इसकी मजदूरी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया पहले मेरी सुन लें, आप बिराजें। (व्यवधान) आप बिराजिये ना....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं बैठा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो....(व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : कुछ तो बता दीजिये धौलपुर, बाड़ी के पशुओं के बारे में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिये ना। आप बिराजिये।....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : गलत उत्तर दिया है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गलत है तो उसका ज़वाब मिलेगा, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सड़क कार्यों की स्वीकृति के बारे में यह सड़क मंजूर क्यों नहीं की जिससे इसमें भेदभाव बरता जा रहा है और मुझे जो उत्तर दिया गया है....

श्री रामनारायण विश्नोई : यह मजदूर नहीं लगे हैं....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इसी तरीके से यह उत्तर है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप बैठिये तो सही। आप बैठो ना....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह क्या टेंडेंसी है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं ना आप इस पर और क्या बोलेंगे, बिराजिये आप।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आज तक पशु मर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये ना....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इसका सही जवाब....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनेंगे तब कहूंगा। सुनें तो सही। आप बिराजिये ना। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हीरासिंह चौहान : आप इस पर काग्निजेंस लीजिये, वाट इज दी सैंक्टिटी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ना, काग्निजेंस लेने का मौका देवें तब लूंगा। आप बोलेंगे तब कैसे लूंगा, आप बिराजिये ना...(व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर, बाड़ी में जो पशु मर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : लगातार मर रहे हैं, इसका ही जवाब दे दें कि पानी और चारे की व्यवस्था की जाएगी या नहीं की जाएगी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, गंभीर है। गंभीर है तभी तो ले रहे हैं इसको। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, चारा, पानी नहीं है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पशुओं के शव पड़े हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें...(व्यवधान) आप सबको यह जानकारी है कि परसों अकाल पर और पानी पर बहस होने वाली है...(व्यवधान) पूरी बात सुन लीजिये। आपने बहुत बोल लिया, अब तसल्ली से सुनें। दो रोज तक मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्य राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं दौरा करके पधारे हैं, पूरे राजस्थान का मंत्री महोदय दौरा करके आये हैं उसकी रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी। सरकार उस पर विचार करके ही तो कोई निर्णय लेगी। कल तक इसमें विचार हो जाएगा और परसों इस पर बहस है। इस पर डिसकस आप तब खूब कर लेना, बोल लेना, कौन रोकता है। इसमें अब प्रश्न क्या है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मामला...(व्यवधान) गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इस पर व्यवस्था नहीं होगी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रात को सब मंत्री महोदय लौटे हैं, इस शाम तक...(व्यवधान) कैबिनेट में करेंगे, मुख्य मंत्री जी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सारी रात चलकर माननीय मंत्री महोदय यहां लौटे हैं, विचार हो रहा है, आपको जवाब मिलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप आगे कार्यवाही तो चलने दें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो प्रश्न है इसमें रामप्रताप जी की पर्ची है, वह आ जाएगी तब आपको पता पड़ेगा...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल पर तो परसों चर्चा होगी। यह बात है लेकिन जो घग्घर नदी के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसी पर बात कह रहा हूं, आप समझें तो सही। अभी रामप्रताप जी ने एक पर्ची दी है इस प्रश्न पर, अभी वे बोलेंगे, आप उसको सुनना। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं वह मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, दो जिलों का है, उनको अगर बरबाद करने का ठेका...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार किसी को बचा नहीं सकती तो बरबाद करने का राइट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। ये बोलेंगे, उसके बाद में मंत्री जी चाहेंगे तो जवाब देंगे। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके बाद में बात करें। अब आप बिराजें। इसमें इश्यू सामने है ना...(व्यवधान) आपने उस दिन उठा लिया, राहत मंत्री के क्या...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप बोलने की अनुमति दें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने का समय आएगा तब तय करेंगे, अभी कैसे तय कर लें कि मैं आपको अनुमति दूंगा कि नहीं दूंगा। टाइम आएगा तब बात करेंगे। आप बिराजिये, प्लीज।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : चर्चा तीन दिन बाद होगी, तीन दिन के लिये क्या इंतजाम है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये माननीय सदस्य, आप क्या बोल रहे थे?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैं पूछ रहा हूं कि आपकी तीन दिन की व्यवस्था क्या है वहां पर? ...(व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : तीन दिन के लिए चारे पानी की व्यवस्था के लिए तो कुछ बता दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप चाहते थे कि इंतजाम कर लिया, मंत्री जी चाहते थे क्या...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : टोडाभीम नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या फरमा रहे हैं?

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जोधपुर जिले में पिछले चार दिन से लगातार जो बाजार बंद हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसको आप इस तरह से नहीं उठा सकते। यह बीच में ऐसे ही थोड़े आ जाएगा? आप बिराजें।.....(व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन से वहां पर सांप्रदायिक दंगों की संभावना बनी हुई है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार इसमें....(व्यवधान) श्री आत्माराम जी मेघवाल, सदस्य, की ओर से जिला पाली के विद्यावाड़ी खिमेल महाविद्यालय, रानी को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में (व्यवधान) यह अंकित नहीं हो।

श्री रामनारायण विश्नोई : ×××

श्री उपाध्यक्ष : (2) श्री रामस्वरूप, सदस्य की ओर से टोडाभीम में कॉलेज खोलने के संबंध में।

(3) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से डूंगरपुर के एस.बी.पी. महाविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में।

(4) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य की ओर से खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट का कथित निजीकरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य की ओर से टोडारायसिंह स्थित चारभुजा मंदिर में हुई चोरी के संबंध में।

(6) श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य की ओर से 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन मकराना में लोड फिक्स नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के विद्यालयों का क्रमोन्नयन मानदण्डों के अनुरूप नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से जालोर के बिलिसर एवं देवाड़ा गांव में पानी की समस्या के संबंध में।

(9) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जिला बारां में सरकारी सेवाओं एवं पंचायत राज चुनावों में आरक्षित वर्ग/जाति का आरक्षण कम करने के संबंध में।

(10) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से जिला अजमेर के ग्राम अजयसर में ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में।

(11) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला कोटा कि पंचायत समिति इटावा द्वारा ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पर स्टे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री गोवर्धन कल्ला, सदस्य की ओर से जैसलमेर नगर की कच्ची बस्तियों का नियमन करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले व्यवस्था दी थी उसके अनुसार मैं बैठ गया। मेरा स्थगन था....(व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी ना। आपका जवाब....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जवाब दिया है वह गलत आया है।

श्री उपाध्यक्ष : मिल गया ना जवाब, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है।

श्री हीरासिंह चौहान : उसकी क्या व्यवस्था हो गयी?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री आत्माराम मेघवाल।

श्री हीरासिंह चौहान : इसकी जांच कराने की व्यवस्था कराएं....(व्यवधान)

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया संबंधी नियम 295 के तहत माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, का ध्यान महिला शिक्षा की ओर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह परसों से संबंधित है....(व्यवधान)

श्री आत्माराम मेघवाल : पाली के विद्यावाड़ी खिमेल महाविद्यालय, रानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अकाल राहत विभाग से ही....मैं आता हूं आपके पास.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री आत्माराम मेघवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

देसूरी के विद्यावाड़ी खिमेल गांव में स्थित कन्या महाविद्यालय को अनुदान की स्वीकृति

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र देसूरी, जिला पाली के विद्यावाड़ी खिमेल गांव में एक मात्र आवासीय लीलादेवी पारसमल संचेती कन्या महाविद्यालय गत पांच वर्षों से संचालित हो रहा है। महाविद्यालय पूरी राजकीय शर्तों एवं नियमों की अनुपालना करते हुए ग्रामीण क्षेत्र खिमेल में नारी शिक्षा के कार्य में लगा हुआ है। महाविद्यालय में कला संकाय में 8 विषय एवं वाणिज्य संकाय में तीन विषयों का अध्ययन योग्यताधारी प्राध्यापकों से निर्बाध रूप से चल रहा है। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की परीक्षाओं में यहां की छात्राओं का परीक्षाफल भी उच्चतर रहा है। अनुदान सूची में आने के लिए महाविद्यालय की सभी पूर्तियां भी विभाग द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। स्थायी मान्यता का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हो गया है। नारी शिक्षा को समर्पित मरुधर महिला शिक्षा संघ अभी तक समस्त खर्चा विकास कार्यों के साथ उठा रहा है। अब पांचवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद महाविद्यालय का खर्चा इतना बढ़ गया है

(श्री आत्माराम मेघवाल)

कि विकास कार्यों में लिया गया धन भी इस संस्था के वेतन चुकाने में खर्च होता जा रहा है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर महाविद्यालय को राज्य सरकार की अनुदान सूची में शामिल कर नियमानुसार अनुदान स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

टोडाभीम में महाविद्यालय की स्थापना

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि करौली जिले के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम में आज तक कोई कॉलेज नहीं खोला गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के छात्रों को इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए 80 किलोमीटर दूर करौली या दौसा जाना पड़ता है। छात्राओं को तो विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। टोडाभीम की छात्राओं को दोष ही नहीं देते हैं और न ही छात्रों को देते हैं। इससे उनका जीवन खराब तो रहता ही है, कई बार तो उनको आत्महत्या को मजबूर होना पड़ता है।

मेरा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है और सरकार इस वर्ग को विशेष प्रोत्साहन देना चाहती है। परन्तु दुःख की बात है कि मेरे क्षेत्र को अभी तक कॉलेज नहीं मिला। भूमि का सर्वे भी डाइरेक्टर महोदय ने कर लिया है। सरकारी भूमि निःशुल्क प्राप्त है। भाजपा शासन काल में मैंने इस मांग को रखा था और इसी सदन में मैंने 50वां धरना कॉलेज के लिए दिया था पर अनुसूचित जनजाति विरोधी सरकार ने मेरी मांग को स्वीकार नहीं किया। वो जानती थी कि इनके यहां कॉलेज खोला तो कांग्रेस जीत जाएगी पर इनकी वहां जमानत जब्त हुई और कांग्रेस जीती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, आपको और पढ़ने नहीं दूंगा इसके अलावा।

श्री रामस्वरूप : अब मेरी सरकार है, यह पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहती है इसलिए मेरी इस मांग पर अवश्य गौर फरमाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी–(अनुपस्थित)। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

झुंझुनूं स्थित खेतड़ी कापर काम्प्लैक्स के निजीकरण का प्रोटेस्ट

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि खेतड़ी कॉपर काम्प्लैक्स झुंझुनूं जिले में भारत सरकार का एकमात्र बड़ा कारखाना है जिसमें जिले के ही लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत हैं, तथा प्रत्यक्ष एवं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अप्रत्यक्ष रूप से जिले की लगभग एक लाख जनता का जीवन-यापन होता है। यहां पर स्थित अस्पताल आसपास की जनता के काम आता है क्योंकि जिले में आसपास इतनी सुविधा वाला अन्य कोई अस्पताल नहीं है। यहां के कर्मचारियों द्वारा अल्पबचत में करोड़ों रुपयों का निवेश किया जाता है। काम्प्लैक्स से हर माह करीब 7 करोड़ रुपए वेतन आदि के रूप में दिया जाता है जिसका जिले की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। यदि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लैक्स का निजीकरण किया जाता है तो जिले में बेरोजगारी, क्रय शक्ति में कमी तथा जिले के विकास पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड खान एवं खनिज मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की "ए" शिड्यूल कम्पनी है। कम्पनी की मुख्य गतिविधियां ताम्र अयस्क का गवेषण, खनन, सज्जीकरण, प्रक्षालन, परिशोधन और ढलाई कर परिशोधित ताम्बे का बिक्री योग्य उत्पाद के रूप में उत्पादन करना है।

सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय भारत सरकार को तांबे के महत्व का एहसार हुआ क्योंकि इसका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता था। युद्ध के अलावा विद्युत, कृषि एवं संचार क्षेत्र में तांबे के महत्व की ही वजह से सन् 1967 में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत की गई।

हिन्दुस्तान कॉपर की शुरूआत खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लैक्स, राजस्थान से की गई थी। सन् 1975 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसे देश को समर्पित किया था तथा इण्डियन कॉपर कॉर्पोरेशन का राष्ट्रीयकरण कर इसे भी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को सौंप दिया था। उदारीकरण से पहले हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की वित्तीय परफार्मेंस अच्छी थी, प्लांट में 100 से 106 प्रतिशत तथा खदानों में 95 से 100 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा था मगर तांबे के आयात शुल्क में कमी के कारण विदेशी तांबे से असमान प्रतिद्वंद्विता प्रारम्भ हो गई। विदेशों में 80 प्रतिशत ओपन कास्ट माइन्स हैं जबकि अपने देश में 90 प्रतिशत अण्डर ग्राउण्ड माइन्स हैं। तांबे के आयात शुल्क की छूट देकर, आयात शुल्क 140 प्रतिशत से घटाकर मात्र 35 प्रतिशत कर देने से कम्पनी का लाभ घाटे में परिवर्तित हो गया।

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए कुल निवेश का केवल 2 प्रतिशत से भी कम राजस्थान मे हैं।

माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज की जयपुर इकाई को बहुराष्ट्रीय कम्पनी को बेच दिया है, कोटा के इन्स्ट्रूमेंटेशन एवं एच.एम.टी., अजमेर की हालत खस्ता है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अलावा राजस्थान में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में ही केन्द्र सरकार का निवेश है।

दिसम्बर, 1999 में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने खेतड़ी कॉपर काम्प्लैक्स के निजीकरण का फैसला किया है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार को इस कॉम्प्लैक्स से विभिन्न टैक्सों के रूप में 150 करोड़ रुपए मिलते हैं।

कॉम्प्लैक्स के निजीकरण की कार्यवाही से आसपास की जनता एवं कर्मचारी सदमे में हैं। इस कारखाने का मूल्य ग्लोबल एडवरटाइजर ने 600 करोड़ (तलोजा) सहित आंका है जबकि आज ऐसा कारखाना 4000 करोड़ से कम में नहीं बन सकता।

अतः मेरा निवेदन है कि जैसे आंध्र प्रदेश में सरकार ने अपनी एक इकाई के निजीकरण के खिलाफ प्रोटेस्ट करके उसका निजीकरण रोका, उसी प्रकार राजस्थान सरकार भी इस कारखाने का निजीकरण नहीं करने दे, क्योंकि यह यूनिट लाभ में चल रही है।

टोडारायसिंह स्थित चारभुजा मंदिर में हुई चोरी के सामान की बरामदगी

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत टोडारायसिंह जिला टौंक में स्थित चारभुजा के मंदिर में 11 जनवरी, 2000 को हुई चोरी के संबंध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 11 जनवरी, 2000 को टोडारायसिंह कस्बे के बीचोंबीच स्थित चारभुजा जी के मंदिर में लगभग 8 किलो चांदी तथा दो तोले सोने के निम्नांकित जेवर तथा 200 रुपये नकद चोरी हो गई। इस बाबत तीन माह में न तो कोई प्रभावी कार्यवाही हुई और न ही बरामदगी की गई है, उससे जनता में रोष व्याप्त है।

1. दड़ी नग 4 चांदी की लंबाई साढ़े 5 फीट (2) छतर नग 4 (3) मुकुट चांदी के 4 नग (4) आरती चांदी की 2 (5) कलश चांदी का, गिलास 2 चांदी के, कटोरा। (6) चांदी का कड़ा नग 2 (7) पायजेब जोड़ी 2 चांदी की (8) कुण्डल सोने का (9) 2 हजार चांदी के सोने की पालिश के (10) सोने की नथ (11) चांदी की लड़ (12) चंग चांदी का (13) गाय चांदी की 2 (14) नकद राशि 200 रुपये।

अतः उपरोक्त सोने-चांदी के जेवरात एवं नगद राशि उच्च स्तरीय कार्यवाही कर अपराधियों को पकड़ कर बरामद की जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीणा जी, अपने मैम्बर बोलें तो भी नहीं सुनना चाहते आप, कमाल है आपका! क्या है यह। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : गृह मंत्री महोदय तो हैं नहीं, उद्योग और वित्त मंत्रीजी वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जिस समस्या को बता रहे हैं उस क्षेत्र के मंत्री स्वयं कहें।

श्री रतन लाल ताम्बी : यही मैं निवेदन कर रहा हूं कि अभी हाल ही में मैं वहां गया हूं, काफी लोगों में असंतोष है। वह महत्वपूर्ण मंदिर है इसलिए मैं उद्योग व वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि

(श्री रतन लाल ताम्बी)

गृह मंत्रीजी से आप सम्पर्क स्थापित करें। शायद् वहां से लोग आने वाले भी हैं, इसलिए इस पर कार्यवाही करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल चौहान–(अनुपस्थित), श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पिछले 10 वर्षों से विद्यालयों के क्रमोन्नयन में राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुरूप क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना नागौर जिले का जनसंख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा विधान सभा क्षेत्र है तथा इस विधान सभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में केवल 2 माध्यमिक विद्यालयों को ही सीनियर माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। भैरूंदा, डीडियाना, आलनियावास आदि ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 8 हजार से अधिक है तथा सन् 1988 के पूर्व से ही यहां पर माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं। प्रति वर्ष इनके क्रमोन्नयन के बारे में लिये जाने के बावजूद अभी तक इन माध्यमिक पाठशालाओं का क्रमोन्नयन नहीं किया गया है। इसी प्रकार मेवड़ा, बुटाटी, थांवला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका, हरसौर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका, ढाणीपुरा आदि में आबादी 4000 से 10000 है फिर भी अभी तक इन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। इसी प्रकार से मॉडल जोधा, डेगाना गांव, किरोदा, ईग्यासनी, डाबोली मीठी, बंवरला, चुई, चुआ, नथावड़ा, राजोद, रामसरी, निम्बोला, बच्छवारी आदि अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर आबादी और छात्र/छात्राओं की संख्या अधिक है, भवन पर्याप्त है फिर भी अभी तक उच्च प्राथमिक स्तर तक ही विद्यालय कार्यरत है। इसी प्रकार से सुरपुरा, सूरजगढ़, भादवासी, देवलामादा, डुकियासर आदि अनेक ऐसे बड़े गांव हैं जहां पर जनसंख्या, छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक है फिर भी प्राथमिक विद्यालय ही कार्यरत है।

सरकार की नीति के अनुसार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अधिक कन्या पाठशालाएं खोलने तथा क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान है, परन्तु खेद का विषय है कि इतने बड़े विधान सभा क्षेत्र में अभी तक केवल एक कन्या सीनियर माध्यमिक विद्यालय है तथा केवल 8 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं। क्रमोन्नयन के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ग्राम की जनसंख्या अंतिम कक्षा की छात्र संख्या, कुल छात्र संख्या, फीडर प्राथमिक विद्यालय, जन प्रतिनिधियों की मांग आदि सारी शर्तों को ये उपरोक्त गांव पूर्ण करते हैं फिर भी इन गांवों की पाठशालाएं अभी तक क्रमोन्नति के लिए तरस रही हैं इसके लिए प्रतिवर्ष लिखा जाता रहा है फिर भी मानदण्डों को दरकिनार कर दूसरी छोटी जगह पर शालाओं को क्रमोन्नत किया

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

जाता रहा है जिसकी वजह से बड़े कस्बों और बड़े गांवों के छात्र-छात्राएं आगे की पढ़ाई से वंचित रहते आ रहे हैं, जिससे उक्त गांवों के लोगों में आक्रोश है। अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि विद्यालयों के क्रमोन्नयन में बगैर भेदभाव के अधिक से अधिक शालाओं को क्रमोन्नत कर ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को लाभान्वित करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

जालौर क्षेत्र के कतिपय गांवों में पानी की समस्या

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जालौर क्षेत्र के देवाड़ा गांव, बिबलसर गांव, आकोली गांव की पानी की समस्या के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। बिबलसर गांव एवं देवाड़ा गांव में पानी की बड़ी किल्लत है, पानी जहां से मिलता है वह पर्याप्त नहीं है। अतः इन दोनों गांवों में मोगड़ा में बने ट्यूबवैल से दिया जाए। गर्मी का मौसम है, यदि समय रहते इन गांवों को पानी नहीं दिया तो स्थिति भयंकर हो सकती है। मोगड़ा में ट्यूबवैल इन गांवों के लिए ही है।

गांव आकोली को जो पानी दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं है। लोग रात को, दिन को इधर-उधर से दूर-दूर से कुओं से पानी लाते हुए देखे जा सकते हैं। आकोली-बागरा के बीच में दो ट्यूबवैल खोदे गये हैं, उसमें से एक ट्यूबवैल से पानी आकोली गांव को दिलवाने की व्यवस्था करावें।

मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि उपरोक्त गांवों में वहां की जनता की मांग के अनुसार व्यवस्था करावें ताकि पानी की समस्या का समाधान हो सके। मैं यही आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

बारां जिले में विभिन्न वर्गों को आरक्षण के प्रतिशत में कमी से उत्पन्न स्थिति

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत बारां जिले में आरक्षित वर्ग/जाति का सरकारी सेवाओं व पंचायती राज चुनावों में आरक्षण करने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान में आरक्षण की व्यवस्था यहां के आरक्षित वर्ग/जाति की संख्या के अनुपात में शुरू से ही की गई है। राजस्थान के अनुसूचित जाति 17 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 12 प्रतिशत व अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 21 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति / जनजाति का आरक्षण

(श्री मदन दिलावर)

निरन्तर चला आ रहा था तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण माननीय शेखावत साहब की सरकार ने लागू किया था। परन्तु अपने आपको अन्य पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति/जनजाति की मसीहा कहने वाली कांग्रेस सरकार ने बारां जिले में अनुसूचित जाति का आरक्षण 8 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण 10 प्रतिशत कर वहां के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात व अन्याय किया है। इसके कारण बारां जिले के आरक्षित वर्ग काफी आक्रोशित हैं।

सरकार नौकरियां तो दे ही नहीं रही, परन्तु इसके बावजूद आरक्षण कम कर उनको अपमानित करने का कार्य कर रही है। यही नहीं, पंचायती राज चुनावों तक में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कम कर 21 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक लाकर अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को चुने जाने से रोककर जानबूझकर अन्याय किया है।

महोदय, बारां जिले की अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा जिससे आप ऐसा अत्याचार व अन्याय कर रहे हो? ऐसा लगता है वहां की सांसद श्रीमती वसुंधराजी व रघुवीर सिंहजी के विजयी होने से सरकार काफी आक्रोशित है। इससे बौखलाकर इस सरकार ने अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े लोगों के साथ यह अन्याय किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रमजान खान। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें। श्री रमजान खान। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जनता चुप नहीं बैठेगी और सरकार से इसका बदला लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप ले लेना बदला, जिस समय आये। अभी तो हमारा नम्बर है। माननीय श्री रमजान खान।

अजमेर जिले के ग्राम अजयसर में स्वीकृत ट्रांसफार्मर की स्थापना

श्री रमजान खान (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के ग्राम अजयसर में ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, निवेदन है कि ग्राम अजयसर में घरों में विद्युत कनेक्शन देने के लिए नये ट्रांसफार्मर की दिनांक 10.5.96 को अधीक्षण अभियंता, अजमेर ग्रामीण के कार्यालय से स्वीकृति हुई थी जिसमें खम्भे लगाने का कार्य भी सम्मिलित था। इस पूरे कार्य को करवाने के लिए दिनांक 23.3.99 को टेंडर आमंत्रित कर स्वीकृत किये गये थे। जिस ठेकेदार के नाम टेंडर हुए थे उससे ग्रामवासियों ने सम्पर्क किया तो उसने बिजली विभाग, अजमेर के स्टोर से खम्भे लाने में तथा खम्भे खड़े करने हेतु

(श्री रमजान खान)

गड्ढे खोदने के बिजली विभाग से वाहन और मजदूर नहीं मिलने की शिकायत की, इस पर ग्रामवासियों ने सहायक अभियंता, अजमेर ग्रामीण से सम्पर्क करके वाहन तथा मजदूर दिलाने हेतु निवेदन किया परन्तु सहायक अभियंता ने वाहन एवं मजदूर नहीं होने का बहाना बनाकर ग्रामवासियों से कहा कि यदि बिजली लगानी है तो आप लोग खुद खम्भे ले जाओ और खड्डे भी खुद खोदो।

ग्रामवासियों ने मजबूर होकर ट्रैक्टर किराये करके खम्भे और ट्रांसफार्मर खुद अपने खर्चे से ले जाकर खम्भे लगाने के लिए ठेकेदार के कहे अनुसार खड्डे भी खोद दिये। इस कार्य को किये हुए भी एक वर्ष बीत गया। आज भी साइड पर खड्डे खुदे हुए हैं और खम्भे-ट्रांसफार्मर यों ही पड़े हुए हैं जिनकी देखभाल करने वाला नहीं है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि 4 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुए इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा–(अनुपस्थित), श्री गोवर्धन कल्ला।

जैसलमेर नगर की कच्ची बस्तियों का नियमन

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में नगरपालिकाओं की कच्ची बस्तियों का नियमन हो रहा है जबकि जैसलमेर नगर की कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं किया जा रहा है जिसका कारण पर्यटन नगरी होना बताया है। पर्यटन की दृष्टि से जैसलमेर नगर का कुछ हिस्सा ही संरक्षित है जबकि ये कच्ची बस्तियां पर्यटन स्थल से बहुत दूर है। ये कच्ची बस्तियां गत 20-30 वर्षों से बसी हुई हैं जहां सभी नागरिक सुविधाएं सुलभ करायी गयी है। इन कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण राज्य सरकार के आदेशों से हो चुका है परन्तु जिला प्रशासन को नियमन के आदेश नहीं दिये गये।

अतः माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन है कि जैसलमेर नगर की कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु जिला प्रशासन को आदेशित करवाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

इटावा पंचायत समिति द्वारा स्टे जारी करने से सरपंचों को निर्माण कार्य में हो रही परेशानी

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत पंचायत समिति इटावा जिला कोटा द्वारा सरपंचों को परेशान कर स्टे जारी करने के

(श्री रामगोपाल बैरवा)

सम्बन्ध में माननीय पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, पंचायत समिति इटावा जिला कोटा द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंचों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। गत माह में ग्राम पंचायत नीमोला के द्वारा निर्मित दुकानों के निर्माण कार्य को शुरू होने के बाद स्टे देकर कार्य रोक दिया गया। अयानी ग्राम पंचायत के द्वारा सांसद फण्ड से स्वीकृत कमरा निर्माण कार्य को दासा लेबल होने के बाद भी स्टे जारी कर कार्य बन्द करने के लिए कहा गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत केथोदा के द्वारा भी बनाये जा रहे दुकान निर्माण कार्य को बन्द करने का स्टे जारी किया गया। इस सारी कार्यवाही से आज सभी सरपंचों के सामने काम करने में परेशानी हो रही है। यदि इसी प्रकार की कार्यवाही पंचायत समिति के द्वारा जारी रखी गयी तो मजबूर होकर सभी सरपंचों के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं करवाने तक मजबूर होना पड़ेगा।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि समस्त सरपंचों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए पंचायत समिति द्वारा दिये गये स्टे को निरस्त कर कार्य शुरू करवाने का आदेश जारी करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

निजी क्षेत्र के डेंटल व फार्मेसी कालेजों के माध्यम से हो रही अनियमितता

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान निजी क्षेत्रों के अन्दर मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज, फार्मेसी कालेज और इन कालेजों के माध्यम से होने वाले भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्षजी, अभी विनायक डेंटल कालेज जिसकी चर्चा मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने की थी, उसके आरोपों की स्याही सूखी भी नहीं थी कि राजस्थान के अन्दर दर्शन डेंटल मेडिकल कालेज, उदयपुर का प्रकरण सामने आया। उपाध्यक्ष महोदय तकलीफ इस बात की है कि दर्शन डेंटल मेडिकल कालेज का उद्घाटन 2.10.99 को राजस्थान के मुख्य मंत्री करते हैं। इसको उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की नासमझी कहूं या जानबूझकर किसी षड्यंत्र का तानाबाना, जिस दिन मुख्य मंत्री इस डेंटल कालेज का उद्घाटन करते हैं उस दिन इस कालेज के पास डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया की कोई अनुमति नहीं, रिकोग्नाइजेशन नहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय से रिकोग्नाइजेशन नहीं, मात्र सरकार ने एक एन.ओ.सी. दी और उस एन.ओ.सी. के आधार पर मुख्य मंत्री उद्घाटन करने पहुंच गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अन्दर कौन-सा समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय में है और कौन-सा नहीं, यह सरकार ने एक नई प्रक्रिया और प्रारम्भ कर दी। अल्पसंख्यक आयोग को यह अधिकार दे दिया कि वह जिसको सर्टिफाई कर दे वह शिक्षण संस्था अल्पसंख्यक समुदाय की मानी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का अल्पसंख्यक आयोग 16 सितम्बर, 99 को यह प्रमाण पत्र जारी करता है, नम्बर हैं, 1828/सी/आर.एम.सी./99 डेटेड 16 सितम्बर, 1999 और यह सर्टिफाई करता है कि यह दर्शन डेंटल मेडिकल कालेज जो चेन्नई के एक उद्योगपति के द्वारा लाभ कमाने की दृष्टि से स्थापित किया जा रहा है, यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको यह प्रमाण पत्र मिलते ही जो पूरी 100 सीटें इसमें हैं उसमें से 50 सीटें जो एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको चला रहा है उसकी हो जाती है, मैनेजमैंट कमेटी के पास 50 सीटें हो जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसी दिन अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं, चिट्ठी लिखते हैं मुख्य मंत्री को, पत्र क्रमांक है 1829 और कहते हैं कि दर्शन डेंटल कालेज के अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यों को देखते हुए इसको अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए। कितना विरोधाभास है, उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह सरकार काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांच महीने बाद यही अल्पसंख्यक आयोग जो पहले प्रमाण पत्र जारी करता है, वह अपने प्रमाण पत्र को विथड्रा करता है। उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह के हालात हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार यह कहती है, मैंने पूछा है कि क्या कालेज में प्रवेश सम्बन्धी अनियमितताओं की शिकायत सरकार को मिली है? यदि हां, तो क्या अनियमितताएं हुई हैं, उन पर क्या कार्यवाही हुई है? उत्तर मिलता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उदयपुर में स्थापित होने वाले दर्शन डेंटल मेडिकल कालेज के विरुद्ध अधिक धनराशि लेकर प्रवेश देने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, उदयपुर से जांच करवायी गयी। कालेज के प्रबंधक; ट्रस्टी से स्पष्टीकरण मांगा गया और ट्रस्टी ने अवगत करा दिया कि उन्होंने किसी भी छात्र से धनराशि नहीं ली है और न ही प्रवेश दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जांच की बात मात्र ट्रस्टी जो इस कालेज को चला रहे हैं उनके स्पष्टीकरण के बाद ठण्डे बस्ते में डाल दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि इसके पश्चात् यह सारा मामला जाता है डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया में एक राधेश्याम जो विद्यार्थी है वह शिकायत करता है। वह शिकायत इस बात की करता है कि मुझसे 10 लाख से ज्यादा की राशि कालेज में प्रवेश के नाम पर ली गयी। जब उसकी जांच पूरी होती है, उपाध्यक्ष महोदय, तो सबसे बड़ी बात यह सामने आती है कि दो मार्च को राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा कहते हैं कि हमने पहले नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, वह नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम विथड्रा करते हैं। मतलब राजस्थान की सरकार ने पहले एन.ओ.सी. दी और एन.ओ.सी. के पश्चात् जो यह सारा प्रकरण सामने आया तो दो मार्च को यह विथड्रा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य मंत्रीजी जिस डेंटल कालेज का उद्‌घाटन करने चले गये, माला पहनकर आ गये, उसी मेडिकल कालेज को सरकार ने जो एन.ओ.सी. दी और फिर उसको विथड्रा किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री के पद की सैंक्टिटी है। राजस्थान के लोगों ने जब देखा कि एक डेंटल कालेज का मुख्य मंत्री उद्‌घाटन कर रहे हैं, वहां कितने लोग अपने बच्चों के प्रवेश के लिए गये और वहां के मैनेजमैंट ने कितने लोगों से कितनी राशि ली। यह सब मामला जांच का विषय है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे मामलों की निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए कि मुख्य मंत्रीजी उसका उद्‌घाटन करते हैं जिसके पास डेंटल कौंसिल ऑफ इण्डिया की अनुमति नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एफिलिएशन नहीं है और उसके पश्चात् अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यह कहते हैं कि यह संस्था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था की श्रेणी में आती है। उपाध्यक्ष महोदय, वही पांच महीने बाद अपने दिये गये प्रमाण पत्र को विथड्रा करते हैं। किस तरह की आपाधापी हो रही है इस शासनकाल के अन्दर। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बात नहीं, यह एक रैकेट बन गया है।

मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि संजीवनी कालेज फार फार्मेसी है। उपाध्यक्ष महोदय, 1998 में प्री फार्मेसी टैस्ट होता है, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर इस टैक्ट को लेता है। बच्चों को भर्ती किया जाता है, 40 बच्चे बी-फार्मा में, 60 बच्चे डी-फार्मा में। उसके पश्चात् इसमें जो पेमेंट सीट हैं उनमें बी-फार्मा के लिए लिये जाते हैं ढाई लाख रुपये और डी-फार्मा के लिए जाते हैं 80 हजार। पढ़ाई प्रारम्भ नहीं होती क्योंकि वहां न लाइब्रेरी है, न लैब है और फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया के अनुसार 13 टीचर होने चाहिए लेकिन वहां मात्र एक टीचर है। 20 परसेंट कोर्स नहीं होता है। वहां के विद्यार्थी आठ बार मुख्य मंत्रीजी से मिलते हैं, 9 बार वहां के विद्यार्थी हैल्थ मिनिस्टर से मिलते हैं और कहीं न्याय नहीं मिलता तब न्यायालय में जाकर वाद दायर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् जो आंदोलन शुरू होता है तो 31.3.2000 को सिंडिकेट के सामने प्रकरण आता है और सिंडिकेट अपनी टीम भेजती है। जब टीम भेजती है तो वहां पता लगता है कि न वहां स्टाफ है, न लाइब्रेरी है, न वहां उपकरण हैं और उस टीम की रिकमंडेशन के आधार पर फिर यह सरकार का फैसला। छात्र यह कहते हैं कि ऐसी शिक्षण संस्था में जहां हमसे फीस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ले ली, यहां उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। उनका भविष्य भी अंधकार में है। इस शिक्षा के हालात क्या बनेंगे? अब बहुत बड़ी बात मुख्य मंत्रीजी करते हैं, कम्प्यूटर की शिक्षा को बढ़ाने की कहते हैं। मास्टर डैन कम्प्यूटर एप्लीकेशंस एम.सी.ए. में प्रवेश होते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रतियोगी परीक्षा लेती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने सब्जैक्ट से डिटेल मत होवो, आई विल नोट अलाउ। प्लीज, नहीं, नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के अंदर....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, कोई इंडिया इंटरनेशनल नहीं है, हिन्दुस्तान है। बिराजो आप। श्री रमजान खानजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाता है। उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ इस बात की है कि डेढ़ साल व्यतीत होने के पश्चात् भी उन विद्यार्थियों के एग्जाम नहीं होते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री रमजान खानजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो डेंटल.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खानजी, आप बोलना चाहते हो? (व्यवधान) बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने उसका उद्घाटन किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। यह अंकित नहीं हो। यह अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खानजी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री खेमराज कटारा : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खानजी, बोलिये, (व्यवधान) माननीय दिलावरजी, बिराजो। (व्यवधान) काहे की बहस हो जाए? बिराजो आप। (व्यवधान) बिराजो, बिराजो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : इस्तीफा कोई नहीं देता है। आज तक किसी ने नहीं दिया। बिराजो आप। (व्यवधान) कहते बहुत हैं लेकिन आज तक तो किसी ने इस्तीफा दिया नहीं। बिराजो। माननीय रमजान खान जी। आर्डर-आर्डर।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

जयपुर स्थित जनाना अस्पताल में भर्ती मरीजा एवं उसकी परिवारिका के साथ एक पुरुष डाक्टर द्वारा की गयी बदसलूकी

श्री रमजान खान (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकरण का मैं आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, वह बहुत ही सीरियस मामला है और चिकित्सा से सम्बन्धित है। अगर इस समय चिकित्सा मंत्रीजी हाउस में होते तो बहुत ही अच्छा रहता। परन्तु फिर भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमती सुलताना बानो पत्नी मुबारक खां निवासी रोलसाहबसर के कुछ तकलीफ हो गयी थी तो वह अपने पीहर कुचामनसिटी में इलाज कराने के लिए गयी। उपाध्यक्ष महोदय, कुचामनसिटी में उसे हास्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां के डाक्टर ने यह कहा कि थोड़ा सीरियस मामला है, इसका यहां पर इलाज नहीं हो सकता इसलिए एस. एम. एस. हास्पिटल, जयपुर जाकर इसका इलाज करवाओ। वह अपने पति, भाई और भाभी के साथ जयपुर में आयी और एस. एम. एस. हास्पिटल में भर्ती हुई। एस. एम. एस. हास्पिटल के डाक्टरों ने एक दिन भर्ती रखकर उसको चांदपोल जनाना हास्पिटल में रैफर कर दिया। 21 तारीख शुक्रवार को दिन के करीब 2-3 बजे के आस-पास चांदपोल जनाना हास्पिटल में जाकर वह भर्ती हुई। उसके साथ में उसका भाई भी था, पति भी था और भाभी भी थी जिसका नाम श्रीमती अनीसा बानो पत्नी बशीर खां है। रात के समय जनाना हास्पीटल में लेडीज वार्ड के अन्दर आदमियों को रहने नहीं देते इसलिए उसकी भाभी उसकी देखरेख के लिए उसके पास रही। उपाध्यक्ष महोदय, रात्रि के 12 बजे बिना बुलाये वहां पर ड्यूटी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उस वार्ड में आया और उस वार्ड में आकर मरीज सुल्ताना बानो को देखने लगा तो उसकी भाभी ने कहा कि हमने तो आपको याद ही नहीं किया, अभी तो यह सो रही है। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ, इसकी तबीयत खराब है, आप इंजेक्शन लेकर आओ। उसकी भाभी अनीसा को तो उसने बाहर इंजेक्शन लाने के लिए भेज दिया और पीछे से उस राजेन्द्र प्रसाद डाक्टर ने उस मरीज की चैकिंग शुरू की। उपाध्यक्ष महोदय, इस ढंग से चैकिंग शुरू की कि मुझे इस विधान सभा में कहते हुए शर्म-सी महसूस होती है। जब उसकी भाभी वापस इंजेक्शन लेकर आयी तो उसने इंजेक्शन लेकर उसकी भाभी से यह कहा कि तुम्हारी यह ननद बहुत सीरियस है, अगर तुम इसका इलाज कराना चाहती हो तो उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे कमरे के अन्दर आओ। उसने देखा कि यह मेरा हाथ पकड़ कर कहां ले जा रहा है तो उसने अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। तब डाक्टर वहां से चला गया। वहां पर बाद में आस-पास में जो मरीज थे, वे भी उस वक्त जग गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, वे भी इस हकीकत को देख रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, उसने उस मरीज को, अपनी ननद

(श्री रमजान खान)

को यह कहा कि इस तरह से मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहा है तो उसने भी यह कहा कि मेरे भी इस तरह के अंगों पर उसने हाथ लगाया कि मुझे भी शर्म महसूस हो रही थी। बगैर बुलाये वह डाक्टर उस मरीज का चैक-अप करने के लिए आया।

सुबह जब उसका पति और भाई उससे मिलने आया तो उन्होंने पूरी बात बतायी। उपाध्यक्ष महोदय, जब वहां की अधीक्षक श्रीमती अंजु टाली के पास शिकायत लेकर वे गये तो उल्टा उनको डांट पिलाई कि तुमको इलाज कराना है या नहीं कराना है, हमारे हास्पिटल को बदनाम करते हो। यहां से चले जाओ, तुम्हारे को इलाज नहीं कराना है। मजबूर होकर वे कोई पुलिस अफसर उनका मित्र था, उनके पास गये और उनको कहा कि हमारे साथ इस तरह की वारदात हुई है। जाकर के सिंधी कैंप पुलिस थाने के अन्दर रिपोर्ट, एफ.आई.आर. दर्ज करायी। सिंधी कैम्प पुलिस के एस.एच.ओ. वहां पर मय दलबल के पहुंचे। उनके सामने भी उस अधीक्षिका महोदया ने इन्कार कर दिया कि यहां पर ऐसी कोई हकीकत नहीं हुई। परन्तु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस एस.एच.ओ. नरेन्द्र सिंह शेखावत को, जिन्होंने वहां वार्ड में जाकर पूछताछ की और उनको यह महसूस हुआ कि यह हकीकत वारदात हुई है। वापस आकर उन्होंने अधीक्षिका को कहा कि जो दोनों डाक्टर ड्यूटी पर थे उनको आप अपने कमरे में बुलवाइये। उन दोनों डाक्टर्स को जो उस रात ड्यूटी पर थे, कमरे में बुलाया और उन दोनों औरतों को बुलाकर कहा कि कौनसा डाक्टर था जिसने यह गड़बड़ की, आप पहचानो। उन्होंने उस डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को पहचान लिया कि इस डाक्टर ने गड़बड़ की है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस डाक्टर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की थी, एस.एच.ओ. इस चीज को मान गया कि इसने गुनाह किया है। उस अधीक्षिका डाक्टर अंजु टाली ने कहा कि यहीं पर इसकी जमानत ले लो, हम इसकी जमानत दे देते हैं और आप इसके बाद में कार्यवाही करें। हम इसके लिए कार्यवाही के लिए एक कमेटी बना रहे हैं। वह कमेटी अपना जैसा निर्णय करेगी उसके बाद में इसके ऊपर कार्यवाही करना। थानेदार वहां से उसकी उस केस के अन्दर जमानत लेकर चला गया। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में डाक्टर अंजु टाली ने वहां पर तीन डाक्टर जो वहां का स्टाफ है, उन्हीं डाक्टर्स को वहां उस कमेटी में नियुक्त करके जांच कमेटी बनायी। अब हकीकत में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कई शिकायतें उस थानेदार को भी मिली हैं कि यहां पर इस तरह की गैंग बनी हुई है जिसमें डाक्टर, वार्ड ब्वाय, मेल नर्स ये सब के सब शामिल होते हैं और मरीज के साथ कोई जवान लड़की आती है उससे छेड़छाड़ करते हैं और इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब उनसे कैसे आशा की जा सकती है कि वह जांच उस डाक्टर की सही करेंगे?

(श्री रमजान खान)

अब, उपाध्यक्ष महोदय, उसको सजा क्या दी है? वह हास्पीटल में तो आएगा, ड्यूटी करेगा परन्तु खाली उस वार्ड के अन्दर नहीं जाएगा। यह इतनी-सी उसको सजा दी है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की यह रूलिंग है कि अगर एक औरत अपना कोर्ट के अंदर बयान दे देती है तो उसमें गवाह की कोई जरूरत नहीं होती है। उन औरतों ने जो प्रतिष्ठित घराने की औरतें हैं, यहां पर इलाज कराने के लिए आयी हैं, उन्होंने उस अधीक्षिका के चैम्बर में बयान दिये हैं, उस डाक्टर को पहचाना है उसके बाद में फिर

(13.00 बजे)

कौनसी जांच रह गयी? उपाध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिए था कि उस डाक्टर को सस्पैण्ड करते, उसको निलम्बित करते ताकि एक संदेश जाता। यह सब अखबारों में दो दिन से लगातार आ रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी पढ़ लिया होगा। यह दो दिन से लगातार आ रहा है, पूरे राजस्थान में यह समाचार जा रहा है। लोगों के दिलों में भय बैठ रहा है कि कहीं भी कोई भी जगह अगर इलाज कराने के लिए जाओ तो जयपुर जैसी राजधानी में भी सुरक्षित नहीं हैं औरतें। इसलिए इस भय को मिटाने के लिए, लोगों के दिलों में से भय को निकालने का एक ही तरीका है। उपाध्यक्ष महोदय, कि इस डाक्टर को जिसने अपनी डाक्टर जाति को बदनाम किया है, तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करना चाहिए और इसको अस्पताल के अन्दर घुसने नहीं देना चाहिए जब तक पूरी जांच नहीं हो जाए। जांच के अन्दर यह निश्चित रूप से दोषी पाया जाएगा, इसको जेल के सींखचों के अन्दर जकड़ देना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी डाक्टर इस तरह से अबला के साथ, गरीब औरतों के साथ हरकत करने से बाज आए। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं का इलाज अगर महिला अस्पताल के अन्दर सुरक्षित नहीं हो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री सांवर लाल : वहां उनके साथ बदसलूकी की जा रही है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के जो मरीज हैं उनके साथ जो अटैंडेंट आती हैं, यह उनके साथ चीरहरण का मामला है (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

मोहम्मद माहिर आजाद : ....और माननीय सदस्य ने तो बहुत संयमित भाषा में सदन में मुद्दे को रखा है (व्यवधान)

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है और इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। सरकार के लिए ऐसी शर्म की बात है, उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान) ऐसे डाक्टर को.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ....हाउस चल रहा है, इस बात को यहां उठाया गया है (व्यवधान)....इसमें इतनी बातें कही गई है....

श्री भंवरू खान : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है, जो डाक्टर है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। हो गई ना बात। आप क्या कहना चाहते हैं? सुरेन्द्रजी, आप क्या कह रहे हैं? (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। आर्डर, प्लीज।

श्री सांवर लाल : राजस्थान की महिलाएं फिर किसके पास जाएंगी? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये, अभी तत्काल करते हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरू खान : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, इसको गम्भीरता से लिया जाये....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक महिला का मामला प्रकाश में आया है, तो पता नहीं कितने करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों के तो लिंग काट देना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आसन की ओर से सरकार को निर्देश भी दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ना तो। इतना ताव क्यों खा रहे हैं? आप कोई बात डाइरेक्ट कर सकते हैं क्या? आपकी बात सुन ली ना। आपकी बात सुन ली ना। आप थोड़ा तसल्ली रखो।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप सब कुछ कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं ना, माननीय सदस्य, उनको बोलने दो ना। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको काल-अपोन कर लिया है। आपको बोलना है तो आपको बोलने दूंगा। (व्यवधान) उनको काल-अपोन किया है, उनको बोलने दो ना। क्या तकलीफ है आपको? आप बोलना चाह रहे हैं तो आपको बोलने दूंगा, जल्दी क्या है आपको? What is the problem ?

श्री सांवर लाल : राजस्थान में ऐसी घटनाएं कई अस्पतालों में हो रही हैं, महिलाएं गांव से इलाज कराने के लिए यहां आती हैं....(व्यवधान) हम भी यही बात कह रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : हां हां, बोल लेना ना। आप बिराजिये। इतने सीरियस मैटर को आप यों लाइटली ले रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आसन की____

श्री उपाध्यक्ष : Why are you directing me ? I know my business.

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आसन की सदस्यता के लिए तो हम आभारी हैं कि जो महत्वपूर्ण विषय होता है उस पर पर्ची के माध्यम से बोलने की अनुमति प्रदान करते हैं लेकिन जो आसन की समझ में महत्वपूर्ण होता है उसको कम से कम सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। इतना गंभीर विषय है सदन की जानकारी में लगातार आ रहा है अखबारों के अन्दर और सरकार रेस्पोंड नहीं करे। ठीक है, सरकार का यह राइट है, रेस्पोंड नहीं करना चाहे तो नहीं करे। लेकिन यह क्या मैसेज जाएगा? यह टू-फोल्ड प्रॉब्लम है, एक तो होम मिनिस्टर का स्टेटमैंट आना चाहिए और एक हैल्थ मिनिस्टर का स्टेटमैंट आना चाहिए। जिस प्रकार के तथ्यों से माननीय सदस्य ने सदन को अवगत कराया है, उससे प्रकरण की गम्भीरता और भी ज्यादा बन जाती है क्योंकि उसमें उन डाक्टर का ही दोष नहीं है, बल्कि अंजू टाली जो वहां की अधीक्षिका हैं, यह अखबारों के अन्दर भी प्रकाशित हुआ है कि उन्होंने पहले तो उनको डांट-फटकार की और पुलिस आफिसर को कहा कि वहां जमानत लेओ। पुलिस अफसर ने भी 354 बनाया होगा, 354 बनाकर बेलेबल कर दिया होगा। 376/500 इसमें क्यों नहीं बनाया? बाकी क्या रह गया था? जब उसका हाथ पकड़कर अन्दर ले जा रहा था, अगर वह अन्दर चली जाती तो 376 एकमप्लिश हो जाता, और 376/511 क्या होता है? डाक्टर को अरैस्ट क्यों नहीं किया, यह अपने आप अरैस्ट होता। आज मुझे इस बात के लिए कहना पड़ेगा____

श्री उपाध्यक्ष : बात एक ही है। आप कहो चाहे वह कहें, कोई अलग नहीं है इसलिए आप बिराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : न्यायपालिका____ एक मिनट लैट मी फिनिश।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे भी बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : वे बोल रहे हैं तब तक तो रुको। तो आपको खड़ा कर दूं पहले?

मोहम्मद माहिर आजाद : अंगुली ही तो उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : काहे को उठा रहे हो अंगुली? किस पर उठा रहे हो अंगुली? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का तो संतोष है, न्यायपालिका का जो दृष्टिकोण है, वह आफेंसेज अगेन्स्ट वूमेन के प्रति बहुत गम्भीर है। 376/511 में भी, कोई

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

एंटीसिपेटरी बेल छोड़कर 439 में भी बेल नहीं लेती? हाई कोर्ट तक बेल नहीं लेती। जजेज का रुख बड़ा सख्त है। आज सरकार का रुख यही है कि इतनी बड़ी घटना के बाद जिसमें राजकीय अधिकारी लिप्त हों, जिसमें डाक्टर लिप्त हों, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि आसन बाध्य नहीं कर सकता सरकार को उत्तर देने के लिए, पर आसन के निर्देश की सरकार हमेशा पालना करती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सुझाव दें। सुझाव के रूप में अगर आप कहेंगे, there should be some statement from the Government. सीनियर मोस्ट आनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, लैट हिम रेस्पोंड क्योंकि यह बिलकुल अन्हर्ड चला जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैसेज गलत जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आर्डर, आर्डर। इसकी जानकारी प्राप्त करके....

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी देना चाहता हूं, इसी से संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बिराजिये। बात एक ही है कि आप सरकार से स्टेटमैंट चाहते हैं ना?

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य ने तो बहुत शालीनता से बात बताई है।

श्री उपाध्यक्ष : तो अच्छी बात है। शालीनता से बोले तो बुरी बात क्या है इसमें? आप उसकी भावना को समझे नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ....उस स्त्री की स्थिति यह थी कि डाक्टर ने उसके गुप्तांगों में हाथ दिया, डाक्टर ने उसके स्तनों से छेड़छाड़ की, वह बहुत ज्यादा रो रही थी, भयभीत थी कि वह इलाज कराना नहीं चाहती थी, मुझे तो मेरे घर ले चलो। ऐसी स्थिति जयपुर के अस्पतालों के अन्दर डाक्टर करेंगे, जनाना अस्पताल में पहली चीज तो पुरुष डाक्टर को लगाना ही नहीं चाहिए और जब इस तरह की आदतों वाले डाक्टर को लगा रखा है तो वह वहां रहेंगे तो कोई पेशेंट वहां नहीं जाएगा....

श्री उपाध्यक्ष : फर्क वही है। उन्होंने शालीनता से कहा और आप जोश में कह रहे हो, बात वही है। आपकी बात में तो कोई नयापन नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ....इसलिए इतना आक्रोश लोगों के अन्दर है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी हैवानियत तो हमने गांवों में भी नहीं देखी। हमको शर्म आ रही है यह बताते हुए और सरकार को शर्म नहीं आ रही है बिलकुल भी।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने बात शालीनता से कही और आप बात जोश से कह रहे हो, बाकी कोई फर्क नहीं है आपकी बात में और उनकी बात में। जो उनकी डिमांड है,

(श्री उपाध्यक्ष)

वही आपकी डिमांड है पर आप बोलना चाहते हैं। बिराजिये प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं जोश में नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं। बोलने का सवाल नहीं है, यह तथ्य है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। आप बिराजो।

श्री भंवरू खान : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरे गांव का मामला है। जब डाक्टर ने यह बात कबूल कर ली कि उसकी गलती हो गई, उसके बाद में उसको क्या पनिशमैंट मिला? उसको पुलिस ने नोर्मल जमानत भरकर छोड़ दिया। वहां पर डाक्टर अंजु टाली थी, वह इसमें उसका बचाव का पक्ष कर रही है और सरकार इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, इससे गम्भीर बात और क्या होगी? और कौन जांच कराने के लिए आएगा? कौन आएगा डाक्टर के पास दिखाने के लिए?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी। आप इस सारे प्रकरणं की जांच करके सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश शिरोधार्य है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी को निवेदन कर दूंगा सदन की भावना से और आपके निर्देश से और मुझे उम्मीद है कि वे तथ्यों की जानकारी करके सदन को जानकारी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गृह मंत्रीजी का भी स्टेटमैंट आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल। हो गई ना बात खतम।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं, गृह मंत्रीजी का भी स्टेटमैंट आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Let the Medical Minister come with his.....

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह पुलिस का कैस बनाया है, यह अटैम्प्ट टू रेप है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये। (व्यवधान) आप सुनिये ना मेरी बात। आई नो, आप होम मिनिस्टर का स्टेटमैंट चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, होम मिनिस्टर का।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। Let the Medical Minister's statement come. If you are not satisfied, then we will consider it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्रिमिनल केस है, इसमें होम मिनिस्टर का स्टेटमैंट आना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह अटैम्प्ट टू रेप है।

श्री रमजान खान : यह कब तक स्टेटमैंट आ जाएगा?

श्री उपाध्यक्ष : आने दीजिये, Why are you in a hurry ? जल्दी क्यों कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें हैल्थ मिनिस्टर कुछ नहीं करेंगे। यह मोलेस्टेशन का केस नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको थ्रेडवेयर डिस्कस कराएंगे, आप चिन्ता मत करो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह उपाध्यक्ष महोदय, यह मोलेस्टेशन का केस नहीं है, यह अटैम्प्ट टू रेप है, 376 में। where is 511 ?

श्री उपाध्यक्ष : It is a serious matter, I am aware of it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसलिए माननीय वित्त मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि statement should come from the Home Minister. क्योंकि पुलिस—

श्री उपाध्यक्ष : If that is required, that will also come. But let the Medical Minister's statement come first. डाक्टर किरोड़ी लाल जी।

श्री रमजान खान : कब आ जाएगा स्टेटमैंट? कौनसी तारीख को?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। अभी तय करेंगे।

श्री रमजान खान : कब तक आ जाएगा स्टेटमैंट?

श्री उपाध्यक्ष : तय कर लेंगे, आप बिराजिये।

वृद्धावस्था पेंशन की घटती संख्या

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, सरकार ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धों की वर्तमान पेंशन की राशि को दुगुना कर 200 रुपये प्रति माह एवं निराश्रित वृद्ध दम्पत्तियों की 50 रुपये प्रतिमाह पेंशन को भी दुगुना कर 300 रुपये प्रति माह किये जाने का प्रस्ताव है। यह गत बजट का भाषण है चन्दन मलजी का जिसमें नौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। किसी भी वृद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के सम्मुख स्वयं यह घोषणा करने पर कि उसके बच्चे उसका पालन-पोषण नहीं करते हैं, यह पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी। यह सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है और अभी जो सरकार का प्रतिवेदन आया है इस सरकार के प्रतिवेदन में लिखा है कि इस वर्ष में राष्ट्रीय वृद्धावस्था के लगभग 2.82 लाख व राज्य वृद्धावस्था के लगभग 1.06 लाख प्रकरण चिन्हित स्वीकृत हुए हैं। इसमें हुआ क्या है? सरकार ने अपने सवाल के जवाब में यह कहा है कि राष्ट्रीय व राज्य वृद्धावस्था पेंशन के 31.3.99 तक स्वीकृत प्रकरणों में ही पेंशन दी जा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद जितने भी वृद्धावस्था के मामले पेंशन के हैं उनमें राज्य सरकार पेंशन नहीं दे रही। राज्य सरकार ने यहां एक जवाब में कहा है कि सितम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक जिन लोगों को भुगतान किया जा रहा है वे हैं,

(डा. किरोड़ी लाल)

सितम्बर, 99 में 3 लाख 19 हजार 114 व्यक्ति, जिनको 7 करोड़ 34 हजार रुपये पेंशन के रूप में दिये गये, अक्टूबर, 99 में 3 लाख 42 हजार 213 लोगों को करीब 8 करोड़ 41 हजार की राशि का भुगतान किया गया, नवम्बर, 99 में 3 लाख 10 हजार लोगों को 7 करोड़ 90 हजार के करीब राशि दी गई और दिसम्बर, 99 में 2 लाख 73 हजार लोगों को 5 करोड़ 80 रुपये की राशि की पेंशन दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यह वह पेंशन है जो शुरू से मिल रही है, लेकिन यह पेंशन घटती जा रही है। जनवरी, 2000 में यह पेंशन हुई 3 लाख 42 हजार से घटकर 1,69,000 लोगों को और इसकी राशि है, 2,45,00,000, फरवरी में यह और घट गई और 1,47,000 लोगों को 2 करोड़ की राशि पेंशन के रूप में दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो विशेष कैम्प लगाये और विशेष कैम्प अभियान के दौरान जो पेंशन स्वीकृति की गई इनके द्वारा वह है, अजमेर जिले में 4962, अलवर में 5226, बांसवाड़ा में 501, बारां में 9796, बाड़मेर में 16643, भरतपुर में 668, भीलवाड़ा में 10137, बीकानेर में 6163, बूंदी में 5715, चित्तौड़गढ़ में 4424, चूरू में 5536, धौलपुर में 6193, दौसा में 17119, डूंगरपुर में 1506, जालौर में 3697, जैसलमेर में 6432, इस प्रकार जिलेवाइज. इन्होंने संख्या दे रखी है और कुल बनते हैं 2 लाख 23 हजार 107। उपाध्यक्ष महोदय, 2 लाख 23 हजार 107 लोगों को इन्होंने चिन्हित कर लिया और उनको सितम्बर, 99 के बाद से आज तक राजस्थान सरकार ने पेंशन नहीं दी। मैं राजस्थान के वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आपने बहुत लम्बी घोषणा बजट में कर डाली, नये-नये लुभावने नारे देते रहते हैं, आखिर में जो यह वृद्धावस्था पेंशन आपने चालू की और आपने यह कह दिया कि सक्षम अधिकारी के सामने जाकर वृद्ध खड़ा हो जाएगा और यह कह देगा कि उसके बेटा या बेटी कोई है नहीं जो उसकी अच्छी तरह से सार-संभाल नहीं करता है, उसको वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। उसके बेटे को तो इन्होंने कपूत साबित करवा लिया लेकिन व कपूत साबित करवाने के बाद में उनको पेंशन राजस्थान सरकार ने अब तक नहीं दी और लाखों की तादाद में ऐसे प्रार्थना-पत्र जिलों में पड़े हुए हैं। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कोरे लुभावने नारे लगाएं, यह ठीक नहीं है। आपने जब बजट में प्रावधान रख दिया था तो जो शुरू से पेंशन मिल रही है उसके आंकड़े किस कारण से कम रहे? यह बात मानी जा सकती है कि कुछ परसेंटेज में लोग मर गये होंगे लेकिन जो शुरूआत में चालू की गई थी उससे 60 प्रतिशत लोगों को पेंशन कम दी जा रही है और जो विशेष अभियान चलाकर वृद्धावस्था पेंशन की शुरूआत की थी, एक को भी वृद्धावस्था पेंशन चालू नहीं की। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी से सदन में चाहूंगा आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिनको आपने

(डा. किरोड़ी लाल)

चिन्हित कर लिया है, राजस्थान की सरकार उनको जो अब तक वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी गई है, उनको वृद्धावस्था पेंशन देने का इरादा रखती है? मैं इतना ही आपके बीच में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पांच लाख से ज्यादा लोगों का चयन.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब यह वित्त मंत्री बोलेंगे न।

श्री मदन दिलावर : इतनी मिन्नत के साथ गरीब लोगों ने अपने आवेदन दिये थे जिनको रोटी नहीं मिल रही है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बहुत गम्भीर बात है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप। आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : भूखे मर रहे थे ऐसे लोगों को 31 मार्च, के बाद से पेंशन नहीं दे रहे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। बोलेंगे न। अभी बोलेंगे न वित्त मंत्रीजी। वित्त मंत्रीजी एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलेंगे न।

श्री मदन दिलावर : सरकार ने निर्देश दिये थे कि कैम्प आयोजित करिये, वृद्ध लोगों के आवेदन लीजिये...(व्यवधान) पर हुआ क्या? ढाक के तीन पात।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। बिराजिये। डाक्टर रामप्रताप। (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख : सरकार ने खुद ने कैम्प लगवाये हैं, लोगों के फार्म भरवाये हैं, तमाम जांच की, उसके बाद में पास किये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम है, माननीय सदस्य, एप्रोप्रिएशन बिल आ रहा है, मंत्रीजी बोलेंगे। आपकी बात को नोट किया है, उनको जवाब देंगे, इतनी जल्दी क्या है?

श्री ज्ञानचन्द पारख : नहीं दी तो कैम्प लगाये ही क्यों। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। आप बैठिये। डाक्टर रामप्रताप। दिलावरजी, बिराजें। आप बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजें न। आप काहे को निवेदन कर रहे हैं, आप बिराजें प्लीज।

श्री रतन लाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, पांच-सात एक साथ खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने बता दिया न। वह सारी बात उन्होंने बता दी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच लाख लोग हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं, हाउस को नहीं चलने देना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पांच लाख लोगों का चयन किया है....

श्री उपाध्यक्ष : यह कह दिया न इन्होंने यह बात, आप क्यों....

श्री रतन लाल ताम्बी : यह पांच-सात एक साथ बोल रहे हैं तो समझ में आता ही नहीं है। एक-एक बोलें जो भी बोलें, कम से कम। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोगों की क्रय शक्ति पहले ही खतम हो गई है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खुद वित्त मंत्रीजी बोलेंगे, जवाब आ जाएगा। बोलेंगे न आज, प्रॉब्लम क्या है? डाक्टर रामप्रताप। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : यह क्या आदत हो गई है आजकल आप लोगों की, एक साथ खड़े होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप। डाक्टर साहब, बोलिये। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका संरक्षण चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार थोथी वाहवाही लूटने के लिए कैम्प का आयोजन करती है, चयन करती है और उसके बाद पेंशन वितरित नहीं करना, अकाल का समय है, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो गांव के रहने वाले हैं, किस तरह....

श्री उपाध्यक्ष : आपने समझी ही नहीं बात, सरकार अभी बोलेगी, जब जवाब देगी, आप तसल्ली रखो न। जब आपका जवाब नहीं आए तब फिर बोल लेना। Let the reply come. अभी आएगा न जवाब, वे खुद बोलेंगे अभी। अभी आपके इस पर बहुत चर्चा होने वाली है, बिराजें आप, प्लीज। बहुत समय है इस पर चर्चा करने का। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जिनके पास खाने-कमाने का साधन नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित मत करो, बंद कर दो।

श्री ज्ञानचन्द पारख : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। डाक्टर रामप्रताप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं, अगला बिजनस लूं? तो फिर क्या बात है? आप बिराजें न, हो गई आपकी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न आपने कह दी न, गवर्नमेंट अभी रिप्लाई करेगी। डाक्टर रामप्रताप, आप बोलना चाहते हैं? (व्यवधान) बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामप्रताप)

मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इन्टरवीन किया, बड़े सही टाइम पर किया। अब इनको यह पूछने वाला हो कि तीन गुना क्षमता करने के बाद में आपको कहीं एक बूंद पानी से महरूम होना पड़े, ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार अपना इर्रिगेशन सिस्टम डवलप कर रही है और सिस्टम डवलप करने के बाद में यह प्रैशस वाटर है, इस पानी की एक बूंद आपको नहीं मिलेगी। इस स्थिति में आप किसानों को क्यों उजाड़ना चाहते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार से मैं यह भी मांग करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदया को जानकारी मिली, लेट मिली कि राजस्थान में यह एकमात्र उदाहरण आपके सामने है कि कहीं नदी का बहाव क्षेत्र है उसमें खातेदारी राइट्स किसानों के हैं। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि खातेदारी राइट्स होने के साथ-साथ पंजाब के 45 गांव जो राजस्थान को मिले थे इन ल्यू ऑफ राजस्थांस 45 विलेजेज, वहां पंजाब में किसानों के पास टेनेंट्स नहीं हैं, उनके पास मालिकाना हक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो कुछ क्षेत्र ऐसा भी आता है उस बहाव क्षेत्र में जहां किसानों के पास मालिकाना हक है और इसके साथ-साथ सूट-कूट फार्म के अन्दर जो जमीन एक्वायर कर ली गई थी उसके पेटे में जो जमीन अलॉट की गई है वह इस बहाव क्षेत्र में की गई थी। इसी तरीके से जागीरदारी के अन्दर, इसी तरीके से वार विडोज को इस बहाव क्षेत्र में जमीन दी गई थी। आज उस जमीन को, बेशकीमती जमीन को इस तरीके से बरबाद करने से क्या हासिल होगा? अगर आपको एक्वायर करना है तो आप एक्वायर करिये, उसको एक्वायर करके उन लोगों को मुआवजा दीजिये। अगर मुआवजा नहीं दें तो उसकी एवज में दूसरी जमीन उनको दें। इसके साथ-साथ यह तो करना ही चाहिए। लेकिन आप तटबंध तोड़ने के बाद जो अदालतों में इन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे पास इन तटबंधों को तोड़ने के बाद व्यवस्था होगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं और मैं यह बार-बार नहीं कहना चाहता कि मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा लेकिन इस बात को अगर आप कहीं लिखवाना चाहें, कोई भी इस सदन का सदस्य, सत्ता पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य जो उन क्षेत्र को बिलोंग करते हैं उन माननीय सदस्यों से आप पूछ लीजिये कि यह तटबंध टूटने के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। सिर्फ खेती के लिए जमीन है वो ही बरबाद नहीं होगी, पूरा आबादी क्षेत्र आपका तबाह हो जाएगा। ये जो अधिकारी आपको यहां आकर बयान देते हैं कि तटबंध तोड़ने के बाद में हमारे पास सैकिंड लाइन है, सैकिंड लाइन के नाम पर इनके सामने आबादी और वह बेशकीमती जमीन है, इसके सिवाय कुछ नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारी लोग यह भी कहते

(श्री रामप्रताप)

हैं कि हम इसकी व्यवस्था कर लेंगे। क्या लालटेन से व्यवस्था हो जाएगी? क्या कस्सी या फावड़े से व्यवस्था हो जाएगी? कोर्ट में आपने यह कहा है कि हमारे पास इतनी कस्सी हैं, हमारे पास इतनी लालटेन हैं, इतने डोजर हैं। इनसे कोई बांध नहीं बन सकता। आपके पास आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक नया पैसा इसके लिए इस बजट में प्रोविजन नहीं किया आपने कहां से आप डेढ़ सौ किलोमीटर तटबंध बना देंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में उन किसानों के जो तटबंध तोड़े जा रहे हैं, आपको यह जानकर अचम्भा होगा और शर्म की बात भी है विभाग के लिए कि आज की तारीख में डोजर के लिए डीजल उधार लेकर आते हैं। ऐसी स्थिति में आप उनका किस तरीके से इंतजाम करेंगे, यह एक भयानक स्थिति है। पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा था कि माननीय मंत्री महोदया ने कहा है कि बीच में जो कूंट आती है उसको खरोंच करके ठीक कर लेंगे, मैं आपका स्वागत करता हूं अगर यह मानसिकता आपकी है लेकिन इसको सही रूप से आप अमल करवाएं। जहां पर बीच में क्रिटिकल पाइंट्स हैं उनको तोड़ कर आप चौड़ा करवा दें। किसान अपने हाथ से चौड़ा करेंगे और साथ में इन तटबंधों की रखवाली वे खुद करेंगे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है, उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, इन तटबंधो को तोड़ने से पहले कम से कम माननीय मंत्री महोदया खुद जाकर अपनी आंखों से देखें कि किस स्थिति में किस तरीके से इस काम को किया जा सकता है। एक तरफ तो आपके सामने अकाल की स्थिति है, भयंकर भूख से लोग मर रहे हैं, चारा आपके पास में है नहीं और आप ऐसी जगह खड़ी फसल को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इससे क्या हासिल होगा? इसमें किसकी इज्जत का सवाल बना है, मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि कम से कम मंत्री महोदया इस बात को रेस्पांड करके इसका जवाब दें और इसकी व्यवस्था क्या आपके पास में है यह साथ में बताने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर समस्या है, मैं उसका डाइरेक्ट भुक्तभोगी हूं, मैं उसके बारे में कुछ निवेदन दो ही शब्दों में करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये। मेरी बात सुनिये। आप विराजिये न। अभी एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें तब अपनी बात कह दें। आपको कहने का मौका दे रहा हूं न। इश्यु सामने है, आप बोल लेना उस वक्त। आप विराजिये न। बात हो गयी, विराजिये प्लीज। आपको अवसर दे रहा हूं न, उसके बाद क्या है?

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय से जवाब दिलवाएं।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा सदन के सामने है...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बैठे हैं, अगर बोलना चाहते तो बोल लेते।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण है...

श्री उपाध्यक्ष : हां, महत्वपूर्ण है तभी तो आपको मौका दूंगा। महत्वपूर्ण नहीं होता तो बोलने ही नहीं देता मैं आपको। विराजिये प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हम तीन साथी माननीय सदस्यों ने इसलिए स्थगन प्रस्ताव दिया था...

श्री उपाध्यक्ष : उस पर तो व्यवस्था हो गयी।

श्री अमराराम (धोद) : और मैं आसन की व्यवस्था को शिरोधार्य करता हूं।...

श्री उपाध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था हो गई उसके बाद में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन जिस तरह से 21 तारीख से सिंचाई विभाग के बुल्डोजर लगे हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरी...

श्री अमराराम (धोद) : दो मिनट सुन लें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : (व्यवधान)...गिरफ्तार कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मौका दे रहा हूं इनको, मना थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, वह डायल्यूट हो जाएगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : I am giving you opportunity.

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह डायल्यूट हो जाएगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : और ज्यादा तेज होगा। डायल्यूट तो होगा नहीं, जवाब मिलेगा। अभी तो जवाब मिला नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब आपने माननीय सदस्य को अनुमति दी है तो इस पर चर्चा तो होनी पड़ेगी, साहब।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, हालत जो घग्घर नदी के तटबंधों की है उसके बारे में इनसे संबंधित दोनों जिलों के जनप्रतिनिधियों ने, विभिन्न जन संगठनों ने, किसान संगठनों ने बार-बार सिंचाई मंत्रीजी से और राजस्थान की सरकार से अनुरोध किया है। लेकिन इसके बाद इस बात से कोई ना नहीं करता कि राजस्थान की सरकार इस बात का एहसास करती हैं कि उसका बहाव क्षेत्र बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से बढ़ाइए, इसमें किसी को एतराज नहीं है लेकिन उस बहाव क्षेत्र को बढ़ाने के नाम पर इन दोनों जिलों के किसानों और निवासियों को बरबाद करने का कार्य 21 तारीख से राजस्थान की सरकार ने वहां चला रखा है। एक तरफ अकाल से बरबाद

(श्री अमराराम)

हो गये दूसरी तरफ जो बिजली से सिंचाई करने वाले थे उनको बिजली नहीं दी। चंबल नहर के टूटने से वहां के किसान बरबाद हो गये और गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों को राजस्थान सरकार का सिंचाई विभाग 21 तारीख से बरबाद करने का काम कर रहा है और बड़ी बेरहमी से कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के पूर्व माननीय सदस्य और पूर्व सांसद श्री शोपत सिंह जो वहां के किसानों का जीवन-मरण का प्रश्न था उसका विरोध करने के लिए गये तो वहां के पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उनको गिरफ्तार किया। 21 तारीख से लेकर आज तक वे आमरण अनशन पर हैं। सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। सरकार जो यह तटबंध तोड़ेगी जिससे पानी बहेगा, वह हमारे आदेश से नहीं बहेगा। अगर आपने तटबंध तोड़ दिये तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जो राजस्थान को सबसे ज्यादा खाद्यान्न देने वाले जिले हैं, वे बरबाद हो जाएंगे। किसी के आदेश से पानी नहीं बहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर तटबंध तोड़ दिये गये तो हनुमानगढ़ और गंगानगर और उसमें भी जहां धान पैदा होता है, जो सबसे कीमती भूमि है वह बरबाद हो जाएगी। अगर आपको बहाव करना है तो निश्चित रूप से जितनी जमीन की आवश्यकता है, 6 बीघा की बजाय आप 12 बीघा कीजिए लेकिन उस बहाव के लिए सबसे पहले उन किसानों को जिनका पीढ़ियों से कब्जा है, खातेदारी है, उनका हक है उनको आप मुआवजा दीजिए। 40 साल से जिन्होंने तटबंध बना रखे हैं, वहां तटबंध आप बांधिए, उसके बाद बहाव क्षेत्र बढ़ाइए, कोई मना नहीं करता। अगर आशंका है कि बाढ़ से नुकसान होगा, बहाव क्षेत्र बढ़ाया जाएं तो निश्चित रूप से उनको मुआवजा देकर तटबंध बांध कर अंदर आने वाले तटबंधों को किसान अपने आप लेगा। इसलिए यह सरकार जो तटबंध तोड़कर तबाही की ओर बढ़ रही है उनको रोकने का, मंत्री महोदय, आप विश्वास दिलाएं जिससे किसान इस चिंता से मुक्त हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मण सिंह रावत।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो एक स्थिति बतायी है कि फसलों को बरबाद कर रहे हैं और फसलें बुलडोजरों से खराब कर रहे हैं, यह स्थिति तो नहीं है क्योंकि जब भी काम शुरू किया गया है वह इसी दृष्टिकोण से और इसी डाइरेक्शन के साथ किया गया है कि किसान की खड़ी फसल को कहीं भी नहीं छेड़ा जाए। अधिकतर जगह पर फसलें कट चुकी हैं और जहां फसलें कट चुकी हैं वहीं पर यह काम चल रहा है। जो उन्होंने फोटो दिखाई हैं, बहुत सारे काश्तकारों के साथ मुझे डाक्टर साहब मिले थे, उनको भी सिर्फ एक फोटो में लग रहा है कि फसलें खड़ी हैं और उनके आगे कुछ मिट्टी आई हुई है। ऐसी कहीं भी छूट किसी अधिकारी को नहीं दी जा सकती कि

(श्रीमती कमला)

वे मनमाने ढंग से फसलें तोड़ें, कुचलें या खराब करें और न ऐसी स्थिति आएगी। जहां तक यह सवाल है कि यह तटबंध बनेंगे नहीं तो इससे बड़ी बरबादी होने वाली है, बहुत समय से यह किस्सा चल रहा है और हम सबको जो इससे संबंधित हैं उनको मालूम है कि 1964 में बाढ़ आयी थी उसके बाद एक कमेटी बनायी गई थी अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की। उस वक्त पहली बार सबसे ज्यादा पानी आया था। इस पानी की निकासी के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। तब से यह सिलसिला शुरू हुआ है। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह सारा आइडेंटिफाई किया गया। उसके खिलाफ किसान हाई कोर्ट में गये, हाई कोर्ट ने वापस चीफ इंजीनियर को, डिपार्टमैंट को रैफर किया कि इन्हें सुनें। सुनने के बाद जो रिवाइज प्रिपोजिशन दिया उसको भी कोर्ट ने माना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गये, सुप्रिम कोर्ट ने सरकार के हक में जो पहले फैसला दिया था उसी प्रकार से फैसला किया। इसके बाद डी.बी. में गये, फिर स्पेशल पिटीशन में गये। सब जगह पर जाकर आखिर फैसला यही हुआ कि जो व्यवस्था कायम की गई है वह सही है और इसको विभाग जल्दी से जल्दी लागू करे। एक काश्तकार ने यह भी रिट किया कि आपने जो निर्णय दिया उसकी अनुपालना नहीं हो रही। इस पर कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा और आदेश दिया गया, कि एक महीने के अंदर-अंदर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए। यह सारा बैक ग्राउंड सब लोगों को जो इससे संबंधित हैं, मालूम है। अभी हनुमानगढ़ में जब वाटर लागिंग के लिए एक वर्कशाप की थी उस वक्त भी यह चर्चा में आया था। सभी जगह पर जब भी बात हुई है, जब भी किसान मिलें, उनसे मैंने एक बात कही है कि आपको जो रूट चिन्हित किया गया है इस रूट में कहीं आपत्ति हो, किस रीच में, किस जगह पर क्या अनियमितता हो रही है वह आप मुझे बता दें तो मैं उसको रैक्टिफाई करूं। पर अभी तक एक भी काश्तकार ने, हमारे जन-प्रतिनिधियों ने भी कोई आवेदन नहीं किया कि इस पूरे निशान में, फलां रीच में इतनी ज़गह पर यह गड़बड़ी हुई। कल डाक्टर साहब कुछ काश्तकारों को लेकर आये थे, उस समय कोई रेखारामजी काश्तकार थे उन्होंने एक अर्जी दी थी कि मेरी 6 बीघा के बजाय 10 बीघा जमीन ली है। मैंने तुरन्त चीफ इंजीनियर को कहा कि इसको तुरंत देख कर रैक्टिफाई करें। एक यह आया था कि कोई विडो है जिनकी पुत्र वधु भी विडो है उपमा देवी, उनकी जमीन करीब-करीब सारी उसमें डाल दी है और उनके लिए बड़ी मुसीबत की बात हो सकती है, वह भी हमने टेक-अप करके उसमें भी डाइरेक्शंस दिये हैं। इसके अलावा एक भी जगह का कहीं से कोई नहीं आया कि हम इन-इन जगहों पर इस बात से एतराज करते हैं। जो बात सामने आ रही है वह यह है कि हम तो सिर्फ स्थगन चाहते हैं कि आप इसको मत करो, आप इसको मत करो। आखिर वह पानी

(श्रीमती कमला)

जो इतना बढ़ता हुआ चला आ रहा है, जैसा अभी डाक्टर साहब ने खुद कहा, एक तरफ तो आप कहते हैं कि इसको चैनलाइज कर निकालने की जरूरत क्या है, आप बंधों को मत तोड़ो, दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि कहां 20 हजार क्यूसेक निकालने की व्यवस्था थी, पहले फीडर के नीचे सिर्फ एक साइफन था, 1964 की बाढ़ के बाद में, 1966 में दो साइफन बनाये। आज वे भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि हरियाणा ओटू वियर के ऊपर 63 हजार की कैपेसिटी से उसको तैयार कर रहा है जिसके बारे में हमने मुख्य मंत्री, हरियाणा को भी लिखा है, सी. एम. साहब ने भी बात की है और भारत सरकार को भी रेफरेंस दिया है कि यह इंटर-स्टेट मैटर है, इनको अपने लेवल पर इस तरह से नहीं करना चाहिए, इससे हमारे स्टेट को बहुत भारी बरबादी होने की आशंका है। उस परिदृश्य में भी अगर हम यह कर रहे हैं तो यह करने की जरूरत है। आज तक कहीं भी किसी भी मौके पर कितनी बार मिले हैं कोई मुआवजा देने का या उसके बदले जमीन देने की कोई बात का आवेदन नहीं है।

दूसरी जो खास बात है दरअसल में वह यह है कि आशंका है कि हम जो तटबंध तोड़ रहे हैं उनके बजाय अल्टरनेटली बंध नहीं बना और बरसात आ गई तो बहुत बड़े पैमाने पर खेत बरबाद हो जाएंगे। बड़ी कीमती जमीन है, सारी बस्तियां डूबत में आएंगी, खास आशंका यह है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये डाइरेक्शन दिये हैं, पुख्ता तौर से तय किया है, मैंने इंजीनियर्स को भी कहा है, डिवीजनल कमिश्नर को भी कहा है, कलेक्टर को भी कहा है कि जैसे-जैसे बंध तोड़े जा रहे हैं उसके साथ-साथ उनके पुनः निर्माण के लिए काश्तकार अपना टेकअप करें, सरकार उनकी मदद करेगी और जो सक्षम काश्तकार है, अपने ढंग से कर सकते हैं उनको डोजर से या मशीनरी से मदद करेंगे। जो सक्षम नहीं हैं उनके लिये सरकार अपनी तरफ से फाइनेंशली मदद भी करेगी। लेकिन किसी हालत में भी जो हम बंध तोड़ रहे हैं उनके आल्टरनेट बने बिना, बरसात आने से पहले पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं रहनी चाहिए, यह हमने पाबंद किया है और हम इसके ऊपर पाबंदी से काम करेंगे। इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होने दे सकते कि एक छोटी बरबादी को बचाने के लिए हम बड़ी बरबादी कर दें और यह सरकार का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। हम सबको देखने की बात है कि जिस काम के लिए हम यह प्रोग्राम जारी किये हुए हैं उससे ज्यादा तकलीफ न हो और हमारा ज्यादा नुकसान न हो। राज्य सरकार का किसान के प्रति, विभाग का किसान के प्रति उतना ही बड़ा दायित्व है जितना कि जो साथ के काश्तकार हैं, उनका है। इसलिये मैं भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कोई अनाप-शनाप ढंग से बंध नहीं तोड़े जाएंगे। बरसात के आगमन का जो समय है उससे 15 दिन पहले तक हम ये

(श्रीमती कमला)

आपरेशंस करेंगे जिससे कि 15 दिन के अंदर काश्तकार जो तोड़ा गया है उसको कर लें और अभी जो चल रहा है वह साथ के साथ करते रहें। इसमें हमारी मदद लेते रहें, हम जो मदद कर सकते हैं वह जरूर करते रहेंगे और जो अक्षम हैं उनको हम फाइनेंशल मदद भी करेंगे, यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जब किसान ने बंध...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं आप बिराजिये, जल्दी क्या है? (व्यवधान) आप बैठिये, आपको जल्दी क्या है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : किसानों ने बंध रखा, हरियाणा ने...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री को यह बात नहीं कही कि पानी ज्यादा है, 63000 की कैपेसिटी को क्रिएट करके...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो चिट सिस्टम है और आपने पूरी डिबेट अलाउ कर दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट नहीं करा रहा हूं लेकिन काश्तकारों से संबंधित उनकी गंभीर समस्याओं के लिए अगर कोई समाधान होता है तो दो-चार मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिराजिये, मैं डिबेट नहीं करा रहा हूं। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो कोई बात नहीं बनती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : पूरे इलाके से ...(व्यवधान) जीवन से जुड़ा हुआ इश्यू है...(व्यवधान) इतना अच्छा जवाब दिया है, गवर्नमैंट के रिप्लाई के बाद और कोई बात नहीं बचती। (व्यवधान) मंत्रीजी ने इतना सुंदर जवाब दिया है, सरकार का इतना सुंदर जवाब आया है, मंत्री महोदया ने बताया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कौनसी प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं? (व्यवधान) तथ्यों से इसका कोई मेल नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप जो फरमा रहे हैं, अगर आप मौका दें तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। प्लीज आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : फिर आपका कोई चिट सिस्टम नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये तो सही। (व्यवधान) कोई सब्जैक्ट जिसकी यदि बहुत सीवियरिटी हो, यदि उसका समाधान हाउस में हो सके तो उसमें क्या आपत्ति है? (व्यवधान) काश्तकारों का समाधान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बिना मतलब के इन्होंने इतना टाइम लिया और मंत्रीजी का इतना सुन्दर जवाब आया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई टाइम नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री जी खुद मान रही हैं कि ये बह जाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिना मतलब का टाइम नहीं लिया, आप गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी खुद मान रही हैं कि बंध तोड़ने के कारण खेत बरबाद होंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये, बिना मतलब का नहीं है उनका मामला जो है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदया खुद मान रही हैं...(व्यवधान) हम बंध तोड़ देंगे इससे बरबादी होगी, यह मंत्री महोदया खुद मान रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कमलाजी खुद किसान हैं, मंत्री महोदया आपसे अच्छी किसान हैं, उन्होंने अच्छा जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी खुद ही मान रही हैं...(व्यवधान) बंध तोड़ने से बरबाद होंगे, इन्होंने खुद कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपको तो सुनता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : ये वही बात कह रही हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपने हाउस को अरैस्ट कर लिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी, बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजिये प्लीज (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपको शायद खयाल नहीं है, इन्होंने पर्ची के माध्यम से प्रश्न उठाया...(व्यवधान) दो-चार मिनट की बात छोड़िये, आप बिराजिये। (व्यवधान) मैंने उसके बाद इनको फोर्स नहीं किया, इनको जवाब देने के लिए फोर्स नहीं किया। मैंने लक्ष्मण सिंहजी को कॉलं-अपान किया। मंत्रीजी स्वयं खड़ी हो गई जवाब देने के लिए, फिर मैं क्या करता? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप फिनिश कर देते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर वे रिप्लाई करना चाहती है मैं रोक नहीं सकता, आई कान्ट स्टाप हर। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : फिर आपने चालू कर दिया, यह कोई नियम है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो फोर्स किया नहीं, इन्होंने अपनी इच्छा से...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो आसन के मालिक हैं, इसको शाम तक चला सकते हैं, आपके अधिकार में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे समझ में नहीं आई, इसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप अनशिड्यूल्ड काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं बिलकुल आपके नियम से चल रहा हूं। आप कृपया बिराजिये। मैंने बिलकुल फोर्स नहीं किया। (व्यवधान) मैंने मंत्रीजी को जवाब देने के लिए फोर्स नहीं किया। (व्यवधान) मैंने काल अपान लक्ष्मण सिंहजी को किया। (व्यवधान) जब इन्होंने जवाब दे दिया तो मैं क्या करूं? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : यह बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू है। (व्यवधान) इस पर या तो चर्चा होती ही नहीं....(व्यवधान) अब आप अलाउ करो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ताकि दो आदमी अपनी बात कह सकें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने फोर्स नहीं किया। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी खुद स्वीकार कर रही हैं कि बंध तोड़ने से खेत बरबाद होंगे। हमारा इतना ही कहना है, 40 साल से जो किसान हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर, (गंगानगर) : हजारों किसान बरबाद होंगे। (व्यवधान) बड़ी बात नहीं है। इसको मंत्री ने टेकअप किया तो अच्छा फैसला है इनका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। (व्यवधान) सब्जैक्ट क्लोज हो गया। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : हमारा एक इश्यू है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : एक छोटा-सा सवाल है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह तो जिंदगी का सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान) आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी ने कहा उसी के बारे में कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंहजी। (व्यवधान) आर्डर-आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ××××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री रामप्रताप : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, अंकित नहीं हो रहा है। आप बोले जाओ, क्या फायदा है? आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री रामप्रताप : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मेरी कृपा भी मानो आप, कृपा की बात कह रहे हो, आप बिराजिये।

श्री रामप्रताप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। माननीय सदस्य, आपका जवाब मंत्रीजी से मिल गया इसके बाद भी इफ यू आर नोट सैटिसफाइड, मेरी बात सुनिये, फिर बोल रहे हो एप्रोप्रिएशन बिल पर, फिर पूछ लेना, लेकिन इसको डिबेट में क्यों डाल रहे हो? बात खतम हो गई, दैट इज क्लोज। श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री रामप्रताप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं कोई सदस्य नहीं, नियम की बात है, आपका स्पष्टीकरण....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैंने नहीं दी, जवाब कैसे आ गया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री रामप्रताप : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी, मैंने कहां व्यवस्था दी है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे दिया और क्या चाहते हैं आप, मैं समझ नहीं रहा। आप बिराजिये। पर्ची पर जवाब देना जरूरी नहीं था उसके बाद भी जवाब दिला दिया। (व्यवधान) फिर क्या बात है? माननीय सदस्य की थोड़े ही मान रहा हूं, मैं तो आपकी ही मान रहा हूं उनकी कहां मान रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रियां के नियम 131 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों की समस्याओं और उनको दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान जी.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह मामला कोर्ट के दवाब से है....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब एतराज करो, आप बोलने थोड़े ही देंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, एतराज नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हमें सिखा रहे हैं कि एतराज करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आप एतराज करो, मालपुरा से आने वाले सदस्य कह रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शांति रखिये, बिराजिये, आप बहुत वरिष्ठ हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया से दो बातें पूछना चाहता हूं, पहला तो यह कि कोर्ट के दबाव से यह सब कुछ हो रहा है, अधिकारियों को इस बात का डर है कि उन्होंने कोर्ट की कम्प्लायेंस नहीं की तो कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा लगेगा। मैं आपसे यह जानकारी करना चाहता हूं कि आपने कोर्ट में केस कंटैस्ट किया है और जिन ग्राउंड्स पर कंटैस्ट किया उन ग्राउंड्स में और रामप्रताप जी ने जो बात कही उसमें कोई अंतर है क्या? अंतर नहीं है, आप मंगवा लीजिये। कोर्ट में इन्होंने जो अपना जवाब दावा दिया है उस जवाब दावे में सब बातें वही हैं जो रामप्रताप जी ने अभी कही हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप खुद मानती हैं कि इनके टूटने से जो नुकसान होगा, काश्तकारों को हम सहायता करेंगे, क्या यह उचित नहीं होगा कि काश्तकार पहले व्यवस्था कर लें और बाद में आप तोड़ने का इन्तजाम करें? दो बातों का उत्तर दे दीजिये।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट का जो कंटैम्प्ट या डाइरेक्शंस हैं वे अपने आप में अपनी जगह हैं, लेकिन मूल बात यह है कि जो डिस्चार्जेज होने वाले हैं और पिछले वर्षों में आये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए ही यह कार्यवाही जब भी प्रस्तावित हुई, शुरूआत हुई उसी दृष्टि से की गई। आज उसकी गम्भीरता और भी ज्यादा हो रही है इसलिए मुख्य बात यह है कि हमें उसके लिए यह व्यवस्थाएं करनी हैं। आप यह कहें कि उनको पहले बना दीजिए और फिर उसका काम शुरू करिये, यह कब से चला आ रहा है? हर साल नोटिस दिये, जितनी बार कोर्ट में केस

(श्रीमती कमला)

आये उतनी बार नोटिस दिये कि आप इतने समय में यह कर लीजिए, इतने समय में यह कर लीजिये। लेकिन जब कहते हैं तभी उसको थोड़ा-सा रोकिये, थोड़ा-सा रोकिये। तो उसको डिस्पोज आफ करने के बजाय, काम को आगे बढ़ाने के बजाय उसको रुकाने का, पोस्टपोन करने का ही दबाव चलता रहता है। विभाग की कहीं इसमें कोई कोताही नहीं है कि उन्होंने आगाही नहीं की, उन्होंने कोई नोटिसेज नहीं दिये, उनकी कोई डिफिकल्टीज थीं वे नहीं सुनीं। लेकिन ऐसी कोई डिफिकल्टीज आज तक पेश भी नहीं हुई कि आपने जो चिन्हित किया है एरिया, वह गलत है इसलिये आप इसको सुधारिये। वह तो है नहीं, सिर्फ एक ही बात है कि आप इसको पोस्टपोन करें। पोस्टपोन करें तो कब तक करें? वह काम तो करना जरूरी है। अभी जितना लेट हम शुरू कर पा रहे हैं वह भी काश्तकारों के दबाव से ही लेट हुआ है कि अभी नहीं करेंगे, अभी इसको रोकिये, अभी ऐसा नहीं है, अभी वैसा नहीं है। आखिर काम तो करना जरूरी है, यह तो आप भी मानते हैं और ये भी मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं। लेकिन काम की शुरूआत जब करते हैं तब स्थिति यही आती है हमेशा कि अभी मत करिये, बाद में कराएं। आखिर किसी समय तो शुरू करना पड़ेगा। अभी भी यह इतना ही शुरु कर पाएंगे या इतना ही कम्प्लीट कर पाएंगे कि बरसात आने की दृष्टि से हमें उस काम को करना पड़ेगा।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) एक सैकण्ड...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बस, बस, खतम हो गयी बात, आप बिराजें प्लीज। आप बिराजिये। माननीय लक्ष्मण सिहंजी।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं एक सवाल कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बिराजें। (व्यवधान) आप बोल लेना बाद में।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : एक सिंगल सवाल है। (व्यवधान) मंत्री महोदया, 6 बीघे का जो एरिया चिन्हित किया है उसमें आप प्रोटेक्शन बांध बनाने के लिए तैयार हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपा करके बिराजिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : हमारे से उम्मीद करती हैं कि हम इसे बना दें, सरकार क्यों नहीं, जो 6 बीघे पर आपने चिन्हित कर रखा है, वहां एक प्रोटेक्शन बांध बना दे? हमें कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान) आप घोषणा कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। पाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन है। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने और मैंने नियम

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

157 में आपको विशेषाधिकार का एक प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको तो निपटने दें। दो मिनट रुकें ना आप। इस बात को क्लोज करूं, उसके बाद में बोल लेना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्लोज हो गया था। मैंने तो सोचा क्लोज हो गया इसलिए मैं उठ गयी। आपने क्लोज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, इनके 131 के बाद में आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं एक बहुत गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप तसल्ली रखें, मैं व्यवस्था दूंगा। आप बिराजें तो सही।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 4 दिन पहले स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। (व्यवधान) पिछले 6 दिन से बराबर पीपाड़ कस्बे के अन्दर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से जवाब तलब किया है, जवाब आ जाने के बाद आपको अवगत कराएंगे। आप बिराजें।

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले भी आपसे यह निवेदन कर दिया, अभी भी, और आप तो इतने सज्जन सदस्य हैं आप कहां इस बीच में पड़ रहे हैं। आप बिराजिये ना।

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 6 दिन से बाजार बंद हैं और पूरा कस्बा छावनी बना हुआ है। (व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, आ जाने दीजिये, जानकारी आ जाने दीजिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रदेश के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों के परिवारों को दी जा रही सुविधाएं

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं और उनकी समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (सैनिक कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों तथा सेवारत सैनिकों के कल्याणकारी कार्यों के लिए सदैव जागरुक रही है जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि अभी विगत में सम्पन्न हुए कारगिल युद्ध के दौरान राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों एवं स्थायी अपंग सैनिकों के लिए पैकेज जारी कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

(डा. चन्द्रभान)

राज्य सरकार में पूर्व सैनिकों के पुनः नियोजन हेतु तृतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं के पदों में साढ़े 12 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा वर्ग में 15 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित करते हुए इसे 100 बिन्दु रोस्टर प्रणाली में सम्मिलित किया गया है एवं जो पद पूर्व सैनिकों से नहीं भरे जा सके, उन्हें अगली भर्ती व वर्ष के लिए अग्रणीत करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सरकारी, अर्द्ध सरकारी उपक्रमों, निगमों एवं मण्डलों इत्यादि में सुरक्षा प्रहरियों के पदों पर केवल पूर्व सैनिकों को ही नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

पूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित सैम्फेक्स प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाएं चलायी जा रही हैं जिनके अन्तर्गत उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भूमि आवंटन के क्षेत्र में राज्य सम्पूर्ण राष्ट्र में अग्रणी स्थान रखता है। युद्ध विधवाओं, स्थायी अपंग सैनिकों तथा गैलेण्ट्री अवार्ड धारक सैनिकों/आश्रितों को नहरी क्षेत्र में 25 बीघा सिंचित भूमि आवंटित की जाती है। सेवारत सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों को एन.सी.ओ. रैंक तक राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1983 तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रूल्स, 1970 के अन्तर्गत भूमि आवंटित की जाती है।

पूर्व सैनिकों के बच्चों को अमलगमेटेड फण्ड से छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती हैं एवं युद्ध विधवाओं के आश्रित बच्चों को स्कूल व कॉलेज स्तर पर छात्रवृत्तियां शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की जा रही हैं। प्रतिभावन छात्राओं को स्कूल एवं कालेज स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों की जिला स्तर पर समस्याओं के निराकरण हेतु उपखण्ड स्तर पर समितियां गठित की हुई हैं जिनमें पूर्व सैनिकों को भी सदस्य बनाया जाता है। ये समितियां उप खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर सैनिकों की समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम हैं। इनके अतिरिक्त प्रति वर्ष इनकी समस्याओं के समाधान के लिए जिलों में पूर्व सैनिकों की रैलियां भी आयोजित की जाती हैं।

इसी वित्तीय वर्ष में कारगिल युद्ध से पूर्व के युद्धों में शहीद हुए वीर सपूतों की विधवाओं को राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सहायता राशि 300/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 750/- रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, कालेज आदि आवश्यकतानुसार सरकार ने खोल रखे हैं फिर भी पूर्व सैनिक समुदाय की ओर से प्रस्ताव आने पर राज्य सरकार यथा सम्भव विचार करेगी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि राजस्थान के हजारों लाखों सैनिक सैना में कार्यरत हैं। इन्हीं वीर सैनिकों के कारण आज हम स्वतंत्र हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब भी देश पर आक्रमण हुआ, चाहे 1948, 65, 71 या यह कारगिल युद्ध,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक निवेदन है। मेरे यहां तीन हजार सैनिक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये-बैठिये।

श्री रामस्वरूप : एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, प्लीज। कुछ नियम से भी चलो। यह जरूरी थोड़े ही है कि हर बात पर बोलना पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप : तीन हजार सैनिक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तो अब होंगे, दस हजार होंगे, मैं क्या करूं? माननीय मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना कि देश की रक्षा इन्हीं वीर सपूतों के बल पर है, यह तो खैर अपनी जगह सही है। आज हम लोग जो सुख-शांति से बैठे हैं, वह इन्हीं शहीदों की त्याग-तपस्या और बलिदान का ही फल है और राजस्थान प्रदेश के लिए यह विषय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी में है कि राजस्थान में चार लाख दो हजार पूर्व सैनिक हैं और करीब तीन-चार हजार प्रति वर्ष रिटायर होकर आते हैं। तो उनके आश्रितों, उनके परिजनों की देख-रेख करना, उनकी मदद करना यह निश्चित रूप से सरकार और समाज दोनों का दायित्व बनता है। अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, कारगिल का पैकेज सरकार ने अच्छा दिया और उसकी प्रशंसा न केवल प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों और केन्द्र के स्तर पर भी हुई। अभी आपने कहा कि कारगिल के शहीदों को भी जो पैकेज की सुविधाएं मिलनी चाहिए वे नहीं मिल पायी हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगा कि 21 अप्रेल तक हमारे प्रदेश के 87 सैनिक शहीद हुए हैं, इन सभी 87 सैनिकों को एक लाख रुपये की नकद राशि प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा एक व्यवस्था यह थी कि एक लाख रुपये के साथ चाहे तो चार लाख रुपये नकद ले सकते हैं या सिंचित क्षेत्र में 25 बीघा जमीन ले सकते हैं या हाउसिंग बोर्ड का मकान ले सकते हैं। उनकी स्थिति निम्न प्रकार से है : —

जिन लोगों ने अलग-अलग आप्शन दिये उसके अनुसार चार लाख रुपये नकद दिये गये हैं, 19 परिजनों को, उनकी विधवाओं को। भूमि आवंटित की गयी है 16 को और 38 में कार्यवाही जारी है और दो को मकान प्रदान किये गये हैं, 12 लोगों के इन 87 में से अभी तक विकल्प प्राप्त नहीं हुए हैं। यह केवल राजस्थान प्रदेश में व्यवस्था की गयी है कि उनके मां-बाप का भी ध्यान रखा गया है। जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे कि ये शहीद हुए हैं, बहुत कम उम्र में हुए हैं, इनके मां-बाप की भी कइयों की उम्र पचास-पचपन है, इनके सामने भी पूरा जीवन है। उनके लिए भी राजस्थान सरकार ने पहली बार व्यवस्था की कि उनके एक लाख रुपये जमा किये गये और उनसे जो

(डा. चन्द्रभान)

ब्याज की राशि बनती है वह उन्हें एक तरह से पेंशन के रूप में एक हजार रुपया दी जाती है। इसमें भी चैक जारी कर दिये गये 68 को, बैंक में खाता खोलने की कार्यवाही अभी जारी है 12 में और पात्र नहीं हैं सात।

युद्ध विधवाओं और आश्रितों के नियोजन की स्कीम है नौकरी देने की, उसमें 20 मामलों में कार्यवाही जारी है, चालीस के बच्चे छोटे हैं उनको यह आप्शन दिया गया है कि वे अपने छोटे बच्चों के लिए नौकरी की यह जो व्यवस्था है इसको सुरक्षित रख सकती हैं। 15 में आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, दस पात्र नहीं हैं और विधवा की अनिच्छा है नौकरी करने की दो में।

शिक्षा एवं छात्रवृत्ति—47 में कार्यवाही जारी है। छोटे बच्चे दस हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं, 17 में आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं और 13 पात्र नहीं हैं।

स्कूलों का नामकरण—47 में कार्यवाही जारी है और 40 स्कूलों का नामकरण कर दिया गया है।

विद्युत कनेक्शन—30 में कार्यवाही जारी है, 32 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए और 25 ने अनिच्छा जाहिर की है या हो सकता है कि उनके यहां पहले से ही कोई कनेक्शन होंगे।

रोडवेज का पास—45 को पास जारी कर दिये गये हैं और 42 में कार्यवाही जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि अपंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अपंग सैनिकों के लिए भी व्यवस्था है, उन्हें 25 हजार रुपये नकद दिया जाता है और उनको भी 25 बीघा जमीन दी जाती है। यदि वे पूरी तरह से अपंग हैं तो उनके आश्रित को सरकारी सेवा में रखा जाता है। लेकिन इसके लिए जो आर्मी के रूल्स हैं, यह व्यवस्था जब होगी तब वह डिस्चार्ज होकर आ जाएगा। जब तक डिस्चार्ज नहीं होता है तब तक आर्मी, उसको कहना चाहिए कि उसके कल्याण के काम को देखती है।

सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार को और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। निश्चित रूप से जब वे मोर्चे पर लड़ते हैं और हमारी सबकी देखभाल करते हैं तो शासन और समाज की जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल करें। कई बार ऐसे मसले आते हैं कि कोई सैनिक छुट्टी पर आता है, और जब उसकी छुट्टी खतम हो जाती है या युद्ध का बिगुल बज जाता है तो उसको बीच में ही बुला लेते हैं। तो उसकी जमीन का कोई डिस्पुट है या कोई विवाद ऐसा खड़ा हो जाता है तो उसे तो रेलगाड़ी में अपने वारंट के अनुसार जाना पड़ता है। ऐसे मामलों में उनके परिजनों के सामने कई बार दिक्कत खड़ी होती है, जो वार-विडोज हैं उनके सामने भी कई बार दिक्कतें खड़ी होती हैं। इसके लिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं जिला कलेक्टर को, जिला कलेक्टर होते हैं वे हमारे जिला

(डा. चन्द्रभान)

सैनिक कल्याण की जिला स्तर कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं, वह चाहे सेवारत सैनिक हो या पूर्व सैनिक हो, उनके मामलों को प्राथमिकता दें, और ज्यादा संवेदनशील बनें और उनकी हर-सम्भव मदद करें, जब उनका परिजन या कोई भी जाता है तो उसको टाप-प्रायोरिटी में रखकर उनकी हर-सम्भव मदद करें। जिला प्रशासन के साथ में पुलिस को भी यह बात कही गयी है कि इनको किसी तरह की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

एक बात आपने कही कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा सैनिक हैं, उनमें उनको चिकित्सा, शिक्षा और दूसरी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह पैकेज कारगिल के शहीदों के लिए है लेकिन पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी और उनकी चिकित्सा के लिए भी सरकार ने व्यवस्थां कर रखी है। उसमें कोई विस्तार में जाने की तो जरूरत नहीं है लेकिन यह बात जरूर है कि जिन इलाकों से ज्यादा सैनिक आते हैं और जहां शहीद सैनिक हैं, उनकी संख्या ज्यादा है और पूर्व सैनिक भी जहां ज्यादा हैं वहां पर निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। वित्त मंत्री भी बैठे हैं और हमारे शिक्षा और चिकित्सा विभाग के मंत्रीगण भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि स्कूल खोलने में या दूसरे जो भी इन क्षेत्रों में विकास के काम हैं, उनमें जिन इलाकों के सैनिक ज्यादा हैं, पूर्व सैनिक परिवार ज्यादा हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। उनके मान-सम्मान को बनाए रखने के लिए, उनकी स्मृति को बनाये रखने के लिए जिससे कि नई पीढ़ी और प्रदेश की जनता प्रेरणा ले। उन सभी जिलों में जहां-जहां सैनिकों की और पूर्व सैनिकों की संख्या ज्यादा है, उनमें चरणबद्ध तरीके से सरकार ने योजनाएं तैयार कर ली हैं तथा वहां शहीदों के स्मारक बनाए जाएंगे। इस वर्ष अभी झुन्झुनूं में शहीदों के स्मारक का कार्य चालू है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या को निवेदन करना है...(व्यवधान) बिराजें, इस पर डिस्कशन होता ही नहीं। आप बिराजें। आप नियम जानते हो, विराजिए। झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने विशेषाधिकार का जो प्रश्न उठाया है उस पर माननीय अध्यक्ष ने आपके द्वारा दिये गये विशेषाधिकार प्रश्न को यह राय देने हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्देशित किया है कि यह प्रश्न प्रथम दृष्ट्या विशेषाधिकार का बनता है या नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। डा. चन्द्रभान। (व्यवधान) क्या हुआ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन को जानकारी तो दें।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्षजी, मुझे पुकार लिया दुबारा। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं इस बात के लिए तो आभारी हूं कि आपने....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद आपके आभार के लिए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विशेषाधिकार का जो प्रस्ताव था उसे आपने विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपको इजाजत नहीं दी जानकारी देने की। आपको अभी बोलने की इजाजत नहीं दीं, उन्होंने विशेषाधिकार समिति को भेजा है। अब यह बनता है कि नहीं या उसके बाद बनेगा तो फिर आपको बोलने का मौका देंगे। बिराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन को जानकारी तो होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बताना ही नहीं है तो फिर क्या बोलना? बिराजिए। बोलिए नहीं। बताना ही नहीं है प्लीज। जो व्यवस्था है वह आपको सुना दी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब आप कहेंगे तो मैं बिराज जाऊंगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजना ही पड़ेगा। डा. चन्द्रभान

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2000-2001

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक अनुमान 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन। श्री रामनारायण विश्नोई।

व्यवस्था का प्रश्न

विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमान पर सदन में चर्चा

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 के अन्तर्गत 63 (1) में आर. एस. ई. बी. का अगले साल का बजट यहां प्रस्तुत कर दिया। लेकिन इस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि इस बजट के ऊपर विधान सभा में चर्चा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : होगी न कल।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। विधान सभा में इस बजट के ऊपर चर्चा होगी और उसके पश्चात विधान सभा के जो भी सजेशंस हैं, रिकमण्डेशंस हैं सरकार उनको कनवे करेगी। आपने 2 तारीख को ऊर्जा के ऊपर चर्चा रखी है लेकिन स्पेसिफिकली मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जो आप आर.एस.ई.बी. का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं इसके ऊपर चर्चा के लिए कौनसा दिन नियत किया गया है?

श्री उपाध्यक्ष : उसी दिन होगी।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो खैर सदन में आसन को

(डा. चन्द्रभान)

तय करना है कि इसके लिए कौनसी तारीख और समय निश्चित करें, लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पर आसन चाहे तो डिस्कशन करा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर जो कार्य सलाहकार समिति ने तय किया है, कार्य समिति का प्रस्ताव आपके सामने आ गया, सारा बिजनेस आपके सामने आ गया। उस पर जो कुछ कार्य सलाहकार समिति ने तय किया है उसके अनुसार चर्चा होगी।

डा. चन्द्रभान : लेकिन आप एक बात के लिए तो धन्यवाद दीजिए, इस परम्परा को जो कि इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के अन्तर्गत जरूरी था, उसको पिछली सरकार ने तो एक तरह से बंद कर दिया था। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हरजीरामजी बुरड़क को जिन्होंने इस सवाल को पिछली बार उठाया और नई सरकार ने आश्वासन दिया कि हम अब की बार इसको प्रस्तुत करेंगे। पिछले सालों में तो यह प्रस्तुत तक नहीं होता था असैम्बली के अंदर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी विश्नोई।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसके लिए तो आपको धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। श्री रामनारायणजी विश्नोई।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी तो कोई व्यवस्था दें। आपने कह दिया...(व्यवधान) दूसरों का बोलना मना है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : दो तारीख को बोलना, बिराजिए। जब समय आए तब बोलना अच्छा लगता है।

श्री हरजीराम बुरड़क : दो तारीख में क्या है? यही तो मैं कह रहा हूं, दो तारीख में क्या रखा है? हम कहते रहेंगे, आप सुनो तो सही कोई बात। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ऊर्जा कि स्थिति पर विचार और आर.एस.ई.बी. के बजट पर विचार, यह अलग-अलग चीज है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो यह सब नियम जानते हैं, एडवाइजरी कमेटी ने जो कुछ तय किया है उसके अनुसार काम चलेगा। जानते हो उनको क्या बताएं।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के प्रोविजन के तहत माननीय मंत्री महोदय, ने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : उसमें कम्पलसरी है यहां विधान सभा में डिस्कस होना। आपने अब रखा है विद्युत उपलब्धि पर विचार। यूं तो फिर बजट को ही आप कह देते कि फाइनेंशियल स्थिति पर विचार। (व्यवधान) लेकिन इस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार वह व्यवस्था नहीं हुई इसलिए हमारा निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें, चाहे कार्य सलाहकार समिति

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में रखें। इसमें साफ लिखा हुआ है कि विचार होगा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक-दो मिनट की बात है, इसमें जो वर्डिंग्स हैं 63 (सी) इलैक्ट्रिसिटी एक्ट में—"The State Government shall as soon as may be after the receipt of the said statement cause it to be laid on the table of the House or as the case may be and the said statement shall be....."

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा सैक्शन पढ़ रहो हो आप?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 "......and the said statement shall be open to discussion therein."

श्री हरजीराम बुरड़क : जिसमें यह रखा।

श्री उपाध्यक्ष : 126 को पढ़िये। पढ़िये। वह तो वह भी पढ़े हुए हैं और मैं भी पढ़ा हुआ हूं। वह पढ़ना चाहते हैं, बाकी दोनों ही पढ़े हुए हैं। नहीं, अनपढ़ का सवाल नहीं है। वो इश्यू उठा रहे हैं, उनको मालूम है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : 126 को पढ़ लीजिए। "In any session or sessions of the House, the House shall discuss every year such of the following reports..... रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन है। आपने 2 तारीख को सब्जैक्ट तय किया है, उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा की स्थिति पर विचार। ऊर्जा की स्थिति पर विचार और बजट पर विचार, कृपया इसमें मार्जिन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे यह निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो कुछ निर्णय किया है उसको हम क्या चैलेंज कर सकते हैं? यदि बिजनस एडवाइजरी कमेटी में बजट पर बहस करने का तय किया है तो होगी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सैंट्रल एक्ट से ऊपर बिजनस एडवाइजरी कमेटी है क्या? आप यह बता दें तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक्ट का सवाल नहीं है, बिजनस का सवाल है। अगर बिजनस एडवाइजरी कमेटी अलाउ करती है तो होगी। और उसके बाद भी ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एक बार बजट प्रस्तुत कर दिया क्या? तब तो There shall be discussion therein.

श्री हरजीराम बुरड़क : 126 में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, माननीय मंत्री महोदय, 126 में वार्षिक प्रतिवेदन है और यह है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसमें अन्तर है, 63 सी में और इसमें अन्तर है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपको तीन रिपोर्टें पेश करनी पड़ती हैं यहां हाउस में, माननीय मंत्री महोदय, और आप देख

(श्री हरजीराम बुरड़क)

लीजिए आपने कितनी पेश कीं। 126 में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार है। माननीय मंत्री महोदय, 126 में वार्षिक प्रतिवेदन है और यह 126 में जो दिया है ....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : 126 में जो दिया है ....(व्यवधान) नहीं, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। (व्यवधान) यदि उपाध्यक्ष महोदय, चाहें तो उस दिन इस पर घण्टे भर के लिए अलग से आप करा लेना चर्चा। यदि चाहेंगे तो।

श्री उपाध्यक्ष : यह मैं नहीं कह सकता। मैं अध्यक्षजी से चर्चा करके आपको बताऊंगा।

डा. चन्द्रभान : इसमें अलग से चर्चा करा लेंगे, इसमें क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। श्री रामनारायण विश्नोई।

याचिका का उपस्थापन

जोधपुर के ग्राम जाम्बा की ढाणी से चाखू ग्रेवल रोड का डामरीकरण

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला जोधपुर के ग्राम जाम्बा की ढाणी से चाखू जाने वाली ग्रेवल रोड का डामरीकरण करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका इस सदन में उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री शांतिकुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-14) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक 2000 (2000 का विधेयक संख्या-14) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-14) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-14) को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिए जाने वाला विधेयक। श्री प्रद्युम्न सिंहजी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-3) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्षजी, इस विनियोग विधेयक के द्वारा राज्य सरकार को 19,394 करोड़ 63 लाख 53 हजार रुपये तक की राशि खर्च करने का अधिकार मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल बजट पेश होता है, पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं और किन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह सब कार्यवाही होती है। पिछली साल भी बजट पेश हुआ और माननीय मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कुछ लक्ष्य प्राप्ति की बात कही थी। मैं इसमें आगे आऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1951 से लेकर आज तक हमारी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं और पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद हर साल का बजट पेश हुआ, लेकिन आज जो स्थिति इतने साल के बाद, इतना खर्च करने के बाद हमारी है वह यह सोचने को विवश करती है कि क्या हमने सही रूप से और सही ढंग से जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धन खर्च करना स्वीकार किया था वह खर्च हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक समीक्षा की एक पुस्तक हमें मिली है विभाग के द्वारा इसको देखने के बाद हमें निराशा होती है कि जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने चाहिए थे वे हम नहीं कर पाये हैं। पिछले बजट के बाद 1999-2000 तक में जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने थे उन सब में गिरावट आयी है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद घटा है। इसी तरह से आपका जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसमें भी कमी आयी है। प्रति व्यक्ति आय, मैं आंकड़े नहीं देना चाहूंगा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रति व्यक्ति आय पिछले साल से भी इस साल कम हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारा पूंजीगत विनियोजन जो होना था उसमें भी कमी आयी है। कृषि उत्पादन सूचकांक हमें भयभीत करता है, 1997-98 में जहां हमारा 267.27 था वह घटकर 257 पर आ गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारा कृषि प्रधान प्रांत है और कृषि पैदावार में गिरावट आती है इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सभी कामों में गिरावट आएगी। यह कहा जा सकता है कि पिछला साल अकाल का था और कृषि उत्पादन में कमी आना स्वाभाविक था लेकिन आज हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पूर्ण रूप से कोई हम वर्षा पर ही

(श्री शिवनाथ सिंह)

निर्भर हों, ऐसी स्थिति नहीं है। हमने अन्य दूसरे साधन इतने उपलब्ध करा लिये हैं, चाहे सिंचाई के नहरी योजनाओं से हों चाहे पम्पिंग सैट से हों, दूसरे इस प्रकार के साधन आज हमने डवलप कर लिये हैं कि उनमें समुचित व्यवस्था की जाए तो हमारे कृषि उत्पादन में गिरावट की कहीं आशंका नहीं हो सकती। इसमें विशेष मुद्दा इम्पुट्स का है, बिजली यदि प्रचुर मात्रा में हमें मिल जाए तो कृषि उत्पादन वर्षा पर निर्भर नहीं रहेगा और बिजली के माध्यम से हम अपना उत्पादन स्थिर रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन पिछले सालों में बिजली की सप्लाई में जो गिरावट आयी है वह भयंकर है। विद्युत मंत्रीजी बार-बार इस सदन में कहते आये हैं और अपने हिसाब से वो सही भी है कि सालभर में जो यूनिट्स हमने सप्लाई की हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, कितने कुओं की संख्या है? और उनमें जो पम्पिंग सैट लगे हुए हैं उनके हिसाब से प्रति हार्स पावर या प्रति पम्पिंग सैट क्या हमने बिजली सप्लाई में बढ़ोतरी की है? मुझे ऐसा लगता है, विद्युत मंत्री इस बात को स्वयं स्वीकार करेंगे कि प्रति कुआ हमारी सप्लाई कम हुई है, चाहे टोटल बढ़ गया हो लेकिन हर कुए की सप्लाई में कमी आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के बारे में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जिस दर से होनी चाहिए थी वह बढ़ोतरी हम नहीं कर पाये। पिछले साल में हमने कुछ एचीवमैंट्स किये हैं, वे स्वागत योग्य हैं लेकिन फिर भी हमारी डिमांड के अनुरूप हम बिजली पैदा करने में सक्षम नहीं रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक यहां बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की जाती है कि किसान को हम सस्ती दर पर बिजली देते हैं, किसान को हम सब्सिडी देते हैं और पूरे देश में एक इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि हम किसान पर बहुत खर्चा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है किसान पर कोई एहसान नहीं है। कृषि पैदावार में गिरावट आयी है और यदि इन्पुट्स की कीमत आप ऐसे ही बढ़ाते गये तो वह दिन आ सकता है कि कृषि पैदावार आपकी मांग के अनुसार न हो, इससे भी कम चली जाए।

आपने बिजली की दर बढ़ाने का मानस बना लिया है। यहां पिछली बार पिछले सत्र में विधेयक पेश हुआ था, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया था लेकिन वह पास हुआ, सरकार की मंशा थी। आज केन्द्र सरकार ने इन्पुट्स की कीमत बढ़ा दी है इसलिए इन सब को मिलाकर हमारे प्रांत की जो प्रगति है उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, गिरावट आयी है और वह गिरावट इस बात को परिलक्षित करती है कि हम कहां जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत हो सकते हैं लेकिन तीन-चार बातों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष

(श्री शिवनाथ सिंह)

महोदय, मुझे सबसे पहले यह निवेदन करना है कि शिक्षा के मामले में हम बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं। शिक्षा के मद में रुपया खर्च होने में हमने बहुत बढ़ोतरी की है लेकिन शिक्षा की हालत आज क्या है, उपाध्यक्ष महोदय? पहली कक्षा से लगा कर पी.एच.डी. और आखिर तक हम देखते हैं तो आज हमारे विश्वविद्यालयों की हालत क्या है? विद्यार्थी कहता है कि हम अटेंडेंस में नहीं जाएंगे, हम यूनिवर्सिटी में कक्षा में पढ़ने नहीं जाएंगे और हमारे ऊपर अटेंडेंस लागू क्यों की जाती है? प्रोफेसर्स कहते हैं हम क्लासेज में नहीं जाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं वैसी हमारी सहूलियतें नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य होगा, किन्हीं प्रोफेसर्स को तो एक वीक में पढ़ाने के लिए मुश्किल से दो-तीन पीरियड मिलते हैं और इसका सब खामियाजा हमारी इस पीढ़ी को हो रहा है। हाई स्कूल तक की शिक्षा है इसको कुछ संतोषप्रद कहा जा सकता है लेकिन नये-नये एक्सपैरिमैंट्स हमारी एलीमैंट्री एजुकेशन पर किये जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रांत में और देश में साक्षरता के नाम पर बहुत-सा धन बाहर से आ रहा है लेकिन उस साक्षरता के धन का किस प्रकार से उपभोग किया जाए, वह हमारे हाथ में नहीं है। हमारे बड़े-बड़े आफिसर्स इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं कि उस योजना से उन लोगों को फायदा होता है और जिनके लिए धन खर्च होना है उनको फायदा नहीं पहुंचा है, चाहे साक्षरता हो, सम्पूर्ण साक्षरता हो, पूर्ण साक्षरता हो, कितने ही नाम हमने गिना दिया हैं और उनको अलग-अलग रखना हम पसंद करते हैं लेकिन एलीमैंट्री एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है और उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से हमने प्राइमरी स्कूल खोलना बंद कर दिया है। ये जो स्वर्ण जयन्ती साक्षरता के केन्द्र हैं इनसे समाज भ्रमित होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इनके बहुत पक्ष में हूं। साक्षरता के कार्यक्रम जहां तक सवाल है, ये स्वर्ण जयन्ती साक्षरता के इन केन्द्रों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। रिमोट प्लेसेज जहां हम स्कूल नहीं खोल पाते थे और जो पहाड़ी क्षेत्र थे, रेगिस्तानी क्षेत्र थे, उन स्थानों में इन साक्षरता कार्यक्रमों ने और इन केन्द्रों ने हमें साक्षरता में तो मदद की है, लेकिन हम इसको प्राइमरी एजुकेशन नहीं कह सकते। प्राइमरी एजुकेशन यह है भी नहीं। पिछले दो साल से एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खुला है और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि देहाती क्षेत्र के लिए और ग्रामीण जनता के लिए यह षड्यंत्र है। आज जो विदेशी संस्थाएं हैं वे नहीं चाहतीं कि हिन्दुस्तान का और राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र विकसित हो, वहां की लीडरशिप पनपे और वहां जो गरीब तबका जमा हुआ है, काफी समय से पीड़ित है वह समाज के ऊपर उठकर आये, राजनीति में आये। हमने देखा कि विभिन्न प्रान्तों में कहीं लालू पैदा हो गये और कहीं मुलायम पैदा हो गये, इससे

(श्री शिवनाथ सिंह)

विदेशी ताकतें सकते में आ गयीं। वे नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति राजनीति में ऊंचा उठे। उनका तो लक्ष्य यह है कि उनके मनुवादी लोगबाग राजनीति में हावी रहें वे ही उनके लिए अच्छे हैं और इसको दृष्टिगत रखते हुए वे ग्रामीण जनता की शिक्षा के कार्यक्रम का बिलकुल सत्यानाश करते हैं।

अभी कल-परसों मंत्री महोदय कह रहे थे कि प्राइमरी की एक क्लास और दो क्लास में कहीं सौ लड़के हैं और कहीं पचास लड़के हैं और मिडिल सैक्शन में हम एक-एक विषय के अध्यापक देंगे। आज मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आठ क्लास हैं और तीन या चार अध्यापक हैं उन क्लासों में। वे मिडिल स्कूलें किस प्रकार की शिक्षा हमको दे पाएंगी, यह हमें सोचना पड़ेगा। इससे शहरी क्षेत्र नहीं ग्रामीण क्षेत्र पीड़ित होता है, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी को आठवीं तक समुचित शिक्षा नहीं मिल पाती, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माननीय वित्त मंत्रीजी विराजमान हैं, मेरा आपसे निवेदन है, सदन से निवेदन है कि इन बातों पर सोचा जाए और ग्रामीण क्षेत्र के खिलाफ यह जो भयंकर षड्यंत्र विदेशी संस्थाओं का और उसके साथ मिलकर हमारे देश के बुद्धिजीवियों का हो रहा है उससे हमें बचाया जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूल्स खोलने का जो सिलसिला बन्द कर दिया गया, उसको चालू किया जाए और स्कूल्स में पर्याप्त संख्या में अध्यापक दिए जाएं।

उपाध्यक्षजी, दूसरा मेरा विषय है पंचायतीराज। पंचायतीराज की एक कल्पना थी। इस प्रकार की संस्थाएं हमने 1959 में बनायीं, कानून बनाये और उन संस्थाओं को अधिकार दिये। आज हम बराबर उनमें गिरावट ला रहे हैं। गिरावट इस हद तक पहुंच गयी है कि गांवों के अन्दर संघर्ष पैदा हो गया। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दिया गया, एक वार्ड के लोगों को दूसरे वार्ड के लोगों से लड़ा दिया गया। योजनाएं बनाने की हमारी कल्पनाएं आदर्शवादी कल्पनाएं हैं, मैं यह कहूं तो मेरा विरोध किया जाएगा कि वार्ड सभा में आपका क्या विरोध है? मेरा कोई विरोध नहीं है। इतना ही कहना है कि वार्ड सभा के माध्यम से आपने जिला आयोजना समिति बनायी, कुछ कर नहीं पायी आज तक। फिर पंचायत के अन्दर पंचायत सभाएं, ग्राम सभाएं आयोजित करनी चाहीं, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उसका क्या हश्र हुआ। किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में 15 और 20 आदमी इकट्ठे नहीं हुए। आप इन वार्ड सभाओं में क्या चीज करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आदर्श के हिसाब से ठीक है और आदर्श के हिसाब से चले जाओगे, लेकिन मेरे खयाल से गांव का सत्यानाश हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्षजी, इन वार्ड सभाओं में तय क्या होगा? हमारे स्कूल का मास्टर यह होगा, पंचायत की ग्राम सभा में यह होगा, हमारे फलां-फलां वार्ड में

(श्री शिवनाथ सिंह)

अध्यापक होंगे, शिक्षक होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उदार बनाना चाहते हैं तो पटवारी का चुनाव ग्राम पंचायत से क्यों नहीं करवाते हैं? पंचायत के सचिव का पद जो ग्राम सेवक होता है, उसका भी चुनाव पंचायत से क्यों नहीं करवाते हैं? पटवारी का चुनाव ग्राम पंचायत से क्यों नहीं करवाते हैं? लेकिन वह नहीं करवाओगे। सिर्फ यह करवाओगे जो कि ग्रामीण जनता की शिक्षा की आवश्यकता को खतम करेगा। अब वार्ड-वार्ड में लड़ाई होगी, वार्ड आपस में लड़ेंगे। पहले पंचायत के आधार पर लड़ाई की और आज हरेक वार्ड में झगड़ा खड़ा कर दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धरातल पर आने की चेष्टा करें। फिलोसोफिकल थिंकिंग बहुत ऊंचा है उसका कोई विरोध नहीं कर सकता लेकिन धरातल को भी हमें नजर-अन्दाज नहीं करना चाहिए। जो गांव की एक व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था को भयंकर रूप से बिगाड़ने की चेष्टा मत कीजिए, यदि वह बिगड़ जाएगी तो मेरे खयाल से सुधारने को कोई बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं रहेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में आर्थिक संकट की बात बहुत कही गयी। और वास्तव में है भी, लेकिन? मैंने जानना चाहा था कि पिछले साल हमने बजट में जिन करों को वसूल करने का प्रावधान किया उसमें क्या प्राप्ति हमारी हुई। हमारी आमदनी के मुख्य स्रोत कर हैं। मैं एक दो फिगर देकर कहना चाहता हूं, बिक्रीकर 2430 के खिलाफ 2416, कोई गिरावट नहीं है अभी। इसी तरह से मोटर वाहन कर में 412 के अंगेस्ट 455, हमारी वसूली हुई। इसी तरह से मनोरंजन कर 46 के खिलाफ 51, हमारी प्राप्ति हुई है। भवन और भूमि कर में 23 के खिलाफ 29 उपलब्धि रही है। खनन में हम ठीक हैं। कुल मिलाकर हमने जो अन्दाज अपने बजट में किये हैं ...(व्यवधान) कुल मिलाकर हमने जो बजट प्रावधान किये थे उसमें कोई गिरावट नहीं आयी, लेकिन इसके विपरीत खर्च में क्या हुआ? जिन स्कूल्स का हमारा कमिटमैंट था, पशु औषधालयों का हमारा कमिटमैंट था उसमें खर्चा बिलकुल भी नहीं हुआ। सभी स्कूल अध्यापकों से खाली हैं और अगले रोज माननीय पशुपालन मंत्रीजी कह रहे थे कि एक भी पशु औषधालय में डाक्टर और कम्पाउण्डर नहीं लगाया जा सका क्योंकि बैन लगा हुआ है। यह सब कुछ आर्थिक संकट की जो बात कहते हैं, मेरे खयाल से इसमें कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था में कमी है और इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए।

उपाध्यक्षजी, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि हमने कुछ आदर्शवादी और लक्जरी स्कीम कायम कर रखी हैं। मैंने जानना चाहा कि ...(व्यवधान) सुनो जी। बाद में कर लेना।

यह जो आर.टी.डी.सी. है, आर.टी.डी.सी. के माध्यम से कुछ रेस्टोरेंट, मिड-वे चलाये जा रहे हैं। इसको मैं लक्जरी आइटम

(श्री शिवनाथ सिंह)

मानता हूं। इनकी न तो नैसेसिटी है और न ये कम्फर्ट हैं। बिलकुल लक्जरी आइटम हैं और इन लक्जरी आइटम में हम घाटे में जा रहे हैं। (व्यवधान) मैं एक-दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ऊपर कृपा करें। मैं चाहता हूं कि आप यहां आओ।

श्री शिवनाथ सिंह : आ रहा हूं, साहब, एक मिनट।

हमने 11 जगह मिड-वे कर रखे हैं और 11 में से 9 घाटे में चल रहे हैं। क्या आवश्यकता है इस बात की कि हम इनको चलाये ही जा रहे हैं? यदि हम इनको बन्द कर दें तो कम से कम रैकरिंग ऐक्सपैंडीचर तो कम हो जाएगा। इसलिए, उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को और हमारे माननीय मंत्रियों को हमें सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि जिनके लिए सरकार जनता का धन खर्च करना चाहती है उस धन को उपयोगी रास्तों में खर्च करें, उनका उपयोग हो और हमारी कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वह सही साबित हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस मामले में सोचे। लेकिन फिर भी मैं यह जो आपका विधेयक है इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सदन इसको पास करे।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लालजी। (अनुपस्थित), श्री दुर्गाप्रसाद जी।

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे कितना समय दिया जाएगा ताकि मैं उसी समय सीमा में अपनी बात समाप्त कर लूं?

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक राजनीतिक दल अथवा विधायक जब चुनकर आता है तो वह सोचता है कि इसके कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य किये जाएं जिससे कि आम जनता उससे जुड़े, उसकी प्रशंसा करे और जब चुनाव का समय आए तो जनता उसको भरपूर वोट दे और वह फिर से चुनाव जीतकर आए और

(14.41 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

जनता की सेवा करे। सभापति महोदय, मैं जहां तक सोचता हूं, हमारी कांग्रेस सरकार भी इस बात को चाहती होगी। जबकि विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि सत्ता पक्ष से कुछ ऐसी गलतियां हों जिससे यह जनता नाराज हो और जनता बाद में जब चुनाव का समय आए तो इनको बाहर कर दे और हम सत्ता में आ जाएं। यही हमारे देश की राजनीति है और यही इस सदन में हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है, खजाने खाली हैं और राज्य में 32 जिलों में से 26 जिलों में भयंकर अकाल की स्थिति है। केन्द्र में बी.जे.पी. की सरकार है वह राज्य सरकार को समुचित आर्थिक सहायता नहीं

(श्री दुर्गाप्रसाद)

दे रही। इधर हमारी इस कांग्रेस सरकार से आम जनता को बड़ी भारी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं और आकांक्षाएं हैं क्योंकि आम जनता ने इस सरकार को भरपूर वोट दिये हैं। आज इस 200 के सदन में 150-155 विधायक कांग्रेस के हैं। ऐसी स्थिति में आज सत्ता पक्ष को बड़ा सोच-सोच कर, बड़ा फूंक-फूंक कर कदम रखना है, नहीं तो एक दिन वही आएगा जो बी.जे.पी. का आज इस सदन में है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा भूमिका न बनाते हुए केवल अपने कुछ सुझाव इस राज्य सरकार को देना चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं, कृपया मेरे सुझावों पर गौर करें और अगर अच्छे लगें तो इनको अपनाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मन्त्रीजी, आराम से बैठे हो, पैन तो हाथ में रखो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : दिमाग चल रहा है, आप चिन्ता न करें।

श्री दुर्गाप्रसाद : चूंकि हमारे राज्य में आर्थिक स्थिति खराब है, अकाल का समय है तो मैं तो यह सोचता हूं कि वर्तमान समय में इस राज्य सरकार को कोई भी नये काम अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए, न इनके लिए कोई राशि अलॉट करनी चाहिए, केवल पुराने अधूरे काम जो कि निर्माणाधीन काम हैं, उनके लिए भरपूर राशि देनी चाहिए। जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक भवनों की हालत टूटी-फूटी है, जीर्ण-शीर्ण है उसके लिए भरपूर रकम देनी चाहिए, उनकी मरम्मत करानी चाहिए, उनको उपयोग के लायक बनाना चाहिए ताकि जनता को यह लगे कि सरकार काम कर रही है। इससे पैसा भी कम खर्च होगा और निर्माण भी होगा। मैंने इस बात को महसूस किया है, जगह-जगह जब हम चुनाव प्रचार में गये हैं तो हमने यह देखा है कि प्राथमिक शाला भवन टूटे हुए हैं, क्षतिग्रस्त हालत में हैं और बच्चे उन शालाओं में न पढ़कर, उन भवनों में न पढ़कर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। ऐसी हालत में सरकार को इन शाला भवनों के निर्माण हेतु ज्यादा से ज्यादा रकम देनी चाहिए क्योंकि इससे लागत कम आएगी और जो अनुपयोगी भवन हैं वे उपयोग के लायक बनेंगे। यह तो एक उदाहरण है, इसी तरह के बहुत-से ऐसे भवन हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं।

दूसरा, मेरा सुझाव सड़कों के बारे में है। आदरणीय वित्त मंत्री महोदय, आपने अपने बजट में केवल तीस करोड़ रुपया पुरानी सड़कों की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए अलॉट किया है, नई सड़कों के लिए राशि अलॉट की है। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल जब इस सदन में अप्रेल में बजट पेश किया गया था तो तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम नई सड़कों के लिए कोई राशि अलॉट नहीं करने जा रहे हैं, केवल पुरानी सड़कों की मरम्मत करेंगे। जबकि देखा गया है कि सड़कों पर नाममात्र का काम हुआ है। सड़कों की हालत बड़ी भारी खराब है, जीर्ण-शीर्ण है।

(श्री दुर्गाप्रसाद)

इस सदन में बहुतायत से माननीय सदस्यों ने सड़कों की हालत की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया है, मैं भी सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सड़क का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार को सबसे बड़ा नुकसान होता है, राजनीतिक नुकसान होता है। एक सड़क के ऊपर से एक पैदल यात्री भी निकलता है, साइकिल सवार भी निकलता है, रिक्शा वाला भी निकलता है, तांगे वाला, जीप वाला, ट्रक वाला, बस वाला सभी निकलते हैं और जब उस सड़क पर से निकलते हुए ठोकर खाते हैं तो सरकार को गाली देते हैं, कोसते हैं, दिन में एक बार नहीं, दस-दस बार कोसते हैं। यही एक बड़ा मुद्दा था। वैसे तो बहुत से मुद्दे रहे बी.जे.पी. की सरकार में जिसने बी.जे.पी. सरकार को नुकसान दिया, पर मैं जहां तक सोचता हूं इस सड़क के मुद्दे ने बी.जे.पी. सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान दिया और वही गलती यह सरकार दोहरा रही है।

सड़कों की हालत पश्चिमी राजस्थान में हो सकता है सही हो, पर जहां तक मैं पूर्वी राजस्थान की बात कहता हूं इतनी जीर्ण-शीर्ण है, इतनी खराब है कि हम लोग भी जब चलते हैं तो हमारे पीछे जो हमारे साथी लोग बैठते हैं वे सरकार को कोसते हैं और हमको भी कोसते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो आप वहां पर। तो मैं, वित्त मंत्री महोदय, निवेदन करूंगा कि आप इस मसले को संभालें। सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सड़कों की हालत बड़ी जीर्ण-शीर्ण है। हालत तो खराब है ही साथ-साथ में उन सड़कों पर जुगाड़ और चलने लगे हैं जो कि रास्ता नहीं देते, साइड नहीं देते और सड़कों पर चलना आज के दिन तो एक तरह से बड़ी खतरनाक बात हो गयी है। मैं यातायात मन्त्री से कहूंगा कि वे इन जुगाड़ों को बंद करें और पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से कहूंगा कि सड़कों के निर्माण की तरफ पूरा ध्यान दें। वित्त मंत्री महोदय, आप नई सड़कों की बात नहीं करें, इस साल तो पुरानी सड़कों की मरम्मत करा दें। मैं सोचता हूं कि यही बड़ी भारी उपलब्धि होगी और आपकी सरकार को प्रशंसा मिलेगी।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं, आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने एक स्थान पर अपने बजट भाषण में कहा है कि प्रशासन की गुणवत्ता बढ़ी है। आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रशासन की गुणवत्ता पर किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान सन् 1999 में छठे स्थान पर था। देश में छठे स्थान पर है। इसी प्रकार आपने कहा, सन् 1997 में यह अट्ठारहवें स्थान पर था जबकि हकीकत तो यह है कि राजस्थान वहीं का वहीं है। प्रशासनिक गुणवत्ता एक आम आदमी से पूछा जाए तो कतई नहीं बढ़ी है। आम आदमी को इसी प्रकार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं जिस प्रकार वह पहले लगाता था। और तो और सरकारी अधिकारी नेताओं पर हावी हैं, आप पर

(श्री दुर्गाप्रसाद)

हावी हैं, आपके आदेशों की पालना नहीं होती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सही बात कही आपने।

श्री दुर्गाप्रसाद : सही बात ही कहूंगा। मैं तो निर्दलीय आदमी हूं। आपकी भी चापलूसी नहीं करूंगा, इनकी भी नहीं करूंगा। (व्यवधान) दम पर जीतकर आया हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले एक आदेश निकाला था, आदेश बड़ा स्पष्ट था। उस आदेश को लेकर सम्बन्धित लड़का जब गंगानगर के एग्जीक्यूटिव आफिसर नगरपालिका के पास में गया तो उन्होंने कहा कि इसको उठाकर रख ले अपने पास में, अपशब्द कहे उस ई.ओ. ने और कहा कि यहां का मंत्री तो मैं हूं, यहां का....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य के बारे में ऐसी बात हुई, मैं कह रहा हूं....(व्यवधान) नौकरशाही....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसका ध्यान रखो कि माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसीलिए तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री सभापति : सपोर्ट नहीं। बोलिये, बोलिये। आप बोलिये।

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं कहता हूं कि सरकारी दफ्तरशाही सरकार पर हावी हो रही है। वे बिलकुल भी आपकी बात नहीं मानते। जब तक आप उनके खिलाफ कठोर निर्णय नहीं लेंगे तब तक वे सही रास्ते पर नहीं आएंगे। हर सरकारी दफ्तर में नियमों और उन नियमों का बोलबाला है जिनकी आड़ में जन साधारण को नाकों चने चबवाये जाते हैं। इन नियमों और उप नियमों की आड़ में जनसाधारण का खून चूसा जा रहा है और इन सरकारी अधिकारियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। दरअसल ये नियम और कायदे इस तरह से बनाये जाते हैं कि भ्रष्टाचार को संरक्षण मिले और सरकारी अधिकारी के दामन पर कोई आंच नहीं आए। जब तक आप नियमों और कायदों को सरल नहीं करेंगे तब तक इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। अगर सरकारी अधिकारी यह चाहे कि फलाने का काम करना है तो फौरन कर देगा लेकिन अगर वह यह सोचे कि इससे तो मेहनताना लेना है या इसको तंग करना है तो उससे चक्कर ही लगवाता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे। आप जब तक इस ओर ध्यान नहीं देंगे आम जनता आपसे नहीं जुड़ेगी, आपकी वफादार नहीं बनेगी। सरकार की सबसे पहली आवश्यकता यह है कि सरकारी अधिकारियों पर आप अंकुश रखें। जो आपके आदेशों की पालना नहीं करता है उसे आप सस्पैण्ड करें, उसे बाड़मेर भेजें। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब

(श्री दुर्गाप्रसाद)

तक आप सही ढंग से प्रशासन नहीं चला सकते हैं।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय वित्त मंत्री महोदय, आप माइन ओनर हैं, मैंने सुना है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शराब के ठेकेदार हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : न शराब का ठेकेदार हूं, न माइन ओनर हूं। इन दोनों में से एक नहीं हूं।

श्री दुर्गाप्रसाद : आपके परिवार वाले करते होंगे, जैसा मुझे बताया गया है। आप इण्डस्ट्रियलिस्ट रहे होंगे। आप इण्डस्ट्रीज के बारे में, माइंस के बारे में....

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आप माइन ओनर हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं हूं माइन ओनर। उस बात को ही कह रहा हूं, मैं माइन ओनर हूं। अगर मैं उद्योगपति हूं तो कोई चोर नहीं हूं, डकैत नहीं हूं। सरकार को इनकम टैक्स देता हूं, सैल्स टैक्स देता हूं, सरकार को चलाता हूं। आपको तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। इस सदन में तो मैंने यह देखा है कि अक्सर....(व्यवधान) जो मैंने कहा, सुनिये।

वित्त मंत्री महोदय, आपने बताया कि हमारे प्रदेश की आर्थिक हालत खराब है, मैं इसके बारे में आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। आप इसी प्रकार इस बात को कहते हैं जैसे कि एक व्यक्ति अशर्फियों के ढेर पर बैठा हो और कहता फिरे कि मेरी हालत तो बहुत खराब है, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे खाने को कुछ नहीं है, मैं कैसे अपने परिवार को चलाऊं। यही हालत हमारी इस राज्य सरकार की है। आपका प्रदेश खनिज सम्पदा से भरा हुआ है। हमारा प्रदेश राजस्थान, बिहार के बाद में दूसरे नम्बर का ऐसा प्रदेश है जिसके यहां खनिज सम्पदा के अतुल भंडार भरे हुए हैं। पर 1980 का जो वन संरक्षण नियम आया, फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट आया उसने इन तमाम माइनिंग लीजेज को, हमारे जो मिनरल डिपोजिट्स थे उन्हें वन क्षेत्र में जमींदोज कर दिया। नियम के बाद में सुप्रिम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रिम कोर्ट ने एक लाइन में फैसला कर दिया कि जितनी भी माइनिंग लीजेज जो वन क्षेत्र में पड़ी हुई हैं चाहे वे 50 साल पहले स्वीकृत हुई थीं, चाहे जिन पर उनका करोड़ों रुपया इंवेस्ट हो गया, जिनको डवलप कर दिया गया है, तानाशाही फैसला था वह कि जितनी भी माइनिंग लीजेज फोरेस्ट के अन्दर पड़ती हैं वे फलानी तारीख से बंद कर दी जाए। एक दिन में वह माइनिंग लीजेज बंद कर दी गई और जो मिनरल दोहन हो रहा था वह बंद कर दिया गया। आप कहेंगे कि मिनरल से तो रेवेन्यू वैसी की वैसी है। कास्ट बढ़ी है, आपने रायल्टी बढ़ाई है इसलिए इस पर फर्क नहीं पड़ा। परन्तु यदि आपकी माइनिंग लीजेज बदस्तूर उसी प्रकार चलतीं तो मैं सोचता हूं कि करोड़ों का आपको फायदा होता। आपको काम यह करना चाहिए कि जो फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट है उसमें तब्दीलियां करनी चाहिए और

(श्री दुर्गाप्रसाद)

जो मिनरल डिपोजिट एरियाज हैं, उन मिनरल डिपोजिट एरियाज को वन क्षेत्र से बाहर करवाने की आपको अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। गुजरात में गवर्नमैंट ने ऐसा किया है। उन्होंने अपने अधीन एक लिस्ट बनाई कि कौनसे मिनरल डिपोजिट एरियाज हैं और उस लिस्ट को केन्द्र सरकार को भेज कर फोरेस्ट से बाहर करवा दिया। मैंने फैडरेशन आफ माइनिंग एसोसियेशन के सैक्रेटरी और दूसरे जो बुद्धिजीवी हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि अभी जो आपके वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में करीब 112.34 लाख रुपये का वित्तीय घाटा बताया है शायद यही रकम है, हमारे फैडरेशन के जो मानदा सैक्रेटरी हैं जिनका नाम वित्त मंत्री महोदय नोट कर लें, ए. एस. माथुर हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं उन्होंने कहा कि आप वित्त मंत्री महोदय से कह देना कि आप हमसे डिसकस करें और हमारी राय लें। हम आपको तरीका बताएंगे कि मिनरल कैसे इस राज्य में डवलप हो सकती है और क्या सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। हम 112 करोड़ नहीं 150 करोड़ रुपया आपको इस मिनरल से रायल्टी के रूप में देंगे। सभापति महोदय, मैंने जो बात कही है केवल गपोकला नहीं किया, यह हकीकत है। हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सैंड स्टोन निकलता है, मार्बल निकल रहा है। लेकिन आपने ऐसे अड़ंगे पैदा कर दिये हैं कि माइन आनर अब मर्जी से, दिल लगाकर डिपोजिट्स में पैसा नहीं लगा रहा है। अगर ये डवलप होंगे तो हमारे राज्य की तरक्की होगी, आय बढ़ेगी, लेबर को रोजगार मिलेगा। फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट आया, फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के अधीन अब फोरेस्ट में कोई काम नहीं कर सकता। जबकि काम हो रहे हैं। पहले तो शराब माफिया होते थे, भू-माफिया होते थे, अब ठेकेदार माफिया हो गये हैं जो कि इल्लीगल काम कर रहे हैं। सरकार को कोई इनकम नहीं हो रही है और काम बदस्तूर हो रहा है। तो इन सब बातों को आपको सोचना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय डा. किरोड़ी लाल।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : सभापति महोदय, कांग्रेस सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद बहुत बावेला और शोर मचाया कि पूर्ववर्ती सरकार खजाने को खाली कर गई, भारी कर्जा छोड़ गई। उन्होंने श्वेत-पत्र भी, सभापति महोदय, जारी किया। लेकिन मैं आज आपका ऐसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार के जो रेवेन्यू लासेज हैं-चाहे सैल्स टैक्स से हो, ट्रान्सपोर्ट से हो, चाहे वह मिनरल से हो, चाहे वह एक्साइज से हो; उस सबमें जबरदस्त लीकेज जानबूझकर सरकार के अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। सभापति महोदय, पहली बार हुआ है कि अच्छी आबकारी नीति जो हमारी सरकार ने बनाई वह नीति इस सरकार के चलते बुरी तरह

(डॉ. किरोड़ी लाल)

से विफल रही। इनकी दोषपूर्ण आबकारी नीति बेमेल समूह बना दिये जिनके कारण बार-बार टेण्डर के नाम पर मेले लगाने के कारण जबरदस्त राजस्व हानि आबकारी विभाग को हुई है। सभापति महोदय, कुछ ठेके तो इतनी देर से उठे कि सरकार ने 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत पर ही छोड़ दिये। सभापति महोदय, जहां तक मेरा अनुमान है देर से ठेके उठने के कारण करीब 168 करोड़ रुपये की राजस्व हानि सरकार को हुई है। सरकार ने अपने एक सवाल के जवाब में खुद स्वीकार किया है

(15.00 बजे)

कि जो इन्होंने 67 समूह बनाये थे उन 67 समूहों में 8,11,30,00,000 रुपये की प्राप्ति होनी चाहिये थी, रिजर्व प्राइस इतनी फिक्स हुई थी और उसकी तुलना में सरकार को करीब 6,87,19,00,000 की राशि प्राप्त हुई। इस हिसाब से देर से ठेके उठने के कारण सरकार ने एक प्रश्न के जवाब में 1,40,11,00,000 रुपये का घाटा सरकार ने खुद बताया है। सभापति महोदय, इनका जो टारगेट था वह था 1195 करोड़ रुपये का, उस 1195 करोड़ रुपये के अंगेस्ट में इनको प्राप्ति हुई मात्र 962 करोड़ की। इस तरह से 233 करोड़ का घाटा सरकार के अधिकारियों, बड़े ठेकेदारों और सरकार के मंत्रियों की आंख मिचौनी के कारण, किसी प्रकार की कोई इनकी लापरवाही हो जाने के कारण सरकार को हुआ है।

सभापति महोदय, इन्होंने जो टेंडर जारी किया, उस टेंडर की शर्त 12 के अनुसार 1999-2000 के जो स्वीकृत समूह थे उनको 17 परसेंट की धरोहर राशि जमा करानी थी। 17 परसेंट की धरोहर राशि अगर दस दिन की चस्पांदगी के अन्दर जमा नहीं करायी जाती है तो ठेका निरस्त करने का भी अधिकार सरकार को है। लेकिन वह तो दूर की बात है। जब भी कोई ठेकेदार इनका पालन नहीं करता है तो सरकार उसकी राशि भी जब्त कर सकती है। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और सरकार ने हमने जो असैम्बली में क्वेश्चन किया तो अपने जवाब में बताया है कि निविदा की शर्तों के अनुसार शराब के ठेकेदारों से ठेके की स्वीकृत राशि के 17 परसेंट के बराबर नगद रूप से धरोहर एवं ठेकाराशि के 30 परसेंट के बराबर हैसियत और जमानत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है। यह न तो धरोहर राशि, हैसियत, न जमानत 11 जिलों में प्रस्तुत की नहीं गयी। ये जो 11 जिले हैं इनमें अलवर है, जयपुर है, सीकर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, नागौर है, पाली है, गंगानगर है, उदयपुर है, राजसमंद है। बाकी सब जिलों से तो 17 परसेंट इन्होंने धरोहर राशि ले ली लेकिन इन 11 जिलों के कुछ समूह ऐसे हैं जो बड़े प्रभावशाली हैं, सरकार में जिनकी पकड़ है, अधिकारियों से जिनकी सांठ-गांठ है। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। अकेले जयपुर शहर के ठेके में 12,85,00,000 रुपये की धरोहर राशि आज की तारीख में बकाया है। अलवर पर 1,21,00,000 की है। सीकर पर करीब करोड़ है। उदयपुर पर

(डा. किरोड़ी लाल)

2,72,00,000 की यह राशि बकाया है। जयपुर समूह पर तो 31 मार्च, 2000 तक जो बकाया राशि है, इसने 5,36,00,000 रुपये सिक्योरिटी के जमा कराये, 80,00,000 रुपये लास्ट में सिक्योरिटी के जमा कराये। 6,16,00,000 रुपये इन्होंने जमा कराये और 31.3.2000 तक आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 3,25,00,000 तो केवल ब्याज ही ब्याज हो जाता है और 3,42,00,000 रुपये मार्च तक की बकाया है। 6,67,00,000 रुपये अकेले जयपुर समूह पर हैं और उन्होंने जमा कराये 6,16,00,000। अप्रेल, 2000 तक यह सिक्योरिटी राशि जमा होनी चाहिये, केवल जयपुर समूह की बाकी समूहों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वह होनी चाहिये 20,94,00,000। 51,00,000 सरकार का पहले से बाकी, तो 21,45,00,000 रुपये सरकार के जयपुर समूह पर बकाया हैं और एक पैसा नहीं देने के बाद भी ठेका बराबर चल रहा है।

मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा इस मौके पर। हमने विधान सभा में यह मामला उठाया, माननीय वित्त मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित किया। 7-8 तारीख को प्रश्न लगाया था, उस प्रश्न के बाद क्या किया? 8 तारीख से 15 तारीख तक अप्रेल में सरकार ने इसको परमिट जारी करना बंद कर दिया। उस पर इतना बकाया होने के कारण उसको नोटिस दे दिया। नोटिस थमाये जाने के बाद आपको आश्चर्य होगा, एक भी पैसा इस जयपुर समूह ने जमा नहीं कराया और 15 तारीख के बाद 18 तारीख को ये डिवीजनल कमिश्नर के पास गये स्टे लेने के बाबत। संभागीय आयुक्त ने स्टे देने से मना कर दिया, निरस्त कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी, 18.4.2000 के बाद में किस कारण से आपके जयपुर के किस जिला आबकारी अधिकारी ने उनको परमिट देना कैसे चालू कर दिया जबकि 21,45,00,000 रुपया एक ही समूह पर बकाया है? मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इतना पैसा बकाया होने के बाद इतनी बड़ी मेहरबानी आपने एक समूह के ऊपर किस कारण से कर रखी है कि आप उससे पैसा नहीं ले रहे हैं? आपने उसको नोटिस दे दिया, नोटिस देने के बाद पैसा जमा नहीं करा रहा और आपने उसको बराबर परमिट जारी कर रखा है।

सभापति महोदय, यही नहीं, 31.3.2000 तक जो धरोहर राशि, सोलवेंसी या जमानत जमा होनी चाहिये थी, वह बाकी के जो इन्होंने 11 जिलों के समूहों की लिस्ट दी है उनकी भी जमा नहीं है। उस कारण से खतरा यह बना हुआ है कि जिस प्रकार से जालौर में उसने समय पर धरोहर राशि जमा नहीं करायी इससे डेढ़ करोड़ रुपया सरकार का डूब गया और सरकार का डेढ़ करोड़ रुपया डूब गया तो वह ठेका सरेंडर करके चला गया। अब उसका दुबारा टेंडर किया है। जो ठेका सोलह करोड़ में उठना चाहिये था वह अब आठ करोड़ के टेंडर पर उठेगा। सरकार को आठ करोड़ की

(डा. किरोड़ी लाल)

रुपये 1,42,95,287 के स्थान पर राशि रुपये 21,49,590 की जाती है। यह कमिश्नर, उदयपुर ने किया है। आपने इसमें 1 करोड़ 21 लाख की जो माफी दी है, जो मेहरबानी की है, वित्त मंत्री जी, यह महत्त्वपूर्ण निर्णय आपके बिना नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार जानबूझकर के खजाने को खाली कर रही है। एक तरफ सरकार ने नोटिस 1 करोड़ 42 लाख का दे दिया, दूसरी तरफ सरकार 1 करोड़ 21 लाख की माफी करके 21 लाख की मांग कर रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, यह जो कांग्रेस की सरकार आयी है—

श्री राजेन्द्र पारीक : उस ठेकेदार की पैरवी कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब, समाप्त करने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : इतनी पैरवी उस ठेकेदार की करते तो उस गरीब को ठेका मिल जाता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। आप अपने निर्णय का सम्मान कीजिये, माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : मैं ठेकेदार की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने निर्णय का सम्मान कीजिये, समाप्त कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। एक करोड़ 42 लाख की मांग होने के बाद में 21 लाख रुपये की मांग करना और 1 करोड़ 21 लाख का सरकार को चूना लगाने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं, आबकारी मंत्री जिम्मेदार हैं और राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे मामलों को बड़ी गंभीरता से ले।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, इसी प्रकार से इन्होंने आर.टी.डी.सी. के मामले में किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : आर.टी.डी.सी. के मामले में 31 मार्च, 1999 में जब ठेके चालू हुए तो इन्होंने आर.टी.डी.सी. पर सरचार्ज लगा दिया और बाकी के बड़े ठेकेदार को छोड़ दिया। सरकारी विभाग पर सरचार्ज लगा रहे हैं, इसका ट्यूरिज्म पर इफैक्ट पड़ा और सरकारी विभाग के चूना लगा। और सरकार के बड़े ठेकेदारों को आप खुला छोड़ दें, यह चलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने गंगानगर शुगर मिल से कम पाउच का उत्पादन करने की साजिश रची है जिससे बड़े ठेकेदारों को फायदा हो जाए। सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा कि एक पाउच पर दो रुपये 70 पैसे का नुकसान सरकार का होता है, बड़े ठेकेदारों से सांठ-गांठ और अधिकारियों की मिलीभगत से कम पाउच

(डा. किरोड़ी लाल)

का उत्पादन जानबुझकर कराया जाए ताकि छोटे ठेकेदार ठेके छोड़कर भाग जाएं...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

डा. किरोड़ी लाल : और बड़े ठेकेदार इसका फायदा उठा लें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

डा. किरोड़ी लाल : उस पर करीब 2 साल में 300 करोड़ राजस्व हानि सरकार को होगी।

श्री सभापति : मैं दूसरे माननीय सदस्यों को बुला रहा हूं। कृपया समाप्त कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से इस अकेले वर्ष में सरकार के अधिकारियों ने बड़े ठेकेदारों से मिलकर करीब साढ़े 300 करोड़ की राजस्व हानि आबकारी विभाग को की है। मैं यह बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि यह तो अकेले आबकारी विभाग का किस्सा है। ऐसे ही घपले सेल्स टैक्स में हैं, ऐसे ही ट्युरिज्म में हैं, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट में हैं, ऐसे ही माइंस में है। सरकार जानबूझकर खजाने को खाली कर रही है। सरकार ने यह तय कर लिया कि बड़े ठेकेदार चाहे कैसे भी लूटें, कुछ भी करें लेकिन सरकार उस टैक्स की चोरी को रोकने में नाकामयाब रही है। मैं वित्त मंत्रीजी, आप अपने आप में बहुत विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो टैक्स की चोरी हुई है अगर आपने इसको मजबूती से रोका तो आपका खजाना खाली नहीं रहेगा, आपका खजाना भर जाएगा। जो चारों तरफ से विकास के काम ठप्प हो रहे हैं, विकास के काम रुके हुए हैं, गरीबी की योजनाएं रुकी हुई हैं, वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, यह जो खजाना भरने लगेगा तो यह सारा काम चालू होने लग जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो टैक्स का जबरदस्त लीकेज हो रहा है यह सरकार लीकेज को बंद करने में नाकामयाब रही है। मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि जो बिन्दु मैंने सूक्ष्म समय में उठाये हैं, वित्त मंत्रीजी, आप उन पर गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही कराएं।

श्री सभापति : माननीय श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे सामने प्रश्न यह है कि राजस्थान देश का पिछड़ा प्रांत नहीं रहे और तीव्रगति से आगे बढ़े। पिछली सरकार की नीतियां दुर्दशा की रहीं और प्रशासनिक खर्च और कई प्रकार की निरर्थक योजनाएं चलाकर राजस्थान को गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया गया। इसलिए आज योजनाओं में कटौती, विकास कार्यों में कुछ अवरुद्धता और शिथिलता की बातें सामने आती हैं। इन बातों को हम बहुत लम्बे समय तक कहते चलें इसके बजाय यह होना चाहिये कि पहले की सरकार का जैसा दृष्टिकोण था वह तो

(श्री रतन लाल ताम्बी)

जनता ने जनादेश के द्वारा फैसला दे दिया, अब हमें इन वर्तमान परिस्थितियों में राजस्थान किस प्रकार आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से आगे बढ़ सके और योजनाओं के माध्यम से पिछड़े राजस्थान को हम कैसे आगे बढ़ा सकें, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारा जो टैक्स राजस्व है, यदि उसमें लीकेज न हो, उसके माध्यम से बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार न हो और वह पैसा सरकारी खजाने में पूरे ढंग से आ सके, इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेयता की बात को लागू करें तो राजस्थान के आर्थिक संसाधनों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है और इस प्रकार की स्थिति से हम उबर सकते हैं। मैं इस मौके पर पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आज 19 लाख हैक्टेयर भूमि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत आती है जिसमें से करीब 8 लाख हैक्टेयर भूमि हमने अब तक नीलामी के जरिये या अन्य तरीकों से दे दी है। बाकी 11 लाख हैक्टेयर जमीन जो आज भी है उसके बारे में यदि हम 25 प्रतिशत को नीलामी की दृष्टि से दें और 75 प्रतिशत गरीब चयनित परिवार और दूसरे लोगों को दें तो राजस्थान में करीब 20 हजार करोड़ रुपए और हमको आ सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। इस बारे में हमको सोचना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी मात्रा में राजस्थान कैनाल पर 30-40-50 साल से शीशम के वृक्ष लगे हैं, आज उनकी चोरी और अवैध कटाई हो रही है। यह बार-बार प्रश्न आता है कि सरकार की वर्तमान मशीनरी की मिलीभगत से या किसी अन्य तौर तरीके से अवैध कटाई और चोरी होती है, उसको रोक पाने में हम समर्थ नहीं हैं। मेरा यह मानना है कि इसको नीलाम करके करीब पांच सौ करोड़ रुपए की राशि हमको मिल सकती है। इसके स्थान पर नया वृक्षारोपण भी साथ-साथ करके उस इलाके में वन सम्पदा को फिर से उत्पादित किया जा सकता है। इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।

राजस्थान का कोई भी विभाग ले लें-उद्योग विभाग, बिजली विभाग, आबकारी विभाग, या जो भी इस तरह के रेवेन्यू के विभाग हैं, इनमें बहुत बड़ी तादाद में बकाया राशि पड़ी है। करोड़ों रुपए बकाया है जिनको हम पूरे तौर से वसूल नहीं कर पाते हैं। कुछ व्यवसायों पर हमने कर इतना बढ़ा दिया कि वे व्यवसाय ही चरमरा गये। इसलिए हमें कुछ बातें सोचनी पड़ेंगी। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों से ट्रकों और बसों के परमिट लेने की होड़ नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ यातायात सुविधाएं रोडवेज पूरी तरह से नहीं दे पा रही हैं और प्राइवेट लोग इसमें इन्ट्रैस्ट नहीं ले रहे हैं, पलायन करके जा रहे हैं। इसके कारणों में हमको जाना पड़ेगा कि हमारा रेवेन्यू इसमें कम क्यों हो रहा है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि हमारी आय किस

(श्री रतन लाल ताम्बी)

तरह से बढ़े यह खास तौर से सोचने का विषय है।

हमारी करोड़ों रुपए की नजूल सम्पत्ति जगह-जगह पर बेकार पड़ी है, कई लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। उन सारी जमीनों से राज्य के खजाने में पैसा कैसे आए, इसका प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सिंचाई में डिमाण्ड पहली बात तो बहुत बड़ी तादाद में कायम ही नहीं हो पाती मौके पर कायम नहीं होती है और अगर कायम हो जाती है तो वसूल नहीं हो पाती है, ये सारी बातें हैं। आवासन मण्डल की बहुत बड़ी बकाया है, और तो और आबकारी विभाग की भी जैसे कि अभी माननीय किरोड़ी लाल जी बता रहे थे। आखिर हमारी किन-किन नीतियों में गड़बड़ रही जिसके कारण ठेकों में डेढ़ सौ-दो सौ करोड़ रुपए की चपत लग गई? यह जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अधिकारी मनमाने ढंग से करते रहें और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़े।

नये सिनेमाघरों की कैपेसिटी पर मनोरंजन कर लगाया है। अब इतनी सीटों पर लोग बैठेंगे नहीं, पैसा आपके आए नहीं तो यह व्यवसाय चौपट हो जाएगा, इसलिए कोई व्यवसाय कैसे ठीक प्रकार से चले, राजकोष में पैसा भी आए, इस दृष्टि से हमको आज सोचने की आवश्यकता है। बिक्री कर की बहुत बड़ी चोरी होती है। अब कहां कमी है, क्यों होती है, उसको देखने की आवश्यकता है कि उसका कैसे सरलीकरण किया जाए जिसके माध्यम से पैसा आ सकता है।

एक माननीय सदस्य ने खनन सम्पदा के बारे में बहुत अच्छे विचार दिए। राजस्थान में विपुल खनिज सम्पदा है, उसका किस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से दोहन हो? राजस्थान में खनिज सम्पदा क्षेत्र 30-30, 40-40 साल से आरक्षित किए हुए हैं, जिस प्रयोजन के लिए आरक्षित किए गए हैं उनका जियोलोजिकल सर्वे नहीं हो पाता और जिस प्रयोजन के लिए आरक्षित है उसके अलावा और कोई डिसीजन नहीं कर पाते हैं। जो सम्पदा है उससे करोड़ों रुपए राजस्थान सरकार को मिल सकते हैं लेकिन इस दिशा में कोई कारगर प्रयत्न नहीं होते हैं। कई ऐसे मामले हैं जिन पर समयबद्ध कार्यवाही नहीं होती, जिससे गवर्नमैंट का राजकोष काफी प्रभावित होता है।

आवासन मण्डल का जिक्र पहले भी आया, पता ही नहीं लगता कि किसमें कितनी बकाया है, कहां क्या हो रहा है। हिसाब-किताब समझ में नहीं आता। 15-15, 20-20 साल से लोग चक्कर काटते फिरते हैं, कोई कहने वाला ही नहीं है कि आपका इतना बकाया है, इतनी किश्तें हैं, जो जाए उसको कहें कि आप हिसाब ला दो, कोई हिसाब रखता है, कोई नहीं रख पाता है, किसी के पास से रसीद खो जाती है या और कुछ हो जाता है। गवर्नमैंट का इतना बड़ा संस्थापन लेकर चलते हैं, आपके कोई अकाउण्ट्स नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये कुछ ऐसे

(श्री रतन लाल ताम्बी)

मुद्दे हैं जिन पर समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए जिसके आधार पर हमारे सोर्स बढ़ सकें।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के गुणात्मक परिणाम सामने नहीं आ पाते और उन पर हम खर्चा करते चले जाते हैं। गरीबी उन्मूलन की योजनाएं ला रहे हैं लेकिन उन योजनाओं से वास्तव में गरीबों को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें बिचौलिए कितना लाभ उठा रहे हैं, आर्थिक खुशहाली लोगों की बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उस दिशा में हमारे कोई प्रयत्न ही नहीं हैं। ऐसे सारे मामलों पर हमको गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

एक कानून बना रखा है कि आरा मशीन वन सम्पदा से 10 किलोमीटर के अंदर नहीं लगेगी, उसमें इतना रुपया लगेगा, वह लगेगा लेकिन राजस्थान में जंगल बरबाद हो रहे हैं, आरा मशीन के माध्यम से जंगल भी कट रहे हैं और जो पैसा आरा मशीन का निर्धारित है, उसको भी आप वसूल नहीं कर रहे हैं, उस कानून का खुलेआम अतिक्रमण हो रहा है। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनका पुनरावलोकन आज कुल मिलाकर हमको करने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हम हर स्तर पर जो सरकारी खजाने को चूना लगाते हैं, उन पर कारगर ढंग से कार्यवाही या जवाबदेही निश्चित करने की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे, हमारा करोड़ों रुपया बरबाद होता चला जाएगा।

राजस्थान में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है, हमारे राजस्थान का पानी बाहर जा रहा है, सिंचाई के साधनों का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसकी हमारी कोई सुनिश्चित योजना नहीं है। पीने के पानी की समस्या इतनी गम्भीर हो गई है कि कई जिलों में 40-40, 50-50 फीट पानी गहरा चला गया है, हमारी सारी योजनाएं हैण्ड पम्प आदि नकारा हो गए हैं। इसके लिए हमारे पास कोई तैयारी ही नहीं है। समृद्धशाली राजस्थान बनाने के लिए जब तक हम इन मुख्य मुद्दों पर विचार करके नहीं चलेंगे तब तक राजस्थान से न तो गरीबी हटाई जा सकती है और न बेरोजगारी हटाई जा सकती है। बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है।

हम चाहते हैं कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो लेकिन आज बिहार के बाद नीचे से दूसरे नम्बर पर हम आते हैं, यद्यपि हम काफी कुछ कर रहे हैं मेरा ऐसा मानना है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारा किया कराया काम कारगर रूप से सामने नहीं आ रहा है। 200 सैकण्डरी स्कूल खोल देंगे, 200 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोल देंगे, क्या फर्क पड़ता है? इतना बड़ा राजस्थान, जहां 2000 सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी स्कूलों की आवश्यकता है और दो-दो सौ खोल देंगे, आने वाले समय में और डिमाण्ड बढ़ जाएगी। हम किसी भी दृष्टि से निश्चित कार्यक्रम योजनाबद्ध ढंग से इसलिए नहीं

(श्री रतन लाल ताम्बी)

कर पा रहे हैं कि हमारा पैसा प्रशासनिक स्तर पर काफी बड़ी मात्रा में खर्च हो जाता है और राजस्थान का जो समुचित विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। राजस्थान के खजाने में प्रशासनिक खर्चा और पेंशन आदि पर मेरा खयाल है, पहले तो मानते थे कि 50 प्रतिशत तक होना चाहिए, अब 50 प्रतिशत के बजाय 85-87 प्रतिशत हो गया। यह राजस्थान के लिए एक कैंसर की बीमारी है। अब मैं इच्छा शक्ति की बात कहना चाहता हूं। इच्छा शक्ति पर यह सरकार चलने की कोशिश कर रही है, यह सही है कि काफी लोगों को हटाना पड़ेगा, जिन विभागों की आवश्यकता नहीं है उनका एकीकरण करना पड़ेगा। यह बीमारी राजस्थान में इतनी फैल चुकी है कि उसके लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। यह पहली सरकार है जिसने इस दिशा में सोचा है। राजस्थान में मितव्ययिता के मामले में एक वर्कशाप करके इसके निर्णयों को सबसे पहले मंत्रियों पर लागू किया गया बाद में बड़े अफसरों पर लागू किया गया। इसी तरह नीचे तक हम लागू करेंगे। तो इसका बहुत बड़ा परिणाम भी हमारे सामने आता चला जाएगा। जब तक हम इस दिशा में प्रयत्न लगातार नहीं करेंगे, इतने बड़े कार्यक्रम को पूरी तरह से सफलता के साथ सम्पादित नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा हम जनता को सस्ता न्याय देना चाहते हैं, हम किसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान में 1951-52 में जिले बने, कुछ उसके बाद बने, कुछ तहसीलें बनीं, कुछ उपखण्ड बने और राजस्थान में आज स्थिति यह बन गई कि गठन के बाद तीन-साढ़े तीन गुनी जनसंख्या बढ़ गई। कई तहसीलें तीन लाख की जनसंख्या की बन गई। आज भी कई पांच लाख की जनसंख्या के उपखण्ड हैं, वहां न तो अफसर पहुंच पाते हैं और जो राजस्व आना चाहिए वह पूरी तरह से नहीं आ पाता। राजस्व लीकेज भी बहुत होता है।

सड़कों के किनारे-किनारे करोड़ों रुपये की जो सरकारी जमीनें थीं उन पर अतिक्रमण कर लिया, मकान बना लिये। कोई कहने-सुनने वाला नहीं था। करोड़ों रुपया राजस्थान के खजाने में आ सकता है। मैं नहीं चाहता कि सबको तोड़ा जाए, मगर आज सरकार को उनका निर्धारित दर पर पैसा आ सकता है। जहां आपके मापदण्ड के अलावा भी जमीनें अतिक्रमण की हुई हैं वह आपको करना चाहिए। शहरों में बड़े-बड़े तालाब और भू-खण्ड पड़े हुए हैं बड़े-बड़े लोगों के पास, उन भू-खण्डों से पूरा कर वसूल नहीं कर पा रहे हैं। वह सरकार अगर वसूल करे तो करोड़ों रुपया राजस्थान के खजाने में आ सकता है। आज इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, उसको किसी तरह करना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने ग्रामीण विकास के लिए करोड़ों रुपये दिये, लेकिन पिछले सरपंच और सचिव थे वे चुनावों के पहले या चुनावों के दिनों में

(श्री रतन लाल ताम्बी)

बल्कि मेरे पास यह भी प्रमाण है कि चुनावों के बाद आज तक भी वे नये सरपंचों को ग्राम पंचायतों का चार्ज नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? इसलिए कि उनके पास इतना शेष पैसा है कि किसी तरह कागजों में खानापूर्ति करके पूरा कर देना चाहते हैं। अब इसमें कोई न कोई मशीनरी जरूर मिली हुई है। ग्रामीण विकास का पैसा जो गांवों में लगना चाहिए, वो इस तरह से कागजों में खानापूर्ति होने से समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार के कई मामले हैं जिन पर हमारा ध्यान जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास सही ढंग से हो सकता है। मैं समझता हूं, विधान सभा के बाद कुछ अर्थशास्त्री कुछ उद्योगों में लगे हुए लोग, कुछ अच्छे अनुभवी अधिकारी, ये सब मिल-बैठकर सारे मामले का पुनरावलोकन करें तो नान-टैक्स रेवेन्यू राजस्थान का कैसे बढ़ सकता है उस प्रश्न पर और एक हमारा फालतू खर्चा कौनसा है उन प्रश्नों पर हमारा ध्यान निश्चित रूप से जाएगा और उससे राजस्थान को लाभ मिलेगा।

मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन बातें कहकर समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : शुरू से कीजिए आप शुरूआत।

श्री रतन लाल ताम्बी : शुरूआत दूसरा करना ठीक होता है। उपखण्ड और तहसील, नायब तहसीलें, ए.सी.एम. कोर्ट का मैंने जिक्र किया था। मैं इसलिए जिक्र कर रहा था कि बड़ी तादाद में लोग आज परेशान हैं। राजस्थान में लाखों-करोड़ों मुकदमे जगह-जगह पैण्डिग पड़े रहते हैं और हम सस्ता न्याय देने की बात करते हैं। राजस्थान में इस समय फिर से इस बात का प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि कहां-कहां राजस्व के उपखण्ड, तहसील, नायब तहसील की अनिवार्यता है लेकिन खर्चा जो सरकार का आने वाला है, हम उससे डरकर कुछ नहीं करते। मैं कहता हूं, वहीं का वहीं सारा समय पर कार्यक्रम हो जाएगा, वहीं आपके सोर्स बढ़ जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी। तो इस तरह के प्रयत्न पूरे राजस्थान में फिर से करने की आवश्यकता है जिसके आधार पर जनता को सही ढंग से सस्ता न्याय मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में आज बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है।

श्री सभापति : कृपा कीजिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : बस खतम कर रहा हूं। बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आखिर हम ग्रामीण युवकों को बेरोजगारी से कब तक ग्रसित रखेंगे? उनके लिए हमारा कोई कार्यक्रम निश्चित होना चाहिए। ग्रामोद्योग की बात हम करते हैं कि ग्रामोद्योग के लिए योजनाएं तैयार करके गांव के लोगों को किस तरह जोड़ें ताकि कई तरह के जो अपराध बढ़ते हैं वे समाप्त हो सकें।

उपनिवेशन की भूमि के बारे में मैंने जो सुझाव दिये उसके अलावा हमारी सीलिंग की जमीन के लिए मैं खास तौर से कहना चाहता हूं। सीलिंग की करीब लाखों एकड़ जमीन है जो सरकार के पास आकर

(श्री रतन लाल ताम्बी)

किसानों को वितरित होती तो सरकार के खजाने में पैसा भी आता और उन लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होता। लेकिन पता नहीं यह क्या सरकार है, एक बार नहीं, चार-चार बार उन मुकदमों में फैसले करते रहते हैं, हर बार पुनरावलोकन करते हैं, फिर लटका देते हैं। राजस्थान में भूमि सुधार के लिए राजाशाही से लौटकर राजस्थान में 1952 में जनतांत्रिक सरकार गठित हुई थी और करोड़ों किसानों ने जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं राजस्थान सरकार से की हैं इसकी पिछले 10-12 सालों में काफी गति बिगड़ी है, इसमें शिथिलता आयी है। मैं चाहता हूं इन मामलों को विशेष तौर से देखें करोड़ों रुपये सीलिंग जमीन के राजस्थान के खजाने में आ सकते हैं वे प्राप्त किये जाने चाहिए और भूमिहीन, गरीबों के पास वह जमीन पहुंचे, इस बात का प्रयत्न करके राजस्थान की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय सभापति महोदय, आज अंतिम चरण में बजट चल रहा है और आज बजट पारित हो जाएगा। पूरे साल भर के अन्दर बजट सत्र ही एक सत्र होता है जो कि लम्बे समय तक चलता है और सरकार का विधायकों से सीधा संवाद होता है। एक बात रोजाना हर मांग पर हर मंत्री के मुंह से हमको यह सुनने को मिली कि राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। सभापति महोदय, यह सब जानते हैं, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर भी यदि किसी प्रश्न में थोड़ा-सा फाइनेंशल इम्प्लीकेशन होगा तो यही जवाब आएगा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। अब आपकी आर्थिक स्थिति खराब है यह सब लोग जानते हैं। बजट भाषण के वाद-विवाद के प्रथम चरण में मैंने यहां कुछ बातें निवेदन की थीं उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ और बातों की ओर इस सदन का और माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सभापति महोदय, बजट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बजट का जो अंग होता है वह योजना होती है। इस देश का योजनाबद्ध तरीके से विकास हो, उसकी परिकल्पना पं. जवाहर लाल नेहरू ने की थी, पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना उन्होंने प्रारम्भ की। इंदिरा जी ने उसका सुदृढ़ीकरण किया, राजीव जी ने उसको आगे बढ़ाया और आप एक कर्मठ और डैडिकेटेड कांग्रेस मैन अब प्लान होलीडे कर रहे हैं। यह मैं आंकड़ों से प्रमाणित करूंगा, इस सदन को आश्वस्त करूंगा कि प्लान होली-डे इस गवर्नमैंट ने कर दिया। सभापति महोदय, यह एक विचित्र प्रकार का बजट भाषण माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने दिया, there is hardly any mention of the plan. एक पैरे के अंदर दो लाइन जरूर कही हैं, लेकिन जो पूर्व वित्त मंत्री थे चंदन मलजी बैद और फाइनेंशल विजार्ड, no doubt

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

as to this, उन्होंने जो बजट भाषण दिया, उन्होंने एट लैंथ डील किया है राजस्थान की योजना को। मैं आपकी अनुमति से पैरा-9 उनके बजट भाषण का पढ़ना चाहता हूं।

"माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 27 हजार 650 करोड़ रुपये पिछली सरकार ने निश्चित करवाया था। पंचवर्षीय योजना का आकार तो बढ़ा दिया गया, लेकिन उसको पूरा करने के लिए पिछली सरकार ने न तो समुचित संसाधन जुटाये और न ही इसको पूरा करने के लिए कोई इच्छाशक्ति प्रदर्शित की। नवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 1997-98 के लिये योजना 3 हजार 514 करोड़ 42 लाख रुपये की स्वीकृत कराई गयी थी जो बाद में बढ़कर 4 हजार 259 करोड़ 39 लाख रुपये की कर दी गई, लेकिन इसके पेटे कुल 3 हजार 987 करोड़ 35 लाख रुपये का ही खर्च बताया गया। इस खर्च में भी 747 करोड़ रुपये की राशि का लेखा समायोजन तो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए किया गया। अतः वास्तव में देखें तो योजना पर केवल 3 हजार 240 करोड़ 35 लाख रुपये ही खर्च हुए।

यह इक्विटी वाला मसला मैं बाद में टच करूंगा, सभापति महोदय, आपकी अनुमति से, लेकिन आप इसको नोट फरमावें 3240 करोड़ रुपये पहला साल। पंचवर्षीय योजना का पहला साल, 1997-98 का जो खर्चा बता रहे हैं चंदन मलजी वह 3240 करोड़ 35 लाख बता रहे हैं।

"नवीं योजना के दूसरे साल 1998-99 के लिए योजना 4 हजार 300 करोड़ रुपये की स्वीकृत कराई गई थी, लेकिन पिछली सरकार ने आवश्यक संसाधन जुटाने के स्थान पर बजट पास होने के पश्चात करों में 30 करोड़ रुपये की छूट दे दी। इसके अलावा ऊपर वर्णित आर्थिक मंदी के कारण भारत सरकार द्वारा 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत मिलने वाली राशि और अनुदान में लगभग 808 करोड़ रुपये की कमी आई। इन सब कारणों से वर्ष 1998-99 की योजना का व्यय 3 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक करना कठिन था। लेकिन प्रदेश की प्रगति और विकास में बाधा न आए, इसको ध्यान में रखकर भारी प्रयास करके इस योजना को 4078 करोड़ रुपये तक वर्तमान सरकार द्वारा बढ़ाया गया। एडमिटेड, हालांकि ये एक्चुअल फिगर्स नहीं हैं, सभापति महोदय, पर मैं इसको फेस वैल्यू पर लेना चाहता हूं। जो कुछ राज्य सरकार के वित्त मंत्री कह रहे हैं उसको फेस वैल्यू पर लेते हुए दूसरे साल का 4078 करोड़ रुपये, अब माननीय वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंहजी ने कहा कि 5 हजार करोड़ की योजना में 12 सौ करोड़ रुपये की कमी कर दी गयी तो 38 सौ करोड़ रुपये हो गये। 1999-2000 में 3800 करोड़ रुपये, 2000-2001 प्रोजेक्शन इसका, सभापति महोदय आप देखें, आगामी वर्ष की योजना फिलहाल 4146 करोड़ 15

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लाख रुपये की निर्धारित की गयी है। Assuming this to be true, although the Finance Minister also knows it that it is absolutely impossible for him to achieve these targets, he has failed to do it earlier and he will, surely, fail to do it this year as well.

लेकिन टोटल आता है, सभापति महोदय, 15344 करोड़ रुपये और 27650 करोड़ रुपये योजना का आकार है, 2001-2002 एक ही साल बचा है न? खैर, आपकी सरकार को जादू आता है, संभवतया जरूर कोई जादू हो कि जिसमें 12308 करोड़ रुपये आप खर्च कर देंगे 2000-2001 की योजना के अन्दर लेकिन यह मेरी तो समझ में नहीं आता। प्लान का होली-डे कर दिया गया है। एक्चुअल जो एक्सपेंडीचर है, सभापति महोदय, वह इससे कहीं कम है, इन्होंने छुट्टी कर दी प्लान की। लगातार एक बात कही जा रही है कि राजस्थान के अन्दर 50 वर्षों में से 40 वर्ष अकाल पड़ा है। सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में पड़ा है या किसी हिस्से में पड़ा है लेकिन अकाल से निश्चित रूप से 40 वर्ष प्रदेश प्रभावित रहा है और राजस्थान के अकाल प्रबंधन की पूरे देश के अन्दर प्रशंसा की जाती है। सभापति महोदय, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी को अनुभव है, इन्होंने कई गवर्नमैंट्स में काम किया है, पूर्ववर्ती सरकारों में जिसमें बीजेपी. की सरकार शामिल है और हमारी कांग्रेस की पहले वाली सरकारें शामिल हैं, ऐसा कुप्रबंधन कभी नहीं हुआ। कुप्रबंधन में भी एक एलीमैंट आफ प्रबंध होता है। आपका तो प्रबंधन ही नहीं है। This is no management absolutely. अब सभापति महोदय, इनके आंकड़े हैं, जो फाइनेंस कमीशन ने एक कैलेमिटी फंड, टैंथ फाइनेंस कमीशन की बात मैं कह रहा हूं समय का ध्यान रखकर, किस प्रकार से यह डवलप हुआ इस पर जाना नहीं चाहता लेकिन अल्टीमेटली जो कैलेमिटी फंड बना है उसमें 75 परसेंट कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमैंट का है, 25 परसेंट आपका है और यह फाइनेंस कमीशन, की रिपोर्ट है कि1995-96 में 168.99 करोड़, 96-97 में 179.04, 1997-98 में 188.93, 1998-99 में 198.56, 1999-2000 में 207, टोटल 942.52 करोड़। सभापति महोदय, इसका ताल्लुक अकाल से बहुत नहीं है, अकाल हो या नहीं हो, यह प्रावधान रखा गया है और इस प्रावधान के अन्दर रखी गयी राशि कैरी फारवर्ड होती है, पांच साल तक कैरी फारवर्ड होती है क्योंकि, नैचर को फोरसी करना या एंटिसिपेट करना यह बड़ा मुश्किल काम है। पांच साल में कोई साल भीषण अकाल हो सकता है, कोई साल बम्पर क्राप हो सकती है इसलिए उन्होंने यह प्रावधान किया है कि कैरी फारवर्ड होगी और पांच साल के बाद यह पैसा खर्च नहीं करेंगे और कोई राशि अवशेष रहेगी तो वह प्लान के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है और उनकी रिकमेंडेशन है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सभापति महोदय, अब अकाल विभाग ने जो आंकड़े दिये हैं वह बताता हूं मैं आपको। 1995-96 में 45.68 करोड़, 1996-97 में 203.53 करोड़ रुपये, 1997-98 में 541 करोड़ और 1998-99 में 187.30 करोड़। 1999-2000 के मैं नहीं पढ़ूंगा, यह तो कंट्रोवर्सी है कि आपने इस साल क्या किया। आपने प्रोविजनल दिया है इसमें 278.60, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। 293 करोड़ 60 लाख रुपये आपके पास अवशेष था जब आपने वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रवेश किया और 207 करोड़ रुपये आपको आवंटित था 1999-2000 के लिए, कुल मिलाकर आपके पास 560 करोड़ रुपये उपलब्ध था। वित्त मंत्रीजी, इन पांच सौ करोड़ का हिसाब दीजिये, पांच सौ करोड़ रुपये का क्या किया आपने? दुनिया चिल्ला रही है, अकाल के लिए चिल्ला रहे हैं, मंत्रीगण कह रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि अकाल पर लगातार यंह हो रही है। एक बात मुख्य मंत्रीजी ने और मेरे कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने रटी-रटाई पकड़ रखी है कि बी.जे.पी. की सरकार है, अटलबिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री हैं, वे आवश्यकतानुसार राज्य को आवंटित नहीं करते। यह इस फंड का जिक्र मैं कर रहा हूं, सभापति महोदय, उससे न तो कोई केन्द्रीय सरकार का ताल्लुक है, न कोई अटल बिहारी वाजपेयी का ताल्लुक है। ये फंड्स आपके खुद के पास अवेलेबल हैं। पांच सौ करोड़ का फंड आपके पास अवेलेबल था, पांच सौ करोड़ का क्या किया आपने? आपने टैंटेटिव प्रोविजनल फिगर्स दिये 278 करोड़ 62 लाख, मेरा यह स्पष्ट रूप से आरोप है कि ये प्रोविजनल फिगर्स आपके बहुत इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं, बहुत एग्जेजरेटेड फिगर्स हैं और इससे कहीं कम आपने काम अकाल के अन्दर किया है, अकाल की विभीषिका को देखते हुए आपने कोई काम हाथ में नहीं लिया।

सभापति महोदय, यह एक आस्पैक्ट हुआ, अकाल का प्रबंधन आपने देख लिया। अब सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स का कितना पैसा आपके पास आता है, आपने रिसीट नहीं बतायी। 2000-2001 के लिए प्रोजेक्शन है 942 करोड़ रुपये और 1999-2000 के लिए 742.33 करोड़ रुपये आपने सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स पर खर्च किया है पूरे बजट पेपर्स में I am subject to correction. I will be gratful to you, अगर आप मुझे पाइंट आउट कर दें कि वहां आपने रिसीट्स बतायी हैं कि टोटली मनी कितना आपने रिसीव किया इससे कहीं ज्यादा रिसीव किया है तो, मंत्रीजी, आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स का मेजर चंक, बल्क आफ द मनी लास्ट में जब मार्च आता है तब आप पी.डी. खातों के अन्दर ट्रांसफर करते हैं और आपके एस्टैब्लिशमैंट को चलाने के लिए फंड्स को डाइवर्ट करते हैं। सभापति महोदय, आप मुझे क्षमा करेंगे, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस इज मिसएप्रोप्रिएशन। मैं आपको कुछ जगह के फिगर्स तो मेरे पास

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हैं, बता सकता हूं कि जैसे 28 करोड़ है वहां 6 करोड़ खर्च हुआ है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हैल्थ केयर-28 करोड़ 38 लाख 13 हजार, यह 6 करोड़ खर्च हुआ है। इसमें सब जगह यही स्थिति है। मेहरबानी करके, मंत्री जी, यह जवाब मत देना कि बी.जे.पी. की सरकार भी ऐसे ही करती थी। आप बार-बार यही बात कहते थे कि बी.जे.पी. की सरकार ऐसा करती थी तो फिर आपने उसमें गुणात्मक सुधार क्या किया आफ्टर यू एज्यूम्ड पावर अन आफिस मैं पांच मिनट में समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, ये सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स, जितनी भी स्पेशल स्कीम्स हैं, इनका सीधा-साधा गांवों से ताल्लुक है। अकाल प्रभावित क्षेत्रों में अगर ये काम भी चलते तो अकाल प्रभावित लोगों को डैफिनेटली मदद मिलती। ये काम भी आपने नहीं चलाये और फंड्स आपने उनको डाइवर्ट कर दिये। सभापति महोदय, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है और मैं समझता हूं सब माननीय सदस्यों को इस बात की तकलीफ होगी जिले के अन्दर...(व्यवधान) नहीं, कोई न कोई तो रहती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको पता ही नहीं क्या तकलीफ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बिना सुने कहेंगे तो आपकी कोई क्या कहे। धारीवाल साहब, जितना नॉन सीरियस व्यवहार आपकी जिंदगी में है उतना ही नॉन सीरियसली आपने जयपुर को तो साफ कर ही दिया। यह खुद ही आपके कांग्रेस के मैम्बर कह रहे थे। इन्होंने कहा है कि गलती से अब के वोट हमको दे दिये वरना ये सब बी.जे.पी. के हैं, साफ करके रखूंगा सब शहरों को। इसलिए आप तो छोड़ों, आपकी तो धारणा ही दूसरी है। आप पकड़ लेंगे कोई दूसरी कांस्टीट्यूएंसी। शहरों का वोटर बेसिकली बी.जे.पी. का वोटर है, आपके खुद के माननीय सदस्य कह रहे हैं। आप मेरे को विषयांतर न करें तो आपकी कृपा होगी।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि डी.आर.डी.ए. की मीटिंग्स में जाते हैं तो कोई फण्ड्स नहीं है। फिर आपने मीटिंग क्यों बुलाई है? जिला आयोजना समिति की मीटिंग बुलाते नहीं हैं। बुलाएं तो कोई प्रपोजल्स नहीं, कोई सैंक्शंस नहीं। रिलीफ का आपको पता ही है। सैशन चल रहा था तब इन्होंने अपने आप कुछ रिलीफ की सैंक्शंस निकाली हैं और उसके अन्दर कोई नार्म्स तय नहीं किये हैं। सभापति महोदय, मैं एक बात विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, लगातार यह जो बात कही जाती है कि बी.जे.पी. की सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने पैसा नहीं दिया, ले-देकर एक ही बात कहते हैं। आप भी रोज इस बात को सुनते हैं। इसी सदन के अन्दर, मुझे सम्मिलित करते हुए और सदन के बाहर हम यह आरोप भी लगा चुके हैं कि पी.वी. नरसिंहराव भैरोंसिंहजी से मिले हुए हैं, बी.जे.पी. से मिले हुए हैं। पी.वी. नरसिंहराव मिले तो एच.डी. देवेगौड़ा कहां गये, आई.के. गुजराल कहां गये? अगर भैरोंसिंहजी शेखावत

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

राजस्थान के मुख्य मंत्री की हैसियत से भारतवर्ष के प्रधानमंत्री से पर्सनल इक्वेशन रखते थे तो राज्य के हितों को सुरक्षित रखने के लिए रखते थे लेकिन आपका चीफ मिनिस्टर रोजाना अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए कहेगा तो फिर क्या लेकर आएगा? जाना तो सैण्ट्रल गवर्नमैंट के पास ही पड़ेगा, यह आप समझ लें। मैं राज्य के हित में बात कह रहा हूं। पोलिटिक्स पोलिटिक्स की जगह है लेकिन आप स्टेट के कर्ता-धर्ता हैं, आप स्टेट के चीफ हैं इसलिए मैं विनम्र शब्दों में आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपना आचरण ठीक करें। अकाल की बहुत आपने अव्यवस्था फैलायी है, आर्थिक अव्यवस्था फैलाई है। वित्त मंत्रीजी, एक बहुत ही योग्यतम वित्त मंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में आप ऐसे अयोग्य वित्त मंत्री मत हो जाना कि राजस्थान में फाइनेंशल इमरजेंसी लगानी पड़े। लग सकती है।

श्री सभापति : नहीं लगेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह चाहता हूं, लेकिन जिस तरीके से ये चल रहे हैं लग सकती है। फिर उस वक्त आप यह मत कहना कि अटल बिहारी वाजपेयी बी.जे.पी. के प्राइम मिनिस्टर थे इसलिए लगा दी। फाइनेंशल इमरजेंसी कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइडेड है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं समाप्त करता हूं एक ही सेंटेंस में।

तो, वित्त मंत्रीजी, मेरा आपसे सुझाव है कि यह आपकी जो फिगर्स की जगलरी है यह सब देख ली है, आप तो टोटली मिसगाइडेड हैं। आप तो कोई बात खुद समझने की चेष्टा करते नहीं हैं, जैसा ब्यूरोक्रेसी कह देती है वैसा करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के अन्दर जो टॉप-लेवल पर चेंजेज लाने चाहिए थे वे आप नहीं लाये। आपके इकोनोमिक एडवाइजर्स सबसे बड़ी चीज होती है, सभापति महोदय, मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट ऐसा होता है, जो हाइएस्ट इकेलोन पर बैठा है। वह पॉलिसी मेकिंग के अन्दर कंट्रीब्यूट करता है, वह डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करता है। बाकी तो इम्प्लीमैंट करता है। क्लर्क को थोड़े ही हम कह देंगे। लेकिन जो कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, आपकी पॉलिसीज को फार्मुलेट करता है वह एक वर्ग ऐसा होता है, उस वर्ग में आपको डिस्क्रीट होना चाहिए। इनडिस्क्रीट हुए आप और भैरोंसिंहजी की ब्यूरोक्रेसी से काम लिया। इनसे जो गलतियां इन्होंने करवाई हैं न, वह आपसे डेढ़ी करवाई। आप जो इनको कोसते रहते हो, अल्टीमेटली होता क्या है कि इस बात पर कम्पलीट एक्सपोजर हो गया पूरे प्रांत में, पूरे भारतवर्ष में कि जिन पाइटंस के ऊपर, जिन बिंदुओं पर आप बी.जे.पी. की सरकार की आलोचना करते थे वे गलतियां आपने ज्यादा की हैं, आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हुई है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं उन बातों को नहीं दोहराते हुए आपसे अंत में निवेदन करता हूं कि आर्थिक स्थिति राज्य की जर्जर हो चुकी है और समय रहते आप कोई काम नहीं करेंगे तो मैं कम से कम भयभीत हूं और मुझे अंदेशा है कि राजस्थान में फाइनेंशल इमरजेंसी लगायी जा सकती है। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती मधु दाधीच।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, बजट के ऊपर, विनियोग विधेयक के ऊपर जो चर्चा चल रही है, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगी कि अच्छा बजट राजस्थान को दिया है। अपने-अपने आकलन हैं, अपना-अपना दृष्टिकोण है, अपना-अपना समायोजन है लेकिन इसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान के लिए एक अच्छा बजट बनाया गया है, प्रस्तुत किया गया है।

सबसे बड़ी बात जो बजट के अन्दर होती है वह यह है कि बजट के अन्दर ऊपर से चला जाए या नीचे से चला जाए, बजट का आकलन राजस्व घाटे से करें या राजकोषीय घाटे से करें। मैं फिर से वित्त मंत्रीजी को बधाई दूंगी कि उन्होंने जो अपना मुद्दा रखा है, जो आकलन रखा है और जो दीर्घकालीन योजना उन्होंने बनायी है वह फिस्कल डैफिसिट के लिए ही बनायी है और वही प्रांत आगे जाकर के समृद्ध हो सकता है जो सबसे पहले राजकोषीय घाटे के ऊपर अपनी निगाह रखे। बड़ी चर्चा चली थी इस सदन के अन्दर, लम्बी बहस चली थी लेकिन बजट भाषण के अन्दर पूरी तरह से मुस्तैदी से वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि आगामी तीन वर्षों के अन्दर राजकोषीय घाटा क्रमशः कम किया जाएगा। साफ बात है कि राजकोषीय घाटा कैसे कम हो सकता है। जब तक हम राजस्व घाटे को कम नहीं करते हैं तब तक किसी भी स्टेट का फिस्कल डैफिसिट कम नहीं हो सकता। उसकी शुरूआत इस बजट के आने के पहले ही हो चुकी है कि जहां पर हमने अनुपयोगी खर्चे थे उनको कम करना प्रारम्भ कर दिया था। उसके अन्दर मंत्री स्तर पर भी गाड़ियों की कमी करना, प्रशासनिक व्यय में कमी करना था। जब हम कहते हैं, विचार कर रहे हैं इस सदन के अन्दर, हम चर्चा कर रहे हैं कि हम आर्थिक भार और दबाव के अन्दर जकड़े हुए हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, इसको स्वीकार करता है, यह जकड़न आज की देन नहीं है। यदि पहले से इस पर चर्चा की जाती या सोचा जाता तो आज इस प्रकार की आर्थिक स्थिति राजस्थान की नहीं होती। जैसे-जैसे आर्थिक दबाव बढ़ता जाता है वैसे-वैसे प्रांत के विकास के अन्दर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। आज जिस बजट को हम कह रहे हैं कि वित्तीय अनुशासन का बजट है, उसके अंदर सबसे पहले जो ध्यान दिया जाएगा वह यह दिया जाएगा कि किस प्रकार से हम वित्तीय अनुशासन को कायम कर सकें। साथ लिखा है उस भाषण में कि यह वर्ष वित्तीय

(श्रीमती मधु दाधीच)

अनुशासन का वर्ष है कि वित्तीय अनुशासन किस प्रकार से कायम किया जाए। यह सबसे बड़ी बात है कि हम राजस्व घाटे में कमी कर सकें और उसके द्वारा आखिरी बिन्दु जो है वह फिस्कल डैफिसिट के ऊपर काबू पा सकें। जैसे-जैसे राजस्व घाटा कम होता जाता है, प्रांत उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ता जाता है। हमारे उद्देश्य स्पष्ट होने के बाद भी कल्याणकारी कार्यों के अन्दर हमने कहीं भी कमी नहीं आने दी, यह सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है।

जो कल्याणकारी सुविधाएं हैं उनके अन्दर सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। वही प्रांत विकास कर सकता है जो शिक्षा के लिए पहले सोचता है। हम काफी लम्बे अंतराल से कहते रहे हैं कि हम पिछड़े हैं अन्य प्रांतों की तुलना में और प्रांत का तभी विकास हो सकता है कि शिक्षा के लिए हम पहले सोचें। मैं वित्त मंत्रीजी को विशेष बधाई दूंगी कि आपने केवल साक्षरता जैसे मुद्दे पर ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर तकनीकी शिक्षा है, कम्प्यूटर शिक्षा के लिए भी अपनी सोच जाहिर की है और इस सोच के अंतर्गत ही आप इस प्रांत का विकास करना चाहते हैं।

साथ ही आपने सबसे बड़ी बात जो इसमें कही है वह है जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना, जनजातीय क्षेत्रों के अंदर सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना, मरु क्षेत्रों का विकास करना। जब वैज्ञानिक यह घोषणा कर चुके हैं कि ओजोन परत के अन्दर छेद हो गया है उसके बाद भी हम लोग सचेत नहीं होते हैं तो हम अपने प्रांत के लिए सावचेत नहीं हैं। मरु क्षेत्र के अन्दर विकास की धारा आपने रखी है, मुद्दे जो आपने रखे हैं वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं, मैं आपको बधाई देना चाहती हूं।

धीरे-धीरे हमारा जल स्तर हर जिले के अन्दर गिरता जा रहा है, उसके लिए भी हम अलग से सोच कायम करें। कुछ इस प्रकार से यहां पर प्रावधान देने का प्रयास करें कि हम किस प्रकार से गिरते हुए जल स्तर को रोक सकेंगे। जो पुरातन जल स्रोत हैं उनके ऊपर हमको फिर से जाना होगा, जल संग्रहण के लिए हमको ज्यादा बजट देना होगा। सिंचाई सुविधा के अन्दर निश्चित हमने कुछ कम प्रावधान रखे हैं, उन कम प्रावधानों को और आगे ले जाने के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी। आज सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए कम बजट है। जहां-जहां पर बड़े-बड़े बांध बने हैं, उसके अन्दर मुआवजा नहीं मिला है। जैसे हमारे क्षेत्र के अन्दर बाड़ी बांध बना है लेकिन उसका मुआवजा आज तक कुछ क्षेत्रों के अन्दर कम मिला है। 67 लाख रुपये कोई ज्यादा मुआवजा नहीं होता। उस मुआवजे की राशि से किस प्रकार से हम चुकारा कर सकते हैं, पुनर्वास कालोनी बना सकते हैं? जो डूब क्षेत्र के अन्दर काश्तकार हैं उनके लिए भी हम सोच कायम करें तो उसके अन्दर हमें अड़चन नहीं आती है, इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। यदि हम सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए भी

(श्रीमती मधु दाधीच)

सोच कायम रख सकें तो निश्चित रूप से कुछ सफलता अर्जित कर सकेंगे। हर साल हर विधेयक के अन्दर दो बातें होती हैं-उपलब्धि कहां से होगी। खर्चे की बात तो सब यहां पर कर रहे हैं लेकिन उपलब्धियों की तरफ भी हम ध्यान आकर्षित करें कि किस तरह से इस बजट को सन्तुलित कर पाएंगे।

आपने भूमि-भवन कर की बात यहां पर कही है, पक्ष और विपक्ष दोनों को ही आगे आकर इस मामले के अन्दर अपनी विचारधारा रखनी चाहिए। विशेष माफी योजना देकर आपने निश्चित रास्ता अग्रसर किया है। सबसे बड़ी जो बात है उस अपवंचन पर बहुत चर्चा हुई थी यहां पर। कर अपवंचन के लिए सम्पूर्ण सदन एकजुट होकर सोचना चाहिए कि जब तक टैक्स इवेजन चलता रहेगा, तब तक किसी भी प्रांत का या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। टैक्स इवेजन को बचाने के लिए हम अपनी विचारधारा प्रस्तुत करनी होगी कि टैक्स इवेजन को किस प्रकार बचाया जा सके इस प्रांत में चाहे वह सेल्स टैक्स के रूप में हो चाहे वह डाइरेक्ट टैक्स के रूप में हो, यह एक भावना-सी बन गई है कर अपवंचन की। हर नागरिक को इसके लिए सोचना चाहिए। प्रांत के विकास के लिए सरकार खर्चा करना चाहती है लेकिन खर्चे की धारा के अन्दर जुड़ने के लिए हर नागरिक को तैयार रहना चाहिए। हम इस सदन के अन्दर बैठते हैं, हम लोग एक विचारधारा प्रस्तुत करें कि यदि हम कर अपवंचन से व्यापारियों को, नागरिकों को अलग कर सकेंगे तो निश्चित जो हमारी उपलब्धियां हैं उनमें हम और आगे बढ़ सकेंगे।

इसी प्रकार से फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, आपने जो चिंता व्यक्त की है स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के लिए, महिलाओं के लिए। निश्चित ही आपने उसके लिए अपने ऊपर बोझा लिया है। आप स्टाम्प ड्यूटी के अन्दर महिलाओं को छूट देना चाहते हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को छूट देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, एकमत से हम लोग इसके अन्दर शामिल हों। हम अपने पूरे प्रांत के अन्दर हर वर्ग का विकास करना चाहते हैं तो सम्पूर्ण सदन को इसके अन्दर शामिल होकर एकजुटता जाहिर करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ आपसे यहां पर अपनी मांग और इच्छा प्रस्तुत करना चाहूंगी।

निश्चित रूप से निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र काफी लम्बे समय से क्योंकि भाजपा के हाथों में था तो वहां का विकास नहीं हो सका था...(व्यवधान) इसलिए वहां पर सिंचाई की भी आवश्यकता है, सड़कों की भी आवश्यकता है, बांधों की भी आवश्यकता है। विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र के अन्दर विकास की आवश्यकता है बांध के रूप में, सड़क के रूप में, बिजली के रूप में, वहां पर आप अपना विशेष ध्यान देंगे, इसी के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय डा. के.सी. चौधरी।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, पूरा सदन और करीब-करीब मनुष्य जाति का हर आदमी इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि अर्थ बगैर सब व्यर्थ है। तो इस अर्थ के जगत में हम रह रहे हैं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि टकराहट की राजनीति को छोड़कर सहमति की राजनीति पर आना, पोलिटिक्स की जगह इकोनोमिक्स पर आना। जो भी सरकारें आई हैं, रहना उनके बीच ही हैं लेकिन काम अवाम की बहबूदी के लिए करना है, आम जनता की बहबूदी के लिए करना है, उसके भले के लिए करना है तो यह जरूरी है कि अर्थ पर, आर्थिक विकास पर हम विचार करें। सभापति महोदय, पिछले 50 वर्षों में जरा-सा हम यह देख लें कि हम कहां थे और कहां है। सन् 1990-91 में राजस्थान में एस्टैब्लिश एक्सपैंडीचर था 1313 करोड़ रुपये, कुलमिलाकर 64 प्रतिशत होता था स्टेट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का। सन् 1999-2000 में यह खर्चा हो चुका है 6551 करोड़ रुपये जो 104 प्रतिशत हुआ स्टेट टैक्स और नोन टैक्स रेवेन्यू का। मेरा निवेदन है कि ऐसे भयानक आंकड़ों से यह तो हम लोग गम्भीरता से विचार करें कि कहां जा रहे हैं और कहां पर खड़े हैं। कारण इसका साफ है, 104 प्रतिशत जो हमारा खर्चा हुआ है, कि 5वें वित्त आयोग ने सरकार की कमर तोड़ी है। राजस्थान में इंट्रेस्ट पेमेंट में 1990-91 में करीबन 500 करोड़ रुपया था 6540 करोड़ रुपये के इंट्रेस्ट पर, जो 1998-99 में 24170 करोड़ रुपये के कर्जे पर 2242 करोड़ रुपये का इंट्रेस्ट बर्डन हमारे ऊपर है। सन् 1990-91 में राजस्थान में जब आर्थिक विकास की यात्रा शुरू की थी, उस समय 167 करोड़ रुपये हमारे पास सरप्लस थे और इन 50 सालों में हमने हमारी यात्रा में करीबन 3000 करोड़ रुपये डैफिसिट कर दिये हैं। कई बार सदन में यह बात आई पक्ष-विपक्ष की जैसा आप फरमा रहे थे राजनीति की बात तो है ही, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, जब से माननीय अशोकजी गहलोत ने मुख्य मंत्री का पद संभाला है, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था फाइनेंशल डिसिप्लीन, क्योंकि कुप्रबन्धन की वजह से सारा कुछ, पिछली इकोनोमी कोलैप्स हो चुकी थी। पिछले इस साल में किया क्या है? रेवेन्यू रिसीट 1998-99 और 1999-2000 के बजट में अन्तर जहां 2 प्रतिशत था, उसको 17 प्रतिशत ले जाया गया और जहां रेवेन्यू एक्सपैंडीचर में 29 प्रतिशत डैफिसिट था, इसको 20 प्रतिशत ले आये

(16.08 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

थे। तो ये आंकड़े यह बताते हैं कि सरकार ने पूरी इच्छा शक्ति से, पूरी दृढ़ता के साथ बहुत अच्छी तरह से फाइनेंशल कंसल्टेशन के साथ में फाइनेंशल मैनेजमेंट है और सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा। जो दृढ़ इच्छा शक्ति आपने अपने बजट में बताई है कि यह साल फाइनेंशल डिसिप्लीन और फाइनेंशल कंसल्टेशन में ही

(डा. के. सी. चौधरी)

जाएगा तो कृपया इस पर मजबूती से आगे बढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पिछले बजट सत्र में करीब-करीब हर विषय पर चर्चा हुई, लेकिन एक विषय पर चर्चा नहीं हो पाई बिलकुल, वह यह है कि बाकी की हिन्दुस्तान की सरकारें- आंध्र, कर्नाटक, ये जा रही हैं इलेक्ट्रोनिक गवर्नेंस पर। उपाध्यक्ष महोदय, बात साक्षरता की हो रही थी तो हम क्यों नहीं सदन से ही चालू करें कि आप हम लोग इसके लिए कम्प्यूटर के काम में थोड़ा-सा साक्षर बनाएं। यह काम यहीं से शुरू किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भली-भांति परिचित हैं कि सबसे बड़ा रास्ता कम्युनिकेशन का हुआ है वह ई-मेल हो गया, ई-ट्रेड हो गया, ई-कामर्स हो गया और उन्हीं पर अब ई-गवर्नेंस का सिस्टम आया है जहां फाइललैस आफिस होगा, जहां कि कनैक्टिविटी, इफैक्टिविटी आप जहां से चाहेंगे वहीं से उतनी ही होगी, कम-ज्यादा कहीं नहीं होगी। कई सारी समस्याओं का समाधान, श्रम में, शक्ति में, एनर्जी में, टाइम मैनेजमैंट में, आदेश प्रसारित करने में, वह सब ई-गवर्नेंस के सिस्टम को अगर हम एडाप्ट करेंगे तो इस राजस्थान का तेजी से भला कर पाएंगे, तेजी से विकास कर पाएंगे। एक सुझाव।

अब मैं कुछ सुझाव माननीय वित्त मंत्रीजी को देना चाहूंगा। इन सब समस्याओं के लिए जरूरी है कि अल्टरनेट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन पर ध्यान दिया जाए। अल्टरनेट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन की जहां बात आती है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक सच्चाई है कि अभी तक ट्रेड और इण्डस्ट्री को हम गवर्नमैंट फ्रैंडली नहीं बना पाये हैं, कितनी भी बढ़िया-बढ़िया स्कीम्स हम बना दें। पिछले दिनों जब इण्डस्ट्रीज विभाग की बात चल रही थी तो आई.डी.बी.आई. के आंकड़े बता रहे थे कि मार्च, 1998 तक राजस्थान में आई.डी.बी.आई. का कुल इंवेस्टमैंट चार हजार करोड़ रुपये था। लेकिन गुजरात में इसी समय में बाईस हजार करोड़ रुपये था। यही हालत आई.एफ.सी.आई. की थी, सिडवी की थी। जो भी देश के प्रीमियर फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस हैं वे राजस्थान को इंवेस्टमैंट के लायक क्यों नहीं समझते? कृषि के बाद में मात्र उद्योग ही एक ऐसा विभाग रहेगा जो एम्प्लायमैंट जनरेट कर पाएगा, जो रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा और जो आगे की पीढ़ी को आशाएं बता पाएगा। मेरा निवेदन माननीय वित्त मंत्रीजी से है, इन सब के लिए जरूरी है कि हमारे कानून-कायदों का जितना हम सिम्प्लीफिकेशन कर सकें, करें। हो क्या रहा है, अभी छोटा-सा एक उदाहरण देकर मैं आपको बताऊंगा।

इस बजट में एक नोटिफिकेशन आपके फाइनेंस डिपार्टमैंट ने और निकाला है कि जो चीज जिस दुकान से खरीदो, उस बिल के पीछे एक डिक्लेरेशन और देना पड़ेगा कि यह सामान कहां से लाये। तो वह दुकानदार बेचारा कितने मुनीम रखेगा, कितना उस पर टाइम लगाएगा कि कुर्ते का

(डा. के. सी. चौधरी)

कपड़ा कहां से लाया था, पायजामे का कपड़ा कहां से लिया, बनियान कहां से ली, अन्डरवियर कहां से लिया? यह सम्भव नहीं होगा। मेहरबानी करके इस डिक्लेरेशन को हटाइये, इससे सरकार की रेवेन्यू कहीं नहीं बढ़ने वाली है। किसी भी जगह सरकार की रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी लेकिन व्यापारी की परेशानी बेशक बहुत बढ़ जाएगी। मेरा माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन है कि इस प्रकार के जो आब्सटेकल्स आते हैं जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई प्रोडक्टिव यूटिलिटी नहीं है, ऐसे आब्सटेकल्स को हटाइयेगा। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था, प्लास्टिक के दाने पर फार्म 18-ए रखा गया है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय वित्त मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि प्लास्टिक इण्डस्ट्री वैसे ही राजस्थान में नेग्लिजिबल है। गुजरात के कम्पेरिजन में, महाराष्ट्र के कम्पेरिजन में प्लास्टिक इण्डस्ट्री में राजस्थान निल है। कुलमिलाकर देश में बड़े-बड़े पांच-सात मैन्यूफैक्चरर हैं, जिनके मल्टी-लोकेशनल डिपो किसी का हजीरा में है, किसी का जामनगर में है, किसी का हल्दिया में हैं, किसी का सूरत में है। इसका जो रॉ-मैटीरियल है उसके आर्डर्स मोस्टली इन्टरनेट से दिये जाते हैं, कम्प्यूटर से दिये जाते हैं। अब फार्म 18-ए डाक से जिस जगह पहुंचेगा, वहां तक वह इंतजार थोड़े ही करेगा? वहां गये तो आपको पता लगे, हल्दिया नहीं आप तो हजीरा लाइये, हजीरा नहीं सूरत जाइयेगा। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि पिछले तीन वर्षों में सरकार यह नहीं बता सकती कि इस प्लास्टिक के दाने वालों ने एक रुपये की भी कोई सेल्स टैक्स की चोरी की है। तो अपन व्यापार को फैसिलिटेट करें, उसको बढ़ावें या उसमें आब्सटेकल इस प्रकार के डालें? अगर यही एटीट्यूड रहा सरकारी अधिकारियों का कि व्यापारियों को जाते ही कहते हैं कि तुम तो चोर हो, चोरी करते हो तो कहां मित्रता आएगी? जो लोग वैल्थ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी वैल्थ को ही अपन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, उन लोगों पर, उनकी इंटीग्रिटी पर हर वक्त सवालिया निशान लगाना कोई अच्छा वातावरण राजस्थान में उद्योग और धन्धों के विकास के लिए नहीं बना पाएगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, कुछ बिंदुओं पर मैं सीधा-साधा प्रकाश डाल दूं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी बात हुई, सरकार प्राइमरी एजुकेशन पर पूरा ध्यान दे। स्कीम्स ऐसी हैं एक माननीय सदस्य ने इसका जिक्र भी किया था कि जो नीचे परकोलेट होना चाहिए बजट, वह कहां-कहां जाता है? वह जाता है अलग-अलग नाम से, कहीं मानिटरिंग आफ द प्रोजैक्ट, कहीं सुपरविजन आफ द प्रोजैक्ट, कहीं मोटिवेशन, कहीं कैपिसिटी बिल्डिंग कहीं, एम्पावरमैंट पर। तो सोचने की बात यह होती है कि उस बेचारे बच्चे पर जहां जाना चाहिए वहां कितना बजट गया है। तो इस किस्म से मानिटरिंग होनी चाहिए शिक्षा विभाग की, प्राइमरी एजुकेशन के लिए विभिन्न

(डा. के. सी. चौधरी)

योजनाओं की कि हम साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा सकें।

हायर एजुकेशन आता है, उपाध्यक्षजी, यह सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन अब सरकारी खजाने से ही पूरा नहीं पड़ पाएगा, हायर एजुकेशन में अब आपको निजी क्षेत्र को इनवाइट करना ही पड़ेगा और यह करीब-करीब हर राज्य में है। यही हालत टैक्नीकल एजुकेशन की है, उसमें आपको निजी क्षेत्र को प्रवेश करवाना पड़ेगा। मगर आवश्यकता है इन सब के लिए इस हाउस में बैठे माननीय सदस्यों के एटीट्यूड में बदलाव की भी। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि एक डेंटल कालेज राजस्थान में आना चाहता है। हमारे यहां के बच्चे देश भर में मेडिकल कालेज में, डेंटल कालेज में, इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने जाते हैं, बधाई देना चाहूंगा सरकार को भी कि इसने यह तो योजना बनाई है कि यहां भी डेंटल कालेज, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज खुले, मगर हमारा यह एडीट्यूट रहा कि कोई बात ही नहीं और उसका हमने पहाड़ बना दिया। तो आखिरकार जो कालेज खोलने वाला आदमी है वह यहां से निराश होकर ही वापस जाएगा और फिर हम अगले साल वही बात करेंगे कि दस को हम एन.ओ.सी. जारी करें और एक भी कालेज यहां नहीं खुल पाये। तो हमारे एटीट्यूड में बदलाव की आवश्यकता है।

उपाध्यक्षजी, दो-चार मिनट और बात कहूंगा बस। एक बात तो इस हाउस में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, इस पर जरा गम्भीरता से विचार करें कि लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स का मामला राजस्थान भर में उलझा हुआ पड़ा है। इसमें समस्या यह आती है, हमेशा एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि सी-स्कीम में रेट अलग है, मान-सरोवर में रेट अलग है, झोटवाड़ा में जमीन की रेट अलग है। माननीय उपाध्यक्षजी, यह सच है मगर यह भी सच है कि सी-स्कीम में मान लीजिये मेरे दादाजी ने, परदादाजी ने मकान बनाकर मुझको दे दिया, लेकिन मैं तो स्कूल का साधारण मास्टर हूं और इसमें जो टेनेन्ट रह रहा है वह इतने वर्षों से रह रहा है। अब आपका इंस्पैक्टर तो मुझसे मेरी तनख्वाह से चार गुना ज्यादा लैण्ड बिल्डिंग टैक्स लेने आता है, इसकी व्यावहारिकता पर जरा-सा ध्यान फरमाएं। एक। दूसरा क्या होता है कि जमीन की कीमत कभी कोई एरिया, राजापार्क कभी कुछ नहीं था, जवाहर नगर कभी कुछ भी नहीं था, आज वहां जमीन की कीमतें बढ़ गई। वैटर टैक्स कलेक्शन के लिए हमें जरा-सी व्यापकता अपने सोच में लानी पड़ेगी। सी-स्कीम में रहने वाले किसी व्यक्ति का न तो अपना बिजली का बिल ज्यादा लेते हैं, न नल का बिल ज्यादा लेते हैं, न हवाई जहाज का लेते हैं, न रेलवे का लेते हैं, खाली एक ही टैक्स के लिए हमारा एक वायसडेस है पक्की। इनकम टैक्स उसके ज्यादा नहीं लगता, सेल्स टैक्स उसके ज्यादा नहीं लगता, एक ही चीज में हम उड़े हुए हैं और इससे हमारा कलेक्शन बहुत कम होता है। तो अगर इसका कोई

(डा. के. सी. चौधरी)

सरलीकरण का तरीका निकाल लिया जाए, यूनिफार्म पैटर्न निकाल लिया जाए, चाहे रेट आप कुछ कर दीजियेगा।

अब मैं कुछ बिन्दु मेरे विधान सभा क्षेत्र से रिलेटेड कहना चाहता हूं। यह एक सच्चाई है कि राजस्थान को जितने जिलों में आप विभाजित करेंगे, आपका प्रशासन अच्छा चलेगा। हरियाणा अपने सामने पैदा हुआ, हरियाणा तीन गुना जा चुका है नम्बर आफ डिस्ट्रिक्ट्स में और राजस्थान 26 से शुरू हुआ और 32 पर खड़ा है। ब्यावर ऐसी जगह है जो पिछले कई वर्षों से कई माननीय मुख्य मंत्रियों ने आश्वासन दिया है ब्यावर की जनता को जिला बनाने का, मैं चाहूंगा अगर इस बजट में आप नहीं कर पाएं तो मेहरबानी करके अगले बजट के लिए तो ब्यावर की जनता को जो बहुत वर्षों से आशा बंधी हुई है, कल माननीय विधि मंत्रीजी ब्यावर पधारे थे....

श्री रमजान खान : माननीय उपाध्यक्षजी, एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे न अभी।

श्री रमजान खान : नहीं, मैं तो बोलूंगा इसके बारे में नहीं बोलना है मेरे को....

श्री उपाध्यक्ष : आप और बोल लेना उस पर। बोल लेना, कौन रोकता है।

डा. के. सी. चौधरी : बहुत-बहुत धन्यवाद रमजानजी। माननीय उपाध्यक्षजी, आप देख लें, ब्यावर से बहुत छोटे-छोटे शहर बन चुके हैं जिले चाहे वह बूंदी हो, बारां हो या नागौर हो या सिरोही हो, जालौर हो, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, सारे ब्यावर से छोटे हैं। ब्यावर की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम यह है कि कलेक्टर अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र टाटगढ़, बड़ाखानी, बड़ाखेड़ा, वहां जो पंचायतें हैं, मगरे हैं। तो कहां तो अजमेर और कहां 125-130 किलोमीटर की दूरी। इधर विजय नगर, मसूदा....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कौन-कौन सी तहसील मिलवाना चाहते हैं आप?

डा. के. सी. चौधरी : एक तो माननीय लक्ष्मण सिंहजी तैयार हैं एक तहसील भीम से देने को। एक जैतारण, रायपुर, यह गिन लीजिये। तीन तहसील यह हो गई। मसूदा, ब्यावर, तो पांच से ज्यादा तहसील की तो जरूरत नहीं होगी जिला बनाने में।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सदस्य, कौन से सम्भाग में रखोगे?

डा. के. सी. चौधरी : अजमेर सम्भाग में रखिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम नहीं आएंगे, फिर जैतारण में नहीं आएगा रायपुर।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय जलदाय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर के लिए एक बीसलपुर प्रोजैक्ट बना था पानी के लिए ब्यावर के लिए जब आपने बीसलपुर का प्रोजैक्ट बनाया था, 1 लाख 20 हजार की आबादी को पानी सप्लाई करने की बात थी। आज हमारे साथ यह तकलीफ

(डा. के. सी. चौधरी)

हो रही है कि सिर्फ पाइप लाइन नहीं है, बाकी पानी पूरा अवेलेबल है। पाइप लाइन के नहीं होने की वजह से हम आधे ही लोगों को ब्यावर में पानी पिला रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, हमने बहुत बड़े कागज आपको लिखकर दिये हुए हैं, प्रोजेक्ट पर मेहरबानी करके पाइप लाइनें कुल मिलाकर दो करोड़ रुपये की हैं, माननीय मंत्री महोदय, ज्यादा की नहीं हैं.....

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे यहां पाइप लाइन की कमी नहीं है लेकिन जो आपके कॉलोनी है वहां कालोनी में हमारा नियम है, कानून है, कायदा है कि जब तक 50 प्रतिशत पैसा जमा नहीं कराते हैं तब तक हम आपको पानी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी पाइप लाइन बहुत है हमारे पास।

डा. के. सी. चौधरी : मुझे तो नहीं बताया। मुझे तो अब तक यही बताया गया है कि बजट की कमी से नहीं हो पा रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो ठेकेदार नयी कालोनी बनाते हैं आप उनसे बात कीजिये। अधिकारियों से मिलें वे आपको सिस्टम बताएंगे।

डा. के. सी. चौधरी : जी, हां। ब्यावर की पानी की समस्या के संबंध में मैं एक छोटा-सा निवेदन और करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और।

बीसलपुर पाइप लाइन में कहीं न कहीं डैमेज आ जाता है और मेंटिनेंस के लिए चल जाती है दो दिन। ब्यावर में जो पानी हम 48 घंटे में सप्लाई करना चाहते हैं फिर, वह जाकर 100 दिन में होता है। तो मेरा निवेदन इतना ही कि ब्यावर में खाली पानी के स्टोरेज टैंक दो और बना दें, 20 हजार गैलन के दो स्टोरेज टैंक चाहिए ताकि हमको पानी की सप्लाई का डिस्टरबेंस नहीं भुगतना पड़े। और ये पानी के स्टोरेज टैंक बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है।

मैं ब्यावर के संबंध में एक निवेदन और करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, कि ब्यावर राजस्थान में एक मात्र नगर परिषद है जिसके लिए पेंशन के कानून अलग हैं राजस्थान भर से। वहां 1.8.70 से पूर्व जो कर्मचारी नौकरी में रखे गये उनको तो पेंशन दे नगर परिषद् और बाकी को पेंशन दें राज्य सरकार। इस किस्म का करीब 47 लाख रुपया पेंशन का बाकी चल रहा है। हर बार नगर परिषद् में सारा इनडिसिप्लिन इस बात से फैल जाता है कि जैसे ही 10-5 लाख रुपया कहीं से एकट्ठा होता है, कर्मचारी आकर सिर पर बैठते हैं कि हमारी पेंशन का पैसा पहले दो। तो बिजली के बिल भी नहीं दे सकते और विकास का कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस 47 लाख रुपये की पेंशन का जो ब्यावर में डिस्प्यूट चल रहा है उसको पूरा करवा दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त राजस्थान विनियोग संख्या-3 विधेयक, 2000 पर सदन में चर्चा चल रही है, इसमें मैं अपने-आपको सम्मिलित करते हुए मेरे भी विचार आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगा। वैसे मैं आंकड़ों के जाल में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, वास्तविक जो जरूरत है इस वक्त राजस्थान में और विशेषकर ग्रामीण एरिया में, उस संबंध में कुछ चर्चा करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए 53 साल हो गये और हमारे राजस्थान में भी आजादी की स्वर्ण जयंती का दूसरा वर्ष मनाया जा रहा है। इन 50 वर्षों में इस राजस्थान की विधान सभा में कई बार बजट पेश हुए, भाषण हुए। चूंकि 75% आबादी गांव की है और 75% ही माननीय सदस्यगण गांव से ही जीत कर सदन में आते हैं, वे हमेशा ही अपने भाषण में गांव की चर्चा करते हैं कि गांवों और शहरों के बीच में जो खाई है विकास की वह इतनी बड़ी खाई है कि उसको पाटा नहीं जा सकता, इसको पाटने का कुछ प्रयास करना चाहिए। 50 वर्षों से यह बात सदन में आ रही हैं। इस वर्ष तो यहां पर 3/4 बहुमत से कांग्रेस की गवर्नमैंट चुन कर आयी है, इसके आने के बाद तो यह खाई और भी ज्यादा चौड़ी हो गई है। इसके कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा, गांवों में आप चाहे सड़कें ले लो, शहर की सड़कों से उनका मुकाबला कर लो, गांवों में अस्पताल ले लो। शहरों के अस्पतालों में तो कम्पाउंडरों की, डाक्टरों की भीड़ रहती है और गांव के अस्पतालों में तो आज स्थिति यह हो गई है कि 20-20 दिन तक डाक्टर वहां पर पहुंचता नहीं, कम्पाउंडर वहां पर पहुंचता नहीं। जहां पर छोटे-मोटे उप केन्द्र खुले हुए हैं गांव में वहां पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नर्सें जाती नहीं हैं बीस-बीस दिन तक यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है गांव के लिए पानी का जहां तक मामला है हमारे जलदाय मंत्रीजी की बड़ी हार्दिक इच्छा है कि गांवों में पेयजल की स्थिति सुधरे परन्तु यह अकाल पड़ने की वजह से पानी का स्तर इतना नीचे जमीन में चला गया जिसकी वजह से ये कुछ मजबूर हो रहे हैं। इन्होंने जरूर कुछ काम किया है गांवों की स्थिति सुधारने का। शहरों में तो हर मोहल्ले में, माननीय मंत्री महोदय, टूंटियां लगी हुई हैं और गांवों में हर मौहल्ले में हैण्ड पम्प भी लगे हुए नहीं हैं। कहीं-कहीं हैण्ड पम्प लगे हुए हैं और जो जलदाय योजना है वह भी पूरी अच्छे ढंग से नहीं चल पाती है। उसके भी कई कारण हैं। जहां तक बिजली का सवाल है, शहर में बहुत ही कम ऐसे चांसेज आपको मिलेंगे जहां पर बिजली कट होती है और गांव में तो अधिकतर जो डोमेस्टिक लाइन है वह भी कट मिलेगी आपको। बच्चे जब स्कूल की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनको भी पूरी बिजली मिलती नहीं है, यह स्थिति गांव की है। मैंने थोड़ा-सा प्रकाश डाला है, इसमें लम्बा-चौड़ा मैं जाना नहीं चाहूंगा मगर

(श्री रमजान खान)

गांवों में और शहरों में बहुत ही बड़ा मतभेद है।

गांवों की स्थिति सुधारने के लिए पिछली सरकार में हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी गुलाब चन्दजी कटारिया ने एक योजना शुरू की थी कि 8वीं कक्षा का बोर्ड बना दिया जाए और मैं सही हकीकत कह रहा हूं, 8वीं कक्षा का जब से बोर्ड बना है, इम्तिहान का जब एक महीना-दो महीना रह जाता है तो उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो हैड-मास्टर्स हैं मैंने कई बार उनको देखा कि शाम के 5-5, 6-6 बजे तक बच्चों की ट्यूशन लेकर उनकी बराबर स्टडी कराते हैं ताकि वहां पर रिजल्ट खराब नहीं जाए। उन्होंने वहां पर यह भी एक नियम बनाया था कि अगर आपका रिजल्ट खराब रहा तो आपका जिले से बाहर स्थानान्तरण कर दिया जाएगा, उसका भी अच्छा असर पड़ा कुछ। मैं इस बार तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी को और पंचायती राज मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 5वीं कक्षा तक बोर्ड बना कर गांव के लिए इतना अच्छा काम कर दिया जिसकी मैं कोई तारीफ नहीं कर सकता। ईमानदारी की बात है, 5वीं क्लास के बच्चे को आज आप स्कूल में जाकर देख लें, उनको जोड़, बाकी, गुणा, भाग नहीं आता। तो फिर शहर के बच्चों के साथ वे कम्पीटिशन में कैसे खड़े रहेंगे, जब बी.ए. और एम.ए. पास करेंगे? यह पांचवीं का बोर्ड बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपने प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया है उसमें माननीय शिवचरण जी माथुर साहब अध्यक्ष हैं उन्होंने कई सिफारिशें राज्य सरकार को भेजी हैं, अगर उनमें से एक सिफारिश आप ग्रामीण एरिया के लिए लागू कर दें तो मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि गांव की स्थिति बहुत अच्छी सुधर सकती है। वह सिफारिश यह है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जलदाय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मेरा खुद का अनुभव है कि आपका फोर्थ क्लास कर्मचारी जो हमारी टंकियां भरता है, कहीं हमारा सरपंच कह देता है, प्रधान कह देता है, पंचायत समिति का सदस्य कह देता है तो वह तो कहना मानने का सवाल ही नहीं है, वे तो साफ कहते हैं कि हमारे जे. ईएन. और ए. ईएन. कहेंगे वह करेंगे। पटवारी को आप कुछ निर्देश दें, सरपंच या एम.एल.ए. कुछ कहता है तो वह कहना नहीं मानता है। माथुर साहब ने अपनी सिफारिश में एक बात लिखी कि जितने भी गांव में कर्मचारी हैं चाहे वह मास्टर है, चाहे वह नर्स है, चाहे वह डाक्टर है, चाहे वह पटवारी है, चाहे वह पानी भरने वाला फोर्थ क्लास आदमी है, चाहे वह चपरासी है, उसको वेतन का तब तक भुगतान नहीं किया जाए जब तक कि ग्राम पंचायत का उनको सर्टीफिकेट नहीं मिल जाए। अगर यह व्यवस्था कर दें तो नर्स भी रहने लग जाएगी, पटवारी भी टाइम से आएंगे, मास्टर भी टाइम से आकर

(श्री रमजान खान)

बच्चों को पढ़ाएगा और सब काम सही हो जाएगा। यह एक और व्यवस्था अगर आप लागू कर दें तो मैं यह समझता हूं कि शहर और गांव के बीच जो खाई है वह कुछ कम होने की सम्भावना पैदा होगी, वरना तो यह और भी बढ़ती जाएगी। अब इसके ऊपर आप लोगों को विचार करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा डी.आर.डी.ए. के बारे में बोलना चाहता हूं। आजकल तो इसका नाम ग्रामीण विकास विभाग रख दिया है। डी.आर.डी.ए. में कम से कम 22 योजनाएं संचालित थीं लेकिन इन 22 योजनाओं में से 3-4 योजनाएं जो पिछली सरकार ने संचालित की थीं, चालू की थीं उनको तो आपकी इस गवर्नमैंट ने खतम कर दिया बाकी जो 18-19 योजनाएं हैं उनमें 80% पैसा केन्द्र सरकार देती है। मेरे पास किताब है मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। उन योजनाओं में जितना भी पैसा केन्द्र से आया है, इन तमाम् योजनाओं में पैसा लैप्स हुआ है। जो पैसा केन्द्र से मिला वह आपके अधिकारी खर्च ही नहीं कर सके, उसका क्या कारण है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि उसका मुख्य कारण यह है कि दो-तीन को छोड़कर बाकी विभागों की मानिटरिंग नहीं होती। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तीन-चार महीने में एक बार डी.आर.डी.ए. की मीटिंग हो जाती है, डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में अपने क्षेत्र की सब बातें विधायक पूछ नहीं सकता। दो घंटे मीटिंग होती है। आजकल जिला प्रमुखजी को आपने नाममात्र का चैयरमैन बना दिया है, कलेक्टर साहब वहां बैठे रहते हैं और दो घंटे में चाय-पानी पीकर वह मीटिंग खतम हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी मानिटरिंग नहीं होती है इस वजह से जो पैसा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार देती है वह लैप्स हो जाता है और उसका सही उपयोग तक नहीं होता। किसी ने भी पंचायत समिति की बैठक में आने की कसम खा रखी है, ग्राम पंचायत की बैठक में ये लोग आते नहीं हैं। अधिकारी तो अधिकतर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की बैठक में आते ही नहीं हैं। इस संबंध में हमने कई बार जिला कलेक्टर को शिकायत भी की है कि हम सरपंच, एम.एल.ए., एम.पी. जिला परिषद् के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य बैठक में जाकर क्या करें? हम तो हमेशा ही आपस में बात करते हैं, जब तक संबंधित अधिकारी पंचायत समिति की बैठक में नहीं आएंगे, ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं आएंगे तब तक हम अपनी समस्या किस को कहेंगे और कैसे उस समस्या का सोल्यूशन होगा, इसका कुछ समझ में नहीं आता। स्वायत्त शासन मंत्री जी यहां पर नहीं हैं मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने सन् 1999 में स्वायत्त शासन विभाग में एक नया एक्ट बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी कमेटियां स्वायत्त शासन विभाग में बनी है उन तमाम् कमेटियों में मंत्रीजी ने स्थानीय विधायक की भागीदारी रखी है। डी.आर.डी.ए. की 17-18 जितनी

(श्री रमजान खान)

भी स्कीमें हैं, प्रत्येक योजना में अगर स्थानीय विधायक की भागीदारी करें और स्थानीय विधायक इनकी मानिटरिंग करें महीने में, दो महीने में एक बार तो निश्चित रूप से यह पैसा भी पूरा का पूरा खर्च होगा, पैसा सही जगह पर खर्च होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और सही मामला बैठ जाएगा। वरना इस डी.आर. डी.ए. का या ग्रामीण विकास योजना का कोई फ़ायदा इस वक्त मिल नहीं रहा है, कुछ देखने को नहीं मिलता। आप भी अपने इलाके में जाते हैं, मैं समझता हूं कि इसका कोई फायदा मिलता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई जिलों में निगरानी कमेटियां बनायी हुई हैं, मैं आपको सही कह रहा हूं कि हमारे अजमेर जिले में तो पिछड़े डेढ़ साल से कोई निगरानी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। निगरानी कमेटी की कोई मीटिंग नहीं होती है। अगर कोई मीटिंग बुला भी लें तो उसमें भी अधिकारी आते नहीं हैं। वे अपनी योजना बनाते हैं, जैसे डी.पी.ए.पी. का मामला है, डी.पी.ए.पी. की योजना हमारे अजमेर जिले में चल रही है। अधिकारियों की कहां से तो योजना बनती है और कहां से स्वीकृति होती है और कहां काम करते हैं, स्थानीय विधायक, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एम.पी. किसी को मालूम नहीं होता। वे अपने आप ही कूलड़ी में गुड़ फोड़ते रहते हैं।

भू-संरक्षण का मामला भी ऐसा ही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वन मंत्रीजी को जिन्होंने यह हिम्मत कर कह दिया था कि वन विभाग भ्रष्टाचार का नम्बर वन विभाग है। हिम्मत कर के कह दिया मगर हुआ क्या? उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं सब वन मंत्रीजी के पीछे पड़े हुए हैं, और दुर्भाग्य से अगर उनकी चाल कामयाब हो गई और मुख्य मंत्रीजी ने कहीं उनको हटा दिया तो मैं आज इस सदन में दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी मंत्री हिम्मत नहीं करेगा इस राजस्थान विधान सभा में यह कहने की कि यह अधिकारी भ्रष्ट है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वन मंत्रीजी का तो प्रमोशन होना चाहिये, उनको तो राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री का स्तर मिलना चाहिए और इन अधिकारियों की परवाह नहीं करनी चाहिए कि ये क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। उन्होंने वास्तव में जो सही बात है वह हिम्मत करके कही है, इसके लिए तो मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं अधिक समय नहीं लेकर, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे 200 विधायक बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान में जो नयी विधान सभा बनी है शायद उसमें नया बजट सैशन शुरू हो। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर नयी विधान सभा के भवन को आप अंदर से देखेंगे तो उसकी ऐसी अव्यवस्था कर दी है कि पहले जिधर डायस बनाया था उसी के हिसाब से मुख्य मंत्रीजी, अध्यक्षजी का

(श्री रमज़ान खान)

चैम्बर बना। अब पता नहीं वह डायस बदल कर उधर कर दिया। उधर करने की वजह से मुख्य मंत्रीजी, अध्यक्षजी और बाकी के जितने भी अधिकारियों के चैम्बर हैं वे तो रह गये विपक्ष की तरफ।

श्री उपाध्यक्ष : वह किसने बदला, आपको मालूम है क्या?

श्री रमजान खान : आप ही लोगों ने बदला होगा और किसने बदला।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम नहीं है, आपके पूर्व के अध्यक्ष महोदय शुकनी को लाये, उन्होंने कहा कि इसका मुंह लंकाऊ होना चाहिए और बदल दिया उन्होंने। हमने नहीं बदला।

श्री रमजान खान : खैर, किसी ने भी बदला हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत में बात यह कह रहा हूं कि उसके बदले जाने की वजह से विधान सभा में जो राजस्थान के कम से कम 100 करोड़ रुपये लगे हैं उन सबका मटियामेट हो गया, कोई मतलब नहीं रहा, उसका मजा ही बिगड़ गया। मैं तो यह सोचता हूं कि यह जो हमारा पुराना विधान सभा भवन है यही अच्छा है। उसमें जाने के बजाय यहीं ठीक है। उसमें सभी कुछ अव्यवस्थित हो गया, अगर आप जाकर देखेंगे तो। होना तो यह चाहिये था, मध्यप्रदेश में जो विधान सभा भवन बना हुआ है आप उसको जाकर देखों तो तबीयत खुश होती है कि हां, यह भवन बना हुआ है। इन अधिकारियों को मध्य प्रदेश जाना चाहिए था, वहां का नक्शा लाना चाहिये था और उस नक्शे को पास करवा कर उस नक्शे के हिसाब से बनाना चाहिए था। मगर इन अधिकारियों ने यहां बैठकर उस नक्शे को पास कर लिया और यहीं बैठकर बना दिया। उसके बाद किसी के कहने से डायस भी बदल दिया। पता नहीं क्यों बदला, क्या कारण था। यह तो अब ये ही जानें, इनका काम जाने।

उपाध्यक्ष महोदय, भू-संरक्षण विभाग में पहले तो हालत बड़ी खराब थी मगर अभी कृषि मंत्रीजी ने एक आदेश जारी किया है कि भू-संरक्षण विभाग में जितने भी काम हो रहे हैं वे स्थानीय विधायक की निगरानी में लाओ और स्थानीय विधायक को वहां ले जाकर उसका फिजिकल वैरिफिकेशन कराओ। मंत्री महोदय, उस वजह से अब अधिकारी लोग एम.एल.ए. के पीछे-पीछे घूमते हैं। मुझे भी दो-तीन जगह ले गये हैं और उससे काम में कुछ सुधार आया है। आपने यह भी निर्देश दिया भू-संरक्षण विभाग को कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति से सम्पर्क करके योजना बनाओ, अलग से मत बनाओ। अब ये ग्राम पंचायत की बैठकों में भी जाते हैं, पंचायत समिति की बैठकों में भी जाते हैं। उससे सुधार आया है। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में गनायड़ा और पुष्कर के आसपास जो डार्क जोन है उसकी हालत यह है कि डार्क जोन होने की वजह से कुएं पर कोई लोन नहीं ले सकते और कुछ नहीं कर

(श्री रमजान खान)

सकते और डार्क जोन होने के बावजूद उस इलाके से पानी अजमेर शहर को पीने के लिए आ रहा है। 14 लाख गैलन पानी रोज उस डार्क जोन से आ रहा है, उसको क्यों नहीं बंद करते हो? जब डार्क जोन है, धरती में पानी नहीं है तो कम से कम जो पानी अजमेर में आ रहा है उसको तो बंद करो। उस पानी को बंद नहीं करते हैं। मैं बार-बार कहता भी हूं कि भावना भी डार्क जोन है, गलायड़ा भी डार्क जोन है इस वजह से इस पानी को बंद करो वरना मामला बैठेगा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि वाटर शैड का जो काम आप करवा रहे हैं यह वाटर शैड का मेरे तो कुछ समझ में आता नहीं और हमारे जिले में इसका फायदा मिला नहीं। वाटर शैड की जगह आप एनीकट का मामला ले लो रपटों का, तो इस एनीकट से पानी भी जमा होगा और हमारे इलाके को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सोचता हूं कि इस बारे में आप गहराई से सोचेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन बोर्ड में इस बार 116 करोड़ 44 लाख रुपये नयी सड़कों के लिए स्वीकृत हुए हैं, परन्तु कृषि विपणन बोर्ड में मरम्मत के लिए एक पैसा भी नहीं है। कृषि विपणन बोर्ड ने पहले जितनी भी सड़कें बनायी हैं, आपको तो सब मालूम है, आप कृषि मंत्री रह चुके हैं, कृषि विपणन विभाग के भी आप मंत्री रह चुके, जितनी भी सड़कें बनायी हैं जो पहले की बनी हुई हैं वे इतनी बुरी हालत में है कि वहां अपना पैदल चलना तो क्या जानवर भी सड़कों पर नहीं चल सकते। वित्त मंत्रीजी, कृषि विपणन बोर्ड की जितनी भी पुरानी सड़कें हैं हमारे इलाके में, उसके पास-पास हमने रास्ते बना लिये जो रास्ते हमारे बाप-दादा के टाइम के थे और उन रास्तों पर चलना हम उचित समझते हैं। कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों की मरम्मत के लिए भी कुछ रुपया दें ताकि उनकी भी थोड़ी मरम्मत हो जाए और वे चलने लायक हो जाएं। कभी-कभी हम कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों की बात करते हैं तो मंत्रीजी ने कहा कि हम तो पी.डब्ल्यू.डी. को दे देते हैं। पी.डब्ल्यू.डी. की तो वैसे ही हालत खराब है, पिछले डेढ़ साल में एक सड़क की भी मरम्मत नहीं की, वे कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों की क्या मरम्मत करेंगे? इसलिए कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों की तो विभाग ही मरम्मत करवाएं और उसके लिये वित्त मंत्रीजी से अलग से फंड स्वीकृत करवाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है कि 1999-2000 के बजट में वित्त मंत्रीजी ने यह लिख दिया कि अल्पसंख्यकों की बहबूदी के लिये 200 उर्दू अध्यापकों के पद सृजित किये। इसका मतलब है कि उर्दू भाषा आपके दिमाग में सिर्फ अल्पसंख्यकों की भाषा है यह उर्दू भाषा के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उर्दू भाषा तो हिन्दुस्तान

(श्री रमजान खान)

में पैदा हुई है और उर्दू भाषा हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई सबकी भाषा है, इसलिए अल्पसंख्यकों तक सीमित करके इस भाषा को बेअदब मत कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू भाषा को भविष्य में कभी भी अल्पसंख्यक भाषा मत बनाना। इस भाषा को सब पढ़ते हैं और बड़े अदब के साथ मुहावरे करते हैं, शेर शायरी करते हैं। पंजाब के अंदर जाकर देखें, बहुत से उर्दू पढ़ते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति के लोग उर्दू का सब्जैक्ट लेते हैं, पढ़ते हैं। उसको केवल मुसलमानों की भाषा बनाकर आप क्या बेइज्जती करते हो? दूसरी बात, पहले यह चर्चा हुई थी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गई ना।

श्री रमजान खान : इस बारे में बोल रहा हूं जो समानीकरण का मामला हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया समानीकरण।

श्री रमजान खान : समानीकरण के मामले के अंदर जो उर्दू विषय पढ़ाने वाले टीचर थे उनको तो भेज दिया हिन्दी पढ़ाने वाले विषय के ऊपर और जो हिन्दी पढ़ाने वाले मास्टर थे उनको भेज दिया उर्दू विषय के ऊपर समानीकरण के मामले में ऐसा गड़बड़ घोटाला हो गया, इसलिए आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि उर्दू विषय जहां-जहां पर खुले हुए हैं वहां पर उर्दू अध्यापकों की व्यवस्था करें। पिछले टाइम में आपने 200 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कहा था, 450 बैकलांग था वह 650 हो गया, उसमें से एक भी नियुक्ति नहीं की गई। आपने इस वर्ष बजट में कुछ नहीं रखा इसलिए आपका जवाब आए तो कम से कम यह तो कहें। 650 तो 1999-2000 के बजट के उर्दू अध्यापक बाकी हैं, बहुत जगह खाली है और सब्जैक्ट को पढ़ने वाले बहुत हैं इसलिए उर्दू अध्यापकों के लिए भी आप इस बजट में थोड़े बहुत पद सृजित करो। कुल 650 पद हो गये हैं, वित्त मंत्रीजी, इस विषय में थोड़ा आपको गौर करने की बात है।

आज यहां पर सैनिक कल्याण के बारे में चर्चा हुई, मैंने आपसे इजाजत ली, और कहा था कि एक मिनट मुझे भी बोलने दो। आपने कहा कि यह कोई डिबेट का विषय नहीं है। आज सैनिक कल्याण मंत्रीजी बढ़-चढ़कर बातें कर रहे हैं कि हम पूर्व सैनिकों के लिये यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि इस सैनिक विभाग को राज के खजाने में से आज तक एक पैसा भी आपने अनुदान का दिया है क्या? खाली अमालगमेटेड फण्ड। मैं वहां पर सैनिक कल्याण मंत्री रहा हूं, अमालगमेटेड फण्ड का 90 लाख या एक करोड़ रुपया ऐसा है जिसको हमने फिक्स डिपोजिट करा रखा है और उसका जो ब्याज आता है उस ब्याज से साल भर यह चलता है। इसी तरह आपने वक्फ बोर्ड का यह कर दिया कि वक्फ बोर्ड को आज

(श्री रमजान खान)

तक अनुदान का एक पैसा नहीं दिया, जबकि दूसरी प्रदेश करोड़ों रुपये उनको अनुदान दे रहे हैं तो वित्त मंत्रीजी, थोड़ा बहुत सोचो, आप तो अल्पसंख्यकों का बहुत ध्यान करने वाले हो वक्फ बोर्ड को कुछ न कुछ तो दो। चाहे एक लाख रुपये से ही शुरू करो मगर कुछ तो शुरू करो। आज तक एक पैसा अनुदान का नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुए करीब 16 महीने हो गये हैं, और 16 महीने से राजस्थान सरकार की केवल एक रट है कि पिछली सरकार तेईस हजार साढ़े तेईस हजार करोड़ रुपये कर्जे के छोड़ गई इसलिए हम कुछ भी विकास कार्य करने में सक्षम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे कोई राज्य सरकार हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे व्यक्तिगत मामला ले लें, मेरी अपनी जानकारी में किसी भी संस्था, स्टेट गवर्नमैंट या व्यक्ति की अपने घर की, एक कहावत है कि साख नहीं जानी चाहिए। अब इनको 16 महीने हो गये पुकारते-पुकारते कि तेईस हजार साढ़े तेईस हजार करोड़ रुपये का हम पर कर्जा आ गया, तो क्या किसी ने आपसे हाथ जोड़े थे? यह तो जिस समय आप सत्ता सम्भाल रहे थे उस दिन तय हो गया था कि राजस्थान की जर्जर आर्थिक हालत में साढ़े तेईस हजार करोड़ रुपये का कर्जा भी ओढ़ना पड़ेगा। सत्ता ओढ़नी पड़े तो सत्ता के साथ-साथ आपको कर्जा भी ओढ़ना पड़ेगा। आप क्या यह चाहते हैं कि सत्ता तो आप भोग लें और जो साढ़े तेईस हजार करोड़ रुपये का कर्ज पिछली सरकार दे गई है उसे हिन्दुस्तान गवर्नमैंट या मध्य प्रदेश की पड़ौसी सरकार ओढ़ ले जो सत्ता का स्वाद चखेगा उसी को पिछली सरकार की सारी लाइबिलिटी भी ओढ़नी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंहजी ने साढ़े आठ-नौ साल में साढ़े तेईस हजार करोड़ रुपये का कर्जा इस सूबे पर छोड़ा है, मैं शायद बी.जे.पी. का लाख आलोचक रहा हूं लेकिन सत्य यह है कि भैरोंसिंहजी के जमाने में ग्रामीण विकास का कार्य प्राथमिकता के आधार पर हुआ था, आपने क्या कर लिया? साढ़े तेईस हजार करोड़ रुपये का + + + एक साल बाद यह कर्जा बढ़कर साढ़े पैंतीस हजार करोड़ रुपये होने जा रहा है, यानि आपने 12000 करोड़ रुपये का कर्जा एक साल में ओढ़ लिया। हालत यह हुई कि ग्रामीण विकास और दूसरे विकास के काम ठप्प पड़े हैं। क्या विकास के काम हुए? जैसा माननीय सदस्य ने कहा, डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में पहले बड़े चाव से जाते थे कि डी.आर.डी.ए. से कोई फण्ड अलाट होगा और उनके क्षेत्र का विकास होगा। आज हालत यह है कि

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पावर आफ पार्टी के जो एम.एल.ए. हैं वे भी डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं कि कलेक्टर से जब टेलीफोन करके पूछते हैं तो वे कहते हैं कि साहब पैसा तो है नहीं फिर किसलिये जाएं? खानापूर्ति करने के लिए? इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपने प्रदेश की साख को बट्टा मत लगाइये। एक कहावत है कि अगर अपना दुखड़ा रोओगे तो दुनियां हंसेगी जरूर, लेकिन आपके दुख में सहभागीदार नहीं बनेगी, इसलिए मैं यह कहता हूं कि आप साढ़े तेईस हजार करोड़ रुपये का रोना तो अब छोड़िये और राजस्थान के विकास की तरफ ध्यान दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार सदन में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए, टाइम बढ़ाना चाहते हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घंटे बढ़ाने की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000 पर विचार

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में राजस्थान के साथ गुजरात और उड़ीसा भी है, लेकिन जो भयंकर अकाल की स्थिति बनी है वह राजस्थान में नम्बर एक है। जी.टी.वी., स्टार न्यूज या दूरदर्शन पर जो पिक्चर राजस्थान की आ रही है उससे ऐसा लगता है कि पिछले 10-15 साल में जितने अकाल पड़े हैं, उन सब में इस साल अकाल की विभीषिका सबसे तीव्र है और हालत कन्ट्रोल से बाहर है। हम सब लोग, राजस्थान के माननीय सदस्य या राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में बसने वाला इंसान है वह राजस्थान के अकाल से पीड़ित है दुखी है और इसके समाधान के लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, जो भी योगदान आप मांगना चाहें हम सहर्ष देने को तैयार हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी नहीं चल पाएगा। आज अकाल की विभीषिका है लेकिन जब पश्चिमी राजस्थान में अकाल की स्थिति नहीं बनती है तो भी जो प्लान का पैसा है वह प्लान का पैसा पूर्वी राजस्थान कमाकर आपको देता है चाहे वह अलवर, धौलपुर, भरतपुर हो चाहे गंगानगर हो चाहे जयपुर का बैराठ हो, कोटपूतली, नीमकाथाना हो। जो आपको कमाकर देता है उसकी उपेक्षा अगर आप इस तरह से बजट में प्लान के पैसे में करते हैं तो, वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान के बंटवारे का

(श्री जगमाल सिंह यादव)

सवाल भी खड़ा हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल तो हमारे यहां पड़ता नहीं, मुश्किल से 10-20 गांवों में अकाल होता है वह भी फारमल्टी के तरीके से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर का उत्तरी हिस्सा और जयपुर डिस्ट्रिक्ट का सीकर, झुन्झुनूं आपको कब तक कमाकर देता रहेगा? आप अकाल में दीजिये, हमारा सारा बजट काफी है, आपको यह अधिकार है। हम चूंकि राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, राजस्थान में किसी भी कोने में अगर किसी भी इन्सान को कोई तकलीफ होती है तो राजस्थान के प्रत्येक कोने में रहने वाला आदमी उतना ही दुःख महसूस करता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा कि जब अकाल की स्थिति नहीं हो और कोई संकट इस पश्चिमी राजस्थान में न हो तब भी आप प्लान का पैसा लेकर हमारे साथ अन्याय करें और अलवर, भरतपुर, ईस्टर्न राजस्थान की उपेक्षा करें। अगर आपने यही तरीका रखा तो कई बार राजस्थान की विधान सभा में यह मैटर उठा है, आने वाले समय में...(व्यवधान) मत्स्य प्रदेश न कहो, कोई और प्रदेश, चाहे मछली प्रदेश हो, मत्स्य प्रदेश कह दो या किसी और नाम से।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसी कौनसी कमाई आप दे रहे हैं, यह बताइये जरा।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन कृषि मंत्री थे राव वीरेन्द्र सिंह जो रेवाड़ी के राजा भी कहलाते हैं, उन्होंने एक मांग रखी थी कि विशाल हरियाणा बने। विशाल हरियाणा में उनकी जो कल्पना थी वह थी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर और झुंझुनूं इनको मिलाकर हरियाणा के साथ वे एक विशाल हरियाणा की बात उठाते थे। लेकिन हमने उस संकीर्णता का उस समय यह कहकर कठोर प्रतिरोध किया कि राजस्थान भरा-पूरा इतना बढ़िया स्टेट है, इसके टुकड़े होंगे। हरियाणा में अगर हमको मिलाया जाएगा, हमने इस बात को कंडैम किया था। और आज भी हम उस बात को कंडैम करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ, इस ईस्टर्न राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब अगर चुने हुए जन-प्रतिनिधि भी आवाज नहीं उठाएंगे तो यह आवाज इन जिलों के आम आदमी के मन में उठेगी। और जो आवाज जहन से उठ गयी वह किसी न किसी दिन रंग लाएगी और यह भरा-पूरा राजस्थान टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, काबीना के जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि जब अकाल नहीं हो और राजस्थान का कोई भी हिस्सा जब संकटमय नहीं हो तो जो कमाकर देने वाले जिले हैं उनका हिस्सा उसी अनुरूप तय करें ताकि प्लान का पैसा वहां जाए और वहां भी विकास का काम सुचारू रूप से हो सके। अब आप अकाल का पैसा पश्चिमी राजस्थान में दे रहे हैं, वहां सड़क भी बन रही है, भवन भी बन रहे हैं, इसका

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जो हमारा हिस्सा है प्लान का, उसको आप काटकर भी उधर दे दें, आज संकट के समय हम आपके साथ हैं, लेकिन भविष्य में ज्यादा देरी तक अन्याय नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक रोज सदन में एक चर्चा होती है कि 6 शहरों के सौंदर्यकरण, उनकी वास्तुकला को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करने के लिए 15 सौ करोड़ रुपये का ऋण राजस्थान सरकार ने गारण्टी देकर, जो हिन्दुस्तान की सरकार ने साढ़े सात फीसदी ब्याज पर लिया उसको साढ़े 12 और 13 प्रतिशत ब्याज पर आप लेकर चुकता करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ पश्चिमी राजस्थान का पशुधन, बल्कि पूरे राजस्थान कुछ जिलों को छोड़कर भीषण अकाल से जूझ रहा है और यह संवेदनशील सरकार है, इस समय पर जबकि पूरे जान - माल

(16.54 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

से पूरे संसाधन जुटाकर आपको अकाल से निपटना चाहिए, देश के प्रधान मंत्री रोज अपील कर रहे हैं कि अकाल राष्ट्रीय आपदा है इसलिये सब लोग अपील करें, आपको क्या सूझा है, + + + सभापति महोदय, ये जो 15 सौ करोड़ रुपये ले रहे हैं, ये राजस्थान की जनता से टैक्स के रूप में वसूल करके क्या उनको चुकता नहीं करना पड़ेगा? यह प्रायोरिटी है? सभापति महोदय, जो आप 15 सौ करोड़ रुपये ले रहे हैं, यह प्रायोरिटी राजस्थान सरकार की नहीं होनी चाहिए थी। प्रायोरिटी यह होनी चाहिए थी कि इस समय पूरा देश राजस्थान के अकाल को एक राष्ट्रीय संकट के रूप में देख रहा है। ये सारे शौक जो आप डवलप कर रहे हैं और जिसमें 144 करोड़ रुपये तो खैरात में बांट रहे हैं सलाह में, जो बुद्धिजीवी हैं, जो अक्ल का ठेका रखते हैं, वे आपको यह बता देंगे कि राजस्थान की नई विधान सभा का जो डायस है, जो आसन है वह उधर नहीं रहकर इधर रहना चाहिए, उनको देंगे आप 144 करोड़ रुपये। मैं यह मानता हूं कि यह व्यर्थ है। ये जो छह शहर सुन्दर बनेंगे, ये सुन्दर तो क्या बनेंगे? वे शहर सुन्दर बनेंगे या आपकी सरकार सुन्दर बनेगी, यह तो भविष्य ही बताएगा।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 1997 में मैंने अखबार पढ़ा था, मैं इस हाउस में नहीं था। भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात रखी थी तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी से कि लोकायुक्त ने जो जांच की थी उसमें 4 आई.ए.एस. आफिसर्स को करप्ट माना था और वह जो लोकायुक्त की जांच थी वह गवर्नर साहब को सीधे भेजी गयी थी। राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने उसको टेबल कर दिया था। उस समय इधर बैठने वाले कांग्रेसियों ने राजस्थान की तत्कालीन सरकार को भ्रष्ट बताया था। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि अब तो आपको डेढ़ साल हो गया, वह रिपोर्ट भी टेबल हो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

चुकी है, उन 4 आई.ए.एस. आफिसर्स को, लोकायुक्त ने जिनकी जांच की और जिनको सौ फीसदी करप्ट माना, आपकी यह संवेदनशील सरकार कहलाती है ना, साफ छवि वाली सरकार, इन्होंने तो नहीं किया, इनको कब तक दोष देते रहेंगे, और इनकी तो करने की नीयत भी थी, लेकिन आपने क्या किया डेढ़ साल में? उनके नाम आप भी जानते हैं, 4 आई.ए.एस. आफिसर्स के क्या नाम हैं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आज 178 मुकदमे एंटीकरप्शन डिपार्टमैंट के पास केवल इसलिये इंतजार कर रहे हैं जांच हो गयी है, इंवेस्टीगेशन हो गया है, जिनमें अधिकारियों को और कर्मचारियों को दोषी मान लिया हैं, तफतीश पूरी है लेकिन उन 178 मुकदमों में केवल इसलिये अभियोजन नहीं हो रहा है, प्रोसीक्यूशन नहीं हो रहा है कि राजस्थान सरकार उनको डेढ़ साल से मंजूरी नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? ये तो भ्रष्ट थे लेकिन आप तो सही हो? जो आप रोज भ्रष्टाचार के आरोप इधर, इस पक्ष पर लगाते थे आप कितने दूध के धुले हो, क्या कारण है कि आप परमीशन नहीं दे रहे हो? सभापति महोदय, यह सरकार बार-बार कहती है कि हम पाक-साफ हैं, उन 178 में जिनकी जांच हो गयी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं चाहे पुलिस के अधिकारी हैं, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि बी.के.मीणा को तो गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन आशुतोष भार्गव जो आई.ए.एस. है, बड़ी क्लास से सम्बन्ध रखता है, जिसको 20 हजार रुपये नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, आपकी सरकार ने उसको रिइंस्टेट और कर दिया सात महीने में, यही है आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम, यही है आपकी पारदर्शी सरकार और यही है आपका ईमानदारी का तबका?

श्री हरजीराम बुरड़क : पारदर्शी है इसलिए ही आपको पता लगा ना।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी की एक घोषणा, बड़े जोर-शोर से जब सरकार बनने लगी तो हमने अखबारों में पढ़ी? मुख्य मंत्रीजी ने एक घोषणा की कि जो भी मंत्री बनेगा उनको सम्पत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। सारे सदन को मालूम है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जो मंत्री बने, क्या मुख्य मंत्रीजी ने उनकी सम्पत्ति की घोषणा करा दी? अगर सम्पत्ति की घोषणा करा दी तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, और जैसे की मेरी जानकारी में है कि सदन में टेबल नहीं हुआ है, मुख्य मंत्री ने वह सारी सम्पत्ति की घोषणा अपने पास रखी हुई है, क्या यह एक सौदा हो गया?

सभापति महोदय, मैं अकेला राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य, जिस पार्टी के लिए कहते हैं कि चारा खा गये, फलां खा गये, ढीका खा गये, मैं आज घोषणा करता हूं कि सत्र के चलते हुए मैं अपनी सम्पत्ति की घोषणा कर दूंगा, टेबल कर दूंगा, सभापति महोदय को अपनी सम्पत्ति की सूची दे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दूगां। मैं यह पूछना चाहता हूं, कि मुख्य मंत्रीजी ने जिन मंत्रियों की आमद की घोषणा और सम्पत्ति की घोषणा कराई थी, वह घोषणा कहां है? मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी अगर बाकायदा यह एक शो देना चाहते हों और एक मैसेज राजस्थान की जनता को देना चाहते हों कि मेरी सरकार ईमानदार है और मैं ईमानदार हूं तो तुरन्त ही, सत्र के चलते हुए जितने मंत्री बनाये हैं उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा सदन पटल पर रख देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैंने तो अभी चालू ही किया है। मेरे ख्याल से और कोई बोलने के लिए....(व्यवधान)

(17.00 बजे)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : आपका भाषण ऐसा ही लगता है कि अभी ही बोलना शुरू किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जल्दी खतम कीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : बैठ जाऊं?

श्री सभापति : खतम कीजिए, बैठो तो सही आप। पांच मिनट में आप अपना भाषण खतम करो।

श्री जगमाल सिंह यादव : पांच के तो सात हो सकते हैं, साहब।

श्री सभापति : शुरू तो करो आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, बी.जे.पी. की सैण्ट्रल गवर्नमैंट को आजकल, कांग्रेस की जो प्रैसीडेंट है वे कह रही हैं कि संविधान में संशोधन नहीं करने दिया जाएगा, संविधान की पुनरीक्षा नहीं करने दी जाएगी और मेरे दाईं तरफ बैठने वाले लोग कह रहे हैं कि संविधान की समीक्षा होगी और संविधान दुबारा बनेगा। मैं आपके मार्फत यह बात सदन को कहना चाहता हूं कि संविधान को तोड़ने-मरोड़ने में और गरीबों का शोषण करने में जो मेरे बायीं तरफ बैठे हैं न इन्होंने कोई कसर छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सैंट्रल गवर्नमैंट है उनकी तो नीयत वैसे भी, सभापति महोदय, साफ है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इन्होंने देख लिया इसलिए वोट में हार गये तो कोर्ट में जीतने की बात करते हैं और कोर्ट में भी जब हारने की बात आ जाएगी तो ये संविधान को ही बदलने की बात करते हैं। मेरा सीधा-साधा आरोप है, जो भी इस हिन्दुस्तान में अपर क्लास का आदमी है या जो ऊंची जाति से सम्बन्ध रखता है, हिन्दुस्तान में संविधान का संशोधन करने का एक बहाना है, केवल यह बहाना है कि जो गरीब है, इस देश में जो पिछड़ा है, जो दलित है, उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए रखा जाएगा, सभापति महोदय, जैसे बिहार में अभी लालू यादव के, मेरे भी दिमाग में एक बात आयी, जब मैं सोचता हूं कि इस हिन्दुस्तान में प्रत्येक नेता, पंच से लगाकर प्रधानमंत्री तक ईमानदार बाई बर्थ पैदा हुआ है, अगर कोई दुनिया में भूल से बेईमान पैदा हुआ है और भ्रष्ट नेता पैदा हुआ है तो वह केवल लालू है, यह शो करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एंटीकरप्शन के

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जिस सैक्शन में लालू यादव की बेल नहीं हुई, वह जुडीशियरी हो और चाहे राज हो, चाहे वह हिन्दुस्तान की सरकार हो, केवल जो लोग सत्ता में गरीब का हिस्सा नहीं चाहते हैं, उन लोगों ने चाहे कोर्ट की शरण ली हो और चाहे संविधान की समीक्षा करने का बहाना बनाते हों, हमको सत्ता से दूर रखने का एक बहाना है। मैं इस सदन के मार्फत और आपकी मार्फत इस सदन के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, जो खासकर पिछड़ा है, चाहे इधर बैठा है और चाहे उधर बैठा है, इस संविधान की समीक्षा करने का जो काम चालू बी.जे.पी. की सैंट्रल गवर्नमैंट ने किया है अगर इसको नहीं रोका गया तो जो पचास साल की आजादी और 200 साल अंग्रेजों से लड़कर जो सत्ता और प्रजातंत्र हमने हासिल किया है वह संविधान समीक्षा के नाम पर हम खो देंगे।

सभापति महोदय, मैं बी.जे.पी. की, जो अब कह रहे हैं, प्रधानमंत्रीजी, कल से टेलीविजन पर इण्टरव्यू आने लगे हैं कि यह राष्ट्रीय संकट है, गुजरात का और राजस्थान का अकाल, यह भी राजनीति की रोटियां सेंकने का एक खेल है। सभापति महोदय, आज यह अखबार में छपा है कि अशोक गहलोतजी गये और सीधे प्रधानमंत्रीजी से बात कर ली। प्रधानमंत्रीजी से बात की इसलिए पटवाजी नाराज हो गये और उन्होंने राजस्थान की मदद को यह कहकर रोक दिया कि मेरे पास तो कोई मांगने ही नहीं आया। सभापति महोदय, अकाल की विभीषिका, जिसको प्रधानमंत्रीजी बार-बार हर न्यूज के बुलेटिन पर राष्ट्रीय संकट बताते हैं, उसमें चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्रीजी से बात हुई हो और चाहे पटवाजी से बात हुई हो, उसको इतनी छोटी नजर से नहीं देखना चाहिए, छोटा नजरिया नहीं रखना चाहिए। विभीषिका चाहे उड़ीसा में पड़ी, तूफान आया, अकाल चाहे राजस्थान में आया, चाहे गुजरात में सूखा आये, इसमें सब लोगों को सहृदयता से बड़ा मन करके, हिन्दुस्तान के लोग हैं राजस्थान में बसने वाले भी, गुजरात में बसने वाले भी, उनकी मदद करनी चाहिए, राजनीतिक खेल नहीं खेलना चाहिए। जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा, उन्होंने भी दिल्ली की अपनी सरकार से यह बात कही है कि राजस्थान में अकाल की विभीषिका है इसलिए सैंट्रल गवर्नमैंट को मदद करनी चाहिए। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि कम से कम ऐसे संकट के समय में उन्होंने पक्ष और विपक्ष नहीं देखा। जयहिन्द

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रताप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बोलेंगे या नहीं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बोलूंगा।

श्री रामप्रताप : सभापति महोदय, बजट एस्टीमेट्स में प्लान और प्लान के बीच में लिखा गया है प्रोविजनल। सभापति महोदय, मेरे हिसाब से प्लान का मतलब होता है कानक्रीट या डिटरमाइंड, Plan cannot be provisional and

(श्री रामप्रताप)

'provisional' cannot be plan. सभापति महोदय, पचास साल के अन्दर शायद यह पहला मौका है कि प्लान के ब्रैकिट में लिखा गया हो प्रोविजनल। सभापति महोदय, मैं इस बजट के डाकूमैंट को डाकूमैंट आफ डैथ मानता हूं, यह आठ हजार करोड़ के ऋण का एक दस्तावेज है। नवीं पंचवर्षीय योजना के पूरे होने तक, वित्त मंत्रीजी, आज का दिन नोट कर लेना और मैं यहां खड़ा हूं, मेरा नाम भी लिख लेना आप, राजस्थान को पचास हजार करोड़ के ऋण में तब्दील कर देंगे, यह मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : 35 तो हो ही गये।

श्री रामप्रताप : मैं पूरी योजना समाप्त होने तक कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट राजस्थान सरकार की दशा को दिखाता है, यह राजस्थान की दशा को नहीं दिखा रहा। 27,500 करोड़ रुपये की योजना को पूरा करने की क्षमता रखने वाले राजस्थान को इन्होंने भीख का कटोरा लेकर हाथ फैलाने वाले राजस्थान में तब्दील कर दिया, यह मेरा आरोप है। माननीय सभापति महोदय, 1999-2000 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि वर्तमान में संसाधनों की उपलब्धता में जो कमियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनको देखते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की व्यवस्था करना तो आवश्यक है ही, व्यय में नियंत्रण करना भी आवश्यक है। राज्य सरकार इस दिशा में कठोर कदम उठाने के लिए कटिबद्ध है। अनुत्पादक व्यय को कम किया जाएगा। उसकी अनुपालना में, माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष के दौरान 160 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां कम होने का अनुमान है। कुल व्यय 17,962.71 करोड़ से बढ़कर 23,155.86 करोड़ हो गया। आर्थिक एवं सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में लगभग सभी मदों में कटौती कर दी गयी। गैर विकास व्यय में बजट अनुमानों से 1399.48 करोड़ अधिक व्यय हुए।

माननीय सभापति महोदय, यह तो इनकी बजट की अनुपालना हुई है, इसके साथ-साथ, आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का और लिबरलाइजेशन का चल रहा है। मैं कोई ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं लेकिन अमरीका जैसा देश जो कि लिबरलाइजेशन का चैम्पियन बना, माननीय सभापति महोदय, उसको सिर्फ 30 करोड़ जनता की व्यवस्था करनी है। अगर हम उसको ही आइडियल मानकर चलें तो हमारी पीछे 70 करोड़ जनता है, उसका क्या होगा? उसके लिए हमने क्या व्यवस्था की? इसके लिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सैक्टर में 28.30 परसेंट की कमी की गयी, रूरल डवलपमैंट में 78.36 करोड़ की कमी की गयी, इर्रिगेशन एवं फ्लड कंट्रोल में 34 परसेंट की कमी की गयी और सोशल सैक्टर की सर्विसेज में 1379 करोड़ की कमी की गयी। माननीय सभापति महोदय,

(श्री रामप्रताप)

ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर आप ग्रोथ रेट तो इन्क्रीज कर सकते हैं, जी.डी.पी. भी आप इन्क्रीज कर सकते हैं लेकिन उन तीस करोड़ जनता की जब आप व्यवस्था करोगे तो यह 70 करोड़ जनता आपके पीछे रहेगी, यह आपके इकोनोमिक डिस्पेरिटी पैदा करेगी। आपको इस मौके पर रूरल सैक्टर के लिए इर्रिगेशन, एग्रीकल्चर और सोशल सर्विसेज में थ्रस्ट देना चाहिए था, आपने किया क्या? आपने उसका उलटा किया। माननीय सभापति महोदय, ये ऐसे मौके हैं जो आइडियोलोजिकल मिस्टैप को बढ़ावा देते हैं। नक्स्लाइट का नक्सलिज्म का जो मूवमैंट था यह भूख से पैदा हुआ है, वह पावर्टी से पैदा हुआ है। वह कोई आइडियोलोजिकल मूवमैंट नहीं था। कार्ल मार्क्स जब क्रांति लाया तो जो क्रांति इंग्लैण्ड में होनी चाहिए थी वह क्रांति रूस में क्यों हुई? वह इकोनोमिक डिस्पेरिटी की वजह से हुई, सोशल सेफ्टी नैटवर्क नहीं था उसकी वजह से हुई। ये तमाम् स्थितियां हम पैदा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। आज की तारीख में आदिवासी क्षेत्र में जो नक्स्लाइट का मूवमैंट बढ़ावा ले रहा है, क्या आप यह मानकर चल रहे हैं कि वहां आइडियोलोजिकली लोग ज्यादा समझदार हैं या ज्यादा पढ़े-लिखे हैं? आज आप अकाल राहत के कार्य चालू नहीं कर सके, सही तरीके से उनको नहीं चला रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, कि आज की तारीख में वहां पर ट्रक वाले जाने से डरते हैं कि हमें लूट लिया जाएगा। यह स्थिति है, ये हालात पैदा हो गये। माननीय सभापति महोदय, इन बातों के लिए हमें करना तो चाहिए था कि रूरल सैक्टर के ऊपर हम थ्रस्ट देते लेकिन हमने उलटा किया। माननीय सभापति महोदय, उसका नतीजा यह हो रहा है कि दिनों-दिन गरीबी बढ़ती जाएगी। इर्रिगेशन, एग्रीकल्चर और रूरल डवलपमैंट, जिस तरीके से आपने रिवाइज एस्टीमेट में कम किया है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं यह प्रतिशत मैंने दिया है यह रीयल नहीं है। पिछले साल मेरे घरेलू बजट में मेरे पास 100 रुपये दूध के लिए थे, 10 रुपये किलो दूध आता था। इस बार आर्थिक कमी के कारण मैंने 90 रुपये दूध के लिए रखे हैं और दूध का भाव 11 रुपये। दूध 8 किलो आएगा। 100 से 90 किए उसमें मैंने 10 प्रतिशत की कमी की और दूध 8 किलो आया उसका मतलब मैं 20 प्रतिशत की कमी कर रहा हूं। ऐसे हालात जो हमने पैदा किए हैं उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है जो कि अपने प्लान को नहीं बढ़ा सकी। प्रोविजनल प्लान इसने रखा, प्लान का साइज कम किया, इन तमाम बातों की वजह से जो हालात बने हैं इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, राजस्थान की जनता को दोष नहीं दे सकते। अगर दोष है तो इस राजस्थान की सरकार का है। इसलिए

(श्री रामप्रताप)

आज यह जो एप्रोप्रिएशन बिल है, मैं इसको मिसएप्रोप्रिएशन बिल कहता हूं। It is total mismanagement by an inefficient and incompetent government.

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) 2000-2001 पर अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, अभी हमारे सामने वाले साथी कह रहे थे कि मिसएप्रोप्रिएशन बिल है, मैं अचम्भित हूं उन शब्दों से। ये शब्द शायद ये समझ नहीं रहे हैं हालांकि बड़े विद्वान साथी हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट वित्तीय अनुशासन का बजट है, यह कंसोलिडेशन बजट है। खुला सब्मिशन किया था। जैसी वित्तीय परिस्थिति राज्य की है, उसकी हम समीक्षा करके यह बजट लाये हैं कि कैसे हम पुनरुद्धार करें हमारी इकोनोमी का। फिस्कल डैफिसिट व राजस्व घाटे के जो सारे आंकड़े दिये हैं, उनके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु मैं अवश्य कहूंगा कि गत बजट भाषण में 1300 करोड़ रुपये जो छोड़े थे फ्लोटिंग, बाद में 700 करोड़ का डैफिसिट बताया था उस समय हमारे चर्चाएं हुई थीं कि किस तरह से यह जो घाटा है उसको हम वहन करेंगे। केन्द्र सरकार ने हमें मदद की, लोन दिया। वह फ्लोटिंग उसमें एडजस्ट किया। जब 700 करोड़ की चर्चा आयी तो सारा डैफिसिट नान-टैक्स रेवेन्यू के आधार पर हम उसको ले पाएंगे, ऐसी बजट में चर्चाएं आयी थीं। इस बजट की जब चर्चा करते हैं तब हम कहते हैं कि हम अपने डैफिसिट को चार प्रतिशत ले जाने वाले हैं। हम कहते हैं कि हम राजस्व घाटे को कम करेंगे, हम कहते हैं कि हम अपना जो संस्थापन खर्च है वर्तमान में संस्थापन खर्च और विकास खर्च बराबर हो चुका हैं, उस संस्थापन खर्च को कम करके विकास की ओर राज्य को अग्रसर करेंगे।

मान्यवर, इकोनोमी की जहां चर्चा है, मुझे याद है 80 और 90 के दशक के प्रारम्भ में राजस्थान की वित्तीय विकास की एक धारा बनी थी। हम उस पर जब पहुंचे थे तो राजस्थान के अर्थशास्त्री कहते थे कि हम इकोनोमी टेक-आफ पोजीशन में हैं, राजस्थान का भविष्य अर्थ की दृष्टि से उज्ज्वल है और विकास की संभावनाएं बहुत हैं। दुर्भाग्य से गत वर्षों में क्या हुआ है, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। आज जो वित्तीय स्थिति है, हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि जो घाटा पूर्ववर्ती सरकार छोड़कर गयी उसका 50 प्रतिशत कर्जा और ले लिया वर्तमान सरकार ने। मैंने गत साल भी प्रश्न किया था कि क्या वर्तमान सरकार ने, यदि पूर्ववर्ती सरकार ने कर्जा लेकर सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया तो वर्तमान सरकार ने कर्ज लेकर किस मद में खर्च किया, उसके आंकड़े देने की मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे, वर्तमान सरकार ने जो कर्ज लिया, जो 12000 के

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कर्जे की चर्चा चल रही है, किस मद में खर्च किये? यदि हमने सामाजिक व्यवस्था में खर्च नहीं किये, यदि हमने पुराने कर्ज चुकाने में खर्च किया है, किस ओर खर्च किया है उस ओर सदन को अपना मार्गदर्शन करेंगे।

मान्यवर, राजस्थान की जो 27 हजार करोड़ की पंचवर्षीय योजना बनायी, जो आंकड़े अभी मित्रों ने प्रस्तुत किये, दुर्भाग्य है इस राजस्थान राज्य का कि प्रतिवर्ष अपनी योजना के अनुसार हम आकार को रख नहीं पाये। तो राजस्थान का कैसे विकास करेंगे, यह चिन्तनीय विषय है। मान्यवर, हमने देश का एक आर्थिक माडल तय किया था हिन्दुस्तान की आजादी से पूर्व। प्लानिंग के माध्यम से हमने एक माडल बनाया था जो हमारी मूल शक्ति है मानव, मानव श्रम को। देश की जो इतनी बड़ी मानव पूंजी है उस आधार पर हमने मिक्स इकोनोमी का एक नेहरू माडल बनाया था, हम चाहते थे देश की प्रगति उस आधार पर हो। अभी ग्लोबलाइजेशन की एक हवा चली है दुनिया में। हम डिक्टेट हो रहे हैं दूसरे देशों से, दूसरे अर्थतंत्रों के माध्यम से कि भारतवर्ष का इकोनोमिक डवलपमैंट कैसा हो इकोनोमिक माडल कैसा हो। मान्यवर, ये मेरे निजी विचार हैं, मैं आज भी उस मिक्स इकोनोमी, नेहरू माडल का हामी हूं जिसके आधार पर देश ने प्रगति की मैं कहता हूं कि हमारी समस्याएं, भारतवर्ष की समस्याएं अमरीका से भिन्न हैं, हम भारतवर्ष का अपना एक माडल बनाएं जिसके अन्तर्गत हम अपने अर्थतंत्र को मजबूत कर सकें और प्रगति कर सकें। मान्यवर, माडल की जब चर्चा आती है तो हम देख रहे थे कभी भांखड़ा डैम नहीं बनता, बड़े-बड़े स्टील प्लांट्स नहीं बनते। ये बन जाते तो सोचो आज आप हम कहां होते। इस की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, जहां तक राजस्थान का सवाल है, हम अवश्य कहते हैं मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं, जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र से, कि हम पिछड़े हैं। तीनों तरफ से हम अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। मेरी मांग है राजस्थान के बजट पर, माननीय वित्त मंत्रीजी यहां हैं नहीं, जब भी चर्चा आती है, हमको दो स्कूल देनी हैं तो जैसलमेर जिले में 38 वर्ग किलोमीटर में दो विद्यालय देंगे और झुन्झुनूं में, सीकर में भी दो विद्यालय देंगे। तो हमारे साथ आज अन्याय हो जाता है, इतने बड़े क्षेत्र में हम पनप नहीं पाते। इसलिए पिछड़े को पहले देने की राष्ट्र की और राज्य की जो घोषणा है उस ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। मान्यवर, जैसे चर्चा चली, मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि आपकी जो केन्द्रीय योजना है उसमें हम अपना शेयर नहीं दे पाते हैं। केन्द्रीय योजना में यदि कटौती होती है, मुझे याद है कि हमने 12 करोड़ की योजना बनायी सीमावर्ती क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के पानी से और तुरन्त हमने घोषणा की कि यह पानी आने वाला है लेकिन केन्द्र सरकार ने उस योजना को

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

वापस ले लिया। इस तरह हमें बहुत बड़ी निराशा हुई। मेरा निवेदन है, वित्त मंत्रीजी, कि आपकी जो भी केन्द्रीय योजनाएं हैं उसमें अपनी सहभागिता की राशि देकर खर्च करके हम योजनाओं को पूरा करें और उनका सदुपयोग करें।

चर्चा चली इंवैस्टमैंट की। हमारे पास योजना है, राजस्थान में प्रोविजंस हैं। इंदिरा गांधी नहर की चर्चा करूंगा। जब हम 2300 करोड़ रुपये नहर पर खर्च कर चुके हैं और वार्षिक कृषि उत्पादन 1300 करोड़ रुपये का हो रहा है तो क्यों नहीं हम अपने पैसे को उन योजनाओं में खर्च करें जिनसे हमारा आर्थिक उत्पादन बढ़ता हो? मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि बजट में 200 करोड़ का प्रोविजन रखा गया था और वर्तमान में उसको घटाकर 1.20 करोड़ कर दिया गया है, ऐसी जो योजना है जो देश का आर्थिक उत्पादन बढ़ा सकती है, उन योजनाओं में भी कटौती करेंगे तो मुझे लगता है कि राजस्थान का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि मेहरबानी करके इंदिरा गांधी नहर जैसी योजना में जो आपने कटौती की है उस कटौती को वापस लें और पुनः गत बजट में जितना पैसा रखा था उस पैसे को दें। उन पैसों की कमी की जा सकती है। मैं 15-16 महीने से कह रहा हूं कि आपके आयोजन में कमी है। नहर एक आई.जी.एन.पी. डिपार्टमैंट बनाता है, बहुत बड़ा बोर्ड बना दिया कैनाल बोर्ड आपने। इतना हैवी बोर्ड है, संस्थापन पर बहुत बड़ा खर्च हो रहा है। खाले बना रहा है सी.ए.डी. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, मुझे दो मिनट देंगे?

श्री सभापति : बोलिये; बोलिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : सी.ए.डी. और इंदिरा गांधी नहर विभाग यदि नहर बना सकते हैं तो खाले भी बना सकते हैं। क्यों नहीं दोनों विभाग को एक कर उसको विकसित करें?

उस क्षेत्र में जो जैसलमेर जिले का निर्जन क्षेत्र था, 212 नये गांव सृजित करने हैं, मैं 16 महीने से पूछ रहा हूं। 212 में से 40 गांव घोषित कर दिये गये, वहां स्कूल कौन बनाएगा, वहां औषधालय कौन बनाएगा? नये किसान चले गये गत वर्ष में, इस वर्ष में हमने 12 हजार नये किसानों को अलाटमैंट किया है। हमारे साथी सदस्य बैठे हैं, प्रति वर्ष 25-30 करोड़ से ज्यादा जो कृषि भूमि नहरी क्षेत्र की बेच नहीं सकते थे इस वर्ष हमने 129 करोड़ की आमद इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन विभाग से की है। जब 200 करोड़ का प्रोविजन था तो उसमें सिर्फ 129 करोड़ किये और उसमें वह व्यवधान डाला गया कि यह राशि नहीं बढ़ायी जाए, यह आवंटन नहीं किया जाए। फिर भी हमने आवंटन करके कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सी.ए.डी., इंदिरा गांधी नहर खाले बनाना आदि करें, 50 प्रतिशत पैसा केन्द्र से आता है वह पैसा लेकर। जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा,

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

18 लाख हैक्टेयर जमीन कमाण्ड में ली जाएगी, हम पूरे जमीन को कमाण्ड में लेंगे तो देश का, सीमांत क्षेत्र का उत्पादन बढ़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे जिले की दो-तीन समस्याओं के बारे में निश्चित चर्चा करूंगा। चर्चा में हमारे विद्युत मंत्रीजी हमेशा कहते हैं, कल भी कहीं घोषणा की है कि रामगढ़ के पावर हाउस को हम बढ़ाना चाहते हैं। मान्यवर, 35 मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है, हमने 160 मेगावाट का प्लान किया था। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वहां क्रिएट किया हुआ है, एक टरबाइन 35 मेगावाट की लगाने से 35 मेगावाट बाई एग्जास्ट पैदा होगा।

(17.22 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसका मतलब बिना फ्यूल दियें हुए 35 मेगावाट हमें मुफ्त मिलेगा। तो ऐसी जो योजना है, जिसके आधार पर हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं तो एक 35 मेगावाट की टरबाइन लगाइये। उसके आधार पर दूसरी 35 मेगावाट की टरबाइन लगेगी जिसमें फ्यूल की जरूरत नहीं होगी। रामगढ़ पावर हाउस, जो गैस है बार्डर पर यह कोई अन्तरराष्ट्रीय षड्यंत्र है कि उस गैस का उपयोग नहीं करने देते। मेहरबानी कर उस ओर आपका ध्यान खींचिये। मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा कि आपके जिले के 90 गांव में से 87 गांव इलैक्ट्रिफाई होंगे, दुर्भाग्य से इस वर्ष अभी चार गांव भी इलैक्ट्रिफाई नहीं हुए। मेहरबानी करके जैसलमेर जिले के विद्युतीकरण की ओर ध्यान करें।

जैसलमेर पर्यटन नगरी है और मैं इस बजट में देख रहा हूं कि पर्यटन के नाम पर कोई पैसा नहीं दिया जैसलमेर को। मेहरबानी करके जब वह अन्तरराष्ट्रीय स्तर का केन्द्र है तो जैसलमेर को पर्यटन विकास हेतु कुछ राशि अवश्य दें।

जैसलमेर पशुपालन क्षेत्र है, डेयरी का विकास है, पर इस एप्रोप्रिएशन बिल में डेयरी के नाम पर कुछ पैसा नहीं है। मेहरबानी करके वित्त मंत्रीजी देखें, डेयरी एक ऐसा आयोजन है जिस के ऊपर पश्चिमी राजस्थान की समृद्धि टिकी हुई है, कृपया इस पर आप ध्यान दें। एक जैसलमेर रोडवेज के डिपो के बारे में घोषणा करने वाले हैं। मंत्री महोदय मुझे आशा है कि अवश्य करेंगे। सिंचाई के विषय पर, डिमांड पर बोल रहा था, वहां सैकड़ों खडीन टूटे हैं तो इसको रिपेयर करना चाहिए। इसका बजट मद भी देना आवश्यक है।

दूसरा एक मुख्य विषय कहूंगा। मेरे जिले में हम तीन करोड़ की ऊनी खादी का उत्पादन करते हैं। 101.97 तो आपने आंकड़े दिये हैं, तीन करोड़ का उत्पादन खादी का ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण कतिन बुनकर के माध्यम से हम जिले में करते हैं जो आज एक्सपोर्ट हो रहा है। जो प्रायः लुप्त-सा हो रहा है, इस ओर मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करूंगा।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

मैं दो शब्द शिक्षा के बारे में बोलूंगा। शिक्षा के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, प्राथमिक शिक्षा के बारे में आपको चिन्तन करना पड़ेगा। जिस तरह से आज प्राइमरी स्कूल का नामोनिशान मिटाने जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि डी.पी.ए.पी. में देंगे, लोक जुम्बिश में देंगे। प्राथमिक स्कूल का जाल आपको गांवों में बिछाना पड़ेगा, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

खनिज के बारे में मेरे कई मित्र कह चुके हैं। अंत में, मेरे साथी जो पास में बैठे हुए हैं, हमारी पश्चिमी राजस्थान की समृद्धि हमारी बैल निकासी है। बैल की निकासी जो बंद हुई है, पूर्ववर्ती सरकार ने जो गौ संरक्षण बिल पास किया है, मेहरबानी करके उस पर विचार करें। गुजरात, बिहार जहां भी हमारे बैल जा सकते हों, बैल के माध्यम से ही हमारा किसान, हमारा पशु-पालन अपनी समृद्धि को आंकता है। इस ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस बार बजट की चर्चा पर उन्होंने खुले मन से टिप्पणियां की हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी सब के भाषण सुने हैं, मैं भी लगातार सब माननीय सदस्यों के भाषण सुनता रहा हूं। कोई भी एक सदस्य नहीं होगा जिसने इस सरकार की आलोचना नहीं की हो। यह सही है कि प्रारम्भ में मुख्य मंत्रीजी की प्रशंसा की गयी, थोड़ी बहुत हम लोगों की आलोचना की गयी लेकिन 80 प्रतिशत टाइम में उन्होंने सरकार की आलोचना की। मैं खुशी इसलिए प्रकट कर रहा हूं कि सरकार इस बात के धोखे में नहीं रहे कि राजस्थान की जनता और जनता के प्रतिनिधि के रूप में विधायकगण सरकार की गतिविधियों से प्रसन्न हैं। मोटे रूप से यह कहा जाता रहा है कि गांवों में अध्यापक नहीं हैं, पटवारी नहीं हैं, बी.एल.डब्ल्यू. नहीं हैं, किसी भी विभाग के इंजीनियर्स और उनके सबार्डिनेट नहीं मिलते, सड़कें टूटी हुई हैं, तालाब टूटे हुए हैं, विकास के कार्य बंद हैं। इसी प्रकार की सभी माननीय सदस्यों ने आलोचना के रूप में मांग की है। कहीं हैंड पम्प खराब पड़े हैं तो कहीं रीजनल पाइप लाइन स्कीम में बिजली नहीं पहुंच रही है; लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मोटे रूप से इस सदन में इस प्रकार की चर्चा हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की भी चर्चा हुई है कि राजस्थान में बेकारी बढ़ रही है। इस बात की भी चर्चा हुई है कि राजस्थान में भुखमरी बढ़ रही है। अब ऐसी स्थिति में सरकार यह संकेत के रूप में समझ ले कि आप के 155 की संख्या होगी लेकिन 155 में मंत्रियों के अतिरिक्त जो अन्य सदस्य हैं वे सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रश्न यह आता है कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले डेढ़ वर्ष में इस सरकार ने अपना वर्चस्व समाप्त कर दिया, सरकार का जैसे कोई वर्चस्व नहीं है। और वह इस बात से अपने आप ही प्रकट होगा कि राजस्थान में बिजली और पानी के संकट की तो सबने चर्चा की लेकिन इस संकट से उबरने के लिए हमारी तरफ से हमने क्या प्रयास किये? यह सब को जानकारी है कि हमारे यहां बिजली का उत्पादन इतना नहीं होता, हम बिजली केन्द्रीय योजनाओं से लेते हैं। राजस्थान में पानी की कमी है, वह पानी हम रावी, ब्यास, सतलज, इन तीन नदियों के आधार पर लेते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपने हक-हकूकों को भूल गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहला तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस राजस्थान की विधान सभा में जितने भी पुराने सदस्य हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अंतरराज्यीय योजनाओं के हमारे हक के सम्बन्ध में इस विधान सभा में खूब लड़ाई लड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक एग्रीमैंट किया था हिमाचल प्रदेश से कि पार्वती डैम से उत्पन्न होने वाली बिजली में हमारा हिस्सा 40 प्रतिशत रखा जाए। एग्रीमैंट हुआ और एग्रीमैंट के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से मिलकर एक एग्रीमैंट कर लिया। वह एग्रीमैंट कर लिया 11.11.98 को और उसमें राजस्थान का हिस्सा एक प्रतिशत भी नहीं रहा। इसके लिए दोषी किसको बनाया जाए? मैं ऐसा समझता हूं कि इतना बड़ा अन्याय राजस्थान के साथ हो जाए और राजस्थान की सरकार प्रोटैस्ट नहीं करे। एक राज्य का सवाल नहीं था, उस समझौते में हरियाणा शामिल था, गुजरात शामिल था, राजस्थान शामिल था और हिमाचल प्रदेश शामिल था और 40 प्रतिशत का हमारा हिस्सा था आज एक प्रतिशत का भी हिस्सा नहीं है। अब इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का कोई वर्चस्व नहीं है। वह इस आधार पर कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पांच राज्यों के बीच में हुए समझौते को अपनी मर्जी से बदल दे और भारत सरकार से मिलकर एक समझौता कर ले और उस समझौते के बाद में राजस्थान के हिस्से की चर्चा नहीं करे, इससे ज्यादा बड़ी बात राजस्थान के लिए कोई गम्भीर नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्रीजी ने समझौते के बहुत दिनों के बाद पत्र लिखा और उस पत्र में एक बात लिखी गयी कि हमारा हिस्सा बरकरार रखा जाए। जब एग्रीमैंट गवर्नमैंट आफ इण्डिया के साथ हो गया तो गवर्नमैंट आफ इण्डिया और हिमाचल प्रदेश दोनों मिल गये, उस समय राजस्थान सरकार को जिस तत्परता से लड़ाई लड़नी चाहिए थी वह लड़ाई नहीं लड़ी गयी। मैं आज भी कह सकता हूं कि इस मामले में हमारे मुख्य मंत्रीजी न तो प्रधानमंत्री से मिले और न हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से मिले और न नेशनल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हाइडल पावर प्रोजैक्ट के चेयरमैन से मिले। केवल पत्र लिखा। इस प्रकार के पत्रों की गिनती न तो दिल्ली में होती है और न राजस्थान में होती है और हमने अपना हिस्सा खो दिया। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री पर चार्ज लगाता हूं कि उन्होंने राजस्थान का वर्चस्व खत्म कर दिया और राजस्थान का जो हित था उस हित की उन्होंने अवहेलना की।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अगर इतना-सा ही मामला होता तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक विषय पर चर्चा करके इस मामले को फिर उठा सकते हैं लेकिन इस सदन को जानकारी होगी कि मैं लगातार इस सदन में इस बात के लिए लड़ता रहा हूं कि भांखड़ा-ब्यास और सतलज के पानी के आधार पर जितनी भी बिजली की योजनाएं बनीं हैं उनमें राजस्थान का हिस्सा है। मैंने इस सम्बन्ध में कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा और इस सदन में विपक्ष में रहकर भी इसकी वकालत करता रहा हूं कि राजस्थान अपने हिस्से को छोड़े नहीं। राजस्थान में जब 1955 और 1960 में समझौता हुआ उस समझौते में कहीं यह लिखा हुआ नहीं है कि इस पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली के ऊपर राजस्थान का हिस्सा नहीं है। यह मामला विवादास्पद रहा है और इसी विवाद के कारण से इराडी कमीशन अपाइन्ट हुआ। इराडी कमीशन में 60 और 55 के आधार पर जो राजस्थान का हिस्सा था वह हिस्सा बरकरार रहा लेकिन बिजली हमको नहीं मिली। भांखड़ा, सतलज नदी से जितनी भी बिजली पैदा होती है चाहे भांखड़ा-नांगल में हो और चाहे पोंग डैम में हो, उस पोंग डैम की बिजली में हमारा तो 51 प्रतिशत का हिस्सा और भांखड़ा में जो बिजली पैदा होती है उसमें लगभग 15 प्रतिशत का हमारा हिस्सा है। यह हिस्सा होने के बाद एक सर्वमान्य सिद्धान्त है, जब एक बार गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने और स्टेट्स ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि पानी से पैदा होने वाली बिजली में राजस्थान का निश्चित रूप से हिस्सा है। इसके आधार पर मैं निरन्तर थीन डैम के मामले में लड़ता रहा, शाहपुर कांडी के मामले में लड़ता रहा, आनन्दपुर साहब के मामले में लड़ता रहा, मुकेरिया के मामले में लड़ता रहा और बारीदोआब के मामले में लड़ता रहा। यह लड़ाई लगातार चल रही है परन्तु दुर्भाग्य है कि डेढ़ वर्षों में इन बातों की उपेक्षा की गयी जिसका नतीजा यह है कि राजस्थान का हिस्सा सब जगह समाप्त हो गया। थीन डैम से बिजली पैदा होने लग गयी, हमें बिजली का हिस्सा नहीं मिलता। शाहपुर कांडी से बिजली पैदा होना शुरू हो गयी, हमें बिजली नहीं मिलती। बारीदोआब से बिजली पैदा होना शुरू हो गयी, हमको उसमें से बिजली नहीं मिलती। आनन्दपुर साहब और मुकेरिया में बिजली पैदा होना शुरू हो गयी लेकिन हमें हिस्सा नहीं मिलता। दुर्भाग्य है कि राजस्थान ने इस मामले की पूरी तरह से लड़ाई नहीं लड़ी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इतना ही नहीं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1981 में राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री अभी हैं नहीं, शिवचरणजी माथुर ने एक समझौता किया था। राजस्थान का हिस्सा इस सारे पानी के अन्दर आठ एम.ए.एफ. था। फिर नयी सीरिज आयी उस सीरिज के आधार पर राजस्थान का हिस्सा 8.6 एम.ए.एफ. रखा गया। लेकिन 1981 में जो समझौता हुआ उस समझौते में यह बात मंजूर कर ली गयी कि जब तक राजस्थान आल्टरनेटिव अरेंजमैंट नहीं करे दशमलव छह एम.ए.एफ. का उपयोग करने के सम्बन्ध में, उस समय तक यह पानी पंजाब को मिलता रहेगा, पंजाब इसका उपयोग करेगा। मैं, मुख्य मंत्री, आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान की क्षमता नहीं है? 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग राजस्थान नहीं कर सकता? इस प्रकार की क्षमता पैदा नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डर है, मैं लगातार चाहे सरकारी फाइल......

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ये पाइंट तो आप बताएं कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं क्योंकि आठ साल तक आप शासन में रहे? आप 8.6 की बात कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं बोल रहा हूं न। मैं बोल रहा हूं। हमारी क्षमता हो गयी इससे ज्यादा पानी यूज करने की, मैं यह कह रहा हूं। (व्यवधान) आप थोड़ा समझ लीजिए। समझते नहीं हैं तो बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 8.6 एम.ए.एफ. पानी, यह हमारा हिस्सा है। इतना ही नहीं है, 8.6 एम.ए.एफ. पानी को यूज करने की हमारी क्षमता है। दुर्भाग्य यह है कि गंगानगर से आये हुए माननीय सदस्य बोल रहे थे कि इस कैनाल की कैपेसिटी 18 क्यूसेक पानी कैरी आउट करने की है लेकिन उस समय के निर्माण में कुछ ऐसी कमी रही है कि लोगों को एक बहम हो रहा है कि 18 हजार क्यूसेक पानी जब नहर में आएगा उस दिन यह नहर टूट जाएगी। मैं समझता हूं कि यह कल्पना है, मिथ्या कल्पना है। नहर नहीं टूटेगी और पूरा का पूरा पानी इसमें आ सकेगा। आज राजस्थान में हमारी क्षमता बढ़ गयी है। आप 1981 का एग्रीमैंट देख लीजिए, एग्रीमैंट में लिखा है कि जब तक राजस्थान की क्षमता पैदा नहीं होगी उस समय तक यह दशमलव 6 एम.ए.एफ. पानी पंजाब यूज करता रहेगा। यह क्षमता बढ़ गयी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने मुझे पूछा, आपने डेढ़ वर्ष में भारत सरकार या पंजाब को कभी चिट्ठी लिखी है क्या? आपने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। चिट्ठी नहीं लिखी इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार का वर्चस्व इस दृष्टि से लगभग समाप्त हो गया। हमारी सरकार की कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी जानकारी कितनी है। जितनी जानकारी इस सम्बन्ध में होनी चाहिए उतनी जानकारी नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नर्मदा के मामले में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमैंट दे दिया नर्मदा की ऊंचाई के मामले में। दूसरे दिन आकर उसका खण्डन कर दिया। यहां के अखबारों में मैंने पढ़ा है कि आपने उसका खण्डन किया है और आपने खण्डन यह किया है कि मैंने जितनी ऊंचाई के लिए बात कही थी वह मैंने नहीं कही। लेकिन गुजरात के समाचार पत्रों में और मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों में आपका खण्डन तो छपा नहीं है, यह बात जरूर छपी है कि आपने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को खुश करने के लिए जो वे चाहते थे उतनी ऊंचाई स्वीकार कर लिया और बाद में दूसरे दिन आपने उसका खण्डन किया। माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए बता देऊं : "Narmada Water Disputes Tribunal determined that the height of the Sardar Sarovar dam should be fixed for full reservoir level plus 138-68 m (455) and maximum water level at (+) 145.2 m (460) and also directed the Government of Gujarat to take up .. complete the construction of the dam according to Plan VIII of N.W.D.P. award. Accordingly the construction of the Sardar Sarovar dam was in progress. Through a letter written by the Chief Minister, Madhya Pradesh to the Prime Minister in March, 1994, the COMP raised the issue of height of the Sardar Sarovar dam and wanted that F.R. for reservoir be reduced to 132.60 m." अब इससे आप अन्दाजा लगा लें कि आज गुजरात में और मध्य प्रदेश में इस प्रकार का विवाद चल रहा है, इस विवाद का निपटारा नहीं हो रहा है। लेकिन यह सही है कि 455 की हाइट होगी तो राजस्थान का जो पाइंट फाइव का हिस्सा है नर्मदा के पानी में, वह राजस्थान को जब ही मिलेगा पहले नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी स्टेटमैंट देकर आ गये और देकर यह कहा कि हाइट कम हो सकती है, मध्य प्रदेश जो मांगता है उस बात को मंजूर किया जाए। इससे बड़ा राजस्थान का कोई अपराध कर नहीं सकता।

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका जोरदार खंडन करना चाहता हूं क्योंकि माननीय विपक्ष के नेता से मेरी बात हो चुकी है इस सम्बन्ध में, मैंने ना तो गुजरात में कोई ऐसी बात कही, ना बात कहने का मौका मिला। जब मैंने न्यूज पढ़ी वहां पर, क्योंकि मेरी स्पीच वहां पर गुजरात में हुई थी एक सभा के अन्दर, उसको मिसकोट किया गया दूसरे मुख्य मंत्री के साथ तो मैंने यहां आते ही उसका खंडन कर दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जानकारी तो मुझे पहले भी थी लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपका यह भाषण मिसकोट क्यों किया गया ?

श्री महेश जोशी : कई बार आपका भी मिसकोट...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मिसकोट क्यों किया गया? आखिर बिना कहे कोई बात पैदा नहीं हो सकती। बात आपने कही है और कही है इसलिए यह कोई मिसकोट करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। यह आपने कही है उसी कारण अखबार में छपी है। यहां जब आए तब सरकारी अफसरों ने आपको कहा कि आप यह क्या वक्तव्य देकर आए हैं तो आपने उस को तुरन्त दुरुस्त कर लिया। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि आपको उस समय सावचेत नहीं किया जाता तो स्टेटमेंट इसी तरह से रिकार्ड पर रहता और मध्य प्रदेश उसका लाभ उठाता, राजस्थान को उससे नुकसान होता। मैंने इसलिए आपसे कहा है कि ये मामले कुछ ऐसे हैं जिन मामलों के ऊपर राज्य सरकार को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम सतर्क नहीं रह पाए हैं। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में एक पूरी बैठक बुलाएं कि अन्तरराज्यीय जितने भी बिजली और पानी के विवाद हैं इन सारे विवादों को किस प्रकार से निपटाएं। यदि सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, यदि गवर्नमैंट आफ इण्डिया के पास रिप्रजेन्टेशन देना है तो गवर्नमैंट आफ इण्डिया के पास जाएं। लेकिन यह नहीं हो सकता कि हम इन सब चीजों को भूल जाएं और आगे कोई काम करें नहीं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हाल ही की बात कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : मैं उपाध्यक्ष हूं, अन्नदाता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको सभापति नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : है जैसे ही रखो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना आप ध्यान रखिये मैंने सभापति नहीं कहा। मैंने तो आगे बढ़ाया है आपको, प्रमोशन दिया है आपको।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम कितने सावधान हैं। राजस्थान की सरहद के ऊपर ओटू बांध हरियाणा की सरकार ने बनाना शुरू किया है। अब आप सब जानते हैं कि घग्घर का पानी वे इम्पाउंड करना चाहते हैं। वे इम्पाउंड अपने इंट्रैस्ट में नहीं करना चाहते, राजस्थान के इंट्रैस्ट में इम्पाउंड नहीं कर रहे हैं, वे हरियाणा के इंट्रैस्ट में इम्पाउंड करना चाहते हैं। घग्घर कैनाल के पानी से आज पूरा गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, इसके अन्दर सिंचाई और पानी की व्यवस्था होती है। यदि उन्होंने इस पानी को इम्पाउंड कर लिया और उसके सारे रिलीजेज अपने कंट्रोल में ले लिये तो राजस्थान को कितनी बड़ी हानि होगी, इसका आप अन्दाजा लगा लें। नवम्बर, 1999 को काम शुरू हुआ। वर्ल्ड बैंक से उन्होंने 28 करोड़ रुपया लिया, पैंसठ हजार क्यूसेक्स पानी इम्पाउंड करने की उन्होंने योजना बनायी। घग्घर फ्लड में हमारा व हरियाणा का कितना हिस्सा है, यह तय नहीं हुआ है, कोई मात्रा में तय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं हुआ है लेकिन घग्घर का पानी फ्रीली फ्लो करता है। कई बार बाढ़ भी आती है उसकी हमें हानि भी होती है लेकिन पूरा पानी जो राजस्थान को मिलता है, निश्चित रूप से राजस्थान को उससे लाभ होता है। अब रोकने के कारण मेरे समझ में नहीं आता, मैं मुख्य मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि घग्घर पर जो डैम बन रहा है, ओटू बांध बना रहे हैं उस ओटू बांध के सम्बन्ध में अभी कुछ दिन पहले आपने चीफ मिनिस्टर को लैटर लिखा है बाकी आपने अटैम्प्ट्स क्या किये? मैं आज आपको कहता हूं कि यदि यह पानी इम्पाउंड हो गया और राजस्थान को जो पानी मिलता है वह हिस्सा सुरक्षित नहीं रखा गया तो गंगानगर के लोग जो बात कर रहे थे, इस ओटू बांध के कारण से राजस्थान में जो तबाही होगी, उसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने कहा था, मुख्य मंत्रीजी, नाराज होने की जरूरत नहीं है कि आपका वर्चस्व इस दृष्टि से बिलकुल किसी काम का नहीं हैं, वर्चस्व खतम हो गया। और खतम जब यह हो गया...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : वर्चस्व तो कायम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो बाकी खतम क्या हुआ है?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : खतम भैरोंसिंह जी का राज हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह भी सही है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : वह भी सही है तो यह भी सही है कि वर्चस्व कायम है।

श्री महेश जोशी : विधान सभा चुनाव में 1998 में आपका जो खतम हुआ था उसके बारे में बताओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है। विधान सभा चुनावों पर मैं अभी आ रहा हूं। जिस समय इस विषय पर आऊं उस समय आप बात कर लेना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे इम्पोर्टेंट मैटर्स, राजस्थान की लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं इनके प्रति हमको सावधान रहना चाहिए। इनके प्रति हम सावधान नहीं रहे तो राजस्थान तो दूसरों पर निर्भर करता है। राजस्थान में कोई नदियां नहीं हैं जिसके आधार पर हम बांध बना लें, राजस्थान में पानी के रिसोर्सेज नहीं हैं जिसके आधार पर हम पीने के पानी की और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कर लें। इस मामले में राज्य सरकार पूर्णतया असफल हुई है। राज्य सरकार ने कोई अटैम्प्ट नहीं किया, राज्य सरकार ने जिस गम्भीरता के साथ इन विषयों को लेना चाहिए उस प्रकार से विषय लिये नहीं।

मैं 1981 के समझौते के बारे में जिक्र कर रहा था। सदन के माननीय सदस्य जो 1981 के बाद यहां थे, मुझे याद है कि तीन दिन तक राजस्थान की विधान सभा में उसकी चर्चा हुई थी। तीन दिन तक धरना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देकर हम बैठे रहे और धरने के बाद जो सरकार की हालत हुई उसमें एक ही एश्योरेंस था कि हम जल्दी से जल्दी अपनी क्षमता पैदा करेंगे और पाइंट सिक्स एम.ए.एफ. वाटर जो राजस्थान के हिस्से का है वह जल्दी से जल्दी लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि सरकार का एक हिसाब से कोई वर्चस्व नहीं है। सरकार यह समझे कि हमारा वर्चस्व है, मैं मानता हूं आपका वर्चस्व है, वह वर्चस्व किस रूप में है? मैं आपको एक धारीवाल जी ने जो यहां स्टेटमैंट दिया, उसको बताना चाहता हूं। धारीवाल जी ने कहा है, 17.4.2000, बिल्डिंग लाइन तय करके अतिक्रमण हटाए जाएं। यह बात सही है और विपक्ष का यह आरोप कि लाल निशान लगाये जाते हैं जिससे डर बैठता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि लाल निशान लगाने में कई बार हमारे अधिकारियों से गलती भी हुई है, निश्चित तौर पर इससे एक भय का वातावरण पूरे राजस्थान में बना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह सरकार राजस्थान में भय का वातावरण बनाने के लिए है या इस प्रकार का कोई वातावरण हो तो उस वातावरण को हटाने के लिए है? सरकार भय पैदा करे, आपके कारनामों के कारण से जनता में आतंक पैदा हो, ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए था वह सरकार ने नहीं किया। और नहीं किया इसलिए.....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : जब सरकार की जानकारी में यह बात आयी कि लाल निशानों की वजह से जनता भयभीत है तो क्या आप इस बात को एप्रीशिएट नहीं करेंगे कि सरकार ने इस बात को विथड्रा कर लिया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा ना आपको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो इसमें क्या बात हुई?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। दुर्भाग्य है कि आप हर बात में अपनी आलोचना समझते हैं। इतना गिल्टी कांशस होने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने आगे कहा, सारी बातें, बिल्डिंग लाइन तय करेंगे, सड़कें कितनी चौड़ी हों उसको निश्चित रूप से बताया जाएगा, नोटिस देने की जरूरत होगी तो नोटिस देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपने एक बात तो स्वीकार की, हम केवल राजस्थान के बड़े छह शहरों में यह कार्यवाही करना चाहते थे, यह छोटे-छोटे कस्बों में करना नहीं चाहते। जिला मुख्यालयों पर, बाकी तो आपने नहीं कहा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिला मुख्यालयों के अलावा यदि लाल निशान लगाने का रिवाज छोटे-छोटे कस्बों में चलने लग गया और उसके कारण से लोगों में आतंक पैदा हो गया तो आपने खुद ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहा है कि हमारी मंशा नहीं थी, अब आप...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमने डाइरेक्शंस भी दिये। कई जगह अति उत्साह में वहां के कमिश्नर ने और एग्जीक्यूटिव आफिसरों ने ये लाल निशान लगाना चालू किया। ये जिला मुख्यालय नहीं थे, छोटे-छोटे कस्बे थे। वहां पर जब यह शिकायत हमारे पास आयी तो हमने बाकायदा डाइरेक्शंस दिये कि इस तरीके से निशान वहां मत लगाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके डाइरेक्शंस को तो मैं एप्रीशिएट करता हूं लेकिन मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि डाइरेक्शंस के अंगेस्ट में जिन लोगों ने लाल निशान लगाये, जनता में आतंक पैदा किया उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया? आपके डाइरेक्शंस की मैं तारीफ करता हूं कि आपको जिस दिन मालूम हुआ, आपने डायरेक्शन दे दिये लेकिन डायरेक्शन के बिना ही यह आतंकवादी कार्यवाही किस प्रकार से हुई?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिन-जिन नगरपालिकाओं में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई, जिन-जिन कस्बों से शिकायतें प्राप्त हुई, मिसाल के तौर पर नीमकाथाना, मिसाल के तौर पर कुचामन सिटी, मिसाल के तौर पर करौली, जहां-जहां से भी शिकायत प्राप्त हुई हमने फटाफट जिला कलेक्टर से बात करके इस काम को रोकने की कोशिश की। कोई गलत काम नहीं किया।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : हमारे टोडाभीम में भी रोका है आपने तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। जब-जब भी यह जानकारी मिली, इस कार्यवाही को रुकवाया गया, आप यही तो कहना चाहते हैं? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों की इस कार्यवाही के कारण से आतंक जनता में पैदा हुआ उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया, यह है मेरा प्रश्न?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माफ करना, मैं आपकी पीड़ा को खूब समझता हूं। आपकी सरकार से न तो जनता डरती थी और न ही आपके मंत्री डरते थे और वह राज़ कोई राज नहीं कहलाता जिसमें थोड़ा-सा राज़ का भय न हो, कानून का भय ना हो। हमने निर्माण के उन कानूनी प्रावधानों को लगाना आवश्यक समझा और उनकी पालना करवाना आवश्यक समझा इसलिए यह सब कुछ कार्यवाही करनी पड़ी और आगे भी करते रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है। आगे आप आतंक पैदा करते रहेंगे तो जनता भी इस आतंक का जवाब आतंक से ही देगी। अगर सरकार आतंक पैदा करना चाहती है....

श्री महेश जोशी : आतंक तो उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया, भय स्वीकार किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूं यह आतंक पैदा करने की बात, मैं इसका विरोधी हूं आतंक का। (व्यवधान) आतंक पैदा तो इन्होंने मंजूर किया है। आतंक पैदा हो गया इसकी तो बात मंत्रीजी ने स्वीकार की है।

श्री महेश जोशी : भय स्वीकार किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भय, एक ही बात है।

श्री महेश जोशी : एक बात कैसे है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि....

सदन की कार्यवाही

विधान-सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए, सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

एक घंटा बढ़ाया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000 पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई बार जैसे धारीवालजी ने कहा कि भय पैदा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है यह सरकार बाहुबल से काम कर रही है, मसल पावर से काम कर रही है।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : बुद्धि से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बुद्धि की जरूरत होती और बुद्धि काम में लेते तो यह आतंक पैदा नहीं होता।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : आतंक कहां हुआ? आतंक तो आप लगातार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे यही लग रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सरकार भुजाओं के बल पर काम कर रही है, यह भेजे के बल से काम नहीं कर रही है। इस तरीके की स्थिति नहीं होती तो आज आतंक पैदा करने की स्थिति पैदा नहीं होती।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप खुद यह बता दीजिए कि आप कितने परसेंट आदमियों को समझते हैं, कि जिन्होंने अतिक्रमण और अवैध निर्माण कर रखे हैं? मुश्किल से 2 या 4 परसेंट हैं पूरी जनसंख्या के अगर 2 या 4 परसेंट आदमियों को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक परसेन्ट ही हटाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 100 परसेन्ट को हटाएं (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आरोप तो आपकी पार्टी के ऊपर है, आपकी पार्टी ने आतंकित किया है जनता को कि सरकार की यह योजना है, यह योजना है। तोड़ देगी, यह कर देगी, वह कर देगी, यह सारा काम आपके कार्यकर्ताओं ने किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइये। कार्यकर्ताओं ने किया और आतंक फैल गया, यह मानते हैं ना आप? (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी हर चीज को गम्भीरता से लें। आप कोई अतिक्रमण हटाना चाहें अतिक्रमण हटाइये, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ कानून बने हुए हैं, कोई नियम बने हुए हैं, उन कानूनों और नियमों का पालन करते हुए यदि आप अतिक्रमण हटाते हैं तो कोई नहीं। लेकिन रोज लाल निशान लगा दें कि और यह लगे कि आज बुलडोजर आपके आएगा, आज बुलडोजर हमारे यहां आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जब कार्यवाही की है, अब तो आप सुधरे हैं, पहले जितनी भी कार्यवाही की है, क्या किसी आदमी को नोटिस दिया है? किसी आदमी को आपने सुनवाई का अवसर दिया है? किसी आदमी के आपने पट्टे देखे हैं? किसी आदमी ने वहां पर क्यों मकान बनवाया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है? बल्कि हालत तो यहां तक पहुंच गई है कि लोगों ने कोर्ट के आदेश दिये, उनको फाड़कर फेंक दिया गया। लोगों ने म्युनिसिपैलिटी के आदेश दिये, उनको फाड़कर फेंक दिया गया। जे.डी.ए. से जिन्होंने अनुमति लेकर मकान बनवाया उनको फाड़कर फेंक दिया गया। तो इससे ज्यादा आतंक और क्या हो सकता था? क्या गोली से उड़ाया जाता? क्या लाठी से उनको डील किया जाता? ये सारी बातें नहीं हुई उसी के कारण से मैं इस चीज की ओर कहना चाहता हूं कि सरकार का वर्चस्व खतम हो गया। धारीवालजी, आप कहें कुछ और आफिसर्स करें, कुछ, यह इस बात का संकेत है कि सरकार का कोई वर्चस्व नहीं है। सरकार का वर्चस्व किसी के मकान तोड़ने में नहीं है लेकिन सरकार का वर्चस्व इसमें है कि किसी का आप मकान तोड़ें, विधि-विधान से उसको तोड़ें। विधि-विधान के अनुसार नहीं तोड़ा गया, यह उसका परिणाम है कि लोगों में आतंक पैदा हो गया और उस आतंक को आप लोग देखते रहे। आपके पास टेलीफोन आया तब आपने आतंक दूर किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर को मालूम नहीं था कि हम सिवाय डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स के अतिक्रमण विरोधी, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? कलेक्टर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि नीमकाथाना में नहीं करना है? कलेक्टर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुचामन में नहीं करना है या बाकी इस प्रकार के शहरों में नहीं करना है? अगर आपका वर्चस्व होता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और आपके आदेश को कलेक्टर वगैरह ठीक ढंग से पढ़ते तो इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से आप मानेंगे या नहीं मानेंगे मैं कह नहीं सकता लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूं कि जब जयपुर में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ, अजमेर में तोड़-फोड़ हुई, अलवर में तोड़-फोड़ हुई, उसके बाद में हर अधिकारी ने देखा कि अब हम तोड़-फोड़ नहीं करेंगे तो हमारी सी.आर. खराब हो जाएगी इसलिए जाओ लाल निशान लगाओ और लगाकर जहां भी तोड़-फोड़ हो सकती है, तोड़-फोड़ करो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार की आतंकवादी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए थी और इसलिए मैंने आपके भाषण का उल्लेख किया है।

श्री शिवनाथ सिंह : छोटी-छोटी बातें छोड़ कर बड़ी बात पर आइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह छोटी बात दूसरों के लिए होगी, लेकिन जिसका ठेला उठाकर फैंक दें उसके लिए तो सबसे बड़ी बात है। जिसका एक झोंपड़ा अपन तोड़ दें, हवामहल तोड़ने से उसका सम्बन्ध नहीं है, उसके तो मकान जिसमें रहता है उस मकान को किस प्रकार की क्षति हुई है उसके कारण से उसका नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई प्रकार की चर्चा हुई। इस चर्चा में हमारे भगराजजी चौधरी सबसे आगे निकले, उन्होंने कह दिया कि सारा महकमा ही भ्रष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से, ज्यादा पूछना नहीं चाहता इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप अपने मंत्री की कही हुई बात का समर्थन करते हैं कि नहीं? छोटी बात वे बता देंगे, लेकिन मैं इतना ही जानना चाहता हूं, आखिर आपके मंत्रिमण्डल का सदस्य यह कह दे कि सारा महकमा ही भ्रष्ट है। उस स्थिति में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके सामने क्या इस प्रकार का प्रसंग आया था और क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सारा महकमा भ्रष्ट है? अब उसमें भ्रष्ट भी होंगे, ईमानदार भी होंगे, निकम्मे भी होंगे, कार्य करने वाले भी होंगे, लेकिन सारे महकमे को भ्रष्ट बताया जाए, इस बात का आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं तो इतनी ही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि समर्थन करते हैं तो उसके भी रिपरकशंस है, समर्थन नहीं करते हैं तो उसके भी रिपरकशंस हैं। फोरेस्ट डिपार्टमैंट के आफिसर्स ने जो आपको ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। उस ज्ञापन में मंत्री पर काउंटर आरोप लगाये गये हैं। आरोप लगाकर उस लाइन में लिखा है कि आप इन सब चीजों से परिचित हैं। इन आरोपों के सम्बन्ध में उस ज्ञापन में यह लिखा है कि आप इन सब बातों से परिचित हैं, मैं चाहता हूं कि आप परिचित हैं तो उस समय आपने कार्यवाही क्या की? और अपरिचित हैं तो यहां पर विधान सभा में कहा उसका आप किस रूप में समर्थन करते हैं, इसकी थोड़ी-सी जानकारी दे दें।

(18.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं एक और जिक्र करना चाहता हूं कि विधान सभा में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जितने भी प्रश्न आये हैं उन प्रश्नों के सम्बन्ध में एक ही बात कही जाती रही है कि धनाभाव के कारण से हम यह काम नहीं कर सके, धनाभाव के कारण से यह काम नहीं करेंगे। यह करते-करते उस धनाभाव की स्थिति क्यों पैदा हो गई ? कि राजस्थान में भयंकर अकाल है इस अकाल के सम्बन्ध में इस सदन का हर सदस्य चिंतित है। सरकार भी चिंतित है, विपक्ष भी चिंतित है और सरकार की ओर से आने वाले माननीय सदस्य भी चिंतित है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, रामसिंहजी यहां बैठे हैं, रामसिंहजी ने स्टेटमैंट दिया, मैंने यह कबूल किया है कि पानी की व्यवस्था के जो कार्य हमें दिसम्बर में प्रारम्भ करने चाहिये थे, कुछ पैसों की व्यवस्था पूरे प्रदेश में सही ढंग से नहीं होने के कारण हम नहीं कर पाये। उसके लिए जनता को परेशानी हुई। उसके लिए मैंने क्षमा चाही थी आपसे और मैंने यह भी कहा था कि व्यवस्था हम दिसम्बर में ही जो पिछले वर्ष कर दी थी वह नहीं कर पाये हैं। अब आप क्यों नहीं कर पाये? आपकी नीयत खराब नहीं थी।...(व्यवधान) आपकी नीयत खराब नहीं थी। आपको सरकार की तरफ से साधन नहीं मिले...

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, मंत्री) : नहीं, नेता महोदय, मामला यह नहीं है। हमेशा आप व्यवस्था अप्रेल में करते थे, आपने आठ साल तक राज किया है इस प्रदेश के अंदर आपने जो बातें कहीं, मैंने तो खैर इसको ठीक नहीं समझा, बाकी भाखड़ा की बात बिजली की बातें, पानी की बातें, ये सब बातें आप आठ साल पहले तो कहा करते थे लेकिन आठ साल में आपने क्या किया, यह आपने नहीं बताया। केन्द्र में आपकी सरकार थी उस समय पानी की सीमा नहीं बढ़ा सके, आप बिजली नहीं बढ़ा सके। आप एक यूनिट बिजली भी नहीं बढ़ा सके और पानी की नहीं, मैं मेरी बात...(व्यवधान) मैं मेरी बात बता रहा हूं, मैंने क्या कहा। मैंने यही कहा है कि जो व्यवस्था हमें सही ढंग से करनी चाहिये थी, वह दिसम्बर में हम इसलिए प्रारम्भ करते थे। हकीकत में अप्रेल से शुरू करते हैं, बजट पास होता है तब करते हैं। लेकिन हमने सावचेती से, सावचेती के लिए ही दिसम्बर में शुरू कर दी। पिछले वर्ष और इस बार हम चुनाव के कारण पंचायती राज के चुनाव थे, कर्मचारियों की हड़ताल थी इसलिए यह हो नहीं सका है। आप ख्वामाख्वाह हरेक आदमी की बात को यहां पर अपने तरीके से बोलें, काहे को इस तरह के आप झंझट में पड़ते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो आपकी तारीफ की है उलटी। मैंने तो आपकी तारीफ की है कि आप दिसम्बर में ही प्रारम्भ करवा देते यदि आपको साधन मिलते तो...

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं तारीफ आपकी करता हूं, मेरी तारीफ नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : आपने गंगानगर के अन्दर धरना दिया था पानी के लिये, नहरों के लिये और जब

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

दुबारा राज में आये तो पांच साल बीत गये, कुछ नहीं हुआ।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं आपकी तारीफ़ करता हूं बोलने की स्टाइल की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपन एक-दूसरे की तारीफ करें, टाइम क्यों वेस्ट करें।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आपका सारा सार कहने का यह था कि दिसम्बर में आर्थिक व्यवस्था नहीं हुई और जब भी आर्थिक व्यवस्था हो गयी है मैंने इस पर लगा दिया है, 20 दिन में मैं सारी व्यवस्था कर जाऊंगा। यही तो आपने कही है बात? इसको आपने दूसरी तरह से नहीं लिया। मैं तो यह कहना चाहता हूं, आपको पैसे नहीं मिले। अगर पैसे मिलते तो हैंड पम्प की मरम्मत भी हो जाती, आप पाइप भी खरीद लेते, हैंड पम्प के लिए नट बोल्ट ये सारे भी खरीद लेते। पैसा नहीं मिला इस कारण से हैंड पम्प ठीक नहीं हुए आपका तो यही है कहना?. मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, इनको आपने पैसा क्यों नहीं दिया? अब मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि पैसे की कमी थी इसलिए मैं पैसा नहीं दे पाया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री लगातार एक बात कहते रहे हैं कि हमारे पास अकाल का मुकाबला करने के लिए संसाधन नहीं हैं। लगातार एक बात कहते आये हैं कि हमें जो सहायता केन्द्र सरकार से मिलनी चाहिये वह सहायता नहीं मिली। लगातार एक बात कहते आ रहे हैं कि हमें जितनी पानी के लिए या बाकी चीजों के लिए सहायता सरकार से मिलनी चाहिये थी वह सरकार ने सहायता नहीं दी हैं। मैं आपको सारा हिसाब बताना चाहूंगा, इसी बजट के आंकड़ों से मैंने लिया है। 1.4.99 को 187.76 करोड़ रुपया आपके पास जमा था अकाल के खाते में 1999-2000 के वर्ष में आपको चार किश्तें मिलीं 2207 करोड़ रुपये की, एन.सी.आर.एफ. से आपको मिला। 21 करोड़ रुपया, अन्य स्रोतों से आपको मिला 0.73 रुपये। कुल मिलाकर 417.47 करोड़ रुपया आपको मिला। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में आपने इस रुपये में से खर्च किया 284 करोड़ रुपया और 1.4.2000 को शेष राशि रही 133.06 करोड़ रुपया फिर केन्द्र से प्राप्त सहायता 102 करोड़ की और 235.06 करोड़ रुपया आपके पास मौजूद था। अब इतने में 20 करोड़ रुपया भी यदि रामसिंहजी को दे देते, केवल 20 करोड़ रुपया तो हैंड पम्प ठीक हो जाते और आज जो यह प्राब्लम आ रही है पीने के पानी की, यह प्राब्लम अपने आप ही खतम हो जाती। ये 25 मांगें, 20-25 भी दे देते, मंथली भी कुछ दे देते कि जितना काम हो उतना आप सामान खरीदो और हम उसकी व्यवस्था करेंगे तो आज राजस्थान पानी के लिए त्राहि-त्राहि नहीं करता....

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता महोदय, 40 करोड़ मिले हैं मुझे। 40 करोड़ ही मिल गये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : मैंने अपने साथी मंत्री को जब-जब इन्होंने मांगा, रुपया उपलब्ध कराया है। कहीं थोड़ा-बहुत जनवरी में डिले हो गया था, बाकी कभी डिले नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, कौन मंत्री सही है मुझे इस विवाद में नहीं पड़ना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दोनों मंत्री सही हैं, यह मैं अभी साबित करूंगा। यह...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दोनों को कहता हूं, आप दोनों ही गलत हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी मैं, अगर आप मुझे गलत...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दोनों ही गलत हैं, वे सही हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, वे सही हैं। आपके मन की सी बात कह रहे हैं इसलिये सही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे सही हैं। वे सही हैं कि वे जो सही बात कहते हैं वह आपको चुभती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे कभी नहीं चुभती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुभेगी ही वह तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं चुभ रही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पैसे नहीं दिये इसलिये हैंड पम्प तैयार नहीं हुए, रीजनल पाइप लाइन स्कीम के लिये पाइप नहीं खरीदे गये, पानी का पूरा प्रबंध नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं हुई, टैंकर्स की व्यवस्था नहीं हुई। अगर आप पैसा दे देते तो आज इतना संकट पैदा नहीं होता। लेकिन मुझे अब पैसें क्यों नहीं दिये...(व्यवधान) नहीं बोलना पड़ता, यह बिलकुल सही है लेकिन मैं इसलिये कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत, आप इसको सुन लें अच्छी तरह से, इस कार्यक्रम के लिये केन्द्र सरकार ने 1999-2000 में 156.54 करोड़ रुपये जारी किये। ओपनिंग बैलेंस था 28.55 करोड़ रुपया। इस प्रकार कुल 185.10 करोड़ रुपये उपलब्ध थे जिसमें जनवरी, 2000 तक सिर्फ 69.62 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। इस खाते में भी आपके पास रुपये थे। आप जितने 40 करोड़ की मांग कर रहे हैं, इस खाते में भी इतने ही जमा थे। इस वर्ष इस राशि में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मिलेगी। ओपनिंग बैलेंस था आपका 28.55 करोड़ केन्द्र से प्राप्त है। 56.54 करोड़ रुपया और जनवरी, 2000 तक व्यय किया है आपने 69 करोड़ रुपया। 115 करोड़ रुपये की फिर भी बचत है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, केन्द्र से प्राप्त राशि, टोटल फंड्स हैं 731.05 करोड़, यह है स्पेशल स्कीम्स का पैसा और इनमें राज्य द्वारा खर्च की गयी राशि 293.27 करोड़ रुपये है। मुख्य मंत्रीजी, मैं आप पर चार्ज लगाता हूं कि आपने स्पेशल स्कीम्स का पैसा ज़मा करके रखा है और इन्हीं स्पेशल स्कीम्स का पैसा राजस्थान में भिन्न-भिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पानी के लिए, यह सारा आपके पास था उस पैसे को आपने दिया नहीं और इस कारण से ये समस्याएं पैदा हुई हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आरोप जो तथ्य बताये हैं ना, ये रिकार्ड में आने चाहिये। 1998-99 में सी.एस.एस. के पेटे एक्चुअल रिसीप्ट थी 628 करोड़ रुपया जिसके पेटे 648 करोड़ खर्च हुआ। 1999-2000 में सी.एस.एस. के पेटे 716.93 करोड़ मिला जिसके पेटे 742 करोड़ रुपया खर्च हुआ। प्रतिपक्ष के नेता महोदय जो आरोप लगा रहे हैं, ये सत्य के ऊपर आधारित नहीं हैं।.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ये और डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो मैं एक-एक स्कीम्स का खुलासा कर दूं। मैं इतना ही कह दूं...

श्री उपाध्यक्ष : आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्वास्थ्य ठीक है मेरा। नेशनल ओल्ड एजेट पेंशन स्कीम। उस पेंशन स्कीम में आप जवाब दे दें कि आपको रुपया मिला था 5.23 करोड़ रुपया, आपने कितना खर्च किया? अभी पेंशन स्कीम की बातें चल रही थीं, आपने उसमें एक कौड़ी भी खर्च नहीं किया। मैं इसी तरह से दूसरा बताना चाहता हूं कि एस.जी.एस.ओ.आई. में आपने 13.29 परसेंट का खर्चा किया और बाकी खर्च नहीं कर पाये। जे.सी.एस.ओ.आई. में 39.61 परसेंट आपने रुपया खर्च किया, शेष रुपया आपका बच गया। और उसी तरह से ई.ए.एस. में 50.23 परसेंट रुपया खर्च किया और बाकी आपका बच गया। मैं आपको यह सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस सरकार ने जो आंकड़े तैयार किये हैं उन आंकड़ों के हिसाब से एन.ओ.ए.पी.एस. में, ओल्ड एज पेंशन वाले में यूटिलाइजेशन का परसेंट है 5.23 परसेंट कुल ही। आप आश्चर्य यह नहीं करें, इन्होंने जो भारत सरकार को आंकड़े दिये हैं उसमें कहा है कि हमने 286.49 परसेंट फिजिकल अचीवमैंट कर लिये हैं। पैसा तो खर्च हुआ 5.3 परसेंट और फिजीकल अचीवमैंट इन्होंने 286.49 कर लिया। उसी तरह से आर.डब्ल्यू.एस. पानी वाला मामला है उसमें 42.82 परसेंट खर्च हुआ। 100 में से 42.82 रुपया खर्च हुआ और उपलब्धि बतायी है, फिजिकल अचीवमैंट हमारे हैं 70.73 परसेंट। अब इससे अंदाज लगा लीजिये कि किस प्रकार से आंकड़े बनाते हैं और किस प्रकार से भारत सरकार को कहते हैं। ऐसी स्थिति में 721.05 राजस्थान सरकार के पास अवेलेबल फंड था उसमें से 293.27 करोड़ रुपया छोड़ा और 427.78 करोड़ रुपया आपने 31 मार्च तक खर्च नहीं किया, उसका आप कोई जवाब दे सकते हैं? आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन दुर्भाग्य है, एक बार फसल कम हुई तो परिवार ने देखा कि अब कैसे काम चलाए। सबने बैठकर हिसाब लगाया कि अनाज 12 महीने का नहीं है और हमें 12 महीने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निकालने हैं, अनाज है 11 महीने का। तो सारे घरवालों ने ऐसी स्थिति में तय कर लिया कि हम एक काम करेंगे, 11 महीने का अनाज सुरक्षित रखो और 12 वें महीने को पहले ही ले लो। और भूख हड़ताल शुरू कर दी। कोई दसवें दिन मरा, कोई बीसवें दिन मरा, कोई पच्चीसवें दिन मरा। आखिर जाते-जाते पूरा का पूरा परिवार स्वाह हो गया, 11 महीने का अनाज बचा रह गया। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान की सरकार भी उसी आधार पर चल रही है। कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम खर्च नहीं कर सकते हैं, हम यह नहीं कर सकते हैं, हम वह नहीं कर सकते हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने गवर्नमैंट आफ इण्डिया को ज्ञापन दिया, ज्ञापन में आपने कहा कि नवम्बर, 1999 से हम काम शुरू करेंगे। आपने नवम्बर, 1999 में काम शुरू नहीं किया। आपने दिसम्बर में काम शुरू नहीं किया, आपने जनवरी में काम शुरू नहीं किया, आपने फरवरी में काम शुरू नहीं किया, आपने मार्च में थोड़ा काम शुरू किया और अप्रेल में पूरा काम शुरू नहीं किया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या राज्य सरकार के पास पैसे नहीं थे?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने फाइनेंस कमीशन को जो अपना मैमोरेंडम दिया है, उसमें इस बात को खुद स्वीकार किया है। सी.आर.एफ. का पैसा और एन.एफ.सी.आर. का पैसा मिलने के बाद यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अकाल की समस्या का समाधान करे, इस जिम्मेदारी के आधार पर आपने क्या किया? आप खुद जानते हैं कि सी.आर.एफ. में टैन्थ फाइनेंस कमीशन के आधार पर जो पैसा तय हुआ है उससे ज्यादा हमें मिलेगा नहीं और एन.एफ.सी.आर. में जो लिमिटेड ट्रीटी है जिसके बंटवारे में आप भी मुख्य मंत्री के नाते उसके सदस्य हैं, आपको 102 करोड़ रुपया मिल गया और मिलने के बाद आप यह कहते हैं कि राजस्थान में पैसे नहीं थे। मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ आपने घोर अन्याय किया है। नवम्बर में काम चालू नहीं किये, दिसम्बर में काम चालू नहीं किये और इसका नतीजा यह है कि राजस्थान में गांवों से पलायन हो गया, काफी संख्या में मवेशी मर गये। लोग पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और आप खजाना दबाकर बैठे हैं कि खजाने में पैसे रहने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मैं इस राजस्थान की सरकार पर इस बात का आरोप लगाता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया है उतना अन्याय राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, मैं मेरे वक्तव्य की बात नहीं कहता, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सुश्री गिरिजा व्यास ने भी वक्तव्य दिया है कि अकाल राहत काम समय पर नहीं खोले गये। अकाल के संबंध में चिंता नहीं की गयी। पानी का संकट हो रहा है, चारे का संकट हो रहा है, ये काम चालू नहीं किये गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मेरी बात का विश्वास करें या नहीं करें लेकिन गिरिजा व्यास का तो आप विश्वास करेंगे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आपकी आलोचना की है। आप यह कहेंगे कि मैं विरोध में हूं इसलिए बोल रहा हूं लेकिन गांव में कोई जाता है या बाहर कोई जाता है तो निश्चित रूप से स्थिति को देखकर उस चीज का अहसास करता है। गिरिजा जी ने इस प्रकार की बात अहसास की और सार्वजनिक रूप से उन्होंने कह दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको वक्तव्य दे सकता हूं, प्रशासनिक ढिलाई से राहत कार्यों में विलम्ब, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी। आपकी पार्टी की अध्यक्षा ही बोल रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप बार-बार कहते हैं कि भारत सरकार से हमें पैसा नहीं मिलता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भारत सरकार से एन.एफ.सी.आर. के अन्तर्गत राजस्थान ने 1144 करोड़ रुपये की मांग की, उनको 102 करोड़ रुपये मिले। आप फाइनेन्स मिनिस्टर है, आपको हिसाब रखना चाहिए। गुजरात ने 722 करोड़ रुपये की मांग की, उनको 54 करोड़ रुपये मिले। उड़ीसा ने 7143 करोड़ रुपये की मांग की उनको 828 करोड़ रुपये मिले और उसी तरह से मध्य प्रदेश ने 556 करोड़ रुपये की मांग की उनको 38 करोड़ रुपये मिले। अब आप अंदाजा लगा लें कि इस सारी कार्यवाही में कहीं भी भारत सरकार का पक्षपात नहीं है, आप भारत सरकार पर इलजाम नहीं लगा सकते। जिस कमेटी ने यह बंटवारा किया उस कमेटी के आप सदस्य हैं और उस दिन मौजूद भी थे। आपने उस समय 102 करोड़ रुपये स्वीकार किये और बाहर आकर यह वक्तव्य दें कि भारत सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। आप भारत सरकार पर यह तो इलजाम लगाते हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कारगिल के युद्ध के समय सारे हिन्दुस्तान में कारगिल के नाम से फंड इकट्ठे किये गये, लगभग 21 करोड़ रुपये राजस्थान में भी इकट्ठे किये गये, कोई स्टेट ऐसा नहीं था जिसने इन रुपयों में से सेन्ट्रल फंड के अंदर पैसा नहीं जमा कराया हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने एक कौड़ी भी सेन्ट्रल फंड में दी है क्या? एक कौड़ी आपने नहीं दी। इधर तो एक कौड़ी भी नहीं दी और उधर भारत सरकार से पैसा भी ले रहे हैं और भारत सरकार पर इलजाम भी लगाते जा रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। आप तो इस लिमिट तक चले गये कि उड़ीसा के लिए जो कलेक्शन हुआ था, उड़ीसा के लिए जितना रुपया इकट्ठा हुआ, जिस समय उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसका एक हिस्सा आपने उड़ीसा सरकार को भेजा लेकिन ज्यों ही वहां सरकार बदली, उड़ीसा का बाकी पैसा भी आपके पास जमा पड़ा है, आप उड़ीसा की सरकार को पैसा क्यों नहीं भेजते हैं? अब ऐसी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो इलजाम लगा रहे हैं, पैसा भी ला रहे हैं और पैसा मिल भी रहा है और जिम्मेदारी भी आपकी है, उधर न कारगिल के फंड में आपने पैसा जमा कराया, न उड़ीसा का जो पैसा आपके पास है उसको जमा कराया। ये दो मुंही बातें नहीं हो सकती हैं। आप भारत सरकार पर आरोप लगाए तो समझ में आता है कि आरोप लगाने का मतलब यह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। यहां तक तो मैं मानता हूं। लेकिन आप सब जगह केवल एक ही प्रचार करें कि भारत सरकार हमको नहीं दे रही है, भारत सरकार हमको नहीं दे रही है। मैंने आपको बताया आपके पास पैसा पूरा था, आपने खर्च नहीं किया। उसका समाधान किस प्रकार से कराएंगे, वह जिस समय बात आएगी तभी मैं आपको बताऊंगा।

श्री जनार्दन गहलोत : यह परम्परा भी तो आपकी ही डाली हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या?

श्री जनार्दन गहलोत : यह परम्परा भी तो आपकी ही डाली हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी परम्परा पर तो आप चल रहे हैं ना। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस अकाल की समस्या को लेकर आज राजस्थान में बहुत ही भयंकर स्थिति बनी हुई है। मैं प्रधान मंत्रीजी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैंने जब हमारी पार्टी की एक्जिक्यूटिव मीटिंग में राजस्थान की इस सारी भयंकर स्थिति के बारे में सभी का ध्यानाकर्षित किया उसके तुरन्त बाद प्रधान मंत्रीजी ने पटवाजी को कहा। पटवाजी से मेरी बातचीत हुई और मैंने उनसे दो रिक्वैस्ट कीं, एक तो हमारे पास इस समय यदि, पैसा नहीं हो तो आप सी.आर.एफ. का एडवांस हमको पैसा दो। दूसरा, जितनी भी सेन्ट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स हैं उन स्कीम्स से पैसा हमको एडवांस में दे दो। मुझे आज ही जानकारी मिली है कि इस एडवांस के नाते आपको 112 करोड़ रुपये और दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास पैसे की कमी है, इसमें इस सदन को धोखे में रहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी नीयत में कमी है, हम राजस्थान की जनता को तंग करना चाहते थे, परेशान करना चाहते थे। लाखों की संख्या में पशु मर गये उनका हम इंतजाम नहीं कर सके। अब ऐसी स्थिति में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? अकाल राहत मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि कई तरह के राहत कार्य हम खोलेंगे, इतना खोलेंगे। अब आप एक प्रचार में जरूर लगे हुए हैं, उस प्रचार में कह रहे हैं कि राजस्थान में यह इस सदी का सबसे ज्यादा भयंकर अकाल है। मेरी समझ में नहीं आता, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के मुंह से यह निकले कि यह इस सदी का सबसे भयंकर अकाल है, इसका प्रचार करें और प्रचार करके यह सिद्ध करने की कोशिश करें कि यह इस सदी का सबसे ज्यादा भयंकर अकाल है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भयंकर अकाल राजस्थान में था 1987-88, 1988-89 में और ये सारे स्टेटिस्टिक्स आपके हैं, मेरे नहीं हैं, ये स्टेटिस्टिक्स आपने फाइनेंस कमीशन को दिए हैं, वही मैमोरेण्डम मेरे पास है। मैं फाइनेंस कमीशन के मैमोरेण्डम के बारे में आपको ज्यादा आंकड़ों में नहीं ले जाना चाहता लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि 1987-88 में 622 करोड़ रुपये ड्राट पर खर्च हुए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : आपके सांसद मिले थे प्रधान मंत्री से, बी.जे.पी. के सांसद, उन्होंने यही कहा है कि सदी का सबसे बड़ा अकाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह ठीक है। वे सांसद भी आप जैसे होंगे, बोल गए होंगे, क्या मतलब है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : आपके सांसद मिले हैं, बी.जे.पी. के।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय फरमा रहे हैं, यह आपके सांसदों ने कहा है, मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कभी नहीं कही कि इस सदी का सबसे बड़ा अकाल है यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी कई बार बयान हो चुके, मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। सांसदों ने कहा, नहीं कहा, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए इस सदन के मार्फत जनता को बताना चाहूंगा कि यह इस सदी का सबसे ज्यादा भयंकर अकाल नहीं है। भयंकर अकाल था 1987-88 में जब 622 करोड़ रुपये अकाल राहत कार्यों पर खर्च हुए, 1988-89 में 322.76 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसी तरह 1994-95 में 166.59 करोड़ रुपये खर्च हुए और 1996-97 में 203.07 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस सदी का भयंकर अकाल, यह कहकर आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे पास इस सदी के भयंकर अकाल की व्यवस्था करने के लिए साधन नहीं हैं, यह बात गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप गांवों के हिसाब से लें तो 1987-88 में सारे गांव अकाल प्रभावित थे। सारे गांव अकाल प्रभावित थे। 1988-89 में इसी प्रकार गांव प्रभावित थे और इस बार तो केवल 23 हजार गांव हैं, राजस्थान के 38 हजार गांवों में से।

श्री महेश जोशी : जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे और जिस रेशों में सारे गांवों में अकाल हेतु राजीव गांधी ने सहायता दी थी राजस्थान को, उस रेशों में क्या केन्द्र सरकार हमको सहायता दे रही है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना समझता हूं कि आपको ध्यान नहीं है शायद, आपको जानकारी नहीं है। मुख्य मंत्रीजी को जानकारी होगी कि नवें वित्त आयोग ने इस प्रकार की सिफारिश की दसवें वित्त आयोग ने उसे इसी रूप में माना। पहले क्या था? पहले स्टडी टीम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आती थी कि कितना नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति किस प्रकार से होगी। तो चार प्रतिशत या पांच प्रतिशत, जो प्लान साइज था उसका एडवांस हमको दिया जाता था, एडवांस में। अब जो सी.आर.एफ. का पैसा मिलता है, वह हमसे वापस नहीं लेते, जो एन.एफ.सी.आर. का पैसा मिलता है, वह वापस नहीं लेते हैं। यह वापस लेते-लेते मुझे याद है, 1987-88 में जब हमारे ऊपर आर्थिक भार बहुत ज्यादा हो गया तो फाइनेंस कमीशन ने इस भार से मुक्त करने के लिए हमको कुछ छूट दी, कुछ सिफारिशें कीं। यह पैसा तो हमें मुफ्त में मिल रहा है, पहले मुफ्त में नहीं आता था। पहले हमें चुकाना पड़ता था, रेवेन्यू बजट में उसका समावेश होता था कमी-बेशी का रेवेन्यू डैफिसिट और रेवेन्यू सरप्लस में उसकी गिनती होती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि न तो यह इस सदी का भयंकर अकाल है, लेकिन इस छोटे से 23 हजार गांवों के अकाल की आप व्यवस्था नहीं कर पाए, यह सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। न पानी की व्यवस्था कर पाए, न पशुओं की व्यवस्था आप कर पाए, न लोगों को रोजगार दे पाए। यहां हम मंत्री महोदय...

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : आप यह फरमा रहे हैं कि आपने यह भी व्यवस्था नहीं की, पानी की व्यवस्था नहीं की, चारे की व्यवस्था नहीं की, हम दो दिनों से सारे जिलों में घूम-घूम कर आएं हैं, जनता से मिलकर आए हैं, काम देखकर आए हैं, कहीं पर हमको तो इतनी बड़ी शिकायतें नहीं मिलीं जितनी आप फरमा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह आप नहीं कहते तो मैं समझ गया था कि दो दिन से धूप में घूम कर आए हैं तो आपका चेहरा काला पड़ा हुआ है। यह तो मैं समझ गया था कि आप दो दिन से घूमे हैं, और अच्छी तरह से घूमे हैं और घूमने के बाद आप यह कह रहें हैं। गए कहां थे? कहां गए थे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पूरे अजमेर जिले में घूमा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसे गांव?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सारे गांवों में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक गांव का नाम बताओ न?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सब पंचायतें देखीं, पूरी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही कह रहा हूं कि मंत्री भी ऐसे हैं कि खानापूर्ति करते हैं। हम गए, अजमेर गए, चेहरा स्याह हो गया। धूप में बिलकुल तपे हैं, गर्मी में घूमे हैं, गांव का एक का पता नहीं कि कौनसे गांव में घूमे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो भी कह तो देते हैं। आप तो गए ही नहीं, आपके तो सारे सदस्य बैठे हैं। आपका दायित्व नहीं है? आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपको सबसे पहले जाना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनिए, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूं, मुख्य मंत्रीजी जानते हैं कि. मैं जालौर गया हूं।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : हमारे तो राजीव गांधीजी भी गांवों में घूमे थे, अटल बिहारीजी तो आज तक नहीं आए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जालौर गया हूं, सिरोही गया हूं, नागौर गया हूं, बाड़मेर गया हूं, बीकानेर के गांवों में भी गया हूं, लेकिन मैं आपकी तरह से कभी गलत बात नहीं कहता हूं। मैं अजमेर जिले के गांव-गांव में जाकर आया हूं और एक गांव में भी नहीं जाऊं यह बात मैं नहीं कहता हूं (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा है, आप इनको सुनो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, गए होते तो खुद ही कह देते, आपकी सहायता लेने की जरूरत ही नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले घोषणा की थी कि 30 दिन के अंदर इनको पेमेंट किया जाएगा। इस सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि समय कम किया जाए, फिर आपने 15 दिन किया। आप ही बताएं कि 15 दिन में भुगतान हो रहा है क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो कहोगे, आपके कहने का कोई मतलब नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : हो रहा है, बराबर हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 15 दिन में भुगतान नहीं होना चाहिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : विपक्ष के नेता महोदय, दो मिनट आप बिराज जाएं, बहुत थक गए आप बोलते-बोलते। थारो म्हारो एक सो स्वास्थ्य है, थे पाणी पी सको, म्हाने पाणी पीण कोणी दे, न अठै पीण दे न गांव म मिले, समझो नी।

यह सत्य है कि फेमिन के कार्य प्रारम्भ हुए हैं, चारे के डिपो भी खुले हैं और यहां से पैसा चला गया बताया और कलेक्टर के यहां से भी पैसा चला गया बताया लेकिन किसी भी मजदूर को एक नया पैसा नहीं मिला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यहां बीकानेर में...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गयी, हो गयी, बात हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें सामने आ गई। एक तो सदन में सत्ता पक्ष के वयोवृद्ध सदस्य ने यह कहा कि पैसा यहां से चला गया, कलेक्टर के यहां से चला गया लेकिन मजदूरों को नहीं मिला। अब दूसरी स्थिति में....(व्यवधान) वह मैं नहीं कहता। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, आप 15 दिन को सात दिन कराएं, प्रत्येक हफ्ता लोगों को पेमेंट किया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह मुश्किल है, हो नहीं सकता। पन्द्रहवें दिन ही हो सकता है, पन्द्रहवें दिन बराबर हो रहा है (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : विधि मंत्रीजी......

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, माननींय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : जिला प्रशासन यह कहता है कि हमने पैसा दे दिया लेकिन मैं अधिकृत रूप से कह रहा हूं कि एक भी श्रमिक को पेमेंट नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब क्या दें? पण्डितजी के सामने खड़े ही नहीं हो सकते, और बोल जाएं वो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो यह 15 दिन की अवधि कम की जाए, आप 7 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की करें, लोगों के पास एक्चुअल में पैसा नहीं हैं, एक्चुअली पैसा नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता महोदय, मुझे बीच में नहीं कहना चाहिए जबकि मैं हकीकत कह रहा हूं कि सिरोही, जालौर, बाड़मेर जो सीमा के क्षेत्र हैं और अकाल से ज्यादा प्रभावित हैं, मैं आपको ठीक कहता हूं कि 15 अप्रेल तक के पेमेंट हो चुके हैं। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, पहले जो 4-5 रुपये मिलते थे, कहीं 10 रुपये मिलते थे, अब 40-40 रुपये तक उनको मिल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों ही बातें हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है चूरू कोई अपवाद हो, लेकिन अभी डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा कई जगह मैं खुद भी गया हूं दक्षिणी राजस्थान में, हमने मार्च तक का पूरा भुगतान कर दिया है और 15 अप्रेल तक के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लोगों को पैसा मिल रहा है। (व्यवधान) यों तो मैंने सभी जिलाधीशों को 30 अप्रेल तक के भुगतान के लिए पैसा भेज दिया है, लेकिन 15 अप्रेल तक का जो मस्टररोल है उसके भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ठीक है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर 15 दिन के मस्टररोल का आने वाले सात दिन के अंदर-अंदर भुगतान का निश्चित रूप से प्रबंध करा दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ताली तो पहले भी बजी थी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पहले तो 10-15 दिन लगते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जिस समय घोषणा की कि 15 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा उस समय भी ताली बजी थी और आज आप कह रहे हैं, 15 दिन के भुगतान करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यह कह रहा हूं कि 15 दिन का मस्टररोल पूरा होने पर उसका भुगतान एक सप्ताह के

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अंदर-अंदर निश्चित रूप से मजदूर के पास पहुंच गया है और पहुंचा दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो मैं कह रहा हूं आपको। आप यह निश्चित करें....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इससे पहले कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जा सकती और सदन को मैं गलत आश्वासन भी नहीं देना चाहता, क्योंकि आंखिर 15 रोज का मस्टररोल है उसकी भी पूरी जांच करके एईएन. व एक्सईएन. की रिपोर्ट बनकर टास्क पर जो निर्धारित किया हुआ है उसकी मजदूरी का मस्टररोल बनने के बाद पेमेंट कलेक्टर विभिन्न एजेंसियों को देगा, उसमें सात दिन का समय लगेगा। अगर मैं कहता हूं कि जल्दी कर दें, वह संभव लगता नहीं है। सात दिन के अंदर-अंदर भुगतान 15 दिन के मस्टररोल का कर दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब तो यह है कि 22 दिन में पेमेंट होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वो तो रुटीन बैठ जाएगा, हर 15 दिन बाद बैठ जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रुटीन में 22 दिन लगेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रुटीन में 15 दिन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रुटीन में ही। यही आपत्तिजनक बात है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, 22 दिन कैसे लगेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 7 दिन प्रक्रिया के। खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय की आदत है घुमाने की। पहले भुगतान में 22 दिन लग सकता है, लेकिन फिर आगे रोटेशन तो 15 दिन का हीं हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 15 दिन नहीं हुए, सात दिन ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ये जान रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय नेता महोदय, मैं विस्तार से परसों आपको इस संबंध में सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मजदूर को भुगतान समय पर किया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, भारत सरकार से आपको अनाज मिल रहा है, भारत सरकार ने घोषणा भी की है और आप भी जानते हैं कि फूड फोर वर्क के आधार पर आपको गेहूं मिल रहा है, आपने क्या व्यवस्था की है कि यह गेहूं किस प्रकार से बंटेगा, मजदूरों को कहां वह गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा और कहां भुगतान होगा ? गेहूं तो आप जिस समय चाहोगे उस समय मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में मजदूरों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को आप 15 दिन, 20 दिन या 16वें दिन पेमेंट करें मैं फिर अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह उचित नहीं है। मजदूरी पर वे ही काम पर आते हैं जो बिलकुल गरीब हैं, जिनके पास एक कौड़ी नहीं है। इस तपती धूप में मजदूरी करने के लिए वो ही इंसान आएगा जिसके पास कुछ है नहीं और उसको भी आप 15 दिन 22 दिन, 20 दिन के अंदर भुगतान करें, यह ठीक नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं आप इस समय को कम करें और कम करके व्यवस्था करें कि लोगों को जल्दी से जल्दी इस प्रकार का भुगतान हो जाए। इसके साथ ही जो अनाज आपको मिल रहा है उस अनाज का भुगतान किस प्रकार से होगा, उसकी व्यवस्था करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित मात्रा तो अभी तक हमको इंगित नहीं हुई है, लेकिन हमारा इरादा यह है कि 50 परसेंट नकद भुगतान करेंगे, 50 परसेंट गेहूं के रूप में हम भुगतान करेंगे और पे-सेंटर पर जहां हम पैसा देते हैं वहीं उसको गेहूं का वितरण कर दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खाली घोषणा ही। ताली बहुत बजती है, लेकिन पालना तो हो जाए। मैं दूसरा निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में, अकाल राहत मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं, भीषण अकाल में बिलो पावर्टी लाइन के जितने भी लोग हैं क्या उन सबको रोजगार मिल गया? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को क्या आपने रोजगार दिया है? (व्यवधान) मैं यह पूछ रहा हूं, मैं अभी ताली आपकी बजाऊंगा। आप एक घोषणा कर दीजिए कि एक सप्ताह के अंदर बिलो पावर्टी लाइन के जितने भी लोग हैं उनको रोजगार निश्चित रूप से मिल जाएगा, ताली बजाऊंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांवों में जाता हूं, लोग कहते हैं कि बिलो पावर्टी लाइन की जो सर्वे हुई है वह गलत हुई है। मैं बिलकुल सही कहता हूं आपको, यह हंसने की बात नहीं है। कई परिवार ऐसे छूट गये हैं और जो सम्पन्न परिवार हैं वे बिलो पावर्टी लाइन में आ गये हैं। माननीय सदस्य जो गांवों में जाते हैं तो उनको भी यह शिकायत प्राप्त होती होगी, मुझे भी यह शिकायत प्राप्त हुई है, डूंगरपुर व सिरोही जिले से प्राप्त हुई है। जो लोग पीड़ित हैं, जिनको काम की आवश्यकता है सरकार निश्चित रूप से उनको काम देगी। बिलो पावर्टी लाइन को छोड़कर जो परिवार ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनको आज काम की आवश्यकता है उनको काम देने की सरकार निश्चित रूप से व्यवस्था करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय मैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गेहूं पैसे से मिल रहा है। जो गेहूं भारत सरकार से मिल रहा है, we will have to pay the money for this. This is not free. मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो तो काम करेंगे उन्हीं को मिलेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भारत सरकार हमको गेहूं फ्री नहीं दे रही है, ये पैसा देकर दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब्सिडाइज रेट पर आपको मिलेगा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो जानकारी मुझे है-। मुझे इस बात की जानकारी है। (व्यवधान) मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : भारत सरकार जो गेहूं भेज रही है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंडित जी, बैठ जाओ आप। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृपया आप यह बताएं कि आपके अकाल राहत मंत्रीजी ने यह कहा है कि बी.पी.एल. का जो सर्वे गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया और एन.एस.एस. ने कराया है वो सही नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गांवों में जो भी माननीय सदस्य जाते होंगे वे इस बात को ताईद करेंगे कि कई परिवार छूट गये और गलत सर्वे हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बात सही है आप जो कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे तो सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राजस्थान की सरकार को सड़ा-गला गेहूं नहीं दे दे। उसका सारा भाण्डा राजस्थान की सरकार पर फूटेगा, इसलिए इसकी पुख्ता व्यवस्था जरूर कर दी जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछ रहा हूं कि बी.पी.एल. के लिए जो सर्वे हुआ है, एन.एस.एस. ने सर्वे करके बताया है कि इतने आदमी बिलो पावर्टी लाइन में हैं, आपके अकाल राहत मंत्रीजी मानते नहीं हैं, आप मानते हैं या उन्हीं की राय में राय मिलाते हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब जवाब देंगे तब बता देंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वक्त आने दीजिए सब उत्तर दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब दे दिया जाएगा नहीं है सारे हिन्दुस्तान में जिस प्रकार की व्यवस्था है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बी.पी.एल. का सर्वे आपके वक्त में हुआ है और जब यह सर्वे हो रहा था और सर्वे हो चुका था तब हजारों की तादाद में आपके पास दरख्वास्तें आयी थीं जब आप मुख्यमंत्री थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताऊंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह सर्वे गलत हुआ है और उस वक्त आपने खुद

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

ने माना है कि हां, यह बी.पी.एल. के सर्वे में गलतियां रही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसको माना या नहीं माना, लेकिन यह बात सही है कि बी.पी.एल. का सर्वे होने के बाद कुछ लोग आये, जो कहते हैं कि हम गरीब हैं और हम इसमें शामिल नहीं हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यही मैं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप कह रहे हो तो मैं मान रहा हूं, ये तो बी.पी.एल. को ही नहीं मान रहे हैं। इसलिए जो लोग रह गये....

श्री उपाध्यक्ष : यह कहां कहा आपने?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें और शामिल कीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने यह नहीं कहा कि बी.पी.एल. सर्वे को मैं नहीं मानता हूं, लेकिन बी. पी. एल. के अलावा भी जो परिवार छूट गये हैं उनको भी रोजगार देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो बी.पी.एल. वाले हैं उनको दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अब ऐसी स्थिति में मैं अकाल के मामले में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि बी.पी.एल. का मामला आपने छोड़ दिया, अब आप चारे की व्यवस्था करा दीजिए। क्या आप यह मानते हैं कि पशुपालकों की इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वे आपके डिपो से चारा खरीदकर अपने पशुओं को बचा सकें? (व्यवधान) नहीं है, तो आपने अनुदान तो बढ़ाया नहीं। कहां बढ़ाया है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह तो परसों जवाब दूंगा, लेकिन हमने पशु शिविर, पहले आपके राज में तीन रुपये बनते थे जिसको बढ़ाकर 10 रुपये कर दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो बिलकुल सही है, तीन गुने कर दिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तीन रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये शिविर के लिए कर दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो बिलकुल सही है।

श्री गुलाबा सिंह शक्तावत : और गौशालाओं को भी 10 रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे राज में चारे का....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 3 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये, पहले 6 थे फिर बढ़ाकर 10 कर दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे पूछ रहा हूं....(व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : बी.पी.एल. परिवार को प्राथमिकता है, बी.पी.एल. परिवार का कोई सदस्य काम पर आएगा उसको प्राथमिकता मिलती है, ऐसे डाइरेक्शन सरकार के हैं। जो-काम पर आएगा फेमिन में बी.पी.एल. परिवार का, उसको काम पहले मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो सब्जैक्ट ही खतम हो गया। चारे पर आ गये, बी.पी.एल. खतम हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह चारे की बात कर रहे थे कि हमने रेट बढ़ा दी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी रेट बढ़ाने की नीयत अगर पहले होती तो आपको मालूम है कि गौशालाओं में हमारे राज में 3 रुपये प्रति गाय के हिसाब से अनुदान मिलता था, डेढ़ रुपये जनता का और डेढ़ रुपये सरकार का, आपने अकाल पड़ने के बाद में सबसे पहले झटका लगाया कि यह अनुदान खतम कर दिया। यह सही है न?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह तो आप भी अकाल के समय देते थे, कोई जनरल समय तो आप देते नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सारा मेरे कहने से ही चलता है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जब-जब अभावग्रस्त घोषित किया गया और जिन इलाकों में गौशाला चलती थी, अभावग्रस्त पीरियड के तहत अनुदान दिया जाता था, वह हम दे रहे हैं। पहले 3 देते थे, 3 से बढ़ाकर 6 किये और 6 से बढ़ाकर 10 कर दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जो पूछ रहा हूं, उसका जवाब नहीं दे पाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय को पूरा बोलने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 3 रुपये हम देते थे, आपने आदेश निकालकर बन्द कर दिया। यह बन्द किया कि नहीं? बन्द करने के बाद आपने 3 रुपये किये और 3 रुपये के बाद में आपने 6 रुपये किये और 6 रुपये से आपने 10 कर दिये। मैं पूछना चाहूंगा, गायें मर रही थी उस समय आपने क्यों नहीं किया? जिस समय गायों के सामने चारे का संकट था, पलायन शुरू हो रहा था उस समय आपने क्यों नहीं किया? (व्यवधान) मैंने देखा या नहीं देखा, उसको छोड़ो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आज आप 3 से 6 और 6 से 10 कर रहे हैं, जिस समय भयंकर रूप से गायों का पलायन हो रहा था और लोग जा रहे थे, गायों को छोड़ रहे थे निशान लगा-लगा कर, उस समय आपने 10 रुपये क्यों नहीं किये? यह तो आपकी गलती हुई है न?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, कोई गलती नहीं हुई। सिचुएशन का ज्यों-ज्यों हमने असैसमैंट किया और हमने समझा कि चारे के भाव बढ़ते जा रहे हैं, त्यों-त्यों हमने समय-समय पर इसकी रेट को बढ़ा दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि चारे के भाव अब सस्ते हो रहे हैं, तो आप अनुदान बढ़ा रहे हैं, जिस समय चारा महंगा मिलता था उस समय आपने अनुदान नहीं बढ़ाया।

डा. चन्द्रभान : गेहूं की फसल निकली है यह भी एक वजह है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चारा सस्ता हुआ ही है न? सस्ता तो हुआ या नहीं हुआ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तो, माननीय नेता महोदय, आप चाहते हैं कि इसको मैं थोड़ा-सा घटा दूं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं चाहता हूं कि 15 कर दीजिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमारे तो मुख्य मंत्रीजी ने जब से ट्यूर किया, बरसात होने लगी। आज भी बारिश होने जैसी पोजीशन बन गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप चारा परिवहन का काम करते होंगे, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप जिस प्रकार की व्यवस्था इस अकाल के सम्बन्ध में हो रही है जनता में उससे संतोष नहीं है। आप इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करिये कि उस परिवर्तन से चारे वाले को चारा मिल जाए, पानी वाले को पानी मिल जाए और रोजगार वाले को रोजगार मिल जाए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपका क्या सुझाव है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा सुझाव यह है, अभी खेतसिंह जी साहब कह रहे थे कि हम सब गये हैं और सब जगह जाकर आये हैं, आप जितना पब्लिक का, वहां की लोकल जनता का इन्वाल्वमैंट करेंगे उससे ज्यादा आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। आप खुद जाएं, कोई चिन्ता की बात नहीं है। इनको दो दिन तक धूप में घूमना पड़ा, रात को हाथ में भी पल्पीटेशन शुरू हो गया, उसकी नहीं, खेतसिंह जी को....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि आप पब्लिक का इन्वाल्वमैंट करिये, पंचायतों के अलावा गांव के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनका इन्वाल्वमैंट करिये और बिना राजनीतिक भेदभाव के इन्वाल्वमैंट करें। यह राजस्थान की समस्या है, इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरे राजस्थान की जनता लगे, इस प्रकार की बात करें। अभी आप दो दिन पहले सब मिनिस्टर्स जाकर आये हैं। मैं भी सोचता था कि विपक्ष के एम. एल. ऐज. को भी मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में जाओ और जाकर इस समस्या के कारण से क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है, उसकी व्यवस्था करे, लेकिन मुख्य मंत्री ने इसका जिक्र भी नहीं किया। (व्यवधान) नहीं, नहीं वे कहें कि नहीं कहें उसकी नहीं है.... (व्यवधान) एप्रोच का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। माननीय नेता महोदय। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सारे माननीय सदस्य इस कमेटी के मैम्बर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इन अकाल राहत समितियों में अभी तक तो लिया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जिला अकाल राहत समिति की हर डिस्ट्रिक्ट में बैठक हुई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सारे विधायक जिला अकाल सहायता समिति के मेम्बर हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैम्बर तो हैं परन्तु आपके जितने मंत्री दौरे पर गये उन्होंने उचित नहीं समझा कि प्रतिपक्ष के विधायक को भी सूचना करवाते कि हम दौरे पर हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : कैसे नहीं की, कौन कहता है? आपके रामनारायण जी विश्नोई को सूचना दी है। (व्यवधान) वे खुद नहीं गये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

डा. चन्द्रभान : पूछो इनको, सूचना दी या नहीं दी?

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय नेता महोदय, भीलवाड़ा जिले के जो आपके विपक्ष के सदस्य हैं वे मीटिंग में शामिल थे, इन सब को बुलाया (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रामनारायणजी विश्नोई को सूचना दी है, रामनारायणजी खुद नहीं जा पाये, वे खुद कह रहे थे कि सूचना दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने दी होगी। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : डाक्टर रतनलाल जी जाट और रामनारायण जी, आप खुद कह दीजिये कि आपको मीटिंग में बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं। बल्कि कायदे से सूचना दी थी सबको। (व्यवधान) ऐसे भेदभाव नहीं होता जैसे पहले आप करते थे।

डा. चन्द्रभान : आपकी पार्टी के प्रधान वहां मौजूद थे, जिला परिषद् के सदस्य मौजूद थे। खुद रामनारायणजी विश्नोई को सूचना दी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : सबको सूचना दी थी। आप सब शादियों में घूम रहे थे, आप शादियों में घूम रहे थे। (व्यवधान) कैसे सूचना नहीं दी थी?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह कोई डिस्प्यूट का विषय नहीं है। वह तो जहां-जहां मंत्री गये हैं वहां जिला प्रशासन ने सूचना दी है और सबको इन्वाइट किया है कलेक्टर ने। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मैंने जब कहा कि जनता का सहयोग लिया जाए, जनता का इन्वाल्वमैंट किया जाए तो जनता में पोलिटिकल पार्टियां आती हैं, जनता में पक्ष और विपक्ष के सब सदस्य आते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं यह आलोचना नहीं हो कि केवल हम ही इस अकाल की समस्या का समाधान करने पर तुले हुए हैं, बाकी के लोग नहीं हैं। जितना ज्यादा जनता का इन्वाल्वमैंट होगा उतनी ही समस्या का समाधान आप कर पाएंगे और जनता का इन्वाल्वमैंट नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगा। उपाध्यक्ष महोदय ,....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हमारा इरादा इसको पोलिटिकल आधार पर चलाने का नहीं है, माननीय नेता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस दिन कोटड़ा का जिक्र किया, मैंने इनको निमंत्रण दिया, चलिये मेरे साथ, चलिये मैं ले जाता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप ऐसा निमंत्रण नहीं दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक घंटे पहले कहें कि कार्यक्रम बना लो, यह संभव नहीं होता है। हमारे भी अपने कार्यक्रम बने हुए रहते हैं। अगर वास्तव में चाहते हैं ईमानदारी से, तो सात दिन पहले आपको तारीखें बतानी पड़ेंगी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने सदन में अचानक बात कही और मैंने अचानक ही जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा नहीं है कि आपने कहा चलो। ऐसे कौन चलेगा, कैसे चलेंगे? कार्यक्रम बने रहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : नेता महोदय, बूंदी की मीटिंग में आपके नैनवां से एम.एल.ए. आये थे। (व्यवधान) एम.पी. भी आये थे।

श्री रतन लाल ताम्बी : वह देखते हैं कि इससे बड़ा कार्यक्रम क्या होगा। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : भीषण अकाल पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : अकाल इतना गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई बहस का विषय नहीं है, इसको क्यों बहस में डाल रहे हो? यह कोई इश्यू ही नहीं है बहस का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे एक का मुकाबला करने के लिए हर कांग्रेस का सदस्य खड़ा हो रहा है। यह तो मेरी बहुत बड़ी जीत है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आपको तो छेड़ने की आदत है लोगों को और आपको मजा ही इसी में आता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, छेडू तो जनार्दन सिंह को क्या छेडूं? मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि इसको राजनीति इश्यू नहीं बनाया जाए। अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और बाकी है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थोड़ा-सा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सवा घंटा हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या?

श्री उपाध्यक्ष : सवा घंटा बोल लिये, आपको ध्यान है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आधा घंटा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात कर रहे हो?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीच में टोका-टाकी कितनी हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : साढ़े पांच बजे शुरू किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : 5.25 पर आपने भाषण शुरू किया। मैं तो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा स्वास्थ्य ठीक है, आप चाहो तो रात को 12 बजे तक बोलने दीजिये, मेरे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि इस बजट में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है कि हमने ये उपलब्धियां की, ये उपलब्धियां कीं। अब जो आपकी बैलेंस-शीट है वह बता देता हूं। बैलेंसशीट यह है कि राज्य की आर्थिक विकास दर में पहली बार 3.88 परसेंट की कमी हुई। एग्रीड ? प्रतिव्यक्ति आय में 553 रुपये की कमी हुई। दो वर्ष के बजट में 1500 करोड़ रुपये आपने हैवी टैक्सेशन लगाये, प्लान साइज में लगातार दो वर्षों में 1700 करोड़ रुपये की कमी की। खाद्यान्न का उत्पादन 140 लाख टन से घटकर 90 लाख टन हो गया है, विकास कार्य आपने बंद करवा दिये, नयी नियुक्तियों और भर्तियों को आपने बंद कर दिया, 9 लाख से बढ़कर 12 लाख तक बेकारों की संख्या बढ़ गयी। 3860 करोड़ रुपये का कीर्तिमान राजस्व घाटा आपने कायम किया है। राजकोषीय घाटे का विवाद जो आपने पिछली बार लगाया था उसके विपरीत आपने इस बार एक नये फार्मूले से किया है, वह घाटा भी बढ़ता जा रहा है। 23 हजार करोड़ रुपये, आप पिछली बार चार्ज लगा रहे थे, व्हाइट पेपर में भी कहा था कि 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हम पर छोड़कर गये थे, अब आपने ही एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह घाटा 19 हजार करोड़ का है। आप चाहें तो यह मैं बता दूं। 19 हजार करोड़ रुपये का आपने बताया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें वेज एण्ड मीन्स का नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है, नहीं है, मैं मानता हूं। आपने लिखा है कि वेज एण्ड मीन्स और इस तरह के नहीं हैं। लेकिन 19267 करोड़ का आपने बताया है 23 हजार 500 के अगेंस्ट में। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपने व्हाइट पेपर में ये गलत आंकड़े क्यों दिये ? आज जो आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 19 हजार करोड़ का ही कर्जा था तो उस समय भी आप कह सकते थे। लेकिन आपने उस समय पूरे राजस्थान में हवा फैलाई कि साढ़े 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जा छोड़कर गये हैं। अब मैं इस हिसाब से जोडूं तो आपने 12 हजार करोड़ का क़र्जा लिया और 23 हजार करोड़ में यदि 1990-91 का पहले का कर्जा माइनस कर दूं, राष्ट्रपति शासन के समय जो कर्जा लिया उसको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माइनस कर दूं तो 12 हजार करोड़ रुपये मैंने 8 वर्ष में लिया और आपने एक वर्ष में 12 हजार कोरड़ का कर्जा लिया। ऐसी स्थिति में शेम का सवाल नहीं है लेकिन सरकार के डाकूमैंट के रूप आप गलत तथ्य रखें, इसके ऊपर शेम करने की आवश्यकता है कि इतने करोड़ का कर्जा ले लिया इतने करोड़ का कर्जा ले लिया। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि उपलब्धियां तो कुछ हैं नहीं, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं को आपने खर्चों में कमी कर दी। आपने खर्चा तो सब में कम कर दिया। सामान्य शिक्षा में 47.74 करोड़ रुपये की कमी की है आपने, तकनीकी शिक्षा में आपने कमी कर दी, खेलकूद सेवाओं में एक करोड़ 57 लाख रुपये की कमी कर दी, कला और संस्कृति में एक करोड़ 70 लाख रुपये की आपने कमी की है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिनमें बढ़ाया है वह भी बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आप बता देना, वह आपका काम है। मैं बता दूंगा पहले, शायद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में चिकित्सा पर एक करोड़ 25 लाख रुपये की आपने कमी कर दी, जन स्वास्थ्य के मामले में 2 करोड़ 54 लाख की कमी की, कृषि कार्यों पर 15.74 करोड़ की आपने कमी की, भू-जल और संरक्षण में 39.35 करोड़ की आपने कमी की, पशुपालन में 13.44 करोड़ की आपने कमी की, वानिकी और वन्य जीवन में 12.39 करोड़ की कमी की, सहकारिता में 2 करोड़ 56 लाख की आपने कमी की, परिवार कल्याण में 19 करोड़ 82 लाख रुपये की आपने कमी की है, सिंचाई के अन्दर आपने 140.3 करोड़ रुपये की कमी की है और आई.जी.एन.पी. में आपने 63 करोड़ की कमी की है। इस कमी के बावजूद, अब आप उसका जवाब दीजिये, इस कमी के बावजूद आपका रेवेन्यू डैफिसिट जो आज तक राजस्थान में नहीं बढ़ा, उस सीमा तक क्यों पहुंच गया? उधर आपने कोई काम कराया नहीं, विकास के काम तो लगभग ठप्प हो गये, योजना में 1200 करोड़ की—

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए, सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000 पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, 1500 करोड़ के टैक्स लग जाएं, 1800 करोड़ की योजना में कमी हो जाए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और उसके बाद सारे डिपार्टमैंट्स के खर्चों में आपने कमी की हो और कमी करने के बाद आपका रेवेन्यू डैफिसिट रिकार्ड रेवेन्यू डैफिसिट है। इतना रिकार्ड रेवेन्यू डैफिसिट कभी नहीं रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा आंकड़ा लें तो कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपैंडीचर का जितना डिफरेंस है वह आज तक कभी नहीं हुआ। कोई एक-दो वर्ष पहले रहा तो मुझे पता नहीं लेकिन वह कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या वित्तीय व्यवस्था है? कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं था जिसने नहीं कहा हो कि हमारे यहां काम बन्द हो गये हैं, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, बिजली मिलती नहीं है, बिजली समय पर नहीं मिलती। सब बातें हैं, इसके बावजूद इतनी कमी आयी है। वह रुपया कहां गया, कैसे गया, मैं यह पूछना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि विकास और गैर-विकास खर्च, विकास खर्च कम हो रहा है और गैर-विकास खर्च ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं आंकड़े देकर आपका समय नहीं लेना चाहता, माननीय मंत्री महोदय के पास सारे आंकड़े होंगे, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अब यह मौका आया है, इस मौके पर हम राजस्थान के बारे में एक बात तो यह कहना छोड़ दें कि हमारे पास साधन नहीं हैं, हम अर्थाभाव के कारण से ये काम नहीं कर सकते। पूरे राजस्थान की यह कह कर आपने प्रतिष्ठा गिरायी है और उसका नतीजा आपने इण्डस्ट्रियल डवलपमैंट के अन्दर अच्छी तरह से देख लिया है कि राजस्थान में कोई बड़ी इण्डस्ट्री नहीं आ रही है। कोई नहीं आ रही है। राजस्थान की इण्डस्ट्रीज धीरे-धीरे बन्द होती जा रही हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे सरकार से निवेदन करें कि वे बार-बार यह नहीं कहें कि हमारे सामने आर्थिक संकट है और इस कारण से हम सड़कों की मरम्मत नहीं करा सकते, टूटी हुई स्कूलों की मरम्मत नहीं करा सकते, बाकी और कोई काम नहीं कर सकते। उसकी आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय, जिसके आप मंत्री हैं, राज्य में मैं कह सकता हूं कि कोई औद्योगिक वातावरण नहीं है। कोई औद्योगिक वातावरण नहीं है। आईईएमएस. और एफ.डी.आई. में भारी कमी आयी है, आप इसको स्वीकार करेंगे। आप कह दो, मैं आंकड़े देकर बताऊं। भारी कमी आयी है। और इन दो में कमी आती है तो यह इस बात का संकेत है कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण नहीं है। मुख्य मंत्रीजी गये, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नार्दर्न जोन के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं ये चीफ मिनिस्टर सी.आई.आई की मीटिंग में जाते हैं, फिक्की की मीटिंग में जाते हैं, पी.एच.डी. की मीटिंग में जाते हैं, एसोचेम की मीटिंग में जाते हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी किसी भी मीटिंग में नहीं जाते हैं। वहां बाकी के सब चीफ मिनिस्टर इकट्ठे होते हैं नार्दर्न जोन के सारे—

डा. चन्द्रभान : मैं गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप गये हैं एक बार। मैं आपकी नहीं कहता।

डा. चन्द्रभान : यू. पी. के भी नहीं आये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आये तो ये नहीं जाएं? आपका मतलब जाना चाहिए तो कहते आप। क्यों चले जाते हो उनकी जगह आप? मैं मुख्य मंत्रीजी की बात कह रहा हूं। आप तो कह देंगे गवर्नर साहब गये, उससे क्या मतलब है? आप तो कह देंगे कि गवर्नर साहब गये हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि नार्दर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर उसकी मीटिंग में जाते हैं, वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डवलप हो उसके बारे में चर्चा होती है, राजस्थान में कौन-कौन से उद्योग लगाये जा सकते हैं उनकी चर्चा होती है, मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है कि मुख्य मंत्रीजी एक मीटिंग में भी नहीं गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान में हुई थी उसमें गये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान में तो यहां थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। That my this exploded now.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है, वह ठीक है। That has been exploded because of his absence.

श्री खेतसिंह राठौड़ : जहां मंत्री खुद काबिल है वहां चीफ मिनिस्टर को जाने की जरूरत नहीं है। आपने तो नाकाबिल मंत्री शामिल कर रखे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं, आप मुझे यह बताइये कि आप कह रहे हैं कि जयपुर में आये थे, मुख्य मंत्रीजी का भाषण मैंने भी सुना था, आप अच्छा बोले, ये अच्छा नहीं बोले, उसका सवाल नहीं है। आप अच्छा बोले।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो आपकी पुरानी आदत है। भैरोंसिंहजी, वह तो आपकी पुरानी आदत है। मुझे सौभाग्य है सन् 1967 से आपको देखने का, मैं तब बिलकुल नया था, डिप्टी मिनिस्टर था, यहां बैठता था। तब से आपको देख रहा हूं और आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने तो कि आप बेहतर बोले और आप घटिया बोले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल सही है। आपने मुझसे सीखा है तो उस दिन आप अच्छा बोल गये। अगर आप इनसे सीख लेते तो आप भी बोल नहीं पाते। इसमें क्या आपत्ति है? मैं समझता हूं कि मैं आपसे सीखूं, आप मेरे से सीखें। जो इन्सान सीखेगा वह पाएगा, जो इन्सान सीखेगा वह ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेगा। मैं मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगाता हूं कि इन सारी मीटिंग्स में राजस्थान के मुख्य मंत्री अनुपस्थित रहे जिसके कारण उद्योगपतियों में और औद्योगिक वातावरण में हमारे राजस्थान का समावेश नहीं हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सका। अब ये क्यों नहीं जा पाते, यह तो मुझे पता नहीं लेकिन मैंने अंदाज लगाया कि जिस दिन पहले सी.आई.आई. की मीटिंग हुई थी उनका भाषण प्रभावी नहीं हुआ और इनके दिमाग में यह झेंप आ गयी कि मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो प्रभावी भाषण नहीं होगा और इसके कारण से हमें नुकसान होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहता हूं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान का कई बार कौन आंकड़े ले गये, मुझे पता नहीं, लेटेस्ट आंकड़े मैं बताता हूं, हमारा 14वां स्थान है। जहां आज के युग में इन्फ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट नहीं होगा, राजस्थान में इण्डस्ट्रीज नहीं आएंगी

(19.00 बजे)

इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यक है, अब उस आवश्यकता की पूर्ति हम कर पाये या नहीं? हम वित्तीय संस्थाओं, वर्ल्ड बैंक वगैरह पर निर्भर करेंगे तो मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। धारीवाल साहब यहां बैठे हैं, अब हम वित्तीय संस्थाओं से कर्जा ले रहे हैं। अभी माननीय सदस्य कोई बोल रहे थे कि एडीबी. से हमनें लिया। एडीबी. से लोन की प्राथमिकताएं क्या हैं? प्राथमिकता है पानी की प्राथमिकता है सीवरेज लाइन की प्राथमिकता है हमारे ट्यूरिस्ट पाइंट आफ व्यू से, हिस्ट्री के पाइंट आफ व्यू से, वे सब चीजें हैं, सौन्दर्यीकरण की सारी चीजें हैं। मैं ऐसा समझता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आपकी जगह मैं होता और यह मैं कर्जा लेता तो पहली व्यवस्था यह करता कि उस कर्जे के हिस्से से पानी और सीवरेज पर खर्चा करता ताकि पानी की समस्या का समाधान हो। आज सुबह मैं आ रहा था, बरामदों की खुदाई हो रही थी। मैंने पूछा कि किसलिए खुदाई कर रहे हो तो बोले, इसमें टाइल्स लगेंगी। अब अगर एडीबी. का लोन....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एडीबी. के लोन की करीब-करीब 65 प्रतिशत की रकम सिर्फ वाटर सप्लाई पर और सीवरेज पर खतम होगी इन छह सिटीज में और यह जो बरामदों का काम आप फरमा रहे हैं, इसका एडीबी. के लोन से कोई ताल्लुक नहीं है। एडीबी. का लोन तो अभी 6-8 महीने बाद आएगा, यह काम तो जेडीए., नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड अपने पैसों से करवा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठिये। यह और भी अच्छा है। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस तरह से बरामदों में टाइल्स लगाने पर पैसा खर्च करने की बजाय, आप चाहे हाउसिंग बोर्ड का लग रहा है चाहे एल.एस.डी.सी. का पैसा लग रहा है, चाहे और किसी कारपोरेशन का पैसा लगा रहे हैं....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टाइल्स नहीं लग रही हैं, कातले लग रहे हैं, फर्शी लग रही है। टाइल्स और कातले में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह एक ही है। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं....

श्री जनार्दन गहलोत : टाइल्स इसलिए लग रही हैं कि वे बरामदे उबड़-खाबड़ हो गये हैं और लोगों को सीधा चलने के

(श्री जनार्दन गहलोत)

लिए कर रहे हैं। बीच में ठोकरें लगने का रहता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनार्दन सिंह जी, ठोकरें खा-खाकर ही आगे बढ़े हो, आप ठोकरों की चिन्ता क्यों कर रहे हैं? मैं दूसरा निवेदन कर रहा था कि यदि प्राथमिकताएं आप तय नहीं करेंगे तो प्रशासन प्राथमिकता पर ध्यान नहीं देगा। आज आवश्यकता जयपुर में किस बात की है? पानी की है, सीवरेज की है। उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि आप प्राथमिकताएं देकर उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे जनता के सामने और प्रशासन के सामने तो आपके रुपयों की इसी प्रकार से स्थिति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से प्रचार में, कोई आठ महीने से सुन रहा हूं, सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, अच्छा किया है आपने लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम में डिस्पोजल का जितना टाइम था, 1998 में इण्डस्ट्रियल पालिसी में जितना लिखा हुआ है, उतना ही हैं ना? नाम जरूर दे दिया सिंगल विंडो सिस्टम लेकिन टाइम फ्रेम तो वह का वही है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपने जल्दी में घोषणा कर दी बजट के अन्दर कि सेल्स टैक्स के इन्सेंटिव की स्कीम अब हम खतम कर रहे हैं। आपने नोटिफिकेशन भी इश्यु कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद अब आपने दूसरा नोटिफिकेशन क्यों इश्यू कर दिया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने कहा इसलिए कर दिया। वैसे तो मैं जवाब दूंगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जवाब दे देना, वह ज्यादा अच्छा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ....लेकिन गवर्नमैंट आफ इण्डिया से क्लीयरेंस आते ही हमने पुनः फिर चालू कर दिया। उन्होंने मना किया। ना ना, उसके अन्दर एग्रीमैंट हुआ वहां बैठकर और उन्होंने कहा कि आपको इस तारीख को समाप्त करना पड़ेगा। सारे देश में समाप्त हुआ, सिर्फ हरियाणा में चुनाव के कारण से एक्सैप्शन रहा। तो हमने भी वह किया, और चारा क्या था हमारे पास?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जिस समय बजट में इसको खतम किया उस समय आपने परमिशन क्यों नहीं ली?

श्री प्रद्युम्न सिंह : तब तक क्लीयरेंस नहीं आई थी। यह तो अब आई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, क्लीयरेंस लेते आप। यह कितना ज़रूरी है, राजस्थान के इण्डस्ट्रियल डवलपमैंट के लिए आज हम सेल्स टैक्स इन्सेंटिव दे रहे हैं, वह कितना जरूरी है। जिस समय आपने खतम किया....

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो वहां से आया है इसको समाप्त करने के लिए जनवरी में ही, यह तो अभी तक जिस दिन परमिशन मिली, उसके दूसरे दिन ही हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया इस बात का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस दिन कर दिया वह नहीं है। सवाल यह है कि जिस समय आपने बजट में या उसके पहले घोषणा की है कि सेल्स टैक्स इंसेंटिव नहीं देंगे, उस समय आपको भारत सरकार से कांटैक्ट करना चाहिए था, उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी। हरियाणा को परमिशन मिली, दिल्ली को परमिशन मिली, यू.पी. को परमिशन मिली—

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं नहीं, सिवाय हरियाणा के किसी ने नहीं ली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, सबको मिली है। वह इलैक्शन पीरियड का नहीं है। यह आपको परमिशन मिली, उस समय लेते तो मैं ऐसा समझता हूं, 31 तारीख के पहले-पहले, इस प्रकार के इंसेंटिव के आधार पर कई इण्डस्ट्रीज राजस्थान में आतीं।

अब मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी उपलब्धियां। रीको की लगभग 77 औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हैं, इन इकाइयों में 102 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। राजस्थान राज्य वित्त निगम की 3200 इकाइयां बंद पड़ी हैं जिसमें 300 करोड़ रुपये का पूंजी का निवेश हुआ है। इसी तरह से निजी क्षेत्र की 4000 औद्योगिक इकाइयां जिनमें टैक्सटाइल्स, आयल, रोलिंग, इनकास्टिंग मिलें, सब बंद पड़ी हैं। इसमें 60 से 70 वृहत् उद्योग हैं। इनमें राठी स्टील, जे.के. इंडस्ट्रीज कोटा आदि शामिल हैं। ज्यादातर इकाइयां, अलवर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में है। राज्य की लगभग 222 मिनी, सीमेंट फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। बी.आई.एफ.आर. में रुग्ण इकाइयों का फैसला नहीं हो रहा है। अब आप कह सकते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह कह सकते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि रुग्ण इकाइयों को रिवाइव किस प्रकार से किया जाए। हम नई इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए बात करें तो आज जो सिक इण्डस्ट्रीज हैं, सिक यूनिट्स हैं, उन सिक यूनिट्स को हम किस प्रकार से रिवाइव करें, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जो पूंजी लगी हुई है उसका उपयोग हो जाए और जो पूंजी लगी हुई है, वह किसी प्रकार से ब्लाक नहीं हो। उस दृष्टि से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। अभी ई.पी.आई.पी. सीतापुरा वाला, वहां आपका एक प्लाट नहीं गया। कितना गया है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : Since I am no more holding the Industry Department. मेरे पास अभी उद्योग विभाग नहीं है, लेकिन काफी प्लॉट ई.पी.आई.पी. में चले गये। आपका यह कहना कि वहां एक प्लाट नहीं गया, यह तथ्यों से परे है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक तो पहले चला गया, मैं तो अभी की कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप मुझे कल की बात कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। जो पहले गया वह तो गया ही लेकिन ई.पी.आई.पी. में आपका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं जा रहा है। आपके मानपुरा माचेड़ी के अन्दर कोई इन्वैस्टमैंट नहीं हुआ है।

डा. चन्द्रभान : मानपुरा माचेड़ी में अभी मैं खुद गया हूं, वहां कई लोग आ रहे हैं। वह तो नया इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप हो रहा है। करीब 10 से 12 लोग वहां पर आये, उनको प्लाट अलाट हुआ है। 4-5 ने तो अपना काम भी शुरू कर दिया है। अभी एक महीने पहले में गया हूं। वह तो अभी नया ही शुरू हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आया है ना अभी तक। शुरू हुआ वह ठीक है।

डा. चन्द्रभान : आ गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं चन्द्रभानजी, आप नये उद्योग मंत्री बने, बड़ा जोश है। वैसे तो मेरी राय यह होती कि आपको उद्योग की जगह कोई दूसरा विभाग मिलता क्योंकि पावर और इण्डस्ट्रीज में, आपके सामने पावर का संकट है और आप कोई कमिटमैंट नहीं कर सकते और इण्डस्ट्रीज सबसे पहले कमिटमैंट चाहती है पावर की अवेलेबिलिटी के लिए। मैं उस हिसाब से कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : इसीलिए तो मुख्य मंत्रीजी ने एक किया है।

श्री जनार्दन गहलोत : इसलिए किया है कि प्रोब्लम दोनों एक साथ ही सलटो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं इतना ही कह रहा हूं कि इसके अन्दर थोड़ा सोच-समझकर कार्यवाही करते तो ज्यादा अच्छा था और कई काबिल बैठे हैं, ये सिरोही वाले बैठे हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : यह आपने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरी आलोचना करके आप मंत्रिमण्डल में शामिल होना चाहो तो अशोक जी ऐसे भोले नहीं हैं, यह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। (व्यवधान) हां, वह तो मैंने ही कर लिया। मेरे जितने सीधे नहीं हैं ये कि आपको मंत्रिमण्डल में ले लें। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भंवर लाल जी ने आपको कैसे चक्कर में ले लिया था?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजपूत सीधे होते हैं इसलिए चक्कर में आ गया मैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस की नीतियों और सिद्धान्तों के माध्यम से कई बार चर्चा हुई। मुख्य मंत्रीजी, आपने 14-2-2000 को निम्बाहेड़ा में एक भाषण दिया, याद होगा आपको, और उस भाषण में आपने कहा, गहलोत ने कहा कि हम किसानों को पूरे आठ घंटे बिजली नहीं दे सके, अकाल राहत कार्य शुरू नहीं कर सके, कई स्थानों पर पानी पीने को मुहैया नहीं करा सके। फिर भी यह कहते हैं कि राज्य की जनता ने पंचायत के चुनावों में हमें 75 प्रतिशत सफलता दिलायी। वह तो सफलता मिल गई लेकिन आपका एडमिशन भी है न कि आप आठ घंटे बिजली नहीं दे सके, पानी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं दे सके, अकाल का काम नहीं कर सके? फिर किस बूते पर आप बात कह रहे हैं कि हमने राजस्थान का विकास किया है? (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, उप चुनाव के अन्दर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अशोक गहलोत : निम्बाहेड़ा उप चुनाव के अन्दर जो बातें मैंने कही थीं, जिसको अभी विपक्ष के नेता ने यहां कोट किया, मैं समझता हूं कि यह भी एक हिम्मत की बात है कि चुनाव के अन्दर ऐसी बात कहें और उसके बाद भी हम जीतकर आये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह ठीक है। इसका मतलब चुनाव में आप जनता को धोखा दें और जीत जाओ तो यह समझें कि हमेशा धोखा देना चाहिए, यही है ना आपका मतलब? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह धोखा है क्या? यह धोखा कहां है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनता कभी धोखा नहीं खाती, धोखा दिया होता तो हम इधर नहीं आते और आप उधर नहीं आते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, ठीक है। वह आप देख लेना थोड़े समय के बाद आप इधर ही बैठोगे। मुख्य मंत्रीजी जो कह रहे हैं कि हमने चुनाव में यह बात कही थी और फिर भी हम जीत गये, इसका मतलब चुनाव में आप धोखा दे सकते हैं। (व्यवधान) जो बात सही नहीं है...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : इसको स्पष्ट कहने की बात है...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : राम मंदिर बनने के टाइम आपने क्या किया था?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आखिर में कि राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट के 1986 के एक पांच जजेज के फैसले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस फैसले में लिखा है—

"The right to life includes the right to livelihead. The sweep of the right to life conferred by Art. 21 is wide and far-reaching. It does not mean merely that life cannot be extinguished or taken away as for example by the imposition and execution of the death sentence except according to the procedure established by law. That is but one aspect of the right to life. And equally important fact is the right to livelihead because a person cannot live without the means of livelihead. If the right to livelihead is not treated as a part

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लोग रोते थे कि काम खोलो, काम खोलो, आज वह बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपने मेरे को प्रश्न के जवाब में बताया है, तीस....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहां नहीं है। मैंने यह नहीं कहा। वह कह रहे हैं, मैंने यह नहीं कहा है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि आपको इंतजाम और व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आप क्या बात कर रहे हैं? इस सरकार को संवेदनशील बता रहे हैं? इस सरकार ने आज सुबह के क्वेश्चन में लगभग तीन लाख लोगों को, पेंशन देनी थी, वह पेंशन नहीं दी, वृद्धावस्था पेंशन। इससे ज्यादा क्या अपराध हो सकता है? मुख्य मंत्रीजी, मैं कहना चाहता हूं कि आप ओल्ड एज पेंशन नहीं दें तो इससे ज्यादा क्या अपराध हो सकता है? सरकार क्या अपराध करेगी जनता के साथ? अब यह अपराध आप कब चुकाएंगे, कब नहीं चुकाएंगे, लेकिन आपके पास भारत सरकार का पैसा था वह आप खर्च नहीं कर पाये और राज्य सरकार से भी नहीं दे पाये। अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि आप एक बार स्टेटमैंट दे गये कि अर्जियों में कुछ कमी थी, उनकी जांच कराने के बाद में हम भुगतान करेंगे। लेकिन सरकारी कागजों में यह लिखा हुआ है कि अर्थाभाव के कारण से हम पेंशन नहीं चुका पाये। अब दोनों में कौन-सी बात है? सरकारी कागज भी आपके हैं और भाषण भी आपका है। भाषण में आप कह गये जोश में कि सब गलत था, यह था और यह नहीं था, मैं समझता हूं कि उनकी पेंशन का भी आप प्रबंध करा दें तो एक अच्छी व्यवस्था होगी। और नहीं करवा सकें तो आपकी मर्जी की बात।

मैं इतना ही कह सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार डेढ़ वर्ष में राजस्थान के अन्तर्राज्यीय मामलों के अंदर कोई किसी प्रकार की पैरवी नहीं कर सकी, यह सरकार डेढ़ वर्ष के अंदर राजस्थान में कोई औद्योगिक वातावरण नहीं बना सकी, इस सरकार ने राजस्थान में जनता के लिवलीहुड के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। केवल एक ही व्यवस्था की है कि हम किसी तरह से दुनिया में यह भ्रम फैला दें कि हम जो कुछ कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, भ्रम फैलाने में आप कामयाब हो सकते हैं लेकिन लोगों की रोजी-रोटी और समस्या का समाधान नहीं कर सके, इस पर आप निश्चित रूप से विचार करें और आगे बढ़ें। जहां तक संवेदनशील होने की बात कह रहे हैं, संवेदनशील में, मुझे राजेन्द्र चौधरी जी की शक्ल दिख गई इसलिए याद आ गया। आपने आदेश निकाले हैं सवाई मानसिंह अस्पताल में, उसमें यह है कि जितनी शैयाएं हों उससे ज्यादा भर्ती नहीं की जाए। यह आपने आदेश निकाला है?....(व्यवधान) नहीं निकला?

श्री उपाध्यक्ष : निकला नहीं आदेश।

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : नेता महोदय, यहां पर बात उठी थी मैंने उसी दिन डिमाण्ड्स पर यह

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

क्लीयर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हर मरीज जो भी आएगा उसको भर्ती किया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, भर्ती तो करेंगे लेकिन आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल में ये आदेश निकाले कि कोई भी डाक्टर 50 से ज्यादा नहीं देखेगा। ये तो निकाले हैं न? अब, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं लाया नहीं हूं लेकिन मुझे कल लाकर बताना है, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि आज जयपुर में दुनिया भर का बीमार आदमी आता है उसको यदि आप भर्ती नहीं करेंगे तो जाएगा कहां? उसको यदि असेंशल ड्रग्स आप नहीं देंगे तो....

श्री राजेन्द्र चौधरी : नेता महोदय, मैंने यह कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आप क्यों विस्तार से बात कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आपने कहा है, मुझे पता नहीं था।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने उसी दिन कह दिया था डिमाण्ड्स के दिन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है कह दिया तो। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि दवाइयों पर आपने प्रतिबंध किया....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लिखित में आदेश आपने वापस ले लिये क्या?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने यह कहा है कि ऐसे आदेश जारी ही नहीं हुए। मैंने यह कहा है, सदन में यह कहा है कि भर्ती किये जाएंगे, आप भी उस दिन सदन में मौजूद थीं।

श्री उपाध्यक्ष : इनकी डिमाण्ड्स पर कह दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, कह दिया, दुरूस्त कर दिया तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीमारियां जितनी बढ़ रही हैं, बीमार आदमी की इच्छा होती है कि डाक्टर हमको देखें, लेकिन डाक्टर्स पर आप पाबंदी लगा दें और जो भी असेंशल ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल न करें इस प्रकार की पाबंदी लगा दें, यह उचित नहीं है। एक तरफ यदि बीमारी बढ़े तो इंतजाम यह करना चाहिए कि कोई भी बीमार कहीं से भी आ जाए उसका हास्पीटल में उपचार होगा। अगर शैयाओं की कमी है तो ज्यादा शैयाएं बढ़ाने की कोशिश की जाए तब जाकर हम संवेदनशील सरकार इसको कह सकते हैं वरना मरीजों के साथ इस प्रकार का अत्याचार होगा तो कोई संवेदनशील होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्माननीय सदस्यों का और खास कर प्रतिपक्ष के नेता महोदय का आभारी हूं कि आज यहां पर एप्रोप्रियेशन के बिल के अवसर पर उन्होंने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

विस्तार से करीब-करीब सरकार के मुख्य-मुख्य महकमों के बारे में सबके ऊपर यहां चर्चा की। जो पाइंट्स मैंने लिखे हैं प्लान को लेकर, राज्य के ऊपर कर्ज को लेकर, इन्टर स्टेट डिस्प्यूट्स को लेकर, एक्साइज रेवेन्यु के लोस को लेकर; अकाल के बारे में इण्डस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, सिंगल विंडो सर्विस के बारे में, लिवलीहुड के बारे में प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमैंट का हवाला देते हुए बातें कहीं। इनमें से कुछ मुद्दे जब बजट के ऊपर चर्चा हुई थी उस वक्त भी उठाये गये थे किसी न किसी रूप में और मैंने उन मुद्दों में से काफी मुद्दों पर जवाब दिया था लेकिन आज पुनः उन्हीं मुद्दों को अलग भाषा में, अलग रूप में यहां उठाया गया है तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है मेरे लिए कि उन मुद्दों के ऊपर संक्षिप्त रूप में मैं अपनी बात कहूं।

सबसे पहले तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरू करना चाहूंगा उन मुद्दों पर जिन पर बहुत संक्षिप्त रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपकी मार्फत सदन के सदस्यों से। वैसे तो 26 तारीख को अकाल, पेयजल के ऊपर यहां पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी, पूरा दिन उसी के लिए नियत किया गया है और हमारे दोनों सम्माननीय मंत्री इसके ऊपर राज्य सरकार द्वारा अब तक जो कुछ हुआ है उसके बारे में सदन को और सदन की मार्फत राज्य की जनता को अवगत कराएंगे, लेकिन यहां पर यह बात दर्शाने की कोशिश की गई कि राज्य सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया और कुछ खर्चे में कोताही बरती इससे लोगों की तकलीफें बढ़ीं, चारे का इंतजाम नहीं हुआ, पीने के पानी का इंतजाम नहीं हुआ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 1998-99 और 1999-2000 में 538 करोड़ रुपये तो खर्च हो चुके हैं अकाल के ऊपर अब तक तो यह कहना कि सरकार ने पैसे का....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों वर्षों में कितना-कितना हुआ है, वह बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको डिटेल दे देता हूं। इसमें अकाल राहत कार्यों के लिए वर्ष 1999-2000 में 260 करोड़ रुपये का। यह आपको अभी पेश ही कर देता हूं, आप रख लें, मेरे पास कॉपी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप ही बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी बताता हूं। इस प्रकार दोनों वित्तीय वर्ष में, वर्ष 1999-2000 में अकाल राहत कार्यों पर 295 करोड़ रुपये व्यय हुए और 1998-99 में 243 करोड़ 73 लाख रुपये, ये मेरे पास फीगर हैं जो मुझे तीन दिन पहले डिपार्टमैंट के लोगों से प्राप्त हुए। इसमें टैंटेटिव फीगर्स में कहीं थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो सकता है लेकिन मोटे-मोटे रूप में इसके यही फिगर हैं। जैसा कि मुझे राहत मंत्री जी बता रहे हैं, वे भी इस बात की हां भर रहे हैं कि हां, इतना ही पैसा खर्च हुआ है। इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना और

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य के पेटे चारे के प्रबन्ध के लिए, पानी के प्रबन्ध के लिए राज्य सरकार किसी प्रकार धन की कमी नहीं आने देगी। हमें अन्य खर्चों को रोकना पड़े, अन्य खर्चों में हमको डिले करना पड़े लेकिन इस सरकार की पहली प्राथमिकता अकाल राहत कार्यों में पूरी राहत पहुंचाना है। मैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, खुशी की बात है कि आज भारत सरकार के गोदामों के अन्दर लाखों टन गेहूं वर्षों से पड़ा हुआ है जो कि कोई उठाने वाले नहीं है, अगर आज उस गेहूं को ग्रान्ट के रूप में दे देते तो क्या बिगड़ता ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो नकद राशि दे रहे हैं उसकी एवज में ले लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नकद राशि दे रहे हैं तो कोई भारत सरकार एहसान नहीं कर रही है। फाइनेंस कमीशन जो हर पांच साल बाद मुकर्रर होता है, जो राष्ट्रपति के आदेश से मुकर्रर होता है, जिसके लिए हमारा हक़ है, उन इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन और टैन्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स के आधार पर हो रहा है, कोई राज्य सरकार के ऊपर भारत सरकार खैरात नहीं कर रही है इस पैसे को, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपका यह कहना कि आप अपने पैसे से ले लें तो फिर आपके संग है क्या? क्या हमारे साथ भारत सरकार सलूक करना चाहती है? क्या विशेष पैकेज देना चाहती है भारत सरकार, जबकि हमारे प्रधान मंत्री बार-बार यह कह रहे हैं कि घोर संकट की घड़ी है, देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप पैसे का इंतजाम कीजिये, आप दान दीजिये उदारतापूर्वक। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह वह अनाज है जो थोड़े दिनों में सड़ेगा, फिंकेगा, जिसको पशु भी नहीं खाएंगे, स्थिति यह है कि आज 4-4, 5-5 साल का हो गया है, चौड़े के अन्दर अनाज पड़ा हुआ है। वह तो कई दफा फिका है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का भार भी राजस्थान सरकार को वहन करना पड़ेगा। बात तब समझ में आती कि आप मौके पर उसको पहुंचाते। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट खुद भारत सरकार बर्दाश्त करती तब भी समझ में आता। एफ.सी.आई. के गोडाउनों से ले जाकर माल हमको वहां पहुंचाना पड़ेगा। इसमें क्या बड़ी बात है? अकाल राहत कार्यों में अकालग्रस्त जिलों में आप गेहूं देंगे लेकिन आज आप ग्रांट के रूप में गेहूं दे देते तो इसमें भारत सरकार की तारीफ होती। मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को जो गेहूं आवंटित किया जा रहा है वह ऐड और ग्रांट के रूप में दिया जाए जिससे कि आगे आने वाले समय में क्योंकि अकाल राहत काम खतम होने के बाद भी न्यूट्रिशन का अभाव रहेगा, अकाल से पीड़ित लोगों को पोषाहार की कमी रहेगी, इसको आगे भी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बांटते रहना आवश्यक है इसलिए हमको वहां से मिलना चाहिये। श्रीमान् यहं तो मैं आपकी मार्फत अकाल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा कि पिछली बार 295 करोड़ खर्च हुए, उस समय आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल थे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह डिटेल तो परसों आपको दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह दे दिया तो यह भी बताइए। रामसिंह जी की शिकायत यही है कि पैसे नहीं मिले और मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय पैसे थे। आपने 295 करोड़...

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप पैसे की बात पर आ जाइए, श्री मान् तो मैं आपको पैसे का भी सब हाल बता देता हूं। आप तशरीफ रखिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : जिस गेहूं में खपरिया लग गया वह आपको बांट दिया और आपसे उसके पैसे ले रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, यहां पर यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है। 75 परसेंट सी.आर.एफ. का पैसा है, 25 परसेंट राज्य सरकार को देना पड़ता है। वह भी पैसा आता है फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन के अनुसार, कैलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा, उन्होंने अपनी रिकमंडेशन में कहा है और फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति होती है संविधान के आर्टिकल के तहत, सबको मालूम है। आपको मालूम है कि बैलेंस आफ कंविनिएंस, टैक्स कलैक्शन में अपना स्ट्रक्चर फैडरल स्ट्रक्चर है। उसका उलटा है। राज्यों के पास विकास के काम, सामाजिक सेवा के काम, पुलिस, ला-एण्ड-आर्डर, डवलपमैंट सारे काम राज्यों के पास है, लेकिन टैक्स की रिकवरी ज्यादा भारत सरकार के पास है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा कि राज्यों का हित देखने के लिए एक फाइनेंस कमीशन मुकर्रर किया जाए। जब इतना अकाल है इस मौके पर भारत सरकार को बड़प्पन का परिचय देते हुए इस अनाज को ग्रांट के रूप में देना चाहिए, यह बात कह कर मैं यहां समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां कर्जे की बात बार-बार उठती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप फंड की बात कर रहे थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको फंड की बात भी बता दूंगा, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। यह तो सारा आडिटेड अकाउंट है, ए.जी. की रिपोर्ट में आएगा। कोई छुपाकर तो रख नहीं सकते इसको। सरकार को एक-एक पैसे का हिसाब रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर लोन को लेकर बार-बार बात की गई। व्हाइट पेपर जो यहां रखा गया था 31 मार्च, 1999 को, 23 हजार 840 का बजट अनुमान है और जो बजट अनुमान होते हैं, जब एक्चुअल्स

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आते हैं, सी.ए.जी की रिपोर्ट आने के बाद तो उसमें कभी कुछ फर्क आ सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर.ई. के बारे में बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आर. ई. मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। यह बात छुपाने वाली तो है नहीं। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं इस बात को छुपा कर नहीं रख सकता। न कोई इसको बढ़ा सकता है, न कोई इसको घटा सकता है, आपको स्वयं को मालूम है। आज आपने बार-बार इस बात को कहा कि आपने डेढ़ साल में, 1999-2000 में 5 हजार करोड़ रुपये ले लिये।

अनेक माननीय सदस्य : 12 हजार करोड़ रुपये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं 12 हजार करोड़ को रिफ्यूट करता हूं। I refute it. I strongly refute it. आपकी बजट रीडिंग की कमी है। आपका नट बोरोइंग्स 31 मार्च को क्या है, वह देखनी पड़ेगी। वेज एण्ड मीन्स एडवांस का जो पैसा आता है, क्योंकि वेज एण्ड मीन्स डे टू डे बेसिस पर हम लेते हैं, वापस लौटाते हैं। 31 मार्च को क्या स्थिति रहती है, यह 12 हजार करोड़ रुपये का लोन लेने का कह रहे हैं, यह निराधार है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम नहीं कह रहे हैं, आपका बजट एट ए ग्लांस कह रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बजट एट ए ग्लांस को कृपया आप देख लीजिए। अगर इस सदन में मैं गलत कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप देखिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, व्हाइट पेपर में जो कर्जा आपने कैलकुलेट किया था वह नैट बोरोइंग्स थी क्या? उसमें वेज एण्ड मीन्स शामिल नहीं थे क्या, आप यह बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप विराजो। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको जो कुछ फीगर दे रहा हूं, 1999-2000 में हमने जो ऋण लिया है, जो पहला बजट वित्त मंत्री श्री चन्दनमल जी ने पेश किया उसके तहत हमारे 51 सौ करोड़ रुपये के फीगर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजट एट ए ग्लांस में रखा है उधार एवं देनदारियां-12 हजार 295 करोड़ रुपये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको वही कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने 23 हजार पांच सौ...(व्यवधान) उसके बाद 19 हजार पर आ गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको निवेदन कर रहा था कि वह जो फीगर है, 1998-99 का जो फीगर है 31 मार्च, 1999 का, वह अनुमानित है। उससे पहले के सारे के सारे फीगर कन्फर्म फीगर है। वे तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट के आधार पर कन्फर्म हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं कि हमने 12 हजार करोड़ का जो ऋण लिया है वह मुनासिब नहीं है। आप शुद्ध उधार देख लीजिए, कृपया आप बजट एट ए ग्लांस देखिए, आय-व्ययक के अनुमान मेरे पास भी थे, इसमें आप देखें,जो एंट्री है

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

2.1 उसके ऊपर 5.66 यह शुद्ध बोरोइंग है, यह मानी जाती है। जो भी पैसा हम लेते हैं, एक-एक पैसा चाहे वह डे-टू-डे बेसिस पर हो, वह भी पैसा हमको एंट्री के रूप में दिखाना पड़ता है और जब देते हैं तो वह देनदारियों के रूप में दिखाना पड़ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप शुद्ध उधार की बात कर रहे हैं, यह आंकड़ा हमने भी देख लिया। पूछने का मतलब यह है कि आपने श्वेत पत्र में जिस 23 हजार 800 करोड़ की बात की थी उसको कैलकुलेट करने के लिये तो आपने वेंज एण्ड मीन्स के सारे पैसे शामिल कर लिये, अब आप शुद्ध उधार पर आ गये। ये डबल आंकड़े क्यों हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये डबल आंकड़े नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये डबल आंकड़े हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप विराजो उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर बहुत जोरों से प्रतिपक्ष के नेता महोदय और तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अब आप रोना बंद करो। सही बात है। लेकिन जब बार-बार यह बात उठती है कि विकास बंद हो गया, सड़कें नहीं बन रही हैं, फलां काम नहीं हो रहा है, या तो उसको कह दें कि नहीं हो रहा। कुछ कारण तो सदन की मार्फत राज्य की जनता को बताने ही पड़ेंगे। यह संभव नहीं है हमारी चेष्टा है कि इस स्थिति से हम उबरें। सिन्सिअरली एफर्ट कर रहे हैं हमारे पार्टी के सब माननीय सदस्य इतना प्रचण्ड बहुमत हमारी राज्य की जनता ने दिया है, हम खुद चिंतित हैं। कामकाज नहीं होंगे, विकास के काम नहीं होंगे तो हम राज्य की जनता के सामने क्या जवाब देंगे? हमारी जवाबदारी भी राज्य की जनता के प्रति है। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं....(व्यवधान) यहां पर भ्रम फैलाएं, अब आपने कर्जा ले लिया है, इस कर्जे की एक खूबी मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा। हम इस साल में कोई कर्जा लेते हैं, भारत सरकार से कर्जा आया या दूसरे बोरोइंग्स हमने किये तो इसमें कुछ ऋण ऐसे होते हैं....(व्यवधान) एक मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ब्याज की लाइबिलिटी, पुराने लोन के ऊपर इंस्टालमैंट्स की लाइबिलिटी जिस साल के अंदर लेते हैं उस साल में कई मर्तबा 2-3-4 साल नोर्मली यह पांच साल का मोरेटोरियम रहता है। इस वर्ष मैं कर्ज लूंगा तो आफ्टर फाइव ईयर्स 50 प्रतिशत अमाउण्ट के ऊपर, विपक्ष के नेता जानते हैं, सारे फाइनेंसेज को समझते हैं, तो हमारे ऊपर एकायक भार आ गया क्योंकि हमारा बजट डैफिसिट जो था। रेवेन्यू डैफिसिट भी था, बजट का डैफिसिट अलग था। तो सारी स्थिति को देखते हुये जो लोन सर्विसेज, हमारे डैट सर्विसिंग के जो चार्जेज थे ब्याज के पेटे, किश्त के पेटे, उनको भी चुकाने के लिये, एक स्थिति के अंदर बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हमको लोन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लेना पड़ा पिछले साल में। हमारी चेष्टा है कि आने वाले सालों में इसको कम करें, लेकिन स्थिति इतनी विषम् है कि अगले साल के अंदर भी हमारे जो बजट एस्टिमेट हैं उसके अन्दर भी 5200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है कि इससे अधिक हम लोन नहीं लेंगे। हम इससे भी कम करना चाहेंगे और हमारी आशा की किरण है इलेवंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट इलेवंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो डिवोल्यूशन आयेगा उसमें से अधिकांश को हमने अपने बजट के अंदर प्रोवाइड फोर नहीं किया है, वे आंकड़े हमने नहीं लिये हैं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट इसके ऊपर लिखी है और खुद इलेवंथ फ़ाइनेंस कमीशन ने कहा है कि गैप फिलिंग ग्रांट के जो 11,000 करोड़ रुपये हैं उसके तहत वे अब फार्मूला तय करेंगे जो 30 जून को उनकी फाइनल रिपोर्ट आएंगी इलेवंथ फाइनेंस कमीशन की उसमें। वही एक मेजर अमाउण्ट है। टैन्थ फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन का जो फार्मूला था उसमें ही झगड़ा था नैट और ग्रास का 29 प्रतिशत। भारत सरकार नैट की बात करती है, उन्होंने ग्रास रिकमण्ड किया। तो कैसे होगा? उसके पेटे आपका प्लान साइज सारा गड़बड़ाया जो आज आप बार-बार कहते हैं कि प्लान होली-डे रहा, प्लान समाप्त कर दिया, प्लान आप करना नहीं चाहते हैं। 2765 का आपने नाइन्थ प्लान बना लिया, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं उस बात को कि विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन दी रिसोर्सेज। आपका चुनाव का साल था, आपने 3500 करोड़ का प्लान क्यों बनाया? हर पालिटिकल पार्टी की इच्छा होती है कि चुनाव के साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम हाथ के अंदर लिये जाएं लेकिन आपने सिर्फ एक वातावरण बनाने के लिए, प्रदेश के अंदर एक हवा बनाने के लिए 2765 करोड़ का प्लान साइज बनाया जिससे जनता के बुद्धजीवी वर्ग के अंदर, लोगों में वाह-वाही हो कि मैं राजस्थान के अंदर विकास की गंगा बहाना चाहता हूं। लेकिन आपके रिसोर्सेज की क्या स्थिती थी? आपने जो कैलकुलेशन किया...... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 500 करोड़ में ए.आर.एम. का कम्पोनैंट कितना था और वह हुआ कि नहीं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसके डिटेल भी अभी मेरे पास हैं, लेकिन मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसकी परमीशन नहीं देंगे। मेरे पास सारे फीगर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं...(व्यवधान) मेरे पास हैं I will have to read it out. I will have to read it out.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपके पास फीगर हैं तो बता दो ताकि क्लीयर हो जाए। रोज-रोज का क्या झंझट है? (व्यवधान) एक बार फीगर बता दिया, साफ हुआ।...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : 2765 का आपका 1997-2002 का नाइन्थ प्लान है। आपने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

1997-98 के पहले साल में 3500 करोड़ रुपये की योजना बनाई, एग्रीड। 98-99 में आपने 4054 की बनाई, इलैक्शन ईयर के अंदर आपने, क्यों कम बनाई ?...(व्यवधान) हमें सब इंक्रिमैंटल मालूम है, इंक्रिमैंटल होती है। हमने उसको कम किया। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों बनाई ? उस दिन तो तालियां बजवाई...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बताता हूं, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्री जी, आप नाराज क्यों होते हो ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे तो हो सकता हूं लेकिन इनसे नाराज नहीं हो सकता। (व्यवधान) आपसे तो हो सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कोई तैयारी नहीं करके आये, कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : तैयारी मेरी कुछ नहीं है। (व्यवधान) मुझे आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे दल के सदस्यों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। I don't need your certificate. I don't need anybody's certificate except the hon'ble members of my Congress party. मुझे इस बात की चिंता नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारे वित्त मंत्री जी पूरी तैयारी करके आये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको रामस्वरूप जी का सर्टिफिकेट चाहिये ना (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपसे बेहतर मेरे लिये रामस्वरूप जी का सर्टिफिकेट है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय वित्त मंत्री जी का यह कहना है कि 2765 करोड़ रुपये का जो नाइन्थ प्लान बी.जे.पी. की गवर्नमैंट ने बनाया वह अपने रिसोर्सेज से डिसप्रपोर्शनेटली बना लिया। बिलकुल ठीक है। यही बात आप लगातार कहते भी आ रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस शासन में आई तब आपने प्लान साइज क्यों नहीं घटाये ? आप बोल्ड एडमिशन करते। 5022 का आपने बनाया। आपको बोल्ड एडमीशन करना चाहिये था, इसमें क्या दिक्कत थी ? जिस बात को आप खुद कोस रहे थे, अव्यावहारिक बता रहे थे, You shold have come clean before the people of the State कि नहीं, साहब, यह हमारे रिसोर्सेज परमिट नहीं करते इन्होंने अव्यावहारिक बनाया है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसीलिये मैंने अपने बजट भाषण में बहुत साफ कहा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने कुछ नहीं कहा, चन्दनमलजी ने कहा है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके हिसाब से नहीं कहा होगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने तो जिक्र ही नहीं किया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके हिसाब से नहीं कहा होगा। मुझे इस बात की चिंता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं है। (व्यवधान) मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने आपके हिसाब से नहीं कहा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत सरकार ने हमारे करों के अंदर कमी की, 60 से 58 की उम्र करने के कारण जब बजट की सारी स्थिति सामने थी, हमारे सामने रिसोर्सेज थे उस हालत में देखकर हमने प्लान साइज को घटाया और इसी हिसाब से जितना हम कर सकते थे उतना शायद इस साल के प्लान के लिये हमने रखा है। जो हालात हैं उनसे कहीं नहीं लगता है इतना बड़ा प्लान साइज। मुझे कहनें में कोई हिचक आज भी नहीं है, यह चौथा साल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपने जो बनाया था बहुत खींचतान करके फिफ्थ फाइव ईयर प्लान 22000 करोड़ से ज्यादा का नहीं बैठेगा। अगर हमारे रिसोर्सेज को पोजीशन अच्छी रहेगी और दूसरे मोबिलाइजेशन हुआ, ए.आर.एम. ठीक हुआ तो यह नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने 1999-2000 का प्लान...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कहा, खींचतान के। (व्यवधान) मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बहुत प्रयत्न करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, उससे पहले नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। (व्यवधान) अब आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। मेरा फ्लो बिगड़ता है। मुझे पाइंट कवर करने हैं, आप बाद में पूछ लीजिएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनका फ्लो बिगड़ता है, आप बाद में पूछ लीजिएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बाद में पूछ लीजिएगा। अभी भी एक स्टेज और है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, एक सवाल है, आगे चला जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कहां जाएगा? वह तो यहीं है हाउस में ही, कहां जाएगा? न तो आप जाओगे, न ये जाएंगे। आप भी यहीं हैं, ये भी यहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : इनका फ्लो बिगड़ जाएगा, वे साइड ट्रैक हो जाएंगे। वापस यही इश्यू फिर से चालू हो जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वित्त मंत्रीजी, एक सवाल पूछना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रतिपक्ष के नेता ने इंण्टर स्टेट डिस्प्यूट्स की बात अपने पुराने चिर परिचित अंदाज के अन्दर कही। इण्टर स्टेट डिस्प्यूट के जो हमारे मसले हैं, बिजली का है, पानी का है, मुझे सौभाग्य मिला जब पहली दफे विधान सभा में सन् 67 में आया था तब से और 72,77,80,85 में तो ये मुद्दे रोजाना इस सदन के अन्दर उठा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करते थे। मैं पहाड़ियाजी की सरकार में कुछ अर्से के लिए सिंचाई विभाग का राज्य मंत्री था, इनडिपैंडैंट चार्ज था मेरे पास। इसी जगह से एक घण्टे तक नाथपा झाकड़ी का एक प्रश्न, पहला सवाल था सम्मानीय अध्यक्ष महोदय उस उक्त वहां थे, आप यहां थे, पूरा एक घण्टे पहला सवाल चला। मैं बहुत अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप लम्बे समय तक रहे, राज्य की बागडोर आपके हाथ में रही, आपने यहां मुख्य मंत्री के ऊपर यह चार्ज लगाया। आपने कहा मैं चार्ज लगाता हूं मुख्य मंत्रीजी के ऊपर। आपने कहा कि आपने राज्य के हितों की अनदेखी की। यही आपका मोटिव था। मुझे आपने कृपापूर्वक कहा था कि मैं आज कुछ मुद्दे इण्टर स्टेट डिस्प्यूट्स के यहीं उठाऊंगा, मैं आपका आभारी हूं। आपने एक अच्छी भावना के संग मुझे पहले बता दिया था कि मैं आज कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं, हालांकि मेरा विषय नहीं था। कुछ मुद्दों के ऊपर बिजली मंत्रीजी आपको विस्तार से बताएंगे जब बिजली के ऊपर चर्चा होगी 2 तारीख को। बेहतर होता कि ये मुद्दे सिंचाई मंत्री के सामने उठाये जाते क्योंकि ज्यादातर मामले पानी से सम्बन्धित हैं, तो वे उसका बेहतर जवाब देते क्योंकि उनका ज्ञान मुझसे इस बारे में ज्यादा है। हर महकमे के सवालों का जवाब देना मेरे लिए बिना पूरी आथोरिटी के सम्भव नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक मोटी बात निवेदन करना चाहता हूं। आपने स्वयं कहा हमने, यहां पर धरने दिये। आपने प्रस्ताव पास करने की बात इस सदन के अन्दर कही। क्योंकि आपकी थ्योरी यह थी कि जब पानी में हमारा हिस्सा है तो बिजली में भी हमारा हिस्सा है। मोटी-मोटी बात तो यही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी नहीं है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी भी थी, आज भी है।

क्योंकि राज्य के हित का जहां तक सवाल है, राज्य का हित सर्वोपरि है। लेकिन मैं पूछता हूं कि नैट रिजल्ट आपके आठ साल के शासन का क्या रहा ? व्हाट इज द नैट रिजल्ट ? मैं इसको...(व्यवधान) देखिये, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हमको तो आप उपदेश दे रहे हैं कि, मुख्य मंत्रीजी, आपने यह नहीं कहा। मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखा। मेरे पास मुख्य मंत्रीजी का भाषण है वहां का जिसमें कि पार्वती की बिजली के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर बात कही। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि पार्वती के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने कहा पर भारत सरकार का क्या नजरिया है ? गैस बेस जो अन्ता पावर हाउस था, उसमें से हमारा हिस्सा खतम कर दिया उन्होंने, व्हाई यह डिस्क्रिमिनेशन ? हमारे संग यह भेदभाव क्यों हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपकी कमजोरी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कमजोरी? मैं कहता हूं, मैं चार्ज लगाता हूं बी.जे.पी. पार्टी के ऊपर कि आपकी कांस्पिरेसी की वजह से हमारा हिस्सा समाप्त किया गया। आप राजस्थान की जनता को यह बताना चाहते हैं कि राज्य के हितों का कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से हित साधन नहीं कर पा रही है। मैं कह रहा हूं कि आपकी कांस्पिरेसी है, आपने इसके अन्दर ऐसा किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बता दीजिए कि आपका हिस्सा क्यों कम हुआ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कौनसा? (व्यवधान) मैं तो इसको जानता हूं कि हिस्सा कम कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका— (व्यवधान) इसको क्या जानता हूं, मैं पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि अन्ता का हिस्सा कम हो गया, वह क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आपने मना कर दिया। आप मना कर आये ना वहां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब जानता हूं, आप बता दीजिये क्यों कम हुआ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं यह मानकर चलता हूं, विदाउट एनी राइम एण्ड रीजन। क्यों आपने दिया और क्यों आपने कम किया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट, टाइम बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

एक घण्टा और बढ़ाया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000 पर विचार

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यहां पर यह दर्शाने की कोशिश की कि मुख्य मंत्रीजी चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, राज्य के हितों का ध्यान नहीं रख सकते। मैंने यह पूरा भाषण पढ़ा है, ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में 26 फरवरी को मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर जो अपनी बात कही, विस्तार से राजस्थान के हित के बारे में चर्चा की है। ऐसा कोई मौका नहीं जाता है। आणविक विद्युत परियोजना तृतीय, चतुर्थ इकाई के राज्य को आवंटन के बारे में जितने पाइंट हो सकते थे, राज्य के, और कौन मुख्य मंत्री होगा जो राज्य के हितों की अनदेखी करेगा? आपने सिर्फ राजनीतिक स्कोर करने के लिये, राजस्थान की जनता को एक मैसेज देने के लिए कहा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कि मुख्य मंत्री ने राज्य के हितों की अनदेखी की, राज्य के ज्वलंत मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं इस आरोप को सही नहीं मानता हूं। यह आरोप राजनीति से प्रेरित है जो कि मुख्य मंत्री पर लगाया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बता दीजिए कि पार्वती के मामले में पांचों स्टेट्स के बीच में एग्रीमैंट हुआ था, यह तो आप एग्री करेंगे ना?

श्री प्रद्युम्न सिंह : है ना, लिखा ही हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह लिखा हुआ है। इस एग्रीमैंट के अंगेस्ट में उन्होंने भारत सरकार से एग्रीमैंट कर लिया जिसमें राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। क्या राज्य सरकार अपने हितों के बारे में इतनी चिन्तित थी तो कोर्ट में नहीं जा सकती थी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 20 अक्टूबर, 1992 को हस्ताक्षरित पत्र 20 नवम्बर, 1998 को नवीन सहमति पत्र के उपरांत स्वतः ही रद्द हो गया। यह मुख्य मंत्रीजी ने जो भाषण दिया, वह पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, कोई भी भाषण दिया होगा, आप यह तो बताओ कि कोर्ट में क्यों नहीं गये? (व्यवधान) कब जाएंगे कोर्ट में?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जाएंगे ना कोर्ट में। कोई लिमिटेशन है क्या कोर्ट का अभी? कोई लिमिटेशन है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कोर्ट में जाते, कोर्ट में आपको स्टे मिल जाता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लिमिटेशन होता ही है, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज कृष्णा, गोदावरी पर सारे झगड़े पड़े हुए हैं, नर्मदा का झगड़ा पड़ा हुआ है। अभी बीच में बात करेंगे, सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएं?

डा. चन्द्रभान : मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखा, ऊर्जा मंत्रीजी को पत्र लिखा और ऊर्जा मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में बात भी की और जैसे कि वित्त मंत्रीजी भी कह रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी जाएंगे। उनसे पहले बातचीत कर रहे हैं, उनको पत्र लिख रहें हैं। यदि वे रेस्पोंड नहीं करेंगे तो कोर्ट में भी जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देर से आयी, अक्ल आयी तो सही।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात पर कैपीटा इनकम, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में भी कही गयी कि आपके राज की उपलब्धियां गिनाता हूं। एक व्यंग्यात्मक तरीके से यहां बात कही गयी। आपको मालूम है कि दूसरे साल के अन्दर अकाल की जिस प्रदेश के ऊपर छाया हो, 26 जिलों के अन्दर अकाल हो तो निश्चित रूप से स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो गिरना ही है और इसके साथ पर कैपीटा इनकम भी नीचे जाएगी। आपने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एक इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात और कही यहां पर। देश के अन्दर जो वातावरण था, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से एक रिसेशन का वातावरण था,

(20.00 बजे)

एक मंदी का दौर चल रहा था। उस दौर के अन्दर स्टेट्स के अन्दर इन्वैस्टमैंट आना कम हुआ और राजस्थान भी उसमें से था। राजस्थान का भी एक बूम पीरियड बीच के अन्दर आया था। जब सीमेंट की पीक के ऊपर डिमांड थी तो दुनियाभर के मिनी सीमेंट प्लांट लगे यहां। राज्य सरकार का उस पर रुपया खर्च हुआ। अपने बजट भाषण के अन्दर जो भी सेल्स टैक्स में कंसेशन दे सकता था, उनका डेलीगेशन आया था, उन्होंने मुझसे मांग की थी कि हमारा जो आपका छहः लाख है इसको ढाई लाख कर दीजिए, मैंने तीन लाख रुपये यहां पर अनाउन्स कर दिया। वे ढाई लाख खुद मुझसे मांग रहे थे, रिटन के अन्दर था। तो जो कंसेशन राज्य सरकार दे सकती थी, वह दिया।

आपने एक बात कही, आर्थिक मंदी का दौर। अब उसके अन्दर आपने स्वयं ने एक बात यहां अपने बजट भाषण के अन्दर कही थी कि स्टेट्स के बीच में कंसेशन वार चल रहा है। मैंने उस दिन भी उसका जवाब दिया था। थोड़ी-बहुत मुझे साल भर के आसपास, 12-13 महीने की इस महकमे की जानकारी है, तो हमने तय किया है। आपने कहा इण्डस्ट्रीज पालिसी में भी सिंगल विण्डो का लेकिन उस सिंगल विण्डो में टीथ नहीं थे। आप वाली के अन्दर—,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तो बहुत बड़े-बड़े दांत हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, बहुत बड़े-बड़े दांत हैं, उसके नतीजे आएंगे। हमने रूल्स आफ बिजनस को चेंज किया है। शायद हिन्दुस्तान के अन्दर, "शायद" शब्द कह रहा हूं, हिन्दुस्तान में पहला प्रान्त है राजस्थान जिसने रूल्स आफ बिजनस को चेंज किया है। अब मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि एक दिन मुख्य मंत्रीजी ने मुझ से पूछा, क्योंकि पहले दिन ही उन्होंने कहा था कि राजस्थान के अन्दर उद्योगपति आने से घबराता है या परेशान होकर भाग जाता है, उनके बात ध्यान में थी, आठ-नौ महीने बाद, शायद छहः महीने हुए हों, सात महीने हुए हों, कि क्या प्रोग्रेस है इण्डस्ट्रीज की? मैंने कहा कि इस हिसाब से तो इण्डस्ट्रीज आनी नहीं है राजस्थान के अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही मैं कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब मुख्य मंत्रीजी ने पूछा मुझसे तो मैंने कहा। वे बोले, क्यों? मैंने कहा कि अपने यहां की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उद्योगपति महीने, दो महीने, चार महीने के बाद स्वयं ही यहां से चला जाता है कि यहां हमको उद्योग नहीं लगाना है तो क्या किया जाए? हम भी आकर उसमें अधिकारियों से विचार-विमर्श करते

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

थे। मैंने कहा आप रूल्स आप बिजनस को चेंज करें कि जो फैसला हो गया, चाहे कलेक्टर लेवल पर हुआ हो, चाहे चीफ-सैक्रेटरी के लेवल के ऊपर हुआ हो या चीफ मिनिस्टर के लेवल के ऊपर हुआ हो, उस फैसले को फिर कोई डिपार्टमैंट एग्जामिन नहीं करेगा। उसके पहले कम्पोजिट एप्लीकेशन फार्म बनाया उनके लिए और कहा गया कि एक सर्टेन टाइम लिमिट के अन्दर उन महकमों को उसकी जरूरत के बारे में जवाब देना पड़ेगा। जो कहना है, हां-ना में दे सकते हैं। पर्यावरण है, रेवेन्यू है, सेल्स टैक्स है, स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पानी है, जो जिसकी जरूरत हो, सारा फार्म तैयार करके दे दिया गया है कि आप जवाब दीजिए। आप जवाब के अन्दर हां-ना कहिये और उसके बाद कमेटी उसको स्वीकार कर लेगी और कह देगी कि आपका उद्योग नहीं लगेगा, आप जाइये। कह देती है अगर नहीं, उसको ओवर रूल कर देती है तो ओवर रूल करने के बाद लाजिमी होगा कि उस उद्योग के अन्दर जो सुविधाएं उसने चाही हैं वे सारी की सारी डिपार्टमैंट्स को उसको देनी पड़ेगी, उसका रिएग्जामिनेशन नहीं हो सकता है। यह बिजनस रूल्स के अन्दर चेंज किया गया है। यह सबसे बड़ा लाभ है और देखिये उसका फर्क पड़ा, 1495 करोड़ के आ गये। एक्सपांशन आये, कुछ नये प्रोजैक्ट्स आये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्सपांशन ही ज्यादा आये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं-नहीं, एक नया भी है। नया भी है पांच सौ करोड़ का। हां, हां, आप...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्यारह सौ करोड़ रुपये का तो एक्सपांशन है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, मैं आपको कह रहा हूं, मैं कोई छुपाता नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छुपाते हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह भी मैं आपसे कहता हूं। वह भी आया लेकिन जो हालत है...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुराने थे उनका...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज एक्सपांशन के नहीं, मेजर इन्वैस्टमैंट हैं 4500 करोड़ रुपये के। अभी हालत सुधरी तब ही तो मकान में एडीशन हुआ, विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हालत आपकी नहीं सुधरी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हालत सुधरी तब ही तो एडीशन हुआ, मकान के अन्दर। माली हालत सुधरी या वातावरण सुधरा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज 4500 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट्स पाइप लाइन में हैं। पाइप लाइन के लिए मैं कहता हूं क्योंकि जब यह योजना जब बंद हुई उसके पहले ही स्टेट्स के अन्दर कंसेशन के ऊपर वार चल रहा था, अनाप-शनाप हर स्टेट कंसेशन दे रही थी। सेल्स टैक्स के अन्दर कंसेशन 21-21 साल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, महाराष्ट्र के अन्दर इंडिका कार को 21 साल का सेल्स टैक्स कंसेशन है। कहीं पर 17 साल का। आपके पास भी हुण्डई वाले आये थे। आप खुद 13 वर्ष का देना चाहते थे, वे शायद 15 या 17 का मांग रहे थे। नहीं हुआ। आपकी कोशिश के अन्दर या आपके एफर्टस में, आपकी नीयत में मैं नहीं कहता, लेकिन आपकी सोच का फर्क था। नोशनल लास, मैंने मुख्य मंत्रीजी को यह कहा कि, साहब, इतना घाटा होगा। जब लगेगी नहीं तो घाटा कहां से होगा? कोई उद्योग आपके स्टेट के अन्दर नहीं लगेगा तो आपको घाटा कहां से होगा? तो आप यही मानकर चलिए कि नहीं लगा, लेकिन आप भूल जाते हैं कि एम्प्लायमैंट कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, सर्विस सैक्टर की बढ़ोतरी कितनी होगी, कितने ट्रक चलेंगे, कितने ढाबे वाले आएंगे, कितने पंक्चर जोड़ने वाले आएंगे। वह भी तो एक रोजगार का साधन है। आपने यहां एक बात कही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो सीधी बात बता दो न कि आपके शासन काल में मल्टीनेशनल का तो कितना इन्वैस्टमैंट हुआ और बाकी के लोगों का कितना इन्वैस्टमैंट हुआ? कहीं रोजगार की व्यवस्था हुई हो तो बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, मल्टीनेशनल कोई नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मल्टीनेशनल यहां कोई नहीं आया। पैप्सी वाले आये हैं, वह भले ही मल्टीनेशनल कह लीजिए या कुछ कह लीजिए। आपने जो कुछ कहा है मुझे, एडमिट किया है। आपके वक्त में आये, हमें तो जुम्मे-जुम्मे आठ साल बाद अभी 14 महीने हुए हैं, तमाशा देखिये आप अभी क्या होता है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट, हर हाथ को काम सारी, राइट टू लिवलीहुड..... (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : 1986 का है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राइट टू लिवलीहुड। आपकी पार्टी ने बहुत पहले हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का नारा दिया था। मुझे याद है आपके मैनिफेस्टो की बात। आपके मैनिफेस्टो की बात मुझे याद है, बहुत जोरों से यह नारा लगा था कि हर हाथ को काम समाजवाद से आपका कोई कोसों वास्ता नहीं है, गांधी समाजवाद का प्रस्ताव पास कर दिया था फरीदाबाद के अन्दर तो आपने। तो आपको जैसा मौका मिलता है, उस मौके के मुताबिक आप बात करते हैं। क्या हुआ आपके उस नारे का? आपका राज आ गया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, सब भूल गये। राजस्थान में लोग अकाल से तबाह हो रहे हैं आप फ्री अनाज ग्रांट में नहीं दे सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके घोषणा-पत्र में अभी ताजा बात है, यह पंचमढ़ी सैशन में आपने क्या तय किया था और उसके विपरीत अब क्यों जा रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको वही कहता हूं न कि आप दूसरों को उपदेश नहीं दिया करें। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे नहीं, आपसे मतलब मैं आपकी राजनीतिक पार्टी के रूप में आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी आपकी पार्टी के लिए ही पूछ रहा हूं कि पंचमढ़ी का जो सैशन अभी छह महीने पहले ही हुआ था, उसके विपरीत आप कार्यवाही क्यों कर रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मामला यहां पर आपने कह दिया, मैं दो-तीन दफे इस सदन के अन्दर कह चुका हूं एक थे वैस्ट जर्मनी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोब्लिन्स था पता नहीं क्या नाम था उसका, वह बार-बार कहता था कि एक असत्य को, मैं झूठ शब्द तो इस सदन में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, अन-पार्लियामैण्ट्री है, लेकिन एक असत्य को सौ बार बोलेंगे तो कुछ लोग तो सही मानेंगे ही। सारे प्रांत में प्रचार किया जा रहा है कि इस सरकार ने नौकरियां बंद कर दीं, एक आदमी को नौकरी नहीं दी। मैंने इस सदन के अन्दर स्वयं कहा है कि इस सरकार के आने के बाद, अशोक गहलोत की सरकार के आने के बाद रफली इकत्तीस हजार से साढ़े इकत्तीस हजार लोगों को रोजगार इस सरकार ने दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजीव-गांधी पाठशालाओं के अलावा बताओ न?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कल तो तीस हजार बताया था। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : और आपने क्या किया आपके वक्त में? हम तो यह जानते नहीं थे, कांट्रैक्ट सिस्टम आपने ही चालू किया था। बाबू तक कांट्रैक्ट पर रखे गये थे। चपरासी कान्ट्रैक्ट पर रखते थे दुनिया में। आपने बाबू भी कान्ट्रैक्ट पर रखे थे कलैक्ट्रेट के अंदर तो। ड्राइवर आपने कान्ट्रैक्ट पर रखे थे। किसको नहीं मालूम है? लेकिन आज जब राज के बाहर हैं तो सारे उपदेश यहां पर दिये जा रहे हैं। दें, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हम प्रदेश के अंदर बेरोजगारी नहीं बढ़ने देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 31 हजार लोगों में कितने कान्ट्रैक्ट पर हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कहता हूं कि इनके अंदर एक आदमी कान्ट्रैक्ट पर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभी कान्ट्रैक्ट्स पर हैं। सभी कान्ट्रैक्ट्स पर हैं क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : नौकरियां नहीं दी गयीं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : They are not on contract. कान्ट्रैक्ट्स के ऊपर यह है, आप किसी कान्ट्रैक्ट के थ्रू लोगों को लगाते हैं......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप 1200 रुपये मानदेय दे रहे हैं। राजीव गांधी पाठशाला में 1200 रुपये मानदेय दे रहे हैं आप नौकरी पर नहीं हैं वे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मानदेय ठीक है। आपकी तरह नहीं कि आपने कान्ट्रैक्टर्स के थ्रू लोगों को लगाया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को आज अगर नहीं कहते तो मैं इस बात की चर्चा भी नहीं करता।

अब यहां पर एक्साइज की बात बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। आपकी बड़ी कृपा हो, क्योंकि समय काफी हो गया है, परसों एक बिल आएगा एक्साइज का, आर्डिनेंस को रिप्लेस करेंगे, अगर आप चाहें तो मैं विस्तार से सारी इन्फोर्मेशन ले आऊंगा। आज मैं इन्फोर्मेशन लाया नहीं हूं, मैं आपको उस रोज दे दूंगा, यह मैं आपको एश्योर करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जो उन्होंने सुझाव दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000 को पारित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। श्री प्रद्युम्न सिंह, प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-3) को पारित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। बड़ी मुझसे भूल हो जाती। अगर, आप सबकी आज्ञा हो तो कह दें नहीं तो कल मुझे थोड़ी-सी प्राब्लम आ जाएगी। I am announcing certain concessions. जो टैक्नीशियन प्रपोजल्स थे, उनमें कुछ सुधार के रूप में लोगों के सुझाव आये थे, क्योंकि अभी आपने रखा नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो, सदन की आज्ञा से I think I can do.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल करना। (व्यवधान) फाइनेंस मिनिस्टर कह दें, इस तरह तो हम सवाल ही नहीं कर पाएंगे। थर्ड रीडिंग चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें क्या तकलीफ है, कहने दें। हां, आप बोलिए, माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है देखिए, कल बहुत से सर्टिफिकेट...(व्यवधान) दिनांक 30 मार्च, 2000 को दिये गये बजट भाषण के पश्चात् मुझे विभिन्न व्यापारिक व उद्योग संगठनों के कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए। इन प्रतिवेदनों पर विचार के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये जाने प्रस्तावित हैं:—

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(1) सिनेमा गृहों द्वारा मनोरंजन कर की वंचना रोकने के उद्देश्य से मनोरंजन कर की देयता की न्यूनतम सीमा सीटों की संख्या के 25 प्रतिशत के आधार पर तय की गयी थी। इस प्रावधान से उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित है कि न्यूनतम सीमा सीटों की संख्या 25 प्रतिशत पर रखने के स्थान पर राज्य सरकार को ये शक्तियां प्रदत्त कर दी जाएं कि वह विभिन्न शहरों के लिए यथासंभव अलग-अलग न्यूनतम सीमा तय कर सके।

(2) होटलों पर विलासिता कर के संबंध में यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है कि विलासिता कर (लग्जरी टैक्स) को लागू करने के लिए निर्धारित किराये की सीमा को 1200 रुपये प्रतिदिन से कम कर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया जाए। अब यह प्रस्तावित है कि इस सीमा को 500 रुपये के स्थान पर 750 रुपये कर दिया जाए।

(3) राजस्थान बिक्री कर नियमों के नियम 41 (1) के अन्तर्गत कर चुके माल (टैक्स पैड) उसके संबंध में एक नये घोषणा-पत्र की अनिवार्यता की गयी थी। इस घोषणा-पत्र से उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए इस घोषणा-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जा रहा है। इसमें पीछे लिखने की बात है।

(4) राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत अपील दायर करने से पूर्व निर्धारित कर की 40 प्रतिशत राशि जमा करवाने की अनिवार्यता की गयी थी। इस सीमा को 40 प्रतिशत से कम कर अब 15 प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रपत्र 18 ए, 18 सी के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इन पर विचार करने के पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

(i) रेडीमेड कपड़े, हल्दी, सौंफ, मेथी, अजवायन, इमली, सौंठ प्लांट्स एवं वेजीटेबल आफ मेडिसिन वैल्यू तथा वाहनों के विनिर्माण में काम में आने वाले पुर्जों पर प्रपत्र 18 ए की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए।

(ii) सीमेंट, केमिकल, फर्टीलाइजर केमिकल, मोटर वाहन तथा टायर ट्यूब पर 18 सी की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। प्रपत्र 18 एए को समाप्त कर दिया जाए।

(6) कुछ वर्षों पहले हैण्ड प्रोसेस्ड क्लाथ के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गयी थी जिसके अनुसार हैण्ड प्रोसेस्ड क्लाथ पर बिक्री कर में माफी तभी मिलती है जबकि यह सबूत पेश किया जाए। इस प्रकार के हैण्ड प्रोसेस्ड क्लाथ पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी दे दी गयी है। अब हैण्ड प्रोसेस्ड क्लाथ पर बिक्री कर की देयता बिना किसी शर्त के साथ समाप्त की जा रही है।

(7) हस्तनिर्मित माचिस पर लागू बिक्री कर की दर को 4 प्रतिशत से कम कर 2 प्रतिशत किया जा रहा है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(8) हस्तनिर्मित स्थानीय वाद्य यंत्र (इंडिजिनस हैण्ड मेड म्यूजिकल इंस्टुमैंट) पर लागू कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जा रहा है तथा अन्य वाद्य यंत्रों जिनमें इलैक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्टुमैंट भी शामिल है, पर बिक्री कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया जा रहा है।

(9) साड़ी फाल को पूर्णतः कर मुक्त किया जा रहा है।

(10) किसानों के हित में यह व्यवस्था की जा रही है कि अधिग्रहित कृषि भूमि (एक्वायर्ड एग्रीकल्चर लैण्ड) की एवज में मिलने वाले मुआवजे की रकम से यदि 6 माह के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि खरीदी जाती है तो ऐसी खरीद में देय स्टाम्प ड्यूटी की दर को 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब जो बजट एस्टीमेट की रेवेन्यू है, कहो उनमें कितनी कमी होगी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसके संबंध में जो भी हैं, कल नोटिफिकेशन जारी कर दिये जाएंगे। (व्यवधान) कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कुल कितने करोड़ रुपये की छूट दी है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कल फाइनेंस बिल आ रहा है, मैं कल आपको बता दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कल ही बता देंगे तो आज बताने की क्या जरूरत थी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी तैयारी ही नहीं है। पता ही नहीं है आपको।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000 को पारित किया गया। चिकित्सा मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर स्थित जनाना अस्पताल में भर्ती मरीजा व उसकी परिचारिका के साथ एक पुरुष डाक्टर द्वारा की गयी बदसलूकी

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जनाना हास्पिटल में श्रीमती सुल्ताना जो एडमिट हुई थी, उसके बारे में चिकित्सक के छेड़छाड़ की बात को उठाया गया। इस संदर्भ में मैं यह स्टेटमैंट देना चाहता हूं, जो स्थिति है।

मरीज श्रीमती सुल्ताना दिनांक 21.4.2000 को सैप्टिक लेबर रूम में रात्रि के समय 9.15 बजे आउट डोर के इमरजेंसी के डाक्टर संतोष अग्रवाल द्वारा भर्ती होकर आयी थी। इमरजेंसी में अन्दर डा. संतोष ने मरीज को पूरी तरह से देखा

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

जिसे तीन महीने के गर्भ के साथ पेट दर्द की शिकायत थी। एस.एल.आर. में सवा नौ बजे सिस्टर बीना द्वारा काल भेजने पर एस.एल.आर. देख रहे डा. बी.एल.सोनी ने जाकर मरीज को देखा और आवश्यक इलाज चालू किया। एस.एल.आर. में जहां लगातार सिस्टर व बाई रहती है तथा बार-बार लेबर रूम से डा. जाते हैं, चार शैय्याओं पर सभी पर मरीज और एक महिला परिचारिका उसके साथ रात भर जाग रही थीं। मरीज सुल्ताना को उसी कक्ष में रखा गया था और उसके साथ उसकी भाभी श्रीमती अनीसा थी। उस रात प्रभारी चिकित्सक के अतिरिक्त अन्य डा. राजेन्द्र व डा. मीनू ने जाकर मरीज को संभाला। इस बीच डाक्टर सोनी ने अन्य गम्भीर मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जो उसी कक्ष में थे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त मरीज सुल्ताना के पास एक पुरुष और एक महिला रिश्तेदार बैठे थे जिनमें डाक्टर सोनी ने पुरुष रिश्तेदार को बाहर जाने को कहा और सिस्टर को डांटा कि जब मेल लेबर रूम में नहीं आ सकता तो क्यों आने दिया? उसके बाद जब विमला नाम की अधिक गम्भीर मरीज सुबह साढ़े छह बजे के करीब आयी तो सुल्ताना की हालत तुलनात्मक ठीक होने के कारण उसे सैप्टिक मैटरनल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जो सामान्य प्रक्रिया है। उस समय तीन अन्य बिस्तरों पर गम्भीर मरीज व उनके रिश्तेदार मौजूद थे। डाक्टर सोनी ने सुबह 6.50 बजे शिफ्ट के आदेश डाल कर विमला वाली ट्राली व बाई द्वारा ही एस.एम.डब्ल्यू.-6 वार्ड में शिफ्ट करने के आदेश दिये। सुबह आठ बजे डाक्टर नीलम भारद्वाज ने मरीज को एस.एम.डब्ल्यू.-6 वार्ड में देखा और वे आपरेशन थियेटर चली गयीं।

22.4.2000 को सुबह 11.30 बजे यूनिट पांच की प्रभारी डाक्टर वीणा आचार्य ने मरीज को देखा। उस समय उसके पेट में दर्द काफी कम था परन्तु मरीज मुंह से कुछ खाना-पीना पसंद नहीं कर रही थी। इसलिए आई.वी.फ्लूड के आदेश दिये गये, जो तुरन्त शुरू कर दिये गये। शाम साढ़े पांच बजे वार्ड डाक्टर ने मरीज को देखा और मरीज की हालत सही थी परन्तु वो बार-बार दर्द की शिकायत कर रही थी। रात्रि 12.30 ए.एम. को 23.4.2000, जो तारीख चेंज हो गयी, मरीज ने पेट में फिर दर्द की शिकायत की। उसको दर्द रोकने का उपचार किया गया और तुरन्त फिजीशियन और सोनोलोजिस्ट को जनाना बुलाया गया। उन्होंने उसकी जांच की व सोनोग्राफी करवायी। रात को एक बजे, दो बजे और सुबह 6.30 बजे मरीज पर जांच करते हुए इकाई प्रभारी को सूचना दी गयी। रातभर उसकी नाड़ी, ब्लड प्रैशर वगैरह सामान्य थे। रात्रि को डाक्टर सुधीर मेहता ने मरीज को देखा, थोड़े दर्द के अतिरिक्त मरीज को सामान्य पाया। कुछ जांचें लिख दीं जिससे कि मरीज की बीमारी और दर्द का पता लगाया जा सके।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

दिनांक 22.4.2000 को अधीक्षक, जनाना अस्पताल को अपने कार्यालय में श्रीमती सुल्ताना के रिश्तेदारों नें आकर शिकायत की कि सुल्ताना व उसकी भाभी, श्रीमती अनीसा के साथ रात्रि में एक डाक्टर द्वारा छेड़खानी व दुर्व्यवहार किया गया। अधीक्षक, जनाना अस्पताल ने इस सम्बन्ध में रिश्तेदार को धैर्यपूर्वक सुनने के पश्चात् यह निवेदन किया कि उक्त शिकायत को लिखित में दे दिया जाए जिससे कि नियमानुसार प्रकरण की जांच करवायी जा सके। सम्बन्धित पक्ष से लिखित में शिकायत प्राप्त नहीं होने पर अधीक्षक, जनाना अस्पताल, डाक्टर अंजु टाली ने पुनः ढाई बजे उन लोगों को अपने कक्ष में सुना। मरीज के सम्बन्धी व अलादीन वकील लिखित में शिकायत देने हेतु तैयार नहीं हुए व यह मांग की कि सम्बन्धित डाक्टर को वहीं बुलाया जाए। स्थिति उग्र होते हुए देख अधीक्षक, जनाना अस्पताल ने उन्हें पुनः निर्देशित किया कि वे लिखित में शिकायत दें अन्यथा उनका उग्र प्रदर्शन देखते हुए स्थिति नियंत्रण में रखने हेतु पुलिस को बुलाना आवश्यक हो सकता है। इस पर सम्बन्धियों द्वारा उग्र प्रदर्शन हेतु माफी मांग ली गयी व लिखित में शिकायत देने का आश्वासन दे कर वे वहां से चले गये।

अधीक्षक द्वारा प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह अस्पताल से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। शाम सात बजे उक्त सूचना डाक्टर धारकर को दी गयी। अधीक्षिका द्वारा मौखिक सूचना के आधार पर यूनिट हैड से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गयी। डाक्टर धारकर व अतिरिक्त प्रधानाचार्य ने रात्रि में अस्पताल आकर स्थिति का जायजा लिया। उसी रात्रि को सम्बन्धित पक्ष ने थाना सिंधी कैम्प में इस प्रकरण के संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

यह रिपोर्ट किसी व्यक्ति विशेष के नाम से दर्ज नहीं थी। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए रिपोर्ट पर मुकदमा 98/2000 धारा 354 भारतीय दंड संहिता दिनांक 22.4.2000 को पंजीबद्ध किया गया तथा तफ्तीश शुरू की गयी। घटना स्थल का निरीक्षण किया जा कर गवाहों के बयान लिये गये तथा डाक्टर राजेन्द्र शर्मा के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध अन्तर्गत धारा 354, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता प्रमाणित पाया गया व डाक्टर राजेन्द्र शर्मा को हिरासत में लिया गया।

अभियुक्त ने दौराने अनुसंधान अपनी जमानत व मुचलके प्रस्तुत किये जिस पर उसे आजाद किया गया।

इस प्रकरण में अधीक्षक, जनाना अस्पताल ने अपनी प्रारम्भ की जांच रिपोर्ट दिनांक 24.4.2000 को विभाग को प्रस्तुत की। रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षक ने यह निवेदन किया है कि उपरोक्त घटना के कोई साक्षी व चश्मदीद गवाह नहीं हैं। प्रकरण सुबह सात बजे के लगभग का है व घटनास्थल एक सार्वजनिक जगह है। इन परिस्थितियों में डाक्टर शर्मा को सीधे तौर पर दोषी ठहराना मुश्किल है, परन्तु यह भी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

सही है कि चूंकि श्रीमती सुल्ताना और श्रीमती अनीसा प्रथम बार जनाना अस्पताल में इलाज हेतु आयी थीं व ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिससे यह शक किया जाए कि वे उक्त डाक्टर के विरुद्ध झूठी शिकायत करेंगी। दोनों महिलाओं ने निरन्तर एक ही डाक्टर के विरुद्ध शिकायत की है जबकि वे उसका नाम तक नहीं जानती हैं। डाक्टर राजेन्द्र शर्मा का चरित्र दाग रहित है परन्तु इस प्रकरण में डाक्टर शर्मा ने माना है कि उन्होंने श्रीमती अनीसा को बैंच पर बिटाया व दिलासा देने की कोशिश की तथा हाथ पर हाथ रखा। प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा जांच समिति गठित की जा चुकी है। प्रशासनिक विभाग ने इस सम्बन्ध में डाक्टर शर्मा के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण व विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण उन्हें तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

23.4.2000 को सुबह साढ़े ग्यारह बजे डाक्टर कासलीवाल ने आकर मरीज की जांच की, पुरानी जांचों को देखा तथा स्वयं ने पुनः सोनोग्राफी करायी जो डाक्टर टी. सी. जैन साहब ने की। सोनोग्राफी में पाया गया कि तीन माह के गर्भ के कारण उसे कोई परेशानी नहीं है लिहाजा अन्य जांचों व इलाज के लिए व अपने पास देखभाल के लिए थ्री सी वार्ड, एस.एम.एस. में शिफ्ट करने हेतु राय दी जिसकी पालना में एम्बुलेंस द्वारा इकाई पांच की रेजिडेंट डाक्टर अदिति के साथ मरीज को थ्री सी वार्ड में चिकित्सक को संभलाया गया। वर्तमान में मरीज एस.एम.एस. अस्पताल के सर्जरी तीन वार्ड में डाक्टर कासलीवाल के इलाज में है व उसे मनोवैज्ञानिक उपचार भी दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं हास्पिटल में जाकर मरीज के पिता से, उसके भाई से मिल कर आया हूं और उन्होंने मुझे यह कहा है कि हमारा यहां पर पूर्णतया इलाज हो रहा है, हमारे को यहां कोई तरह की तकलीफ नहीं है, हम चाहते हैं हमारी बच्ची ठीक हो जाए। धन्यवाद।

श्री भंवरू खान : मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.26 बजे मंगलवार, दिनांक 25.4.2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-286 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

दिनांक 1 जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक हिरणों के शिकार प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	दर्ज अ.	चालान	एफ.आर-अदमपता	एफ.आर. अदमवकू	पेंडिंग	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	—	—	—	—	—	—
2.	भीलवाड़ा	—	—	—	—	—	—
3.	नागौर	5	3	1	1	—	—
4.	जयपुर शहर (उत्तर)	—	—	—	—	—	—
5.	जयपुर शहर (दक्षिण)	—	—	—	—		
6.	जयपुर (ग्रामीण)	—	—	—	—	—	—
7.	झुंझुनूं	—	—	—	—	—	—
8.	सीकर	1	1	—	—	—	—
9.	टोंक	—	—	—	—	—	—
10.	दौसा	—	—	—	—	—	—
11.	बीकानेर	19	17	2	—	—	—
12.	चूरू	3	2		—	1	—
13.	गंगानगर	13	7	1	5	—	—
14.	हनुमानगढ़	4	2	2	—	—	—
15.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—
16.	अलवर	—	—	—	—	—	—
17.	सवाईमाधोपुर	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	धौलपुर	—	—	—	—	—	—
19.	करौली	—	—	—	—	—	—
20.	जोधपुर (शहर)	—	—	—	—	—	—
21.	जोधपुर (ग्रामीण)	7	4	2	1	—	—
22.	जालौर	1	1	—	—	—	—
23.	जैसलमेर	7	6	—	1	—	—
24.	बाड़मेर	6	5	—	1	—	—
25.	पाली	2	1	—	1	—	—
26.	सिरोही	—	—	—	—	—	—
27.	कोटा (शहर)	1	1	—	—	—	—
28.	कोटा (ग्रामीण)	—	—	—	—	—	—
29.	बून्दी	—	—	—	—	—	—
30.	झालावाड़	—	—	—	—	—	—
31.	बारां	—	—	—	—	—	—
32.	उदयपुर	—	—	—	—	—	—
33.	बांसवाड़ा	—	—	—	—	—	—
34.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	—	—
35.	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	—
36.	राजसमंद	—	—	—	—	—	—
37.	जी.आर.पी. (अजमेर/जोधपुर)	—	—	—	—	—	—
	योग	69	50	8	10	1	—

परिशिष्ट-"ख"

दिनांक 1 जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक मौरों के शिकार प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	दर्ज अ.	चालान	एफ.आर.- अदम पता	एफ.आर. अदम वकू	पेंडिंग	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	1	—	—	1	—	2 अभि. में इस्तगासा
2.	भीलवाड़ा	2	2	—	—	—	—
3.	नागौर	12	9	3	—	—	—
4.	जयपुर शहर (उत्तर)	—	—	—	—	—	—
5.	जयपुर शहर (दक्षिण)	1	1	—	—		
6.	जयपुर (ग्रामीण)	1	1	—	—	—	1 अभि. में इस्तगासा
7.	झुंझुनूं	—	—	—	—	—	—
8.	सीकर	—	—	—	—	—	—
9.	टोंक	—	—	—	—	—	4 अभि. में इस्तगासा
10.	दौसा	—	—	—	—	—	—
11.	बीकानेर	—	—	—	—	—	—
12.	चूरू	3	2	—	1	—	—
13.	गंगानगर	—	—	—	—	—	—
14.	हनुमानगढ़	—	—	—	—	—	—
15.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—
16.	अलवर	1	1	—	—	—	—
17.	सवाईमाधोपुर	5	5	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	धौलपुर	1	1	—	—	—	—
19.	करौली	—	—	—	—	—	—
20.	जोधपुर (शहर)	1	1	—	—	—	—
21.	जोधपुर (ग्रामीण)	3	2	—	1	—	—
22.	जालौर	—	—	—	—	—	—
23.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—
24.	बाड़मेर	—	—	—	—	—	—
25.	पाली	1	1	—	—	—	—
26.	सिरोही	—	—	—	—	—	—
27.	कोटा (शहर)	—	—	—	—	—	—
28.	कोटा (ग्रामीण)	1	1	—	—	—	—
29.	बून्दी	5	5	—	—	—	—
30.	झालावाड़	2	2	—	—	—	—
31.	बारां	1	1	—	—	—	—
32.	उदयपुर	—	—	—	—	—	—
33.	बांसवाड़ा	—	—	—	—	—	—
34.	चित्तौड़गढ़	4	3	1	—	—	—
35.	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	—
36.	राजसमंद	1	1	—	—	—	—
37.	जी.आर.पी. (अजमेर/जोधपुर)	—	—	—	—	—	—
	योग	46	39	4	3	—	7 इस्तगासा

परिशिष्ट-"ग"

वन विभाग द्वारा दर्ज मोर एवं हिरण के शिकार संबंधी मुकदमों का जिलेवार व माहवार विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	माह	दर्ज प्रकरणों की संख्या	हिरण	मोर	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	अलवर	जनवरी, 99	1	हिरण		कोर्ट चालान
		फरवरी, 99	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
		मार्च, 99	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
		नवम्बर, 99	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
		दिसम्बर, 99	4	हिरण-2	मोर-2	हिरण संबंधी 2 व मोर संबंधी 1 मुकदमा विभाग में जांच अधिन, एक मुकदमा कोर्ट चालान
		जनवरी, 2000	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
		फरवरी, 2000	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
2.	बारां	जनवरी, 99	1		मोर	कोर्ट चालान
		फरवरी, 2000	1	हिरण		अन्तिम रिपोर्ट
3.	बून्दी	अप्रेल, 99	1		मोर	मामला विभाग में जांच अधिन
4.	बाड़मेर	अक्टूबर, 99	1		मोर	कोर्ट चालान
5.	बीकानेर	जुलाई, 99	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
		सितम्बर, 99	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
6.	चित्तौड़गढ़	दिसम्बर, 99	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
7.	चूरू	अक्टूबर, 99	1		मोर-1	एक मुकदमा मोर संबंधि विभाग में जांच अधिन
8.	गंगानगर	जून, 99	1	हिरण		एक मुकदमा कोर्ट चालान
		अक्टूबर, 99	1	हिरण		कोर्ट चालान

1	2	3	4	5	6	7
9.	जोधपुर	मार्च, 99	4	हिरण-3	मोर-1	हिरण के एक मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट, 2 मुकदमें हिरण के विभाग में जांच अधिन, एक मुकदमा मोर का विभाग में जांच अधिन
		अप्रेल, 99	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
		मई, 99	2	हिरण-1	मोर-1	दोनों मुकदमे विभाग में जांच अधिन
		जून, 99	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
		जुलाई, 99	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
		अगस्त, 99	4	हिरण-4		हिरण संबंधि 4 मुकदमें विभाग में जांच अधिन
		सितम्बर, 99	3	हिरण		3 मुकदमे विभाग में जांच अधिन
		अक्टूबर, 99	1	हिरण		1 मुकदमा विभाग में जांच अधिन
		नवम्बर, 99	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
		दिसम्बर, 99	2	हिरण		विभाग में जांच अधिन
10.	कोटा	जून, 99	1	हिरण		विभाग में जांच अधिन
		अगस्त, 99	1	हिरण		कोर्ट चालान
11.	सवाई माधोपुर	जनवरी, 99	1		मोर	विभाग में जांच अधिन
		जुलाई, 99	1		मोर	कोर्ट चालान
		अगस्त, 99	2		मोर	कोर्ट चालान
		नवम्बर, 99	1		मोर	विभाग में जांच अधिन
12.	उदयपुर	सितम्बर, 99	1		मोर	विभाग में जांच अधिन

परिशिष्ट-2
(तारांकित प्रश्न संख्या-504 की सूचना)

क्र. सं.	अदालत का नाम	कार्यरत अध्यक्ष/ सदस्य का नाम	नाम पद	कार्यरत दिनांक
1	2	3	4	5
1.	राज्य आयोग	न्यायाधिपति जे. आर. चौपड़ा	अध्यक्ष	1.5.99
		श्री रतन प्रकाश	सदस्य	15.9.99
2.	जिला मंच, अजमेर	श्री हरिसिंह य. असनानी	अध्यक्ष	23.12.99
3.	जिला मंच, अलवर	श्री राधेश्याम गुप्ता	अध्यक्ष	10.1.2000
		श्रीमती शशि तिवाड़ी	म. सदस्य	17.7.96
4.	जिला मंच, बाड़मेर	श्री दिलीप पालीवाल	सदस्य	3.3.97
		सुश्री राजश्री व्यास	म. सदस्य	27.2.97
5.	जिला मंच, बारां	श्री कमलेश चौरसिया	सदस्य	1.3.97
		श्रीमती गिरजेश्वरी श्रृंगी	म. सदस्य	6.4.98
6.	जिला मंच, बांसवाड़ा	श्री ए.पी. सोलंकी	अध्यक्ष	कार्य ग्रहण नहीं किया
		श्री अजीत भाई	सदस्य	22.9.97
		श्रीमती फूलकंवर जैन	म. सदस्य	1.6.96
7.	जिला मंच, भरतपुर	श्री रामनारायण सिंह	अध्यक्ष	17.11.99
		श्रीमती मंजू चतुर्वेदी	म. सदस्य	24.2.96
8.	जिला मंच, भीलवाड़ा	श्री देवबक्श रेगर	अध्यक्ष	6.12.99
		श्री अशोक शिशोदिया	सदस्य	1.3.97
		श्रीमती अलका पुरोहित	म. सदस्य	1.3.97
9.	जिला मंच, बीकानेर	श्री जितेन्द्र सिंह यादव,	अध्यक्ष	4.9.95
		श्री अशोक कुमार सिंह	सदस्य	17.12.98
		नोटः—त्यागपत्र प्राप्त, स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।		
		श्रीमती दुर्गावती पाण्डे	म.सदस्य	24.6.95
10.	जिला मंच, बूंदी	श्री विमल कुमार जैन	अध्यक्ष	16.5.98
		श्री राजेन्द्र कुमार जैन	सदस्य	22.9.99
		श्रीमती मीनू शर्मा	म.सदस्य	7.2.96
11.	जिला मंच, चित्तौड़गढ़	श्री मोहनलाल टेलर	अध्यक्ष	13.12.99
		श्री भागीरथ जोशी	सदस्य	13.3.97
		श्रीमती विमला जैन (सोठिया)	म. सदस्य	4.3.97

1	2	3	4	5
12.	जिला मंच, चूरू	श्री नानगराम डूडी	सदस्य	30.4.96
		श्रीमती रंजना भारद्वाज	म.सदस्य	8.4.96
13.	जिला मंच, दौसा	श्री जगतपाल सिंह	अध्यक्ष	22.1.2000
		श्री महेश कुमार गुप्ता	सदस्य	25.2.97
		श्रीमती मंजू लड्ढा	म.सदस्य	5.1.96
14.	जिला मंच, धौलपुर	श्री बाबूसिंह	अध्यक्ष	12.1.2000
		श्री अशोक ठाकौर	सदस्य	31.3.98
		श्रीमती उपदेश प्रधान	म.सदस्य	4.6.96
15.	जिला मंच, डूंगरपुर	श्री नानालाल	सदस्य	22.9.99
		श्रीमती अनिता पुरोहित	म. सदस्य	24.7.98
16.	जिला मंच, गंगानगर	श्री सोहनराम मेघवंशी	अध्यक्ष	1.3.96
		श्रीमती संतोष चौधरी	म. सदस्य	7.6.96
17.	जिला मंच, जयपुर-प्रथम	श्री नन्दलाल छंगाणी	अध्यक्ष	10.3.98
		श्री पुखराज सालेचा	सदस्य	16.9.99
		श्रीमती पुष्पा अग्रवाल	म. सदस्य	31.5.96
18.	जिला मंच, जयपुर-द्वितीय	श्री गणपत सिंह भण्डारी	अध्यक्ष	16.11.99
19.	जिला मंच, जैसलमेर	श्री दामोदर मिश्रा	अध्यक्ष	कार्य ग्रहण नहीं किया
		श्री बालसिंह भाटी	सदस्य	1.4.98
		श्रीमती रामेश्वरी पुरोहित	म. सदस्य	2.4.98
20.	जिला मंच, जालौर	श्री नरेन्द्र कुमार विश्नोई	सदस्य	30.9.99
		श्रीमती पुष्पलता बंसल	म. सदस्य	28.2.97
21.	जिला मंच, झालावाड़	श्री राधेश्याम अग्रवाल	सदस्य	10.6.96
		श्रीमती शोभा गुप्ता	म. सदस्य	24.6.95
22.	जिला मंच, झुंझुनूं	श्री सुवालाल सिंर्वा	अध्यक्ष	5.8.98
		श्री लक्ष्मण सिंह प्रेमी	सदस्य	1.3.97
		किरण पुरोहित	म. सदस्य	12.6.96
23.	जिला मंच, जोधपुर	श्री सम्पतराज शर्मा	अध्यक्ष	16.11.99
		श्रीमती कान्ता सोड़ा	म.सदस्य	6.2.96
24.	जिला कोटा	श्री उस्मान अली	अध्यक्ष	कार्य ग्रहण नहीं किया
		श्री सुरेश कुमार अग्रवाल	सदस्य	21.8.96
		श्रीमती राजकुमारी जैन	म. सदस्य	18.7.95

1	2	3	4	5
25.	जिला मंच, नागौर	श्री नरेशचन्द्र रावत	अध्यक्ष	18.3.96
		श्री रामचन्द्र कुडी	सदस्य	22.2.97
		श्रीमती राजलक्ष्मी आचार्य	म. सदस्य	24.2.97
26.	जिला मंच, पाली	श्री शंकर लाल जैन	अध्यक्ष	17.11.99
		श्री नोतामल	सदस्य	17.7.96
		श्रीमती पुष्पा शर्मा	म. सदस्य	27.7.96
27.	ज़िला मंच, राजसमन्द	श्री बाबूलाल गोयल	अध्यक्ष	15.4.98
		श्री सरवर खां	सदस्य	20.9.99
		श्रीमती मालती रानी शर्मा	म. सदस्य	2.4.98
28.	जिला मंच, सीकर	श्री राजेन्द्रसिंह (प्रथम)	अध्यक्ष	16.11.99
		श्रीमती इन्द्रा चौधरी	म. सदस्य	17.7.96
29.	जिला मंच, सवाईमाधोपुर	श्री मोहन कुमार शर्मा	अध्यक्ष	18.12.99
		श्री चन्द्र केतु बेनीवाल	सदस्य	24.7.96
		श्रीमती प्रभा खण्डेलवाल	म. सदस्य	17.7.96
30.	जिला मंच, सिरोही	श्री जी.एस. गहलोत	अध्यक्ष	4.12.99
		श्रीमती कमललता सिंधी	म. सदस्य	6.3.96
31.	जिला मंच, टौंक	डा. पदमकुमार जैन	अध्यक्ष	5.9.98
		श्री आनन्दकुमार गोयल	सदस्य	12.3.97
		श्रीमती विमला कोठारी	म. सदस्य	18.7.96
33.	जिला मंच, उदयपुर	श्रीमती सरोज जैन	म. सदस्य	3.10.98
34.	जिला मंच, हनुमानगढ़	श्री धनराज गुप्ता	अध्यक्ष	24.1.2000
		श्री ख्यालीराम	सदस्य	18.10.95
		श्रीमती सुशीला हिसारिया	म. सदस्य	20.10.95
35.	जिला मंच, करौली	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	अध्यक्ष	4.12.97
		श्री दरबसिंह फागना	सदस्य	18.9.99
		श्रीमती रामभरोसी देवी	म. सदस्य	18.9.99

भाग-2 का विवरण

क्र.सं.	नाम अदालत	रिक्त पद का नाम	पद रिक्ति की तिथि
1.	राज्य आयोग	1. महिला सदस्य	18.4.99
2.	जिला मंच, अजमेर	1. सदस्य	2.12.99
		2. महिला सदस्य	7.11.99
3.	जिला मंच, अलवर	1. सदस्य	31.10.98 से त्यागपत्र स्वीकृत
4.	जिला मंच, भरतपुर	1. सदस्य	1.10.97 से त्यागपत्र स्वीकृत
5.	जिला मंच, चूरू	1. अध्यक्ष	नोट (2) में विवरण अंकित है
6.	जिला मंच, श्रीगंगानगर	1. सदस्य	3.3.2000
7.	जिला मंच, जयपुर-II	१. सदस्य	29.3.2000
		2. महिला सदस्य	27.3.2000
8.	जिला मंच, जोधपुर	1. सदस्य	9.5.98
9.	जिला मंच, सीकर	1. सदस्य	6.2.96
10.	जिला मंच, सिरोही	1. सदस्य	8.2.2000 से त्यागपत्र स्वीकृत
11.	जिला मंच, उदयपुर	1. अध्यक्ष	नोट (2) में विवरण अंकित है
		2. सदस्य	8.11.99

नोट: — (1) जिला मंच, बारां, जालौर, झालावाड़ एवं डूंगरपुर में प्रकरणों की संख्या 150 से कम होने के कारण राज्य सरकार ने इन जिला मंचों में पूर्णकालिक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं किये जाने का निर्णय लिया है। बाड़मेर में भी अक्टूबर, 1999 तक प्रकरणों की संख्या-150 व इनसे कम रहने के कारण यहां भी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं लगाने का फैसला किया गया। इन जिला मंचों के अध्यक्ष का कार्य जिले के जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

(2) जिला मंच, उदयपुर एवं चूरू में अध्यक्ष के पद पर क्रमशः सर्वश्री भीम सैन लखेरा, आर.एच.जे.एस. एवं कैलाश चन्द जैन, आर.एच.जे.एस. को दिनांक 15.11.99 को जारी अधिसूचना से नियुक्त किया गया था। लेकिन इन दोनों अधिकारियों द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के पद पर अपनी उपस्थिति के लिए असमर्थता प्रकट करने के कारण इनके नियुक्ति आदेश दिनांक 30.11.99 एवं 21.2.2000 को निरस्त किये गये।

(3) सभी रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। चयन प्रक्रिया जारी है।

भाग-3 का विवरण

दिनांक 29.2.2000 को जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण में विचाराधीन प्रकरणों की वर्षवार संख्या

क्र. सं.	नाम जिला मंच	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अजमेर	—	—	—	—	—	—	2	15	179	371	79	646
2.	अलवर	—	—	—	—	3	1	15	99	398	416	21	953
3.	बांसवाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	19	111	154	6	290
4.	बाड़मेर	—	—	1	—	—	—	—	2	33	89	34	159
5.	बून्दी	—	—	—	—	—	—	—	1	1	50	44	96
6.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—	34	110	256	409	104	913
7.	भीलवाड़ा	—	—	—	—	—	—	1	27	121	297	11	457
8.	बीकानेर	—	—	—	—	—	—	—	—	5	214	52	271
9.	बारां	—	—	—	—	—	—	—	—	8	115	11	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	चूरू	—	—	—	—	—	—	6	46	111	256	43	462
11.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	7	5	—	2	8	173	40	235
12.	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	1	7	32	46	47	8	141
13.	धौलपुर	—	—	—	—	—	2	—	4	34	85	36	161
14.	दौसा	—	—	—	—	—	—	—	8	65	334	23	430
15.	हनुमानगढ़	—	—	—	—	—	—	17	56	137	193	16	419
16.	जयपुर (प्रथम)	—	—	—	—	—	2	30	51	1241	310	40	1674
17.	जयपुर (द्वितीय)	—	—	—	—	49	10	391	484	904	1504	114	3456
18.	जोधपुर	—	1	—	1	—	2	2	56	277	304	64	447
19.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	1	2	132	31	15	181
20.	जालौर	—	—	—	—	1	1	1	1	32	64	3	109
21.	झालावाड़	—	—	—	—	—	2	—	7	75	75	—	159
22.	झुन्झुनूं	—	—	—	—	—	—	—	17	25	319	42	403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	कोटा	—	—	2	1	5	11	15	125	372	517	22	1070
24.	नागौर	—	—	—	1	6	11	1	8	13	81	10	121
25.	पाली	—	—	—	1	1	5	20	236	205	165	39	672
26.	राजसमन्द	—	—	—	—	—	—	—	5	14	45	13	77
27.	सीकर	—	—	—	—	—	—	1	9	68	429	30	537
28.	सवाईमाधोपुर	—	—	1	—	2	34	9	49	57	306	10	468
29.	सिरोही	—	—	—	—	—	—	—	—	107	144	27	278
30.	श्रीगंगानगर	—	—	—	1	—	1	1	10	43	374	54	484
31.	टोंक	—	—	—	—	—	—	—	—	99	132	24	255
32.	उदयपुर	—	—	—	—	—	—	3	84	171	520	106	884
33.	करौली	—	—	—	—	—	—	—	—	179	108	16	303
34.	राज्य आयोग	—	—	1	4	1469	1897	2267	2701	2212	1960	66	12577

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

झालावाड़ शहर की पुनर्गठित जल योजना

505. श्री मोहन लाल राठौर (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झालावाड़ शहर हेतु 540 लाख रुपये की एक नई पुनर्गठित जल योजना राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है?

(2) क्या उक्त जल योजना की स्वीकृत कर दी गई है? यदि हां, तो इसका कार्य कब शुरू करा दिया जावेगा?

(3) उक्त योजना की क्रियान्विति में क्या परेशानी है?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में झालावाड़ शहर के लिए पुनर्गठित योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(2) जी नहीं।

(3) सर्वेक्षण कर योजना बनाई जा रही है।

विश्व बैंक की सहायता से उदयपुर में विकास कार्य

506. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ल्ड बैंक की सहायता से राज्य में विभाग द्वारा एनिकट, बांध, भवन क्लोजर बनाये गये हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में जिला उदयपुर में उक्त कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि, कब-कब किस-किस कार्य हेतु आवंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले में बनाये गये उक्त कार्य के निर्माण कराये जाने से पूर्व तकनीशियन की राय ली गई है? यदि हां, तो किस-किस कार्य हेतु किस-किस तकनीशियन की कब-कब? नाम व स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों के कराये जाने से पूर्व तकनीशियन की राय लेना आवश्यक समझती है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार पूर्व में उक्त निर्माण कार्य जो बिना तकनीशियन की राय के

(श्री खेमराज कटारा)

कराये गये उसकी जांच कराकर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस को कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विश्व बैंक की सहायता से वन विभाग द्वारा उदयपुर जिले में गत पांच वर्षों में एनीकट, बांध, भवन, क्लोजर बनाने संबंधी कोई निर्माण कार्य नहीं कराये गये हैं।

(2) उदयपुर जिले में वन विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक की सहायता से कोई कार्य नहीं कराये जाने से तकनीशियन की राय लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न के भाग (1) व (2) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में पृथक से तकनिशियन की राय लेने संबंधी आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

(4) उदयपुर जिले में वन विभाग के द्वारा वर्ल्ड बैंक की सहायता से गत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराये गये है अतः जांच करवाने एवं दोषियों को दंडित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अलवर जिले में अतिक्रमियों का पुनर्वास

507. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शहरी सौन्दर्यकरण के नाम पर अलवर जिले में कितने अतिक्रमण हटाये गये? उक्त हटाये गये अतिक्रमणों को हटाने से पूर्व कितने नोटिस कब-कब जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सौन्दर्यकरण के नाम पर हटाये गये अतिक्रमियों का सरकार पुनर्वास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो दिनांक 25-3-2000 तक अलवर में कितने अतिक्रमियों का कहां-कहां पुनर्वास किया गया?

उत्तर

(1) जिला कलेक्टर अलवर से प्राप्त सूचना के आधार पर अलवर जिले की नगरपालिकाओं बहरोड, तिजारा, राजगढ़, खेरली में सर्वे कार्य कराया गया है। अभी तक कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अलवर शहर के सौन्दर्यकरण करने एवं बाजार/रास्तों के अवरोध चिन्हित करने के लिए स्थानीय व्यावसायिक वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ 4 कमेटियों का गठन जिला कलेक्टर द्वारा पत्र संख्या सामान्य 1-38 दिनांक 10.3.2000 के द्वारा किया गया। इन कमेटियों द्वारा मौका निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। ज़ोन संख्या 1 में 30 जोन संख्या 2 में 54, ज़ोन सं. 3 में 31 जोन सं. 4 में 37 अतिक्रमियों के अतिक्रमण हटाये गये। अतिक्रमण हटाने से पूर्व सार्वजनिक सूचना एवं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी, हां। यथासम्भव पुनर्वास हेतु नगर सुधार न्यास अलवर ने वेयर हाऊसिंग योजना में भूखण्ड देने के प्रस्ताव दिये हैं तथा मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कियोस्क आवंटन हेतु भी आवेदन पत्र मांगे गये हैं। हटाये गये अतिक्रमियों में से कुछ ने मान. उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसमें सुनवाई हेतु 24.4.2000 नियत है। शेष ने आवेदन नहीं किया इसलिए 25.3.2000 तक कोई पुनर्वास नहीं किया गया।

ग्राम इटन्दरा मेड़तियान (पाली) में ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना

508. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देसूरी की ग्राम पंचायत इटन्दरा मेड़तियान बड़ी ग्राम पंचायत है? क्या उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यालय खोलने हेतु पूर्व में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त गांवों के व्यक्तियों को उक्त समिति से कार्य कराने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति चांचोड़ी जाना पड़ता है?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत मुख्यालय इटन्दरा मेड़तियान में ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह एक सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायत है जिसकी आबादी लगभग 2,200 है। वर्ष 1976 से पूर्व इटन्दरा मेड़तियान ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. कार्यरत थी। वर्ष 1976 में प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया गया था। इटन्दरा मेड़तियान ग्राम सेवा सहकारी समिति आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण इसे चांचोड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति में विलीन किया गया। चांचोड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति की शाखा ग्राम पंचायत इटन्दरा मेड़तियान में खोलने की स्वीकृति दिनांक 7.4.2000 को जारी की जा चुकी है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। पुनर्गठित ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में फिलहाल नयी ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि इससे समितियों की आर्थिक सक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़नें की सम्भावना है।

खनिज अभियंता कार्यालय नीमकाथाना का पुनर्स्थानान्तरण

509. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीमकाथाना (सीकर) में सहायक खनिज अभियन्ता एवं खनिज अभियन्ता के

कार्यालय कब स्थापित किये गये थे? उक्त कार्यालय के अधीन कौन-कौनसा क्षेत्र आता था?

(2) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता व सहायक खनिज अभियन्ता के कार्यालय नीमकाथाना से सीकर स्थानान्तरित कर दिये? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह भी सही है कि सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय को नीमकाथाना से सीकर स्थानान्तरित करने पर मुन्सिफ कोर्ट नीमकाथाना से स्थगन आदेश जारी किया गया था? यदि हां, तो स्थगन आदेश के बाद भी क्यों स्थानान्तरित किया गया?

(4) खनिज अभियन्ता का कार्यालय जब नीमकाथाना था तब राजस्व की क्या आय थी और सीकर स्थानान्तरित होने के बाद क्या आय रही?

(5) क्या यह सही है कि अधिकतर खनिज सम्पदा व खनिज पट्टे नीमकाथाना उपखण्ड व तहसील खेतड़ी में ही है? यदि हां, तो खनिज अभियन्ता व सहायक खनिज अभियन्ता के कार्यालय नीमकाथाना से क्यों हटाये गये?

(6) क्या सरकार खनिज अभियन्ता व सहायक खनिज अभियन्ता के कार्यालय को नीमकाथाना वापस स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। नीमकाथाना (सीकर) में सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय वर्ष 1977 से स्थापित किया गया था। शासन के आदेश क्रमांक-प. 14 (8) खान/ग्रुप-1/91 दिनांक 9.10.91 के तहत वर्ष 1991-92 में इस कार्यालय को क्रमोन्नत कर कार्यालय खनिज अभियन्ता कर दिया गया। इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में जिला-सीकर एवं झुंझुनूं आते हैं।

(2) जी, हां। कार्यालय खनिज अभियन्ता—नीमकाथाना को शासन के आदेश क्रमांक् प. 14 (8) खान/ग्रुप-1/96 दिनांक 25.10.97 एवं 23.3.98 के तहत दिनांक 26.5.98 को जिला मुख्यालय सीकर पर स्थानान्तरित किया गया।

(3) जी, हां। माननीय मुन्सिफ कोर्ट, नीमकाथाना ने सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय को स्थानान्तरित नहीं करने के संबंध में दिनांक 19.5.98 को स्थगन जारी किया था। वस्तुतः नीमकाथाना में सहायक खनिज अभियन्ता का कोई अलग से कार्यालय नहीं रहा था फिर भी न्यायालय के आदेश की भाषा को मद्देनजर रखते हुए खनिज अभियन्ता—कार्यालय में कार्यरत सहायक खनिज अभियन्ता को नीमकाथाना से सीकर स्थानान्तरित नहीं किया गया। माननीय मुन्सिफ कोर्ट का स्थगन आदेश दिनांक 19.5.98 दिनांक 21.4.99 को अप्रभावी हो गया था तभी सहायक खनिज

(राज्य मंत्री, खनिज)

अभियन्ता को भी सीकर स्थानान्तरित किया गया।

(4) खनिज अभियन्ता कार्यालय जब नीमकाथाना था तब 1997-98 में राजस्व आय 806.94 लाख प्राप्त हुई थी। सीकर स्थानान्तरण होने के बाद वर्ष 1998-99 में यह आय 731.19 लाख हुई। वर्ष 1999-2000 में राजस्व आय 656.00 लाख हुई।

(5) जी नहीं, खनिज अभियन्ता-सीकर के क्षेत्राधिकार में नीमकाथाना तहसील की तुलना में शेष क्षेत्राधिकार में खनन पट्टे दुगने से ज्यादा है।

(6) जी, नहीं। क्योंकि सीकर जिला मुख्यालय होने से राजकीय कार्य में सुविधा बढ़ जाती है। कोष कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं वन विभाग के कार्यालय भी सीकर मुख्यालय पर ही स्थित है। जिससे आपसी सामंजस्य करने में सुगमता रहती है।

जयपुर ग्रामीण व शहर क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि

510. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर ग्रामीण एवं जयपुर शहर में वर्ष 1998 की तुलना में अपराधों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो जनवरी, 1999 से जनवरी, 2000 तक हत्या/नकबजनी तथा बलात्कार की कितनी-कितनी घटना माहवार घटित हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने मुकदमों में चालान, कितनों में अन्तिम रिपोर्ट तथा कितनों में कब-कब से तफतीश जारी है? जिन मुकदमों की तफतीश जारी है उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर ग्रामीण में अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1998 में कुल 7234 एवं वर्ष 1999 में कुल 7643 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। कुल 409 अपराध 1998 की तुलना में 1999 में अधिक पंजीबद्ध हुए हैं। जिला जयपुर शहर में पंजीबद्ध अपराधों के संबंध में आंशिक कमी आई है। वर्ष 1998 में कुल 12772 एवं वर्ष 1999 में कुल 12423 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। कुल 349 अपराध वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 1999 में कम पंजीबद्ध हुए हैं। जनवरी, 1999 से जनवरी, 2000 तक हत्या, नकबजनी एवं बलात्कार की घटित माहवार घटना की सूची परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) प्रश्न के प्रथम भाग की सूचना परिशिष्ट "क" में अंकित है। वर्तमान में अनुसंधानाधीन अभियोगों का अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

परिशिष्ट-"क"

जनवरी, 1999 से 31 जनवरी, 2000 तक हत्या, बलात्कार एवं नकबजनी के दर्ज अभियोगों का माहवार व निस्तारण सहित विवरण जिला जयपुर ग्रामीण.

शीर्षक	माह	दर्ज अभि.	अदम वकू	अदम रफ	अदम पता	अदम सबूत	जैर तफ.	299 जा.फो.	चालान
हत्या	जनवरी	6	4	—	—	—	—	—	2
	फरवरी	7	—	—	2	—	—	—	5
	मार्च	6	2	—	1	—	1	—	2
	अप्रेल	8	3	—	—	—	—	—	5
	मई	12	2	—	—	—	—	—	10
	जून	9	3	—	1	—	—	—	5
	जुलाई	13	2	—	2	—	—	—	9
	अगस्त	5	—	—	—	—	1	—	4
	सितम्बर	6	1	—	1	1	—	—	3
	अक्टूबर	5	—	—	—	—	—	—	5
	नवम्बर	4	1	—	—	—	1	—	2
	दिसम्बर	4	1	—	—	—	—	—	3
	जनवरी, 2000	5	1	—	—	—	3	—	1
	योग	90	20	—	7	1	6	—	56

शीर्षक	माह	दर्ज. अभि.	अदम वकू	अदम रफ	अदम पता	अदम सबूत	जैर तफ.	299 जा.फो.	चालान
नकबजनी	जनवरी	41	1	—	36	—	—	—	4
	फरवरी	27	—	—	25	—	—	—	2
	मार्च	30	—	—	23	—	—	—	7
	अप्रेल	28	2	—	22	—	—	—	4
	मई	23	—	—	20	—	—	—	3
	जून	30	2	—	27	—	—	—	1
	जुलाई	51	2	—	43	—	—	—	6
	अगस्त	48	2	—	36	—	—	—	10
	सितम्बर	45	1	—	33	—	—	—	11
	अक्टूबर	23	4	—	16	—	—	—	3
	नवम्बर	20	1	—	19	—	—	—	—
	दिसम्बर	34	—	—	30	—	2	—	2
	जनवरी, 2000	34	1	—	25	—	4	—	4
	योग	434	16	—	355	—	6	—	57

शीर्षक	माह	दर्ज अभि.	अदम वकू	अदम रफ	अदम पता	अदम सबूत	जैर तफ.	299 जा.फो.	चालान
बलात्कार	जनवरी	2	1	—	—	—	—	—	1
	फरवरी	7	1	—	—	—	—	—	6
	मार्च	—	—	—	—	—	—	—	—
	अप्रेल	1	—	—	—	—	—	—	1
	मई	1	—	—	—	—	—	—	1
	जून	2	—	—	—	—	1	—	1
	जुलाई	3	1	—	—	—	—	—	2
	अगस्त	5	—	—	—	—	—	—	5
	सितम्बर	2	—	—	—	—	—	—	2
	अक्टूबर	1	—	—	—	—	—	—	1
	नवम्बर	—	—	—	—	—	—	—	—
	दिसम्बर	2	—	—	—	—	—	—	2
	जनवरी, 2000	2	—	—	—	—	1	—	1
	योग	28	3	—	—	—	2	—	23

जनवरी, 1999 से 31 जनवरी, 2000 तक हत्या, बलात्कार एवं नकबजनी के दर्ज अभियोगों का माहवार व निस्तारण सहित विवरण जिला जयपुर शहर जयपुर

शीर्षक	माह	दर्ज अभि.	अदम वकू	अदम रफ	अदम पता	अदम सबूत	जैर तफ.	299 जा.फो.	चालान
हत्या	जनवरी	5	1	—	—	—	—	—	4
	फरवरी	1	—	—	—	—	—	—	1
	मार्च	3	—	—	—	—	—	—	3
	अप्रेल	3	—	—	1	—	—	—	2
	मई	4	—	—	—	—	—	—	4
	जून	6	1	—	—	1	1	—	3
	जुलाई	3	1	—	—	—	—	—	2
	अगस्त	5	—	—	1	—	1	—	3
	सितम्बर	6	2	—	1	—	—	—	3
	अक्टूबर	3	—	—	—	1	1	—	1
	नवम्बर	5	1	—	—	—	3	—	1
	दिसम्बर	3	—	—	—	—	1	—	2
	जनवरी, 2000	5	—	—	—	—	4	—	1
	योग	52	6	—	3	2	11	—	30

शीर्षक	माह	दर्ज अभि.	अदम वकू	अदम रफ	अदम पता	अदम सबूत	जैर तफ.	299 जा.फो.	चालान
नकबजनी	जनवरी	61	2	—	46	—	—	—	13
	फरवरी	63	3	—	49	—	—	—	11
	मार्च	48	1	—	35	—	1	—	11
	अप्रेल	62	—	—	44	—	—	—	18
	मई	70	—	—	51	—	—	—	19
	जून	83	5	—	56	—	—	—	22
	जुलाई	72	3	—	56	—	—	—	13
	अगस्त	83	1	—	62	—	1	—	19
	सितम्बर	93	1	—	73	—	1	—	18
	अक्टूबर	66	2	—	51	—	—	—	13
	नवम्बर	65	1	—	55	—	—	—	9
	दिसम्बर	58	2	—	49	—	1	—	6
	जनवरी, 2000	95	—	—	59	—	25	—	11
	योग	919	21	—	686	—	29	—	183

शीर्षक	माह	दर्ज अभि.	अदम वकू	अदम रफ	अदम पता	अदम सबूत	जैर तफ.	299 जा.फो.	चालान
बलात्कार	जनवरी	5	—	—	—	—	—	—	5
	फरवरी	3	1	—	—	—	—	—	2
	मार्च	3	—	—	—	—	—	—	3
	अप्रेल	4	1	—	—	—	—	—	3
	मई	4	—	—	—	—	—	—	4
	जून	1	1	—	—	—	—	—	—
	जुलाई	6	2	—	—	—	2	—	2
	अगस्त	4	1	—	—	—	1	—	2
	सितम्बर	2	1	—	—	—	—	—	1
	अक्टूबर	1	1	—	—	—	—	—	—
	नवम्बर	1	—	—	—	—	—	—	1
	दिसम्बर	4	1	—	—	—	—	—	3
	जनवरी, 2000	1	—	—	—	—	1	—	—
	योग	39	9	—	—	—	4	—	26

परिशिष्ट-"ख"

पेंडिंग अभियोग हत्या, नकबजनी व बलात्कार वर्ष जनवरी, 1999 से 31 जनवरी, 2000 तक जिला जयपुर ग्रामीण जयपुर

	क्र.सं.	अभियोग संख्या/धारा	दिनांक	थाना	पेंडिंग रहने का कारण
	1	2	3	4	5
हत्या	1.	28/99 धारा 147, 149, 342, 328, 302, 458, 323 भादंस	25.3.99	नरैना	तफतीश तस्दीक करवाई जा रही है।
	2.	182/99 धारा 302 भादंस	18.8.99	शिवदास पुरा	अ.पु.अ. (मु.) के नेतृत्व में टीम गठित कर पतारसी मुलजिमान के प्रयास जारी हैं।
	3.	592/99 धारा 498ए, 304 बी भादंस	13.11.99	शाहपुरा	महानिरीक्षक पुलिस (अप.) के निर्देशों के अनुसार जांच अधिकारी से रिपोर्ट चाही गई है।
	4.	22/2000 धारा 302 भादंस	15.1.2000	चौमूं	गवाहों से तफतीश शेष है।
	5.	28/2000 धारा 302 भादंस	13.1.2000	कोटपूतली	मुलजिमान की तलाश जारी है।
	6.	11/2000 धारा 147 से 149, 447, 302 भादंस	20.1.2000	जमवा रामगढ़	तीन मुलजिमान गिरफ्तार किये जा चुके हैं, एक मुलजिम फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।

	1	2	3	4	5
नकबजनी	1.	147/99 धारा 457, 380 भादंस	9.12.99	आंधी	माल मुलजिमान की तलाश जारी है।
	2.	151/99 धारा 457, 380 भादंस	17.12.99	आंधी	माल मुलजिमान की तलाश जारी है।
	3.	27/2000 धारा 457, 380	1/2000	चोमूं	तफतीश जारी है।
	4.	34/2000 धारा 457 भादंस	24.1.2000	चौमूं	तलाश मुलजिम जारी है।
	5.	13/2000 धारा 457 भादंस	12.1.2000	मनोहरपुर	तलाश मुलजिम जारी है।
	6.	25/2000 धारा 457, 380 भादंस	12.1.2000	कोटपूतली	मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाकर माल बरामद कर लिया है, अन्य तकमील शेष है।
बलात्कार	1.	57/99 धारा 376, 511 भादंस	6.6.99	आंधी	तलाश मुलजिम जारी है।
	2.	32/2000 धारा 452, 376, 511, 341, 323 भादंस	23.1.2000	चौमूं	अनुसंधान जारी है।

जयपुर शहर (उत्तर/दक्षिण) जयपुर

हत्या	1.	138/99 धारा 302, 394 भादंस	23.10.99	बनीपार्क	अज्ञात मुलजिम की तलाश जारी है।
	2.	341/99 धारा 302, 201 भादंस	12.11.99	हरमाडा	अज्ञात मृतक के वारिसान व मुलजिम की तलाश जारी है।

	1	2	3	4	5
	3.	325/99 धारा 302 भादंस	12.12.99	गलतागेट	अज्ञात मुलजिम की तलाश जारी है।
	4.	281/99 धारा 302, 201 भादंस	22.8.99	विधायक पुरी	माल मुलजिमान तलाश जारी है।
	5.	385/99 धारा 302 भादंस	19.11.99	विधायक पुरी	मुलजिम की तलाश जारी है।
	6.	255/99 धारा 302 भादंस	19.11.99	मानसरोवर	मुलजिम की तलाश जारी है।
	7.	111/99 धारा 498ए, 304 बी भादंस	17.6.99	मानसरोवर	मुलजिम नामजद है, तफतीश शेष है।
	8.	27/2000 धारा 302, 201 भादंस	13.1.2000	झोटवाड़ा	अज्ञात मुलजिम की तलाश जारी है।
	9.	14/2000 धारा 302 भादंस	13.1.2000	जवाहर नगर	मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, तफ्तीश जारी है।
	10.	43/2000 धारा 302, 201, 120 बी भादंस	24.1.2000	बजाज नगर	मुलजिम गिरफ्तार किये जा चुके हैं, तफ्तीश शेष है।
	11.	34/2000 धारा 302, 201 भादंस	12.1.2000	सांगानेर	मुलजिम गिरफ्तार किये जा चुके हैं, तफ्तीश शेष है।
नकबजनी	1.	324/99 धारा 457, 380 भादंस	12.12.99	गलतागेट	तफतीश जारी है।
	2.	230/99 धारा 457, 380 भादंस	7.8.99	हरमाडा	तफ्तीश जारी है।

1	2	3	4	5
3.	57/99 धारा 457, 380 भादंस	30.3.99	जवाहर नगर	तफ्तीश जारी है।
4.	64/99 धारा 458, 380 भादंस.	11.9.99	ट्रांसपोर्ट नगर	मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, अनुसंधान जारी है।
5.	35/2000 धारा 457, 380 भादंस	14.1.2000	रामगंज	मुलजिम की तलाश जारी है।
6.	41/2000 धारा 457, 380 भादंस	20.1.2000	रामगंज	मुलजिम की तलाश जारी है।
7.	43/2000 धारा 457, 380 भादंस	21.1.2000	रामगंज	मुलजिम की तलाश जारी है।
8.	1/2000 धारा 457, 380 भादंस	2.1.2000	भट्टाबस्ती	बरामदगी शेष है।
9.	19/2000 धारा 454, 380 भादंस	7.1.2000	झोटवाड़ा	तफतीश जारी है।
10.	51/2000 धारा 457, 380 भादंस	31.1.2000	झोटवाड़ा	तफतीश जारी है।
11.	12/2000 धारा 457, 380 भादंस	11.1.2000	अशोक नगर	तलाश मुलजिम जारी है।
12.	11/2000 धारा 457, 380 भादंस	11.1.2000	मोती डूंगरी	तलाश माल मुलजिम जारी है।
13.	33/2000 धारा 457, 380 भादंस	25.1.2000	मोती डूंगरी	माल बरामद व मुलजिम गिरफ्तार, तकमील शेष है।

1	2	3	4	5
14.	35/2000 धारा 457, 380 भादंस	27.1.2000	मोती डूंगरी	तलाश माल मुलजिम जारी है।
15.	24/2000 धारा 457, 380 भादंस	17.1.2000	सोडाला	तलाश माल मुलजिम जारी है।
16.	27/2000 धारा 457, 380 भादंस	22.1.2000	मान सरोवर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
17.	31/2000 धारा 457, 380 भादंस	25.1.2000	मान सरोवर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
18.	32/2000 धारा 457, 380 भादंस	25.1.2000	मान. सरोवर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
19.	37/2000 धारा 457, 380 भादंस	29.1.2000	मान सरोवर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
20.	2/2000 धारा 457, 380 भादंस	1.1.2000	शिप्रापथ	तलाश माल मुलजिम जारी है।
21.	20/2000 धारा 457, 380 भादंस	26.1.2000	शिप्रापथ	तलाश माल मुलजिम जारी है।
22.	30/2000 धारा 457, 380 भादंस	28.1.2000	गांधी नगर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
23.	32/2000 धारा 457, 380 भादंस	19.1.2000	बजाज नगर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
24.	37/2000 धारा 457, 380 भादंस	21.1.2000	मालवीय नगर	तलाश माल मुलजिम जारी है।

	1	2	3	4	5
	25.	30/2000 धारा 457, 380 भादंस	11.1.2000	सांगानेर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
	26.	32/2000 धारा 457, 380 भादंस	11.1.2000	सांगानेर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
	27.	33/2000 धारा 454, 380 भादंस	11.1.2000	सांगानेर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
	28.	44/2000 धारा 457, 380 भादंस	16.1.2000	सांगानेर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
	29.	48/2000 धारा 457, 380 भादंस	28.1.2000	सांगानेर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
बलात्कार	1.	215/99 धारा 376, 354, 504, 511 भादंस	26.7.99	शास्त्री नगर	तलाश माल मुलजिम जारी है।
	2.	153/99 धारा 406, 469, 472, 376, 386 भादंस	26.8.99	मोती डूंगरी	मुलजिम नामजद तलाश जारी है।
	3.	273/99 धारा 376, 509, 323 भादंस	26.7.99	वैशाली नगर	मुलजिम नामजद है गिरफ्तारी शेष है तलाश जारी है।
	4.	41/2000 धारा 376 भादंस	14.1.2000	सांगानेर	मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं तकमील तफतीश शेष है

विधान सभा क्षेत्र भादरा में कृषि विपणन की अपूर्ण सड़कें

511. श्री संजीव कुमार बेनीवाल (भादरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 1999-2000 में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कौन-कौन सी सड़कें नई कहां से कहां के लिए कब-कब स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में भी नई सड़कें स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी कितने किलोमीटर लम्बी एवं कब?

(3) उक्त सड़कों के निर्माण कार्य की वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या सरकार उक्त कार्य शीघ्र चालू कराने/पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 1999-2000 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सम्पर्क सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भादरा में एक सम्पर्क सड़क मुन्दड़िया बड़ा 11 किलोमीटर लम्बाई में 96.60 लाख रुपये की लागत से आर.आई.डी.एफ. की योजना के अन्तर्गत दिनांक 18.12.99 को स्वीकृत की गई है।

(3) उक्त सड़कों के निर्माण का विवरण परिशिष्ट "अ" के कॉलम सं. 6 में अंकित है।

परिशिष्ट-"अ"

क्र. सं.	कृ.उ. म.स.	सड़क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक	लम्बाई कि.मी.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	हनुमानगढ़	स.स. हनुमानगढ़ भद्रकाली सड़क से 10 एच.एम.एच.	28.1.2000	2.00	सड़क की निविदा दिनांक 8.3.2000 एवं 15.3.2000 को आमंत्रित की जा चुकी है।
2.	हनुमानगढ़	स.स. 7 एल.एल.डब्लू. से 3 के.के.डब्लू.	28.1.2000	3.00	सड़क की निविदा दिनांक 8.3.2000 एवं 15.3.2000 को आमंत्रित की जा चुकी है।

1	2	3	4	5	6
3.	पीलीबंगा	24 पी.बी.एन. से 28 पी.बी.एन. वाया 26 पी.बी.एन.	28.1.2000	2.50	सड़क की निविदा दिनांक 8.3.2000 एवं 15.3.2000 को आमंत्रित की जा चुकी है।
4.	पीलीबंगा	जाखडावाली से 9-10 एस.पी.डी. (मिसिंग).	28.1.2000	3.00	सड़क की निविदा दिनांक 8.3.2000 एवं 15.3.2000 को आमंत्रित की जा चुकी है।
5.	गोलुवाला	गोलुवाला 33-35 एल.एल.डब्लू.	28.1.2000	4.75	सड़क की निविदा दिनांक 8.3.2000 एवं 15.3.2000 को आमंत्रित की जा चुकी है।
आई.आर.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत					
6.	रावतसर	स.स.सिरंगसर से देबासर	15.9.99	9.00	मिट्टी एवं गिट्टी की सप्लाई का कार्य प्रगति पर है।
7.	भादरा	स.स. भादरा साहबा सड़क (डूंगराना) से मुदडियाबड़ा	18.12.99	11.00	निविदा दिनांक 3.3.2000 को प्राप्त की गई है।
8.	रावतसर	रावतसर से 22 ए जी	17.2.2000	7.70	नाबार्ड से स्वीकृति अपेक्षित है।
9.	रावतसर	प्रेम नगर हैड से गांधीनगर	17.2.2000	6.00	नाबार्ड से स्वीकृति अपेक्षित है।

जावाल/कालन्द्री (सिरोही) के विचाराधीन बस स्टेण्ड

512. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) तहसील सिरोही के जावाल व कालन्द्री में बस स्टेण्ड बनाने के प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है और इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

(2) क्या उक्त संबंध में विभाग की ओर से मौका निरीक्षण किया गया है ? ग्राम पंचायत कालन्द्री व जावाल (सिरोही) से सरकार को किस तिथि को प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं ?

उत्तर

(1) जावाल व कालन्द्री में बस स्टेण्ड बनाने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) केवल जावाल में बस स्टेण्ड हेतु जिला कलक्टर सिरोही ने ग्राम पंचायत को जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया है, जिसका निरीक्षण करवाया गया है। निगम द्वारा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा गया है।

जिला बाड़मेर में ए.आर.पी. योजना के बजट में कमी

513. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष व चालू वर्ष में जिला बाड़मेर में ए.आर.पी. पर बजट बहुत कम व्यय किया गया है ?

(2) क्या उक्त अवधि में मरम्मत कार्यों पर ज्यादा राशि व्यय करने की कोशिश की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में जिला बाड़मेर में आय भी कम हुई है ? उक्त जिले हेतु भारत सरकार से कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई और उनमें से कितने कार्य पूर्ण किये गये ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। गत वर्ष एवं इस वर्ष ए.आर.पी. मद में बाड़मेर जिले में क्रमशः 2237.47 लाख एवं 1426.73 लाख का बजट आवंटित किया गया था, जिसके विरुद्ध क्रमशः 1923.98 लाख एवं 1206.68 लाख व्यय किया गया।

(2) उक्त अवधि में पूंजीगत व्यय क्रमशः 1923.98 एवं 1206.68 लाख है व संधारण व्यय 211.66 लाख व 213.70 लाख व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि संधारण राशि पूंजीगत राशि से कम ही व्यय की गई है।

(3) गत वर्ष राजस्व के रूप में बाड़मेर जिले में 255.29 लाख रु. की आय सरकार को हुई है जो कि पूर्व वर्ष की आय से अधिक है। बाड़मेर जिले हेतु वर्ष 98-99 में 68 योजनाएं व वर्ष 99-2000 में 118 योजनाएं कुल 187 योजनाएं स्वीकृत हुई है

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उनमें से 49 योजनाएं पूर्ण हो गई है। तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नर्सरी हेतु आवंटित भूमि पर आबादी पट्टे

514. श्री आदराम मेघवाल (देसूरी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या नर्सरी के नाम से आवंटित भूमि को ग्राम पंचायतों के अधीन करके ग्राम पंचायतों को आबादी के पट्टे जारी करने के अधिकार दिये जावेंगे? क्या जनसंख्या बढ़ने के कारण ग्राम पंचायतों के पास की जगह की कमी पड़ रही है और कई ग्रामों में नर्सरी पर गांव बस गये हैं?

उत्तर

वन विभाग के दायित्व में दर्ज रेकार्ड नर्सरियों को गैर वानिकी कार्यों हेतु उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जा सकता है। वन विभाग के नाम दर्जशुदा नर्सरियों में आँबादी हेतु पट्टे जारी करना गैर वानिकी कार्य की श्रेणी में आने से पट्टे जारी नहीं किये जा सकते हैं।

नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के अध्यक्ष का निलम्बन प्रकरण

515. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या लक्ष्मणगढ़ (सीकर) नगरपालिका के अध्यक्ष को राज्य सरकार ने निलंबित किया है? यदि हां, तो कब व किस आदेश के तहत?

(2) क्या अध्यक्ष नगरपालिका द्वारा उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध वाद दायर किया है? यदि हां, तो कब व क्या आदेश/निर्देश मा. उच्च न्यायालय के रहे? आदेश की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या उच्च न्यायालय के आदेश/निर्देश अनुसार जांच अधिकारी ने रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की है? यदि हां, तो कब व क्या रिपोर्ट पेश की है?

(4) क्या सरकार ने रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक कार्यवाही करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी, हां। नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के अध्यक्ष महोदय को आदेश क्रमांक प. 2 (च) 29 (जांच) डीएलबी/99/3376-3385 दिनांक 16.10.99 द्वारा निलम्बित किया गया है।

(2) जी, हां। अध्यक्ष महोदय द्वारा निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च

(स्वायत्त शासन मंत्री)

न्यायालय जयपुर में रिट संख्या 5100/99 दायर की गई जिसका निर्णय दिनांक 30.11.99 को हुआ। जिसमें न्यायालय ने यह निर्देश दिये कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लम्बित न्यायिक जांच को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिवस में जांच पूर्ण करे तथा जांच पूर्ण होने के 30 दिवस में राज्य सरकार आवश्यक आदेश पारित करें। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) जी, नहीं। न्यायिक जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट दिनांक 17.2.2000 को प्रस्तुत की। जिसमें अध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सही नहीं पाया गया।

(4) शीघ्र ही समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(आदेश की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि उपज की खरीद

516. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या वर्ष 1999-2000 में समर्थन मूल्य के आधार पर किसी फसल को राज्य सरकार, राजफैड या अन्य किसी संस्था द्वारा क्रय किया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले में किन-किन संस्थाओं द्वारा कृषि उपज को कितनी मात्रा में क्रय किया गया?

(2) क्या आदिवासी क्षेत्रों में छोटे काश्तकारों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए राजफैड के माध्यम से कृषि उपज की खरीद की व्यवस्था की गई थी? यदि हां, तो कब व कितनी मात्रा में कृषि उपज किस मूल्य पर क्रय की गयी?

(3) गत पांच वर्षों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कहां-कहां कितनी-कितनी हुई? संख्या सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) जी, हां। वांछित सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

(3) गत पांच वर्षों की जिलेवार एवं संस्थावार (क्रविसस) समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में वाहन चोरी प्रकरण

517. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में गत 2 वर्षों में कुल कितने अपराध, डकैती, चोरी, हत्या व बलात्कार के

(श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी)

किस-किस थानों में दर्ज हुए हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अपराधों में से वाहन चोरी की वारदातों का प्रतिशत सबसे ज्यादा हैं? यदि हां, तो कितना एवं कितने वाहन कहां-कहां से किस-किस प्रकार से चोरी होकर गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चोरी गये वाहनों में से कितने वाहन पुलिस की तत्परता से पकड़े गये हैं एवं कितने केस तफतीश में हैं एवं उनकी प्रगति क्या-क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में चार थाने हैं, जिनमें गत दो वर्षों में डकैती के 3, चोरी के 198, हत्या के 17 व बलात्कार के 17 कुल 235 अभियोग दर्ज हुए हैं। थानेवार सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी, नहीं। गत दो वर्षों में 16 वाहन चोरी के अपराध दर्ज हुए हैं, जो उपरोक्त कुल अपराधों का 6.81% ही है। वाहनों के चोरी का स्थान व वाहन के प्रकार का विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) उक्त चोरी गये वाहनों में से 5 वाहन बरामद किये गये हैं। वर्तमान में वाहन चोरी का एक अभियोग नं. 198/99 थाना लक्ष्मणगढ़ में अन्वेषणाधीन है, जिसमें मोटर साइकिल बरामद की जा चुकी है। उक्त प्रकरणों की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 1998, 1999 में कुल दर्ज अपराधों का विवरण

क्र.सं.	शीर्षक	वर्ष	थाना मालाखेड़ा	थाना लक्ष्मणगढ़	थाना सदर	थाना एम.आई.ए.	योग
1.	डकैती	1998	1	—	—	—	1
		1999	1	—	1	—	2
2.	चोरी	1998	22	58	10	4	94
		1999	51	39	7	7	104
3.	हत्या	1998	1	7	—	—	8
		1999	3	4	2	—	9
4.	बलात्कार	1998	1	3	—	—	4
		1999	6	6	1	—	13
	योग		86	117	21	11	235

परिशिष्ट-"ब"

वाहन चोरी के प्रकरणों की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	मु.नं./दिनांक	धारा	थाना	घटना स्थल	चोरी गया वाहन	बरामद वाहन	नतीजा पुलिस
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	24/30.1.98	379 ता. हि.	लक्ष्मणगढ़	मौजा लक्ष्मणगढ़-थाना लक्ष्मणगढ़ से आधा कि.मी. दूर	हीरोहोन्डा मोटर साइकिल	—	एफ.आर. 8/28.2.98 अदमपता
2.	13/20.3.98	394 ता. हि.	लक्ष्मणगढ़	अलवर, भरतपुर मार्ग 20 किमि. उत्तर थाना से	मोटर साइकिल	—	एफ.आर. 43/31.5.98 अदमपता
3.	198/23.6.98	394 ता. हि.	लक्ष्मणगढ़	जंगल मौजा दलितपुर 4 कि.मी. थाना से पश्चिम	मोटर साइकिल	—	एफ.आर. 80/31.8.98 अदमपता
4.	327/16.10.98	394 ता. हि.	लक्ष्मणगढ़	जंगल मौजपुर 6 कि.मी. थाने से पश्चिम	मोटर साइकिल	—	एफ.आर. 111/30.11.98 अदमपता
5.	91/3.4.99	379 ता. हि.	लक्ष्मणगढ़	कस्बा लक्ष्मणगढ़ थाना से आधा फलांग पूर्व	मोटर साइकिल टी.वी.एस. सजूकी	मोटर साइकिल	एफ.आर. 37/29.4.99 अदमपता
6.	104/20.4.99	379 ता. हि.	लक्ष्मणगढ़	सालपुरा 14 कि.मी. व थाना से दक्षिण पूर्व	हीरोहोन्डा मोटर साइकिल	मोटर साइकिल	चार्ज. 143/31.8.99 अदमपता
7.	198/18.7.99	392 ता. हि.	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़, कठूमर रोड तिबरा जावली थाने से पांच कि.मी पूर्व	मोटर साइकिल	मोटर साइकिल	तफतीश जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	220/8.8.99	380 ता. हि.	लक्ष्मणगढ़	कोठारी मोटर्स, लक्ष्मणगढ़	मोटर साइकिल हीरोहोन्डा	—	एफ.आर. 77/27.9.99 अदमपता
9.	227/19.8.99	392 ता. हि.	लक्ष्मणगढ़	मोजपुर रोड थाने से 3 कि.मि. पश्चिम	मोटर साइकिल सजूकी	मोटर साइकिल	चार्ज. 233/27.12.99 अदमपता
10.	238/29.8.99	392 ता. हि.	लक्ष्मणगढ़	सड़क क़फनवाड़ा मोड़ 3 कि.मी. थाने से	मोटर साइकिल हीरोहोन्डा	—	एफ.आर. 119/21.12.99 अदमपता
11.	364/14.10.99	394 ता. हि.	एमआईए	सड़क कैरवा जाट 5 कि.मी. दक्षिण थाना से	मोटर साइकिल हीरोहोन्डा	—	एफ.आर. 148/30.11.99 अदमपता
12.	30/19.2.99	379 ता. हि.	सदर	बुर्जा नर्सरी	टाटा-407 (चौपहिया वाईन)	टाटा-407	चार्ज. 57/30.4.99 अदमपता
13.	33/8.2.99	379 ता. हि.	मालाखेड़ा	बस स्टेन्ड मालाखेड़ा	हीरोहोन्डा मोटर साइकिल	मोटर साइकिल	एफ.आर. 15/28.2.99 अदमपता
14.	228/24.7.99	379 ता. हि.	मालाखेड़ा	कस्बा मालाखेड़ा थाने से दो फर्लांग पूर्व में	मोटर साइकिल हीरोहोन्डा	मोटर साइकिल	एफ.आर. 91/28.8.99 अदमपता
15.	275/2.9.99	379, 382 ता. हि.	मालाखेड़ा	अलवर, राजगढ़ हाईवे महुवा के पास 8 कि.मी. उत्तर थाने	ट्रक आर.जे.02 जी 1734	—	एफ.आर. 118/30.11.98 अदमवकू सिविल नेचर।
16.	100/3.6.99	379 ता. हि.	मालाखेड़ा	मौना केरवाडा थाना से उत्तर 8	मोटर साइकिल	—	एफ.आर. 30/5.7.99 अदमवकू गलत फहमी वाका।

गौण मंडी यार्ड करौली का निर्माण

518. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समिति हिण्डौन के अन्तर्गत गौण मंडी यार्ड करौली में बनाये जाने का निर्णय हुआ था?

(2) क्या उक्त कृषि मंडी के निर्माण हेतु 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि आरक्षित की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि को अवाप्त कर वहां पर बसे हुए किसानों को मुआवजा दे दिया गया है एवं भूमि का कब्जा राज्य सरकार ने ले लिया है?

(3) उक्त भूमि का जब कब्जा ले लिया गया तो उसका निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) कब्जा लेने के पश्चात् राज्य सरकार के निर्णयानुसार जिला कलेक्टर करौली के आदेश दिनांक 11.8.99 की अनुपालना में मण्डी समिति ने उक्त भूमि का कब्जा 24.10.99 को अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को जिला कलेक्टर कार्यालय करौली बनाने हेतु सौंप दिया। अतः भूमि पर गौण मण्डी यार्ड का निर्माण संभव नहीं है।

जिला परिवहन कार्यालय अजमेर के अनियमितता संबंधी दर्ज प्रकरण

519. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अजमेर जिला परिवहन कार्यालय में चालान रसीदों की हेराफेरी से संबंधित लाखों रुपयों का कोई घोटांला पकड़ा तथा उक्त घोटालें में लिप्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज किया है। यदि हां, तो अब तक उस पर हुई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसी प्रकार का एक और प्रकरण अजमेर परिवहन विभाग से संबंधित दस लाख का घोटाला सरकार के ध्यान में आया है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या सरकार द्वारा अन्य जिलों के परिवहन विंभाग में कोई वित्तीय अनियमितताओं की जांच करवाई गई है। यदि हां, तो कब और कहां-कहां घोटाले हुए? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर में चालान हेराफेरी का मामला वर्ष 1999 में विभाग के आंतरिक जांच दल द्वारा पकड़ा गया था तथा दिनांक 30.8.99 को आन्तरिक जांच दल द्वारा

(यातायात मंत्री)

विशेष अंकेक्षण प्रारम्भ किया था। अंकेक्षण में रुपये 8,68,145 का गबन मिला, जिसमें से 8.19 लाख राशि पैनल्टी सहित वसूल हो चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भी राजकीय राशि के गबन का मामला पकड़े जाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 28 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। इनका अन्वेषण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी, नहीं। अजमेर परिवहन विभाग से सम्बन्धित घोटाले के अन्य प्रकरण विभाग की जानकारी में नहीं है। परिवहन कार्यालय, अजमेर में गबन के जो मामले पकड़े गये थे, उनमें भाग (1) के अनुसार प्रकरण दर्ज हो चुके हैं।

(3) जी, हां। वित्त विभाग के निर्देशानुसार निदेशक, निरीक्षक विभाग ने अपने आदेश दिनांक 6.12.99 द्वारा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर, बीकानेर तथा जिला परिवहन कार्यालय, भरतपुर एवं भीलवाड़ा में भी विशेष जांच प्रारम्भ की गयी है, रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पाली के अन्तर्गत जमा होने वाली राशि के चालानों में हेराफेरी के मामले पकड़े जाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 17 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अन्वेषण किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) में पेयजल व्यवस्था विहीन ग्राम

520. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा ज़िला भीलवाड़ा की कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं किस-किस तारीख से स्वीकृत है?

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से किन-किन का कार्य प्रारम्भ होकर पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन को मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो किसी भी पेयजल योजना से जुड़े हुए नहीं हैं? जनसंख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में कुल 177 आबाद गांव हैं, जिनमें 21 गांव क्षेत्रीय जल योजनाओं से, 12 पाइप्ड योजना से, 7 पी एण्ड टी योजना से, 15 टी.एस.एस. योजना से व 123 हैण्ड पम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं। दस वर्षों में स्वीकृत हुई योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से निम्न चार योजनाओं के अलावा सभी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। विवरण निम्नानुसार है : —

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	पंप एवं टैंक योजना, तालेरा	भूतल जलाशय के अलावा सभी कार्य पूर्ण कर पेयजल पी.एस.पी. के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। भूतल जलाशय का निर्माण ग्रामवासी व जनप्रतिनिधियों के विरोध के कारण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वे इसके स्थान पर उच्च जलाशय चाहते हैं, जिसका निर्माण विभागीय मानदण्डों के अनुसार संभव नहीं है।
2.	क्षे.ज.यो.; सोनियाना जबरकिया	भूतल जलाशय के अलावा सभी कार्य पूर्ण कर पेयजल पी.एस.पी. के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। भूतल जलाशय का निर्माण ग्रामवासियों व जन प्रतिनिधियों के विरोध के कारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वे इसके स्थान पर उच्च जलाशय चाहते हैं, जिसका निर्माण विभागीय मानदण्डों के अनुसार संभव नहीं है।
3.	क्षे.ज.यो., खांखरमाला ढूंगच	योजना पर स्रोत का निर्माण पूर्ण कर चालू कर दिया गया है। पाइप लाइन टेस्टिंग कार्य प्रगति पर है। भूतल जलाशय का निर्माण शीघ्र करा दिया जायेगा। योजना क्रियान्वयन में देरी का कारण स्रोत स्थल चयन एवं कुआं निर्माण में विवाद उभरना है।
4.	पुनर्गठित शहरी जल योजना, गंगापुर	योजना पर वितरण पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है एवं उच्च जलाशयों के निर्माण हेतु कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष स्वीकृत कार्य इनटेक वैल, राईजिंग लाइन फिल्टर प्लांट आदि योजना का स्रोत, मातृकुंडिया बांध, सूख जाने के कारण क्रियान्वित नहीं किये जा सके हैं।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पेयजल योजना से लाभान्वित हैं। ऐसा कोई भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पेयजल योजना से लाभान्वित होना शेष नहीं है। 48 ग्राम पंचायत मुख्यालय में से 7 क्षेत्रीय योजना से, 11 पाईप्ड योजना से, 5 पी एण्ड टी योजना से, 13 टी.एस.एस. योजना से व 12 हैण्ड पम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं। सूचि परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

परिशिष्ट-"क"

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के अंतर्गत गत 10 वर्षों में स्वीकृत पेयजल योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रकार	तहसील	स्वीकृति/दिनांक
1.	सोनियागा-जबरकिया	क्षेत्रीय	सहाड़ा	189 एप.सी/2.11.95
2.	सालेरा	पीएण्डटी	सहाड़ा	255 एप.सी/5.3.97
3.	खांखरमाला-ढूंगच	क्षेत्रीय	रायपुर	104 पीपीसी/12.12.92
4.	गंगापुर शहर	पुनर्गठित	सहाड़ा	
5.	डेलाना	पंप एवं टैंक	सहाड़ा	60 पीपीसी/17.1.90
6.	चीर का खेड़ा	पंप एवं टैंक	सहाड़ा	60 पीपीसी/17.1.90
7.	कांगनी	पंप एवं टैंक	सहाड़ा	101 पीपीसी/8.7.92
8.	उतलाई	पंप एवं टैंक	सहाड़ा	88 पीपीसी/20.7.91
9.	वालरां-मेरनिया खेडा	क्षेत्रीय	रायपुर	101 पीपीसी/8.7.92
10.	नाहरी जोगरास	क्षेत्रीय	रायपुर	102 पीपीसी/4.9.92
11.	भीटा भटेवर	क्षेत्रीय	रायपुर	101 पीपीसी/8.7.92
12.	खेमाणा गल्यावडी	क्षेत्रीय	रायपुर	101 पीपीसी/8.7.92
13.	झड़ोल	पाईप्ड	रायपुर	102 पीपीसी/4.9.92
14.	आसपुर	पंप एवं टैंक	रायपुर	104 पीपीसी/11.12.92
15.	आशाहोती	पंप एवं टैंक	रायपुर	77 पीपीसी/18.2.91

परिशिष्ट-"ख"

ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम	जनसंख्या 1991 के अनुसार	योजना का प्रकार जिससे लाभान्वित है
1	2	3	4
1.	कोशीथल	5589	पाइप्ड
2.	उम्मेदपुरा	746	हैण्ड पम्प
3.	चावण्डिया	689	हैण्ड पम्प
4.	उतलाई	2141	पी एण्ड टी
5.	सालेरा	1519	पी एण्ड टी
6.	नेगरडिया का खेड़ा	1061	हैण्ड पम्प
7.	गोवलिया	950	हैण्ड पम्प
8.	खांखला	2903	टीएसएस
9.	साथलियास	985	हैण्ड पम्प
10.	सहाड़ा	2823	क्षेत्रीय
11.	कांगणी	1404	पम्प एवं टेंक
12.	डेलाना	2007	पाइप्ड
13.	नान्दला	2105	टीएसएस
14.	चीरखेड़ा	1400	पंप एवं टेंक
15.	आमली	2475	पाइप्ड
16.	महेन्द्रगढ़	2628	पाइप्ड
17.	भूगास	1962	टीएसएस
18.	ठोसर	1164	हैण्ड पम्प
19.	शिवरति	1465	टीएसएस
20.	गणेशपुरा	295	हैण्ड पम्प
21.	पोटेला	5599	क्षेत्रीय
22.	माझावास	1836	पाइप्ड

1	2	3	4
23.	सुरावास	1293.	हैण्ड पम्प
24.	सरगांव	1543	टीएसएस
25..	भरक	1042	हैण्ड पम्प
26..	लाखोला	2883	पाइप्ड
27..	सोनियाणा	2127	क्षेत्रीय
28..	अरनिया	1170	हैण्ड पम्प
29.	भीटा	1028	क्षेत्रीय
30.	बागोलिया	1105	टीएसएस
31.	थला	1829	टीएसएस
32.	बोराणा	3446	पाइप्ड
33.	बागड़	948	टीएसएस
34.	कोट	1399	टीएसएस
35.	रायपुर	5567	पाइप्ड
36.	सग्रेव	2025	टीएसएस
37.	नाथडियास	1612	टीएसएस
38.	बोरियापुरा	1172	टीएसएस
39.	आशाथेली	2362	पंप एवं टेंक
40.	नारायण खेड़ा	832	क्षेत्रीय
41.	नाहरा	2131	क्षेत्रीय
42.	पालरा	1673	क्षेत्रीय
43.	खांखरमाला	790	हैण्ड पम्प
44.	मौखुन्दा	2149	पाइप्ड
45.	झंडोल	2431	पाइप्ड
46.	देवरिया	2610	पाइप्ड
47.	गलवा	1057	क्षेत्रीय
48.	नान्दसा जागीर	1874	टीएसएस

नलिनी कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी द्वारा भूमिगत जल प्रदूषण

521. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नलिनी कैमिकल्स प्रा.लि. भिवाड़ी ने प्रदूषित पानी को बोरिंग कर अन्डरग्राउण्ड वाटर में मिलाया हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उद्योग के पडौस में स्थित गोल्डन बोटलिंग उद्योग ने अपने उद्योग के लिए चार बोरिंग की थी जिसमें पीला प्रदूषित पानी निकला है? क्या वह नलिनी केमिकल्स का वही अन्डरग्राउण्ड प्रदूषित पानी नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि पर्यावरण विभाग यह मानता है कि नलिनी केमिकल्स प्रा.लि. के आस-पास प्रदूषित जल निकालने वाले और भी उद्योग हैं जिनकी वजह से गोल्डन बोटलिंग उद्योग में पीला पानी यानि प्रदूषित पानी निकला है? यदि हां, तो क्या कभी सरकार को उन प्रदूषित उद्योगों के मामले में सूचना दी गई?

(4) क्या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा ग्राम साथ का हरचन्दपुर एवं भिवाड़ी आलुपुर के कुओं के पानी की जांच की गई है? यदि हां, तो नतीजे क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। मैसर्स नलिनि कैमिकल्स प्रा.लि. भिवाड़ी द्वारा प्रदूषित पानी को बोरिंग कर अण्डरग्राउण्ड वाटर में नहीं मिलाया जा रहा है। उक्त इकाई दिनांक 15.2.1999 से बन्द है।

(2) उक्त इकाई के पड़ौस में स्थित गोल्डन बॉटलिंग उद्योग ने चार बोरिंग करवाये थे, जिनमें से तीन बोरिंग वर्तमान में बंद पड़े हैं तथा एक बोरिंग चालू है जिसमें हल्के पीले रंग का पानी पाया गया है। यह कहना कठिन है कि पानी का यह रंग नलिनी कैमिकल्स औद्योगिक इकाई के कारण है अथवा उक्त इकाई के पास से निकलने वाली रीको क्षेत्र में अन्य उद्योगों से निस्त्रावित उपचारित जल के कारण हैं।

(3) मै. नलिनी कैमिकल्स प्रा. लि. के आसपास लगभग 20 जल प्रदूषणकारी इकाइयां हैं जिनसे निस्त्रावित उपचारित जल रीको क्षेत्र द्वारा उक्त इकाई के पास से गुजरता है। गोल्डन बॉटलिंग उद्योग के एक बोरिंग से निकले हल्के पीले रंग के पानी के कारणों की जांच प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) जी, हां। इन ग्रामों के कुओं के पानी की जांच करने पर भूमिगत जल का दूषित होना प्रतीत होता है परन्तु इस बारे में विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात् ही किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव होगा।

पुलिस थाना बांदीकुई का प्रकरण संख्या 321/99

522. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पुलिस थाना बांदीकुई (दौसा) में प्रकरण संख्या 321/99 कब एवं किसके विरुद्ध किस सम्बन्ध में दर्ज करवाया गया? दर्ज प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में एक आरोपी द्वारा पुलिस कार्यवाही से बचने हेतु कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी? यदि हां, तो कब? क्या सरकार ने उक्त आरोपी के घरवालों को कोई मदद/आर्थिक सहायता दी है? यदि हां, तो क्या-क्या एवं किस आधार पर?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में आरोपियों की संख्या एक से ज्यादा थी? यदि हां, तो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या उक्त प्रकरण में अभी तक जांच पूर्ण नहीं हुई है? क्या सरकार उक्त जांच किसी उच्चाधिकारी या अन्य एजेन्सी से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 23.5.99 को श्री रामबाबू शर्मा, वनपाल बांदीकुई ने थाना बांदीकुई पर श्री सीताराम शर्मा, वृक्ष पालक की हत्या के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अभियोग संख्या 321/99 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं. पंजीबद्ध किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है।

(2) जी, हां। दिनांक 26.5.99 को थानाधिकारी बांदीकुई द्वारा उक्त प्रकरण के अनुसंधान हेतु ग्राम पामाड़ी में ग्रामवासियों एवं ओमप्रकाश सैनी के समक्ष उसकी पत्नी श्रीमती रत्नी देवी से पूछताछ की गई। श्रीमती रत्नी देवी ने अपने पति ओम प्रकाश द्वारा कुल्हाड़ी से वार कर सीताराम की हत्या करना बताया। पूछताछ के दौरान ओम प्रकाश सैनी अपने घर के पास बने कुए में कूद गया व आत्म हत्या कर ली। आरोपी श्री ओम प्रकाश सैनी की विधवा मु. रतनी की आर्थिक तंगी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य मंत्री सहायता कोष से राशि रुपये 10,000/- की आर्थिक सहायता दी गई। दौसा जिले में दिनांक 1.5.99 से 17.7.99 तक भूमि आवंटन अभियान के दौरान श्री ओम प्रकाश सैनी की विधवा मु. रतनी द्वारा भूमि आवंटन सलाहकार समिति को आवेदन करने पर पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए भूमि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 14.6.99 को 0.50 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

(3) अब तक के अनुसंधान से किसी अन्य व्यक्ति का इस प्रकरण में लिप्त होना प्रकाश में नहीं आया है। वर्तमान में उक्त प्रकरण का अनुसंधान सी.आई.डी. (सीबी) द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

परिशिष्ट-"अ"

प्रतिलिपि प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभियोग सं. 321/99 धारा 302 भादसं दिनांक 23.5.99 थाना बांदीकुई, जिला दौसा

कार्यालय वन पाल नाका बांदीकुई क्रमांक 24 दि. 23.5.99 सेवा में श्रीमान एस.एच.ओ. महोदय शहर कोतवाली बांदीकुई विषय सीताराम पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा साकिन अरनिया वन पालक वन विभाग रेन्ज बांदीकुई की हत्या कर दिये जाने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सीताराम शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा साकिन अरनिया वृक्ष पालक के पद पर बांदीकुई प्लांटेशन में तैनात था। सीताराम वृक्ष पालक के बड़े भाई रामहेत ने बताया की सीताराम दिनांक 19.5.99 को प्रातः 8 बजे घर से अपनी ड्यूटी पर बांदीकुई प्लान्टेशन में जाने के लिए रवाना हुआ था। पीचू पाड़ा खुर्द में उसने साईकिल जो पन्चर थी को रख दिया और किसी अज्ञात व्यक्ति की राजदूत मोटर साईकिल पर बैठकर बांदीकुई की तरफ रवाना हो गया। लेकिन बांदीकुई आफिस में नहीं पहुंचा। कई दिन घर नहीं पहुंचने पर घरवालों के द्वारा सभी रिश्तेदारों के तलाश करने व मित्रों, कर्मचारियों से पूछताछ करने के बाद प्लांटेशन में स्टाफ व भाईयों तथा रिश्तेदारों के साथ तलाश किया तो उसकी लाश एक गहरे नाले में पड़ी मिली है। जिसे कई जगह धारदार हथियारों से काट रखा है। लाश सड़ने लग गई है। काफी दुर्गन्ध आ रही है। रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवा में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही हेतु प्रेषित है। भवदीय एस.डी. रामबाबू शर्मा वन पालक बांदीकुई (दौसा) रामबाबू शर्मा पुत्र श्री विशम्भर दयाल शर्मा वन पाल नाका बांदीकुई ग्राम पोस्ट नाटोज थाना खेड़ली जिला अलवर (राज.)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी बखत हिन्दी श्री रामबाबू पुत्र श्री विशम्भर दयाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 40 साल निवासी नाटोज थाना खेड़ली जिला अलवर हाल वन पाल, वन विभाग बांदीकुई ने उपस्थित थाना होकर पेश की। जिसकी नकल रजिस्टर एफ.आई.आर. में अक्षर स अक्षर की गई। सुन समझ सही मान हस्ताक्षर किये। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 302 आई.पी.सी. का पाया जाता है। अतः मु.नं. 321/99 धारा उपरोक्त में कायम कर मन एस.एच.ओ. महावीर प्रसाद शर्मा मशरूफ तफतीश हुआ प्रतियां एफ.आई.आर. व एस. आर. नियमानुसार जारी की गई। एक प्रति एफ.आई.आर. की निःशुल्क मुस्तगीस को दी गई।

एस.डी.एस.एच.ओ.

बांदीकुई 23.5.99

पुलिस थाना चितरी (डूंगरपुर) में दर्ज हत्या प्रकरण

523. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि थाना चितरी तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में अब तक पांच व्यक्तियों की हत्याएं की जा चुकी है? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रकरणों में कितने मुल्जिमानों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हत्याओं की जांच एक उपनिरीक्षक द्वारा की गई? यदि हां, तो क्या उक्त उपनिरीक्षक ने मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं करने हेतु राशि वसूली है? सरकार उक्त प्रकरण में उक्त उपनिरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति को थाना चितरी से हटाने के लिए कई बार शिकायतें की गई हैं? क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शह के कारण उन्हें अभी तक नहीं हटाया गया है? क्या सरकार उसे हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) थाना चितरी तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में एक जनवरी, 1999 से 31.3.2000 तक हत्या के चार अभियोग पंजीबद्ध हुए जिनमें तीन हत्याएं हुई एवं एक ही मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होना पाई गई। इनका अभियोगवार विवरण निम्नांकित है: —

1. अभियोग सं. 49/99 में श्री बापू की हत्या हुई है।

2. अभियोग सं. 98/99 में श्री गिरधारी की हत्या हुई है।

3. अभियोग सं. 111/99 में श्रीमती मीरा की हत्या हुई है।

4. अभियोग सं. 145/99 में श्री कलण की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। क्र.सं. 1, 2 व 3 पर अंकित अभियोगों में कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं एवं सभी मुलजिमान के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

(2) यह सही है कि, उपरोक्त अभियोगों का अनुसंधान उप निरीक्षक द्वारा ही किया गया है। उप निरीक्षक द्वारा मुल्जिमानों की गिरफ्तारी नहीं करने के लिए कोई राशि वसूलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) पुलिस थाना चितरी के थानाधिकारी को हटाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कृषि उपज मण्डी समितियों का निर्वाचन

524. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों का श्रेणीकरण किस आधार पर होता है? पूर्व में उक्त श्रेणीकरण कब हुआ था तथा अब यह समयबद्ध श्रेणीकरण कब से होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव का क्या प्रावधान है? पूर्व में चुनाव कब हुआ था? गत वर्षों में यह चुनाव नहीं हुये, तो क्यों?

(3) सरकार की अब चुनाव करवाने की क्या कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मण्डी समितियों का श्रेणीकरण मण्डी शुल्क से आय के आधार पर होता है। पूर्व में श्रेणीकरण दिनांक 7.8.95 को किया गया था। भविष्य में आय को आधार मानते हुए कभी भी श्रेणीकरण किया जा सकता है।

(2) कृषि उपज मण्डियों के चुनाव राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 7 में प्रावधित है। चुनाव वर्ष 1974-75 में हुए थे। चुनाव नियमों में संशोधन विचाराधीन होने के कारण चुनाव सम्पन्न नहीं कराये जा सके।

(3) चुनाव, नियमों में संशोधन के उपरान्त कराया जाना विचाराधीन है।

जिला जयपुर में वाहनों से गोल्डन/ग्रीन पास से आय

525. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला जयपुर में अक्टूबर, 1999 से फरवरी, 2000 तक कुल कितने अवैध वाहनों के चालान किये गये और उनसे कितनी आय हुई?

(2) क्या अवैध (वीडियो कोच) वाहनों की जांच के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों द्वारा जांच नहीं करने हेतु कोई निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा और नहीं, तो उक्त अवधि में कितनी अवैध वीडियो कोच बसों का चालान पेश किया? बसों के नम्बर सहित सूचि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा कोई गोल्डन व ग्रीन पास की अनुमति प्रदान की गई है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 में सरकार की उक्त पास से कितनी आय हुई तथा उक्त पासों के लागू करने के पूर्व सरकार को वर्ष 1998-99 में कितना राजस्व प्राप्त हुआ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार को ग्रीन व गोल्डन पास योजना लाभकारी है? यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष में कितना लाभ प्राप्त हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में अक्टूबर, 99 से फरवरी, 2000 तक की अवधि में अवैध संचालन को रोकने के सम्बन्ध में कुल 1407 वाहनों के चालान बनाये जाकर उनसे रुपये 51.80 लाख की प्रशमन राशि वसूल की गयी। (सूची संलग्न है)

(2) जी, नहीं, वाहनों के अवैध संचालन की जांच नहीं करने के आदेश किसी उच्चाधिकारी ने नहीं दिये हैं। वीडियो कोच नाम से वाहन मोटर यान नियमों/अधिनियम में परिभाषित नहीं है। इसलिए इनके चालान पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में बसों के लिए कोई गोल्डन पास स्कीम नहीं है।

(4) जी, नहीं। जब गोल्डन पास योजना बसों के लिए लागू ही नहीं है, तब इसके लाभकारी या अलाभकारी होने का प्रश्न नहीं उठता है।

जयपुर जिले में अवैध वाहनों के अक्टूबर, 1999 से फरवरी, 2000 तक बनाये गये चालानों की सूची

क्र.सं.	श्रेणी वाहन	चालानों की संख्या	प्राप्त आय लाखों में
1.	बस	285	14.43
2.	मिनी बस	267	6.53
3.	टैक्सी कार/जीप	233	4.19
4.	प्राईवेट जीप/कार	476	24.07
5.	टैम्पों	039	0.98
6.	ऑटो रिक्शा	106	1.60
	योग	1407	51.80

विधान सभा क्षेत्र चूरू की जल प्रदाय योजना

526. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में कुल कितनी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, कितने नलकूप, विभाग द्वारा संचालित हैं तथा इससे कितने गांवों को लाभान्वित किया जा रहा है और कितने कुएं व नलकूप माह दिसम्बर, 1999 से बन्द हैं?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने कुएं ऐसे हैं जिन पर विभाग ने 1 वर्ष से अधिक समय से विद्युत सम्बन्ध ले रखा है परन्तु मोटर लगाकर पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का विचार रखती है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी पाइप लाइन शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में डाली जानी प्रस्तावित थी जिनमें से कितनी पाइप लाइन को कहां-कहां, कब-कब डाल दी गई कितनी शेष है तथा कितनी पाइप लाइन को मुख्य पाइप लाइन से जोड़ा नहीं गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने जी. एल. आर. व पानी की बड़ी टंकियों को जलश्रोतों से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार उक्त जी. एल. आर. व बड़ी टंकियों को जलस्रोत से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने गांवों में माह दिसम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक कब-कब पेयजल पानी के टैंकर से उपलब्ध करवाया तथा इस पर विभाग की कितनी राशि व्यय हुई?

(6) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयत्र (आर.ओ.प्लांट) स्थापित है? यदि हां, तो कितने, कब से खराब हैं?

(7) क्या सरकार खराब आर.ओ.प्लान्ट को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया?

(8) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित कुओं की मोटर जल जाने के कारण दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक कितनी राशि व्यय की गई? क्या कुओं की मोटर ठीक करने की विभाग ने कोई निविदाएं आमंत्रित की हैं? यदि हां, तो कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में 5 क्षेत्रीय प्रदाय योजनाएं है। वर्तमान में विभाग द्वारा 142 खुले कुएं व 38 नलकूप संचालित हैं, जिनसे 101 गांवों को लाभान्वित किया जा रहा है। माह दिसम्बर 1999 से 4 डग कम बोर (डी.सी.बी.) केसिंग पाइप के क्षतिग्रस्त होने से बन्द पड़े हुए हैं।

(2) चूरू विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कोई कुएं नहीं है जो एक वर्ष से अधिक अवधि से विद्युत सम्बन्ध के बावजूद मोटर पम्प लगाकर चालू नहीं हुए हैं। अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में चूरू विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 34.38 कि.मी. व शहरी क्षेत्र में 17.50 कि.मी. पाइप लाइन डाली जानी थी। ग्रामीण क्षेत्र में 34.50 कि.मी. व शहरी क्षेत्र में 12.75 कि.मी. पाइप लाइन डाली जा चुकी है। डाली गई पाइप लाइन का स्थान समयावधि प्रपत्र "ब" पर संलग्न है। शहरी क्षेत्र में 4.75 कि.मी. पाईप लाइन डाली जानी शेष है एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत पूरी पाइप लाइन डाल दी गई है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में उक्त डाली गई समस्त पाइप लाइन मुख्य पाइप लाइन से जोड़ी जा चुकी है तथा शहरी क्षेत्र में डाली गई पाइप लाइन में से 5.30 कि.मी. पाइप

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

लाइन (रतनगढ़ रोड़ जोन, कलेक्ट्रेट जोन व कोल इण्डिया जोन) को मुख्य पाइप लाइन से जोड़ा जाना शेष है।

(4) चूरू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण योजनाओं पर स्थित 15 भूतल जलाशयों को जलस्त्रोतों से जोड़ना शेष है। उक्त सभी जलाशय 32 जिला 32 काम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् निर्मित किये गये थे, परन्तु बाद में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्त्रोत से जलाशय तक पाइप लाइन डालने हेतु आवश्यक राशि विभाग को उपलब्ध नहीं कराने के कारण स्त्रोत से नहीं जोड़े जा सके हैं। उक्त जलाशयों को स्त्रोत से जोड़ने हेतु विभागीय प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। प्राथमिकता एवं धन उपलब्धता के आधार पर कार्य पूर्ण संभव हो सकेगा। शहरी क्षेत्र में संवर्धन योजना चूरू के अन्तर्गत तीन उच्च जलाशय एवं तीन स्वच्छ जलाशयों को स्त्रोत से जोड़ना बकाया है। इन जलाशयों को स्त्रोत/योजना से जोड़ने हेतु पम्प/मोटर का इन्स्टालेशन कार्य एवं तदनुसार पाइप लाइन के मिलान आदि का कार्य प्रगति पर है। उक्त सभी जलाशयों को इसी वित्तीय वर्ष में जोड़ा जाना लक्षित है।

(5) चूरू विधान सभा क्षेत्र में माह दिसम्बर, 1999 से माह फरवरी 2000 तक प्रतिदिन कुल 10 गांवों को टैंकरों से पानी उपलब्ध करवाया गया, जिस पर अनुमानतः 2.50 लाख रुपये व्यय हुए।

(6) विधान सभा क्षेत्र चूरू में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने हेतु 12 संयंत्र वर्ष 1990-91 में स्थापित किये थे। वह सभी संयंत्र वर्ष 1994 से बन्द है। वर्तमान में इन सभी गांवों को निकटतम स्त्रोत से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(7) खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले संयंत्रों की क्षमता, वर्तमान में पेयजल मांग व उन्हें पुनः चालू करने में होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए टेक्नोइकोनोमिकल आधार पर अलग से पुनः चालू करने का निर्णय लिया जाना संभव होगा।

(8) विधान सभा क्षेत्र चूरू में विभाग द्वारा संचालित कुओं एवं नलकूपों की मोटर जल जाने के कारण, माह दिसम्बर 1998 से फरवरी 2000 तक लगभग रुपये 14.62 लाख व्यय हुए। वर्ष 1998-99 व 1999-2000 हेतु मोटर पम्प रिपेयरिंग की निविदाएं निम्नप्रकार से आमंत्रित की गई। निविदा की प्रति संलग्न है।

1. वर्ष 98-99 हेतु दिनांक 24.6.97
2. वर्ष 99-2000 हेतु दिनांक 21.8.98

(प्रपत्र व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां का तेन्दू पत्तों का ठेका

527. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री हेमन्त कुमार)

क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात् भी शेरगढ़ अभ्यारण्य जिला बारां में तेन्दू पत्तों का ठेका दिया जायेगा? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 548 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 3.4.2000 में अभ्यारण्य क्षेत्रों से तेन्दू पत्ता तोड़ने एवं संग्रहण करने वापस पाबन्दी नहीं होने का उल्लेख किया है।

वर्ष 1999 से ही शेरगढ़ अभ्यारण्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण का ठेका दिया जा रहा है।

नगर परिषद् भरतपुर द्वारा प्रशासनिक भवन का निर्माण

528. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् भरतपुर द्वारा प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु कोई योजना प्रस्तावित की थी? यदि हां, तो कब तथा उक्त भवन के निर्माण हेतु कितनी राशि अनुमानित की गई? उक्त अनुमानित राशि के अनुरूप भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी बार निविदायें आमंत्रित की गई तथा उक्त भवन के बनने पर कुल कितनी राशि व्यय हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भवन के निर्माण हेतु निविदा आवंटन में अपनाई गई प्रक्रिया वैधानिक एवं नियमानुसार थी? यदि हां, तो क्या भवन निर्माण के कार्य पूर्ण होने वाला व्यय आमंत्रित निविदा से कई गुना अधिक था? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि नगर परिषद्, भरतपुर ने प्रशासनिक भवन निर्माण करने की योजना प्रस्तावित की थी। इस योजना के लिये नगर परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 में 30 लाख व वर्ष 1998-99 में 16 लाख व वर्ष 1999-2000 में 20 लाख रुपये का प्रावधान किया।

प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु प्रथम बार 8 लाख व शेष कार्य के लिए द्वितीय बार 9.50 लाख व इसमें फर्नीचर सप्लाई एवं फिटिंग हेतु 10 लाख की निविदायें आमंत्रित की गई। प्रशासनिक भवन के निर्माण पर 40,89,880/- रु. व्यय हुये।

फर्नीचर सप्लाई व फिटिंग पर 19.50 लाख रुपये व्यय हुए हैं। जिसमें से 1.68 लाख रुपये का भुगतान हुआ है।

(2) जी, नहीं। इस मामले में अनियमिततायें हुई है जिसकी शीघ्र ही जांच करवाई जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

529. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य के विरुद्ध वर्ष 1994-95 से जनवरी, 2000

(श्री हीरालाल विश्नोई)

तक सरकार को फसली ऋण वितरण में कम्प्यूटर कार्य में, बिना विवेक से अमानतें लेकर बैंक को हानि पहुंचाने में एकीकृत ग्रामीण विकास के ऋण वितरण में, अवैध नियुक्तियों में, मीनी बैंक की अमानतों के दुरुपयोग में, ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्वीकृत साख सीमाओं के दुरुपयोग आदि में गम्भीर शिकायतें व्यक्तियों द्वारा वैधानिक निरीक्षण/ऑडिट रिपोर्ट द्वारा सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध कब जांच करवाई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब सरकार उक्त के विरुद्ध जांच करवाकर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सह सही है कि उक्त बैंक में कम्प्यूटरीकरण के कारण ग्राहकों को लेन-देन में असुविधाएं हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे असक्षम अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक के संबंध में उल्लेखित अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उक्त शिकायतों की जांच के आदेश राजस्थान राज्य सरकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अंतर्गत दिनांक 22.7.99 को जारी किये गये। जांच रिपोर्ट दिनांक 7.4.2000 को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या अनियमिततायें किया जाना पाया गया किन्तु प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्व का स्पष्ट रूप से बिन्दुवार निर्धारण नहीं किये जाने से पुनः स्पष्ट दायित्व निर्धारण हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के तहत आदेश दिनांक 19.4.2000 जारी कर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. को जांच अधिकारी नियुक्त कर उन्हें जांच रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी, नहीं। बैंक में कम्प्यूटरीकरण के संबंध में ग्राहकों अथवा सदस्यों से बैंक को कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न संख्या-530

(स्थगित)

कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर द्वारा सड़क निर्माण पर व्यय

531. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत दो वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर का आय-व्यय कितना रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डी समिति के सड़क बनाने के कितने प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं और स्वीकृति न होने के

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

क्या कारण हैं? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो मण्डी समिति की कुल आय में से कितनी प्रतिशत राशि उक्त सड़कों पर व्यय की जावेगी?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण मण्डी समिति द्वारा कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये हैं।

(3) जी, हां। मण्डी समिति की आय में से संस्थापन एवं प्रशासनिक व्यय, देनदारिया एवं अन्य अपरिहार्य दायित्व को निकालने के पश्चात् शेष में से 60 प्रतिशत राशि सड़कों पर एवं 40 प्रतिशत राशि मण्डी प्रांगण विकास पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। धौलपुर मण्डी की परियोजना कार्यों की 231.18 लाख रुपये की देनदारियां हैं अतः देनदारियों के पश्चात् ही उक्त प्रकार राशि व्यय की जा सकेगी।

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, धौलपुर की गत दो वर्षों का आय-व्यय विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99
	आय पक्ष		
1.	मण्डी शुल्क से आय	27.69	30.96
2.	अन्य आय	9.01	15.52
	योग	36.70	46.48
	व्यय पक्ष		
1.	संस्थापन / अन्य व्यय	29.22	40.48
2.	मण्डी विकास कार्यों पर व्यय	2.97	0.39
	योग	32.19	40.87

जिला दौसा में अवैध रूप से चल रहे जुगाड़

532. श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मण्डावरी (दौसा) से शहर दौसा व गंगापुर सिटी की तरफ करीब 500 वाहन जिनको "जुगाड़" के नाम से जाना जाता है अनधिकृत रूप से चल रहे हैं? क्या उक्त "जुगाड़" के चालक बिना मोटर ड्राइविंग लाइसेंसधारी हैं? क्या उक्त चालकों ने उक्त क्षेत्र के सड़क यातायात को भारी असुरक्षित कर दिया है?

(श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि मण्डावरी व लालसोट (दौसा) में ये "जुगाड़" वाले सड़क के दोनों ओर अपने वाहनों को बेतरतीब खड़ा करके आवागमन को अवरुद्ध कर देते हैं और एतराज करने पर इकट्ठे होकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं?

(3) क्या यह सही है कि "जुगाड़" वाहन का मोटर व्हीकल एक्ट में कोई नाम नहीं है? क्या उक्त व्यक्ति सरकार को कोई रोड टैक्स, परमिट टैक्स या अन्य टैक्स नहीं देते हैं और इनका चलना गैर कानूनी है? यदि हां, तो सरकार इनको रोकने में क्यों असमर्थ है?

(4) क्या यह भी सही है कि परिवहन कार्यालय ओ. ऑफिस व दौसा जिला पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी इन "जुगाड़" मालिकों से माहवारी लेते हैं और मिली भगत से इनको सड़क पर अनाधिकृत/गैर कानूनी रूप से चलने देते हैं?

(5) क्या इस प्रकार माहवारी लेकर नियम विरुद्ध तरीके से सरेआम दिन के उजाले में इन "जुगाड़" वालों को सड़क पर चलाये रखना भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? क्या इससे सरकारी आय व जन सुरक्षा को खतरा नहीं होता है? यदि हां, तो सरकार इस प्रकार के वाहन को चलने से क्यों नहीं रोकती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि इस क्षेत्र में वाहनों की चैकिंग के दौरान ऐसे वाहन जिन्हें बोलचाल की भाषा में "जुगाड़" कहते हैं, चलते पाये गये हैं। इस तरह के कितने "जुगाड़" चल रहे हैं, इसकी निश्चित संख्या बताया जाना संभव नहीं है। "जुगाड़" पंजीयन योग्य वाहन नहीं है। इसलिए इसे चलाने के लिए कोई ड्राइविंग लाईसेंस वैध नहीं है। अत: जो भी जुगाड़ चलाता है वह बिना वैध मोटर ड्राइविंग लाइसैंस ही होता है।

(2) इस तरह का कोई मामला विभाग के समक्ष नहीं आया है और न ही संबंधित थानों में इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है।

(3) यह सही है कि मोटर व्हीकल एक्ट में "जुगाड़" नाम का कोई वाहन नहीं है। इस तरह के वाहन का प्रोटो टाइप पास न होने के कारण इसका पंजीयन मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानानुसार नहीं किया जा सकता, इसलिए इनसे किसी प्रकार का रोड टैक्स, परमिट टैक्स या अन्य टैक्स प्राप्त नहीं होता। पंजीयन योग्य वाहन न होने के कारण इनका चलना गैर कानूनी है। विभाग द्वारा इन्हें रोकने के लिए नियमित रूप से चैकिंग पर जांच करवाई जाती है। वर्ष 1999-2000 में 50 "जुगाड़" जप्त किये जा कर इनके विरुद्ध न्यायालय में इस्तगासे दायर किये गये हैं इनमें से 46 मामलों में न्यायालय ने इनको डिस्मेन्टल करने के आदेश दिये हैं जिनको

(यातायात मंत्री)

डिस्मेन्टल करवाया जा चुका है। 4 इस्तगासे न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) यह सही नहीं है कि दौसा के परिवहन कार्यालय / पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा इन "जुगाड़" मालिकों से माहवारी लेकर इन्हें सड़क पर अनाधिकृत रूप से चलने दिया जाता है।

(5) "जुगाड़" वालों को सड़क पर चलाये रखने में विभाग की कोई भूमिका नहीं है इसलिए यह कहना कि इन्हें सड़क पर चलाये रखना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, सही नहीं है। पंजीयन योग्य वाहन न होने के कारण इनसे सरकार को किसी तरह की आय नहीं हो सकती है। सड़क पर ऐसे वाहन चलना जन सुरक्षा को खतरा पैदा करता है। सरकार इन वाहनों को रोकने के लिए भरसक प्रयासरत है एवं सभी जिला परिवहन अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि इस तरह के वाहन सड़क पर चलते पाये जाने पर इन्हें जप्त किया जाकर न्यायालय में इस्तगासे दायर किये जावें एवं उनसे आदेश प्राप्त करके इन्हें डिस्मेन्टल करवाया जावे।

कनिष्ठ अभियन्ता उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) के स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन

533. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1998 से फरवरी, 2000 की अवधि में कनिष्ठ अभियन्ता, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं को कौन-कौन सा सामान स्टोर से जारी किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सामान-किस-किस कार्य के लिये कितना-कितना दिया गया तथा किस-किस कार्य पर कितना-कितना कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने स्टोर से किस-किस को जारी किया गया?

(3) क्या उक्त सामान कनिष्ठ अभियन्ता के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया? क्या उक्त अभियन्ता द्वारा सामान अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया अथवा नहीं इस बात का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया?

उत्तर

(1) जनवरी, 98 से फरवरी, 2000 तक की अवधि में कनिष्ठ अभियन्ता, उदयपुरवाटी को खण्डीय भण्डार से जो सामान जारी किया गया उसकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) उक्त सामान कनिष्ठ अभियन्ता के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया तथा उसके स्टोर से योजनाओं पर सामान दिया गया है तथा इस बात का सत्यापन भण्डार सत्यापक, राज. जल प्रदाय सीवरेज एवं प्रबन्ध मण्डल, राज. जयपुर द्वारा भण्डार का सत्यापन माह 3/99 में किया गया था।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर के प्रदूषित जल से प्रभावित कृषि भूमि

534. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर की 3 किलोमीटर परिधि में गांव आबाद है? यदि हां, तो ग्राम एवं मजरों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्रामों की भूमि में क्षारीयता का प्रतिशत सामान्य से अधिक तथा कृषि भूमि के बंजर हो जाने से कृषि उपज में कमी आई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र के उद्योगों द्वारा निस्त्रावित प्रदूषित जल तथा वायु निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषित है?

(4) क्या उक्त क्षेत्र के उद्योगों द्वारा खतरनाक अवशेष पदार्थों के दफनाये जाने एवं नष्ट करने बाबत समस्त कार्यवाही की जा चुकी है? यदि हां, तो उद्योगवार विवरण सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों? अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर की 3 किलोमीटर परिधि में 14 गांव निम्नांकित है:—तहसील अलवर में मूंढपुरा, डोरेडा, खानपुरजाट, देसूला, नहारपुर, खैरली सैयद, कैरवाजाट, इमेडा, ककरालीजाट, भजीट, धधोली तथा तहसील रामगढ़ में कमालपुर, ढाढोली तथा सांखला है।

(2) इस क्षेत्र की मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर तीन गांव नहारपुर, खानपुरजाट व कमालपुर की भूमि का पी.एच. मान सामान्य तथा नौ गांवों भजीट, देसूला, धिधोली, गुन्दपुर, झारेडा, खैरली सैयद, कैरवाजाट, ककरालीजाट, डमेडा, ढाढोली, सांखला की भूमि का पी.एच.मान 8.0 से 9.0 पाया गया जो सामान्य से कुछ अधिक क्षारीय है जिससे कृषि उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ना नहीं पाया गया।

(3) मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर में स्थित कुछ उद्योगों द्वारा निस्त्रावित प्रदूषित जल तथा वायु निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषित है। इनसे संबंधित निर्धारित मानक व अंतिम जांच रिपोर्ट का उद्योगवार विवरण परिशिष्ठ "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(4) मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर स्थित तीन उद्योगों द्वारा खतरनाक अवशेष पदार्थों के दफनाये जाने/नष्ट करने हेतु समस्त कार्यवाही की जा चुकी है। इन उद्योगों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। अन्य कुछ उद्योग जिनके द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है, को मण्डल द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी कर खतरनाक अवशेष पदार्थों को दफनाये जाने एवं नष्ट करने हेतु कार्यवाही पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है। विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

परिशिष्ट -"अ"

उक्त जल प्रदूषक उद्योगों के निर्धारित मानक तथा अंतिम जांच रिपोर्ट का उद्योगवार तुलनात्मक विवरण, जिनका निस्त्रावति प्रदूषित जल निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषित है

क्र. सं.	उद्योग का नाम	अंतिम नमूना एकत्रिकरण की दिनांक	पी.एच.		टी.एस.एस. मि.ग्रा./लीटर		बी.ओ.डी. मि.ग्रा./लीटर		सी.ओ.डी. मि.ग्रा./लीटर		ऑयल एण्ड ग्रीस मि.ग्रा/लीटर		टी.डी.एस मि.ग्रा./लीटर	
			निर्धारित मात्रा	जांच के अनुसार	निर्धारित मात्रा	जांच के अनुसार	निर्धारित मात्रा	जांच के अनुसार	निर्धारित मात्रा	जांच के अनुसार	निर्धारित मात्रा	जांच के अनुसार	निर्धारित मात्रा	जांच के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	मै. मेहर डेयरी इण्डस्ट्रीज	7.1.2000	5.5 से 9.0	7.8	100	168	30	384	250	538	10.0	18	2100	2430
2.	मै. जे. एल. निट इण्डिया	7.1.2000	तदैव	7.95	तदैव	78	तदैव	47	तदैव	238	तदैव	8	तदैव	1860
3.	मै. इन्डिटाल टिन्टोरिया	25.11.99	तदैव	7.4	तदैव	74	तदैव	28	तदैव	262	तदैव	8	तदैव	2250
4.	मै. राज सोलवेक्स लिं.	15.11.99	तदैव	7.8	तदैव	68	तदैव	54	तदैव	236	तदैव	8	तदैव	1580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	मै. श्री नृसिंह पेपर एण्ड ऑयल लि.	2.6.99	तदैव	8.5	तदैव	156	तदैव	705	तदैव	2256	तदैव	11	तदैव	750
6.	मै. रीजनल ऑयल मिल	19.4.99	तदैव	8.5	तदैव	109	तदैव	36	तदैव	289	तदैव	13	तदैव	2050
7.	मै. डाबर इण्डिया लि.	20.2.2000	तदैव	7.0	तदैव	106	तदैव	39	तदैव	190	तदैव	4	तदैव	1730
8.	मै. अजन्ता केमिकल	12.7.99	तदैव	7.1	तदैव	121	तदैव	19	तदैव	159	तदैव	4	तदैव	850

परिशिष्ट-"ब"

उन वायु प्रदूषक उद्योगों के निर्धारित मानक तथा अंतिम जांच रिपोर्ट का उद्योगवार तुलनात्मक विवरण, जिनकी उत्सर्जित प्रदूषित वायु निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषित है

क्र. सं.	उद्योग का नाम	अंतिम नमूना एकत्रिकरण का दिनांक	एस.पी.एम. (एम्बीयन्ट) माइक्रोग्राम/एम^3		क्लोरीन (एम्बीयन्ट) मि.ग्रा./एम^3	
			निर्धारित मात्रा	जांच के अनुसार	निर्धारित मात्रा	जांच के अनुसार
1.	मै. भगवती मिनरल	29.6.99	600	639	—	—
2.	मै. मारबल इण्डिया	12.11.98	तदैव	679	—	—
3.	मै. खेतावत मिनरल	25.8.99	तदैव	632	—	—
4.	मै. खण्डेलवाल मिनरल	25.8.99	तदैव	621	—	—
5.	मै. जी. एम. उद्योग	29.6.99	तदैव	621	—	—
6.	मै. लक्ष्मी स्टील इण्डस्ट्री	13.11.98	तदैव	617	—	—
7.	मै. राजस्थान मारबल	28.11.99	तदैव	624	—	—
8.	मै. हनुमान मिनरल	30.12.99	तदैव	651	—	—
9.	मै. रामोतार पेट्रोकेम	17.7.99	तदैव	—	3.0	3.3
10.	मै. शान्ति केमिकल्स	17.4.99	—	—	तदैव	4.8
11.	मै. अलवर केमिकल्स	19.4.99	—	—	तदैव	3.8
12.	मै. स्वदेशी केमिकल	19.4.99	—	—	तदैव	3.3

परिशिष्ट-"स"

मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उन कार्यरत उद्योगों के नाम जिन्होंने खतरनाक अवशेष पदार्थों को दफनाने/नष्ट करने हेतु व्यवस्था कर ली है

क्र.सं.	उद्योग का नाम	खतरनाक अवशेष पदार्थ की श्रेणी	स्थापित व्यवस्था
1.	मै. राहुल मेटल इण्डस्ट्रीज जै-514, एम.आई.ए., अलवर	3,18	उद्योग द्वारा लैड वेस्ट को दफनाये जाने हेतु व्यवस्था कर ली गई है। उद्योग द्वारा प्लास्टिक केसिंग आदि को बेचा जाता है।
2.	मै. दीवानवाला केमिकल्स डायज प्रा.लि. ए-187, एम.आई.ए., अलवर	18	उद्योग द्वारा उत्पन्न खाली कंटेनर्स को साफ करके काटा जाता है तथा स्क्रेप के रूप में बेचा जाता है।
3.	मै. राजस्थान डायज एण्ड केमिकल्स एफ-181 (ए), एम.आई.ए., अलवर	18	उपरोक्तानुसार

परिशिष्ट-"द"

मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर में स्थित उन कार्यरत उद्योगों की सूची जिन्होंने खतरनाक अवशेष पदार्थों को दफनाये जाने हेतु/नष्ट करने हेतु कार्यवाही नहीं की है

क्र. सं.	उद्योग का नाम	खतरनाक अवशेष पदार्थ की श्रेणी	स्थापित व्यवस्था	उद्योग को जारी नोटिस आदि का विवरण
1	2	3	4	5
1.	मै. अशोक लीलेण्ड, एम्.आई.ए. अलवर	10,12,18	उद्योग द्वारा उत्पन्न वेस्ट ऑयल रिप्रोसेसिंग इकाइयों को बेचा जाता है। खाली कंटेनर्स साफ करने के पश्चात् काट कर स्क्रेप के रूप में बेचे जाते हैं जबकि ई.टी.पी. स्लज को भण्डारण की व्यवस्था है। उद्योग द्वारा ई.टी.पी.स्लज को दफनाने की व्यवस्था नहीं की है।	उद्योग को दिनांक 20.7.99 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
2.	मै. इन्डीट्रल टिन्टोरिया लि.	10,12,18	तदैव	उद्योग को दिनांक 3.11.99 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
3.	मै. जे. एल. निट (इण्डिया) प्रा. लि., एम.आई.ए., अलवर	10;12,18	तदैव	उद्योग को दिनांक 29.11.99 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

1	2	3	4	5
4.	मै. प्राइम केम ऑयल लि. 123, एम.आई.ए., अलवर	10,12,18	उद्योग द्वारा वेस्ट ऑयल व स्पैन्ट निकल को रिप्रोसेसिंग इकाइयों को बेचा जाता है, जबकि ई.टी.पी. स्लज के भण्डारण की व्यवस्था है। उद्योग द्वारा ई.टी.पी. स्लज को दफनाने की व्यवस्था नहीं की गई है।	उद्योग को दिनांक 28.9.99 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
5.	मै. राज सॉलवैक्स लि., 4, एम.आई.ए., अलवर	3,10,12	तदैव	उद्योग को दिनांक 28.7.99 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
6.	मै. गौरव सॉलवैक्स लि., 207, एम.आई.ए., अलवर	10,12	उद्योग द्वारा वेस्ट ऑयल रिप्रोसेसिंग इकाईयों को बेचा जाता है, जबकि ई.टी.पी. स्लज के भण्डारण की व्यवस्था है। उद्योग द्वारा ई.टी.पी. स्लज को दफनाने की व्यवस्था नहीं की गई है।	उद्योग को दिनांक 20.7.99 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
7.	मै. रैफ्टाकॉस, ब्रैट एंड कंपनी लि. 10, 12 एम.आई.ए., अलवर	10,12	तदैव	उद्योग को दिनांक 28.9.99 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

1	2	3	4	5
8.	मै. मौन्टो मौटर्स लि., एम.आई.ए., अलवर	10,12,18	उद्योग द्वारा खाली कंटेनर्स साफ करने व काटने के पश्चात् स्क्रेप के रूप में बेचे जाते हैं, जबकि ई.टी.पी. स्लज के भण्डारण की व्यवस्था है। उद्योग ने ई.टी.पी. स्लज को दफनाने की व्यवस्था नहीं की है।	उद्योग को दिनांक 23.3.2000 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
9.	मै. एच.पी.एम. इण्डस्ट्रीज लि. एम.आई.ए., अलवर	12,15,17 व 18	उद्योग द्वारा द्रवीय अवशेष पदार्थों के लिए इन्सिनिरेटर की व्यवस्था की गई है जबकि ठोस खतरनाक अवशेष पदार्थों के निष्पादन की व्यवस्था नहीं है।	उद्योग को दिनांक 20.7.99 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
10.	मै. राधाकृष्ण रिफाइनरी लि. एम.आई.ए., अलवर	3,18	उद्योग द्वारा लैड वेस्ट के दफनाने की व्यवस्था नहीं की गई है। उद्योग द्वारा प्लास्टिक केसिंग आदि को बेचा जाता है।	उद्योग हाल ही में चालू हुआ है। उद्योग को दिनांक 23.3.2000 को नोटिस जारी किया गया।

अध्यक्ष नगरपालिका, पदमपुर के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

535. श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका अध्यक्ष पदमपुर के विरुद्ध सरकार के आदेश से पदमपुर थाने में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो किन-किन धाराओं के तहत और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

(2) क्या तफतीश कुनीदा फाईल दबा कर बैठा है? यदि हां, तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। निदेशक स्थानीय निकाय राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पदमपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दिनांक 17.10.99 को पदमपुर थाने पर नगर पालिका अध्यक्ष, पदमपुर के विरुद्ध अभियोग सं. 222/99 धारा 409 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पंजीबद्ध हुआ था।

अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी (थानाधिकारी पदमपुर) ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नगर पालिका अध्यक्ष, श्रीमंती विमला देवी के विरुद्ध धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. में प्रमाणित माना। आरोपी द्वारा जमानत हेतु हाईकोर्ट जोधपुर में याचिका करने पर पत्रावली हाईकोर्ट जोधपुर भेजी गई। इसी दौरान आरोपी पक्ष के प्रतिनिधिमण्डल की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक, गंगानगर द्वारा प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी सूरतगढ़ को दिनांक 10.12.99 को सौंपा गया। वर्तमान में प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

(2) जी, नहीं।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-637 की प्रति)

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, बगरू, जिला-जयपुर (राजस्थान)

सभा की कार्यवाही पंजिका

दिनांक 5.5.97 सभा की किस्म-साधारण समय 11.30 बजे

कुल सदस्यों की संख्या-20

उपस्थित सदस्यों की संख्या-19

दिनांक	बैठक की कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव जो पारित हुए
	(4) **चुंगी व्यवस्था एवं वाहन किराये बाबत : —** अध्यक्ष महोदय ने बताया कि चुंगी चोरी रोकने एवं व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कमेटी का गठन कर वाहन किराये पर लिया जाना आवश्यक है। इस पर विचार विमर्श कर जरिये कोटेशन जीप किराये पर लेने तथा श्री हनुमान सहाय बारवाल, श्री पृथ्वी सिंह चौहान, श्री शोभा राम कुमावत, श्री कल्याण मल रवटीक, श्री मोहरू राम जाट, आदि पांच सदस्यों की कमेटी गठित कर तीन सदस्य होने पर कोरम मानने तथा जरूरत के समय पुलिस इमदाद लेने का निर्णय सर्व-सम्मति से लिया गया।	

एस.डी
अध्यक्ष
नगरपालिका, बगरू

एस.डी.
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका, बगरू

कार्यालय नगरपालिका बगरू, जयपुर

जीप से वसूल की गई जुर्माना राशि का विवरण

दिनांक	विवरण/मामले	जुर्माना राशि
11.6.97	1	852.00
13.6.97	1	9000.00
16.6.97	1	620.00
19.6.97	1	540.00
23.6.97	1	1400.00
24.6.97	1	332.50
25.6.97	1	100.00
26.6.97	1	680.00
30.6.97	1	450.00
	योग	**13974.50**
5.7.97	1	100.00
9.7.97	1	975.00
11.7.97	1	300.00
19.7.97	1	2105.00
21.7.97	1	4000.00
26.7.97	1	152.25
30.7.97	1	5090.00
31.7.97	1	3145.00
	योग	**15,867.25**

दिनांक	विवरण/मामले	जुर्माना राशि
2.8.97	1	100.00
5.8.97	1	600.00
6.8.97	1	1250.00
7.8.97	1	930.00
11.8.97	1	200.00
13.8.97	1	1430.00
14.8.97	1	270.00
19.8.97	1	270.00
21.8.97	1	200.00
29.8.97	1	810.00
30.8.97	1	300.00
31.8.97	1	1520.00
	योग	**7880.00**
3.9.97	1	265.00
17.9.97	1	450.00
18.9.97	1	810.00
25.9.97	1	750.00
26.9.97	1	250.00
27.9.97	1	2667.00
29.9.97	1	1800.00
30.9.97	1	660.00
	योग	**7652.00**

दिनांक	विवरण/मामले	जुर्माना राशि
6.10.97	1	1990.00
8.10.97	1	1280.00
10.10.97	1	400.00
13.10.97	1	700.00
	योग	**3370.00**
10.11.97	1	1120.00
12.11.97	1	450.00
18.11.97	1	100.00
21.11.97	2	1391.00
22.11.97	1	50.00
24.11.97	1	50.00
29.11.97	1	100.00
	योग	**3261.00**

दिनांक	विवरण/मामले	जुर्माना राशि
20.12.97	1	100.00
27.12.97	1	215.00
	योग	**315.00**
13.1.98	1	900.00
15.1.98	1	100.00
19.1.98	1	530.00
20.1.98	1	280.00
	योग	**1830.00**
1.5.98	1	500.00
11.5.98	1	110.00
11.5.98	2	960.00
20.5.98	1	500.00
22.5.98	1	100.00
23.5.98	1	300.00
27.5.98	1	600.00
	योग	**3070.00**

कार्यालय नगरपालिका बगरू, जयपुर

चुंगी आय का तुलनात्मक विवरण माह जून, 97 से जनवरी, 98 तक व मई, 98 से जून, 98 तक का विवरण

माह	वर्ष 1996-97 चुंगीकर	वर्ष 1997-98 चुंगीकर	तुलनात्मक वृद्धि (अन्तर)
जून,96	1,07,460.75	2,54,712.50	1,47,251.75(+)
जुलाई,96	1,05,114.15	2,52,928.50	1,47,814.35(+)
अगस्त,96	1,21,886.85	1,53,735.00	31,848.15(+)
सितम्बर,96	1,01,208.75	2,00,501.75	99,293.00(+)
अक्टूबर,96	1,65,212.00	2,62,780.75	97,568.75(+)
नवम्बर,96	1,59,712.50	2,11,408.75	51,696.25(+)
दिसम्बर,96	1,38,684.25	2,34,722.50	96,038.25(+)
जनवरी,97	1,10,627.96	2,40,583.75	1,29,955.79(+)
मई,97	2,38,961.75	2,88,692.75	49,731.00(+)
जून,97	2,54,712.50	1,99,645.75	55,066.75(–)
योग	15,03,581.46	22,99,712.00	8,51,197.29(+)

नोट : — गत वर्ष 1996 की तुलना में माह जून, 1997 से माह जनवरी, 98 तक व मई, 98 - जून, 98 में नगरपालिका, बगरू द्वारा जीप किराये पर लेने से राशि 8,51,197.29 रुपये की चुंगी आय में वृद्धि हुई।

कार्यालय नगरपालिका, बगरू (जयपुर)

चुंगी चोरी रोकने के अलावा जिन अधिकारियों द्वारा निम्न तारीखों को गाड़ी उपयोग में ली गई

उपयोग में ली गई तारीख	अधिकारी का नाम	कार्य का नाम	कहां, उपयोग में लिये गये किलोमीटर
1	2	3	4
20.6.97	अध्यक्ष द्वारा	न.पा. कार्य से	डी.एल.बी., कलेक्ट्रेट, 111 किलोमीटर
2.7.97	अध्यक्ष द्वारा	न.पा. कार्य से	डी.एल.बी., जे.डी.ए., जलदाय विभाग 194 किलोमीटर
7.7.97	अध्यक्ष द्वारा	कमला लुहारो अतिक्रमण	एस.पी.कार्यालय, डी.एल.बी., कलेक्ट्री 145 किलोमीटर
8.7.97	अध्यक्ष द्वारा	कमला लुहारो अतिक्रमण	एस.पी.कार्यालय, डी.एल.बी., कलेक्ट्री 157 किलोमीटर
11.7.97	अध्यक्ष द्वारा	न.पा. कार्य से	डी.एल.बी., जेडीए 100 किलोमीटर
18.7.97	अध्यक्ष द्वारा	कमला लुहारो के अतिक्रमण	सांगानेर कोर्ट, बगरू से सांगानेर 135 किलोमीटर
19.7.97	अध्यक्ष द्वारा	न.पा. कार्य से	सांगानेर कोर्ट, डी.एल.बी., जे.डी.ए, 116 किलोमीटर
21.7.97	अध्यक्ष एवं कनिष्ठ अभियंता	अतिक्रमण निर्माण कार्य का निरीक्षण	बगरू 154 किलोमीटर
24.7.97	अध्यक्ष द्वारा	न.पा. कार्य से	मंत्रीजी के साथ जयपुर बगरू 80 कि.मी.

1	2	3	4
25.7.97	अध्यक्ष द्वारा	न. पा. कार्य से	निर्माण कार्य दौरा, जे.डी.ए, डी.एल.बी 97
23.8.97	अधिशासी अधि. एवं कैशीयर	न. पा. कार्य से	डीडीआर. कार्यालय से राशि लेने 115 किलोमीटर
27.8.97	अधिशासी अधि. एवं कैशीयर	न. पा. कार्य से	डी.डी.आर. राशि लेकर गये, 92 किलोमीटर
1.10.97	अध्यक्ष द्वारा	न. पा. कार्य से	जेडीए, डीएलबी, 95 किलोमीटर
6.10.97	अध्यक्ष द्वारा	न. पा. कार्य से	जे.डी.ए, डी.एल.बी, 121 किलोमीटर
20.10.97	अध्यक्ष द्वारा	न. पा. कार्य से	जे.डी.ए, डी.एल.बी, 118 किलोमीटर
3.12.97	अध्यक्ष द्वारा	न. पा. कार्य से	कलेक्ट्री, डी.एल.बी, 85 किलोमीटर
11.5.98	अध्यक्ष द्वारा	न. पा. कार्य से	जे.डी.ए, डी.एल.बी, कलेक्ट्री, 105 किलोमीटर
15.5.98	अध्यक्ष द्वारा	न. पा. कार्य से	कलेक्ट्री 112 किलोमीटर
5.6.98	अध्यक्ष द्वारा	न. पा. कार्य से	कलेक्ट्री 85 किलोमीटर
11.6.98	अध्यक्ष द्वारा	न. पा. कार्य से	कलेक्ट्री 87 किलोमीटर
29.6.98	अध्यक्ष द्वारा	न. पा. कार्य से	कलेक्ट्री 88 किलोमीटर

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-642 की प्रति)

कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : एफ-2 (प्रचार)जविप्रा/96-97/2065 दिनांक : 5.3.98

स्थायी आदेश संख्या : 2/98

विषय : विज्ञापन नीति

प्रस्तावना

जयपुर विकास प्राधिकरण के मूलतः राज्य सरकार के विकासोन्मुखी वाणिज्यिक संगठन होने के कारण राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय तथा अन्य दैनिक समाचार पत्रों में विभिन्न प्रयोजनों के प्रचार प्रसार के लिये व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन देने आवश्यक होते हैं। इस विषय में अब तक विज्ञापन नीति नहीं होने के कारण प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर पृथक-पृथक रूप से निर्णय लिये जाकर विज्ञापन प्रसारित व प्रकाशित कराये जाते रहे हैं। इस प्रकार लिये जाने वाले निर्णयों में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा यह नीति बनायी गयी है: —

1. प्राधिकरण की प्रतिष्ठित एवं मूल्यवान सम्पत्तियों के विक्रय/नीलामी के विज्ञापन अधिकतम 2-3 अखिल राष्ट्रीय प्रसार वाले एवं राज्य के अधिकतम प्रसार वाले 3-4 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे। इसी प्रकार प्राधिकरण की मुख्य आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन/शुभारम्भ और प्रमुख भूखण्डों की नीलामी के विज्ञापन केवल राज्य के दैनिकों तक सीमित न रखे जावें अपितुः आवश्यकतानुसार ऐसे विज्ञापनों का प्रकाशन राष्ट्रीय दैनिकों में भी किया जायेगा। प्रचार-प्रसार के लिये समाचार पत्रों का चयन का मुख्य आधार उनका प्रसार होगा।

2. प्राधिकरण के अन्य प्रकार के विज्ञापन जो केवल जयपुर शहर से ही सम्बन्धित होते हैं उनका अखिल राज्य प्रकाशन आवश्यक नहीं होता है, अतः ऐसे विज्ञापनों का प्रकाशन केवल जयपुर शहर के संस्करण में ही जहां तक सम्भव हो कराये जायेंगे।

3. प्राधिकरण द्वारा विकास कार्यों तथा अन्य कार्यों के सम्बन्ध में जारी की जाने वाली निविदा सूचनाएं, नीलामी, सार्वजनिक सूचनाएं तथा जनहित में जारी किये जाने वाले विज्ञापन, विज्ञप्तियां ही मुख्यतः समाचार पत्रों के जयपुर संस्करण में प्रकाशन हेतु जारी किये

जायेंगे। प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकृति के सभी विज्ञापन केवल जयपुर से प्रकाशित राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों को जन सम्पर्क विभाग द्वारा आंकलित समूल्य प्रसार संख्या के आधार पर ही जारी किये जायेंगे।

4. प्राधिकरण के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों तथा अन्य प्रकार की निविदाओं के लिये विज्ञापन उनकी लागत मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जायेंगे। इस सम्बन्ध में निविदा सूचनाओं के प्रकाशन पर व्यय निम्न टेपरिंग फार्मूले के आधार पर किया जायेगा : —

क्र. सं.	विज्ञापन मूल्य	व्यय की जाने वाली राशि	समाचार पत्र कॉलम से.मी. न्यूनतम	समाचार पत्र कॉलम से.मी. अधिकतम	समाचार पत्रों की संख्या
1.	5 लाख रुपये तक	3 प्रतिशत	10 से.मी.	18 से.मी.	एक राज्यस्तरीय सभाचार पत्र
2.	5 लाख रुपये से अधिक 25 लाख रुपये तक	3 प्रतिशत	10 से.मी.	32 से.मी.	दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र
3.	25 लाख से अधिक 50 लाख रुपये तक	2 प्रतिशत	24 से.मी.	40 से.मी.	दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र
4.	50 लाख से अधिक	2 प्रतिशत	32 से.मी.	48 से.मी.	एक राष्ट्रीय स्तर तथा दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र

जिन मामलों में निविदा सूचनाएं उपरोक्त फार्मूले के अनुसार जारी करने में कठिनाई आ रही हो तो उनके आकार को कम ज्यादा करने तथा सम्मिलित रूप से प्रकाशन हेतु जारी करने के लिए सचिव, जविप्रा की अनुमति आवश्यक होगी।

निविदा सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन तिथि से 10 दिन पूर्व जन सम्पर्क अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। वर्ना सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. रोस्टर पद्धति

5.1 (1) समाचार पत्रों को विज्ञापन रोस्टर पद्धति से जारी किये जायेंगे।

(2) समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी करने के लिए पृथक से रोस्टर रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

(3) रोस्टर रजिस्टर में समाचार पत्रों के क्रम का निर्धारण उनकी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा आंकलित/मान्य समूल्य प्रसार संख्या के आधार पर आयुक्त, जविप्रा के अनुमोदन उपरान्त किया जायेगा।

5.2 विज्ञापन यदि एक ही राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जारी किया जाना है तो उस स्थिति में रोस्टर के क्रम के अनुसार ऐसे समाचार पत्र को विज्ञापन जारी किया जाये जिसकी प्रसार संख्या डेढ़ लाख प्रतियों से अधिक हो।

5.3 विज्ञापन यदि एक से अधिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में जारी किया जाना है उस स्थिति में प्रथमतः ऐसे समाचार पत्र को विज्ञापन जारी किया जाये जिसकी प्रसार संख्या डेढ़ लाख से अधिक हो तथा दूसरा विज्ञापन ऐसे राज्य स्तरीय समाचार पत्र को जारी किया जाये जिसकी प्रसार संख्या 50 हजार प्रतियों से अधिक हो। दूसरे समाचार पत्र का चयन रोस्टर पद्धति के आधार पर क्रम को ध्यान में रखकर जारी किया जावे।

6. इस प्रकार प्रातःकालीन समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी किये जायेंगे किन्तु आवश्यकता पड़ने पर जयपुर से प्रकाशित होने वाले सायंकालीन समाचार पत्रों को विज्ञापन उनमें से एक समाचार पत्र को दिया जायेगा जिसकी प्रसार संख्या 30 हजार प्रतियों से अधिक हो। दिया जाने वाला विज्ञापन रोस्टर पद्धति से क्रम आने पर ही समाचार पत्र को दिया जायेगा।

7. राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तर के उन्हीं दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी किये जायेंगे, जिन समाचार पत्रों को राज्य के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्र मानकर विज्ञापन जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक व अन्य साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्रिकाओं को भी विज्ञापन आयुक्त, जविप्रा के निर्णय के उपरान्त आवश्यकतानुसार दिये जायेंगे। प्राधिकरण द्वारा राज्य के केवल उन समाचार पत्रों को ही विज्ञापन दिये जायेंगे, जिन समाचार पत्रों को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से विज्ञापन जारी किये जाते हैं।

8. सामान्यतः सजावटी विज्ञापन प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किये जायेंगे, परन्तु राजकीय संस्थानों अथवा विभागों को सजावटी विज्ञापन प्राधिकरण आयुक्त की अनुमति से दिये जा सकेंगे जबकि ऐसे विज्ञापनों से कला संस्कृति, खेलकूद आदि की गतिविधियों को जयपुर शहर में बढ़ावा मिलता हो।

9. प्रक्रिया : —

विज्ञापन प्रकाशन के लिए परिशिष्ट-1 के मांग पत्र की पूर्ति कर सक्षम अधिकारी जन सम्पर्क अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

मांग पत्र देने हेतु आयुक्त, सचिव, समस्त निदेशक, समस्त अतिरिक्त आयुक्त, समस्त उपायुक्त, समस्त सर्किल अभियन्ता, समस्त उप निदेशक, सी.सी.ई., समस्त एस.टी.पी., समस्त जोनल अभियन्ता, समस्त डी.टी.पी., उप पंजियक (सहकारिता), जन सम्पर्क अधिकारी एवं सिस्टम एनालिस्ट निम्नानुसार सक्षम होंगे।

क्र.सं.	कार्य	सक्षम अधिकारी	विशेष विवरण
1.	प्रतिष्ठित/मूल्यवान सम्पत्ति विक्रय/नीलामी एवं मुख्य आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन/शुभारम्भ/प्रमुख भूखण्डों की नीलामी	उप निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण	आयुक्त की अनुमति उपरान्त
2.	नीलामी कार्यक्रम	उप निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण	
3.	जनहित में जारी किये जाने वाले विज्ञापन	जन सम्पर्क अधिकारी	आयुक्त/सचिव की अनुमति के उपरान्त
4.	सार्वजनिक सूचनाएं, अधिसूचनाएं/विज्ञप्तियां/वर्गीकृत विज्ञापन	सम्बन्धित शाखा के सक्षम अधिकारी	सचिव की अनुमति के उपरान्त
5.	विकास कार्यों के सम्बन्ध में निविदा सूचनाएं	जोनल अभियन्ता	
6.	अन्य प्रकार की निविदा सूचनाएं	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
7.	सजावटी विज्ञापन	जन सम्पर्क अधिकारी	आयुक्त की अनुमति के उपरान्त

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत निविदा सूचनाएं एवं विज्ञापन जन सम्पर्क अधिकारी नीति के अनुसार सीधे समाचार पत्रों को जारी करेंगे।

इस विज्ञापन नीति में प्राधिकरण उच्चाधिकार समिति (अथोरिटी) कार्यकारी समिति के निर्णयों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का समावेश कर जन सम्पर्क प्रकोष्ठ के विज्ञापन सम्बन्धी कार्य को सुचारू सम्पादन के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

परिशिष्ट-1

मांग/पत्र

.... विषय हेतु विज्ञापन जारी किया जाना है। यह श्रेणी में .... आता है। इनका प्रचार .... राज्य स्तरीय तथा निम्न .... राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों (1).. (2).. (3) .... में प्रकाशित करावें।

सक्षम अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-653 की प्रति)

परिशिष्ट-"क"

भीनमाल शहर की पुनर्गठित जल-प्रदाय योजना, तहसील-भीनमाल, जिला-जालौर

योजना से संबंधित आवश्यक बिन्दु

1. भीनमाल शहर की आबादी सन् 1991 के अनुसार — 30731
2. भीनमाल शहर की आबादी सन् 1999 के अनुसार — 36383
3. भीनमाल शहर की आबादी सन् 2011 के अनुसार — 49600
4. वर्तमान सर्विस लेबल — 33 एल.पी.सी.डी.
5. प्रस्तावित सर्विस लेबल — 100 ली/प्रति/प्रति व्यक्ति
6. वर्तमान जल स्रोत — धनबाडा, निम्बावास, साबीदर
7. प्रस्तावित जल स्रोत — जेतपुरा बांध भीनमाल से 49 कि.मी. दूर
8. पुनर्गठित भीनमाल शहर की जल योजना की लागत — 1075 लाख
9. पुनः पुनर्गठित भीनमाल शहर की योजन लागत — 1031.34 लाख
10. **इस योजना में स्वीकृत कार्यों का विवरण : —**

(ए) जेतपुरा बांध पर इनटेक सम्पवेल का निर्माण पम्प हाऊस सहित

(बी) सम्पवेल जेतपुरा पर 4 नग 50.13 एच.पी. के सीआईएफ सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प सेट का प्रस्ताव, हैड-40 मी., डिस्चार्ज-50.13 एल.पी.एस.

(सी) भीनमाल में 8.66 एम एल डी का रेपिड ग्वाविटी सेंडपिल्टर

(डी) बड़ गांव से जेतपुरा एच/डब्ल्यू तक एच/टी पाइप लाइन लगाना

(ई) भीनमाल शहर में 2100 के एल डी क्षमता का स्वच्छ जलाशय

(एफ) भीनमाल शहर में 2 उच्च जलाशय प्रस्तावित /स्वीकृत

1. जगजीवन राम कालोनी — 70 केएलडी/ऊ. 18 मी.

2. मालवीय नगर — 700 केएलडी/ऊ. 18 मी.

(जी) कुल आर/एम.पाइप लाइन की लम्बाई-55700 मी.

(एच) भीनमाल शहर की नयी बस्तियों में नयी पाइप लाइन लगाना तथा पुराने मोहल्ले पुरानी पाइप लाइन लगाना।

वर्तमान में बने 3 उच्च जलाशय

1. एस. डी. एम. कोर्ट उच्च जलाशय क्षमता - 450 के.एल.डी.

2. स्कूल ——"—— ——"——400 —"—

3. हॉस्पीटल ——"—— ——"——225 —"—

भीनमाल शहर की पुनः पुनर्गठित जलप्रदाय योजना

(दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत) तहसील—भीनमाल, जिला-जालौर

योजना की अनुमानित लागत का विवरण

क्र.सं.	विवरण	राशि (लाखों में)
1.	स्त्रोत लागत	120.00
2.	पम्प मशीनरी लागत	14.15
3.	राइजिंग मेन लागत	624.64
4.	वितरण पाइप लाइन लागत	59.62
5.	जलाशय की लागत	45.05
6.	जनपद कार्यों की लागत	63.77
7.	विद्युत संबंधी लागत	20.00
8.	संचार व्यवस्था की लागत	2.00
9.	टूल्स/प्लांट की लागत	3.00
10.	भूमि अवाप्ति की लागत	30.00
	योग	982.23
	5% अति कंटीजेंसी कार्य :—	49.11
	महायोग	1031.34 लाख रुपये

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-654 की सूची)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	योजना का प्रकार
1	2	3
1.	अमरपुरा खुर्द	टीएसएस/पी एण्ड डी
2.	अमरसर	——"——
3.	आर्यनगर	——"——
4.	बडबर	पाइप्ड
5.	बामनवास	क्षेत्रीय
6.	बनीबाढ़ काजला	टीएसएस/पीएण्डटी
7.	बनवास	पाइप्ड
8.	बससड़ी	क्षेत्रीय
9.	भैसावता कलां	टीएसएस/पीएण्डटी
10.	भैसावता खुर्द	——"——
11.	भालोठ	——"——
12.	भिर्र	पाइप्ड
13.	भोदन	टीएसएस/पी एण्ड टी
14.	भूरियाबास	——"——
15.	भोपालपुरा	——"——
16.	ब्रिजपुरा	——"——
17.	बुहाना	पाइप्ड/क्षेत्रीय
18.	चितौसा	टीएफ/पी एण्ड टी
19.	चुड़ीना	——"——
20.	देवलावास	——"——
21.	ढाढोत कलां	——"——
22.	ढाढोत खुर्द	——"——
23.	ढाकामण्डी	क्षेत्रीय
24.	ढाणी भालोट	टीएसएस/पी एण्ड टी
25.	ढाणी हुकमा	——"——
26.	ढाणी लक्ष्मण	——"——
27.	ढाणी सम्पत	——"——

1	2	3
28.	धूलवा	टीएसएस/पी एण्ड टी
29.	दोचाना की ढाणी	—"—
30.	डुमोली कलां	—"—
31.	डुमोली खुर्द	—"—
32.	गांडाखोड़ा	—"—
33.	गडली	टीएसएस/पी एण्ड टी
34.	धरड़ाना कलां	पाइप्ड
35.	धरड़ाना खुर्द	टीएसएस/पी एण्ड टी
36.	घसेडा	—"—
37.	गोरधनपुरा	—"—
38.	गोठ	पाइप्ड
39.	गूजरवास	टीएसएस/पी एण्ड टी
40.	गून्ती	—"—
41.	हमीरवास	टीएसएस/पी एण्ड टी
42.	हसास	क्षेत्रीय
43.	हीरवा	टीएसएस/पी एण्ड टी
44.	ईश्कपुरा	—"—
45.	इस्माईलपुर	क्षेत्रीय
46.	जयमल का बास	टीएसएस/पी एण्ड टी
47.	जयसिंहपुरा	—"—
48.	जयसिंहसर	—"—
49.	जैतपुर	पाइप्ड
50.	जीवन निवास	टीएसएस/पी एण्ड टी
51.	झांझा	—"—
52.	झारोडा	टीएसएस/पी एण्ड टी
53.	काजला	टीएसएस/पी एण्ड टी
54.	काकड़ा	—"—
55.	कलाखरी	—"—
56.	कलगांव	—"—
57.	कुलाठड़ा	—"—
58.	कलवा	क्षेत्रीय
59.	खान्ददा	पाइप्ड

1	2	3
60.	खानपुर	टीएसएस/पी एण्ड टी
61.	कुहाडवास	पाइप्ड/क्षेत्रीय
62.	कुशालपुरा	क्षेत्रीय
63.	कुठानिया	टीएसएस/पी एण्ड टी
64.	लाडी का बास	हैण्डपम्प
65.	लालमण्डी	टीएसएस/पी एण्ड टी
66.	लाम्बी अहिर	—"—
67.	लाम्बी जाट	—"—
68.	मदनसर	—"—
69.	गहराना	—"—
70.	मैनाना	—"—
71.	मांजरी	क्षेत्रीय
72.	माकही	पाइप्ड
73.	मनोहरपुरा	टीएसएस/पी एण्ड टी
74.	मानपुरा	क्षेत्रीय
75.	मेघपुरा	टीएसएस/पी एण्ड टी
76.	मोई भारू	टीएसएस/पी एण्ड टी
77.	मोई सददा	—"—
78.	मुराबपुर	पाइप्ड/क्षेत्रीय
79.	नानवास	टीएसएस/पी एण्ड टी
80.	नरात	—"—
81.	नावता	—"—
82.	निहालोठ	—"—
83.	निहालपुरा	—"—
84.	निम्बास	टीएसएस/पी एण्ड टी
85.	नुहनिया	—"—
86.	पचेरी कला	पाइप्ड
87.	पचेरी खुर्द	टीएसएस/पी एण्ड टी
88.	पालोता	क्षेत्रीय
89.	पांथरोली	टीएसएस/पी एण्ड टी
90.	पथाना	—"—
91.	पीठौला	पाइप्ड

1	2	3
92.	पुहानिया	टीएसएस/पी एण्ड टी
93.	राधू की ढाणी	—"—
94.	रायपुरा अहिरान	—"—
95.	रायपुर जाट्रान	—"—
96.	राजपुरा	—"—
97.	रामवास	—"—
98.	रसूलपुर अहिरान	—"—
99.	रायली	क्षेत्रीय
100.	सागा	टीएसएस/पी एण्ड टी
101.	सागवा	—"—
102.	सहदपुर	—"—
103.	सहड	—"—
104.	सांतौर	पाइप्ड/क्षेत्रीय
105.	सांतरिया	टीएसएस/पी एण्ड टी
106.	सांवलोद	पाइप्ड
107.	शाहपुरा	टीएसएस/पी एण्ड टी
108.	श्यामपुरा	—"—
109.	श्योपुरा	—"—
110.	सिहोदियों की ढाणी	—"—
111.	सिलारपुरी	—"—
112.	सिंधानी	पाइप्ड
113.	सिवनी	टीएसएस/पी एण्ड टी
114.	सोहली	पाइप्ड/क्षेत्रीय
115.	सुलताना अहिरान	टीएसएस/पी एण्ड टी
116.	टिक्कूपुरा	हैण्डपम्प
117.	थली	टीएसएस/पी एण्ड टी
118.	ठिंयौली	—"—
119.	ठोंठी	—"—
120.	ठोंठवाल	क्षेत्रीय
121.	उदामण्डी	पाइप्ड
122.	बिशनपुरा	टीएसएस/पी एण्ड टी
123.	आसलवास	टीएसएस/पी एण्ड टी

1	2	3
124.	ब्लौंदा	टीएसएस/पी एण्ड टी
125.	बांसबिजोली	—"—
126.	बास गोकल	—"—
127.	बेरला	—"—
128.	भावठरी	—"—
129.	भूदनपुरा	—"—
130.	बिजौली	—"—
131.	बिशनपुरा	—"—
132.	चीमा का बास	—"—
133.	परट	—"—
134.	फतेहपुरा	क्षेत्रीय
135.	गोपालपुरा	टीएसएस/पी एण्ड टी
136.	जयसिंहबास	क्षेत्रीय
137.	जाखोद	टीएसएस/पी एण्ड टी
138.	कासनी	—"—
139.	कुलोठ कलां	—"—
140.	कुलोठ खुर्द	—"—
141.	कुशलपुरा	—"—
142.	लोटिया	क्षेत्रीय
143.	महपालवास	टीएसएस/पी एण्ड टी
144.	नेतरामपुरा	हैण्ड पम्प
145.	पन्नेसिंहपुरा	टीएसएस/पी एण्ड टी
146.	पिलोद	—"—
147.	राजवीरपुरा	—"—
148.	राठियों की ढाणी	—"—
149.	रूपपुरा	—"—
150.	सरदारपुरा	—"—
151.	सूरजगेट (ग्रामीण)	—"—
152.	उरीका	—"—
153.	उरीकी	—"—

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-657 का विवरण)

परिशिष्ट-प्रथम

I. प्रधान खनिज

प्रधान खनिज के खनन पट्टे के लिए आवेदनकर्ता को खनिज रियायती नियम, 1960 के नियम 22 के अन्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित करना पड़ता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं : —

1. आवेदन शुल्क रु. 500/- एवं प्रारम्भिक व्यय की राशि रु. 1000/- कुल 1500/- का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट।
2. विभागीय बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र अथवा नया आवेदक होने पर खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने से बकाया नहीं होने बाबत शपथ पत्र।
3. आयकर बकाया नहीं होने व रिटर्न पेश करने संबंधी शपथ पत्र।
4. स्वीकृत/आवेदित खनन पट्टा पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र के क्षेत्रों की सूचना बाबत शपथ पत्र।
5. निजी एवं खातेदारी भूमि में खनन कार्य करने से पूर्व भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त कर या भूमि अवाप्त कर खनन कार्य करने बाबत शपथ पत्र।
6. आवेदित क्षेत्र का मानचित्र व विवरण सूची।
7. आवेदित क्षेत्र में आने वाले खसरा, खसरा मेप व चरागाह न होने की पुष्टि।
8. आवेदित क्षेत्र के वन सीमा में नहीं होने की वन विभाग से पुष्टि।
9. 5.00 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र होने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से साइट क्लीयरेन्स/एनवायर्नमेंट प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु इस मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 10.4.97 के अनुसार लोक सुनवाई कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रेषित करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के 22 सेट।
10. खनिज उपलब्धता बाबत प्रमाणित भूवैज्ञानिक रिपोर्ट।
11. अधिकृत व्यक्ति के नाम का पंजीकृत अधिकार पत्र अथवा कम्पनी के मामले में संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में पारित रिज्युलेशन की प्रति।
12. भागीदारी/लिमिटेड कम्पनी का भागीदारी नामा, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन रजिस्ट्रेशन अथवा इनकॉरपोरेशन प्रमाण-पत्र।

उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने पर आवेदक को खनन पट्टा स्वीकृत करने के निर्णय से अवगत कराते हुए नियम 22 (4) के तहत औपचारिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान पेश करने हेतु कहा जाता है।

परिशिष्ट-द्वितीय

II-अप्रधान खनिज

अप्रधान खनिज के खनन पट्टा चाहने हेतु आवेदनकर्ता को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 5 के तहत निम्न कार्यवाहियां करनी पड़ती है : —

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत करना होता है।
2. खनिज मारबल का खनन पट्टा चाहने हेतु रुपये 2000/- व अन्य अप्रधान खनिज के लिए रुपये 1000/- आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराना होता है।
3. विभागीय बकाया नहीं होने तथा आवेदित एवं स्वीकृत खनन पट्टा संबंधी सूचना के आशय का शपथ पत्र देना होता है।
4. यदि खनन पट्टा खनिज मारबल/ग्रेनाईट का चाहा गया है तो नीति अनुसार माईनिंग मशीनरी लगाने की सहमति का शपथ पत्र देना होता है।
5. क्षेत्र के संबंध में राजस्व विभाग का खसरा नक्शा तथा खाते की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त कर प्रमाणित प्रति देनी होती है।
6. आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र में नहीं होने के संबंध में वन विभाग की पुष्टि देनी होती है।
7. क्षेत्र का पूर्व सीमांकन हेतु शुल्क रुपये 500/- जमा करा क्षेत्र की सीमांकन कराना होता है।
8. चारागाह भूमि होने पर खनन पट्टा स्वीकृत कराने के लिए जिला कलक्टर/राजस्व विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
9. खातेदारी भूमि में खातेदार की पंजीकृत अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होती है।

परिशिष्ट-"क"

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-662 का विवरण)

दिनांक 1 मार्च, 1999 से मार्च 2000 तक जिला हनुमानगढ़ में कत्ल, महिला उत्पीड़न, दहेज, बलात्कार, चोरी एवं डकैती से सम्बन्धित दर्ज अभियोगों का थानेवार विवरण

क्र. सं.	नाम पुलिस थाना	कत्ल				दहेज सम्बन्धी				महिला उत्पीड़न				बलात्कार				चोरियां					डकैती				
		दर्ज	एफ. आर	चालान	पेंडिंग	दर्ज	एफ. आर.	चालान	पेंडिंग	दर्ज	एफ. आर.	चालान	पेंडिंग	दर्ज	एफ. आर.	चालान	पेंडिंग	दर्ज	एफ. आर.	चालान	पेंडिंग	बरामद की गई सम्पत्ति Rs.	दर्ज	एफ. आर.	चालान	पेंडिंग	बरामद की गई सम्पत्ति Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	हनुमानगढ़ जंक्शन	8	3	1	4	39	19	18	2	23	13	8	2	1	—	—	1	93	65	26	2	5,50,650	1	—	—	1	—
2.	हनुमान टाउन	5	1	4	—	32	5	25	2	27	10	17	—	3	2	1	—	74	43	23	8	13,58,200	—	—	—	—	—
3.	गोलू वाला	4	1	3	—	10	3	6	1	5	2	3	—	4	2	2	—	9	3	4	2	3,01,000	1	—	—	1	—
4.	संगरिया	11	4	5	2	42	22	17	3	16	2	14	—	6	2	4	—	23	10	11	2	94,000	—	—	—	—	—
5.	टिब्बी	7	3	4	—	16	7	9	—	11	5	5	1	3	1	1	1	34	21	11	2	82,000	—	—	—	—	—
6.	पीलीबंगा	5	—	4	1	30	13	17	—	11	3	6	2	3	3	—	—	32	17	11	4	3,15,350	1	—	1	—	9,00,000
7.	नोहर	7	4	3	—	41	14	24	3	24	10	14	—	6	—	5	1	21	6	14	1	30,000	—	—	—	—	—

परिशिष्ट-"ख"

दिनांक **1** मार्च, **1999** से मार्च, **2000** तक जिला हनुमानगढ़ में कत्ल महिला उत्पीड़न दहेज, बलात्कार, चोरी एवं डकैती सम्बन्धी थानेवार विचाराधीन अपराधों का विवरण

क्रम सं.	मुकदमा नं.	दर्ज होने की दि. विचाराधीन	धारा	पुलिस थाना
1	2	3	4	5
1.	265/99	2.5.99	302, 34 भा.द.स.	हनुमानगढ़ जंक्शन
2.	280/99	19.5.99	395 भा.द.सं. व 3 एससी/एसटी एक्ट	" "
3.	703/99	17.10.99	363, 366 भा.द.सं.	" "
4.	758/99	3.11.99	302, 201 भा.द.सं.	" "
5.	72/2000	10.2.2000	302 भा.द.सं.	" "
6.	93/2000	23.2.2000	498 ए, 406 भा.द.सं.	" "
7.	101/2000	28.2.2000	366, 380 भा.द.सं.	" "
8.	121/2000	9.3.2000	376, 342 भा.द.सं.	" "
9.	126/2000	12.3.2000	302, 497 भा.द.सं.	" "
10.	129/2000	13.3.2000	379 भा.द.सं.	" "
11.	152/2000	17.3.2000	498ए, 406 भा.द.सं.	" "
12.	153/2000	28.3.2000	379 भा.द.सं.	" "
1.	507/99	28.11.99	379 भा.द.सं.	हनुमानगढ़ टाऊन
2.	55/2000	18.2.2000	498ए, 406 भा.द.सं.	हनुमानढ़ टाऊन
3.	73/2000	29.2.2000	379 भा.द.सं.	हनुमानढ़ टाऊन
4.	74/2000	2.3.2000	379 भा.द.सं.	हनुमानढ़ टाऊन
5.	75/2000	2.3.2000	498ए, 406 भा.द.सं.	" "
6.	83/2000	5.3.2000	379 भा.द.सं.	" "
7.	91/2000	12.3.2000	379 भा.द.सं.	" "
8.	100/2000	19.3.2000	380 भा.द.सं.	" "
9.	107/2000	24.3.2000	379 भा.द.सं.	" "
10.	110/2000	24.3.2000	379 भा.द.सं.	" "

1	2	3	4	5
1.	107/99	29.6.99	395 भा.द.सं.	गोलूवाला
2.	21/2000	23.3.2000	498ए भा.द.सं.	गोलूवाला
3.	22/2000	23.3.2000	379 भा.द.सं.	गोलूवाला
4.	23/2000	24.3.2000	379 भा.द.सं.	गोलूवाला
1.	416/99	31.8.99	302 भा.द.सं.	संगरिया
2.	514/99	20.10.99	304बी भा.द.सं.	संगरिया
3.	80/2000	10.3.2000	380 भा.द.सं.	संगरिया
4.	86/2000	13.3.2000	302, 201 भा.द.सं.	संगरिया
5.	90/2000	15.3.2000	379 भा.द.सं.	संगरिया
6.	107/2000	23.3.2000	498ए, 406 भा.द.सं.	संगरिया
7.	109/2000	23.3.2000	498ए, 406 भा.द.सं.	संगरिया
1.	26/2000	28.1.2000	354 भा.द.सं. व 3एससी/एसटीएक्ट	टिब्बी
2.	57/2000	6.3.2000	342, 376 भा.द.सं. 3एससी/एसटीएक्ट	टिब्बी
3.	58/2000	7.3.2000	379 भा.द.सं. 3एससी/एसटीएक्ट	टिब्बी
4.	80/2000	18.3.2000	379 भा.द.सं. 3एससी/एसटीएक्ट	टिब्बी
1.	3/2000	12.1.2000	363, 366 ता.हि. 3एससी/एसटीएक्ट	पीलीबंगा
2.	8/2000	16.1.2000	302, भा.द.सं.	पीलीबंगा
3.	53/2000	16.3.2000	379 भा.द.सं.	पीलीबंगा
4.	54/2000	16.3.2000	379 भा.द.सं.	पीलीबंगा
5.	55/2000	17.3.2000	379 भा.द.सं.	पीलीबंगा
6.	57/2000	17.3.2000	379 भा.द.सं.	पीलीबंगा
7.	58/2000	19.3.2000	366, 368 ता.हि.	पीलीबंगा

1	2	3	4	5
1.	10/2000	4.1.2000	498ए, 406 भा.द.सं.	नोहर
2.	73/2000	13.3.2000	498ए, 406 भा.द.सं.	नोहर
3.	77/2000	16.3.2000	376, 336, 430 भा.द.सं.	नोहर
4.	79/2000	16.3.2000	498ए, 406 ता.हि.	नोहर
5.	85/2000	20.3.2000	380 ता.हि.	नोहर
1.	294/99	18.10.99	380 भा.द.सं.	रावतसर
2.	34/2000	22.2.2000	379 भा.द.सं.	रावतसर
3.	45/2000	8.3.2000	380 भा.द.सं.	रावतसर
4.	55/2000	22.3.2000	498ए भा.द.सं.	रावतसर
1.	15/2000	27.1.2000	379 भा.द.सं.	भिरानी
2.	35/2000	9.3.2000	379 भा.द.सं.	भिरानी
3.	52/2000	23.3.2000	376 भा.द.सं.	भिरानी
शून्य		शून्य		पल्लू
1.	10/2000	11.2.2000	498ए, 406 भा.द.सं.	भादरा
2.	54/2000	3.3.2000	379, ता.हि. 39, 40 विद्युत अधि.	भादरा

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-665 की प्रति) परिशिष्ट-"अ"

नकल रपट रोजनामचा आम थाना भट्टा बस्ती जिला जयपुर शहर दिनांक 8.7.98

मजमून रिपोर्ट खुलासा रिपोर्ट

416. सेवामें श्रीमान् थानाधिकारी महोदय भट्टा बस्तीं जयपुर विषय रपट नुकसे अमन 1.30 सुनील पाउजा व श्रीमती पाउजा तथा साथ आये व्यक्तियों द्वारा व 504 आईपीसी पीएम आपके थाने के थानेदार एवं कानि. मोहल्ले के लोगों के सामने भदी-2 गालिया देते हुए मेरे घर पर जान से मार देने की धमकियों से परेशान करने हेतु महोदयजी निवेदन है कि अभी 12.40 बजे उपरोक्त सभी लोग यहां पधारकर कागजी कार्यवाही कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उपरोक्त लोगों ने मुझे व मेरे परिवार वालों को गालिया धमकी शुरू कर दी और कहां तुम सब में दम है तो घर से निकलो तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े करेंगे। मैं अकेला घर से बाहर बनी दुकान पर आया तो सुनील पाउजा व श्रीमती पाउजा साथ आये व्यक्तियों ने शुरू कर दिया अभी थानेदार साहब व कांस्टेबल ने बीच बचाव करके तथा उन तीनों को समझाकर मौके से रवाना कर दिया किन्तु जाते-जाते तीनों ने धमकी दी है कि आज बच गया है किन्तु तुम सबोंकी मौत हमारे हाथों से निश्चित समझना उनके पथराव से मेरे पास मिलने आये मेरे मित्र के भी एक पत्थर की हल्की सी लगी और मौके पर पड़े हुए हैं। कृपया उपरोक्त तीनों से हमारे पुरे परिवार को जान माल की रक्षा करो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुनिल पाउजा एवं इसकी पत्नी मेरे पुरे परिवार की स्वयं या गुण्डों द्वारा जान से खत्म करावेगी। मैंने इस पथराव होते हुए बचकर मेरे घर में गया और माननीय वृत्ताधिकारी बनीपार्क महोदय को फोन द्वारा सूचित किया तथा मौजूद थानेदार साहब की बात कराई वृत्ताधिकारी महोदय ने रिपोर्ट लिखाने को कहा अतः मैं उपस्थित थाने होकर रिपोर्ट कर रहा हूं उचित कार्यवाही करे। एसडी. सोभा चंद बागड़ी 2 बी44, शिव शक्ति कालोनी, शास्त्रीनगर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तहरिरी रिपोर्ट व कथन हिन्दी सोभा चन्द बागडी पुत्र श्री मेघराज बागडी जाति महाजन उम्र 44 साल मकान नं. 2 बी 44, शिव शक्ति कालोनी शास्त्रीनगर जयपुर ने उपस्थित थाने होकर पेश की कि जिसकी नकल रोज.आम. में अक्षर से अक्षर की जाकर पढ़कर सुनाई गई सुन समझ सही मान हस्ताक्षर किये व मजिद दरियाफत कर बताया कि यह औरत आये दिन झगड़ा करती है। मजमुन रिपोर्ट से मामला 504 आई.पी.सी. व नुक्शे अमन का पाया जाता है। अतः 504 आई.पी.सी. नाकाबिल दस्तनदाजी पुलिस अपराध है अतः 504 आई.पी.सी. बाबत नकल रपट दी जाकर महकमा मजाज अदालत बाला में कार्यवाही की हिदायत की व नुक्शे अमल की जांच श्री किशनलाल ए.एस.आई. को सुपुर्द की गई। कलमी एसडी. अनुप सिंह एच.सी. 5304, एस.डी.-एस.सी. बागड़ी 8.7.98

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-666 की प्रति)

परिशिष्ट-क

सत्य प्रतिलिपि एफ.आई.आर.मु.नं. 24/99 थाना सदर सीकर

सेवामें, श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना सदर सीकर विषय : — गुमशुदा नागरमल शर्मा की जांच रिपोर्ट व एफ.आई.आर. दर्ज करने बाबत महोदय निवेदन है कि दिनांक 20.1.99 को श्री पन्नाराम पुत्र जवाहराराम जाति ब्राह्मण निवासी चन्दपुरा ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 19.1.99 की शाम के करीब 6 बजे मेरा लड़का नागरमल शर्मा उम्र 25 साल घर से निमड़ी के बालाजी के यहां नारियल, ध्वजा, अगरबत्ती, बाल्टी व अन्य पूजा का सामान लेकर के बालाजी के चढ़ाने गया था। आज सुबह 6 बजे मैं घर से खेत में आया तो मेरी पत्नि ने कहा कि नागर नहीं आया क्या आपके पास था तो मैंने कहा मेरे पास नहीं आया तब मैंने आस पाड़ोस में पूछताछ की तथा बालाजी के यहां भी देखा परन्तु नहीं मिला। श्रीमान्जी, मेरा पुत्र कहीं गुम हो गया ओर मेरे पुत्र की तलाश कराई जावे। इत्यादि रिपोर्ट पर रोजनामचा आम में रपट गुमशुदगी अंकित की जाकर जांच मुझ एस.आई. (प्रो.) रवीन्द्र प्रताप के जिम्मे की मन एस.आई. (प्रो.) ने जांच की व बयान श्रीमति शोभावती व श्रीमती सुमित्रा लिये गये तो जांच से पाया कि नागरमल शर्मा को उनके बाड़ा के विवाद व बाड़ा खाली कराने के लिये मन्शा, डुंगा, रामेश्वर, ओमा, शिवभगवान, रामनाथ, जवाहरा गणेश जाटान निवासी चन्दपुरा कहीं ले गये। जांच से मामला धारा 365/385 ताहि का होना पाया गया। अतः रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि मुकदमा कायम किया जाकर कार्यवाही की जावे रिपोर्ट सेवा में पेश है। प्रार्थी रवीन्द्र प्रताप एस.आई. (प्रो.) सदर सीकर दिनांक 25.1.99

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-667 की सूची)

परिशिष्ट-"अ"

9 वीं बटालियन आर.ए.सी. टोंक में वर्ष 1994-95 में चयनित हुए पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की सूची निम्नांकित है

<u>पिछड़ी जाति</u>

सर्वश्री

1. लीलम सिंह पुत्र छज्जू सिंह गूजर
2. सुभाष चन्द पुत्र सुरजीत सिंह गूजर
3. बलवंत सिंह पुत्र भूलराम अहीर
4. जन्सीराम पुत्र गंगा लाल गूजर
5. स्वरण सिंह पुत्र हीरा सिंह गूजर
6. देवीसिंह पुत्र राजू गूजर
7. गुमान सिंह पुत्र झाबर मल
8. रामकिशन पुत्र झाबर मल
9. समंदर सिंह पुत्र रामेश्वर लाल
10. हरिनारायण पुत्र मोती लाल
11. राजाराम पुत्र बद्री लाल
12. रामदीन पुत्र बचनाराम
13. रामदान सिंह पुत्र माधोदान
14. मदनलाल पुत्र सुलताना राम

<u>अनुसूचित जाति</u>

सर्वश्री

1. रामकल्याण पुत्र रामचन्द्र नायक
2. कल्याण प्रसाद पुत्र बत्तुराम जाटव
3. शंकर लाल पुत्र सुखदेव सिंह ढोली
4. प्रेम प्रकाश पुत्र रामनिवास ढोली

5. नानकराम पुत्र छगनलाल
6. किशोर कुमार पुत्र रामकिशन
7. पेमाराम पुत्र रतनलाल
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामोतार
9. बालुराम पुत्र मादूराम
10. रामेश्वर लाल पुत्र सुखा राम

<u>अनुसूचित जनजाति</u>

सर्वश्री

1. जीवणराम पुत्र जमनाराम मीणा
2. रामनिवास पुत्र लालाराम मीणा
3. रामलाल पुत्र लादू लाल मीणा
4. रामनिवास पुत्र सोमोत्या
5. बलवीर सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
6. मंगल राम पुत्र परसादी लाल
7. रघूवीर सिंह पुत्र आशा राम
8. रिच्छपाल पुत्र उगमा राम
9. कैलाश चन्द पुत्र रघुनाथ
10. शिव प्रसाद पुत्र सुवा लाल

परिशिष्ट-"ब"

9वीं बटालियन आर.ए.सी. टोंक में वर्ष 1995-96 में चयनित हुए पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की सूची निम्नांकित है

पिछड़ी जाति

सर्वश्री

1. सरोज कुमार पुत्र श्री राजन
2. थान सिंह पुत्र गजराज सिंह
3. दशरथ सिंह पुत्र राम भरोसी
4. बाला राम पुत्र देवी लाल
5. महेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ
6. मुखराम पुत्र फतेह सिंह
7. नानु लाल पुत्र रंग लाल
8. हंस राज पुत्र लाखा राम

अनुसूचित जाति

सर्वश्री

1. मुन्नाराम पुत्र हेमाराम
2. लड्डू लाल पुत्र प्रभात
3. देवेन्द्र किशोर पुत्र रामचरण
4. रामजीलाल पुत्र मोडू लाल
5. राजवीर सिंह पुत्र मनफूल सिंह

अनुसूचित जनजाति

सर्वश्री

1. कमल कुमार पुत्र बिरधी राम
2. हंसराज पुत्र राम कुमार
3. मिश्री लाल पुत्र रेवड़मल
4. भाग चन्द पुत्र छीतर मल
5. कमलेश कुमार पुत्र कालू राम

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-670 की सूची) **परिशिष्ट-"क"**

जिन सब डिवीजन मुख्यालयों पर ए.डी.जे.कोर्ट नहीं हैं, उनकी सूची

नाम जिला		नाम सब डिवीजन
1		2
अलवर	1.	लक्ष्मणगढ़
भरतपुर	1.	कामा
बांसवाड़ा	1.	कुशलगढ़
भीलवाड़ा	1.	गंगापुर
	2.	माण्डलगढ़
	3.	शाहपुरा
बाड़मेर	1.	गुढ़ामालानी
बूंदी	1.	नैनवा
बीकानेर	1.	खाजूवाला
चित्तौड़गढ़	1.	बेगूं
	2.	कपासन
	3.	बड़ी सादड़ी
	4.	प्रतापगढ़ (जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित)
डूंगरपुर	1.	डूंगरपुर (जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित)
	2.	सागवाड़ा
धौलपुर	1.	बाड़ी
हनुमानगढ़	1.	संगरिया
जयपुर	1.	आमेर
	2.	फुलेरा
जोधपुर	1.	पीपाड़शहर
जैसलमेर	1.	जैसलमेर (जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित)
	2.	पोकरण
जालौर	1.	जालौर (जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित)
	2.	सांचौर
झालावाड़	1.	भवानीमण्डी
झुंझनूं	1.	नवलगढ़
बारां	1.	शाहबाद
नागौर	1.	मेड़ता (जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित)

1	2
पाली	1. जैतारण
सिरोही	1. सिरोही (जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित)
सवाईमाधोपुर	1. सवाईमाधोपुर (जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित)
करौली	1. करौली (जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित)
सीकर	1. फतेहपुर
टोंक	1. टोंक (जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित)
	2. टोंक द्वितीय
राजसमंद	1. झाड़ौल

परिशिष्ट-"ब"

सब डिवीजन मुख्यालयों पर स्थापित ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट की सूची

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	सब डिवीजन मुख्यालय का नाम जहां कैम्प कोर्ट स्थापित है।
1	2	3
1.	ए.डी.जे. कोर्ट, राजगढ़ (अलवर)	लक्ष्मणगढ़
2.	ए.डी.जे. कोर्ट सं. 1, हनुमानगढ़	संगरिया
3.	ए.डी.जे. कोर्ट सं. 2, श्रीगंगानगर	सूरतगढ़
4.	ए.डी.जे. कोर्ट सं. 2, उदयपुर	सलूम्बर
5.	ए.डी.जे. कोर्ट, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	शाहपुरा
6.	ए.डी.जे. कोर्ट, नोहर	भादरा
7.	ए.डी.जे. कोर्ट, बांसवाड़ा	कुशलगढ़
8.	ए.डी.जे. कोर्ट नं. 2, सीकर	श्रीमाधोपुर (अधिसूचना जारी हो गई है किन्तु अभी कैम्प कोर्ट का कार्य आरम्भ नहीं हुआ)
9.	ए.डी.जे. कोर्ट, सोजत	जैतारण

निम्नलिखित ए.डी.जे. न्यायालयों का कैम्प कोर्ट तहसील मुख्यालय पर होता है : —

क्र.सं.	नाम न्यायालय	तहसील मुख्यालय जहां कैम्प कोर्ट स्थापित है।
1	2	3
1.	ए.डी.जे. कोर्ट, किशनगढ़बास (अलवर)	तिजारा
2.	ए.डी.जे. कोर्ट रतनगढ़	सुजानगढ़

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-677 की सूची)

परिशिष्ट-1

सहायक अधिशासी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चूरू द्वारा ऋण वसूली में कमी रहने के कारण निम्न व्यवस्थापकों को दिनांक 10.3.2000 को नोटिस जारी किये गये

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक	नाम समिति
1.	श्री भागचन्द दूदर	देपाल सर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
2.	श्री भगवानाराम माली	पीथीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
3.	श्री सोहनलाल	नाकरासर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
4.	श्री भीमसिंह	खासोली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
5.	श्री मोहर सिंह	सातड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
6.	श्री खेतसिंह	धीरासर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
7.	श्री राजकुमार	बीनासर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
8.	श्री असगर अली	जसरासर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
9.	श्री फुलाराम कस्वा	खन्डवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
10.	श्री दलीप सिंह	घन्टेल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
11.	श्री टोडाराम	बुटिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
12.	श्री रामलाल	इन्दुपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
13.	श्री कुम्भाराम	झारिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
14.	श्री भगवानाराम फोगावट	लोसनाबड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
15.	श्री बजरंग लाल	लाखाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
16.	श्री अर्जुन सिंह	धाधु ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
17.	श्री शिवराम सिंह	ढाढर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
18.	श्री सांवताराम	जोड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-678 की सूचना)

परिशिष्ट-"क"

कनिष्ठ लिपिकों की सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	नियुक्ति दिनांक	वेतन श्रृंखला दिनांक
1	2	3	4
स्पिनिंग इकाई-गंगापुर			
1.	श्री बिहारी लाल पालीवाल	01.11.83	01.11.86
2.	श्री हंसराज फागना	17.01.84	01.01.87
3.	श्री मदन लाल कुमावत	14.11.84	01.06.87
4.	श्री विनोद बहेड़िया	08.04.85	01.04.87
5.	श्री महेश चन्द्र तिवाड़ी	30.04.85	01.11.86
6.	श्री मगन बिहारी कुमावत	01.06.85	01.10.86
7.	श्री विजय जैयसवाल	22.06.85	01.06.87
8.	श्री मदन लाल तिवाड़ी	05.10.85	01.10.86
9.	श्री अशोक कुमार ओझा	08.10.85	01.10.86
10.	श्री लक्ष्मण भंभानी	22.10.86	01.12.88
11.	श्री रमाकांत शुक्ला	01.01.85	01.12.86
12.	श्री चान्दरतन माली	01.02.87	01.12.88
13.	श्री कैलाश आचार्य	18.02.87	01.09.87
14.	श्री रतन लाल खटीक	01.03.87	01.12.88
15.	श्री शांति लाल स्वर्णकार	05.03.87	16.10.89
16.	श्री अशोक चतुर्वेदी	06.04.87	01.08.89
17.	श्री अशोक कुमार सिंह	19.05.87	01.03.90
18.	श्री वसीम सिद्धिकी	01.07.87	01.02.88
19.	श्री राजेन्द्र राठी	20.07.87	16.10.89
20.	श्री नन्द कुमार शर्मा	21.08.87	21.08.87

1	2	3		4
21.	श्री राम करण जाखड़	23.09.87		01.12.89
22.	श्री बनवारी लाल मोल	29.09.87		01.12.90
23.	श्री रमेश भट्ट	23.12.87		01.02.89
24.	श्री रघुनन्दन उपाध्याय	16.10.89		16.10.89
25.	श्री जमना लाल कुमावत	03.11.90		01.08.95
26.	श्री महेश व्यास	25.07.85	(श्रमिक के	01.08.98
27.	श्री घनश्याम् माली	07.03.86	रूप में	01.06.98
28.	श्री दिलीप कुमार	15.07.86	नियुक्ति	01.06.98
29.	श्री सत्यनारायण	20.08.87	दिनांक)	01.06.98
30.	श्री सुनीत शर्मा	07.10.93		01.05.94
31.	श्री ठाकुर लाल कोली	01.12.93		01.12.93
32.	श्री गोविन्द चतुर्वेदी	03.12.93		01.11.99
स्पिनिंग इकाई-गुलाबपुरा				
1.	श्री भीमचन्द	01.05.79		01.04.84
2.	श्री अब्दुल कुरैशी	01.09.79		01.04.84
3.	श्री यू. एस. रानावत	10.05.80		01.04.84
4.	श्री रघुराथ नुवाल	21.05.83		21.05.83
5.	श्री इन्द्रजीत सिंह	21.05.83		21.05.83
6.	श्री कमल कुमार जैन	04.10.83		04.10.83
7.	श्री राम गोपाल चौधरी	04.10.83		04.10.83
8.	श्री एम.एस.शेखावत	04.10.83		04.10.83
9.	श्री गोपाल लाल	15.11.86		15.11.86
10.	श्री शान्तिलाल	15.11.86		15.11.86
11.	श्री कन्हैया लाल	15.11.86		15.11.86
12.	श्री रघुनाथ सिंह	15.11.86		15.11.86
13.	श्री मो. सलीम	15.11.86		15.11.86

1	2	3	4
14.	श्री बसंती लाल	24.11.86	24.11.86
15.	श्री पुखराज	24.11.86	24.11.86
16.	श्री किशन गोपाल	24.11.86	24.11.86
17.	श्रीपति सिंह	14.02.85	14.02.85
18.	श्री राहुल न्याति	01.06.98	01.06.98 (मृत कर्मचारी के आश्रित)
स्पिनिंग इकाई-हनुमानगढ़			
1.	श्री विजय अग्रवाल	07.02.80	01.07.80
2.	श्री महावीर प्रसाद	06.09.82	06.09.82
3.	श्री निरंजन सिंह	06.09.82	06.09.82
4.	श्री सुरजीत सिंह	02.03.83	01.04.83
5.	श्री नरसिंह पाल	25.08.84	01.07.85
6.	श्री शम्भू सिंह	05.01.85	12.07.85
7.	श्री जीवराज सिंह	24.01.85	01.08.85
8.	श्री राधेश्याम	13.02.85	01.08.85
9.	श्री ओम प्रकाश वैष्णव	16.02.85	01.08.85
10.	श्री महेश शर्मा	23.02.85	23.05.86
11.	श्री प्रेम पाल	15.04.85	01.08.85
12.	श्री आर.के. गोदारा	01.06.86	01.07.87
13.	श्री बी. एम. शर्मा	01.06.86	01.06.87
14.	श्री माखन सिंह	08.07.86	08.07.87
15.	श्री दिनेश माथुर	10.12.86	10.12.86
16.	श्री चन्द्र शेखर	10.12.86	10.12.86
17.	श्री संदीप विश्नोई	10.12.86	10.12.86
18.	श्री राकेश गुप्ता	13.12.86	13.12.86
19.	श्री पुरणमल शर्मा	15.12.86	15.12.86

1	2	3	4
20.	श्री परमेश्वर लाल	23.12.86	23.12.86
21.	श्री राजेन्द्र माथुर	24.12.86	24.12.86
22.	श्री एम.एल.सिडाना	25.04.87	25.04.87
23.	श्री रामसिंह आर्य	21.10.87	21.10.87
24.	श्री उमाशंकर शुक्ला	13.11.87	13.11.87
25.	श्री बलवन्त सिंह	05.12.89	05.12.89
26.	श्री मुकेश शर्मा	17.10.92	17.10.92
27.	श्री शंकर लाल	07.11.92	07.11.92
28.	श्री नेमी नारायण	01.11.89 (श्रमिक के रूप	01.03.94
29.	श्री ओ.पी. शर्मा	20.03.91 में नियुक्ति	01.03.94
30.	श्री प्रकाश शर्मा	07.10.92 दिनांक)	01.03.94
31.	श्री रज्जीराम (ग.ओ.प्रो.ई.)	21.12.93	21.12.93 (राजकीय उपक्रम ब्यूरो
32.	श्री निर्मल सिंह (ग.ओ.प्रो.ई.)	21.12.93	21.12.93 (के आदेशानुसार अन्य
33.	श्री अनवर (रा.भू.वि.नि.)	14.01.94	14.01.94 विभाग से
34.	श्री कैसर लाल (रा.भू.वि.नि.)	01.02.94	01.02.94 समायोजित)
35.	श्री अरविन्द कुमार	21.01.99	01.11.99

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-681 का विवरण)

परिशिष्ट-"क"

WEEKLY EMPLOYMENT GENERATION REPORT
(SAMVAT 2056)

As on 13.03.2000

S.No.	Name of District	No. of works in progress	FAMINE	
			Labour ceiling (March, 2000)	Labour Engaged
1	2	3	4	5
1.	Ajmer	291	15000	8734
2.	Alwar	—	—	—
3.	Banswara	91	35000	910
4.	Barmer	485	45000	33851
5.	Bhilwara	654	15000	14350
6.	Bikaner	52	20000	2630
7.	Bundi	17	3000	341
8.	Chilttorgarh	—	25000	—
9.	Churu	—	15000	—
10.	Dausa	—	5000	—
11.	Dungarpur	121	20000	680
12.	Ganganagar	—	—	—
13.	Hanumangarh	13	2000	353
14.	Jaipur	—	1500	—
15.	Jaisalmer	41	15000	1567
16.	Jalore	98	17000	6222
17.	Jhunjhunu	9	15000	140
18.	Jodhpur	—	25000	—

1	2	3	4	5
19.	Nagour	—	25000	—
20.	Pali	39	22000	1285
21.	Rajsamand	109	23000	1820
22.	S. Madhopur	—	—	—
23.	Sikar	312	15000	5310
24.	Sirohi	45	13000	3579
25.	Tonk	—	10000	—
26.	Udaipur	77	50000	3040
	TOTAL	**2454**	**431500**	**84812**

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-682 की प्रति)

परिशिष्ट-"अ"

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांक : सहायता/अ.रा./प.1(2)99/3190 दिनांक : 28.5.99

अधिशासी अभियन्ता,

सा. नि. विभाग,

जिला खण्ड दक्षिण, जयपुर।

विषय : राहत कार्य सम्वत् 2055 के अन्तर्गत सम्पादित करवाये जाने वाले राहत कार्यों की स्वीकृति।

सहायता विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 1/1/1/सआ/रबी/98-99/1735-85 दिनांक 27.1.99 के द्वारा जयपुर जिले के जो ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये हैं उनमें सहायता विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 30.9.98 के अनुसार जयपुर जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राहत कार्य सन्/सम्वत् 2055 के नाम से आपके विभाग/अभिकरण के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु संलग्न विवरण में कार्यों की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति का प्रोफार्मा संलग्न है : —

(1) उपरोक्त समस्त कार्य राहत कार्य सम्वत् 2055 के नाम से सम्पादित होंगे।

(2) कार्यों पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावेगा।

(3) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि व उस पर नियोजित श्रमिक संख्या की सूचना इस कार्यालय को कार्य प्रारम्भ होते ही तुरन्त भिजवाये।

(4) इस स्वीकृत कार्यों पर सामान की खरीद उतनी ही मात्रा में की जावे जिसकी की उपयोग दिनांक 30.6.99 तक किया जा सकें। इसके अतिरिक्त कोई खरीद नहीं की जावेगी। जिसका उक्त अवधि में पूर्ण उपयोग न हो सकें।

(5) इस स्वीकृति के द्वारा जो कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनको दिनांक 30.6.99 तक पूर्ण करा लिया जावे। जो कार्य दिनांक 30.6.99 के पश्चात् अपूर्ण रहेंगे। उनको उक्त विभाग अपने विभागीय बजट मद/अन्य योजनाओं में पूर्ण करवायेंगे।

(6) प्रत्येक कार्य तकनीकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जावे।

(7) इस कार्यों पर श्रम एवं सामग्री का अनुपात 50 : 50 होगा। सामग्री मद में किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जावेगी।

(8) इस स्वीकृति के द्वारा 1 राहत कार्य स्वीकृत किया गया है उन पर कुल व्यय 488000/- रुपये मात्र होगा।

(9) राहत कार्य सम्वत् 2055 के दौरान निर्मित स्थाई सम्पदाओं के संधारण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। संबंधित विभाग अपने बजट से इस हेतु उचित प्रावधान रखेंगे।

(10) मजदूरी का भगुतान पखवाड़े की समाप्ति के 10 दिवस के अन्दर-अन्दर किया जाना आवश्यक है। अतः समय-समय पर मजदूरी का भुगतान करवाने हेतु संबंधित तहसीलदार से सम्पर्क किया जावे तथा भुगतान कराने की व्यवस्था में उन्हें सहयोग दिया जावे।

(11) राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान संबंधित तहसीलदार के माध्यम से ही स्वीकृति कें अनुसार किया जावेगा। संबंधित ऐजेन्सी श्रम का भुगतान अपने स्तर से नहीं करेंगे.

(12) राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को मजदूरी 44.00 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जावेगी यह मजदूरी कार्य मात्रा में (टास्क बेसिस) के आधार पर दी जावेगी।

(13) राहत कार्यों पर अकाल से प्रभावित उसी ग्राम के व्यक्तियों को रोजगार दिया जावेगा तथा एक परिवार से अधिकतर दो व्यक्ति को रोजगार दिया जावेगा।

(14) प्रत्येक कार्य के लिए 3 सदस्य समिति का गठन किया जावे ताकि उक्त समिति की निगरानी में उक्त कार्य सम्पादित किया जा सके।

(15) किसी भी कार्य पर मजदूरी टास्क के अनुसार देय होगी यदि टास्क के अनुसार देय मजदूरी से अधिक का मस्टररोल पारित किया जाता है तो इसके लिए मस्टररोल पर ही सुस्पष्ट अंकित कियां जावे, तथा कार्य की कमी के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं करने सम्बन्धी दायित्व भी निर्धारित किया जावे।

(16) राहत कार्यों का समय प्रातः 9.00 बजे से 5.00 बजे तक रहेगा। जिसमें आधे घण्टे का भोजमावकाश होगा।

(17) मस्टररोल का कार्यस्थल पर संधारण मेट द्वारा किया जावेगा। मेट जिस गांव में कार्य चल रहा है उसी गांव के पढ़े-लिखे लोगों में से ही रखा जावे जो श्रमिकों की पहचान कर सके तथा मेट द्वारा मस्टररोल में श्रमिकों की हाजरी प्रतिदिन सवेरे कार्य प्रारम्भ करने से एक घण्टे के अन्दर की जावेगी।

(18) राहत कार्य जिस विभाग/अधिकारी के द्वारा सम्पादित किये जावेंगे उसी विभाग के अधिकारियों को तकनीकी स्वीकृतियों के जो अधिकार विभाग द्वारा प्रदत्त है उसी के अनुसार राहत कार्यों के अन्तर्गत चलाये जाने वाले कार्यों के लिए भी तकनीकी स्वीकृति के अधिकार प्राप्त होंगे।

(19) राहत कार्यों पर पानी की व्यवस्था हेतु कुशल श्रमिक रखे जो, जो कि निकटतम स्त्रोत से पानी का परिवहन कर सकें। पानी पिलाने तथा पानी लाने वाले व्यक्ति/पशु चलित वाहन मय चालक को मस्टररोल में दर्शाया जावें, तथा भुगतान बी. एस. आर. दरों से किया जावे। इस हेतु अधिकतम व्यय जिले में राहत कार्यों हेतु निर्धारित श्रम व्यय 50 प्रतिशत का 3 प्रतिशत या वास्तविक व्यय जो भी कम हो देय होगा।

(20) राहत कार्यों पर छाया व्यवस्था पर होने वाले व्यय सामग्री राशि से होगा। छाया व्यवस्था के लिए होने वाला व्यय जिले के लिए निर्धारित सामग्री राशि 50 प्रतिशत का एक प्रतिशत तक या वास्तविक जो भी कम हो देय होगा।

(21) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित स्थल का टाइटल देखा जावे एवं स्थल का मानचित्र की प्रति प्राप्त की जावे।

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

नाम अभिकरण अधिशासी अभियंता, सा.नि. विभाग,
जिला खण्ड दक्षिण, जयपुर
स्वीकृति क्रमांक सहा/अ.र./99/3190
दिनांक : 28.5.99

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राहत कार्य संवत् 2055
स्वीकृत कार्यों के विस्तृत तकनीकी अनुमान विभाग द्वारा तैयार कर लिये गये हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य अपूर्ण/नया	ग्राम का नाम	ग्रा.पं. का नाम	पंचायत समिति का नाम	तहसील का नाम	पूर्व में स्वीकृत राशि	पूर्व में व्यय हुई राशि	स्वीकृत राशि लाखों में — श्रम	सामग्री	योग	सृजित कुल मानव दिवस	प्रतिदिन नियोजित होने वाले श्रमिकों की संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ग्रेवल सड़क कार्य खेड़ा हनुमानजी से ढाणी बैरवान राजीव स्वर्ण जयन्ती पाठशाला तक 2 किलोमीटर	नया	खेड़ा हनुमानजी	माधो राजपुरा	फागी	फागी	—	—	2.44	2.44	4.88	5545	180	30.6.99
						योग			2.44	2.44	4.88	5545	180	

(अक्षरे चार लाख अठयासी हजार रुपये मात्र)

ह.
जिला कलक्टर,
जयपुर

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-687 की सूची)

परिशिष्ट-I

आंधी से चांदराणा एवं फुटाला के लिये जयपुर से आने/जाने वाली बसों की समय सारिणी का विवरण

मांजी की छतरी (जयपुर से) प्रस्थान समय	चांदराणा आगमन	चांदराणा से प्रस्थान	मांजी की छतरी (जयपुर) आगमन
09.35	11.35	06.45	08.45
18.00	20.00	12.00	14.00
मांजी की छतरी (जयपुर) प्रस्थान	**फुटाला आगमन**	**फुटाला प्रस्थान**	**मांजी की छतरी (जयपुर) आगमन**
17.00	18.45	06.15	08.00

उक्त सेवाओं के अतिरिक्त चांदराणा मोड होकर निम्न सेवायें संचालित है : —

मांजी की छतरी	दौसा	दौसा	मांजी की छतरी
14.30	17.00	11.30	14.15
मांजी की छतरी	**टहला**	**टहला**	**मांजी की छतरी**
1545	1815	0600	0900

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-690 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र दीगोद (कोटा) के अन्तर्गत

पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं सांगोद के अन्तर्गत किए गए सड़क निर्माण कार्य

क्र. सं.	पंचायत समिति	सम्पर्क सड़क का नाम	स्वीकृति लम्बाई	भौतिक प्रगति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	पंचायत समिति सुल्तानपुर	1. स.स. सुल्तानपुर से आटोन	4.40	कार्य पूर्ण	
		2. स.स. मोरपा से बिसलाई	5.00	कार्य पूर्ण	
		3. स.स. बनेढिया	1.80	कार्य पूर्ण	
		4. स.स. मदनपुरा	6.00	कार्य प्रगति पर	कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
		5. स.स. लाखसनिजा	3.10	कार्य प्रगति पर	कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6
2.	पंचायत समिति सांगोद	1. स.स. आजादपुरा देवली रोड़ से झालरी	5.00	कार्य प्रगति पर	कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
		2. स.स. डाबरी से कुराड़िया खुर्द	3.00	कार्य प्रगति पर	कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
		3. स.स. दूधियाखेड़ी से जालिमपुरा	2.70	कार्य प्रगति पर	कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
		4. स.स. धूलेट से लोड़ाहेडा	3.50	कार्य प्रगति पर	कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
		5. स.स. सांगोद कनवास रोड़ से श्यामपुरा	5.850	कार्य प्रगति पर	कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
		6. स.स. आजादपुरा से मामोर	3.50	3.300 मीटर कार्य प्रगति पर	(200 मीटर में न्यायालय वाद के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है) शेष कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
		7. स.स. नाहरिया	2.40	कार्यादेश जारी किया जाना है।	कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-"ब"

पंचायत समिति क्षेत्र सांगोद में वर्ष 1999-2000 में विभिन्न मदों में किये गये व्यय की राशि का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाखों में)
1.	सम्पर्क सड़क आजादपुरा देवली रोड से झालरी	23.07
2.	सम्पर्क सड़क डाबरी से कुराड़िया खुर्द	19.02
3.	सम्पर्क सड़क दूधिया खेड़ी से जालिमपुरा	9.28
4.	सम्पर्क सड़क धूलेट से लोंड़ाहेड़ा	8.76
5.	सम्पर्क सड़क सांगोद कनवास रोड से श्यामपुरा	28.77
6.	सम्पर्क सड़क आजादपुरा से माभोर	21.11
7.	सम्पर्क सड़क नाहरिया	—
8.	विशेष मरम्मत दुकान एवं गोदाम	3.79
9.	विशेष मरम्मत चारदीवारी	4.08

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-691 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	किया गया व्यय (लाखों में)	वर्तमान स्थिति
1.	चारदीवारी मय चैक पोस्ट	8.93	8.72	कार्य अपूर्ण
2.	आन्तरिक सड़के	11.44	11.23	कार्य पूर्ण
3.	नीलामी चबूतरा	4.79	4.50	कार्य पूर्ण
4.	कियोस्क	0.47	0,42	कार्य पूर्ण
5.	पेशाब घर	0.81	0.67	कार्य पूर्ण
6.	प्याऊ	0.67	0.68	कार्य पूर्ण
7.	लेबर शेड कम कृषक विश्राम गृह	1.71	1.50	कार्य पूर्ण
8.	खेल	0.58	0.33	कार्य पूर्ण
9.	दुकान मय गोदाम 12	35.16	32.17	कार्य पूर्ण
10.	कार्यालय भवन	2.89	2.55	कार्य पूर्ण
11.	विभिन्न भवनों में आन्तरिक विद्युतीकरण	—	1.55	कार्य पूर्ण
12.	वाटर सप्लाई	2.28	1.11	कार्य पूर्ण
13.	स्ट्रीट लाइट मय सर्विस कनेक्शन	2.10	2.05	कार्य पूर्ण
	इसके अतिरिक्त वर्ष 1998-99 में निम्न कार्य और स्वीकृत किये गये हैं :—			
1.	टावर लाइट	5.45	4.60	कार्य पूर्ण
2.	वाटर हाइड्रेन्ट	0.50	—	—
	वर्ष 1999-2000 में निम्न कार्य स्वीकृत किये गये हैं :—			
1.	हैण्ड पम्प	0.96	0.96	कार्य पूर्ण